डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार परामर्श करेगी -

सामाजिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "।

388. सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो अब अनुच्छेद *338* बी द्वारा लाया गया है, वह उपखंड *(9)* है, जो प्रत्येक राज्य सरकार को सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करने का आदेश देता है।

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। उपखंड *(9)* को "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करके अनिवार्य रूप में उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रकार राज्य अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले के प्रयोजनों के लिए, हमें अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(9)* में आने वाली "नीतिगत विषय" अभिव्यक्ति पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, महाराष्ट्र सरकार का निर्णय जो *2018* अधिनियम में समाप्त हुआ, मौजूदा कानून के अनुसार आरक्षण के लिए निर्धारित *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार करने और महाराष्ट्र में मराठों को अलग आरक्षण देने के लिए।

राज्य के अधीन और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार जहां अनुच्छेद *338* बी के खंड *(9)* के अर्थ के भीतर सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

389. उपखंड *(9)* में आने वाला 'परामर्श' शब्द एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग संविधान के कई अनुच्छेदों में किया गया है। अर्थात् अनुच्छेद *124,207,233,234,320* और कई अन्य अनुच्छेद। हम 'परामर्श' अभिव्यक्ति की सामग्री और अर्थ को देख सकते हैं।

390. द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, *10* वां संस्करण, परिभाषित करता है

' 'परामर्श' निम्नानुसार हैः

" परामर्श, एन। *(15(*ग*) 1.* किसी की सलाह या राय पूछने का कार्य *(*जैसे कि एक वकील*)*। *2.* एक बैठक जिसमें

पक्षकार परामर्श या परामर्श देते हैं। *3.* अंतर्राष्ट्रीय कानून। संवादात्मक विधियाँ जिनके द्वारा राज्य विवादों को रोकने या हल करने की कोशिश करते हैं। - सलाह लें, वी. बी.

परामर्श, परामर्श, एडज "।

P.Ramanatha अय्यर द्वारा उन्नत लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण,

'परामर्श' को परिभाषित करता हैः

" सलाह लें '। परामर्श का अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का सम्मेलन।

व्यक्ति या दो या दो से अधिक मस्तिष्कों का प्रभाव
एक सही या कम से कम एक संतोषजनक समाधान विकसित करने की दृष्टि से एक विषय का सम्मान। इसे

चर्चा के तहत विषय के आवश्यक बिंदुओं पर निर्देशित किया जाना चाहिए और सलाहकार को निर्णय पर आने से पहले पक्ष और विपक्ष पर विचार करने में सक्षम बनाना चाहिए।

यह किसी अनजान व्यक्ति और विशेषज्ञ के बीच या उनके बीच हो सकता है।

दो विशेषज्ञ "। *99*

391. 'परामर्श' या विचार-विमर्श तब तक पूर्ण या प्रभावी नहीं होता है जब तक कि वहां के पक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराते। अन्य और उनके दृष्टिकोण की सापेक्ष योग्यता की जांच करें। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल भौतिक तथ्यों और बिंदुओं पर परामर्श की प्रक्रिया में शामिल पक्षों के बीच विचारों की बैठक की आवश्यकता होती है।

परामर्श सार्थक, प्रभावी और सचेत होना चाहिए। अब हम इस न्यायालय के कुछ मामलों पर ध्यान दे सकते हैं जहां भारत के संविधान में होने वाली 'परामर्श' अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है।

392. चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम द पटना हाई

न्यायालय और अन्य, *(1969) 3* एस. सी. सी. *56,* इस न्यायालय के पास अनुच्छेद *233* में होने वाली 'परामर्श' अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर था। संविधान। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने 'परामर्श' अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि 'परामर्श' एक खाली औपचारिकता नहीं है और यह पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। फैसले के पैराग्राफ *7* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

" 7. ..... अनुच्छेद *233* के तहत उच्च न्यायालय के साथ परामर्श एक खाली औपचारिकता नहीं है। जहाँ तक अधिकारियों की पदोन्नति की बात है

जिला न्यायाधीशों के कैडर का संबंध उच्च न्यायालय से है जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के दावों और गुणों पर निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। राज्यपाल अनुच्छेद *233* के तहत अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है यदि वह किसी व्यक्ति की नियुक्ति उसके संबंध में उच्च न्यायालय के विचारों का पता लगाए बिना करता है।

..... पक्षकारों के समक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण रखने के लिए परामर्श या विचार-विमर्श पूर्ण या प्रभावी नहीं है। दूसरे या अन्य लोगों को पता होता है और उनके विचारों के सापेक्ष गुणों पर चर्चा और जांच करते हैं। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक प्रस्ताव देता है जिसके दिमाग में एक जवाबी प्रस्ताव है जिसे प्रस्तावक को सूचित नहीं किया जाता है, तो बिना कुछ और किए जवाबी प्रस्ताव को प्रभावी बनाने का निर्देश, परामर्श के बाद जारी किया गया नहीं कहा जा सकता है। हमारी राय में, *17* अक्टूबर, *1968* की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद *233* के अनुपालन में नहीं थी। में

परामर्श की अनुपस्थिति अक्टूबर की अधिसूचना की वैधता

17 , 1968 इसे कायम नहीं रखा जा सकता "।

393. भारत संघ बनाम शंकलचंद हिम्मतलाल सेठ

और दूसरा, *(1977) 4* एस. सी. सी. *193,* इस न्यायालय की संविधान पीठ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *222* और 'परामर्श' अभिव्यक्ति की जांच करने का अवसर।न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने पैराग्राफ में 'परामर्श' शब्द का प्रयोग किया

घ *39* निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया हैः -

" 38. शब्दों और वाक्यांशों में *(*स्थायी संस्करण, *1960,*

खंड *9,* पृष्ठ *3)* से 'परामर्श' को 'एक साथ कुछ चर्चा करने के लिए, जानबूझकर' के रूप में परिभाषित किया गया है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम *(*खंड *16* ए, एड। *1956,* पृष्ठ *1242)* यह भी कहता है कि 'परामर्श' शब्द को अक्सर 'एक साथ कुछ चर्चा करने, या जानबूझकर' के रूप में परिभाषित किया जाता है। रोलो वी. को उद्धृत करते हुए। नगर और देश योजना मंत्री *(1)* और फ्लेचर बनाम। नगर और ग्राम योजना मंत्री *(2)* स्ट्रौड्स न्यायिक शब्दकोश *(*खंड *1* 'तीसरा संस्करण, *1952,* पृष्ठ *596)* कहता है

"किसी भी स्थानीय के साथ परामर्श" अभिव्यक्ति के संदर्भ में अधिकारियों "कि" परामर्श का अर्थ है कि, एक तरफ,

मंत्री को स्थानीय प्राधिकरण को पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सलाह दे सकें, और दूसरी ओर, स्थानीय प्राधिकरण को सलाह देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार, विचार-विमर्श परामर्श का सार है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। थोक आधार पर नीतिगत हस्तांतरण जो प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं और जो एकतरफा सरकार से प्रभावित होते हैं विचार हमारे संविधान के चिंतन के बाहर हैं।

39. यह एक सुखद सादृश्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह सामान्य बात है कि जो कोई डॉक्टर से 'परामर्श' करना चाहता है, वह अपने तथ्यों को सामने नहीं रख सकता है।

आर. पुष्पम और अन्र में मद्रास उच्च न्यायालय। वी. पुराना। मद्रास *(1)* एक अच्छा समानांतर प्रस्तुत करता है। मद्रास जिला नगरपालिका अधिनियम, *1920* की धारा *43 (*बी*)* में प्रावधान किया गया है कि नगर परिषद के लिए पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से, स्थानीय सरकार '

नगर परिषद से परामर्श करके वार्डों का निर्धारण किया जा सकता है।

कौन सी आरक्षित सीटें अलग रखी जाएंगी। वार्डों में से एक के संबंध में किए गए आरक्षण को इस आधार पर अलग करते हुए कि स्थानीय सरकार अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने में विफल रही है नगर परिषद से परामर्श करने का दायित्व, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, जिन्होंने तब मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ को सुशोभित किया था, ने कहाः 'परामर्श' शब्द का अर्थ है दो या *[2021] 15* एस. सी. आर. का सम्मेलन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक के संबंध में अधिक व्यक्ति या दो या अधिक दिमागों का प्रभाव

ताकि वे एक सही, या कम से कम, एक संतोषजनक समाधान विकसित कर सकें। ताकि दोनों मस्तिष्क परस्पर प्रभाव डालने और उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें, यह आवश्यक है कि प्रत्येक के पास अपने विचार के लिए पूर्ण और समान तथ्य होने चाहिए, जो कर सकते हैं

एक बार अंतिम के स्रोत और नींव दोनों का गठन करता है
निर्णय "।

394. भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में *(*एस. सी. एस.*)* एसोसिएशन, यू. पी. और अन्य, *(1993)* सप। *(1)* एस. सी. सी. *730*, इस न्यायालय के पास अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, *1951* में होने वाली 'परामर्श' अभिव्यक्ति की व्याख्या करने का अवसर था। पैराग्राफ *26* में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए थेः

" 26. (1) परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सही या कम से कम संतोषजनक समाधान विकसित करने के लिए शामिल भौतिक तथ्यों और बिंदुओं पर परामर्श की प्रक्रिया में शामिल पक्षों के बीच विचारों की बैठक की आवश्यकता होती है। प्रस्तावक और व्यक्तियों के बीच विचारों की बैठक होनी चाहिए जिन पर परामर्श किया जाना चाहिए

परामर्श का विषय। निश्चित तथ्य होने चाहिए जो

अंतिम निर्णय के लिए आधार और स्रोत का गठन करता है। परामर्श का उद्देश्य इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए परामर्श को सार्थक बनाना है। इस संबंध में पूर्व परामर्श अनिवार्य है।

395. अनुच्छेद *124,216,217* और *222* में आने वाला 'परामर्श' शब्द संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ, *(1993) 4* एस. सी. सी. *441* में यह न्यायालय। न्यायमूर्ति रत्नवेल पांडियन ने एक सहमति वाली राय देते हुए परामर्श पर विस्तार से विचार किया है। पैराग्राफ *112* में निम्नलिखित कहा गया हैः -

" 112. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *217 (1)* के तहत,

' राष्ट्रपति द्वारा 'परामर्श' अनिवार्य है और यह खंड करता है

किसी अन्य के साथ किसी भी विवेकाधीन 'परामर्श' की बात न करें

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में प्राधिकरण

न्यायालय, जैसा कि अनुच्छेद *124* के खंड *(2)* में परिकल्पित है। वह शब्द।
' 'परामर्श' अर्थ के साथ शक्तिशाली और वाक्पटु है, जो अनिर्धारित स्वर से भरा हुआ है और यह सीजेआई की

राय के लिए प्रधानता के परीक्षण सहित सभी प्रश्नों और सभी विभिन्न परीक्षणों का उत्तर देता है। यह परीक्षण कई कठिन प्रश्न प्रस्तुत करता है, जिनमें से एक है, डी. आर.।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

संविधान के तहत जिस संदर्भ में 'परामर्श' का उपयोग किया जाता है, उसका क्या अर्थ है। जैसे कि मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति,

कुछ और संवैधानिक प्रावधान हैं जिनमें

अभिव्यक्ति 'परामर्श' का उपयोग किया जाता है।

396. जब संवैधानिक प्रावधान अभिव्यक्ति का उपयोग करता है

' परामर्श 'जो' परामर्श 'वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है

पिछड़े वर्ग का व्यापक हित। इस प्रकार हमारा विचार है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राज्य द्वारा परामर्श अब अनिवार्य है। अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(9)* के अनुसार जो अनिवार्य आवश्यकता किसी भी राज्य द्वारा पारित नहीं की जा सकती है, जबकि राज्य कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेता है।

397. यह सच है कि अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(4)* में 'परामर्श' अभिव्यक्ति को सहमति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि जैसा कि ऊपर माना गया है,

' 'परामर्श' प्रभावी और सार्थक होना चाहिए। परामर्श का उद्देश्य यह है कि 'सलाहकार' संबंधित सामग्री को उस व्यक्ति के सामने रखेगा जिससे 'परामर्श' माँगा जाता है और सलाह और राय दी जाती है।

परामर्शी प्राधिकारी द्वारा दिया गया परामर्श उस प्राधिकारी का मार्गदर्शन करेगा जिसने परामर्श के लिए कहा है।

398. अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने से पहले जो व्यवस्था लागू की गई थी, वह यह थी कि केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा *1993* के अधिनियम के तहत जारी की गई थी और राज्य सूचियां राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई थीं। यह राज्य के लिए सूची से बाहर करने या शामिल करने का अनुरोध करने के लिए भी खुला था

केंद्रीय सूची के ओ. बी. सी. केंद्रीय सूची के संबंध में अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने के बाद भी यही प्रक्रिया जारी की जाती है।

399. अपीलार्थी इस बात पर जोर देते हैं कि अनुच्छेद *342* ए की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। एक अनुच्छेद की सादा भाषा को पूर्ण *[2021] 15* एस. सी. आर. दिया जाना चाहिए।

इस संविधान को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्गों को अर्थ दिया जाना चाहिए और यह केवल उपखंड *(1)* के तहत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी की गई सूची है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पिछड़े वर्गों की सूची है। किसी अन्य सूची पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, राज्य के पास पिछड़े वर्गों की पहचान करने या ऐसी कोई सूची जारी करने का कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसे राज्य सूची कहा जाता है। अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* की और व्याख्या करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उपखंड *(2)* में "केंद्रीय सूची" पद केवल अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(1)* में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट सूची को संदर्भित करने के लिए है और उपरोक्त संदर्भ में केंद्रीय सूची पद का उपयोग किया गया है।

400. तर्क को विस्तार से बताते हुए आगे यह तर्क दिया जाता है कि

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में दी गई परिभाषा जो यह प्रदान करती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ है ऐसे पिछड़े वर्ग जो हैं - इस प्रकार इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए के तहत माना जाता है, "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए" अभिव्यक्ति के उपयोग का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि यह अनुच्छेद *15* और *16* के लिए भी है, उस सूची का उपयोग किया जाना है जिसे अनुच्छेद *342* ए के तहत संदर्भित किया गया है। अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत परिभाषा अनुच्छेद *342* ए के तहत सूची के अलावा किसी अन्य सूची पर विचार नहीं करती है।

401. याचिकाकर्ता द्वारा की गई उपरोक्त व्याख्या के विपरीत, विद्वान महान्यायवादी और राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या संसद और संसद के इरादे के अनुसार की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में रोजगार के उद्देश्य से राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को छीनने का इरादा कभी नहीं था, अनुच्छेद *342* ए को उस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* के तहत "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति का उपयोग निर्णायक है क्योंकि संसद का स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की सेवाओं और केंद्र सरकार के संगठनों में रोजगार के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद *342* ए *(1)* द्वारा अनुध्यात सूची को केंद्रीय सूची के रूप में सीमित करने का इरादा है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए। हम लाभप्रद रूप से दिल्ली बनाम भारत संघ के राज्य *(*एन. सी. टी.*)* में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले और एक अन्य, *2018 (8)* एस. सी. सी. *501* का उल्लेख कर सकते हैं। द. उपरोक्त मामले में संविधान पीठ को अनुच्छेद *239* एए के संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने का अवसर मिला था जिसे संविधान *(69* वां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* द्वारा जोड़ा गया था। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने संवैधानिक निष्पक्षता, संघीय कार्यात्मकता, लोकतंत्र और व्यावहारिक संघवाद के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद *239*-एए की व्याख्या की। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश, अपने लिए बोलते हुए, ए. के. सीकरी और ए. एम. खानविलकर, जे. , यह निर्धारित किया गया है कि

हालांकि, मुख्य रूप से, यह एक शाब्दिक नियम है जिसे वैधानिक की व्याख्या करते समय मानक माना जाता है और

संवैधानिक प्रावधान, फिर भी केवल शब्दकोश के प्रति निष्ठा या प्रावधानों में निहित शब्दों के शाब्दिक अर्थ, कभी-कभी, एक जीवित दस्तावेज़ के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। पैराग्राफ *135* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"135. संविधान के रूप में एक गतिशील साधन की व्याख्या करने का कार्य लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। द. संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है और आगे

इस आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए, वे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

बहुत बुनियादी सिद्धांतों को परेशान करना जो बनाते हैं
संविधान का मूलभूत आधार। हालांकि, मुख्य रूप से, यह शाब्दिक नियम है जिसे मानक माना जाता है जो इसे नियंत्रित करता है

वैधानिक और संवैधानिक व्याख्या करते हुए कानून की अदालतें
प्रावधान, फिर भी केवल शब्दकोश या शाब्दिक अर्थ के प्रति निष्ठा

प्रावधान में निहित शब्दों की संख्या, कभी-कभी, मार्मिक लचीलेपन और आवश्यक सामाजिक प्रगतिशील समायोजन की गुणवत्ता को नष्ट कर सकती है। इस तरह का दृष्टिकोण अंततः कम नहीं हो सकता है

एक जीवित दस्तावेज़ का उद्देश्य। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

403. संविधान पीठ ने आगे कहा कि एक सिद्धांत

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का महत्व बढ़ गया है जहाँ न्यायालय

संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें ताकि उसके इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। पैराग्राफ *149,150,155* और *156* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"149. संवैधानिक से संबंधित सिद्धांतों को बताते हुए

व्याख्या हम, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, कुछ समर्पित करना उचित समझते हैं
संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए स्थान, क्योंकि हम उल्लेख करेंगे

मूल विवाद को समझने के लिए उक्त पक्ष को। इसकी जरूरत है।

इस बात पर कोई विशेष जोर नहीं दिया जाता है कि कुछ उदाहरणों के संदर्भ में
अन्य अवधारणाओं और सिद्धांतों के साथ तालमेल बनाए रखें। जैसा कि हो सकता है

चर्चा के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित अधिकारियों से एकत्र किया गया,

शाब्दिक नियम को व्याख्या में प्राथमिक मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए

एक संवैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से यदि परिणामी परिणाम होगा
व्यक्त किए गए अधिकारों और मूल्यों के फलने-फूलने की सेवा नहीं करता है

संविधान। इस परिदृश्य में, उद्देश्य का सिद्धांत

व्याख्या ने महत्व प्राप्त कर लिया है जहाँ अदालतें

संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें ताकि प्रभावी हो सके

अपने सच्चे इरादे के लिए। महान्यायवादी में न्यायिक समिति

त्रिनिदाद और टोबैगो बनाम। व्हाइटमैन *[*के महान्यायवादी

त्रिनिदाद और टोबैगो बनाम। व्हाइटमैन, *(1991) 2* एसी *240: (1991) 2*
डब्ल्यूएलआर *1200* (पीसी)*]* ने देखा हैः *(* एसी पी। *247)*

"संविधान की भाषा का अर्थ लगाया जाता है,

संकीर्ण और कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि मोटे तौर पर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से,
ताकि उसकी आत्मा को प्रभाव मिले।

150. एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य *[*एस. आर.

चौधरी बनाम। पंजाब राज्य, *(2001) 7* एस. सी. सी. *126]*

न्यायाधीश पीठ ने राय दी है कि संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है
एक वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ समझा और व्याख्या की जानी चाहिए

और संविधान को संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

भावना। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संविधान सभा

बहसों की सहायता ली जा सकती है, निम्नलिखित को देखा जा सकता हैः *(* एस. सी. सी पी.

142 , पैरा *33)*

"*33.* ..... प्रयुक्त शब्द सामान्य हो सकते हैं लेकिन,

उनके पूर्ण महत्व और सही अर्थ की सराहना की जानी चाहिए।

सही संदर्भ पर विचार करते हुए जिसमें इनका उपयोग किया जाता है
और वह उद्देश्य जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं।

(जोर दिया गया*)*

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

155. संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संदर्भ पर जोर देने से शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण पद्धति की ओर इस बदलाव में तेजी आई है ताकि प्रावधान स्थिर और कठोर न रहें। शब्द वर्तमान मांगों के अनुकूल होने के लिए अलग-अलग अवतार धारण करते हैं और जब भी आवश्यकता उत्पन्न होती है। आर. *(*क्विंटावले*)* बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सिकरी। से

स्वास्थ्य राज्य *[*आर. *(*क्विंटावाले*)* बनाम। सिकरी। स्वास्थ्य राज्य, *(2003) 2* एसी *687: (2003) 2* डब्ल्यूएलआर *692: 2003* यूकेएचएल *13 (*एचएल*)]* ने फैसला सुनायाः *(* एसी पी। *700,* पैरा *21)*

"21. ..... पेंडुलम उद्देश्यपूर्ण की ओर बढ़ा है

निर्माण के तरीके। इस परिवर्तन की शुरुआत नहीं की गई थी

यूरोपीय सामुदायिक न्यायशास्त्र का दूरदर्शी दृष्टिकोण, और आम तौर पर यूरोपीय कानूनी संस्कृति का प्रभाव, लेकिन यह किया गया है

यूरोपीय विचारों द्वारा त्वरितः हालाँकि, एक क्लासिक जल्दी देखें नदी में लॉर्ड ब्लैकबर्न द्वारा उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का कथन

वियर कमिश्नर वी। एडमसन *[*रिवर वियर कमिश्नर*]*

वी. एडमसन, *(1877)* एल. आर. *2* एसी *743,* पी. *763 (* एचएल*)]*। जो भी हो,

आजकल उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की ओर बदलाव में नहीं है

सन्देह हो रहा है। योग्यता यह है कि उदारता की डिग्री

अनुमति संदर्भ से प्रभावित है "।

(जोर दिया गया*)*

156. निर्धारित करने के महत्व पर जोर देना

एक प्रावधान का उद्देश्य और उद्देश्य, लर्नड हैंड, जे।

कैबेल वी। मार्खम *[*कैबेल बनाम। मार्खम, *148* एफ *2* डी *737 (2* डी*)*

सी. आई. आर. *1945)]* का उच्चारणः

"बेशक यह सच है कि इस्तेमाल किए गए शब्द, यहां तक कि उनके शाब्दिक रूप में भी

ज्ञान, प्राथमिक, और आम तौर पर सबसे विश्वसनीय, स्रोत हैं

किसी भी लेखन के अर्थ की व्याख्याः चाहे वह एक क़ानून हो, एक अनुबंध, या कुछ और। लेकिन यह एक परिपक्व के सबसे निश्चित सूचकांकों में से एक है।

और एक किला नहीं बनाने के लिए न्यायशास्त्र विकसित किया शब्दकोश; लेकिन यह याद रखने के लिए कि कानूनों में हमेशा कुछ होता है

पूरा करने का उद्देश्य या उद्देश्य, जिसका सहानुभूतिपूर्ण और

कल्पनाशील खोज उनके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है।

404. शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण की ओर परिवर्तन

एक संवैधानिक दस्तावेज़ का ढोंग अपनाया जाता है जब सेशीर्षक की व्याख्या स्थिर और कठोर तरीके से नहीं की जानी चाहिए, *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान एक जैविक और जीवित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या संविधान के प्रमुख सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ की जानी चाहिए। व्याख्या की शाब्दिक से उद्देश्यपूर्ण विधि में बदलाव अब अधिक से अधिक हो गया है, जिसे संवैधानिक व्याख्या के लिए अपनाया जा रहा है।

दस्तावेज़। राज्य में संविधान पीठ *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* मामला *(*ऊपर*)*

उन्होंने एक और सिद्धांत पर भी ध्यान दिया है जिसे एक संवैधानिक दस्तावेज की व्याख्या के लिए लागू किया जाना है जो संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता है। पैराग्राफ *165,166* और *169* में निम्नलिखित कहा गया थाः

"*165.* संवैधानिक अदालतें, व्याख्या करते हुए

संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा
संस्कृति, अपनी लचीली और विकसित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ताकि

प्रावधानों को एक अर्थ दिया जाता है जो उद्देश्य और उद्देश्य को दर्शाता है।

संविधान से।

166. इतिहास बताता है कि बढ़ावा देने और पोषण करने के लिए

संवैधानिक संस्कृति की इस भावना को अदालतों ने अपनाया है

व्याख्या का व्यावहारिक दृष्टिकोण जिसने एक युग की शुरुआत की है
"संवैधानिक व्यावहारिकता"।

169. इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि एक संतुलन

आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच निर्माण अपरिहार्य है
एक व्यवहार्य स्थिति जो किसी भी बेतुकेपन को खारिज करती है जो उत्पन्न हो सकती है जबकि

इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को अपनानाः *(* सुप्रीम कोर्ट

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। मामला *[*उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ, *(2016) 5* एस. सी. सी. *1]*, एस. सी. सी. पीपी.

320-31 & 611 , पैरा *145* और *766)*

" 145 ....."' 468. कानून के शासन के क्षेत्र की परिकल्पना की गई है

विवेकाधिकार न्यूनतम होना, केवल आवेदन की आवश्यकता

गैर-मनमानेपन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञात सिद्धांत या दिशानिर्देश, लेकिन

निर्णय, मनमानेपन के खिलाफ आगे की जाँच हैं। इस तरह से
आदर्शवाद और व्यावहारिकता का मिलान होता है और

प्रणाली को संतोषजनक रूप से काम करने योग्य बनाने के लिए एकीकृत

तरीके से '। *[* एड। *:* जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में देखा गया है -

रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ, *(1993) 4* एस. सी. सी. *441*, पी. *699* , पैरा

468.]

*

*

* डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

766. यह संविधान की व्यावहारिक व्याख्या है।

जिसे संविधान सभा द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, जिसने किया था

दस्तावेज़ में हर विवरण भरने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं,
वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं था।

9999

405. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने संविधान पीठ में आगे कहा

पैराग्राफ *284.11* में नीचेः

" *284.11* . समकालीन मुद्दों के आलोक में,

शाब्दिक दृष्टिकोण की तुलना में उद्देश्यपूर्ण विधि ने महत्व प्राप्त किया है।

और संवैधानिक अदालतें, सच्चाई का एहसास करने की दृष्टि के साथ और

संविधान का अंतिम उद्देश्य न केवल पत्र में बल्कि

भावना और सरलता और रचनात्मकता के उपकरणों से लैस होना चाहिए

इस प्रमुख कर्तव्य को पूरा करने में संकोच न करें
एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर संवैधानिक कार्यात्मकता। यह.

एक तरह से कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन है
संविधान जिसे हम संवैधानिक व्यावहारिकता कहते हैं। आत्मा।

और संविधान की अंतरात्मा को व्याकरण में नहीं खोना चाहिए

और लोगों की लोकप्रिय इच्छा जिसमें इसकी वैधता है

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सरलता से अपना उद्देश्य खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

शब्दार्थ "। *406.*
उपरोक्त निर्णय में संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि

शाब्दिक दृष्टिकोण की तुलना में उद्देश्यपूर्ण विधि ने महत्व प्राप्त कर लिया है। हममें से एक *(*न्यायमूर्ति अशोक भूषण*)* ने राज्य की संविधान पीठ *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) (*ऊपर*)* के फैसले में एक सहमति वाला फैसला देते हुए यह भी कहा है कि संवैधानिक व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना। यह भी माना गया कि संविधान निर्माताओं की मंशा और संविधान संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य हमेशा संविधान पर प्रकाश डालते हैं।

संवैधानिक प्रावधान। पैराग्राफ *537* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" *537.* उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि

संवैधानिक व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए।

समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों पर विचार करना। द.
संविधान निर्माताओं के इरादे और उद्देश्य और उद्देश्य

संवैधानिक संशोधन हमेशा संविधान पर प्रकाश डालता है

लेकिन किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए,
संवैधानिक योजना और नियोजित स्पष्ट भाषा

अनुमति नहीं दी जा सकती। उद्देश्य और उद्देश्य

संवैधानिक प्रावधानों को *[2021] 15* एस. सी. आर. से ही खोजना होगा।

संवैधानिक प्रावधान जो व्याख्या के लिए तैयार हैं। इस प्रकार, हमें अनुच्छेद *239*-एए की व्याख्या करते समय उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा जिसके लिए *69* वां संविधान *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1991* लागू किया गया था। उपरोक्त सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, अब हम प्रकृति और प्रकृति की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों की सामग्री "।

407. हम संविधान की व्याख्या के सिद्धांतों पर इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी ध्यान दे सकते हैं। अभिराम सिंह में

बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा सी. सी. कमाचेन *(*मृत*), (2017) 2* एस. सी. सी. *629,* न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, जिनके साथ न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, सी. जे. और न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने एक शाब्दिक व्याख्या या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के बीच संघर्ष को देखा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्याख्या में, इसलिए, न केवल कानून के संदर्भ पर विचार करना है, बल्कि उस संदर्भ पर भी विचार करना है जिसमें कानून अधिनियमित किया गया है। न्यायमूर्ति लोकुर ने अनुच्छेद *38* में वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन को निम्नलिखित प्रभाव से निकाला:

" 38. बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन में *[6* वीं संस्करण। *(* भारतीय पुनर्मुद्रण*)* पी। *847]* ऐसा कहा जाता है कि:

" "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" शब्द का सामान्य न्यायिक अपनाना हाल ही में हुआ है, लेकिन अवधारणा नई नहीं है। विस्कॉन्ट दिलहोर्न ने कोक का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि अब एक उद्देश्य की बात करना फैशनेबल है। एक कानून का निर्माण इस तरह के निर्माण की आवश्यकता है

सत्रहवीं शताब्दी से मान्यता प्राप्त है।

[स्टॉक वी. फ्रैंक जोन्स *(*टिपटन*)* लिमिटेड, *(1978) 1* डब्ल्यू. एल. आर. पी. *234]* वास्तव में यह मान्यता उससे काफी आगे जाती है। वैधानिक व्याख्या पर कठिनाइयाँ संबंधित हैं
भाषा, और उनके समाधान के बारे में कुछ भी बहुत नया या हाल ही में होने की संभावना नहीं है। मौखिक अर्थ की समस्याओं पर बहुत कम बदलाव आया है क्योंकि राजकोष के बैरन हेडन मामले में अपने प्रसिद्ध संकल्प पर पहुंचे हैं *[*हेडन मामला, *(1584) 3* सह प्रतिनिधि *7a: 76* ईआर *637]*। कानून अभी भी उस सुधार के बारे में है जिसे कानून में एक दोष माना जाता है। यहाँ तक कि सबसे "प्रगतिशील" विधायक भी,

सामाजिक न्याय की कुछ पूरी तरह से सामान्य अवधारणा को लागू करने के लिए चिंतित, यह स्वीकार करने के लिए विवश होगा कि यदि मौजूदा कानून इस धारणा को समायोजित करता है तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

इसकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है.. '

408. उद्देश्यपूर्ण निर्माण को मंजूरी देते हुए न्यायालय ने यह भी माना कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने और कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ *39* में निम्नलिखित देखा गया थाः

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

"39. हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं। आम तौर पर, यदि किसी क़ानून का अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाता है और संसद में उस पर बहस की जाती है तो बहुत कम होती है।

या शाब्दिक के अलावा किसी अन्य व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कानून की व्याख्या। हालाँकि, हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में, लोगों के लाभ के लिए क्या इरादा है, यह क़ानून के पाठ में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होता है। ऐसे विधानों में, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने और कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने की आवश्यकता होती है और

यथार्थवादी रूप से ताकि लाभ जनता तक पहुंचे। ..... " *409.* न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए

ग्राफ *74* ने माना कि एक व्याख्या जिसमें डाइलूटिंग का प्रभाव होता है

संस्थागत उद्देश्य से बचा जाना चाहिए और इसका उद्देश्य

ध्यान में रखा जाए। पैराग्राफ *74,76* और *77* में निम्नलिखित वेद थाः

"74. उपरोक्त चर्चा का परिणाम स्पष्ट रूप से यह है कि संवैधानिक योजना के तहत धर्म को राज्य की शक्ति के साथ जोड़ना उचित नहीं है।

अभ्यास करने, प्रचार करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ अनुमेय

अपनी पसंद के धर्म की गारंटी है। चरित्र में धर्मनिरपेक्ष होने के कारण राज्य खुद को किसी भी धर्म या धर्म के साथ नहीं जोड़ पाएगा।

धार्मिक संप्रदाय। इसका तात्पर्य यह है कि देश के शासन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी जो हर समय धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का होना चाहिए। राज्य विधानमंडल या संसद या उस मामले के लिए या राज्य में किसी अन्य निकाय के लिए चुनाव

एक धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है जैसे कि निर्वाचित लोगों के कार्य

प्रतिनिधियों को दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संवैधानिक लोकाचार मिश्रण को मना करता है

धर्मनिरपेक्ष कार्यों के साथ धर्म या धार्मिक विचार

इसलिए, राज्य और उसकी गतिविधियों को धार्मिक विचारों से मुक्त रखने के संवैधानिक उद्देश्य से बचा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कई फैसलों में फैसला सुनाया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय,

न्यायालयों को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए - संवैधानिक लक्ष्य और अधिनियम का उद्देश्य और तदनुसार प्रावधानों की व्याख्या करना।

76. उपरोक्त सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कोई यह कह सकता है कि यदि किसी क़ानून के दो निर्माण संभव थे, तो एक जो बढ़ावा देता है।

संवैधानिक उद्देश्य को दूसरे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ऐसा नहीं करता है।

77. कुछ इसी तरह के प्रभाव के लिए इस न्यायालय का निर्णय है

कर्नाटक राज्य में *v.* अप्पा बालू इंगले *[*राज्य

कर्नाटक बनाम. अप्पा बालू इंगले, *1995* पूरक *(4)* एस. सी. सी. *469: 1994*

एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 1762]* जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

राष्ट्र के जीवन को बदलते हुए, न्यायालय को जवाब देना चाहिए
राष्ट्र की आवश्यकता और आगे के लिए व्यावहारिकता के साथ कानून की व्याख्या

लोक कल्याण और संवैधानिक एनिमेशन को वास्तविकता बनाना।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशों को संवैधानिक प्रावधानों का संज्ञान लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अधिनियम के उद्देश्य की याद दिलाते हैं जबकि

किसी भी कानून की व्याख्या करना। अदालत ने कहाः *(* एस. सी. सी पी. *486,* पैरा *35)*

"35. इसलिए, न्यायाधीशों को मानव को जवाब देना चाहिए

राष्ट्र के जीवन को बदलने के वाहन को प्रतिक्रिया देनी चाहिए
राष्ट्र की आवश्यकताएँ और आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिकता के साथ कानून की व्याख्या

संवैधानिक एनिमेशनों को वास्तविकता बनाने के लिए लोक कल्याण।

परिवर्तन के मिश्रण को बनाए रखने के लिए तर्क की आवाज के रूप में प्रयास करना
और क्रम की निरंतरता जो स्थिरता के लिए अनिवार्य है

संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया। में।

अधिनियम की व्याख्या करते हुए, न्यायाधीश को हमेशा संज्ञान में रहना चाहिए

संवैधानिक लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखें और

अधिनियम का उद्देश्य और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या

इस प्रकार अस्पृश्यता को नष्ट करने के लिए प्रकाश में; के अनुसार

दलितों और जनजातियों को समानता का अधिकार; सामाजिक एकीकरण दें

एक फल और बंधुत्व को एक वास्तविकता बनाएं।

9999

410. संविधान द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करना

वर्तमान मामले में, हमें शामिल करने में संसद के इरादे को समझने की आवश्यकता है अनुच्छेद *342* क। हम पहले ही पा चुके हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्ट और विधेयक पेश करते समय मंत्री द्वारा दिया गया बयान संवैधानिक प्रावधान के निर्माण के लिए प्रासंगिक सहायक हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद कि संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य किसी राज्य से पिछड़े वर्ग की पहचान के अधिकार को छीनना नहीं है। इसने अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत की कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। संसदीय डॉ।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

स्थायी समिति ने आगे ध्यान दिया कि अनुच्छेद *342* ए के तहत जिस सूची पर विचार किया गया है, वह भारत सरकार और उसके संगठनों के तहत सेवाओं के उद्देश्यों के लिए किसी विशेष राज्य के लिए केवल पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची है।

411. हमने आगे सामाजिक, न्याय और अधिकारिता मंत्री के बयान पर ध्यान दिया है, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दिया गया था। मंत्री ने कहा कि राज्य आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने का कार्य और संशोधन का राज्य और राज्य पिछड़े वर्ग आयोग के पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने पूर्वगामी अनुच्छेदों में मंत्री के प्रासंगिक कथन को ऊपर निकाला है।

412. हम आगे देख सकते हैं कि उपरोक्त बयान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा पृष्ठभूमि में दिया गया था

संसद के कई सदस्यों ने अपनी आशंका व्यक्त की कि संविधान का *102* वां संशोधन संविधान के अधिकारों को छीन लेगा। प्रत्येक राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए

स्पष्ट कथन कि संविधान संशोधन राज्य की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए।

413. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने अपनी प्रस्तुति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के बयान का उल्लेख किया है साथ ही संसदीय प्रवर समिति की रिपोर्ट और इस बात पर जोर दिया है कि

संसदीय इरादा कभी भी राज्यों के अपने-अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अधिकारों को छीनना नहीं था। विद्वान महान्यायवादी ने संघ के रुख का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है

2021 की रिट याचिका *(सी) No.12* में-दिनेश बी. बनाम। भारत संघ और अन्य। , जहां संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* पर संघ का रुख पैराग्राफ *11* में स्पष्ट किया गया था। हम विद्वान महान्यायवादी द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त हलफनामे के पैराग्राफ *11* को निकालते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 11. कि, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पहचान करने की शक्ति
और निर्दिष्ट करें कि एस. ई. बी. सी. संसद के पास है, केवल एस. ई. बी. सी. की केंद्रीय सूची के संदर्भ में। राज्य सरकारों के पास प्रदान करने के उद्देश्य से एस. ई. बी. सी. की अपनी अलग राज्य सूची हो सकती है।

राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती में आरक्षण या *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। एस. ई. बी. सी. की ऐसी राज्य सूचियों में शामिल जातियाँ/समुदाय भिन्न हो सकते हैं।

एस. ई. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी जाति का समावेश या बहिष्कार या
एस. ई. बी. सी. की राज्य सूची में समुदाय का विषय है

संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

414. इस प्रकार, यह सूर्य के प्रकाश के रूप में स्पष्ट है कि संसदीय इरादा प्रवर समिति की रिपोर्ट और संसदीय कार्य मंत्रालय के बयान से स्पष्ट है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण यह है कि संविधान संशोधन लाने के लिए संसद का इरादा राज्य में पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति को छीनना नहीं था।

415. संसद का इरादा और भी स्पष्ट था कि वह सूची जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के तहत जारी करने का विचार किया गया था *342* ए केवल केंद्रीय सूची थी जो भारत सरकार और भारत सरकार के तहत संगठनों के तहत सेवाओं को नियंत्रित करने वाली थी। जब संसद की मंशा स्पष्ट और स्वीकार्य हो।

अनुच्छेद *341* और *342* के तहत पहले से मौजूद योजना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद *342* ए *(1)* और अनुच्छेद *341 (1)* और *342 (1)* के तहत संवैधानिक योजना समान है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के बीच एक बड़ा अंतर है जैसा कि अनुच्छेद *341* और *342* द्वारा अनुध्यात किया गया है। पिछड़े वर्ग जिनका अब अनुच्छेद *342* ए के तहत विचार किया जाता है।

417. अनुसूचित जातियों की अवधारणा सर्वविदित थी

संविधान के प्रवर्तन से पहले। संविधान लागू होने के समय अनुसूचित जातियों की सूची पहले से मौजूद थी। हम भारत सरकार अधिनियम, *1935*, अनुसूची *(1)*, अनुच्छेद *26* का उल्लेख कर सकते हैं। जो अनुसूचित जातियों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

"26. - (1) इस अनुसूची के पूर्वगामी प्रावधानों में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ दिए गए हैं - इसका मतलब है:

.....

.....

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

व्यक्तियों के उन वर्गों के अनुरूप जिन्हें पहले "के रूप में जाना जाता था दलित वर्ग ", जैसा कि परिषद में महामहिम निर्दिष्ट कर सकते हैं; और।

418. भारत सरकार ने भारत सरकार के अनुसूचित जाति आदेश *1936* के तहत एक अनुसूचित जाति सूची भी जारी की है। द.

इस प्रकार, संविधान निर्माता इस अवधारणा से अच्छी तरह वाकिफ थे कि

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इसलिए अनुसूचित जाति के संबंध में वही योजना संविधान के अनुच्छेद *341* के माध्यम से संविधान में जारी रही।

419. 'पिछड़ा वर्ग' शब्द को भारत सरकार अधिनियम, *1935* में स्थान नहीं मिलता है। संविधान निर्माताओं ने मान्यता दी

नागरिकों के पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता ने पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष प्रावधान किया है। अनुच्छेद *16 (4)* के तहत राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार था जो पर्याप्त रूप से नहीं था।

सेवाओं में प्रतिनिधित्व। जब संविधान राज्य को कोई प्रावधान करने का अधिकार देता है, तो प्रावधान में पिछड़े वर्गों की पहचान सहित उपायों के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। इंद्र साहनी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस स्थिति को स्वीकार और मान्यता दी है। राज्यों और संघ दोनों को ही नागरिकों के पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उपाय करने का अधिकार है। इस प्रकार, इंद्र साहनी ने संघ के साथ-साथ राज्यों को स्थायी गठन करने के निर्देश जारी किए थे

पहचान और आवश्यक उपाय करने के लिए निकाय। पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति राज्य के पास थी और इसका कोई इरादा नहीं है कि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* में किसी भी तरह से राज्य की शक्ति को संविधान द्वारा छीन लिया गया है।

संशोधन। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत राज्य को दी गई शक्तियां नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए हैं। कोई सीमा या

ऐसी शक्ति की सीमा का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि अनुच्छेद *342* ए, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप

से पिछड़े वर्ग से संबंधित है, को अनुच्छेद *341* और *342* के तहत वर्णित संवैधानिक योजना में पढ़ा जाना चाहिए, इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

420. अब, हम अनुच्छेद *342* ए *(2)* में आने वाली अभिव्यक्ति "केंद्रीय सूची" पर आते हैं। संविधान *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा जारी निर्देश के अनुसरण में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंद्र साहनी मामले में इस न्यायालय की पीठ ने संसद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993* लागू किया है। अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* 'सूचियों' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

"धारा *2 (*ग*)* "सूचियों" का अर्थ है सरकार द्वारा तैयार की गई सूचियाँ।

के लिए प्रावधान करने के उद्देश्यों के लिए समय-समय पर भारत का

पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण

नागरिकों के ऐसे वर्ग जो उस सरकार की राय में

सरकार के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं

भारत का और क्षेत्र के भीतर कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण

भारत या भारत सरकार के नियंत्रण में;

421. अधिनियम की धारा *9* आयोग के कार्यों को परिभाषित करती है। धारा *9* इस प्रकार प्रदान करती है:

"*9.* आयोग के कार्य। - *(1)* आयोग करेगा

नागरिकों के किसी भी वर्ग को शामिल करने के अनुरोधों की जांच करना

पिछड़े वर्ग को सूचियों में शामिल करें और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग के अति-समावेश या कम-समावेश की शिकायतें सुनें और केंद्र सरकार को ऐसी सलाह दें जो वह उचित समझे।

(2) आयोग की सलाह आम तौर पर बाध्यकारी होगी।

केंद्र सरकार "। *422.*

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993*

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसदीय अधिनियम भारत सरकार के तहत सेवाओं से संबंधित था और अधिनियम, *1993* शासन करने के लिए नहीं था या

संबंधित राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान को विनियमित करना। राज्यों ने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करने के लिए "राज्य विधान" भी बनाया था। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम *2005* में लागू किया गया था। संविधान के *102* वें संशोधन को पारित करने के साथ-साथ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग

आयोग *(*निरसन*)* अधिनियम, *2018* पारित किया गया, जिसे *14.08.2018* पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। हम निरसन अधिनियम की धारा *2* को देख सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" खंड *2. (1)* राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अधिनियम, *1993* एतद्वारा निरसित किया जाता है और राष्ट्रीय आयोग
धारा *3* की उप-धारा *(1)* के तहत गठित पिछड़े वर्ग

उक्त अधिनियम का विघटन हो जाएगा।

(2) राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का निरसन

तथापि, वर्ग अधिनियम, *1993* प्रभावी नहीं होगा।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

((i) इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या कुछ भी

इसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित किया गया; या

*((*ख*)* अर्जित कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व

या इस प्रकार निरस्त अधिनियम के तहत उपगत किया गया, या

*((*ग*)* इसमें उपगत कोई दंड, अभिग्रहण या दंड

इस प्रकार निरस्त अधिनियम के तहत किसी भी उल्लंघन के संबंध में; या

((iv) ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई कार्यवाही या उपाय।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, और ऐसी कोई कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है,

जारी या लागू किया गया, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्ती या

दंड इस प्रकार लगाया या दिया जा सकता है जैसे कि उस अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। निरस्त कर दिया।

(3) .....

423. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा

इस प्रकार, संविधान के *102* वें संशोधन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था जो आयोग के लिए उपलब्ध था जो *1993* के अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग के रूप में उपलब्ध था।

संसदीय प्रवर समिति की रिपोर्ट दिनांक *17.07.2017* और

संसदीय स्थायी समिति के कार्यवृत्त, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट और निकाले गए हैं, इंगित करते हैं कि यह सर्वविदित था कि पिछड़े वर्गों की दो सूचियाँ हैं, एक "केंद्रीय सूची" और दूसरी "राज्य सूची"। संसदीय समिति की रिपोर्ट के दौरान यह स्पष्ट और व्यक्त किया गया था कि संवैधानिक संशोधन केवल "केंद्रीय सूची" के संबंध में है जिसे अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था।

424. हम "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति के उपयोग पर भी विचार कर सकते हैं।

अनुच्छेद *342* ए के तहत अनुच्छेद *341 (2)* और *342 (2)* में आने वाले "अनुसूचित जातियों की सूची", "अनुसूचित जनजातियों की सूची" शब्दों के विपरीत, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

"*341.*अनुसूचित जातियाँ। - *(1)* राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है,

इसके राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,

जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट करें।

जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ जो इस उद्देश्य के लिए

संविधान को उस संबंध में अनुसूचित जाति माना जाए

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।

342. अनुसूचित जनजातियाँ। - *(1)* राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।

425. अनुच्छेद *341 (1)* में 'अनुसूचित जाति' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और वही अभिव्यक्ति उपखंड *(2)* में पाई जाती है जब उपखंड *(2)*

अनुच्छेद अधिसूचना में निर्दिष्ट "अनुसूचित जातियों की सूची" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। इसी तरह, अनुच्छेद *342 (2)* में अधिसूचना में निर्दिष्ट 'अनुसूचित जनजातियों की सूची' अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है। *426.* अनुच्छेद *342* ए *(2)* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की 'सूची' अभिव्यक्ति से पहले एक अतिरिक्त शब्द 'केंद्रीय' का उपयोग करता है। अगर ऐसा है तो

यह स्वीकार किया जाए कि अनुच्छेद *341* और *342* की संवैधानिक योजना का अनुच्छेद *342* ए में भी पालन किया जाना था और उसी अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाना आवश्यक था, जिसका उपयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची के रूप में किया जाना चाहिए था।

अनुच्छेद *341 (2)* और *342 (2)* में। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची' अभिव्यक्ति से पहले अनुच्छेद *342 (2)* में 'केंद्रीय' नामक एक अतिरिक्त शब्द जोड़ा गया है। कब

कानून या संविधान एक अतिरिक्त शब्द का उपयोग करता है जिसे यह माना जाना चाहिए कि अतिरिक्त शब्द का उपयोग एक उद्देश्य और उद्देश्य के लिए है और यह अनावश्यक या अनावश्यक नहीं है।

427. संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय किसी भी शब्द को अनावश्यक और अनावश्यक नहीं माना जाएगा। हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत सरकार में सेवाओं के लिए सूची केंद्रीय सूची थी जो अधिनियम, *1993* के तहत संविधान संशोधन से पहले तैयार की जा रही थी।

428. हम याचिकाकर्ता के इस निवेदन पर भी विचार कर सकते हैं कि 'केंद्रीय सूची' शब्द का उपयोग अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* में उपखंड *(1)* के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने वाली सार्वजनिक अधिसूचना का उल्लेख करने के लिए किया गया था। अभिव्यक्ति 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची' निर्दिष्ट की गई है।

उपखंड *(1)* के तहत अधिसूचना में उपखंड *(2)* के तहत पहले से ही है जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है और उपखंड *(1)* के तहत जारी अधिसूचना को संदर्भित किया गया है, इसलिए, अतिरिक्त शब्द 'केंद्रीय' के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपखंड *(1)* में जो पूरी तरह से अनावश्यक और अनावश्यक था। हमारा विचार है कि 'केंद्रीय' शब्द का उपयोग एक उद्देश्य और उद्देश्य, डी. आर. के लिए किया गया था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

'केंद्रीय' का उपयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए जारी सूची को सीमित करने के इरादे से किया गया था। अनुच्छेद *342* के उपखंड *(1)* और अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* को सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिया जाना चाहिए और हम उपखंड *(1)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची के उद्देश्य और इरादे का पता लगाने के लिए दोनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ते हैं। यह 'केंद्रीय सूची' है जिसे संसद द्वारा शक्ति का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद *342* ए का उपखंड *(2)*।

राज्यों द्वारा तैयार किया गया, *102* वां लाने की क्या आवश्यकता थी संवैधानिक संशोधन यदि दो सूचियों की एक ही व्यवस्था अर्थात "केंद्रीय सूची "और" राज्य सूची "जारी रहने वाली थी*?* सवाल का जवाब देने के लिए हम

"केंद्रीय सूची" के संबंध में अधिनियम के तहत की गई कवायद की प्रकृति को समझने और *102* वें संविधान संशोधन के बाद कवायद में परिवर्तन, यदि कोई हो, को समझने के लिए सबसे पहले *1993* के अधिनियम पर गौर करें। *430.* हम *1993* के अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* और *9* पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। हम *1993* के अधिनियम की धारा *11* को भी देख सकते हैं जो प्रदान करती है: -

"*11.* केंद्र सरकार द्वारा सूचियों का आवधिक संशोधन। *(1)* केंद्र सरकार किसी भी समय, और इस अधिनियम के लागू होने से दस साल की समाप्ति पर और उसके बाद की हर दस साल की अवधि में, संशोधन कर सकती है।

ऐसी सूचियों से उन वर्गों को बाहर करने की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गए हैं या ऐसी सूचियों में नए पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए। *(2)* केंद्र सरकार, उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट कोई भी संशोधन करते समय, आयोग से परामर्श करेगी।

431. धारा *2 (*सी*), 9* और *11* यह स्पष्ट करती है कि नियुक्तियों के आरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूची

भारत सरकार और किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पक्ष में पद, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में, *1993* के अधिनियम के तहत भारत सरकार की एक वैधानिक कवायद थी। भारत सरकार द्वारा *1993* के अधिनियम के बाद जारी की गई सभी सूचियां समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी आदेशों द्वारा थीं। किस उद्देश्य के लिए, *102* वां संविधान संशोधन किया गया था*?* जवाब खोजने के लिए नहीं है।

432. भारत सरकार अधिनियम, *1935* के तहत, "अनुसूचित जातियों" की सूची को परिषद में महामहिम द्वारा *[2021] 15* एस. सी. आर. के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना था।

भारत सरकार अधिनियम, *1935* की अनुसूची *I* का खंड *26*, जो एक कार्यकारी कार्य भी था। अनुसूचित जाति की सूची के कानूनी शासन में भारत के संविधान के तहत एक बड़ा बदलाव देखा गया जैसा कि इसमें परिलक्षित होता है

अनुच्छेद *341* और *342*। अनुसूचित जाति की सूची के संबंध में भारत के संविधान द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया था, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब हम संविधान सभा की मसौदा अनुच्छेद *300* ए और *300* बी पर बहस को देखते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* से मेल खाती है।
433. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संशोधन पेश करते हुए दिनांक *1* की बहसों में संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और उद्देश्य को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया: -

"..... जैसा कि मैंने कहा, इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य संविधान पर लंबे समय तक बोझ डालने की आवश्यकता को समाप्त करना था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची। अब प्रस्तावित है

कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या शासक के परामर्श से राजपत्र में एक सामान्य अधिसूचना जारी करने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मानी जाने वाली सभी जातियों और जनजातियों या समूहों को उन विशेषाधिकारों के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया जाए जो उनके लिए परिभाषित किए गए हैं।

संविधान। एकमात्र सीमा जो लगाई गई है वह यह हैः कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, जो निस्संदेह, वह प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से और उसकी सलाह पर, यदि कोई हो, जारी करेगा।

राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित "।

434. संवैधानिक प्रावधान का मुख्य उद्देश्य था -

435. 1993 के अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग की वैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक में बदलने के लिए हमें उसी उद्देश्य को पढ़ना होगा अनुच्छेद *342* ए द्वारा शासन। भारत सरकार द्वारा *1993* के अधिनियम के तहत समय-समय पर जारी पिछड़े वर्ग की सूची के संबंध में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारक को समाप्त करने के लिए, संविधान संशोधन लाया गया था जैसा कि संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद *341* डी. आर. के मसौदे द्वारा लाया गया था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

और *342*। अब, अनुच्छेद *342* ए के आधार पर, अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक बार जारी की गई सूची के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है संसदीय अधिनियम। इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य था न कि संविधान की शक्ति को छीनना।

राज्य सेवाओं में रोजगार के लिए आरक्षण और राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में राज्य राज्य में पिछड़े वर्ग की पहचान करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा एक बार जारी पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करने के लिए राजनीतिक दबाव को दूर रखने का एक प्रशंसनीय उद्देश्य हासिल किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि *102* वां संविधान संशोधन बिना किसी उद्देश्य के था।

अपने राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य को वैसा ही रहना था जैसा वह है।

436. उपरोक्त में सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लिए गए रुख की भी पर्याप्त व्याख्या की गई है। मंत्री ने

स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन राज्य के उद्देश्यों के लिए राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को छीनने के लिए नहीं है और यह "केंद्रीय सूची" तक सीमित है जिसे तैयार किया जा रहा था।

पूर्ववर्ती शासन की तरह भारत सरकार द्वारा। विद्वान महान्यायवादी ने अपने निवेदन में अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या के संबंध में इसी रुख को दृढ़ता से अपनाया। हम भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी और विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं राज्यों की ओर से पेश होते हुए कि *102* वां संविधान संशोधन था

राज्य या राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सेवाओं के लिए पिछड़े वर्ग की पहचान के संबंध में राज्य की शक्ति को छीनने का इरादा नहीं है।

437. हमें सामाजिक और सामाजिक की परिभाषा पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद *366* संविधान का परिभाषा खंड है। अनुच्छेद *366* निम्नलिखित प्रभाव से शुरू होता हैः

"*366.* इस संविधान में परिभाषा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ इस प्रकार हैं

इसके द्वारा क्रमशः उन्हें सौंपा गया है।

*(26(*ग*)* "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो अनुच्छेद *342* क के तहत इस प्रकार माने जाते हैं -

इस संविधान के उद्देश्य;

438. जब हम अनुच्छेद द्वारा जोड़ी गई परिभाषा को देखते हैं

366 (26 ग*)*, यह स्पष्ट है कि परिभाषा प्रदान करती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का अर्थ है ऐसे पिछड़े वर्ग जो *[2021] 15* एस. सी. आर. के तहत माने जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए। जब हमने अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या इस अर्थ में की है कि अनुच्छेद *342* ए 'केंद्रीय' को संदर्भित करता है।

'सूची' जो भारत सरकार और भारत सरकार के तहत संगठनों के तहत सेवाओं के लिए तैयार की जाती है, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत दी गई परिभाषा जो विशेष रूप से अनुच्छेद *342* ए का उल्लेख करती है, को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों की सूची जो केंद्रीय सूची नहीं है, को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत परिभाषा द्वारा शासित किया जाएगा। चूंकि, *26* डिग्री सेल्सियस को अनुच्छेद *342* ए के संदर्भ में जोड़ा गया है, यदि संदर्भ राज्य द्वारा तैयार की गई सूची है और यह राज्य सूची है, तो *(26* सी*)* के तहत परिभाषा शासित नहीं होगी। इस प्रकार, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* को अनुच्छेद *342* ए के साथ प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा एक पिछड़े समुदाय का निर्धारण किया जाना है। इस प्रकार, पिछड़े वर्गों की पहचान का संकल्प स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया गया था, जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहसों में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से कहा था। डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपयोग किए गए सटीक शब्दों को उद्धृत करना वर्तमान चर्चा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। उपखंड के मसौदे पर बहस का जवाब देते हुए, अनुच्छेद *10 (3)* जो वर्तमान संविधान का अनुच्छेद *16 (4)* हैः

"किसी ने मुझसे पूछाः " पिछड़े समुदाय क्या है*?* खैर, मुझे लगता है कि जो कोई भी मसौदे की भाषा को पढ़ता है, वह पाएगा कि हमने इसे प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया है। एक पिछड़ा समुदाय एक समुदाय है

जो सरकार की राय में पिछड़ा हुआ है।

440. इस प्रकार, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद *10 (3)* के मसौदे में पिछड़े वर्ग के निर्धारण पर विचार किया था। अर्थात्, वर्तमान अनुच्छेद *16 (4)* स्थानीय सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रकार, उपरोक्त पृष्ठभूमि के अनुसार संवैधानिक योजना तैयार की गई थी। संविधान के बाद पिछले *68* वर्षों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग की पहचान की जा रही थी और वे अपने निर्णय के अनुसार अपनी-अपनी सूची तैयार कर रहे थे और अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण दे रहे थे। इंद्र साहनी की संविधान पीठ ने मान्यता दी और कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार

पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और यही कारण है कि इंद्र

साहनी ने संघ और राज्य दोनों द्वारा एक स्थायी निकाय की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया और इसके परिणामस्वरूप आयोग डी. आर. थे।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में पूरी संवैधानिक योजना को उलटना जो पिछले *68* वर्षों से जारी थी, एक स्पष्ट और स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था।

संशोधन आवश्यक था। *102* वें संविधान संशोधन में इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य की शक्तियों को छीन लिया जा रहा है। *441.* हम संसद के इरादे के खिलाफ अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या करने के लिए राजी नहीं हैं जो संसद में परिलक्षित होता है।

समिति की रिपोर्ट और सदन में मंत्री द्वारा दिया गया बयान। सदन में मंत्री का बयान स्पष्ट और स्पष्ट था, हम ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते जो संसद द्वारा कभी नहीं की गई थी और जो गंभीर हो सकती है

राज्यों के अधिकारों के साथ परिणाम जो न तो संसद

इरादा नहीं था और न ही लाना चाहता था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अनुच्छेद *342* ए को संविधान के *102* वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्यक्ष द्वारा सूची के प्रकाशन के लिए लाया गया था, जो भारत सरकार और उसके तहत संगठनों के तहत रोजगार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सूची होनी थी। अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'केंद्रीय सूची' का उपयोग उस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए किया गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही दृष्टि खो दी जा सकती है। अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत परिभाषा खंड को अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जिसे अनुच्छेद *366 (2* सी*)* के तहत ही संदर्भित किया गया है। इस प्रकार, यह परिभाषा 'केंद्रीय सूची' के संदर्भ में प्रासंगिक है और यह परिभाषा राज्य द्वारा तैयार की गई सूची के लिए शासित नहीं है जो अनुच्छेद *342* ए में विचाराधीन नहीं थी।

442. हम संविधान के *102* वें संशोधन को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। संविधान का *102* वां संशोधन उल्लंघन नहीं करता है

संविधान की कोई भी बुनियादी विशेषता। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अनुच्छेद *368* का पालन तब से नहीं किया गया है जब से संविधान *102* वें संशोधन को आवश्यक बहुमत से अनुमोदित नहीं किया गया था।

राज्य से। संसद का कभी भी पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में राज्य के अधिकारों को लेने का इरादा नहीं था, संविधान *102* वां संशोधन अनुच्छेद *368* उपखंड *(2)* के प्रावधान में शामिल नहीं था, इसलिए इसके लिए किसी भी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी। का तर्क *102* वें संविधान संशोधन को पारित करने में प्रक्रियात्मक उल्लंघन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम संविधान के *102* वें संशोधन को बरकरार रखते हैं।

ऊपर बताए गए तरीके से व्याख्या की गई।

443. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सही कहा है

महाराष्ट्र विधानमंडल की विधायी क्षमता सही है और हम उसी को स्वीकार करते हैं।

444. *(15)* निष्कर्ष।

हमारी पूर्वगामी चर्चा और निष्कर्षों से हम इस पर पहुँचते हैं

निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

(1) छह अलग-अलग मामलों में समझौते का सबसे बड़ा सामान्य उपाय

इंद्र साहनी में दिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

(i) अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

((ii) 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के लिए, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के अनुच्छेद *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए जिनके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

(2) बालाजी में बोले गए और इंद्र साहनी में पुष्टि किए गए *50* प्रतिशत नियम अनुच्छेद *14* में अंकित समानता के उद्देश्य को पूरा करना है, जिसमें अनुच्छेद *15* और *16* पहलू हैं। *50 %* उचित है और यह समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। *50* प्रतिशत की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समानता पर आधारित न हो बल्कि जाति शासन पर आधारित हो।

(3) हमारा मानना है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत की सीमा का उद्देश्य अनुच्छेद *15 (1)* और *15 (4)* के साथ-साथ अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)* के तहत अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। प्रतिशत की सीमा समानता के सिद्धांत को प्राप्त करने और एक संतुलन बनाने के उद्देश्य के साथ है जिसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

(4) सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करना पिछड़े वर्ग के कल्याण में सुधार का एकमात्र साधन और तरीका नहीं है।

राज्य को प्रावधान सहित अन्य उपाय करने चाहिए।

पिछड़े वर्ग के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, शुल्क में रियायत, कौशल के अवसर प्रदान करना।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम बनाने के लिए विकास
आत्मनिर्भर बनें।

(5) कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि समाज बदलता है, कानून बदलता है,

लोग बदलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ ऐसा जो जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v* है।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

में समानता बनाए रखने में अच्छा और फायदेमंद साबित हुआ

समाज को भी केवल परिवर्तन के नाम पर बदला जाना चाहिए।

(6) जब इंदिरा साहनी की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत *50* प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा है, तो यह वह कानून है जो अनुच्छेद *141* के तहत बाध्यकारी है और जिसे लागू किया जाना है।

(7) हम पाते हैं कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* के संदर्भ में भी पूरी तरह से लागू होता है।

(8) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *50* प्रतिशत की सीमा को अलग करना, जैसा कि सेंट स्टीफन मामले में निर्धारित किया गया था, यानी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निर्देशों में प्रवेश में *50* प्रतिशत की सीमा का इंदिरा साहनी द्वारा आरक्षण के संबंध में निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा के सिद्धांत पर कोई असर नहीं पड़ता है। टी. एम. ए. पाई का निर्णय अनुच्छेद *30* के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में था और संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* और *15 (4)* के तहत आरक्षण के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(9) संविधान *(*अस्सी-पहला संशोधन*)* अधिनियम, *2000*, जिसके द्वारा अनुच्छेद *16* में उपखंड *(4* बी*)* जोड़ा गया था, यह स्पष्ट करता है कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को अब संवैधानिक मान्यता मिल गई है।

(10) हम श्री रोहतगी के इस कथन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियां केवल सचित्र और संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि हम श्री रोहतगी से सहमत नहीं हैं कि अनुच्छेद *810* केवल एक भौगोलिक परीक्षण प्रदान करता है। "राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने पर" अभिव्यक्ति का उपयोग एक सामाजिक परीक्षा है, जिसे एक मामले को अपवाद द्वारा कवर करने के लिए भी पूरा करने की आवश्यकता है।

(11) हम श्री रोहतगी और श्री कपिल सिब्बल द्वारा पुनर्विचार और संदर्भ के लिए आग्रह किए गए *10* आधारों में से किसी में भी कोई सार नहीं पाते हैं। इंद्र साहनी का एक बड़ी पीठ को दिया गया निर्णय।

(12) इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा टकटकी निर्णय के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व पर जो निर्णय दिया गया था, वह स्पष्ट रूप से हमें बांधता है। इंद्र साहनी का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसके किसी भी निर्णय से कभी संदेह नहीं हुआ है।

यह न्यायालय। इंद्र साहनी में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर न तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और न ही विचार के लिए किसी बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(14) आयोग और उच्च न्यायालय ने मराठों को अलग आरक्षण देने के संबंध में *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक के संबंध में असाधारण स्थितियों का अस्तित्व पाया क्योंकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या *80* प्रतिशत है और आरक्षण की सीमा केवल *50* प्रतिशत है, जिसमें मराठों को ओ. बी. सी. के लिए पूर्व-मौजूदा आरक्षण में शामिल करना उनके लिए न्याय नहीं होगा, जो परिस्थितियां इंदिरा साहनी के मामले में इंगित पैरा मीटर के तहत *50* प्रतिशत की सीमा को तोड़ने के लिए असाधारण परिस्थितियों के रूप में शामिल नहीं हैं।

(15) हमने पाया है कि आरक्षण की *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार करके मराठा समुदाय को अलग आरक्षण देने में कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं बनाई गईं। यह अधिनियम, *2018* अनुच्छेद *16* में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के अधिकतम सीमा को पार करना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* का उल्लंघन करता है जो अधिनियम को अधिकार से परे बनाता है।

इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित आयोग की रिपोर्ट की जांच यह है कि रिपोर्ट में निर्दिष्ट आंकड़ों और सामग्रियों के आधार पर क्या आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उचित हैं। *(17)* अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत किए गए उपायों की जांच की जा सकती है कि क्या वे किसी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *16* के तहत अधिकारों के अनुरूप हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा किए गए उपायों की जांच, या तो कार्यकारी या विधायी, को संवैधानिक जांच की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है।

(18) 'पर्याप्त' शब्द एक सापेक्ष शब्द है जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में किया जाता है।

रोजगार। अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग

सकारात्मक कार्रवाई द्वारा राज्य की शक्ति को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए इसे मुख्य धारा में भी रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए, जैसा कि स्वीकार किया गया है जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

आज के समाज द्वारा, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना और इसमें भूमिका निभाना है

शासन।

(19) हमने प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों की जांच की है

आयोग द्वारा संकलित और राज्यों और अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों के आधार पर राज्य सेवाओं में मराठा। सार्वजनिक सेवाओं में मराठों का प्रतिनिधित्व

(20) अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान की पूर्व शर्त यह है कि पिछड़े वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आयोग ने इस गलत धारणा के तहत काम किया कि जब तक मराठा समुदाय को उसके अनुपात के बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तब तक इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

इंद्र साहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

मराठों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होना। सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय का पर्याप्त और पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।
शैक्षिक रूप से पिछड़े।

लोक सेवाओं में मराठों के प्रतिनिधित्व के संबंध में गायकवाड़ आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों से, इंजीनियरिंग, चिकित्सा में प्रवेश में मराठों का प्रतिशत

महाविद्यालयों और अन्य विषयों, उच्च शैक्षणिक पदों में उनका प्रतिनिधित्व, हमारा विचार है कि *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयोग एकत्र किए गए आंकड़ों से समर्थित नहीं है। आयोग द्वारा एकत्र और प्रस्तुत किए गए आंकड़े, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मराठा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं हैं। *(23)* संविधान या क़ानून की व्याख्या करने का प्राथमिक सिद्धांत क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों पर गौर करना है, जब भाषा स्पष्ट हो, तो विधानमंडल का इरादा उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है। व्याख्या की सहायता का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्ति में कुछ अस्पष्टता हो। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम, प्रावधानों को एक साथ पढ़ने

का नियम और क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाने का नियम, और व्याख्या के कुछ अन्य सिद्धांतों पर सवाल उठाए जाते हैं जब निर्माण के लिए सहायता विशेष रूप से आवश्यक होती है।

संदर्भ।

(24) एक संवैधानिक दस्तावेज़ की शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या में बदलाव को अपनाया गया है जब से

संविधान की व्याख्या स्थिर और कठोर तरीके से नहीं की जानी चाहिए, संविधान एक जैविक और जीवित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या संविधान के प्रमुख सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ की जानी चाहिए। संविधान। व्याख्या की शाब्दिक से उद्देश्यपूर्ण विधि में बदलाव अब अधिक से अधिक हो गया है, जिसे एक संवैधानिक दस्तावेज़ की व्याख्या के लिए अपनाया जा रहा है।

(25) इस काउंटी में कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि संसद में मंत्री द्वारा दिए गए भाषण सहित संसदीय समिति की रिपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए संसद के इरादे का पता लगाने के लिए प्रासंगिक सामग्री हैं। *(26)* हमारा विचार है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राज्य द्वारा परामर्श अब अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(9)* के अनुसार अनिवार्य है, जिसे किसी भी राज्य द्वारा अनिवार्य आवश्यकता द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है, जबकि राज्य कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेता है।

अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(9)* में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है

'परामर्श '। यह सच है कि 'परामर्श' अभिव्यक्ति को सहमति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि 'परामर्श' को प्रभावी और सार्थक होना चाहिए। परामर्श का उद्देश्य यह है कि 'सलाहकार' संबंधित सामग्री को उस व्यक्ति के सामने रखेगा जिससे 'परामर्श' माँगा जाता है और परामर्श प्राधिकरण द्वारा सलाह और राय दी जाती है।

उस प्राधिकारी का मार्गदर्शन करेगा जिसने परामर्श के लिए कहा है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

(28) जब संसदीय इरादा वैधानिक व्याख्या के लिए सहायता के रूप में स्पष्ट और स्वीकार्य है, तो हम ऊपर देखे गए संसद के इरादे के अनुसार अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या नहीं करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। *(29)* हमारा विचार है कि अनुच्छेद *342* ए *(2)* में 'केंद्रीय' शब्द का उपयोग उद्देश्य और उद्देश्य के लिए किया गया था। 'केंद्रीय' का उपयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए जारी सूची को सीमित करने के इरादे से किया गया था। यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि किसी क़ानून या संविधान में किसी भी शब्द का उपयोग बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता है। 'केंद्रीय' शब्द को अर्थ और उद्देश्य देना होगा।

(30) जब हमने अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या इस अर्थ में की है कि अनुच्छेद *342* ए 'केंद्रीय सूची' को संदर्भित करता है जो भारत सरकार और भारत सरकार के तहत संगठनों के तहत सेवाओं के लिए तैयार की गई है, तो अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत दी गई परिभाषा जो विशेष रूप से अनुच्छेद *342* ए का उल्लेख करती है, को एक साथ पढ़ना होगा और पिछड़े वर्गों की सूची जो केंद्रीय सूची नहीं है, अनुच्छेद *366 (26* सी*)*

के तहत परिभाषा द्वारा शासित नहीं होगी। चूँकि *(26* सी*)* को अनुच्छेद *342* ए के संदर्भ में जोड़ा गया है, यदि संदर्भ राज्य द्वारा तैयार की गई सूची है और यह राज्य सूची है, तो *(26* सी*)* के तहत परिभाषा शासित नहीं होगी।

(31) इस प्रकार हमारा मानना है कि अनुच्छेद *342* ए को संविधान के *102* वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय संविधान को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था।

पिछड़े वर्ग आयोग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्यक्ष द्वारा सूची के प्रकाशन के लिए जो कि रोजगार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सूची होनी थी

भारत सरकार और उसके अधीन संगठन।

(32) संविधान *102* वां संशोधन अधिनियम, *2018* संविधान की किसी भी बुनियादी विशेषता का उल्लंघन नहीं करता है। हम संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हैं।

(16) आदेश पूर्वगामी चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्णय लेते हैं

निम्नलिखित मामलों के इस समूह में सिविल अपील और रिट याचिकाएंएरः

2020 की *C.A.No.3123* और अन्य नागरिक अपीलें जिन्हें चुनौती दी जा रही है

(1)

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय दिनांक *27.06.2019*

दिनांकित *27.06.2019* अलग रखा गया है। द्वारा दायर रिट याचिकाएँ
उच्च न्यायालय में अपीलार्थियों को निम्नलिखित के साथ अनुमति दी जाती हैः

प्रभावः

(अ)

अधिनियम, *2018* की धारा *2 (*जे*)* जहाँ तक यह घोषित करती है

मराठा समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से
पिछड़े वर्ग को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है और इसे निरस्त कर दिया जाता है।

अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*ए*)* अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित

(ख)

जहाँ तक यह अनुच्छेद *15 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करता है

शिक्षा में कुल सीटों का *12* प्रतिशत

निजी संस्थानों सहित संस्थान, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यकों के अलावा

शैक्षणिक संस्थानों को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है

संविधान और निरस्त कर दिया।
अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*बी*)* अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित

*((*ग*)*

मराठों को *13* प्रतिशत आरक्षण देना

प्रत्यक्ष में कुल नियुक्तियों का समुदाय

के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में भर्ती

राज्य को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है और

गिरा दिया।

वह प्रवेश स्नातकोत्तर चिकित्सा के रूप में

*((*घ*)*

जिन पाठ्यक्रमों का आयोजन पहले से ही किया जा चुका है, वे प्रभावित नहीं होंगे

09.09.2020 दिनांकित आदेश, जो इस निर्णय से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए, उन छात्रों के पास

पहले से ही स्नातकोत्तर चिकित्सा में भर्ती किया गया है
09.09.2020 से पहले के पाठ्यक्रमों को अनुमति दी जाएगी

जारी रखें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश, चिकित्सा,

(ई)

इंजीनियरिंग और अन्य धाराएँ जो डी. आर. पूरी कर चुकी थीं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

उच्च न्यायालय के दिनांकित *27.06.2019* के फैसले के बाद *09.09.2020* तक सहेजा जाता है। इसी प्रकार सभी

उच्च न्यायालय के दिनांक *27.06.2019* के फैसले के बाद सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय के सदस्यों को की गई नियुक्तियों को इस न्यायालय द्वारा *09.09.2020* पर पारित आदेश तक सहेजा जाता है। हालांकि, नहीं।

आगे के लाभ का दावा ऐसे मराठा छात्रों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था या मराठा छात्रों द्वारा जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त किया गया था।

अधिनियम, *2018* के तहत राज्य।

09.09.2020 पर आदेश पारित होने के बाद न तो

(च)

शिक्षा में कोई भी प्रवेश लिया जा सकता है

अधिनियम, *2018* के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर संस्थानों और किसी भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

2020 की रिट याचिका *(सी) No.914*, रिट याचिका

(2)

(ग) 2020 की *No.915*, संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत दायर *2020* की रिट याचिका *(सी) No.504* का निपटारा किया जाता है।

दिशाओं के ऊपर।

(3)

संविधान *102* वें संशोधन अधिनियम, *2018* की वैधता को संविधान *102* वें की व्याख्या को देखते हुए खारिज कर दिया गया है।
उपरोक्त संशोधन अधिनियम, *2018*।

445. बंद करने से पहले, हम सीख के प्रति अपने ऋण को दर्ज करते हैं

वकील जो इन मामलों में पेश हुए और हमें इस संबंध में प्रबुद्ध किया

अपीलों और रिट याचिकाओं के इस समूह में शामिल मुद्दे जो हैं

विभिन्न मुद्दों को छूते हुए अपने उत्कृष्ट संक्षिप्त लिखित नोट्स प्रस्तुत किए जो उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रचार करने की मांग की गई थी, जो प्रस्तुत किया गया था

हमारे लिए मूल्यवान सहायता।

446. दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. महान अमेरिकी नेता फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने एक बार कहा था

कि "हमारी प्रगति की परीक्षा यह नहीं है कि हम उन लोगों की प्रचुरता में अधिक जोड़ते हैं जिनके पास बहुत कुछ है; यह है कि हम पर्याप्त प्रदान करते हैं या नहीं।

जिनके पास बहुत कम है "। *[2021] 15* एस. सी. आर. से उत्पन्न अपीलों के इन समूह में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय का सामान्य निर्णय ', इस न्यायालय को बुलाया जाता है

राज्य द्वारा किस हद तक आरक्षण की अनुमति है, संविधान के उद्देश्यों के लिए एक समुदाय *2* को "पिछड़ा वर्ग" के रूप में नामित करने में अपने दृष्टिकोण की शुद्धता पर निर्णय लेना, और एक अधिनियम *3 (*जिसे इसके बाद "एस. ई. बी. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है*)* द्वारा यह परिभाषित करना कि कौन लाभान्वित हो सकता है, और विभिन्न राज्य स्थापित सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों और महाराष्ट्र राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में किए जा सकने वाले आरक्षण की सीमा।

एक संक्षिप्त प्रस्तावना

2. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, जब उन्होंने *25* नवंबर, *1949* को संविधान को अपनाने के समय भारत की संविधान सभा में भाषण दिया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहाः

" *26* जनवरी, *1950* से हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में, हमारे पास समानता होगी, एक

आदमी, एक वोट, एक वोट और एक मूल्य। समाज और अर्थव्यवस्था में अभी भी असमानता बनी रहेगी। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में,

हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण,

एक व्यक्ति-एक मूल्य के सिद्धांत को नकारना जारी रखें।

4 खोज अधूरी रहती है। वर्तमान निर्णय का हिस्सा है एक चल रही बहस, जिससे भारतीयों की हर पीढ़ी को जूझना पड़ता है, और इस अदालत का सामना अलग-अलग समय पर होता है।

4. महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय ने बार-बार जनता के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मांगों के माध्यम से आरक्षण की मांग की।

समुदाय के सदस्यों द्वारा बैठकें, जुलूस आदि। इसने समुदाय के प्रतिनिधियों और संगठनों को भी मांगों को लेने के लिए प्रेरित किया

1 डब्ल्यू. पी. नंबर *937/2017; 1208/2019; 2126/2019,* पी. आई. एल. नंबर। *175/2018* और मामलों का जुड़ा हुआ समूह।

2 मराठा समुदाय *(*इसके बाद *"*मराठा*")*। *3* राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य *(*सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए*)* एस. ई. बी. सी. अधिनियम, *2018* के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अर्थात महाराष्ट्र अधिनियम सं. *2018* का एल. एक्स. आई. आई. *(*संक्षेप में *'*एस. ई. बी. सी. अधिनियम*')*।

4 रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, श्लोक *35*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट*)*, आयोग ने अपने द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और अध्ययनों और अपनी कार्यवाही के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सिफारिश की कि मराठा वर्ग के नागरिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*इसके बाद *"*एस. ई. बी. सी*".)* के रूप में घोषित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप जल्द ही गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए एस. ई. बी. सी. अधिनियम लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस समुदाय के पक्ष में *16* प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया।

नतीजतन, कुल आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक हो गया। *5.* एस. ई. बी. सी. अधिनियम *30* नवंबर, *2018* को लागू किया गया था। इसके बाद बॉम्बे के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं।

उच्च न्यायालय, मराठों की एस. ई. बी. सी. के रूप में पहचान को चुनौती देते हुए, आयोग के निष्कर्ष, जो महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसे अपनाने और एस. ई. बी. सी. अधिनियम के अधिनियमन, आरक्षण की मात्रा और स्वयं अधिनियम के प्रावधानों में विविध आधारों पर समाप्त हुए। सभी रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और उन पर विचार किया गया। विवादित फैसले से, उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और मराठों की एस. ई. बी. सी. के रूप में पहचान को बरकरार रखा, और आगे कारणों को बरकरार रखा।

5 महाराष्ट्र अधिनियम सं। *2015* का *I. 6* रिट याचिका सं. *3151/2014* में। *7* समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ *10*। *8* इंद्र साहनी बनाम भारत संघ *1992* पूरक *(3)* एस. सी. सी. *217*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. विवादित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई की गई और अंततः अनुमति दे दी गई। कुछ रिट याचिकाएं भी थीं

एस. ई. बी. सी. अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर किया गया। संविधान *(102* वां*)* संशोधन अधिनियम की वैधता भी इस विषय का विषय है -

चुनौती, इस आधार पर कि यह मूल संरचना, या संविधान की आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन करता है। सुनवाई के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ

पक्षकारों के वकील ने याचिकाओं और अपीलों के इन समूह से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को व्याख्या के लिए उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा।

7. पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने दिनांकित *08.03.2021* के आदेश द्वारा निर्णय के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को संदर्भित कियाः

(1) क्या इंद्र साहनी बनाम के मामले में निर्णय। भारत संघ *[1992* सप्लीमेंट। *(3)* एस. सी. सी. *217]* को बाद के संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और बदले गए सामाजिक परिवर्तनों के आलोक में बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है या बड़ी पीठ द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है।

समाज की गतिशीलता आदि*?*

(2) चाहे महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए*)* सामाजिक और

2019 में संशोधित शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* में *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा मराठा समुदाय के लिए *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

इंद्र साहनी के मामले में संविधान पीठ द्वारा विचार की गई परिस्थितियाँ*?*
(3) क्या एम. सी. गायकवाड़ की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बल पर राज्य सरकार

इंद्र साहनी के निर्णय में उत्कीर्ण*?* *(4)* क्या संविधान एक सौ दो

संशोधन राज्य विधानमंडल को अधिनियम बनाने की अपनी शक्ति से वंचित करता है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने और उक्त समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए एक कानून

इसकी सक्षम करने की शक्ति*?*

इसके बाद इसे *"103* वां संशोधन*"* के रूप में संदर्भित किया गया।

1 0 लिखित याचिका *938/2020*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(5) क्या अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत *"*किसी पिछड़े वर्ग*"* के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति को वैसे भी संक्षिप्त किया गया है
संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342 (*ए*)*

भारत*?* *(6)* क्या संविधान का अनुच्छेद *342* ए किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्यों की शक्ति को निरस्त करता है।

नागरिकों का "और इस प्रकार संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है

भारत का संविधान*?*

भी। *9.* इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ, मैं अपने कारणों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ूंगा, जिससे सहमति के दोनों बिंदुओं के साथ-साथ अशोक भूषण, जे।

पुनः बिंदु संख्या *1:* क्या इंद्र साहनी के मामले में निर्णय

वी. भारत संघ, *1992* सप. *(3)* एस. सी. सी. *217* को बाद के संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और निर्णयों के आलोक में बड़ी पीठ द्वारा पुनः देखने की आवश्यकता की बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

समाज की सामाजिक गतिशीलता आदि में बदलाव आया।

10. इंद्र साहनी बनाम में निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन। भारत संघ ", स्पष्ट करता है कि नौ में से सात न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की कि आरक्षण पर एक मात्रात्मक सीमा मौजूद है-*@50* प्रतिशत। चार न्यायाधीशों की राय में, इसलिए, बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. के निर्णय के अनुसार, इस सीमा को असाधारण परिस्थितियों में और उन स्थितियों में पार किया जा सकता है जिनके लिए अलग से औचित्य सामने आना होगा राज्य या संबंधित अभिकरण। हालाँकि, सभी सात न्यायाधीशों के निष्कर्ष में सर्वसम्मति है कि आरक्षण के लिए एक बाहरी सीमा *50* प्रतिशत होनी चाहिए। निस्संदेह, अन्य दो न्यायाधीश, रत्नवेल पांडियन और पी. बी. सावंत, जे. जे.। इंगित किया कि *50* प्रतिशत की सीमा का कोई सामान्य नियम नहीं है

1 1 1992 सप. *(3)* एससीसी *217*।

आरक्षण। इन परिस्थितियों में, सामान्य

बाहरी सीमा के अस्तित्व के बारे में समझौता, यानी *50* प्रतिशत, के अस्तित्व के बारे में असंगति या अनिश्चितता के बारे में याचिकाकर्ता का तर्क

नियम या कि अन्य निर्णयों में किसी भी अधिकतम सीमा के अभाव के संबंध में विपरीत टिप्पणियां थीं *(*के. सुब्बाराव के असंतुष्ट निर्णय, टी. देवदासन बनाम भारत संघ *1 2* में, एस. एम. फजल अली और कृष्ण अय्यर, जे. जे. के निर्णय। केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस बनाम के. सी. वसंत कुमार बनाम में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. का निर्णय। कर्नाटक राज्य *1 4)* समीक्षा के लिए बाध्य करने वाला तर्क नहीं है या

इंद्र साहनी शासन पर पुनर्विचार।

11. उत्तरदाताओं ने आग्रह किया था कि विभिन्न विषयों *(*देवदासन, एन. एम. थॉमस और इंद्र साहनी*)* में असंगत आवाजों को नेतृत्व करना चाहिए।

इंद्र साहनी में अनुपात की पुनः जांच करना। यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि किसी दी गई पीठ में सर्वसम्मति *(*जिसे "सुपरमेजोरिटी" कहा जाता है*)*-संविधान पीठ में *5-0* सर्वसम्मत निर्णय को दर्शाती है।

स्वयं के अनुसार एक बड़ी पीठ के फैसले की वैधता पर संदेह करने के लिए एक मजबूत या सम्मोहक कारण के रूप में माना जाता है जिसमें एक संकीर्ण बहुमत हो सकता है *(*उदाहरण के लिए, *3-4* वोट के साथ, जिसके परिणामस्वरूप पिछले सर्वसम्मत उदाहरण को उलट दिया जाता है*)*। टकटकी निर्णय का सिद्धांत दोनों ऊर्ध्वाधर रूप से संचालित होता है-इस अर्थ में कि ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम में वरिष्ठ में अपीलीय न्यायालयों के निर्णय, न्यायाधिकरणों और पदानुक्रम में निचले न्यायालयों को बांधते हैं, और क्षैतिज रूप से इस अर्थ में कि एक बड़ी पीठ के गठन का निर्णय, बाध्यकारी होगा और एक छोटी पीठ के गठन के फैसले पर प्रबल होगा। इसमें तर्क पूर्ववर्ती सिद्धांत के लिए कारण डी 'एट्रे से उपजा है, यानी कानून में स्थिरता। यदि इस नियम को हटा दिया जाता है और बाद में एक बड़ी पीठ के फैसले की वैधता पर इस आधार पर संदेह किया जाता है कि इसमें पिछली पीठ के फैसले *(*जो या तो सर्वसम्मत हो सकता है या अधिक बहुमत का हो सकता है, लेकिन निचली पीठ की ताकत का हो सकता है*)* की तुलना में या तो विचारों की बहुलता या संकीर्ण बहुमत शामिल है, तो पूर्ववर्ती निश्चितता के क्षेत्र में अनिश्चितता और स्पष्टता की कमी होगी। यदि इस प्रकार एक बड़ी पीठ के फैसले की पूर्ववर्ती वैधता पर संदेह किया जाना था, तो अदालतों के पदानुक्रम या यहां तक कि उसी अदालत की बाद की पीठों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई नियम नहीं हैं जिनके बारे में उचित अध्ययन अपनाया जाना है *(*जैसे कि उदाहरण के लिए, बहुमत निर्धारित करने के लिए विचार किए जाने वाले पिछले निर्णयों की संख्या, और परिणामस्वरूप सही कानून*)*।

13 1976 (2) एससीसी *310*। *14 1985* एससीआर सप्लीमेंट। *(1) 352 .*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

12. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि

अतीत में विचारों की बहुलता या विसंगत या असंतुष्ट निर्णय-जो किसी विशेष मामले में एक विशेष नियम का समर्थन करने वाले बहुमत *(*समग्र गणना पर*)* का कारण भी बन सकते हैं, बाद में, बड़ी पीठ द्वारा प्रतिपादित नियम की वैधता से विचलित नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इंद्र साहनी में नौ न्यायाधीशों का फैसला।

13. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि इंद्र साहनी

केवल अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण का संबंध है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है। इंद्र साहनी में पांडियन और सावंत, जे. जे. के निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों में श्रमसाध्य तर्क। यह दर्शाता है कि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* दोनों पर लगभग सभी पिछले उदाहरणों पर विचार किया गया था।

14. सभी निर्णयों की अवधि इस न्यायालय की चिंता को दर्शाती है

संविधान के तहत आरक्षण के विषय पर निर्णायक रूप से शासन करना। पिछड़े वर्गों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में। यह अनुच्छेद *15 (4)* के इतिहास से भी स्पष्ट है जो देखा गया था और अपनाया गया वाक्यांश *(*सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग*)* जिसे "पिछड़े वर्गों" की तुलना में व्यापक माना जाता था, हालांकि बाद की अभिव्यक्ति सामाजिक पिछड़ेपन की ओर इशारा करती है। इस तरह के निष्कर्षों को इंद्र साहनी में निर्णय के संदर्भ की ओर इशारा करते हुए व्यापक प्रस्तुतिकरण द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

15. राज्यों की ओर से तर्क-कि एक निर्णय होना है

केवल तय किए गए सिद्धांतों के संबंध में एक अनुपात के रूप में माना जाता है, भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, कृष्ण कुमार और अन्न मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता। वी. इस न्यायालय की राय में भारत संघ और *Ors.*[16] असंगत है। विवाद के संदर्भ, अर्थात अनुच्छेद *16 (4)* के तहत संघ सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों की अधिसूचना और *1990* के ओ. एम. के जारी होने से निस्संदेह न्यायालय को निर्णय लेने का संदर्भ मिला जैसा कि उसने इंद्र साहनी में किया था। हालाँकि, विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णयों के माध्यम से इसके निष्कर्षों और विचारों को अनुपात के रूप में नहीं, बल्कि केवल आज्ञाकारी या टिप्पणियों के रूप में चिह्नित करना जो राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं, एक ओवर है। *15* एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य *1963* सप. *1* एस. सी. आर. *439;* पी. राजेंद्रन बनाम टी. एन. राज्य *(1968) 2* एस. सी. आर. *786 [*अनुच्छेद *15 (4)];* ए पीरियाकरुप्पन बनाम। टी. एन. राज्य *(1971) 1* एस. सी. सी. *38 [*अनुच्छेद *15 (4)];* ए. पी. बनाम राज्य यू. एस. वी. बलराम *(1972) 1* एस. सी. सी. *660 [*अनुच्छेद *15 (4)];* टी. देवदासन *(*ऊपर*);* उत्तर प्रदेश राज्य। वी. प्रदीप टंडन *(1975) 1* एस. सी. सी. *267;* जानकी प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य *(1973) 1* एस. सी. सी. *420;* एन. एम. थॉमस *[*अनुच्छेद *16 (4)* और के. सी. वसंत कुमार *[*अनुच्छेद *15 (4)]*।

1 6 16 (1990) 4 एस. सी. सी *207*।

सरलीकरण। ओ. एम. ने व्यापक विरोध और असंतोष को जन्म दिया। प्रारंभ में, रिट याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था, जिसने विचार-विमर्श और सुनवाई के बाद महसूस किया कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है *(*संभवतः एन. एम. थॉमस में सात न्यायाधीशों द्वारा पिछले फैसले को देखते हुए जहां दो न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण पर कोई सीमा नहीं थी और बाद में पांच न्यायाधीशों के फैसले के. सी. वसंत कुमार में जहां एक न्यायाधीश ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया था।

आरक्षण*)*। कानून को निर्णायक रूप से घोषित करने के उद्देश्य से नौ-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था और उसके द्वारा प्रश्न तैयार किया गया था। न केवल बहुमत वाले न्यायाधीशों ने इस नियम के बारे में बात की, बल्कि दो अन्य न्यायाधीश जो *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा के नियम से सहमत नहीं थे, उन्होंने भी इस पहलू पर विचार किया। सावंत, जे*1 7* के निर्णय से यह स्पष्ट है:

"518. संक्षेप में, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। वहाँ

केवल खंड *(4)* के तहत या अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* और खंड *(1)* के तहत आरक्षण को एक साथ रखने में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है, जो *50* प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण की सीमा की वैधता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, जिसमें वह क्षेत्र और प्रशासन का स्तर शामिल है जिसमें आरक्षण रखा गया है। यद्यपि, कानूनी और सैद्धांतिक रूप से *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अधिकता को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि संविधान निर्माताओं के इरादों और विशेष रूप से इस विषय पर डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए तो यह सामान्य रूप से बुद्धिमानी होगी और कुछ भी नहीं गंवाया जाएगा। आरक्षण को आगे उचित प्रतिशत पर श्रेणी और क्रमिक रूप से रखा जाना चाहिए और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आरक्षण की सीमा की गणना श्रेणी और क्रमिक रूप से की जानी चाहिए।

16. इसी तरह, पांडियन, जे., ने विस्तृत चर्चा के बाद, अपने निष्कर्षों को इस तरह से दर्ज किया:

" 189. मैं फजल अली, कृष्ण के उपरोक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूं।

अय्यर, चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. जे. ने कहा कि कोई अधिकतम नहीं

आरक्षण का प्रतिशत उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और/या *16 (4)*।

17 पृष्ठ *552* पर, एस. सी. सी. रिपोर्ट।

18 पृष्ठ *407-413* पर पैरा *177-178* में और इंद्र साहनी *(ऊपर)* में पृष्ठ *413* पर पैरा *189* में निष्कर्ष।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

17. दोनों से पता चलता है कि *50* प्रतिशत की सीमा लागू होती है या नहीं, इस पर सभी न्यायाधीशों ने विचार किया था। इसलिए, की ओर से तर्क

इस संबंध में राज्य और प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता अप्रमाणित हैं। इसी तरह, यह कहना कि आरक्षण की *50* प्रतिशत सीमा मौजूद थी या नहीं, कोई मुद्दा या संदर्भ का मुद्दा नहीं था, आधारहीन है; स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर अदालत ने चिंता से विचार किया।

18. राज्यों ने तर्क दिया था कि अधिकतम सीमा *(50* प्रतिशत*)* प्रदान करना संविधान के भाग *III* और भाग *IV* के दायरे को सीमित करने के बराबर है। संविधान के किसी प्रावधान को इसकी चौड़ाई को कम करने या राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए "पढ़ा" नहीं जा सकता है, जो गतिशील है। राज्य विधानसभाएँ और कार्यपालिकाएँ समकालीन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उपज हैं।

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत संरक्षण। इसके अलावा, हर पीढ़ी की आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें नीतियां बनाते समय पूरा करने और विचार करने के लिए बाध्य होती हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण पर *50* प्रतिशत की निर्धारित सीमा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि क्या किसी मामले में आरक्षण अनुचित हैं विशेष मामले की परिस्थितियों, राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और राज्यों की प्राथमिकताओं के संदर्भ में,

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत उनके दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें अब संविधान के भाग *III* के तहत अधिकारों के रूप में मौलिक माना जाता है, न्यायिक समीक्षा में हमेशा अत्यधिक माना जा सकता है। यह जाँचने में अदालत का लचीलापन कि क्या कोई उपाय उचित है या नहीं, हमेशा बनाए रखा जा सकता है और उचित रूप से ढाला जा सकता है।

19. लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह बनाम भारत संघ *(*उपरोक्त*)* उस दृष्टिकोण के लिए एक प्राधिकरण है जिसे इस न्यायालय को अपनाना चाहिए, जब उसे लंबे समय से चली आ रही पिछली मिसाल पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है। अदालत ने कहा कि:

"हमारी राय है कि जब तक स्पष्ट और सम्मोहक कारण नहीं हैं, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, हमें इन दोनों मामलों में दी गई व्याख्या से और वास्तव में इस न्यायालय के पहले के फैसले में दी गई किसी भी व्याख्या से अलग नहीं होना चाहिए।

जब तक कि उचित मात्रा में सर्वसम्मति न हो कि पहले के निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हैं। इस न्यायालय को, जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे प्रदर्शित किया जाता है कि यह *[2021] 15* एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित विचार-विमर्श और पूर्ण सुनवाई के बाद दिया गया पिछला फैसला गलत था, विशेष रूप से अपने पिछले फैसले पर वापस जाएं।

एक संवैधानिक मुद्दे पर।

20. केशव मिल्स *(*उपरोक्त*)* मामले में अदालत ने विस्तार से बताया कि जब पिछले फैसले में घोषित कानून की समीक्षा की मांग की जाती है तो उसके साथ क्या विचार किए जाएंगे:

".....इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग इस आधार पर किया जाता है कि इस विचार पर पहले जोर दिया गया था

यह बाद में न्यायालय को अधिक उचित प्रतीत होता है,

संयोग से कानून को अनिश्चित बना देता है और लागू करता है

भ्रम जिसे लगातार टाला जाना चाहिए। ..... अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करने वाले किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा। यह हमेशा कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा: क्या बात है*?*

इस न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालयों द्वारा अवसर*?* और, क्या पहले के निर्णय को वापस लेने से जनता को असुविधा, कठिनाई या शरारत होगी*?* इन और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब भी इस न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है

अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करना।

21. जिंदल स्टेनलेस *(*ऊपर*)* में समान अवलोकन किए गए थे। भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह "मामले में, एक संविधान पीठ ने स्पष्ट किया

इस न्यायालय को अक्सर जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

..... कड़ाही में ध्यान देने की मांग करने वाली सामाजिक शक्तियाँ

जिस परिवर्तन से एक नया समाज उभर रहा है

19 1989 (3) एससीआर *316*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

नई धारणाओं और नए दृष्टिकोण का आह्वान करें। द.

इस सिद्धांत की स्वीकृति ने संरक्षण सुनिश्चित किया और

बाध्यकारी पूर्ववर्ती के सिद्धांत को प्रदान की गई वैधता,

और इसलिए, अनुमति देते हुए कानून में निश्चितता और अंतिमता

न्यायिक रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता के लिए आवश्यक गुंजाइश

समाज की बदलती मांगों के लिए कानून। तब सवाल यह नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फैसले से बाध्य है।

निर्णय लेते हैं। यह नहीं है। सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में और किस सीमा के भीतर और किस तरीके से सर्वोच्च होना चाहिए।

अदालत अपने स्वयं के निर्णयों को पलट देती है।

22. इस अदालत से इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए कहने में प्रतिवादी जो चाहते हैं, वह समानता के सार पर प्रहार करता है। द.

इंद्र साहनी द्वारा किए गए उदाहरणों की समीक्षा न केवल चार अशांत दशकों तक फैली, जिसमें संविधान में कई संशोधन देखे गए, बल्कि एम. आर. बालाजी में पांच न्यायाधीशों द्वारा शुरू की गई बहस *(*और उसके बाद कम से कम *10* से अधिक निर्णय लिए गए*)* बाद में एन. एम. थॉमस में सात न्यायाधीशों द्वारा जारी रखी गई। बालाजी और इंद्र साहनी के बीच हुई इस बहस में अदालत की प्रारंभिक घोषणा देखी गई कि आरक्षण पर *50* प्रतिशत की सीमा लागू की जानी चाहिए, जिस पर तीन में सवाल उठाया गया था।

निर्णय, हालांकि विभिन्न पीठों के बहुमत निर्णयों में नहीं। इसलिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्णायक रूप से हल करने के लिए-अन्य मुद्दों के अलावा, नौ न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। इंद्र साहनी ने निर्णायक

रूप से फैसला सुनाया कि विशेष प्रावधानों के माध्यम से आरक्षण *50* प्रतिशत से *7-2* बहुमत से अधिक नहीं होना चाहिए। दो न्यायाधीशों ने आरक्षण पर किसी सीमा का संकेत नहीं दिया, उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत का भी संकेत नहीं दिया कि अदालत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जब कोई पक्ष शिकायत करता है कि आरक्षण अत्यधिक या अनुचित हैं। इंद्र साहनी इस बात पर समान रूप से निर्णायक हैं कि क्या

आरक्षण किसी भी नए वर्ग के लिए शुरू किया जा सकता है, या

आरक्षण, जब पेश किया जाता है, या बदला जाता है, तो न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है, जिसके लिए न्यायाधीशों के बहुमत के अनुसार, मार्गदर्शक सिद्धांत बेरियम केमिकल्स *v* में प्रतिपादित किया जाएगा। कंपनी लॉ बोर्ड *20.*

23. विचाराधीन मुद्दे की प्रमुखता यह है कि समानता के कई आयाम हैं। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के संदर्भ में और वास्तव में राज्य में निहित वर्गीकरण की शक्ति, सुरक्षात्मक अपनाने के लिए

20 1966 (पूरक*) 3* एस. सी. आर. *311,* इस प्रभाव के लिए कि जहां किसी प्राधिकरण या राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि के माध्यम से किसी वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह वस्तुनिष्ठ सामग्री और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होनी चाहिए, बाहरी कारकों और विचारों को छोड़कर।

भेदभाव नीतियों में, जनसंख्या के उन वर्गों को बराबर करने के लिए दायित्व या कर्तव्य का एक तत्व है जो अब तक "अदृश्य" थे या कोई फर्क नहीं पड़ता था। बराबरी के सिद्धांत की पहुंच, उस अर्थ में है

सम्मोहक। इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मुकेश कुमार बनाम में समझाया गया है। उत्तराखंड राज्य *2 1* को इस निर्देश का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए *(*उस मामले में जो निर्देश मांगा जा रहा था वह उत्तराखंड राज्य में पदोन्नति में आरक्षण था*),* अदालत हस्तक्षेप करेगी यदि राज्य उचित औचित्य के बिना कार्य करता है, लेकिन आरक्षण का निर्देश देने की सीमा तक नहीं। *22* समान रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का दायित्व

जो सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों जैसे कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय करता है और

अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के पिछड़े वर्ग को न केवल अनुच्छेद *15 (4)* में बल्कि अनुच्छेद *46* द्वारा भी रेखांकित किया गया है, हालांकि यह एक निर्देशात्मक सिद्धांत है। *23* यह है इसलिए यह कहना गलत है कि इंद्र साहनी ने जांच नहीं की

निदेशक सिद्धांतों के आलोक में राज्यों के दायित्व; यह स्पष्ट रूप से किया-जैसा कि है

कई निर्णयों में उस पहलू पर स्पष्ट चर्चा से स्पष्ट है। *24*

24. सुरक्षात्मक भेदभाव, सकारात्मक कार्रवाई, या कोई अन्य शब्द

21 (2020) 3 एससीसी *1.* *22* जैसा कि इस अदालत ने पी एंड टी अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में किया था। *1988* एससीआर सप्लीमेंट। *(2) 623* , जब किसी सरकारी आदेश को वापस लेने के परिणामस्वरूप पदोन्नति में आरक्षण से इनकार कर दिया गया, जिसका लाभ अब तक कर्मचारियों को मिलता था। अदालत ने कहाः

" हालांकि यह सच हो सकता है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने के लिए सरकार को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई भी रिट जारी नहीं की जा सकती है, जो कि पीजी संख्या *630* केवल एक सक्षम खंड है, डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आरक्षण के लाभ से वंचित हैं जो वे पहले प्राप्त कर रहे थे, जबकि अन्य जो समान रूप से अन्य विभागों में स्थित हैं, उन्हें इसका लाभ उठाने की अनुमति है।
भेदभावपूर्ण और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आमंत्रित करें। "

*23 ** " 46.* अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

24 पांडियान के निर्णयों में आरक्षण के संदर्भ में राज्यों के दायित्वों के बारे में चर्चा की गई है *(*पैरा *173,194)*। डॉ. थॉममेन, जे *(*पैरा *297);* कुलदिप सिंह, जे *(*पैरा *387);* पी. बी. सावंत, जे. *(*पैरा *416-418,433-34,479-451);* आर. एम. सहाय, जे. *(*पैरा *593)* और बी. पी. जीवन रेड्डी, अपने लिए, कनिया, सी. जे., एम. एन. वेंकटचलैया और ए. एम. अहमदी, जे. जे. *(*पारस में *648-49,695,747,* पारस में *834-835* और पैरा *860*-सभी एस. सी. सी. संदर्भ*)*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

शासन संरचनाः सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच *(*विशेष संस्थानों के माध्यम से*)*

अनुच्छेद *15 (4)* के तहत प्रावधान और पर्याप्त प्रतिनिधित्व *(*अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण के माध्यम से*)*। वे उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए राज्यों के भंडार में उपकरण हैं जो अब तक सत्ता साझा करने से वंचित थे-और जो इसके साथ गए थे, नीति निर्माण में प्रत्यक्ष दृष्टिकोण लाने के लिए, पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए, कांच की सीमा को तोड़ने वालों के लिए-संक्षेप में, लोकतांत्रिक शासन में आयाम प्रदान करने के लिए जो अनुपस्थित थे। *25*

25. के कई निर्णयों में एक निरंतर और आवर्ती विषय

इंद्र साहनी संतुलन की अवधारणा थीं। इस अभिव्यक्ति का उपयोग दो अर्थों में किया गया था-एक, समाज के बड़े वर्गों को पिछड़े रखने वाली पिछली भेदभावपूर्ण प्रथाओं के कारण मौजूद मौजूदा असंतुलन को ठीक करने के लिए; दूसरा, सभी के लिए समानता की गारंटी और स्वीकृत सकारात्मक या सकारात्मक भेदभाव के बीच संतुलन प्राप्त करने की खोज।

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* द्वारा। *2 6* बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. *(*अपने और चार अन्य न्यायाधीशों के लिए*)* ने अभिनिर्धारित किया कि *(*पैरा *808,* एस. सी. सी. रिपोर्ट*):*

"यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि लेखों का मुख्य उद्देश्य

14 और *16* समानता और अवसर की समानता है और वह

अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* केवल इसे प्राप्त करने का एक साधन है

एक ही उद्देश्य। खंड *(4)* हालांकि एक विशेष प्रावधान है।
खंड *(1)* का अपवाद नहीं। दोनों प्रावधान होने चाहिए

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामंजस्यपूर्ण कि दोनों हैं लेकिन पुनः

अनुच्छेद में निहित समानता के सिद्धांत के कथन

14. अनुच्छेद *16 (4)* के तहत प्रावधान -

समाज के कुछ वर्गों के हितों को संतुलित किया जाना चाहिए

के खंड *(1)* में प्रतिष्ठापित समानता की गारंटी के विरुद्ध

25 सशक्तिकरण का विचार जीवन रेड्डी के निर्णय में, इंद्र साहनी में सबसे पहले पैरा *694* में व्यक्त किया गया है: उपरोक्त सामग्री यह स्पष्ट करती है कि अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* के पीछे का उद्देश्य राज्य की शक्ति का बंटवारा था। जिस राज्य शक्ति पर लगभग विशेष रूप से उच्च जातियों यानी कुछ समुदायों का एकाधिकार था, उसे अब व्यापक बनाने की कोशिश की गई। जिन पिछड़े समुदायों को तब तक सत्ता के उपकरणों से बाहर रखा गया था, उन्हें इसमें शामिल करने की मांग की गई थी और चूंकि यह सामान्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। संक्षेप में, अनुच्छेद *16 (4)* के पीछे का उद्देश्य वंचित पिछड़े समुदायों का सशक्तिकरण है-उन्हें प्रशासनिक तंत्र में हिस्सा देना और समुदाय का शासन "। और फिर, पैरा *788* में. कि "अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का" सशक्तिकरण "था। विचार उन्हें राज्य शक्ति साझा करने में सक्षम बनाना था।

26 संतुलन का यह विषय विभिन्न निर्णयों में *49* बार आता है। सभी न्यायाधीश इससे निपटते हैं; हालाँकि पांडियन और सावंत, जे. जे., *50* प्रतिशत की संख्यात्मक सीमा को अस्वीकार करते हैं, उनके निर्णय अनुच्छेद *15* और *16* के मुख्य भागों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि पिछले भेदभाव को दूर किया जाए।

अनुच्छेद *16* प्रत्येक नागरिक और पूरे समाज के लिए एक गारंटी है।

26. उसी निर्णय द्वारा इस विषय पर अधिक चर्चा की गई है। *2 1* डॉ. थॉममेन, जे, ने व्यक्त किया कि आरक्षण एक अंत नहीं होना चाहिए, और इसे उन उद्देश्यों से परे नहीं रखा जाना चाहिए जिन्हें वे प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे और "प्रतिस्पर्धी मूल्यों और प्रतिद्वंद्वी दावों और हितों के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा ताकि सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके।" *(* रेफ. पैरा *255*, एस. सी. सी. रिपोर्ट*)*। आर. एम. सहाय, जे. ने इन शब्दों में विचार व्यक्त किया *(*संदर्भ। पैरा *560*, एस. सी. सी. रिपोर्ट*):*

"राज्य की कोई भी कार्रवाई चाहे 'सकारात्मक' या 'सौम्य', सुरक्षात्मक 'या' प्रतिस्पर्धी 'हो, संवैधानिक रूप से पहले अनुच्छेद *16 (4)* के संचालन और फिर अनुच्छेद *16 (4)* और *16 (1)* की परस्पर क्रिया द्वारा प्रतिबंधित है। राज्य को अनुच्छेद *16 (1)* के तहत 'सभी' नागरिकों की संवैधानिक गारंटी पर 'किसी भी' पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आक्रमण करने का अधिकार केवल तभी दिया गया है जब सरकार की राय में इसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

उद्देश्य असमानता को दूर करना और सक्षम करना है

समाज में 'अवसर और स्थिति' में समानता प्राप्त करने के लिए सेवाओं को साझा करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण राज्य की किसी भी कार्रवाई को ऐसे पिछड़े वर्ग की स्पष्ट और वैध पहचान और उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के दृढ़ प्रमाण पर स्थापित किया जाना चाहिए। दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति कार्रवाई को संदिग्ध बना देती है। वास्तव में दोनों का अस्तित्व होना चाहिए ताकि राज्य को उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में सक्षम बनाया जा सके। राज्यों का अक्षांश और कम हो गया है।

जब दो प्राथमिक, बुनियादी या क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों के अस्तित्व पर यह आरक्षण को विवेक के रूप में आगे बढ़ता है और

इसकी वैधता को प्रत्येक नागरिक के लिए प्रतिज्ञाबद्ध और गारंटीकृत समानता के संतुलन में तौला जाना चाहिए और किसी भी अवैध उपयोग को "बाहर निकालने" के लिए तर्कसंगतता के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

और राज्य को स्पष्ट संवैधानिक सीमा को पार करने से रोकता है

सीमाएँ "।

27. संवैधानिक निर्णय में विकल्प चुनना शामिल है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि रेखाएँ खींची जानी चाहिए, और कभी-कभी "परिवर्तन की कड़ाही" के आधार पर फिर से खींची जानी चाहिए। *28.* यह टिप्पणी की गई है कि

समानता खंड जैसी मौलिक अवधारणाओं से संबंधित निर्णय

27 पारस *614* और *814*, एस. सी. सी. रिपोर्ट करता है। *28* रघुबीर सिंह *(ऊपर)* में प्रयुक्त एक वाक्यांश।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

बहुत अधिक मूल्यवान हैं, और आवश्यक रूप से इसलिए, क्योंकि मूल्य परिसर *("*समानता" और "तर्कसंगतता" के मूल्यों के अलावा*)* आवश्यक हैं। उस निर्धारण के लिए जो खंड की आवश्यकता है। *29.*

28. संविधान की व्याख्या, इसकी विशिष्टता के आलोक में है, डॉ. अहरोन बराक, इजरायल के प्रतिष्ठित पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय ने अपने कार्य में टिप्पणी की: *30*

"कुछ लोगों का तर्क है कि भाषा को आधुनिक अर्थ देना

संविधान के संबंध में असंगत है

व्यक्ति की सुरक्षा के स्रोत के रूप में संविधान

समाज *3 1.* इस दृष्टिकोण के तहत, यदि संविधान है

आधुनिक विचारों के अनुसार व्याख्या की गई, यह प्रतिबिंबित करेगा

अल्पसंख्यकों के नुकसान के लिए बहुमत का दृष्टिकोण। मेरा।

इस दावे का जवाब अन्य बातों के साथ है, कि एक आधुनिक अवधारणा
मानवाधिकार केवल वर्तमान बहुमत की अवधारणा नहीं है

मानव अधिकार। वस्तुनिष्ठ उद्देश्य मौलिक को संदर्भित करता है

ऐसे मूल्य जो आधुनिक समाज की गहरी मान्यताओं को दर्शाते हैं,

रुझानों को पार नहीं करना। ये मान्यताएँ जनता का परिणाम नहीं हैं।

जनमत सर्वेक्षण या केवल लोकलुभावनवाद; वे मौलिक विश्वास हैं।
जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, अपना रूप बदल रहे हैं लेकिन नहीं

उनका पदार्थ।

29. कानून की व्याख्या करने का कार्य सौंपे गए अंग के रूप में

31 आम तौर पर एंटोनिन स्कैलिया देखें, "मौलिकताः द लेसर एविल ", *57* यू. सिन। एल. रेव. *849,862-863 (1989)*। *32* माइकल किर्बी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक कानूनः ए रीसेंट स्टडी इन कंट्रास्ट ', *60* जी. आई. एल. आई. *(2018) 1*, पी. *30 ;* हर्बर्ट वेस्लर, टुवर्ड्स न्यूट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ', *(1959) 73* हार्व को भी देखें। एल. रेव. *1.*

रेखा चित्रण का तत्व, चुनाव करने का। इस अदालत के फैसले ऐसे उदाहरणों से भरे हुए हैं। वर्गीकरण का सिद्धांत पहला उदाहरण है जहां इस न्यायालय ने एक रेखा खींची, और अनुच्छेद *14* की व्याख्या के विकल्प का संकेत दिया; इसी तरह, केरल शिक्षा विधेयक *3 3* से टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम। कर्नाटक राज्य, *34* एक शाब्दिक रूप से पूर्ण मौलिक अधिकार है, अर्थात अनुच्छेद *30* की व्याख्या शैक्षिक मानकों के रखरखाव के लिए विनियमन को रोकने के लिए नहीं की गई है, और कुशासन को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। फिर भी, जब भी कोई विकल्प चुना जाता है

इस संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या और निर्णय द्वारा इंगित सीमा में, यह केवल सिद्धांत और सिद्धांत के आधार पर है। *30.* जैसा कि पहले देखा गया है, इंद्र साहनी में इस अदालत की खोज-पिछले सभी उदाहरणों की एक विस्तृत समीक्षा के बाद, अदालतों द्वारा आवेदन के लिए एक स्थायी सिद्धांत का संकेत देना

था, जो आकांक्षी अधिकारों के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाएगा-और राज्यों का संबंधित कर्तव्य सकारात्मक उपायों को लागू करने के लिए

एक ओर असमानता *(*अनुच्छेद *15 [4]* और *16 [4]* के तहत*)* का मुकाबला करना, और दूसरी ओर समानता का सिद्धांत और निषिद्ध क्षेत्रों में असमानता का अभ्यास करने के खिलाफ इसका आदेश *(*अनुच्छेद *15* और *16* दोनों में जाति एक है*)*। सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि मात्रात्मक मानदंड *(*आरक्षण पर *50* प्रतिशत की सीमा*)* बहुत प्रतिबंधात्मक है जिससे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस अदालत ने आर. सी. पौड्याल बनाम में टिप्पणी की। भारत संघ *3 5* वह

" 124. ..... एक संवैधानिक दस्तावेज़ की व्याख्या में, "शब्द अवधारणाओं और अवधारणाओं की रूपरेखा हो सकते हैं।

खुद शब्दों से ज्यादा बदलते हैं "। इसका महत्व

अवधारणाओं का परिवर्तन स्वयं महत्वपूर्ण है और

संवैधानिक मुद्दों को उनके विकास की रेखा को स्वीकार किए बिना शब्दों के अर्थ के लिए केवल अपील से हल नहीं किया जाता है। यह उचित रूप से कहा जाता है कि "संविधान का उद्देश्य विवरण उत्कीर्ण करने के बजाय सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है"।

31. एक निश्चित और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का विचार, सीमा पर *50* प्रतिशत की सीमा के रूप में, इंद्र के समग्र पठन पर उभरता है।

साहनी। प्रत्यर्थियों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि इस न्यायालय को इस तरह की अधिकतम सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए, मामले-दर-मामले के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ना चाहिए, और अपने निर्णय पर विराम लगाना चाहिए। *33 1959* एससीआर *995*।

34 2002 (8) एससीसी *481*।

35 1994 पूरक *(1)* एस. सी. सी. *324*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अत्यधिक आरक्षण का न्याय करने के लिए अन्य मानदंडों, जैसे कि तर्कसंगतता, आनुपातिकता, आदि का उपयोग करते हुए तथ्य निर्भर अभ्यासों पर निष्कर्ष निकालना। हालांकि, किसी दिए गए मामले में जो तर्कसंगतता का गठन करता है और जो आनुपातिक है, वह अपरिवर्तित और अनिश्चित क्षेत्र होंगे। एक बात यह है कि अदालत को एक ज्ञात सिद्धांत को खारिज करने के लिए राजी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, फिर भी उस तर्क को प्रबल होने के लिए, न केवल मौजूदा सिद्धांत से होने वाले नुकसान को साबित किया जाना चाहिए, बल्कि एक सिद्धांत जिसे प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, अन्यथा, तर्क यह होगा कि अदालत को अंधेरे में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि "छलांग की लंबाई" जैसी टिप्पणियों का सहारा लिया जाए। प्रदान किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि "*36* या

आनुपातिकता सिद्धांत *(*एक कार्यकारी या विधायी उपाय की वैधता का न्याय करने के लिए तैनात*)*, क्योंकि वे कोई स्पष्ट सिद्धांत प्रकट नहीं करते हैं।

तर्कसंगतता निस्संदेह संवैधानिक शब्दकोश में एक परिचित वाक्यांश है; फिर भी इसके व्यवहार में काफी व्यक्तिपरकता और सापेक्षता है। एक बार फिर, डॉ. बराक को उद्धृत करने के लिए "तर्कसंगतता के क्षेत्र" हैं। *37.* यह अदालत को एक कठिन स्थिति में डालता है, जहां राज्य के विकल्पों के लिए अधिक सम्मान की आवश्यकता होती है, और न्यायिक समीक्षा को कम करने की आवश्यकता होती है, यह देखते हुए कि समीक्षा का मानक बेरियम केमिकल्स में इंगित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय ने एक सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में एक समान विचार व्यक्त किया, जब उसने कहा कि:

"किसी भी निषिद्ध आधार पर अंतर करने वाले उपाय की निष्पक्षता न केवल उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है, बल्कि सभी प्रासंगिक कारकों के संचयी प्रभाव पर भी निर्भर करती है, जिसमें इसकी सीमा भी शामिल है।

गैर-नामित समूहों पर हानिकारक प्रभाव "। *38*

32. एक अन्य मामले में, सिटी काउंसिल ऑफ प्रिटोरिया बनाम। वाकर, *39* सैक्स जे. *(*दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय के*)* ने टिप्पणी की कि:

" *[* पी*]* विभेदक उपचार के रस जिनके पास वैध है

वास्तविक समानता लाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए

इस तरह से किया जाता है जो अनावश्यक रूप से और असंवेदनशील रूप से संबंधित के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों को अपमानित और हाशिए पर डालता है

समूह जो पहले लाभ का आनंद लेते थे।

37 लोकतंत्र में न्यायाधीश, अहरोन बराक पी। *248 .* *38* हर्कसेन बनाम। लेन *1997 (11) BCLR 1489 (CC) 1511C* पर। *39 1998 (3)* बी. सी. एल. आर. *257 (*सी. सी.*)* पैरा पर। *123 .*

एक इलाके में शुल्क *(*खराब बुनियादी ढांचे के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव वाले अश्वेत समुदाय द्वारा बसा हुआ*)* और बेहतर बुनियादी ढांचे वाले इलाके में एक उच्च मीटर शुल्क, जिसमें श्वेत समुदाय रहता है। जे. सैक्स ने अभिनिर्धारित किया कि यह आवेदक, एक श्वेत निवासी के खिलाफ अनुचित भेदभाव नहीं था, बल्कि स्थानीय प्राधिकरण की ओर से शुल्कों के अंतर शुल्क के लिए एक आधार को नीचे रखने में विफलता थी, जो मूल समानता में निहित थी:

"फिर भी, के सिद्धांत से व्यवस्थित विचलन का कोई भी रूप

कानून का समान और निष्पक्ष अनुप्रयोग *(*जैसा कि अभ्यास था*)*

वर्तमान मामले में एक निश्चित अवधि के लिए), अच्छी तरह से करना पड़ सकता है
सामान्य अनुप्रयोग के कानून में व्यक्त किया जाएगा जो होगा

न्यायसंगतता के मानदंडों के अनुसार न्यायसंगत और

न्यायसंगतता "।

34. इस दृष्टिकोण से मुद्दे की जांच करने पर, "असाधारण परिस्थितियों" के अपवाद के साथ *50* प्रतिशत की सीमा न्यायसंगत है।

संतुलन-जिसे "गोल्डीलॉक्स समाधान" कहा जाता है-*40*-अर्थात सही संतुलन वाला समाधान जो राज्य को पर्याप्त अक्षांश की अनुमति देता है

उन लोगों के लिए सार्थक सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें जो इसके लायक हैं, और

लिंग, निवास स्थान*)* को बनाए रखा जाता है। एम. नागराज बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ *1 1* ने कहा कि "एक संख्यात्मक मानदंड सबसे निश्चित है। भेदभाव के आरोपों के खिलाफ प्रतिरक्षा "। *50* प्रतिशत बेंचमार्क को और कमजोर करना, गारंटी को प्रभावी ढंग से नष्ट करना होगा

समानता, विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव न किए जाने का अधिकार *(*अनुच्छेद *15* और *16* के तहत*)*।

35. इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क कि इंद्र साहनी को पुनर्विचार की आवश्यकता है, और इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए,

एतद्वारा अस्वीकृत।

सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण प्रतिमान

विशेष प्रावधान

40 " दो चरम सीमाओं के बीच इष्टतम संतुलन होना या पैदा करना "द मैरीमैन वेबस्टर डिक्शनरी *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. मरियम-वेबस्टर। कॉम/डिक्शनरी/गोल्डीलॉक्स। इस शब्द का इस्तेमाल न्यायमूर्ति एलेना कागन ने एरिजोना फ्री एंटरप्राइज क्लब में अपनी असहमति में किया था।

फ्रीडम क्लब पीएसी बनाम। बेनेट, *564* यू. एस. *721 (2011)* "तब कठिनाई गोल्डीलॉक्स समाधान खोजना है-बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, लेकिन बिल्कुल सही।" इस शब्द का उपयोग प्रबंधन की भाषा में एक उचित संतुलन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। *441 (2006) 8* एस. सी. सी. *212*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

36. इस खंड से अलग होने से पहले, इस राय पर ध्यान दिया जाएगा

सकारात्मक कार्रवाई, और संविधान के तहत संभावनाएं, एक बड़े से

दृष्टिकोण। देश में अधिकांश बहसें और उदाहरण केंद्रित रहे हैं। आरक्षण की सीमा और कोटा *(आरक्षण)* का प्रशासन

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत। अनुच्छेद में "विशेष प्रावधान" शब्द

15 (4) आरक्षण की तुलना में इसका व्यापक महत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत

अमेरिका जो इस तरह के विशेष को सक्षम करने वाले प्रावधान के अभाव में

प्रावधान, और जिसने एक अशांत सकारात्मक कार्रवाई नीति देखी है

न्यायशास्त्र, *1960* और *1970* के दशक में नीतियों और विधानों के निर्माण और बाद में अल्पसंख्यक और नस्लीय मानदंडों के संकुचित होने के साक्षी,

सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन करने के लिए, हमारे संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान है।

37. सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि पर्याप्त नहीं हैं

उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में असमर्थ। *38.* इस संदर्भ में यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि भारत के संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन, जिनका प्रभाव है -

समानता की धारणा को पिछले *15* वर्षों में बदला गया है। द.

जिसका राज्य को मुफ्त और अनिवार्य प्रदान करने का आदेश देने का प्रभाव पड़ा आयु वर्ग *6-14* के सभी बच्चों को शिक्षा। दूसरा यह था कि

संविधान *93* वां संशोधन अधिनियम, जिसमें अनुच्छेद *15* जोड़ा गया

(5) 43 राज्य को प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाना।

नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या सहायता प्राप्त।

बिना सहायता के "। इन प्रावधानों की परिवर्तनकारी क्षमता *(दोनों)*

42 " 21 ए. शिक्षा का अधिकार। - राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।

43 " 15. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के उपखंड *(छ)* में कुछ भी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसे विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या सहायता प्राप्त हों।

राज्य द्वारा गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अनुच्छेद *30* का खंड *(1)*

इस न्यायालय द्वारा प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम में बरकरार रखा गया है। भारत संघ *")* को अभी पूरी तरह से साकार किया जाना बाकी है। अनुच्छेद *21* ए न्यूनतम सार्वभौमिक शिक्षा की गारंटी देता है; जबकि अनुच्छेद *15 (5)* विशेष शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के पिछड़े वर्गों तक प्रवेश की अनुमति देता है।

निजी शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009* अनुच्छेद *21* ए की प्राप्ति के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। *39.* हालाँकि, इन संवैधानिक प्रावधानों की उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग बेहतर होंगे या कोई स्वतः लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ, यह विचार करना प्रासंगिक है कि अक्सर, आरक्षण की प्रभावकारिता या सीमा के बारे में कोई भी बहस, हमेशा एक रूढ़िवादी तर्क-योग्यता में बदल जाती है। बहुत पहले, अपनी महत्वपूर्ण कृति *45-* मार्क गैलांटर में योग्यता के मुद्दे को इस तरह से निपटाया गया थाः

" आइए हम योग्यता को परीक्षणों *(*परीक्षाओं, साक्षात्कार, चरित्र संदर्भों या जो कुछ भी*)* पर प्रदर्शन के रूप में लेते हैं।

पद से संबंधित प्रदर्शन से संबंधित *(*या अन्य*)*

अवसर*)* विचाराधीन है और आमतौर पर उस पद के लिए योग्यता के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। *(* हर मामले में यह एक अनुभवजन्य सवाल है कि क्या परीक्षण प्रदर्शन वास्तव में अच्छा है।

स्थिति में प्रदर्शन का भविष्यवक्ता, बहुत कम

बाद के पद जिनके लिए यह एक तैयारी है*)*।

स्थानीय क्षमता, स्थितिजन्य लाभ *(*पारिवारिक परिवेश में प्रोत्साहन, अच्छे स्कूल, कुपोषण या थकाऊ काम से बचने के लिए पर्याप्त धन, आदि*)*, और व्यक्तिगत प्रयास। उत्तरार्द्ध को नैतिक रेगिस्तान का प्रमाण माना जा सकता है, लेकिन न तो देशी क्षमता और न ही स्थितिजन्य लाभ प्रतीत होते हैं। द.
योग्यता द्वारा चयन के सामान्य रूप प्रदर्शन के नैतिक रेगिस्तानी आयाम को मापने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। जब तक कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा गुण कुल प्रदर्शन के सीधे अनुपात में है, योग्यता चयन के लिए तर्क व्यक्तिगत उम्मीदवारों की नैतिक योग्यता पर आधारित नहीं हो सकता है।

40. अपने निर्णय में, *(*इंद्र साहनी में*)* सावंत, जे. ने भी इस घटना के बारे में बात कीः

"405. भारतीय समाज में असमानताएँ घरों में पैदा होती हैं और सामाजिक उन्नति के हर माध्यम से बनी रहती हैं।

44 2014 (8) एससीसी *1.* *45* मार्क गैलांटर, प्रतिस्पर्धी समानताएं-भारत में कानून और पिछड़े वर्ग।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अमानवीय बस्तियाँ, सीमित और अपंग सामाजिक संबंध, निम्न श्रेणी के शैक्षणिक संस्थान और अपमानजनक व्यवसाय असमानताओं को असंख्य तरीकों से कायम रखते हैं। जो इन सभी व्यापक जालों से बचने के लिए भाग्यशाली हैं, वे कम से कम कम प्राप्त करने का प्रबंधन करके

दुर्बल कर देने वाले सामाजिक वातावरण के लकवाग्रस्त प्रभावों के बावजूद, अपने पिछड़ेपन की सीमा को पार करने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। क्या वे उपलब्धियाँ नहीं हैं जो उन्हें मापने के पारंपरिक मानकों से कितनी भी कम हों, जिन परिस्थितियों में वे प्राप्त होते हैं, वे अधिक विश्वसनीय होते हैं*?* क्या वे पर्याप्त धैर्य और दृढ़ संकल्प नहीं दिखाते हैं,

बुद्धि, परिश्रम, क्षमता और उसके प्रति झुकाव

सीखना और छात्रवृत्ति*?* क्या इन उपलब्धियों की तुलना उन लोगों से करना उचित है जिनके पास सभी सुख-सुविधाओं के साथ सभ्य आवास के सभी लाभ थे,

प्रबुद्ध और समृद्ध परिवार और सामाजिक जीवन, और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा*?* क्या लाभ खाते में प्राप्त किए जा सकते हैं श्रेष्ठ सामाजिक परिस्थितियों को योग्यता का दावा करने के लिए तराजू में रखा जाए और मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदर्शित किया जाए*?* हो सकता है कि कई मामलों में, उच्च वर्गों से आने वालों ने अपने लाभों और अपने अंकों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया हो।

दूसरों की तुलना में, उच्च है, वास्तव में ऐसा नहीं है जब उनके बेहतर लाभों की पृष्ठभूमि के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है-और भी कम हो सकता है।

406. जो योग्यता विवाद को आगे बढ़ाते हैं, दुर्भाग्य से, वे भी

इस बहुत ही बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज करें-*(*हालांकि अन्य संदर्भों में, वे इसे स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं*)*-कि योग्यता का मूल्यांकन करने की पारंपरिक विधि न तो वैज्ञानिक है और न ही यथार्थवादी है। एक बार की मौखिक या लिखित परीक्षा में अंक आवश्यक रूप से किसी विशेष पद के लिए किसी व्यक्ति के मूल्य या उपयुक्तता को साबित नहीं करते हैं, बहुत कम वे उसकी तुलनात्मक क्षमता का संकेत देते हैं। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए, उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अलग-अलग परीक्षणों को लागू करना पड़ता है। इस देश की बुनियादी समस्याएं सामूहिक हैं। उन्मुख। भारत गाँवों में और कस्बों और शहरों की झुग्गियों में रहता है। उनकी समस्याओं से निपटने और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के उपायों को लागू करने के लिए, देश को ऐसे कर्मियों की आवश्यकता है जिनके पास

उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान रखें और उन्हें हल करने में व्यक्तिगत रुचि रखें। सहानुभूति की आवश्यकता है, न कि केवल सहानुभूति की। इन सभी के दौरान एक प्रमुख कारण *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आजादी के वर्षों बाद, दलितों का बहुत कुछ नहीं हुआ है

यहां तक कि मामूली सुधार किया गया है और क्यों अधिकांश

उनके कल्याण के लिए योजनाएं कागजों में ही रह गई हैं।

बोधगम्य रूप से इस तथ्य का पता लगाने योग्य है कि कार्यान्वयन

उच्च वर्गों के प्रभुत्व वाली मशीनरी उदासीन है

उनकी समस्याओं के लिए।

चिन्नाप्पा के फैसले में पहले भी टिप्पणियां थीं।

रेड्डी, जे, के. सी. वसंत कुमार *(ऊपर)* में।

एनाटोल फ्रांस ने अपनी विडंबनापूर्ण *(और प्रतिष्ठित)* टिप्पणियों में एक बार टिप्पणी की थी कि

" अपनी भव्य समानता में, कानून अमीर और गरीब दोनों को पुलों के नीचे सोने, सड़कों पर भीख मांगने और रोटी चुराने से मना करता है।

41. बी. के. पवित्रा बनाम के हालिया फैसले में वसंत कुमार *(उपरोक्त)* में पिछले फैसलों और डॉ. अमर्त्य सेन की उनकी कृति "मेरिट एंड जस्टिस" में की गई टिप्पणियों पर कुछ विस्तार से विचार किया गया था। भारत संघ *46,*

" " योग्यता "एक मानकीकृत परीक्षा में किसी की रैंक जैसे संकीर्ण और लचीले मानदंडों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन कार्यों से प्रवाहित होनी चाहिए जो एक समाज पुरस्कृत करना चाहता है, जिसमें शामिल हैं

समाज में समानता और जनता में विविधता को बढ़ावा देना।

प्रशासन।

इस अदालत ने यह भी नोट किया कि योग्यता जैसा कि हम समझते हैं-यानी मानकीकृत परीक्षणों में प्रदर्शन, काफी हद तक तटस्थ कारकों पर निर्भर है, जो

विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पक्ष में भेदभाव करें।

42. इस प्रकार योग्यता का तर्क उन लोगों के बीच अंतर्निहित और स्थितिजन्य असमानता की अनदेखी करता है जिनके पास प्राप्त करने के साधनों तक पहुंच नहीं है।

अर्थपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य, अर्थात महाविद्यालयों और पेशेवरों के लिए

संस्थान, परीक्षण जैसे प्रतिस्पर्धी मूल्यांकनों के आधार पर, और जिनके पास इसके लिए सभी साधन हैं। कम आय वर्ग के लोग कोचिंग कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, जो सफल होने में उम्मीदवारों के कौशल को निखारते हैं।

एक प्रवेश परीक्षा में। *43.* इसलिए योग्यता पर अधिक जोर देना, अतीत के बोझ को नजरअंदाज करता है, यह मानता है कि अब सब कुछ पूरी तरह से उचित है और सवाल पूछता है।

46 (2019) 16 एससीसी *129*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

उम्मीदवार उन परीक्षाओं में कैसे किराया देता है जो केवल एक संकीर्ण सीमा का परीक्षण करती हैं

कौशल, मुख्य रूप से रैखिक प्रकार के विचार। यह असंबद्ध, तटस्थता आधारित सोच ऐतिहासिक और सदियों पुरानी असमानताओं पर प्रकाश डालती है, जिसका बोझ उन लोगों को परेशान करना जारी रखता है जो नुकसान के तहत श्रम करते हैं, और एक सामान्य परीक्षा या मूल्यांकन के तथाकथित "समान अवसर" के माध्यम से, उन लोगों को विशेषाधिकार देते हैं जिनके पास धन, शक्ति, उच्च शिक्षा और अन्य विशेषाधिकारों तक पहुंच थी, और अभी भी है, इस प्रकार इन लाभों को मजबूत करते हैं। योग्यता एक संसाधन आकर्षक है। जिनके पास यह है, वे इसमें से अधिक धन जमा करते हैं और अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। वे उस धन और शक्ति का उपयोग अपने लिए योग्यता की अधिक वृद्धि खरीदने के लिए करते हैं और उनके बच्चे।

44. प्रख्यात कानूनी विचारक माइकल सैंडल ने अपनी पुस्तक 'टायरेनी ऑफ मेरिट' में शोक व्यक्त किया है कि अमेरिका अब एक छँटाई मशीन बन गया है जो योग्यता के आधार पर गतिशीलता का वादा करता है लेकिन विशेषाधिकार और योग्यता को बढ़ाता है।

सफलता के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जो लोकतंत्र की आवश्यकता की समानता को नष्ट करता है *"(*पी। *155)* वे आगे कहते हैं कि सबसे पहले, सभी को बताया जाता है कि हालांकि योग्यता पर आधारित एक गतिशील समाज का वादा वंशानुगत पदानुक्रम से बेहतर है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह वादा समाज में असमानता को कम करने के लिए किसी भी सहायक वादे के साथ नहीं आता है। इसके विपरीत, यह वादा "उत्पन्न होने वाली असमानताओं" को वैध बनाता है। जन्म के बजाय योग्यता से *"(*पृ. *161)*। दूसरा, हम सीखते हैं कि एक प्रणाली जो सबसे प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कृत करती है, वह बाकी लोगों को या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कम आंकती है।

45. इन टिप्पणियों का संदर्भ इस बात पर प्रकाश डालना है कि

तब, वास्तविक और सार्थक होने के लिए, यह संकेत दिया जाना चाहिए कि उन स्थितियों को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों को भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जाति *(*इसके बाद "अनुसूचित जाति*")/*अनुसूचित जनजाति *(*इसके बाद "अनुसूचित जनजाति"*)* और एस. ई. बी. सी. छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद योजनाओं की जांच करना-केवल उदाहरण के माध्यम से-उपयोगी होगा। *46.* केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों के लिए, कक्षा *IX* और *X* में अध्ययन के लिए उपलब्ध है, जो माता-पिता/अभिभावकों की आय *2,50,000* प्रति वर्ष से कम होने की शर्त पर है। योग्य छात्रों को किसी अन्य केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति या वित्त पोषण द्वारा भी कवर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वे राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए पात्र हो सकते हैं।

छात्रवृत्ति योजना। *47* प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, दिन के छात्रों को दस महीने की अवधि के लिए ₹*225* प्रति माह, पुस्तकों और तदर्थ अनुदान के साथ, ₹*750* प्रति माह प्रदान किया जाता है। छात्रावासों को दस महीने की अवधि के लिए प्रति माह *525* रुपये मिलते हैं और इसी तरह का अनुदान प्रति माह *1000* रुपये मिलता है। *2020-21* के लिए कुल ₹*750* करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से *404.93* करोड़ जारी किए गए थे। पिछले वर्षों में, *2015-16* से *2019-20* तक, कुल आवंटित बजट *1,922* करोड़ था, जिसमें से ₹*1,561.90* करोड़ रुपये *121.85* लाख लाभार्थियों को जारी किए गए थे। *48*

47. प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

एक्स के लिए, जिनके माता-पिता हाथ से सफाई करने वाले, चर्मकार और उड़ाने वाले, कचरा उठाने वाले, या खतरनाक सफाई में लगे व्यक्ति हैं, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है

मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, *2013.4*[9] छात्रावासों को *700* प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, जबकि दिन के छात्रों को, शैक्षणिक वर्ष *(*दस महीने*)* के माध्यम से *225* रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। प्रति वर्ष ₹*750* और ₹*1000* का अनुदान क्रमशः विद्वानों और छात्रावासों के लिए उपलब्ध है। यहाँ भी, चयनित उम्मीदवारों को अन्य सभी छात्रवृत्ति से बाहर रखा गया है। *48.* मैट्रिक के बाद के स्तर पर, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है

निजी संस्थान*)*, रहने का खर्च *2220* प्रति माह, के लिए भत्ता किताबें और लेखन सामग्री, और एक कंप्यूटर और सहायक उपकरण *(*एक बार की सहायता के रूप में *45,000* तक सीमित*)*। पात्रता मानदंड के लिए कुल पारिवारिक आय की आवश्यकता होती है।

सभी स्रोतों से प्रति वर्ष *8,00,000* से कम होना। इस योजना के तहत, *2020-21* में, कुल बजट आवंटन *40* करोड़ था।

21.04.2021) पर पहुँचा गया। *48* वार्षिक रिपोर्ट, *2020-2021*, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पी. *50*, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*सामाजिक न्याय। ठीक है। में */* लेखन विवरण/अपलोडफ़ाइल/वार्षिक रिपोर्ट *2021* अंग्रेजी। पी. डी. एफ., *(*अंतिम बार *23.04.2021* पर पहुँचा गया*)*।

49 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिसूचना दिनांक *2.04.2018*, पर उपलब्ध हैः *//*सामाजिक न्याय। ठीक है। इन/राइटरीअड्डाटा/अपलोडफाइल/प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप हैज़। पीडीएफ

(अंतिम बार *21.04.2021)* पर पहुँचा गया। *50* योजना सूची, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उपलब्ध है। *//* सामाजिक न्याय। ठीक है। इन/स्कीमलिस्ट/सेंड/*27?* मध्य *= 24541 (*अंतिम बार *21.04.2021* पर पहुँचा गया*)*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

*31.12.2020 * 24.03 1550* लाभार्थियों पर करोड़ रुपये खर्च किए गए। *51* पिछले वर्षों के लिए, यानी *2016-17* से *2019-2020*, कुल आवंटित बजट *6676* लाभार्थियों पर ₹ *127.62* करोड़ के कुल व्यय के साथ * *131.50* करोड़ था। *52*

49. एस. टी. छात्रों के लिए इसी तरह की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर भी इस तरह की विभिन्न छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। *53* एस. टी. छात्रों के लिए इसी तरह की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ऐसी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। *54* एसटी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के संबंध में, वित्तीय वर्ष के लिए *1833* करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा गया था, जिसमें से *1* करोड़ रुपये जारी किए गए थे। *55* एस. टी. छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष *2020-21* के लिए *250* करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा गया था, जिसमें से *248.9* करोड़

रिहा कर दिए गए।

50. एसटी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत, वर्ष में कुल ₹*1* करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹*20* करोड़ *2449 (1973* पुरुष और *512* महिला*)* लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए थे। *56* वर्ष *2019-2020* में, कुल *1914* के लाभार्थियों को *19* करोड़ *1* लाख रुपये के वितरण के साथ *20* करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। *57* तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक *988* लाभार्थी थे, इसके बाद राजस्थान में *363* और आंध्र प्रदेश में *147* लाभार्थी थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रमशः *69* और *49* लाभार्थी थे। *58*

51 वार्षिक रिपोर्ट, *2020-2021*, पृष्ठ। *68* , सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यहां उपलब्ध हैः //सामाजिक न्याय। ठीक है। इन/राइटरीडाटा/अपलोडफाइल/*ANNUAL_REPORT_2021_ENG.pdf, (*अंतिम बार *23.04.2021* पर पहुँचा गया*)*

54 आम तौर पर देखें, *HTTPS: //*पिब। गव. प्रेस रिलीज पेज में। एएसपीएक्स*? PRID = 1593767 (*अंतिम बार *21.04.2021* पर पहुँचा गया*)*। *55* पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, डेटा यहां उपलब्ध हैः //डैशबोर्ड। आदिवासी। गव. *in/(*अंतिम बार *23.04.2021* पर पहुँचा गया*)*।

56 आइबीआइडी।

57 आइबीआइडी।

58 आइबीआइडी।

51. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत *(*शिक्षा के उच्च स्तर जैसे पीएचडी, *M.Phil), 2525* अध्येतावृत्ति विद्वानों को ₹ *90.78* करोड़ की राशि वितरित की गई थी। *59* राष्ट्रीय के तहत एसटी छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति, विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए, वर्ष *2020-21* में, *30* लाभार्थियों को *4.76* करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। *60*

52. अन्य पिछड़े वर्गों *(*ओ. बी. सी.*)* के संबंध में, केंद्रीय

सरकारी प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक *(*कक्षा <आई. डी. *1* और उससे ऊपर*)* उन छात्रों के लिए उपलब्ध हैं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय ढाई लाख से अधिक नहीं है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत, *100/-*

दैनिक छात्रों को *10* महीने के लिए प्रति माह और छात्रावासों को *10* महीने के लिए *500/-* प्रति माह दिया जाता है। वर्ष *2020-2021 (31.12.2020* के अनुसार*)* के लिए कुल *175* करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ** 118.09* करोड़ रुपये *200* लाख लाभार्थियों को प्रदान किए गए थे। पिछले वर्षों में, *2015-16* से *2019-20* तक, कुल *759.9* करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से *463.08* लाख लाभार्थियों को ₹ *701.42* करोड़ जारी किए गए थे। *61* *53.* ओ. बी. सी. के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के तहत वर्ष *2020-2021* के लिए कुल *1100* करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से *80* लाख लाभार्थियों को *802.27* करोड़ प्रदान किए गए थे। पिछले वर्षों में, *2015-16* से *2019-20* तक, कुल *5* करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से *4* करोड़ *207.96* लाख लाभार्थियों के लिए जारी किए गए थे। *62*

54. ओ. बी. सी. छात्रों के लिए *M.Phil* और पी. एच. डी. के डिग्री स्तर पर एक राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति भी उपलब्ध है। शोध के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों के लिए, कनिष्ठ शोध अध्येताओं के लिए *31,000* रुपये प्रति माह और वरिष्ठ शोध अध्येताओं के लिए *35,000* रुपये प्रति माह। इस फेलोशिप के तहत,

वर्ष *2020-21* के लिए ₹*45* करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ** 18* करोड़ *2900* प्रत्याशित लाभार्थियों को प्रदान किए जाने की उम्मीद है। पिछले वर्षों में, *2016-17* से *2019-20* तक, *149.5* करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें से लगभग। *154 7, 200* लाभार्थियों *(5,100* अनंतिम*)* को एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए। *63*

59 आइबीआइडी।

60 आइबीआइडी। *61* वार्षिक रिपोर्ट, *2020-2021,* सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पी। *104-105* , एच. टी. पी. पर उपलब्धः //सामाजिक न्याय। ठीक है। इन/राइटरीडाटा/अपलोडफ़ाइल/*ANNUAL_REPORT_2021_ENG.pdf (*अंतिम बार यहाँ पहुँचा गया*)*

23.04.2021) .

62 आइबीआइडी। , पी पर। *105 .*

63 आइबीआइडी। , पी पर। *107-108 .*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

55. 2001 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग *64* की एक रिपोर्ट

और *2004-05* में कक्षा *I* से *X* में *69.1%*। स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर पर अनुसूचित जाति की आबादी और सामान्य श्रेणी के बीच का अंतर बढ़ता देखा गया। वर्ष *2006-07* में एसटी छात्रों के लिए पढ़ाई छोड़ने की दर के आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर *(*कक्षा *I-V)*, *33.2%* एसटी छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्तर *(*कक्षा *I-VIII)* पर, यह बढ़कर *62.5%* हो जाता है, जबकि माध्यमिक स्तर *(*कक्षा *I-X)* पर, पढ़ाई छोड़ने की दर *78.7%* है। *65* इसी समय सीमा के लिए, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पढ़ाई छोड़ने की दर यह *36* प्रतिशत था; प्राथमिक स्तर पर, *53.1%;* और माध्यमिक स्तर पर, *69* प्रतिशत। *66* वर्ष *2018-19* के लिए वार्षिक रिपोर्ट *(*आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण*)* के अनुसार, *7* वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए साक्षरता दर अनुसूचित जनजातियों के लिए *69.4%*, अनुसूचित जातियों के लिए *72.2%*, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए *77.5%* और अन्य के लिए *85.9%* थी। *67*

56. यह आँकड़ा विविध विषयों पर गहन अध्ययन के लिए एक मामला बनाता है।

छात्रवृत्ति की पर्याप्तता या अन्यथा, मात्रा जैसे क्षेत्र

वितरित, पात्रता मानदंड *(*अधिकतम पारिवारिक आय सीमा ** 2,50,000/-* संभवतः लाभार्थियों के बड़े वर्ग को शामिल नहीं करती है, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार में समूह डी रोजगार के परिणामस्वरूप भी ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है*)*, और अन्य सुविधाओं को शुरू करने के बारे में पुनर्विचार, जैसे कि छात्रवृत्ति, अनुदान और ब्याज मुक्त या बेहद कम ब्याज वाली शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

प्राप्तकर्ताओं और लाभार्थियों के जाल को व्यापक बनाने के लिए ऋण। राज्य और केंद्र सरकार सीमा और अन्यथा योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने की अपनी प्रवृत्ति पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही कोई एससी */*

64 इस वेबसाइट पर उपलब्धः *//*नीती। गव. इन/प्लानिंग कमीशन। गव. इन/डॉक्स/प्लान्स/प्लानरेल/फाइव ईयर*/11* वीं*/11* वीएल*/11* वी *1* सीएच *6*। पी. डी. एफ. *(*अंतिम बार *21.04.2021* पर पहुँचा गया*)*।
65 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट और प्रकाशन, यहां उपलब्ध हैंः *//*मोस्पी। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/रिपोर्ट और प्रकाशन */*

सी. एस. ओ. अनुसंधान और प्रकाशन इकाई/सी. ओ. एस. आई. ओ. आई. एस. आई. ओ. टी. एस. डी. वी. ओ. एल.*-2 /*

सी. एस. ओ. अनुसंधान और प्रकाशन इकाई/सी. ओ. एस. आई. ओ. आई. ई. एस. आई. ओ. टी. एस. डी. वी. ओ. एल.*-2/*पृष्ठ*% 20* से*% 20* शिक्षा*-1.12*। पी. डी. एफ. *(*अंतिम बार *22.04.2021* पर पहुँचा गया*)*। *67* तालिका *49*, वार्षिक रिपोर्ट *(*आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण*) 2018-19*, यहाँ उपलब्ध हैः *//* मोस्पी। ठीक है। इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/प्रकाशन रिपोर्ट */*

वार्षिक रिपोर्ट *PLFS_2018_19_HL.pdf*, पी। ए*-363 (*अंतिम बार *22.04.2021* पर पहुँचा गया*)*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसटी या एसईबीसी परिवार की आय *6,00,000/-* वर्ष है, उस पृष्ठभूमि के एक योग्य छात्र को छात्रवृत्ति से इनकार करने से उसे किसी अन्य उम्मीदवार के बराबर नहीं माना जा सकता है, जिसकी पारिवारिक आय उस राशि का चार गुना हो सकती है, और जो निजी शैक्षणिक संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इन नीतियों और उनकी प्रभावशीलता की निरंतर जांच, समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है, इसके अलावा धन बढ़ाने आदि के पहलू की भी आवश्यकता है।

सकारात्मक कार्रवाई की व्यापक संभावनाएं-अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका

और कनाडा

अमेरिका का अनुभव

57. अमेरिका में, फुलिलव वी। *68* वर्षीय क्लुट्ज़निक, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने एक संघीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने की मांग को खारिज कर दिया

जातीय कोटा प्रणाली के माध्यम से अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले व्यवसायों के साथ तरजीही व्यवहार। चुनौती दिए गए कानून ने "राज्य और स्थानीय सरकार के सार्वजनिक निर्माण अनुदान की प्राप्ति के लिए पूर्व शर्तों को निजी संस्था के इस आश्वासन पर निर्धारित किया कि प्रत्येक अनुदान की राशि का कम से कम *10* प्रतिशत अल्पसंख्यक व्यावसायिक उद्यमों *(*एमबीई*)* के साथ अनुबंधों पर खर्च किया जाएगा। सार्वजनिक अनुबंध आम तौर पर सबसे कम बोली लगाने वाले को दिए जाते थे; यह प्रावधान सबसे कम बोली लगाने वाले को सार्वजनिक निर्माण अनुबंध देने के लिए संचालित किया जाता था जो *10* प्रतिशत निर्धारित *(*कोटा*)* लक्ष्य का पालन करता था। अधिनियम के अनुसार बनाई गई कार्यकारी नीति अनुदान प्राप्त करने वालों और उनके प्रमुख ठेकेदारों पर उपलब्ध, योग्य और प्रामाणिक एमबीई की तलाश करने और उन्हें नियुक्त करने का एक सकारात्मक कर्तव्य लगाती है। चूंकि एमबीई प्रावधान का उद्देश्य इससे पार पाना था

सार्वजनिक अनुबंध में अल्पसंख्यक भागीदारी के लिए लंबे समय से बाधाएं

अवसरों के लिए, निर्धारित प्रावधान यानी शर्त एक उच्च एमबीई बोली का समर्थन करती है जब तक कि उच्च कीमत पिछले नुकसान और भेदभाव के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई लागत को दर्शाती है। इसलिए प्रशासनिक कार्यक्रम ने आर्थिक विकास एजेंसी को अल्पसंख्यक भागीदारी की आवश्यकता को माफ करने के लिए अधिकृत किया, जहां एक उच्च अल्पसंख्यक व्यावसायिक बोली पिछले भेदभाव के वर्तमान प्रभावों के कारण नहीं है। फुलिलव में वादी निर्माण ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के गैर-अल्पसंख्यक संघ थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण अधिनियम की एमबीई आवश्यकता के प्रवर्तन से गैर-अल्पसंख्यक व्यावसायिक वादियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा, वादी ने जोर देकर कहा कि एमबीई *10* प्रतिशत कोटा प्रावधान ने चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड और पांचवें संशोधन के नियत प्रक्रिया खंड के समान संरक्षण तत्व का उल्लंघन किया है।

68 448 अमेरिका *448 (1980)*।

69 धारा *103 (*च*) (2),* लोक निर्माण रोजगार अधिनियम *1977* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

कथित समान सुरक्षा उल्लंघन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम ने अल्पसंख्यक व्यवसायों को संघीय अनुदान में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करके कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित की। बाद में लिया गया निर्णय अदारंद कंस्ट्रक्टर्स, इंक. *v.* पेनल "ने माना कि संघीय सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम अब सख्त जांच के अधीन हैं, जैसे कि राज्य और स्थानीय कार्यक्रम *1989* से थे। अदालत ने माना कि "संघीय नस्लीय किसी राज्य की तरह वर्गीकरणों को भी एक सम्मोहक सरकारी हित की सेवा करनी चाहिए, और उस हित को आगे बढ़ाने के लिए इसे संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका

59. दक्षिण अफ्रीका के *1998* के संविधान, अध्याय *2*, अनुच्छेद *9 (3)* के तहत "समानता" से संबंधित इस प्रकार हैः

" राज्य नस्ल, लिंग, लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल सहित एक या अधिक आधारों पर किसी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव नहीं कर सकता है।

रंग, यौन अभिविन्यास, आयु, अक्षमता, धर्म,

विवेक, विश्वास, संस्कृति, भाषा और जन्म "।
अध्याय *10* में कहा गया है कि लोक प्रशासन को "वस्तुनिष्ठता *[*और*]* निष्पक्षता के साथ दक्षिण अफ्रीकी लोगों का व्यापक रूप से प्रतिनिधि होना चाहिए", और इसे "लोगों के बीच असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है।

व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अतीत "।

60. इन प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर *1998* में रोजगार समानता अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम इस आधार के साथ शुरू होता है कि पिछली नीतियों द्वारा उत्पन्न "स्पष्ट नुकसान" को पिछले भेदभावपूर्ण कानूनों के सरल निरसन से दूर नहीं किया जा सकता है, और इसके प्रभावों को दूर करने के लिए "रोजगार समानता" को लागू करने की आवश्यकता थी।

भेदभाव ", और" व्यापक रूप से विविध कार्यबल प्राप्त करना "

सभी व्यावसायिक श्रेणियों में उनका समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नामित समूहों द्वारा अनुभव किया गया रोजगार और *70 515* यूएस *200 (1995)*

कार्यबल में स्तर "। नामित समूहों को काले लोगों *(*जिनमें अफ्रीकी, रंगीन और भारतीय शामिल हैं*)*, महिलाओं और विकलांग लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है।

61. नामित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई उपायों में शामिल होना चाहिए

प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बाधाओं की पहचान और उन्हें हटाना, आगे की विविधता के लिए कार्रवाई, समानता सुनिश्चित करने के लिए उचित आवास अवसर और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व, और उन्हें बनाए रखने और विकसित करने के लिए प्रशिक्षण के प्रयास। प्रतिनिधित्व का विस्तार सभी व्यवसायों तक किया गया है

कार्यबल में श्रेणियां और स्तर और यह तरजीही उपचार और संख्यात्मक लक्ष्यों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, लेकिन कोटा के साथ नहीं। रोजगार समानता योजना को स्वयं प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों, उन्हें पूरा करने के लिए समय सारिणी और रणनीतियों के साथ सकारात्मक कार्य उपायों और योजना का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को बताना चाहिए। प्रत्येक योजना एक वर्ष से कम और पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होनी चाहिए। *(* एक योजना की समाप्ति पर, दूसरी का अनुसरण किया जा सकता है।*)* जबकि अधिमान्य उपचार केवल उपयुक्त रूप से योग्य लोगों के लिए होता है, ऐसी उपयुक्तता औपचारिक योग्यता, पूर्व शिक्षा, प्रासंगिक अनुभव या उचित समय के भीतर काम करने की क्षमता प्राप्त करने की क्षमता का एक उत्पाद हो सकती है।

62. रोजगार समानता अधिनियम के तहत, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करना चाहिए, जिसके बाद

कार्यस्थल में रोजगार नीतियों और प्रथाओं का लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कार्यबल के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को विकसित करने और नामित समूहों के रोजगार या उन्नति में बाधाओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए है। कार्य की सभी श्रेणियों में निर्दिष्ट समूहों के प्रतिनिधित्व के तहत भी पहचान की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा *15 (3)* के तहत कोटा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं। *2003* में ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं, श्रमिकों, युवाओं, विकलांग लोगों सहित सभी अश्वेत लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण है।

और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग "। काले आर्थिक सशक्तिकरण *(*बी. ई. ई.*)* आवश्यकताओं के अनुपालन को मापने के लिए, व्यापार और उद्योग विभाग एक संतुलित स्कोरकार्ड का उपयोग करता है, जिसमें तीन व्यापक घटक होते हैं। स्कोरकार्ड का उपयोग सरकारी खरीद के लिए किया जाएगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की बिक्री, जब लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है, और किसी अन्य प्रासंगिक आर्थिक गतिविधि के लिए। खेल के मैदान को समतल करने के उद्देश्य से रणनीतियों में शामिल हो सकते हैं

रोजगार बाधाएँ जैसे कि डी. आर. की भरपाई के लिए परीक्षण आवश्यकताओं को अपनाना।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

शैक्षणिक नुकसान या कार्य अनुभव की कमी के लिए *7 1;* नौकरी प्रतियोगिता में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती, चयन और पदोन्नति प्रक्रियाओं की समीक्षा *72;* त्वरित और सुधारात्मक प्रशिक्षण; और कार्य वातावरण का परिवर्तन जो नामित समूहों को बाहर करता है या अन्यथा नुकसान पहुंचाता है, जैसे। कैरियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से उपाय "*(*लचीली कार्य अनुसूची, बाल देखभाल संरचना, कैरियर ब्रेक को सुविधाजनक बनाना, आदि*)*।

कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कं. वी. कनाडा *(कनाडाई)*

मानवाधिकार आयोग*) 74,* जे. डिक्सन ने तर्क दिया कि

एक सकारात्मक कार्य कार्यक्रम प्रणालीगत भेदभाव के निरंतर चक्र को तोड़ना है। लक्ष्य पिछले पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करना या यहां तक कि उन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नए अवसर प्रदान करना नहीं है जो पीड़ित हैं।

अतीत में गलत तरीके से नौकरी या पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य के आवेदकों और प्रभावित समूहों के श्रमिकों को उन्हीं कपटी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने उनके पूर्वजों को अवरुद्ध कर दिया था।

64. ओंटारियो में *(*मानवाधिकार आयोग*)* बनाम ओंटारियो *(*मंत्रालय*)*

वंचित समूहों की स्थितियाँ। प्रावधानों के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को संहिता या अधिनियम में कहीं और निहित औपचारिक समानता प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दिए जाने से बचाना है। अदालत के अनुसार सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है में

"सक्षम या सहायता करके पर्याप्त समानता प्राप्त करना

वंचित व्यक्तियों को कौशल प्राप्त करने के लिए ताकि वे
समान अवसर पर नौकरियों के लिए उनके साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करें।

74 [1987] 1 1143 पर एस. सी. आर. *1114*। *75 (1994) 21* डी*/265* पर सी. एच. आर. आर. *(*ओ. एन. टी. सी. ए.*)* डी*/259,* अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हुए शेपर्ड 'समानता और समानता के बीच संबंध का मुकदमा' *(*ओंटारियो कानून सुधार आयोग का अध्ययन पत्र*)* टोरंटो *(1993) 28.*

जिनका कोई नुकसान नहीं है। एस का उद्देश्य। *14 (1)* है।

केवल सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को चुनौती से छूट देने या उनकी रक्षा करने के लिए नहीं। यह एक व्याख्यात्मक सहायता भी है जो मूल समानता को बढ़ावा देकर समान अधिकारों के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करती है। *7 76*

आरक्षण के अलावा सकारात्मक कार्रवाई की संभावनाएँ

भारत

65. विविधता को प्रोत्साहित करने की अमेरिकी प्रथा, उदाहरण के लिए, उन फर्मों को सरकारी अनुबंधों का पुरस्कार जो नस्लीय या जातीय रूप से सदस्यों की भर्ती का अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। वंचित समूहों को मध्य प्रदेश की नीतियों में प्रतिध्वनि मिली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों ने अनुबंध देने में सकारात्मक कार्रवाई की नीति का पालन किया है और इस तरह से एससी और

एसटी उद्यमियों के व्यापार, व्यवसाय और अन्य सार्वजनिक कार्यों में ठेकेदारों के रूप में प्रवेश की रक्षा की है। हाल ही में कर्नाटक ने सार्वजनिक खरीद में कर्नाटक पारदर्शिता नाम का एक कानून बनाया है।

(संशोधन*)* अधिनियम, *2016*, जो सभी सरकारी कार्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुबंधों के लिए *50* लाख रुपये तक के सार्वजनिक अनुबंधों को आरक्षित करता है। इस कानून का उद्देश्य एससी और एसटी ठेकेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और कठोर निविदा प्रक्रिया के बिना सरकारी काम का पुरस्कार प्राप्त करना है। उड़ीसा भी प्रदान करता है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को एक निश्चित मूल्य के अनुबंधों के *10* प्रतिशत तक मूल्य वरीयता के लिए।

66. भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवजन्य प्रमाण हैं कि उत्पादक रोजगार की पहुंच कुछ वर्गों तक ही सीमित है।

सबसे पिछड़े वर्गों में से कार्यबल, जबकि बाकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छी नौकरियों में कार्यरत लोगों और "बहिष्कृत" लोगों के बीच विभाजन की खामियां गहरी हैं, और जाति, धर्म, क्षेत्र और अन्य सांप्रदायिक विभाजनों पर आधारित हैं, जो सभी वर्ग और लिंग के साथ ओवरलैप करते हैं, जैसे कि कार्यबल के छोटे वर्ग के भीतर भी जो अच्छी नौकरियों में उत्पादक रूप से कार्यरत हैं।

कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, दूसरों की तुलना में उच्च स्थान पर रखा जाता है,

जबकि कुछ जातियाँ और समुदाय निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के शीर्ष क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित हैं। जबकि निजी नियोक्ताओं का दृढ़ विश्वास है कि नौकरियों का आवंटन व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, योग्यता के वितरण के बारे में उनके विचार मौजूदा योग्यता के साथ दृढ़ता से मेल खाते हैं।

जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय मतभेदों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएँ।

76 (1994) 21 डी*/265* पर सीएचआरआर *(*ओएनटी सीए*)* डी*/259*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

67. एक तरीका जिसके द्वारा निजी क्षेत्र भेदभाव और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, वह है अपने कॉर्पोरेट के माध्यम से

सामाजिक उत्तरदायित्व *(*सी. एस. आर.*)* कार्यक्रम। भारत में *2013* से सी. एस. आर. अनिवार्य है। इन पहलों ने दो प्रमुख रूप ले लिए हैं: स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता के लिए विशेष स्कूलों या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से वंचितों की शिक्षा और घर आधारित काम या सूक्ष्म वित्त के माध्यम से गरीब महिलाओं को सहायता। जबकि ये उपाय महत्वपूर्ण हैं,

ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ सीएसआर को और भी अधिक लाभों के साथ निर्देशित किया जा सकता है। सीएसआर की परिभाषा और दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि कुछ समूहों के बहिष्कार की ओर प्राकृतिक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के उपायों को शामिल किया जा सके। निजी क्षेत्र के प्रबंधनों को

बहिष्करण के सामाजिक स्वरूपों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है और उन्हें सचेत रूप से प्रमुख सामाजिक रूढ़ियों का शिकार नहीं होने का प्रयास करना चाहिए, जो लोगों को उनके जन्म के कारण कलंकित करने वाली नौकरियों में दंडित करते हैं, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से योग्य और सक्षम हों।

68. रोजगार के समय कम प्रतिनिधित्व की समस्या *(*बढ़ावा देने और/या समान अवसर रोजगार नीतियों द्वारा सक्रिय रूप से नीतियों का पालन करके*)* के प्रति संवेदनशील होने के अलावा, निजी कंपनियां खरीद के मामलों में आपूर्तिकर्ता विविधता पर भी ध्यान दे सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली फर्मों से आपूर्ति को प्रोत्साहित करके,

आम तौर पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों में इन समुदायों के व्यक्तियों के अधिक अनुपात को रोजगार देने की संभावना है *(*उच्च जाति समूहों के स्वामित्व वाले उद्यमों की तुलना में*)*, एक सक्रिय आपूर्तिकर्ता विविधता कार्यक्रम भी रोजगार को बढ़ावा देगा। *69.* इन सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह समय है कि राज्य और केंद्र सरकार इसकी सीमा और पहुंच के बारे में आंकड़े एकत्र करें।

रोजगार के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा योजनाएं

एस. सी. आर. *15.* प्रवेश में प्रवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, धन बढ़ाना, छात्रवृत्ति के कवरेज की संख्या और विस्तार को बढ़ाना और सभी प्रकार के विशेष संस्थानों की स्थापना करना जो उच्च शिक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

परीक्षण आदि। इसी तरह, निजी क्षेत्र के लिए नवीन रोजगार प्रोत्साहन, विशेष रूप से राज्य या उसके उपकरणों द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों या परियोजनाओं में रोजगार के तरीके की बारीकी से जांच और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इन कल्याणकारी उपायों में उन योजनाओं को कर प्रोत्साहन देना भी शामिल हो सकता है जो एससी, एसटी और एसईबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति और आसान *(*या ब्याज मुक्त*)* ऋण प्रदान करती हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों तक उनकी पहुंच बढ़ सकती है। आज, भले ही कोई अनुसूचित जाति, या एस. ई. बी. सी. उम्मीदवार किसी निजी संस्थान में चिकित्सा सीट के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करता है, वार्षिक शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि ऐसे अधिकांश उम्मीदवारों *(*यहां तक कि वे भी जो सरकार के लिए अयोग्य हैं*)* को बाहर कर देगी।

छात्रवृत्ति, *2,50,000/-* प्रति वर्ष वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा से मामूली रूप से अधिक होने के रूप में*)*। अन्य प्रोत्साहन, जैसे कि सार्वजनिक निविदाओं के उद्देश्य से निजी संस्थाओं का मूल्यांकन करते समय अंक प्रदान करना, और उन्हें उचित अंक या लाभ देना, यदि उनका कार्यबल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या एस. ई. बी. सी. व्यक्तियों के परिभाषित प्रतिशत को नियोजित करता है, आदि भी एक महत्वपूर्ण अंतर लाएंगे।

पुनः बिन्दु संख्या *(2)* क्या महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और इसके लिए सीटों का*)*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां, जैसा कि *2019* में संशोधित किया गया था, जिसमें *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा मराठा समुदाय के लिए *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इंद्र साहनी के मामले में संविधान पीठ द्वारा विचार की गई असाधारण परिस्थितियाँ*?*

70. मैं उपरोक्त दो बिंदुओं पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण के तर्क और निष्कर्षों से सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। रीः बिंदु संख्या *4.* क्या संविधान का अनुच्छेद *342* "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को निरस्त करता है और इस तरह भारत के संविधान की संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है*?* और

बिंदु संख्या *5* क्या अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत "किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति वैसे भी जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v* है।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

भारत के शीर्षक के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342 (*ए*)* के अनुसार*?*

I.Relevant विचाराधीन प्रावधान

71. इसलिए उपरोक्त दोनों संदर्भ बिंदुओं को उनके स्वभाव से एक साथ माना जाना चाहिए। संविधान *(123* वां*)*एन. डी. एम. टी.*)* विधेयक, *2017*, इसके पारित होने के बाद संविधान *(*एक आई. आर. डी. और दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* बन गया; इसे भारत के निवासियों की सहमति मिली और यह *15.08.2018* पर लागू हुआ। संशोधन में अनुच्छेद *338* बी और *342* ए को शामिल किया गया। इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 338 बी. *(1)* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग।

(2) संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य और शर्तें शामिल होंगी।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा और कार्यकाल

इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे होंगे -

जैसा कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य

आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी -

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट।

(4) आयोग के पास अपना विनियमन करने की शक्ति होगी।

प्रक्रिया।

(5) आयोग का कर्तव्य होगा-*(क)* जाँच करना।

और प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करें।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए

इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन मूल्यांकन करना और

इस तरह के सुरक्षा उपायों का काम करना;

(ख) के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना

सामाजिक और सामाजिक रूप से अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करना

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग;

कक्षाएँ और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना संघ और किसी भी राज्य के अधीन;
[2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। उन सुरक्षा उपायों पर काम करना;

(ङ) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा निर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को उनके समक्ष रखेगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो इसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में समझाते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ऐसी कोई भी सिफारिश।

उपखंड *(क)* में निर्दिष्ट या किसी शिकायत की जाँच करना खंड *(5)* के उपखंड *(ख)* में निर्दिष्ट, किसी वाद की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और विशेष रूप से

निम्नलिखित मामले, अर्थात्: *(क)* भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता; *(ग)* शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(घ) किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना।

अदालत या कार्यालय;

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना और दस्तावेज़;

(च) कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा,

तय करें। *(9)* संघ और प्रत्येक राज्य सरकार परामर्श करेगी

सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

" 342 ए. *(1)* राष्ट्रपति किसी भी राज्य के संबंध में या

केंद्र शासित प्रदेश, और जहां यह एक राज्य है, परामर्श के बाद

इसके राज्यपाल के साथ, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो इस संविधान के उद्देश्यों को सामाजिक रूप से माना जाए

या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो। *(2)* संसद कानून द्वारा इसमें शामिल या बहिष्कृत कर सकती है -

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची

खंड *(1)* के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई सामाजिक

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, लेकिन उपरोक्त को छोड़कर

उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा।

72. अनुच्छेद *366 (26* सी*)*, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से परिभाषित करता है।

वार्ड वर्ग भी डाला गया था; इसके लिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

शोरगुलः

' 366. परिभाषाएँ। - इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ

क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ, अर्थात *(1) .....*

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

*(26(*ग*)* "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" का अर्थ है

ऐसे पिछड़े वर्ग जो अनुच्छेद *342* ए के तहत माने जाते हैं

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए; *'[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. वह विधेयक जो संसद में पेश किया गया था जिसके द्वारा

संशोधन पेश किया गया था, जिसमें निम्नानुसार कहा गया थाः

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

2. संविधान *(*अस्सी-नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *2003* के अनुसार,

अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग था

संविधान में एक नया अनुच्छेद *338* ए जोड़कर बनाया गया।

नतीजतन, संविधान के अनुच्छेद *338* के तहत,

संदर्भ के लिए राष्ट्रीय आयोग तक सीमित था अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के अधीन

संविधान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(ए. आई. आर. *1993*, एस. सी. *477)* ने भारत सरकार को निर्देश दिया था मनोरंजन, परीक्षण और मनोरंजन के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करना।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम लागू किया गया था अप्रैल, *1993* में और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग

कक्षाओं का गठन *14* अगस्त, *1993* को उक्त के तहत किया गया था

एक्ट करें। वर्तमान में राष्ट्रीय आयोग के कार्य

पिछड़े वर्ग अनुरोधों की जांच करने तक सीमित है नागरिकों के किसी भी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करना

अति समावेशन या अल्प समावेशन की शिकायतों को सूचीबद्ध करें और सुनें ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के लिए और ऐसी सलाह देने के लिए

केंद्र सरकार जैसा वह उचित समझती है। अब, क्रम में

सामाजिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करना। पिछड़े वर्गों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाने का प्रस्ताव है

संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बराबर का दर्जा

जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने

2014-15 के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े डॉ. की शिकायतें।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के तहत वर्ग दिए जाने चाहिए -

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, अर्थात्: —
(क*)* एक नया अनुच्छेद *338* अंतःस्थापित करना ताकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सके जिसमें -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य। उक्त आयोग सामाजिक और सामाजिक शिकायतों को सुनेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, एक ऐसा कार्य जो अब तक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा किया गया है

अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के तहत जातियाँ; और

(ख*)* एक नया अनुच्छेद *342* क सम्मिलित करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकें जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा।
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "।

II. दलों की दलीलें

इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए" अभिव्यक्ति केवल यह संकेत दे सकती है कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र और एक समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचानने की शक्ति को अस्वीकार कर दिया गया था। नतीजतन, यह केवल एन. सी. बी. सी. की सिफारिश पर है कि अब से किसी भी समुदाय को एस. ई. बी. सी. की सूची में शामिल किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद *342* ए के आधार पर, केंद्र या केंद्र सरकार के पास भी संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत इस प्रकार अधिसूचित सूची में जोड़ें या हटा दें। केवल संसद ही ऐसा संशोधन, विलोपन या परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद *342 (2)* में 'केंद्रीय सूची' शब्द संघ के मामलों के संघ द्वारा प्रकाशित सूची नहीं है। संविधान में जहां भी भारत सरकार या *[2021] 15* एस. सी. आर. का उल्लेख किया गया है, वहां "संघ" शब्द का उपयोग किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार, अर्थात, अनुसूची *VII* के अनुच्छेद *53,73,79,309*, सूची *I*, जबकि 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग हाल ही में कुछ संशोधनों में किया गया है जो मूल रूप से अपनाए गए संविधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार, "केंद्रीय सूची" के संदर्भ का अर्थ अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत अधिसूचित संविधान के उद्देश्य के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में केवल सूची है।

75. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इंद्र में निर्णय

साहनी *(*ऊपर*) "7* में पिछड़े वर्गों जैसे समुदायों या जातियों की पहचान करने के लिए स्थायी आयोगों की स्थापना की आवश्यकता थी ताकि उनकी संबंधित सरकारों द्वारा उनकी अधिसूचना को सक्षम किया जा सके। में।

इस सिफारिश के आलोक में और अनुच्छेद *340* के तहत प्रमुख मौजूदा प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, संसद ने राष्ट्रीय

पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993 (*इसके बाद "एन. सी. बी. सी. अधिनियम")। उस अधिनियम में धारा *2 (*सी) *78* में "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था।

76. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जबकि

संविधान में संशोधन करते हुए, "केंद्रीय सूची" पद का अर्थ था राष्ट्रपति द्वारा परिषद की सहायता और सलाह पर प्रकाशित की जाने वाली सूची। मंत्रीगण, राज्यपालों से परामर्श करने के बाद, यानी राज्य सरकारों की सहायता और सलाह। इस प्रकार, अनुच्छेद *366 (26* सी) और अनुच्छेद *342* ए की सरल भाषा के साथ-साथ अनुच्छेद *338* बी *(7), (8)* और *(9)* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों या राज्य विधानमंडलों द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई शक्ति बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं है। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

77. यह विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वह उद्देश्य जिसने संविधान को प्रेरित किया *(102* दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना के लिए प्रतीत होता है

के संबंध में समान अनुप्रयोग के वैज्ञानिक मानदंड विकसित करना

पिछड़े वर्गों के रूप में समुदायों की पहचान। यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न समुदायों द्वारा राज्य वित्त पोषित संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की बार-बार की जाने वाली मांगों का मतलब है कि राज्य या तो इन मांगों के आगे झुक जाते हैं

77 अनुच्छेद *847,855 (*सी*)* और *859 (13)*-एस. सी. सी. रिपोर्ट।

78 "सूचियों" के रूप में परिभाषित का अर्थ है भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के उद्देश्य से तैयार की गई सूचियाँ। नागरिकों के पिछड़े वर्गों का पक्ष, जो उस सरकार की राय में, भारत सरकार और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

दबाव डालें या तदर्थ मानदंड लागू करें और तदर्थ निकायों की स्थापना करें जो मुद्दों पर निष्पक्ष और समग्र तरीके से विचार नहीं किया या नहीं किया जा सका। विद्वान वकील ने राम सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। वी. भारत संघ *(*ऊपर*) "9* यह कहना कि ऐसे समुदायों द्वारा की गई मांगों के कारण राज्यों ने विशेष आरक्षण प्रदान किया, जो न्यायिक जांच का विषय बन गया।

78. विद्वान वकील ने समावेश के लिए आंदोलनों का भी उल्लेख किया

राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में समुदाय भी बार-बार मुकदमेबाजी का कारण बने। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इन उदाहरणों से बचने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछड़ेपन के लिए प्रासंगिक संकेत पर

विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय मानक संवैधानिक रूप से लागू किया जाए, संविधान में एक संशोधन किया गया था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि राज्यों द्वारा अपनाई गई स्थिति, यानी कि उन्हें कार्यकारी और विधायी शक्ति से वंचित नहीं किया गया था और यह कि संशोधन केवल मौजूदा एन. सी. बी. सी. को अतिरिक्त संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था, निराधार है। यह बताया गया कि संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* के लागू होने से पहले, मूल संविधान के तहत अनुच्छेद *340* मौजूद था। संसद ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए एन. सी. बी. सी. अधिनियम लागू किया। एन. सी. बी. सी. *27* वर्षों से अस्तित्व में था और उसने सर्वेक्षण किए थे और कई की पहचान की थी।

पिछड़े समुदाय। इसके द्वारा प्रकाशित सूचियाँ अस्तित्व में थीं और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक रोजगार सहित अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थीं। निस्संदेह, इसमें शामिल सभी समुदाय नहीं हैं राज्यों की सूचियाँ एन. सी. बी. सी. सूची का हिस्सा थीं। हालाँकि, यह सूची काफी हद तक आम थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि यदि नए आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना है और उसके द्वारा प्रकाशित सूचियों को केवल केंद्र सरकार पर बाध्यकारी बनाया जाना है, तो किसी भी संवैधानिक संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे इतना उच्च स्तर का दर्जा प्राप्त करना है कि इसे केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निश्चित रूप से, केंद्रीय सूची में राज्य का हस्तक्षेप संवैधानिक संशोधन जैसे कठोर उपाय की गारंटी नहीं देता है।

79 " 54. नागरिकों के एक स्व-घोषित सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की धारणा या यहां तक कि "कम भाग्यशाली" की सामाजिक स्थिति के बारे में "उन्नत वर्गों" की धारणा भी संवैधानिक रूप से अनुमेय मानदंड नहीं रह सकती है। संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* दोनों के संदर्भ में पिछड़ेपन। न ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए गणितीय सूत्रों के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया जा सकता है। पिछड़ेपन का निर्धारण भी सापेक्ष नहीं होना चाहिए; संभावित गलत समावेशन आगे के समावेशन का आधार नहीं हो सकते हैं, लेकिन द्वार केवल सबसे अधिक व्यथित लोगों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए खोले जाएंगे। कोई भी अन्य समावेश राज्य के संवैधानिक कर्तव्य का गंभीर त्याग होगा। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

79. श्री शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि हालांकि राज्य सभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट में अंश हैं, संसद ने संशोधन पर चर्चा की थी और कुछ व्यक्तियों के विचारों को ध्यान में रखा था; तथ्य यह है कि यह संशोधित संविधान का पाठ है, जिसकी व्याख्या की जानी है। विद्वान वकील ने त्रावणकोर राज्य-कोचीन बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भरोसा किया। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड; अश्विनी कुमार घोष और अन्र। वी. अरबिंद घोष और पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम। राज्य *3 2.* उन्होंने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम में निर्णय का भी उल्लेख किया। भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड और ए. एन. आर. *3 3.* यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय की सुसंगत राय काली मिर्च *v* में अपनाई गई है। हार्ट, जो विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के समय सदन में दिए गए बयानों को ऐसे विधान के निर्माण में सहायता के रूप में संदर्भित करने की अनुमति देता है जो अस्पष्ट या अस्पष्ट है, न कि किसी अन्य परिस्थिति में। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि एक समान मानक और पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने के बारे में जागरूक व्यक्ति को संविधान के उद्देश्यों के लिए अपनाया और लागू किया जाए। इसका उद्देश्य उस शरारत को

खत्म करना भी था जिसके कारण विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप समुदायों की शुरुआत हुई-जो चुनावों की पूर्व संध्या पर राजनीतिक विचारों से शुरू हुई थी।

83 (1983) 1 एससीआर *1000*। *84 1993 (1)* सभी। ईआर *42.*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* में एक या दूसरी प्रविष्टि के लिए पता लगाने योग्य विधायी शक्तियों के प्रयोग में स्थापित किए गए थे। राज्यों की पूर्ण विधायी शक्ति अपरिवर्तित बनी हुई है। यह है कि इस मामले में, इस न्यायालय को अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि अनुच्छेद *338* बी और *342* ए राज्यों की ऐसी विधायी शक्ति के साथ-साथ कार्यकारी शक्ति के प्रयोग पर बाधा डालते हैं।

81. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को बारीकी से काम करना चाहिए

राज्य सभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट की सामग्री और सरकार द्वारा दिए गए बयानों की जांच करें, विशेष रूप से कि राज्यों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहेगा। यह था।

उन्होंने आगे आग्रह किया कि इस न्यायालय को संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* के पीछे के सही अर्थ और इरादे को समझने के लिए इन रिपोर्टों की सामग्री पर गौर करना चाहिए था और करना चाहिए था, जो मौजूदा विधायी व्यवस्था को बाधित नहीं करना था। केंद्र और राज्य के बीच। इस संबंध में, विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा

कल्पना मेहता और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय। वी. भारत संघ और अन्य "। , और प्रस्तुत किया कि न्यायालय सहायता ले सकता है

वैधानिक प्रावधानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करने और विधान में अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से संसदीय समितियों की रिपोर्ट। *82.* यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है और प्रवर समिति की रिपोर्ट की जांच की जानी है

संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम की व्याख्या में सहायता के रूप में,

2018 , विशेष रूप से अनुच्छेद *342* ए, यह स्पष्ट होगा कि संसद संशोधन का इरादा कभी भी मौजूदा व्यवस्था को बाधित करने और राज्यों को उनकी कार्यकारी या विधायी शक्ति से वंचित करने का नहीं था।

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत विशेष प्रावधान करते हुए वर्ग। यह प्रस्तुत किया गया था कि इंद्र साहनी *(*सुप्रा*)* ने केवल एक बड़ा

संघ और राज्यों द्वारा आयोगों की स्थापना के लिए आंदोलन। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय सूची के उद्देश्य के लिए समुदायों की पहचान करते समय भी राज्यों के विचारों का हमेशा पता लगाया जाता था। संसद ने केवल उस संशोधन को दोहराने की मांग की जिसके द्वारा अनुच्छेद *338 (*अनुसूचित जातियों के संबंध में*)* के तहत डेटा का संग्रह किया गया है। अनुच्छेद *338* बी की शुरूआत अनुच्छेद *338* ए और

338 की शुरूआत के अनुरूप थी-जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना को सक्षम बनाता है *(*बाद वाला एक अन्य संशोधन के माध्यम से जो *19.02.2004* पर लागू किया गया था*)*। *85 (2018) 7* एससीसी *1 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

83. यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद *366 (26* सी*), 338* बी और *342* ए *(1)* को अभिव्यक्ति के आलोक में सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

"केंद्रीय सूची "जो अनुच्छेद *342* ए *(2)* में आती है। यह प्रवर समिति की रिपोर्ट में की गई बहसों और आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए होगा कि राज्यों की शक्तियां अप्रभावित बनी रहेंगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के निर्माण के परिणामस्वरूप संविधान के सभी प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या होगी।

84. विद्वान महान्यायवादी ने इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के आधार पर उपस्थित होते हुए आग्रह किया कि *102* वां संशोधन राज्यों के संबंध में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया है और यह शक्ति राज्यों के पास बनी हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा तुलना, शक्तियों के साथ

अनुच्छेद *338* द्वारा प्रदत्त और अनुच्छेद *341* और अनुच्छेद *342* के तहत राष्ट्रपति की शक्ति अप्रभावी है, क्योंकि वे संविधान के मूल प्रावधान थे, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद *46* के तहत निर्देश सिद्धांत से स्पष्ट रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्यों की जिम्मेदारियां अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत सकारात्मक नीतियों के माध्यम से हैं। इस संतुलन को बदलना, जो संविधान के लागू होने की शुरुआत से मौजूद था, भी है।

कठोर, और *102* वें संशोधन की ओर ले जाने वाली बहसों में, या किसी भी सामग्री में, जैसे कि प्रवर समिति की रिपोर्ट, उस अंत का सुझाव नहीं देती है।

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*इसके बाद "एस. ई. बी. सी"*.)*, और केंद्रीय उद्देश्यों के लिए एक सूची में ऐसे वर्गों को शामिल या बहिष्कृत करने का सुझाव देते हैं। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत सरकारी या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में रोजगार और संघ शिक्षा और अन्य संस्थानों के तहत अन्य लाभों का विस्तार। यदि ऐसी सूची अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत तैयार और प्रकाशित की जाती है, तो इसे संशोधित करने की शक्ति केवल संसद के पास है। यह किसी भी तरह से समुदायों की पहचान करने या उन्हें नागरिकों के पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल करने की राज्यों की शक्ति को बाधित या छीन नहीं लेता है।

राज्य की नीतियों और विधानों के माध्यम से या अनुच्छेद *16 (4)* के तहत राज्य के रोजगार में आरक्षण के माध्यम से वे उन लाभों के उद्देश्यों का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्द नियंत्रक वाक्यांश है, जो इससे पहले आता है

संविधान के अनुच्छेद *366* के तहत विभिन्न शब्दों की परिभाषा। इसलिए, यदि संदर्भ अलग है-जैसा कि अनुच्छेद *342* ए *(2)* से स्पष्ट है, तो उपयोग डी. आर. द्वारा।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

"केंद्रीय सूची" शब्द का, जिसका अर्थ दिया जाना चाहिए, और उस अर्थ पर आधारित व्याख्या पूरे प्रावधान *(*यानी अनुच्छेद *342* ए*)* के निर्माण में प्रबल होनी चाहिए।

86. विद्वान महान्यायवादी ने आगे तर्क दिया कि यह अदालत

इंद्र साहनी में राज्यों की पहचान करने, विशेष प्रावधान करने और आरक्षण देने की शक्ति को विशेष रूप से मान्यता दी गई थी। उन्होंने आग्रह किया कि *102* वां संशोधन राज्यों के इस संवैधानिक दायित्व को सीमित करने के लिए नहीं था, बल्कि केंद्रीय रोजगार और केंद्र द्वारा वित्त पोषित और प्रायोजित योजनाओं, संस्थानों और सुविधाओं के उद्देश्य से नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के तरीके को सुव्यवस्थित करने के लिए था। यह आग्रह किया गया कि यह अनुच्छेद *342* ए *(2)* में "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट है, जिसे अनुच्छेद *342* ए *(1)* में निर्दिष्ट सूची की व्याख्या का मार्गदर्शन करना है।

III. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान

जनजातियाँ, भारत के संविधान में

87. के प्रावधानों की व्याख्या के साथ आगे बढ़ने से पहले

102 वें संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए मौजूद प्रावधानों को संक्षेप में दोहराना उपयोगी होगा। संविधान बनाए जाने से पहले, भारत सरकार अधिनियम, धारा *26* द्वारा एससी *86* को परिभाषित करता था। भारत के जनगणना आयुक्त डॉ. जे. एच. हटन ने दलित वर्गों की एक सूची व्यवस्थित रूप से तैयार की और उस सूची को भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक आदेश का आधार बनाया गया जिसे भारत सरकार *(*अनुसूचित जाति*)* आदेश, *1936* कहा जाता है। इस अदालत ने अपने एक फैसले में देखा कि ऐसी सूची संविधान *(*अनुसूचित जाति*)* आदेश, अनुच्छेद *338* के लिए आधार बन गई, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और राष्ट्रपति को उनके कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। *1990* में यह स्थिति बदल गई और अनुच्छेद *338* के तहत पाँच सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संविधान *(*पैंसठवां*)* संशोधन अधिनियम लागू किया गया। ऑब्जेक्ट्स *88* के बयान में कल्पना की गई थी कि इस तरह का आयोग होगा

86 " अनुसूचित जातियों का अर्थ है ऐसी जातियाँ, वंश या जनजातियाँ या जातियों, जातियों या जनजातियों के भीतर के समूह या समूह, जो जातियाँ, वंश, जनजातियाँ, भाग या समूह हैं, जो परिषद में महामहिम को पहले के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तियों के वर्गों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। " दलित वर्ग ", जैसा कि परिषद में महामहिम निर्दिष्ट कर सकते हैं" *87* सूसाई आदि बनाम भारत संघ *1985* सप्लीमेंट *(3)* एससीआर *242*।

88 उद्देश्यों और कारणों का विवरण, संविधान पैंसठवां संशोधन अधिनियम, *1990 [2021] 15* एस. सी. आर.

"संवैधानिक संबंध में एक अधिक प्रभावी व्यवस्था

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपाय

वर्तमान में एकल विशेष अधिकारी। यह भी महसूस किया जाता है कि

उक्त आयोग के कार्यों को विस्तृत करने के लिए आवश्यक

ताकि उन उपायों को शामिल किया जा सके जो संघ द्वारा किए जाने चाहिए या

और संरक्षण, कल्याण और सामाजिक के लिए अन्य उपाय
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आर्थिक विकास

जनजातियाँ"।

88. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त आयोग को विभाजित किया गया था

एक अन्य संशोधन द्वारा-संविधान *(89* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2003*, जिसमें अनुच्छेद *338* ए जोड़ा गया, विशेष रूप से उपायों पर विचार करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग के निर्माण को सक्षम बनाता है। एसटी में सुधार। अनुच्छेद *338* बी को अब *102* वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया है, जो जारी है।

89. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान

संविधान का सार नीचे दिया गया है:

"अनुच्छेद *366*

366. परिभाषाएँ। - इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ

अन्यथा आवश्यक है, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में है

क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ, अर्थात

(1)

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

(24) "अनुसूचित जातियों का अर्थ है ऐसी जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ।

या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों के रूप में

अनुच्छेद *341* के तहत अनुसूचित जातियाँ मानी जाती हैं

इस संविधान के उद्देश्य;

(25) " अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय

अनुच्छेद *342* के तहत अनुसूचित माने जाने वाले समुदाय
इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जनजातियाँ;

अनुच्छेद *338*

338. [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग*] (1)* वहाँ

अनुसूचित जातियों के लिए एक ज्ञात आयोग होगा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रूप में।

(2) इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

संसद द्वारा, आयोग में एक अध्यक्ष होगा,

उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य और शर्तें-जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा और कार्यकाल ऐसा होगा जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

(4) आयोग के पास अपना विनियमन करने की शक्ति होगी।

प्रक्रिया।

(5) यह आयोग का कर्तव्य होगा -

(क*)* इसके तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना।

संविधान या तत्काल लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत और मूल्यांकन करने के लिए

(घ*)* राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। उन सुरक्षा उपायों पर काम करना;

*(*ङ*)* अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना; और

*(*च*)* अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान, नियम द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को उनके समक्ष रखेगा।

एक ज्ञापन के साथ संसद का प्रत्येक सदन *[2021] 15* एस. सी. आर. पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्या करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ से संबंधित सिफारिशें और इसके कारण

ऐसी किसी भी सिफारिश की अस्वीकृति, यदि कोई हो।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो इसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, के बारे में समझाते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी।

ऐसी कोई भी सिफारिश। *(8)* आयोग, उपखंड *(*क*)* में निर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय या खंड *(5)* के उपखंड *(*ख*)* में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त करेगा और विशेष रूप से

निम्नलिखित मामले, अर्थात्: *(*क*)* भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

*(*ख*)* किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता; *(*ग*)* शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

*(*घ*)* किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना;

*(*ई*)* गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना;

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। जातियाँ "।

102 वें संशोधन अधिनियम से पहले, निम्नलिखित उप-अनुच्छेद अनुच्छेद *338* का हिस्सा थाः

" (10) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ दिए गए हैं जिन पर राष्ट्रपति,

अनुच्छेद *340* के खंड *(1)* के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति, आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी और यह भी माना जाएगा कि इसमें एंग्लो-इंडियन समुदाय के संदर्भ शामिल हैं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

102 वें संशोधन अधिनियम द्वारा, "और ऐसे अन्य शब्दों के लिए

अध्यक्ष के रूप में वार्ड वर्ग, एक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर

अनुच्छेद *340* के खंड *(1)* के तहत नियुक्त मिशन, आदेश द्वारा*fy* "को हटा दिया गया *8 9*। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 338 ए. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। —

अनुसूचित के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है जनजातियाँ।

(2) इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

संसद द्वारा, आयोग में एक अध्यक्ष होगा,

उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य और शर्तें

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा और कार्यकाल

इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे होंगे -

जैसा कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। *(3)* अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य

आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी -

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट। *(4)* आयोग के पास अपना विनियमन करने की शक्ति होगी।

प्रक्रिया।

(5) आयोग का कर्तव्य होगा-*(क)* जाँच करना। और प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करें।

इस संविधान के तहत या अनुसूचित जनजातियों के लिए

तत्काल प्रभाव से या किसी आदेश के तहत कोई अन्य कानून

सरकार का और इस तरह के कार्यों का मूल्यांकन करना

सुरक्षा उपाय;

(ख) के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करना;

(ग) सामाजिक नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना।

संघ के तहत उनके विकास की प्रगति और किसी भी राज्य;

धारा *2* जो इस प्रकार है: "*2.* संविधान के अनुच्छेद *338* में, खंड *(10)* में, ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जो राष्ट्रपति, अनुच्छेद *340* के खंड *(1)* के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार,

निर्दिष्ट करें और "छोड़ दिया जाएगा" भी।

(घ) राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

उन सुरक्षा उपायों पर काम करना; *(ङ)* संघ या किसी राज्य द्वारा प्रभावी उपायों के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिश करना।

उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों का कार्यान्वयन

अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास; और

(च) के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना

राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को एक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।

उस पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्या करना

संघ से संबंधित सिफारिशें और इसके कारण

ऐसी किसी भी सिफारिश की अस्वीकृति, यदि कोई हो।

(7) जहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहाँ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। जो इसे विधानमंडल के समक्ष रखेगा

राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई और राज्य की अस्वीकृति, यदि कोई हो, के कारणों को समझाते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य

उपखंड *(क)* में निर्दिष्ट या किसी शिकायत की जाँच करना खंड *(5)* के उपखंड *(ख)* में निर्दिष्ट, किसी वाद की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और विशेष रूप से

निम्नलिखित मामले, अर्थात्: —

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; *(घ)* किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना; जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना और

दस्तावेज़;

(च) कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा,

तय करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।*]*

अनुच्छेद *341*

341. अनुसूचित जाति-*(1)* राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,

जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करें जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा -

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो,

(2) संसद कानून द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है। खंड *(1)* किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति के भीतर या समूह का हिस्सा, लेकिन उपरोक्त के रूप में उल्लिखित खंड के तहत जारी एक अधिसूचना को छोड़कर किसी भी द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

बाद की अधिसूचना अनुच्छेद *342*

342. अनुसूचित जनजाति-*(1)* राष्ट्रपति के संबंध में -

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,

जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करें जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

यथास्थिति, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में। *(2)* संसद कानून द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है।

खंड *(1)* किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह का हिस्सा, लेकिन उपरोक्त खंड के तहत जारी एक अधिसूचना को छोड़कर किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। *IV.* एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए पिछले आयोगों का गठन

90. इस स्तर पर यह याद रखना उपयोगी होगा कि इंद्र से पहले, *[2021] 15* एस. सी. आर. की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो आयोगों का गठन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करें। ये थे काका कालेलकर आयोग *90* और बी. पी. मंडल आयोग *1*। कालेलकर आयोग ने एक विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट के माध्यम से *2399* पिछड़े समूहों की पहचान की और उनकी प्रगति के लिए कई उपायों की सिफारिश की, जो कदम केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए जा सकते थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट में *3,743* विभिन्न जातियों और समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की पहचान "पिछड़े" के रूप में की गई है।

V. अनुच्छेद *342* ए के समान प्रावधानों की व्याख्या-अर्थात

भारत के संविधान के अनुच्छेद *341* और *342*

91. अनुच्छेद *341* और *342* की व्याख्या करते समय सुसंगत दृष्टिकोण यह रहा है कि संविधान ने शुरू में जो शक्ति प्रदान की है वह है

संशोधन और अनुच्छेद *338* और *338* ए को शामिल करने से दो अलग-अलग आयोगों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान करने के कार्य में सहायता मिलती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने का दावा करने वाले सदस्यों को शामिल करना या उन्हें बाहर करना। इस न्यायालय का विचार रहा है कि एक बार निर्धारण हो जाने के बाद, कोई भी न्यायालय, व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा, या यहां तक कि कार्यपालिका भी अपनी नीतियों के माध्यम से, अन्य समुदायों के सदस्यों को किसी विशेष वर्ग या वर्णित समुदाय के अंतर्गत आने वाले के रूप में शामिल नहीं कर सकता है या यहां तक कि किसी भी तरह से

अनुच्छेद *341* या *342* के तहत निर्धारण की शर्तों का विस्तार नहीं कर सकता है। मौजूदा सूची *(*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की*)* की सामग्री को और शामिल करने या संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है

केवल *[*अनुच्छेद *341 (2)* और अनुच्छेद *342 (2)* के कारण*]* इस स्थिति का निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार पालन किया गया है। इसी तरह,

व्याख्या कि किन समुदायों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह न्यायालय निश्चित रहा है, अर्थात केवल ऐसे वर्ग या समुदाय जो विशेष रूप से एक या दूसरी सूची में आते हैं, जो अनुच्छेद *366 (24)* और अनुच्छेद *366 (25)* के तहत इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति या ऐसे अनुसूचित जनजाति का गठन करते हैं। यह इस न्यायालय के फैसले में भैयालाल बनाम में स्थापित किया गया है। हरिकिशन सिंह *22 "*; बसावलिंगप्पा

बनाम म्यूनिचिन्नाप्पा और किशोरी लाल हंस बनाम। राजा राम सिंह "बीर सिंह बनाम में हाल ही में संविधान पीठ का निर्णय। दिल्ली जल बोर्ड ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से दोहरायाः

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी *1953* में स्थापित।

1 जनवरी, *1979* को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। *92 1965 (2)* एससीआर *877*।

9 4 1972 (3) एससीसी *1.* *95 (2018) 10* एससीसी *312*।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

" 36. उपरोक्त चर्चा का परिणाम हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि अनुसूचित जातियों के संबंध में अनुच्छेद *341* के तहत और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुच्छेद *342* के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में परिवर्तन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय सहित कोई भी प्राधिकारी। यह केवल संसद है जिसे ऐसा करने की शक्ति दी गई है, वह भी बनाए गए कानूनों द्वारा। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में इस प्रकार निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों की सूची का विस्तार/विलोपन संसद को छोड़कर किसी भी प्राधिकरण द्वारा जनजातियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होंगी।

****

अनुछेद *341/342* के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केवल कानूनों द्वारा परिवर्तन के अधीन है। संसद द्वारा बनाई गई, वर्गों या श्रेणियों से परे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का संचालन

अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा निहित सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग करके किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति के आदेश के तहत गणना का स्पष्ट प्रभाव होगा

अनुच्छेद *341/342* में विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान। में।

इस संबंध में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत शक्ति का उपयोग न केवल एक विधायी प्रावधान/अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद *166* के तहत जारी एक कार्यकारी आदेश द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए, यह अनुच्छेद *16 (4)* के तहत उपलब्ध सक्षम प्रावधान को समझने के लिए संवैधानिक योजना के अनुरूप होगा। किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति के आदेशों में गिने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्गों या श्रेणियों को ही आरक्षण प्रदान करना।

उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर और उससे आगे नहीं। यदि किसी राज्य की राय में अनुसूचित जातियों के किसी वर्ग/श्रेणी को आरक्षण का लाभ देना आवश्यक है/*[2021] 15* एस. सी. आर.

उस विशेष राज्य के लिए सूचियों में निर्दिष्ट लोगों से परे अनुसूचित जनजातियों के लिए, संवैधानिक अनुशासन के लिए राज्य को इस मामले में केंद्रीय प्राधिकरण के साथ अपने विचार रखने की आवश्यकता होगी ताकि एक उपयुक्त संसदीय व्यवस्था बनाई जा सके।

उस विशेष राज्य के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन द्वारा किया जाना। संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* की कसौटी पर राज्यों द्वारा एकतरफा कार्रवाई संवैधानिक अराजकता का एक संभावित ट्रिगर बिंदु हो सकता है और इसलिए इसके तहत इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

संविधान। "

VI. एस. ई. बी. सी. के संबंध में संविधान में *102* वें संशोधन से पहले की स्थिति

92. मूल संविधान में अनुच्छेद *341* और *342* के समान कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इसने एस. ई. बी. सी. को परिभाषित नहीं किया। द.

केवल एस. ई. बी. सी. का संदर्भ अनुच्छेद *340* में था, जिसने केंद्र सरकार को नागरिकों के पिछड़े वर्गों की प्रगति और उत्थान के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने में सक्षम बनाया। वह प्रावधान इस प्रकार है:

"340. जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति

पिछड़े वर्गों की स्थितियाँ

भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उन कठिनाइयों की जांच करने के लिए जो वे उचित समझते हैं और उन कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए जो संघ या किसी राज्य द्वारा उन्हें हटाने के लिए उठाए जाने चाहिए।
कठिनाइयाँ और उनकी स्थिति में सुधार करना और संघ या किसी राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे अनुदान दिए जाने चाहिए, और ऐसे आयोग की नियुक्ति का आदेश परिभाषित करेगा।

आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(3) राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति एक ज्ञापन के साथ लाएंगे जिसमें की गई कार्रवाई की व्याख्या की जाएगी।
उस पर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा "

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

93. चंपकम दोराईराजन में इस अदालत के फैसले के बाद

वी. मद्रास राज्य के अनुच्छेद *15* में संशोधन किया गया और अनुच्छेद *15 (4)* पेश किया गया। "नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग" शब्द जोड़ा गया था, जो राज्य को उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े" शब्द को इंद्र साहनी के निर्णय में "पिछड़े वर्ग" शब्द को रंग देने के लिए भी माना गया है-जैसा कि वास्तव में एन. एम. थॉमस *(*उपरोक्त*)* में पहले के निर्णय में था। इस अदालत ने देखा कि नागरिकों के 'पिछड़े वर्ग' को, हालांकि संदर्भ में व्यापक है, सामाजिक पिछड़ेपन से रंग लेना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक पिछड़ेपन भी होता है।

94. इंद्र साहनी ने पैरा *859 (13)* में केंद्र और राज्यों द्वारा आयोगों की स्थापना की वांछनीयता के संबंध में निर्देश जारी किए थे।

राज्य सरकारें, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की स्थिति और पहचान का पता लगाने के लिए, तर्कसंगत मानदंडों का मूल्यांकन और ऐसी सूचियों की समय-समय पर समीक्षा करती हैं। इस निर्देश के अनुसार, संसद ने एन. सी. बी. सी. की शुरुआत की।

अधिनियम, *1993*। इस अधिनियम ने धारा *2 (*सी*)* के तहत 'केंद्रीय सूची' को परिभाषित किया। इस अधिनियम की शर्तों से यह स्पष्ट होता है कि आयोग द्वारा तैयार की गई पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सूचियों की केंद्रीय सरकार से सिफारिश की गई है।

सरकार को अनुच्छेद *16 (4)* के तहत रोजगार में आरक्षण प्रदान करने और आरक्षण और अन्य सुधारात्मक उपायों के लिए होना था, जिन्हें केंद्र सरकार शुरू कर सकती है और इसके तहत लागू कर सकती है।

96 ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *226* *97* एससीसी रिपोर्ट।

9 8 महाराष्ट्र एस. सी. बी. सी. अधिनियम, *2006* ऐसी ही एक संस्था है। अन्य हैं कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, *1995;* ए. पी. पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1995;* उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1996;* केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* मध्य प्रदेश राज्य आयोग पिछड़ा वर्गअधीनियम, *1995;* बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, *1995;* बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा

वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* असम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

पिछड़ा वर्ग अधिनियम, *1993;* पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993;* जम्मू-कश्मीर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1997;* छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम, *1993* और तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993*।

इन प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण-जिसे *102* वें संशोधन के रूप में संदर्भित किया गया है-उन प्रावधानों को शामिल करने के लिए किसी भी ठोस उद्देश्य का संकेत नहीं देता है, सिवाय इस सामान्य टिप्पणी के कि संसद एस. ई. बी. सी. के निर्धारण के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहती है।

VII. संविधान का *123* वां संशोधन विधेयक, *102* वां

संशोधन अधिनियम और संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

पेश किया गया। इसका एक संक्षिप्त उल्लेख अब किया जा सकता है। द. परिचय *(*दिनांकित रिपोर्ट *(*जुलाई *2017)* से पता चला कि चयन समिति द्वारा कुल सात बैठकें आयोजित की गईं। समिति में *25* सदस्य थे, जिसमें *7* अधिकारियों का एक सचिवालय था। इसने सामाजिक न्याय मंत्रालय के तीन प्रतिनिधियों, कानूनी मामलों के विभाग के दो और विधायी विभाग के तीन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयानों पर ध्यान दिया।

97. रिपोर्ट में अनुच्छेद *338* में संशोधन सहित *123* वें संशोधन विधेयक को पेश करने की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद *338* बी का परिचय। इसमें अनुच्छेद *340* के तहत स्थापित पिछड़े वर्ग आयोगों के इतिहास, कार्यालय ज्ञापन, जिसके कारण इंद्र साहनी में निर्णय हुआ, के साथ-साथ आयोगों की स्थापना के संबंध में उस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पता लगाया गया है। यह आगे उन्होंने मौजूदा कानूनी व्यवस्था यानी एन. सी. बी. सी. अधिनियम का उल्लेख किया और कहा कि कई विशेषज्ञों ने महसूस किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट के पैरा *20* में, यह उल्लेख किया गया था कि पांचवीं परामर्श बैठक में, सदस्यों ने यह चिंता जताई थी कि क्या अनुच्छेद *342* ए *(1)* राज्य परामर्श को बाहर कर देगा। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

"18. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि की शक्तियाँ और कार्य

राज्य सूची में वर्गों की पहचान, बहिष्कार और समावेश के संबंध में राज्य सरकार और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, राज्यपाल के साथ परामर्श की प्रक्रिया होनी चाहिए।
विधेयक में भी स्पष्ट किया जाए।

आर. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

19. उपरोक्त मुद्दों के जवाब में मंत्रालय ने

स्पष्ट किया कि अनुच्छेद *338* ख का उपखंड *(9)* किसी में नहीं है।

राज्य सरकारों की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का तरीका

अपनी खुद की सूची तैयार करें। समिति को आगे सूचित किया गया

कि राज्य पिछड़े वर्गों की सूची में इस प्रकार शामिल वर्ग

स्वचालित रूप से ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में नहीं आते हैं।

20. इसकी पांचवीं बैठक में प्रतिनिधियों/सदस्यों ने एक

अनुच्छेद *342* ए के खंड *(1)* के बारे में चिंता, क्या सूची

राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद जारी किया जाएगा

राज्य सरकार या केवल राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श

राज्य। मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद *154* के खंड *(1)* और संविधान के अनुच्छेद *163* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संविधान के तहत

उपबंध, राज्यपाल या तो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य के अधिकारियों के माध्यम से

सरकार। संविधान के अनुच्छेद *341* में प्रावधान है -

अनुसूचित जाति के संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श

जाति और संविधान का अनुच्छेद *342* प्रदान करता है

के संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति का परामर्श

अनुसूचित जनजातियाँ। जैसा कि प्रथा है, किसी भी समय राज्य सरकार को परामर्श प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है। यह है। हमेशा राज्य सरकार जो सिफारिश करती है

राष्ट्रपति को समावेशन/बहिष्करण की श्रेणी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसी तरह का प्रावधान है

संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के मामले में प्रावधान किया गया

पिछड़े वर्गों को सामाजिक रूप से केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए

राज्यपाल का तात्पर्य इस प्रकार राज्य के साथ परामर्श करना है। सरकार "।

98. विधेयक पर अपने खंड-दर-खंड विचार में समिति ने एक नए आयोग के गठन के संबंध में आशंका व्यक्त कीअनुच्छेद *340* के तहत इसे बनाने के बजाय अनुच्छेद *342* बी। इस संदर्भ में, एक अधिसूचना जारी की गई थी कि अनुच्छेद *340* ने काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग जैसे तदर्थ आयोगों की स्थापना को सक्षम बनाया, क्योंकि अनुच्छेद *338* बी ने कई आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी।

nber स्थायी शरीर। रिपोर्ट के पारस *31-34* ने चर्चा की अनुच्छेद *338* बी *[2021] 15* एस. सी. आर. के तहत आयोग की संरचना का विस्तार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह भी कि क्या एन. सी. बी. सी. अधिनियम निरस्त किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पैरा *47* यह उस संशोधन के बारे में चर्चा को दर्शाता है जिसके द्वारा अनुच्छेद *338* बी में नए उप अनुच्छेद *10* का प्रस्ताव किया गया था। वह इस प्रकार है:

'खंड *9* में कुछ भी प्रावधान किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार के पास सामाजिक रूप से पहचान करने की शक्तियां बनी रहेंगी।
और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग '।

99. समिति संबंधित मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में जारी स्पष्टीकरण से रिपोर्ट में संतुष्ट थी:

"*48.* यह सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया था और
समिति को यह अधिकार देना कि प्रस्तावित संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य पिछड़े वर्गों की मौजूदा शक्तियाँ

पारित होने के बाद भी आयोग बना रहेगा।

संविधान का *(*एक सौ तेइसवां*)*

संशोधन*)* विधेयक*, 2017*। "

100. पैरा *50-53 (*रिपोर्ट का*)* अनुच्छेद *342* ए में संशोधन के प्रस्तावों को निर्धारित करता है जो इसे आरक्षण के लिए प्रावधान करने तक सीमित करता है। भारत सरकार या उसके अधीन नियुक्तियाँ या पद

भारत सरकार का अधिकार और अनुच्छेद *342* ए *(2)* में परिणामी संशोधन। इसके अलावा, एक प्रस्तावित अनुच्छेद *342* ए *(3)* ने राज्य सरकार को सशक्त बनाने की मांग की-यानी राज्यपाल जो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्य के तहत या राज्य के किसी भी प्राधिकरण के तहत पदों के आरक्षण के उद्देश्यों के लिए

एसईबीसी को निर्दिष्ट कर सकता है। एक समान संशोधन प्रस्तावित किया गया था, अर्थात, अनुच्छेद *342* ए *(4)* किः

"राज्यपाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर राज्य की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है -

में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

खंड *(3)* के तहत जारी अधिसूचना।

101. जिन अन्य संशोधनों पर चर्चा की गई उनमें सबसे पहले अनुच्छेद *342* ए *(1)* था कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति

"राज्य सरकार की पूर्व अनुशंसा के साथ, ऐसी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए", और डी. आर. शामिल कर सकते हैं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

दूसरा, अनुच्छेद *342* ए *(3)* और *(4)* को राज्य को सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने में सक्षम बनाने के लिए- जैसे कि अनुच्छेद *342* ए *(1)* के मामले में और प्रस्तावित अनुच्छेद *342* ए *(4)* के माध्यम से केवल विधान के माध्यम से इसके परिणामी संशोधन के लिए।

102. अनुच्छेद *338* बी के तहत आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के संबंध में अन्य संशोधन,

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह के आधार पर राज्यपाल के साथ परामर्श करना और अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत सूची का संशोधन केवल अनुच्छेद *338* ए और *338* बी के तहत आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून के माध्यम से किया जाना और

दस साल की अवधि में सूची को अनिवार्य और संशोधित करने का भी सुझाव दिया गया था।

103. समिति की रिपोर्ट में इन सभी पर विधिवत विचार किया गया था और निम्नानुसार स्वीकार नहीं किया गया थाः

"*54.* मंत्रालय ने पेश किए गए संशोधनों पर स्पष्ट किया कि

प्रस्तावित सूचियों का समयबद्ध दशकीय संशोधन
कमीशन एक सतत प्रक्रिया है। हालाँकि, आयोग को अधिकार से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

55. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस राज्य के तहत या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के तहत या राज्य के नियंत्रण में पदों के आरक्षण का पहलू या उस राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में सीटें तत्काल विधेयक के दायरे से बाहर थीं और इसलिए प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति नहीं है।

56. मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद *154* के खंड *(1)* और अनुच्छेद *163* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। यह सूचित किया गया कि उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल या तो सीधे या सीधे अपने अधिकार का प्रयोग करेगा।
अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। संविधान के अनुच्छेद *341* में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने का प्रावधान है।

जाति और संविधान का अनुच्छेद *342* प्रदान करता है

राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श
अनुसूचित जनजातियों का। जैसा कि प्रथा है कि किसी भी समय राज्य सरकार को परामर्श प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है।

यह हमेशा राज्य सरकार होती है जो

राष्ट्रपति को समावेशन की श्रेणी की सिफारिश करता है /

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बहिष्करण। प्रदान करने के मामले में इसी तरह का प्रावधान किया गया है

एस. ई. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा। इस प्रकार राज्यपाल के साथ परामर्श

इसका अर्थ है राज्य सरकार के साथ परामर्श करना। *57.* मंत्रालय ने समिति को यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद *342* ए के खंड *(1)* के तहत "इस संविधान के उद्देश्य के लिए" वाक्यांश संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के समान है। प्रस्तावित आयोग की स्थापना सामाजिक और सामाजिक हित के लिए प्रतिगामी नहीं होगी।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद *342* ए केंद्रीय सूची से समावेशन/बहिष्कार के प्रत्येक मामले की व्यापक जांच का प्रावधान करेगा। इस तरह के समावेशन/बहिष्कार के लिए अंतिम शक्ति संसद के पास निहित होगी।

58. समिति ने प्रस्तावित पर चर्चा की संशोधन और विस्तृत व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत समिति ने बिना किसी संशोधन के विधेयक के खंड *4* को अपनाया।

104. अनुच्छेद *366* में संशोधन से संबंधित धारा निम्न है।

" खंड *5:* अनुच्छेद *366* में संशोधन का प्रावधान है।

59. इस खंड में लेख में एक नया खंड *(26* सी*)* डालने का प्रस्ताव है।

366 जो नीचे लिखा है:

" *(26(*ग*)* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो अनुच्छेद *342* क के तहत इस प्रकार माने जाते हैं।

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए;

***

105. प्रवर समिति की रिपोर्ट में कुछ समापन टिप्पणियाँ की गईं, जिनके एक हिस्से में कहा गया था कि:

" *66.* समिति को लगता है कि संवैधानिक संशोधन

इस विधेयक में प्रस्तावित सकारात्मक को और मजबूत करेगा।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े डॉ. के पक्ष में कार्रवाई।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

वर्गों के साथ-साथ सहकारी की अवधारणा को और बढ़ावा देना

केंद्र और राज्यों के बीच संघवाद।

67. समिति का मानना है कि संशोधन किसी भी तरह से राज्य की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करते हैं

पिछड़े वर्ग आयोग और वे राज्य सूची के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने/बहिष्कृत करने की अपनी शक्तियों का निर्बाध प्रयोग करना जारी रखेंगे।

68. समिति ने आयोग की संरचना के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी ध्यान दिया और मंत्रालय पर यह प्रभाव डालना चाहेगी कि सदस्यों की चिंताओं को दूर करते समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बनाए गए नियमों पर विचार किया जाए। समिति का विचार है कि प्रस्तावित आयोग की संरचना और उसके अध्यक्ष के चयन के लिए नियम तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए

पिछड़े वर्ग। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि कम से कम एक महिला सदस्य आयोग का हिस्सा हो।

69. समिति को उम्मीद है कि यह विधेयक सामाजिक और शैक्षिक रूप से लोगों के कल्याण के लिए प्रभावी और कुशल वितरण तंत्र स्थापित करके एक बड़ा बदलाव लाएगा

पिछड़े वर्ग।

VIII विधियों की व्याख्या के लिए बाहरी सहायकः जिस हद तक उन पर भरोसा किया जा सकता है

106. दलों ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ संशोधन या अधिनियमित कानून को पेश करने के समय संसद में बहस के आलोक में क़ानून के शब्दों की व्याख्या के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। अपीलकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि इस तरह की बहस केवल अस्पष्टता के मामले में बाहरी सहायता के रूप में सीमित सहायता की है और त्रावणकोर राज्य-कोचीन बनाम से शुरू होने वाले निर्णयों की एक पंक्ति पर भरोसा किया है। बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी *(*सुप्रा*)* और पी. वी. नरसिम्हा राव *(*सुप्रा*)* में समाप्त होता है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्यों ने कल्पना मेहता *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय के वृहद पीठ के फैसले का संकेत दिया, जिसमें दृढ़ता से कहा गया था कि स्थायी *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति की रिपोर्ट और सदन के पटल पर दिए गए बयान किसी क़ानून या यहां तक कि संविधान की स्पष्ट शर्तों पर विचार करने और उनकी व्याख्या करने के लिए सीमित बाहरी सहायक हो सकते हैं।

107. वर्तमान मामले में, उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस बात पर अधिक प्रकाश नहीं डालता है कि *102* वें संशोधन के प्रावधान क्यों हैं।

समिति की रिपोर्ट इस तथ्य का संकेत देती है कि नए जोड़े गए अनुच्छेद *338* बी और *342* ए के माध्यम से बनाई गई पहचान की शक्ति किसी भी तरह से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों या आरक्षण के संबंध में अपना काम जारी रखने की राज्य की शक्तियों को बाधित नहीं करेगी। *(*उचित उपायों के माध्यम से, चाहे वह विधायी हो या कार्यकारी*)*। रिपोर्ट के समग्र अध्ययन से यह भी पता चलता है कि चयन समिति ने प्रतिबिंबित किया

दोनों दृष्टिकोण और मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज किया कि राज्य की शक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा। साथ ही, अंत में, यह दृढ़ता से कहा गया कि राज्यों की चिंताओं को उचित ध्यान दिया जाएगा और यह अभ्यास निम्नलिखित के अनुरूप होगाः

अनुच्छेद *341* और *342.99* के तहत मौजूदा प्रक्रिया रिपोर्ट में असहमति के नोट भी शामिल हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संशोधन राज्यों को एस. ई. बी. सी. के लाभ के लिए आरक्षण और अन्य विशेष प्रावधानों की पहचान करने और प्रदान करने की उनकी मौजूदा शक्ति से वंचित कर देंगे।

108. इस प्रस्ताव के साथ असहमति नहीं हो सकती है कि

जहां कानून के प्रावधान या उसके शब्द अस्पष्ट हैं,

पहला प्रयास क़ानून में ही आंतरिक सहायता के माध्यम से अर्थ खोजने का होना चाहिए। ऐसा न करने पर, अदालत के लिए यह खुला है कि वह बाहरी सहायता, जिसमें उद्देश्यों और कारणों के बयान, साथ ही संसदीय

रिपोर्ट या संसद में बहस शामिल हैं, की ओर रुख करके अर्थ का पता लगाए और अस्पष्टता का समाधान करे। इस न्यायालय के लिए, यह प्रतीत होता है कि *102* वें संशोधन के प्रावधानों की व्याख्या करने का कार्य बाहरी सहायता जैसे कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण *(*जो व्यावहारिक रूप से प्रावधानों के अर्थ पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं*)*, या यहां तक कि प्रवर समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करने से शुरू नहीं होता है। व्याख्या का कार्य सबसे पहले समग्र योजना पर विचार करना है।

प्रावधानों का, और दूसरा, प्रावधान पर विचार करने के बाद, किसी भी कथित अस्पष्टता को हल करने के लिए, यदि पाया जाता है, तो सहायता का सहारा लेकर आगे बढ़ें।

99 " 57. मंत्रालय ने समिति को यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद *342* ए के खंड *(1)* के तहत "इस संविधान के उद्देश्य के लिए" वाक्यांश संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के समान है। प्रस्तावित आयोग की स्थापना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित के लिए प्रतिगामी नहीं होगी। अनुच्छेद *342* ए केंद्रीय सूची से समावेशन/बहिष्कार के प्रत्येक मामले की व्यापक जांच का प्रावधान करेगा। इस तरह के समावेश/बहिष्कार के लिए अंतिम शक्ति संसद के पास निहित होगी। डॉ.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

कानून। यह तीसरे चरण में है, जब इस तरह का समाधान असंभव है, तो बाहरी सहायता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में, यह न्यायालय, कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ *1 00*

संविधान की व्याख्या करने के न्यायालय के कार्य को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित सावधानी बरतीः

"राष्ट्र की गतिशील आवश्यकताएँ, जिन्हें एक संविधान को पूरा करना चाहिए, केवल पांडित्यपूर्ण बालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं-शब्दों या शब्दार्थ के साथ खेल। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय न्यायिक की आड़ में कार्य कर रहे हैं।

शक्ति, जो निश्चित रूप से बनाने के लिए भी फैली हुई है
संविधान, इस अर्थ में कि वे इसके उन हिस्सों में इसका पूरक हो सकते हैं जहां संविधान का पत्र मौन है या सामान्य विधान या न्यायिक व्याख्या द्वारा इसके विकास के लिए जगह छोड़ सकता है, वास्तव में संविधान के किसी भी हिस्से के उचित रूप से स्पष्ट अर्थ को रद्द, पराजित या विकृत कर सकता है ताकि संविधान की व्यापक या बुनियादी योजना के बारे में अपने स्वयं के कुछ सिद्धांतों को अभिव्यक्ति दी जा सके। संविधान के पीछे का सिद्धांत जिसे व्याख्या के उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जा सकता है, यहां तक कि संविधान के पत्र में कुछ जानबूझकर अस्पष्टता या अनिश्चितता के कारण "अंतराल" या रिक्त स्थानों को भरने के लिए, स्वयं संविधान के स्पष्ट प्रावधानों से एकत्र किया जाना चाहिए। उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की संदिग्धता को न्यायालय द्वारा संविधान निर्माताओं द्वारा अपने सामने रखे गए व्यापक और बुनियादी उद्देश्यों के आलोक में यदि आवश्यक हो तो उनके अर्थों को स्पष्ट और निश्चित करके ठीक किया जा सकता है। और, ये अर्थ, उन उद्देश्यों या उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र के संविधान को पूरा करना चाहिए, समय की बदलती आवश्यकताओं के साथ बदल सकते हैं। न्यायिक व्याख्या की शक्ति, भले ही इसमें वह शामिल हो जिसे "अंतरालीय" कानून बनाना कहा जा सकता है, इसके स्पष्ट प्रावधानों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष तक नहीं बढ़ सकती है।

संविधान या उन्हें अस्तित्व से बाहर करने के लिए।

109. इस न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य, एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते हुए *(*वर्तमान मामले में, संविधान में एक संशोधन, कम नहीं*)* इस प्रकार, जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में रेखांकित किया गया था। आयकर अधिकारी *1 1*

100 1978 (2) एससीआर *1.* *101 (2011) 4* एससीसी *36.*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 37. संविधान सहित किसी भी कानून की व्याख्या करने में, विचाराधीन प्रावधान का पाठ उन अर्थों को समझने का प्राथमिक स्रोत होगा जो संविधान में निहित हैं।

अधिनियमन। हालाँकि, गंभीर मुद्दों के आलोक में, संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, इसके सही अर्थ, उद्देश्य और दायरे की खोज को व्यापक बनाना हमेशा विवेकपूर्ण होगा।

विचाराधीन प्रावधान। संविधान का कोई प्रावधान, और वास्तव में कोई शब्द या अभिव्यक्ति, अलग से मौजूद नहीं है, वे आवश्यक रूप से संविधान के अन्य प्रावधानों, शब्दों और वाक्यांशों से संबंधित, परिवर्तित और बदले में परिवर्तित हो रहे हैं।

संविधान।

38. हमारा संविधान लंबा और अर्थों, उद्देश्यों और संरचनाओं का एक जटिल मैट्रिक्स भी है। यह केवल विचाराधीन किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान का पता लगाकर किया जाता है।

कि संवैधानिक मैट्रिक्स कोई भी इसके सही अर्थ, उद्देश्य और दायरे को समझने में सक्षम होने की उम्मीद कर सकता है। प्रो. लॉरेंस जनजाति

इंगित करते हैं:

" [संविधान को एक कानूनी पाठ के रूप में समझने के लिए, यह पहचानना आवश्यक है कि यह किस प्रकार का पाठ है: एक संवैधानिक पाठ जो

इसका उद्देश्य लोगों के नाम पर कई विशिष्ट लेकिन अंतर-संबंधित संस्थानों और प्रथाओं को स्थापित करना है।

एक साथ कानूनी और राजनीतिक, और उन संस्थानों और प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को परिभाषित करना। *(* संवैधानिक व्याख्या में मुक्त प्रपत्र विधि पर विचार देखें। *[108* हार्व एल रेव *1221,1235 (1995)) "*।

39. इस न्यायालय द्वारा बार-बार इस बात की सराहना की गई है कि हमारा संविधान सबसे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संविधानों में से एक है, जिसमें हमारे निर्माताओं के विशाल अनुभव, विशेषज्ञता और ज्ञान के भीतर हर स्थिति पर विचार किया गया, विचार-विमर्श किया गया और राज्य के अंगों को अपनी भूमिकाओं

का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त विशेषताओं और पाठ का चयन किया गया। जबकि वास्तव में गतिशील व्याख्या आवश्यक है, यदि

परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक अर्थ हो सकता है

पाठ में ही पाया जाता है कि पाठ के जितना संभव हो सके उतना करीब से चलने से, साधारण अर्थ को इकट्ठा करके, और पूरे दस्तावेज़ में अपनी दृष्टि और समझ को व्यापक रूप से यह देखने के लिए कि क्या वह अर्थ संवैधानिक मूल्यों और योजना द्वारा मान्य है, हमारी हमेशा बेहतर सेवा होगी।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संविधान के प्रावधानों की जांच करते समय अदालतों को इसे अपनाना चाहिए

प्राथमिक नियम, और अभिव्यक्तियों के सादे अर्थ को प्रभावी बनाते हैं; इस नियम को केवल अस्पष्टता होने पर ही छोड़ा जा सकता है। कुलदिप में

भारत *102*

नायर वी। संघ

से

इसके बाद

उद्धृत करते हुए

से

जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम *103* इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि

"201. ..... हम उपरोक्त में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन और दोहराते हैं।

फैसले का अनुच्छेद उद्धृत किया गया। यह वांछित हो सकता है कि

संविधान को एक व्यापक और उदार निर्माण दें

प्रावधान, लेकिन ऐसा करते समय "सादा अर्थ" का नियम या

"शाब्दिक "व्याख्या, जो" प्राथमिक नियम "बनी हुई है,

निर्माण "सुरक्षित नियम है जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा नहीं है विरोधाभासी, अस्पष्ट, या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है।

110. न्यायालय के कार्य से निपटने के दौरान, और अनुमेय सीमा

जिसके लिए वह एक क़ानून के निर्माण के लिए आंतरिक और बाहरी सहायता का सहारा ले सकता है, इस अदालत ने पुष्प देवी बनाम में टिप्पणी की। मिलखी राम *1 04* वहः

"18. यह सच है जब एक शब्द में परिभाषित किया गया है

जहाँ भी उस शब्द का उपयोग क़ानून के मुख्य भाग में किया जाता है जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता अन्यथा है। "संदर्भ "जैसा कि बताया गया है

क्रॉस-स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन *(*दूसरा संस्करण*)* पुस्तक में। *48)*

"यह आंतरिक और बाहरी दोनों है। आंतरिक संदर्भ की आवश्यकता है

खंड के भीतर विवादित शब्दों को स्थापित करने के लिए दुभाषिया जिनका वे हिस्सा हैं और शेष अधिनियम के संबंध में हैं।

बाहरी संदर्भ में से अर्थ निर्धारित करना शामिल है

सामान्य भाषाई उपयोग *(*किसी भी विशेष तकनीकी सहित*)*

अर्थ*)*, जिसके लिए प्रावधान किया गया था

पारित किया, और सामान्य के भीतर प्रावधानों के स्थान से

वैधानिक और सामान्य कानून नियमों और सिद्धांतों की योजना।

19. खंड की परिभाषा में प्रारंभिक वाक्य में कहा गया है

"जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो।

इस योग्यता को ध्यान में रखते हुए, अदालत को न केवल देखना है शब्द लेकिन संदर्भ और संयोजन की जांच करने के लिए भी

अधिनियम के उद्देश्य का प्रकाश और वह उद्देश्य जिसके लिए

विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया था।

103 (1972) 3 एससीसी *717*। *104 (1990) 2* एससीसी *134*।

111. फिर से, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम में। वी. एन. सिमाहैया *1 05* यह देखा गया था किः

"42. कानून की व्याख्या इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि

आकस्मिकता। इसकी व्याख्या स्वयं करनी होगी। यह एक तुच्छ कानून है कि अदालत आम तौर पर शाब्दिक व्याख्या के सुनहरे नियम का सहारा लेगी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम विधायी मसौदे में किसी दोष से निपट रहे हैं। हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। एक ऐसे मामले में जहां एक अदालत को वसूली के अधिकार और एक अधिकार के संरक्षण के बीच वजन करना पड़ता है, यह भी झुक जाएगा।

उस व्यक्ति के पक्ष में जो उससे वंचित होने वाला है। यह दूसरी तरह से नहीं होगा। केवल इसलिए कि इसके लिए एक त्वरित उपाय प्रदान किया गया है, *(*एस. आई. सी.*)* इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाया जाना चाहिए, हालांकि क़ानून ऐसा नहीं कहता है। अधिनियम का उद्देश्य व्याख्या के लिए एक प्रासंगिक कारक तभी होगा जब भाषा स्पष्ट न हो और जब दो अर्थ संभव हों, न कि ऐसे मामले में जहां साधारण भाषा केवल एक ही अर्थ की ओर ले जाती है।

निष्कर्ष "।

112. एक अन्य हालिया निर्णय में, लॉरेल एनर्जेटिक्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारतीय विनिमय बोर्ड *1 06* इस न्यायालय ने कहा किः

" 24. उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य *[*उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी *(*पी*)* लिमिटेड *v.* उड़ीसा राज्य, *1987* सप एस. सी. सी. *751]*, इसी तरह के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया थाः *(* एससीसी पीपी। *757-58* , पैरा *11-12)*

'11 . दूसरा, वैधानिक अधिसूचना की वैधता को केवल विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण के आधार पर नहीं आंका जा सकता है। न ही समय-समय पर अपनाई जाने वाली सरकारी नीति द्वारा इसका परीक्षण किया जा सका। सरकार की कार्यकारी नीति, या अधिनियम या अध्यादेश के उद्देश्यों और कारणों का विवरण उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। कानून में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। कामगार *[*सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। कामगार, ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *12]* एस. के. दास, जे. ने कहाः

(एयर पी। *21*, पैरा *12)*

'12 . ..... हालाँकि, धारा के अर्थ के लिए उद्देश्यों और कारणों का कथन स्वीकार्य नहीं है; यह बहुत कम नियंत्रित कर सकता है।

उपयोग किए गए वास्तविक शब्द "।

08) 5 एससीसी *176*।

17) 8 एस. सी. सी. *541* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

12. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. भारत संघ *[*राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1241]*, सिन्हा, सी. जे. ने कहाः *(* एयर पी।

1247 , पैरा *13)*

'13 . ..... हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वस्तुओं का कथन

और किसी विधेयक के साथ आने वाले कारण, जब इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं

संसद का उपयोग सही अर्थ निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है

और कानून के मूल प्रावधानों का प्रभाव। उनका उपयोग कानून की पृष्ठभूमि और पूर्ववर्ती स्थिति को समझने के सीमित उद्देश्य के अलावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस कथन का उपयोग अधिनियम के निर्माण में सहायता के रूप में या यह दिखाने के लिए नहीं कर सकते हैं कि विधायिका का इरादा स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने का नहीं था।

राज्य या किसी भी तरह से राज्य सरकारों के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए

खनिजों के मालिक। संसद द्वारा पारित एक क़ानून है -

विधायिका के सामूहिक इरादे की अभिव्यक्ति पूर्ण, और किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान, यद्यपि

में प्रयुक्त शब्दों की व्यापकता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है कानून "।

***

25. हमारे सामने तथ्यात्मक परिदृश्य में, ध्यान में रखते हुए

उपरोक्त निर्णय का अर्थ लगाना संभव नहीं है इसके उद्देश्य के प्रकाश में विनियमन, जब उपयोग किए गए शब्द हैं

साफ है। कानून का यह कथन निश्चित रूप से कुएँ के साथ है। ज्ञात चेतावनी कि किसी प्रावधान का उद्देश्य निश्चित रूप से कानूनों और अधीनस्थ विधान की व्याख्या के लिए एक बाहरी सहायता के रूप में उपयोग किया जा सकता है जहां शब्दों में अस्पष्टता है।

इस्तेमाल किया गया "।

113. यू. के. में स्थिति यह है कि एक प्रवर समिति की रिपोर्ट को एक अधिनियम के निर्माण की पृष्ठभूमि माना जाए; हालाँकि,

रिपोर्टों को किसी भी प्रकार की व्याख्या के साथ निवेश नहीं किया जा सकता था।

ओरीटी। *107* आर. *(*बाइआई*)* बनाम। गृह सचिव, *108* ने मानवाधिकारों पर संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट पर विचार किया। अनुकूलता और कानून के अन्य मामलों पर निट्टी की राय थीरयानएयर लिमिटेड बनाम एच. एम. राजस्व और सीमा शुल्क *[2014]* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल। *410 . 06]* ईडब्ल्यूएचसी *823 (*प्रशासन*)*।

हालाँकि, उनका प्रेरक मूल्य माना जाता है, उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठित अकादमिक लेखकों के विचारों से अधिक उनका कोई महत्व नहीं हो सकता है। *109*

IX संविधान की व्याख्या, परिभाषा खंड

अनुच्छेद *366* और संविधान में संशोधन

114. न्यायालय को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी होती है, इस मामले में, एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया। उचित विधि

इस तरह के संशोधन की व्याख्या का संकेत पांच न्यायाधीशों की पीठ ने किहोतो होलोहन बनाम में दिया था। *Zachillhu "1 0,* जहाँ यह माना गया था किः

"26. मौलिक कानून की प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए,

संविधान को एक तार्किक समग्र के रूप में माना जाना चाहिए। वेस्टल

संयुक्त राष्ट्र के संवैधानिक कानून में वुडबरी विलोबी

स्टेट्स *(*दूसरा संस्करण, खंड। *1,* पृ. *65)* कहता हैः

"संविधान एक तार्किक समग्र है, जिसका प्रत्येक प्रावधान इसका एक अभिन्न अंग है, और इसलिए, तार्किक रूप से उचित है, और वास्तव में अनिवार्य है, कि एक भाग का अर्थ संविधान के संदर्भ में किया जाए।

अन्य भागों के प्रावधान।

***

"28. संवैधानिक संशोधन की वैधता पर विचार करने में

बदलती और बदली हुई परिस्थितियाँ जो मजबूर करती हैं

संशोधन महत्वपूर्ण मानदंड हैं। की टिप्पणियाँ

मैक्सवेल बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। डाउ *[176* यू. एस. *581: 44* एल एड *597,605 (1899)]* उल्लेखनीय हैंः *(* एल एड पी। *605)*

..... ज्ञात के संबंध में अपनी भाषा पढ़ने के लिए

ऐसे मामलों की शर्त जिसमें से इसे अपनाने का अवसर उत्पन्न हुआ हो, और फिर यदि इसमें कोई संदिग्ध अभिव्यक्ति है, तो इसका अर्थ इस तरह से लगाया जाए जहां तक उचित हो।

संभव है, ज्ञात उद्देश्य या उद्देश्य को आगे बढ़ाना जिसके लिए

संशोधन को स्वीकार कर लिया गया।

115. इन सिद्धांतों को याद करते हुए, यह न्यायालय पहली परिस्थिति के प्रति सचेत है कि *102* वां संशोधन पूरी तरह से एक नई स्थिति लेकर आया था।

आयाम-पिछड़े वर्गों की पहचान करने का प्रयास, सबसे पहले अनुच्छेद *366* के तहत परिभाषा खंड में उप-अनुच्छेद *(26* सी*)* को शामिल करके। यह सम्मिलन, अदालत की राय में, वैधानिक योजना के अनुरूप है। *109* वैधानिक व्याख्या पर क्रेज़, ग्यारहवां संस्करण *(*स्वीट एंड मैक्सवेल*) 2017* अध्याय भी देखें। *27* @ पैरा *27.1.13*। *1* , पृष्ठ *952*

110 1992 पूरक *(2)* एस. सी. सी. *651* डी. आर.।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संविधान के उद्देश्यों के लिए शर्तों को परिभाषित करना। यह शब्द "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" बारह बार आता है

संविधान।

116. संविधान के संबंध में परिभाषा की व्याख्या,

यह वास्तव में संकेत है कि पूरे संविधान के उद्देश्य के लिए, परिभाषा खंड में वर्णित अर्थ-इस मामले में, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* द्वारा, प्रबल होना चाहिए। यह व्याख्या करते हुए कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जिनका उल्लेख दो राज्यों में राष्ट्रपति की अधिसूचना में पाया जाता है, दोनों राज्यों में आरक्षण लाभों का दावा कर सकते हैं, इस अदालत के पास एक पारिमेटेरिया प्रावधान, यानी अनुच्छेद *366 (24)* और *(25)* पर विचार करने का अवसर था, जो अनुसूचित जाति को "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए" परिभाषित करता है। मैरी चंद्र शेखर राव बनाम। डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज *'1 2*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 12. हालाँकि, इसका उचित अर्थ देना आवश्यक है

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्तियाँ 'और' में
के अनुच्छेद *341* और *342* में दिखाई देने वाले उस राज्य के संबंध में

संविधान '।

इस अदालत ने तब उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचारों को देखा

और फिर देखा:

" 13. यह तुच्छ ज्ञान है कि वैधानिक और संवैधानिक

प्रावधानों की व्याख्या व्यापक और सामंजस्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए।

यह एक तुच्छ कहावत है कि जहां दोनों के बीच संघर्ष होता है

प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि वे प्रभावी हों

दोनों। संविधान में कुछ भी अधिशेष नहीं है और कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। नासमझ बना दिया जाए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है। अवलोकन देखें

वेंकटरमण देवरू बनाम में इस न्यायालय का। की स्थिति

मैसूर *[1958* एस. सी. आर. *895,918:* ए. आई. आर *1958* एस. सी. *255],* जहाँ

वेंकटरामा अय्यर, जे. ने दोहराया कि निर्माण का नियम

अच्छी तरह से स्थापित है और जहां एक अधिनियम में दो हैं

जिन प्रावधानों का एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, वे

इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि यदि संभव हो तो प्रभाव दिया जा सके

दोनों के लिए। हालाँकि, यह हमें प्रतीत होता है कि के लिए अभिव्यक्ति

अनुच्छेद *341* के साथ-साथ अनुच्छेद में इस संविधान के उद्देश्य

342 इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित

इस प्रकार निर्दिष्ट जनजातियाँ सभी का आनंद लेने की हकदार होंगी

111 अनुच्छेद *108 (4); 299 (2); 341 (1); 342 (1); 342* ए *(1); 366 (14); 366 (24); 366 (25); 366 (26* सी*)* और *367 (3)*

112 1990 एससीसी *(3) 130*।

संवैधानिक अधिकार जिनका सभी नागरिक आनंद ले सकें। संवैधानिक अधिकार, उदाहरण के लिए, यह तर्क दिया गया है कि प्रवास का अधिकार या एक भाग से दूसरे भाग में जाने का अधिकार सभी को-अनुसूचित जातियों या जनजातियों और गैर-अनुसूचित जातियों या जनजातियों को दिया गया अधिकार है। लेकिन जब कोई अनुसूचित जाति या जनजाति प्रवास करती है, तो प्रवास करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन जब वह प्रवास करता है, तो वह कोई विशेष अधिकार नहीं रखता है और न ही ले सकता है। या उस राज्य या क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए निर्दिष्ट मूल राज्य में उसे दिए गए विशेषाधिकार। यदि वह अधिकार प्रवासी राज्य में नहीं दिया जाता है तो यह उसके समानता या प्रवास के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

अपना व्यापार, व्यवसाय या पेशा जारी रखें। न तो अनुच्छेद *14,16,19* और न ही अनुच्छेद *21* को प्रवास द्वारा अस्वीकार किया गया है, लेकिन उसे कानून के अनुसार उन अधिकारों का आनंद लेना चाहिए यदि वे हैं

अन्यथा उस स्थान पर अनुसरण किया जाता है जहाँ वह प्रवास करता है। एकर एकर एकर

एकर एकर एकर

14. एलिजाबेथ वारबर्टन बनाम में कुछ टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। जेम्स लवलैंड *[1832* एच. एल. *499]*

यह सच है कि सभी प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। यह भी सच है कि किसी भी प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि वह अन्य प्रावधानों को निरर्थक या प्रतिबंधित बना दे। लेकिन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का आदेश है कि हमें प्रत्येक अभिव्यक्ति को-"उस राज्य के संबंध में" या "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए"-इसका पूरा अर्थ देना चाहिए और उनका पूरा प्रभाव देना चाहिए। इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि एक को दूसरे को नकारना नहीं चाहिए। यह निर्माण कि उस राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति के संबंध में दिया गया आरक्षण उस राज्य में संविधान के तहत सभी विशेषाधिकारों और अधिकारों का हकदार होने के लिए इस तरह से निर्धारित है, संविधान की भाषा, उद्देश्य और योजना के अनुरूप पढ़ने का सबसे सही तरीका होगा। अन्यथा, यह ध्यान रखना होगा कि अगर आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में माने जाने वाले लोगों को आरक्षण किसी ऐसे लड़के या लड़की को भी दिया जाता है जो पलायन करता है और उसकी कटौती हो जाती है

(एस. आई. सी. शामिल*)* महाराष्ट्र राज्य या अन्य राज्यों में जहां उस जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं माना जाता है, तो किसी भी आरक्षण का प्रभाव *[2021] 15* एस. सी. आर. होगा।

उस जाति के सदस्य को प्रतिशत से वंचित करना या
महाराष्ट्र में जनजाति जो सुरक्षा का हकदार होगा या

यह अन्य गैर-अनुसूचित जातियों या गैर-अनुसूचित जातियों को बदनाम करेगा।
महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियाँ इस अनुपात में कि वे

के हकदार हैं। यह तार्किक या सही परिणाम नहीं हो सकता है।

संविधान द्वारा परिकल्पित "।

(जोर दिया गया*)*

117. इस संविधान पीठ के फैसले का पालन एक अन्य मामले में किया गया था।

निर्णय, मुद्दे पर कार्रवाई समिति में पांच न्यायाधीशों द्वारा फिर से

जातियाँ और अनुसूचित

अनुसूचित को जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य में जनजातियाँ और अन्र बनाम

संघ का

भारत और *Anr.*[113] *113,* जब इस अदालत ने मारी *(*ऊपर*)* में अपने पिछले विचार को दोहराया और आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

"16. हम निर्दिष्ट करने के लिए उस विचार को जोड़ सकते हैं

सूची में शामिल करने के लिए विशेष जाति या जनजाति या वर्ग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग

राज्य की प्रकृति और विस्तार पर निर्भर करेगा
उस जाति को नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,

नामकरण दो राज्यों में निर्दिष्ट है लेकिन विचार
जिनके आधार पर उन्हें पूरी तरह से निर्दिष्ट किया गया है

अलग-अलग। तो भी विभिन्न के नुकसान की डिग्री

तत्व जो विनिर्देशन के लिए इनपुट का गठन करते हैं, वे भी हो सकते हैं

पूरी तरह से अलग हो। इसलिए, केवल इसलिए कि एक जाति दी गई है

राज्य ए में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं है

आवश्यक रूप से इसका मतलब है कि यदि कोई अन्य जाति है जो

दूसरे राज्य में एक ही नामकरण से संबंधित व्यक्ति
पूर्व अधिकार, विशेषाधिकारों का हकदार होगा और

अनुसूचित जाति के सदस्य को स्वीकार्य लाभ

बाद वाला राज्य "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए"। यह है।

एक पहलू जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो बहुत था

संविधान निर्माताओं के दिमाग में बहुत कुछ है जैसा कि स्पष्ट है

संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* की भाषा के चयन से

संविधान। "

118. बीर सिंह बनाम में हालिया निर्णय। दिल्ली जल बोर्ड *(*ऊपर*)*

संविधान पीठ के पिछले दो फैसलों को दोहराया। यह उपयोगी है कि

113 (1994) 5 एससीसी *244*।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[एस. रवींद्र भाट, जे.]*

ई भानुमति, जे. का आंशिक रूप से सहमत निर्णय जिसने कहा

"*80.* अनुच्छेद *366* का खंड *(24)* "अनुसूचित जातियों" को परिभाषित करता है और अनुच्छेद *366* का खंड *(25)* "अनुसूचित जनजातियों" को परिभाषित करता है। उत्तरार्द्ध का अर्थ है

"ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या उनके भाग या उनके भीतर के समूह

ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय जिन्हें इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद *342* के तहत "अनुसूचित जनजाति" माना जाता है

संविधान "।

81. संविधान का अनुच्छेद *341 (1)* राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। समान रूप से, संविधान का अनुच्छेद *342 (1)* राष्ट्रपति को अधिकार देता है।

"किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां यह है

एक राज्य, अपने राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करता है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए -

"अनुसूचित जनजाति "उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में,

जैसा कि मामला हो सकता है "।

संविधान का अनुच्छेद *342 (2)* सशक्त बनाता है

"संसद, कानून द्वारा, खंड *(1)* के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट "अनुसूचित जनजातियों" की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के भीतर या समूह के हिस्से को शामिल करने या बाहर करने के लिए, लेकिन उपरोक्त के अलावा उक्त खंड के तहत जारी एक अधिसूचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा। '

जब तक राष्ट्रपति की अधिसूचना को उचित रूप से संशोधित नहीं किया जाता है

संविधान के अनुच्छेद *341 (2)* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा संशोधन, अनुच्छेद *341 (1)* के तहत जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम और निर्णायक है और किसी भी जाति या समूह को राज्य सरकार या अदालत द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किसी भी कार्रवाई द्वारा इसमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह संवैधानिक जनादेश है कि जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्से या समूह *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।

राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना में राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन "अनुसूचित जनजाति" होगी, जो कानून द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट "अनुसूचित जनजाति" की सूची में शामिल या बाहर हो सकती है। इसके बाद, इसे कानून द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है।

संसद द्वारा बनाया गया।

इंगित करें कि: *(क)* केवल राष्ट्रपति ही जातियों/जनजातियों को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते थे और ऐसी घोषणा से जुड़ी शर्तों को भी इंगित कर सकते थे। राष्ट्रपति द्वारा विशेष जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने वाली एक सार्वजनिक अधिसूचना अंतिम होगी।

संविधान का उद्देश्य और संपूर्ण होगा।

(ख) संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के खंड *(1)* के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद संसद कानून द्वारा ऐसा कर सकती है।

अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल या बाहर करें।

जनजाति लेकिन उस सीमित उद्देश्य के लिए खंड *(1)* के तहत जारी अधिसूचना को छोड़कर, किसी भी बाद के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना *[*संदर्भ। जाति के मुद्दे पर कार्रवाई समिति

महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रमाण पत्र *v.* संघ का

भारत, *(1994) 5* एस. सी. सी. *244]*।

119. इन तीन संविधान पीठ के फैसलों, मरी *(*ऊपर*)*, एक्शन कमेटी *(*ऊपर*)* और बीर सिंह *(*ऊपर*)* ने निर्धारित किया है

अनुच्छेद *366* में परिभाषा खंड को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण की व्याख्या करने के तरीके के लिए, जो संविधान के उद्देश्य के लिए एक सुसंगत तरीके से विशेष अभिव्यक्ति की व्याख्या के लिए लागू होता है। इस प्रकार, "इस संविधान के उद्देश्य" के लिए किसी राज्य के संबंध में एस. सी. पद का अर्थ है राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत घोषित एस. सी. का सदस्य। राष्ट्रपति की अधिसूचना की शर्तों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे नागरिक को उस संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यह पहलू कुछ महत्व का है, यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में हैं ऐसे समुदाय जो कई राज्यों में आम हैं। हालाँकि, इस न्यायालय के निर्णय समान हैं क्योंकि मरी *(*उपरोक्त*)* ने कहा है कि केवल एक विशेष राज्य में रहने वाले नागरिक ही डी. आर. के लाभ का दावा कर सकते हैं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

आरक्षण-के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र का

उस राज्य के संबंध में संविधान। आवश्यक रूप से, इसलिए, राज्य ए का निवासी अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने का हकदार है यदि वह उस राज्य में रहता है *(*आवासीय योग्यता जिसे पूरा करने की आवश्यकता है वह संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट है*), (*यानी ए*)* और कोई और नहीं। उत्तरवर्ती के रूप में, यदि ऐसे व्यक्ति या समुदाय या जाति *(*राज्य ए के*)* को राज्य बी में अनुसूचित जाति के रूप में भी वर्णित किया गया है, तो राज्य सेवाओं या राज्य संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए, वह ऐसे बी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण के लाभों का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, बीर सिंह *(*उपरोक्त*)* ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ के रोजगार और संघ के संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए स्थिति अलग है क्योंकि अनुसूचित जाति एक राज्य के संबंध में भारत के क्षेत्र के भीतर रहते हैं या

अन्य, संघ रोजगार के प्रयोजनों के संबंध में इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं।

120. संविधान के अनुच्छेद *366 (24)* और *366 (25)* के साथ पठित अनुच्छेद *341* और *342* की व्याख्या, हमारी राय में, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* की व्याख्या करने में मार्गदर्शक कारक होनी चाहिए, जो इसी तरह का अनुसरण करता है।

संपूर्ण संविधान के प्रयोजन के लिए प्रतिरूप, अर्थात परिभाषित करने का, उन समुदायों के निर्धारण के संदर्भ में जिन्हें अनुच्छेद *342* ए के तहत एसईबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है *(*जो फिर से "इस संविधान के उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है*)*।

121. ठीक इसी तरह, जब अनुच्छेद *366* को *46* वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, और अनुच्छेद *366 (29* ए*)* को अनुच्छेद में शामिल किया गया था

366 , इस न्यायालय ने पिछले संशोधनों पर विचार किया, जो संविधान का छठा संशोधन और *46* वां संशोधन है जिसने अनुच्छेद *269* और अनुच्छेद *286* में संशोधन किया, इसके अलावा संविधान में प्रविष्टि *92* ए को पेश किया गया।

संघ सूची। न्यायालय ने *20* वीं शताब्दी वित्त निगम में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य *"1 4,* कि इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या से यह अटूट निष्कर्ष निकला कि राज्यों की कराधान की शक्ति पर एक सीमा रखी गई थी। एक ओर अनुच्छेद *366 (29* ए*)* ने बिक्री के प्रकार का विस्तार किया जो हो सकता है -

राज्य द्वारा कराधान का वैध विषय, लेकिन साथ ही, दूसरी ओर, संशोधन ने राज्य की शक्ति पर सीमाएं भी लागू कीं जो संसद द्वारा नियंत्रण के अधीन थी। अतः इसमें संशोधन के संदर्भ में "बिक्री" अभिव्यक्ति में बदलाव किया गया, आंशिक रूप से वस्तुओं पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को अनुमति दी गई और आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया। इस अदालत ने पिछले मुकदमे के इतिहास को याद करने के बाद कहा कि:

"19. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के बाद, हम हैं

प्रविष्टि *54* के तहत किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर सातवीं अनुसूची की सूची *II* की दो सीमाएँ हैं

एक

प्रविष्टि से ही उत्पन्न होता है; जो प्रविष्टि *92*-ए के अधीन है

सूची *I* का, और दूसरा सन्निहित प्रतिबंधों से बह रहा है

अनुच्छेद *286* में। सूची *I* की प्रविष्टि *92*-ए के आधार पर, संसद

बिक्री या खरीद पर करों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है

समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की जहां ऐसी बिक्री या खरीद

अनुच्छेद *269* में ऐसे करों को लगाने और एकत्र करने का प्रावधान है। इन प्रतिबंधों के कारण, राज्य विधानमंडल नहीं हैं

के लेन-देन पर कर अधिरोपित करने वाला कानून बनाने में सक्षम

में होने वाले किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठ्यक्रम। इसके अलावा, के आधार पर अनुच्छेद *286* के खंड *(1)* में राज्य विधानमंडल को वर्जित किया गया है।

हस्तांतरण के लेन-देन पर कर लगाने वाला कानून बनाने से

किसी भी माल का उपयोग करने का अधिकार जहां ऐसी मानित बिक्री होती है

*(*क*)* राज्य के बाहर; और *(*ख*)* वस्तुओं के आयात के दौरान

भारत के क्षेत्र में। फिर भी, अन्य सीमाएँ हैं

खंड के आधार पर राज्य विधानमंडल की कर लगाने की शक्ति

(3) अनुच्छेद *286*। हालाँकि संसद ने इसके तहत कानून बनाया है अनुच्छेद *286* का खंड *(3) (*ए*)* लेकिन अब तक कोई कानून अधिनियमित नहीं किया गया है

संसद द्वारा अनुच्छेद *286* के खंड *(3) (*बी*)* के तहत। जब ऐसा होता है

कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है, राज्य विधानमंडल होगा

के अनुरूप अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता

ऐसा कानून। इस प्रकार, हमने ऊपर जो कहा है, वे सीमाएँ हैं।

पर बिक्री कर लगाने पर राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर
खंड *(29)* के उपखंड *(*घ*)* के तहत परिकल्पित मानित बिक्री

ए*)* संविधान के अनुच्छेद *366* का।

122. इसी तरह, अभिव्यक्ति, "जब तक कि संदर्भ न हो।

थर्मवाइज प्रदान करता है "*[*जो अनुच्छेद *366 (1)* में नियंत्रक अभिव्यक्ति है*]*

जैसा कि बिल्डर एसोसिएशन में एक पूर्व संविधान पीठ द्वारा व्याख्या की गई थी

एफ भारत बनाम। भारत संघ "*1 5* जब अनुच्छेद *366* में संशोधन पर विचार किया गया थाः

"*32.* आगे बढ़ने से पहले, यह समझना आवश्यक है

अनुच्छेद *366* के खंड *(29-*ए*)* का कौन सा उपखंड *(*बी*)*

5 (1989) 2 एस. सी. सी. *645* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संविधान का अर्थ है। अनुच्छेद *366* संविधान का परिभाषा खंड है। यह कहता है कि संविधान में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, उस अनुच्छेद में परिभाषित अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः उस अनुच्छेद में दिए गए हैं।

'माल' शब्द को संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(12)* में सभी सामग्रियों, वस्तुओं को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है।

और लेख "। के संबंध में पिछले निर्णयों पर चर्चा करने के बाद

प्रावधानों को समाप्त करते हुए, अदालत ने कहा किः

"वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर जोर दिया जाता है *(*चाहे

माल के रूप में या किसी अन्य रूप में*)*। खंड का अंतिम भाग

(29 - ए*)* संविधान के अनुच्छेद *366* की स्थिति बहुत स्पष्ट करती है। खंड *(29-*ए*)* के उपखंड *(*ए*)* से *(*एफ*)* के अनुसार होने वाले किसी भी माल के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति का उल्लेख करते हुए, खंड *(29-*ए*)* के बाद के भाग में कहा गया है कि "किसी भी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति" निम्नलिखित मानी जाएगीः हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री की जाए,

द्वारा उन वस्तुओं का वितरण या आपूर्ति और खरीद

वह व्यक्ति जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है।

अतः खंड *(29-ए)* के उपखंड *(बी)* के तहत माल में संपत्ति के हस्तांतरण को निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल की बिक्री माना जाता है।

व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं का हस्तांतरण और खरीद

जिनका ऐसा स्थानांतरण किया जाता है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* में पेश की गई नई परिभाषा का उद्देश्य संविधान में जहां कहीं भी 'वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर' का दायरा बढ़ाना है ताकि वह

इसके दायरे में हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति शामिल है

सामान जो किसी भी लेन-देन के तहत हो सकता है

कर। इस प्रकार राज्य सूची की प्रविष्टि *54* में 'माल की बिक्री या खरीद पर कर' अभिव्यक्ति का अर्थ लगाया गया है, इसलिए, किसी कार्य के निष्पादन में शामिल माल *(*चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में*)* में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर शामिल है। अनुबंध भी। संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* के उपखंड *(*बी*)* के आधार पर अधिरोपित कर इस प्रकार बन जाता है

उसी अनुशासन के अधीन जिसमें प्रविष्टि *[2021] 15* एस. सी. आर. के तहत कोई शुल्क लगाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54 राज्य सूची को संविधान के अधीन बनाया गया है। जब हम संविधान के अनुच्छेद *286* को देखते हैं तो स्थिति समान होती है। अनुच्छेद *286* के खंड *(1)* में कहा गया है कि किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा या लगाने को अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसी बिक्री या

क्रय किया जाता है-*(*ए*)* राज्य के बाहर; या *(*बी*)* भारत के क्षेत्र में माल के आयात या निर्यात के दौरान। यहाँ हमें अनुच्छेद *286* में उल्लिखित वस्तुओं के हस्तांतरण सहित "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" अभिव्यक्ति को फिर से पढ़ना होगा।

अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* का उपखंड *(*बी*)* जिसे माल की बिक्री माना जाता है और उस पर देय कर होगा -

अनुच्छेद *286* के खंड *(1)* की शर्तों के अधीन। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद *286* के खंड *(2)* में उल्लिखित प्रतिबंध, जिसमें कहा गया है कि संसद अनुच्छेद *286* के खंड *(1)* में उल्लिखित किसी भी तरीके से माल की बिक्री या खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा सिद्धांत तैयार कर सकती है, अनुच्छेद *366 (29-ए) (*बी*)* के तहत अनुध्यात माल के हस्तांतरण की ओर भी आकर्षित होगी। इसी तरह अनुच्छेद *286* का खंड *(3)* हस्तांतरण पर कर पर भी लागू होता है।

अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* के उपखंड *(*बी*)* में निर्दिष्ट संपत्ति। अनुच्छेद *286* के खंड *(3)* में दो भाग हैं। उप.

अनुच्छेद *286* के खंड *(3)* का खंड *(ए)* संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर से संबंधित है -

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का होना, जो आम तौर पर सभी बिक्री पर लागू होता है, जिसमें

माल का हस्तांतरण, आपूर्ति या वितरण जो माना जाता है

संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* के तहत बिक्री। यदि कोई घोषित माल जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, *1956* की धारा *14* में संदर्भित है, ऐसे हस्तांतरण, आपूर्ति या वितरण में शामिल है, जिसे अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* में संदर्भित किया गया है, तो किसी राज्य का बिक्री कर कानून जो निम्नलिखित प्रावधान करता है: उस पर बिक्री कर लगाने के लिए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, *1956* की धारा *15* में उल्लिखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा।

..... हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* के खंड *(ए)* से *(एफ)* में निर्दिष्ट वस्तुओं के सभी हस्तांतरण, वितरण और आपूर्ति प्रतिबंधों के अधीन हैं।

और खंड *(1)*, खंड *(2)* और उप डी. आर. में उल्लिखित शर्तें।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संविधान के अनुच्छेद *286* के खंड *(3)* के खंड *(ए)* और संविधान के अनुच्छेद *366* के खंड *(29-ए)* के उपखंड *(बी)*, *(सी)* और *(डी)* के तहत होने वाले स्थानांतरण और वितरण संविधान के अनुच्छेद *286 (3)* के उपखंड *(बी)* में उल्लिखित एक अतिरिक्त प्रतिबंध के अधीन हैं।

123. आय कर आयुक्त बनाम। विलियमसन फाइनेंशियल

सेवाएँ *1 1 6*, इस न्यायालय को "कृषि आय" की व्याख्या करनी थी, एक शब्द

अनुच्छेद *366 (1)* में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"*366.* परिभाषाएँ। इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ

अन्यथा आवश्यक है, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में है

इसके द्वारा क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ, अर्थात -

(1) ' 'कृषि आय' का अर्थ है परिभाषित कृषि आय।

भारतीय आय से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए

कर; "

124. यह देखते हुए कि परिभाषा *(*अनुच्छेद *366 (1) (1))* स्वयं आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्द को संदर्भित करती है, और इस पर विचार करने के बाद

मौजूदा अधिनियम की परिभाषा में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"*30.* अभिव्यक्ति "कृषि आय", इस उद्देश्य के लिए

भारतीय अधिनियमों के उद्देश्य के लिए परिभाषित
संविधान के अनुच्छेद *366 (1)* के अनुसार आयकर। इसलिए,

अनुच्छेद *366 (1)* में "कृषि आय" की परिभाषा

यह इंगित करता है कि यह लागू आयकर अधिनियमों के लिए खुला है

समय-समय पर किसी भी क्षेत्र में "कृषि आय" को परिभाषित करने के लिए

विशेष तरीके से और यह न केवल अर्थ होगा

कर अधिनियमों के लिए लेकिन संविधान के लिए भी। यह

के साथ टकराव से बचने के लिए तंत्र तैयार किया गया है
कृषि आय के संबंध में राज्यों की विधायी शक्ति।

125. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम है। *A.P.*[117] की स्थिति में शामिल मुद्दा अभिव्यक्ति की व्याख्या थी

अनुच्छेद *366 (12)* में, अर्थात "माल" जो निम्नानुसार है:

"*(12)* " माल में सभी सामग्री, वस्तुएँ और

लेख "।

126. इस अदालत ने परिभाषा की विस्तृत व्याख्या की और कहा कि इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं, यह देखते हुए कि शब्द

" वस्तुओं में अमूर्त संपत्ति शामिल है:

116 (2008) 2 एससीसी *202*। *117 (2005) 1* एससीसी *308*।

"*27.* हमारे विचार में, संविधान के अनुच्छेद *366 (12)* में प्रयुक्त और उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित "माल" शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।

विस्तृत और इसमें सभी प्रकार के चल गुण शामिल हैं, चाहे वे गुण मूर्त हों या अमूर्त। हम पूर्ण हैं

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ समझौता
एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड में *[(2001) 4* एससीसी *593]* ए

सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में विभिन्न आदेश हो सकते हैं जो

कंप्यूटर को एक निर्दिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाएँ। द.

उस कार्यक्रम में कॉपीराइट कार्यक्रम के प्रवर्तक के पास रह सकता है। लेकिन जिस क्षण प्रतियाँ बनाई और विपणन की जाती हैं, यह माल बन जाता है, जो बिक्री कर के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। यहां तक कि बौद्धिक संपदा, एक बार जब इसे मीडिया में डाल दिया जाता है, तो चाहे वह किताबों या कैनवास *(*पेंटिंग के मामले में*)* या कंप्यूटर डिस्क या कैसेट के रूप में हो, और इसका विपणन किया जाता है।

"सामान "। ..... शब्द "सभी सामग्री, लेख और

वस्तुओं में मूर्त और अमूर्त दोनों शामिल हैं।

अभौतिक गुण जो अमूर्तता में सक्षम है,
उपभोग और उपयोग और जिसे प्रेषित किया जा सकता है,

हस्तांतरित, वितरित, संग्रहीत, कब्जे में, आदि। सॉफ्टवेयर

कार्यक्रमों में ये सभी विशेषताएं हैं।

व्यक्त शर्तों को प्रभाव दिया गया है, और व्यापक तरीके से। जब भी नई परिभाषाएँ पेश की जाती थीं, तो सरल और व्याकरणिक शब्दों को पूरा प्रभाव दिया जाता था, अक्सर राज्यों को प्रदान की गई मौजूदा विधायी शक्तियों को सीमित कर दिया जाता था। *128.* यह जांचने के लिए आगे बढ़ने से पहले कि क्या अनुच्छेद *342* ए में "केंद्रीय सूची" शब्द इसके विपरीत एक अभिव्यक्ति का संकेत देता है, *[*अनुच्छेद *366 (1)* के अनुसार*]* कुछ निर्णयों पर विचार करना भी आवश्यक है जिनमें संशोधनों की व्याख्या की गई है जो पूरी तरह से नए प्रावधान पेश करते हैं, या तो राज्य की विधायी शक्तियों को प्रभावित करते हैं, या मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं।

129. बिमोलांग्शु राय बनाम। असम राज्य *1 18* की नियुक्ति के लिए एक कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता संसदीय सचिव, संविधान *(*नब्बे-प्रथम संशोधन*)* विधेयक, *2003* के प्रावधानों के संदर्भ में, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, संविधान का एक प्रावधान बन गया। इसने अनुच्छेद *164 (1-*ए*)* पेश किया,

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

जिसका प्रभाव मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या को उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करने का था; मंत्रियों की न्यूनतम संख्या *12* होनी थी। राज्य विधानसभा ने ऐसे कार्यालय बनाने की मांग की जिसका प्रभाव इससे अधिक था अनिवार्य संख्या *(15* प्रतिशत*)*। एक चुनौती पर, यह तर्क दिया गया कि राज्य के पास अनुच्छेद *194* के आधार पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है। उस तर्क को इस अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने कहा:

"36. जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सही बताया गया है, संविधान में एक समर्पित अनुच्छेद का अस्तित्व जो

किसी विशेष विषय पर कानून बनाने से निश्चित रूप से सातवीं अनुसूची में किसी भी प्रविष्टि के साथ पठित अनुच्छेद *246* में कानून बनाने के लिए विधायी प्राधिकरण के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाएगी जो कानून के उस क्षेत्र को दर्शाता है जो समर्पित लेख द्वारा निपटाए गए विषय से निकटता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, भले ही संविधान में सूची *II* में प्रविष्टियाँ *38,39,40* शामिल नहीं थीं, लेकिन राज्य विधानसभाएँ

अनुच्छेद *164 (5), 186,194,195,* आदि में निहित अधिकार के कारण उन तीन प्रविष्टियों में इंगित विषयों पर अभी भी कानून बनाने में सक्षम होगा। इसलिए, उन प्रविष्टियों पर एक निर्माण करना जो संबंधित विधायी निकाय को एक कानून बनाने में सक्षम बनाने का प्रभाव डालते हैं जो उक्त अनुच्छेदों के विचार के भीतर नहीं है, स्पष्ट रूप से संविधान की योजना के प्रतिकूल होगा।

*****

"39. सूची *I* के अनुच्छेद *262* प्रविष्टि *56* और सूची *II* के प्रविष्टि *17* और सूची *II* के अनुच्छेद *194* और प्रविष्टि *39* की योजना के बीच अंतर यह है कि अंतर-राज्यीय जल विवादों के मामले में उपर्युक्त दो प्रविष्टियों में से कोई भी जल विवादों के निर्णय का उल्लेख नहीं करती है और

केवल अनुच्छेद *262* इस विषय से संबंधित है। हाथ में मामले में, अनुच्छेद *194 (3)* और सूची *II* की प्रविष्टि *39* के पाठ का प्रासंगिक भाग लगभग समान है और सदन, उसके सदस्यों और सदस्यों की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं" के बारे में बात करता है।

40. इसलिए सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद *194 (3)* और प्रविष्टि *39* का पाठ इतना व्यापक है कि इसे अधिकृत किया जा सके।
कानून बनाने के लिए विधायिका*?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद *194 (3)* और प्रविष्टि *39* के प्रासंगिक भाग दोनों का पाठ काफी हद तक समान है, खंड का अर्थ "किसी राज्य के विधानमंडल के सदन और ऐसे विधानमंडल के सदन के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति" होना चाहिए जाँच की "।

"43. अनुच्छेद *194* विशेष रूप से विधायिका, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

वहाँ से। जबकि खंड *(1)* घोषणा करता है कि सीमाओं के अधीन विधायिका में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

खंड *(2)* विधानमंडल के सदस्यों के पक्ष में किसी भी कानूनी कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

किसी भी अदालत में किसी भी बात के लिए या ऐसे द्वारा दिए गए किसी भी वोट के लिए
विधायिका या किसी समिति आदि में सदस्य। खंड *(3)* खंड *(1)* और *(2)* के अंतर्गत आने वाले मामलों के

अलावा अन्य मामलों के संबंध में विधानमंडल के सदन और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित है।

44. इस प्रकार, अनुच्छेद *194* की योजना से यह देखा जा सकता है कि यह राज्य विधानमंडल को गठन करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं करता है।

कार्यालय जैसे कि विचाराधीन। दूसरी ओर, अनुच्छेद *178* अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद *179* उन कार्यालयों की छुट्टी से संबंधित है या

उन पदों के पदधारियों के इस्तीफे जबकि अनुच्छेद *182* और *183* विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं जहां भी परिषद मौजूद है। हमारी राय में, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद *187* है जो विधायिका के सचिवीय कर्मचारियों के संदर्भ में भी शर्तें बनाता है। विधायिका और विधायिका से जुड़े विभिन्न कार्यालयों के संबंध में इस तरह की विस्तृत और स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था और उनके लिए प्रासंगिक मामलों को देखते हुए कानून द्वारा नए कार्यालय बनाने के अधिकार को पढ़ना पूरी तरह से उचित होगा।

सूची *II* के अनुच्छेद *194 (3)* और प्रविष्टि *39* के दायरे को समझने का तर्कहीन तरीका। इस तरह का निर्माण विधायिका को एक ऐसा कानून बनाने में सक्षम बनाएगा जिसका विषय-प्रविष्टि के मामले से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। अनुच्छेद *194 (3)* और प्रविष्टि *39* द्वारा अनुध्यात शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति विधायक हैं। डॉ.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

130. अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ *1 9* मुद्दा

संविधान *(*नब्बेवां संशोधन*)* अधिनियम, *2005* के आधार पर प्रस्तुत अनुच्छेद *15 (5) (*फुटनोट में नीचे निकाला गया*) 1 20* की सही व्याख्या पर विचार किया गया। इसने राज्य को किसी भी एस. ई. बी. सी. या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया, जहां तक वे "अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश" से संबंधित हैं। इस अदालत ने माना कि वास्तविक आधार पर, निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणी में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति है। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया किः

" 125. अनुच्छेद *15 (4)* और *15 (5)* दोनों ही प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं।

अनुच्छेद *15 (4)* को तब पेश किया गया था जब में "सांप्रदायिक जी. ओ".

इस न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य को निरस्त कर दिया गया था
चंपकम दोराईराजन मामले में *[1951* एस. सी. आर. *525]*। उन्ही में

कृष्णन *[(1993) 1* एस. सी. सी. *645]* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद

शैक्षणिक संस्थान। हालांकि, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में
मामला *[(2002) 8* एस. सी. सी. *481]* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्थापित करने का अधिकार

और शैक्षणिक संस्थानों को चलाना एक व्यवसाय है

अनुच्छेद *19 (1) (छ)* का अर्थ। निर्णय का दायरा
टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में *[(2002) 8* एस. सी. सी. *481]* बाद में था

अभिनिर्धारित किया कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में, राज्य के पास कोई नहीं है
नियंत्रण और ऐसे संस्थान अपने छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।

अपनी पसंद। उक्त निर्णय के लिए अधिनियम की आवश्यकता थी

संविधान *(*नब्बेवां संशोधन*)* अधिनियम, *2005*। इस प्रकार,
अनुच्छेद *15 (4)* और *15 (5)* दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। द.

" इस लेख में कुछ भी नहीं *"[*लेख की शुरुआत में उल्लेख किया गया है*]*

15 (5)] इसका मतलब केवल यह होगा कि इस लेख में कुछ भी नहीं है जो

अनुच्छेद में उल्लिखित आधारों पर राज्य को प्रतिबंधित करता है।

119 (2008) 6 एससीसी *1. 120 [(5)* इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के उपखंड *(छ)* में कुछ भी राज्य को किसी भी सामाजिक विकास के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त।*] [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15 (1) केवल महत्व दिया जाए। अनुच्छेद *15 (5)* में ऐसा नहीं है

संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* को हटा दें।

126. यह संवैधानिक व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, संविधान के सभी प्रावधानों को प्रभाव दिया जाएगा और

प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जाएगी कि कोई

संविधान में अन्य प्रावधान निष्क्रिय या अप्रभावी है। यदि संसद का इरादा अनुच्छेद *15 (4)* को बाहर करने का था, तो वे संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* को बहुत अच्छी तरह से हटा सकते थे।
अल्पसंख्यक संस्थान भी इस अभ्यास के हकदार हैं -

संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* के तहत मौलिक अधिकार, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त। लेकिन अनुच्छेद *15 (5)* के मामले में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अनुच्छेद *15 (5)* के दायरे से बाहर हैं।

संविधान। दोनों, प्रावधानों को सक्षम करने के कारण,

अपने स्वयं के क्षेत्र में कार्य करना और किसी भी कानून की वैधता
अनुच्छेद *15 (4)* या *15 (5)* के आधार पर किए गए कार्य की जांच ऐसे विधान में निहित प्रावधानों के आधार पर की जानी चाहिए या

विशेष प्रावधान जो अनुच्छेद *15 (4)* के तहत किया जा सकता है या

15 (5) ..... "

131. इसी तरह, न्यायालय ने अनुच्छेद *366* में परिभाषा खंड को पूरा प्रभाव दिया *[*केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा में, अनुच्छेद *366 (30)* के तहत*]*

इस तर्क की दृढ़ता की जांच करते हुए कि अंतर-सरकारी कराधान *(*यानी अनुच्छेद *289* के तहत जो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों और नगर पालिकाओं को केंद्र शासित प्रदेशों से छूट देता है*)* से प्रतिरक्षा केंद्र शासित प्रदेशों और नगर पालिकाओं तक फैली हुई है। यह तर्क दिया गया था कि कई मामलों में, केंद्र शासित प्रदेशों में वैधानिक अधिनियमों या विशेष प्रावधानों द्वारा विधानसभाएँ थीं, और नगर पालिकाओं के मामले में, संविधान ने संशोधन और अनुच्छेद *243X* की शुरूआत के माध्यम से, राज्यों को नगरपालिका शुल्कों को अधिकृत करने के लिए अधिकृत किया था। अदालत ने नई दिल्ली नगर परिषद बनाम में इस तर्क को खारिज कर दिया। नौ न्यायाधीशों के फैसले में पंजाब राज्य *1 2 1* ने निम्नानुसार कहाः

" 53. इन मामलों में से प्रत्येक की विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने और निर्णय लेने से पहले, यह आवश्यक है कि कुछ

जिन प्रावधानों पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए। लेख
246 (4) संविधान का अनुच्छेद, जैसा कि यह *26-1-1950* पर खड़ा था, संसद को "भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनुमति देता है जो भाग ए या भाग बी में शामिल नहीं है।

121 (1997) 7 एस. सी. सी. *339* पृष्ठ *370* पर।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

पहली अनुसूची "। सातवें संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित करने वाले कई बदलाव लाए, जिनमें से कुछ पर हम पहले ही ध्यान दे चुके हैं। इसके द्वारा लाए गए अन्य परिवर्तन भी प्रासंगिक हैं; इसने अनुच्छेद *246* को अपने वर्तमान रूप में बदल दिया जहां संसद को "भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है"। "राज्य" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद *1 (3)* भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसमें शामिल हैंः *(* क*)* राज्यों के राज्य क्षेत्र; *(*ख*)* पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश; और *(*ग*)* ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। "केंद्र शासित प्रदेश" शब्द को अनुच्छेद *366 (30)* में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और इसमें शामिल हैं।

भारत के क्षेत्र के भीतर शामिल कोई अन्य क्षेत्र लेकिन उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं

54. हालांकि संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, "राज्य" शब्द

इसे सामान्य खंड अधिनियम, *1897* में परिभाषित किया गया है *(*जिसे इसके बाद "सामान्य खंड अधिनियम" कहा जाता है*)*। संविधान का अनुच्छेद *367* संविधान में कहा गया है कि सामान्य खंड अधिनियम, *1897*, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो और इसके अधीन न हो।

अनुच्छेद *372* के तहत किए गए अनुकूलन और संशोधन, संविधान की व्याख्या के लिए लागू होते हैं। इसलिए, इसमें शामिल प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि सामान्य खंड अधिनियम में "राज्य" की परिभाषा संविधान की व्याख्या के उद्देश्यों के लिए लागू होगी। अनुच्छेद *372* संविधान का बचत खंड है जो संविधान के प्रारंभ से पहले लागू सभी कानूनों को भारत के क्षेत्र में जारी रखने के लिए सक्षम बनाता है। अनुच्छेद *372* ए, जो एक बार फिर सातवें संशोधन अधिनियम से उत्पन्न हुआ है, राष्ट्रपति को विशेष स्थितियों में आगे अनुकूलन करने का अधिकार देता है।

**

" *99.* इसलिए यह स्पष्ट है कि नई योजना के तहत भी नगर पालिकाओं के पास शुल्क लगाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है

कर। हालाँकि अब उन्हें पहले से कहीं अधिक पर्याप्त शक्तियाँ दी जा सकती हैं, फिर भी वे ऐसे विशेषाधिकारों को प्रदान करने के लिए अपनी मूल विधानसभाओं पर निर्भर हैं। राज्यों के भीतर नगरपालिकाओं के मामले में, उन्हें *[2021] 15* एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा कर लगाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई। जिन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं नहीं हैं, वहां इस तरह की शक्ति संसद को सौंपनी होगी। बाकी में, जिनकी अपनी विधानसभाएँ हैं, उन्हें विशेष रूप से अपने भीतर की नगर पालिकाओं को शुल्क लगाने की शक्ति के साथ सशक्त बनाना होगा

कर।

कि "या किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण द्वारा" शब्दों को अनुच्छेद *285 (1)* में प्रचुर सावधानी के साथ जोड़ा गया है। यह भी हो सकता है कि ये शब्द प्रावधान में अपनी उपस्थिति का श्रेय देते हैं। ऐतिहासिक कारणों से; यह ध्यान दिया जा सकता है कि *1935* के अधिनियम की धारा *154* को भी इसी तरह लिखा गया था। तथ्य यह है कि अनुच्छेद *289 (1)*, जो अपने वाक्यांश में *1935* के अधिनियम की धारा *155* से अलग है, जिसका मसौदा समिति द्वारा विशिष्ट आपत्तियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, में अनुच्छेद *285 (1)* के समान शब्द नहीं हैं, किसी भी तरह से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।

अपीलार्थी, क्योंकि "संघ कराधान" वाक्यांश में संघ में नगर पालिकाओं द्वारा लगाए गए नगरपालिका कर शामिल होंगे। क्षेत्र "।

यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद *367* में "राज्य" की परिभाषा द्वारा निर्देशित था।

X. 102 वें संशोधन के प्रावधानों की व्याख्या-अनुच्छेद

366 (26 सी*), 338* बी और *342* ए

132. संवैधानिक संशोधनों से संबंधित निर्णयों सहित इस धारा से पहले के निर्णयों की पंक्तियों में जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि जब भी परिभाषा खंड *(*अनुच्छेद *366)* विचार के लिए सामने आया, तो अदालत ने मूल संशोधनों के साथ-साथ परिभाषा *(*जैसा कि बिल्डर एसोसिएशन *[*ऊपर*]* और बीसवीं शताब्दी लीजिंग *[*ऊपर*]* के मामले में*)* के साथ-साथ नए शुरू किए गए प्रावधान डी. आर. को भी पूरी तरह से प्रभावी बना दिया।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(जैसा कि बिमोलांग्शु राय *[*ऊपर*]* और अशोक कुमार ठाकुर *[*ऊपर*]* के मामले में हुआ था। विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज *(*ऊपर*)* और नई दिल्ली नगर परिषद *(*ऊपर*)* में, इस अदालत ने क्रमशः अनुच्छेद *366 (1) (1)* और *(30)* में परिभाषा खंड के स्पष्ट अर्थ को पूरा प्रभाव दिया।

133. इस पृष्ठभूमि में, निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या संसद ने अपनी घटक क्षमता में कार्य किया, जिसके द्वारा कोई संशोधन किया गया।

दोनों सदनों में अलग-अलग उपस्थित और मतदान करने वाले अपने दो तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो यथास्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं*?*

134. संसद इस बात से अवगत थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान की प्रक्रिया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय के साथ समाप्त हुई। संविधान *(*पैंसठवां*)* के बावजूद कानून में इस स्थिति में बहुत कम बदलाव आया और

संविधान *(89* वां*)* संशोधन अधिनियम, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोगों की स्थापना की, मूल संविधान के प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया, जिसने "विशेष अधिकारी" नामक एक प्राधिकरण बनाया था। संशोधित अनुच्छेद *338* और *338* ए के माध्यम से, समावेशन या बहिष्कार के मामले में राज्यों के साथ परामर्श किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। राज्यों के लिए प्रक्रिया शुरू करना भी संभव है और

नए समुदायों या जातियों को शामिल करने *(*या हटाने*)* का प्रस्ताव, उनके प्रस्तावों को, प्रासंगिक सामग्री द्वारा विधिवत समर्थित, विचार के लिए भेजकर। यह संवैधानिक प्रक्रिया, कहने के लिए, संसद के अंतिम चरण में समाप्त होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में सर्वविदित थी। राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अनुच्छेद *338* और *338* ए के तहत*)* के लिए इन दोनों आयोगों से परामर्श करने के लिए बाध्य थे और हैं। *102* वें संशोधन तक, जब पिछड़े वर्गों या एस. ई. बी. सी. की बात आती थी, संविधान मौन था-परिभाषित रूप से, साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी पहचान की जा सकती थी।

135. इंद्र साहनी में किए गए व्याख्यात्मक अभ्यास में इस अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ स्थापित करने का आदेश दिया।

एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से एस. ई. बी. सी. की पहचान करने और नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए आयोगों के रूप में स्थायी तंत्र। प्रत्यर्थी राज्य इस बात पर जोर देते हैं कि इस निर्देश के अनुसार, राज्य अधिनियम बनाए गए और लागू किए गए। उनकी ओर से और अटॉर्नी जनरल की ओर से तर्क यह था कि नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इन निर्देशों को देखते हुए, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि *102* वें संशोधन का उद्देश्य कभी भी *[2021] 15* एस. सी. आर. के रूप में इतना बड़ा बदलाव लाना था।

विशेष बनाने के कार्य में राज्य की भूमिका को पूरी तरह से बाहर करना। एस. ई. बी. सी. की पहचान के संबंध में अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत प्रावधान।

अनुच्छेद *15* और *16* के प्रयोजनों के लिए एस. ई. बी. सी. के रूप में समुदायों की पहचान करने के कार्य को पूरा करने के लिए, यदि आवश्यकता हो तो स्थायी आयोग या निकाय, कानून के माध्यम से। हालाँकि, इस अदालत की राय में, वह अभिव्यक्ति या निर्देश भी एक निषेधाज्ञा नहीं हो सकती थी, जो पहचान के लिए मानक निर्धारित करने के मौजूदा तंत्र से कभी अलग नहीं हो सकती थी। ऐसे वर्ग, और न ही यह स्थायी रूप से एक दिशा थी, कि यथास्थिति हमेशा बनी रहती है। यह गंभीरता से नहीं माना जा सकता है कि यदि संसद इतनी ही सोच वाली थी, तो यह संविधान में बिल्कुल भी बदलाव नहीं ला सकती है, इस संबंध में कि पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे की जानी है। अनुच्छेद *368* में प्रावधान का अस्तित्व, संशोधनों को सक्षम करता है, और अनुच्छेद *366 (26* सी*)*, अनुच्छेद *338* बी और अनुच्छेद *342* ए को लागू करके संविधान में किए गए परिवर्तनों के संबंध में अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान की अप्रयोज्यता, इस तर्क को नकारती है।

137. प्रवर समिति की रिपोर्ट *(102* वें संशोधन के संबंध में*)* को पढ़ने से पता चलता है कि प्रस्तावित संशोधनों में विभिन्न परिवर्तन इस आधार पर सुझाए गए थे कि इसकी शर्तों की निष्पक्ष और उचित व्याख्या पर, आरक्षण देने की राज्य की शक्तियों को निम्नानुसार माना जा सकता है -

प्रभावित हुए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पिछड़े वर्ग की पहचान और सूचीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका को बनाए रखा जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों में से कोई भी, स्पष्ट रूप से राज्य की शक्ति को संरक्षित करते हुए, स्वीकार नहीं किया गया था। असंतुष्ट सदस्य इस बात से अवगत थे कि संशोधन की शर्तों की एक निष्पक्ष और उचित व्याख्या ने नागरिकों के पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्तियों को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया। यह एक नोट के पढ़ने पर सामने आता है संसद सदस्य श्री सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने इंद्र साहनी में निर्णय के उद्धरणों पर भरोसा किया और कहा कि संशोधन "एकात्मक प्राधिकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं जो प्रभावी रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के मामले में राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे"। तीन सदस्यों, श्री दिग्विजय सिंह, श्री बी. के. हरिप्रसाद और श्री हुसैन दलवई ने असहमति का एक संयुक्त नोट प्रस्तुत किया जो अनुच्छेद *342* ए के तहत आयोग की शक्तियों से संबंधित था और इसकी संरचना में बदलाव का भी सुझाव दिया। श्री शरद यादव, डॉ. के एक अन्य सदस्य हैं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संसद का विचार था कि जातियों के किसी भी समावेश या बहिष्कार की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी मंजूरी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए राज्यपाल, संसद और राष्ट्रपति क्योंकि यह एक कदम पीछे होगा। राज्य सभा के सदस्य कुमार तिर्की ने अनुच्छेद *342* ए के उप-अनुच्छेदों *(3)* और *(4)* का प्रस्ताव रखा, जिससे राज्य एक सूची प्रकाशित कर सके जिसे राज्य विधानसभाओं द्वारा संशोधित किया जा सके। सुश्री कनिमोझी ने अपने असहमति के लंबे पत्र में, एक प्रस्तावित संशोधन और अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राज्यों की शक्तियों को समाप्त करने का था।

उन्होंने अब तक एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए अभ्यास किया था।

138. संसद में बहस के दौरान सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि अब तक राज्यों को जो शक्ति प्राप्त थी, वह काफी हद तक कम हो जाएगी। इन आशंकाओं को संबंधित मंत्री द्वारा दूर किया गया, जिन्होंने संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधेयक पेश किया। इन बयानों के उद्धरण न्यायमूर्ति अशोक भूषण के फैसले में विस्तार से दिए गए हैं। ; संक्षिप्तता के लिए उन्हें यहाँ पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

139. इन सामग्रियों से पता चलता है कि एक ओर यह धारणा थी कि संशोधनों द्वारा किए गए परिवर्तन राज्यों की शक्तियों के किसी भी हिस्से को बाधित नहीं करेंगे; हालाँकि, एक बड़ी संख्या-*8* सदस्य,

संशोधन की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद, यह कहते हुए असहमति जताई कि राज्य की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों में, *102* वें संशोधन में विधेयक के पारित होने के समय जो बहस हुई, वह मंत्री द्वारा एक आश्वासन के माध्यम से थी कि राज्यों की मौजूदा शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। उसी प्रभाव के लिए, संसद के सदनों के पटल पर बहस होती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट, जिस हद तक यह एक आश्वासन देती है, *102* वें संशोधन की वास्तविक शर्तों की व्याख्या के लिए एक निर्धारक बाहरी सहायता के रूप में उपयोग की जानी चाहिए। इसी तरह, संविधान में संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों की शर्तों के बारे में बहस और बयान निर्णायक नहीं हो सकते हैं। न्यायालय का कर्तव्य हमेशा पाठ की व्याख्या करना है, और केवल तभी जब अर्थ में अस्पष्टता हो, पाठ के बाहर बाहरी सहायता प्राप्त करने से पहले आंतरिक सहायता का सहारा लेना है।

140. यह याद रखना उपयोगी होगा कि इस न्यायालय ने एक

सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि क़ानून के शब्दों का अर्थ उनकी अपनी शर्तों पर लगाया जाना चाहिए और व्याख्या का कार्य नहीं होना चाहिए

यह मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों द्वारा निर्धारित किया जाता है। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग *(*ऊपर*)* में यह माना गया था किः

"कोई भी संसद के लिए नहीं बोल सकता है और संसद कभी भी न्यायालय के समक्ष नहीं होती है। संसद द्वारा यह कहने के बाद कि वह क्या कहना चाहती है, केवल न्यायालय ही कह सकता है कि संसद क्या कहना चाहती है। और कोई नहीं। एक बार जब कोई कानून संसद भवन से निकल जाता है, तो न्यायालय की एकमात्र प्रामाणिक आवाज होती है जो संसद को प्रतिध्वनित *(*व्याख्या*)* कर सकती है। यह न्यायालय के संदर्भ में करेगा कानून की भाषा और अन्य अनुमेय सहायता।

141. शिवराज सिंह चौहान बनाम मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले में इस पहलू को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था। अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदेश विधान सभा *1 22*, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"संविधान की व्याख्या करते समय, भारत की संविधान सभा के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों, खंड *VIII (1* जून *1949* की बहस*)* पर भरोसा करना सही नहीं होगा। प्रत्येक भाषण के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है

विधानसभा में एक व्यक्ति जिसने समग्र रूप से प्रतिस्पर्धी राजनीतिक विचारधाराओं का एक बहुरूपदर्शक बनाया। ऐसे उदाहरण सामने आ सकते हैं जहाँ अदालत की राय स्वतंत्र हो।

कि संविधान सभा के अलग-अलग सदस्यों द्वारा अपने भाषणों में उठाए गए विचार इस बात पर विचार करते हैं कि

न्यायालय द्वारा परीक्षण और अनुमोदन का आदेश। हालांकि, सामान्य नियम संविधान सभा द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णयों की जांच करना होगा। संविधान सभा के मत विधानसभा के सभी सदस्यों के विचारों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे संविधान को तैयार करने में लिए गए संवैधानिक विकल्पों की अंतिम और स्वभावगत अभिव्यक्तियाँ हैं।

संविधान "।

142. भाषण और संसदीय जैसी बाहरी सहायताओं का उपयोग

डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में सी. जे. सब्यसाची मुखर्जी द्वारा रिपोर्ट पर पहले, बल्कि दृढ़ता से टिप्पणी की गई थी। दिल्ली परिवहन निगमः *123*

"विधायी या नियम प्रावधानों का निर्माण या व्याख्या इस धारणा पर आगे बढ़ती है कि अदालतों को विधायिका या नियम बनाने के इरादे की खोज और अनुवाद करना चाहिए।

शरीर। यह उन कानूनी कल्पनाओं में से एक है जिसकी परिकल्पना के इरादे के निर्णय की रूपरेखा

122 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी *363* *123 1990* एससीआर सप।

(1) 142 जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

कानून या नियम का एक हिस्सा आगे बढ़ता है। लेकिन ये काफी हद तक काल्पनिक मिथक हैं जैसा कि अनुभव से हमें पता चलना चाहिए। अधिकांश मामलों में विधायिका, अर्थात, लोगों के विचारों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश लोगों का कोई इरादा नहीं होता है, भले ही उनके पास हो, वे उन इरादों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही करते हैं। इनमें से अधिकांश मुद्दों पर उनकी कोई समझ या समझ नहीं है।

वास्तविकता से पता चलता है कि केवल वही लोग हैं जो अपने विचारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं, एक आम संसदीय शब्दजाल में, सत्ता की लॉबी को वह मिलता है जो वह चाहती है, और तंत्र एक प्रकार का होता है। नौकरशाही व्यवस्था जो कानून या नियम या कानून का मसौदा तैयार करती है। इसलिए, जो किसी विशेष अधिनियम में लोगों की इच्छा के रूप में बहुत बार पारित किया जाता है, वह एक का उपयोगी काम है

एक पावर लॉबी के कहने पर निर्मित नौकरशाही मशीन

किसी विशेष स्थिति में सत्ता के गलियारों को नियंत्रित करें। यह कानून के रूप में 'लोगों के इरादे' का पौराणिक रूप लेता है। फिर से, बहुत बार, नौकरशाही मशीन सही ढंग से और ठीक से संचारित करने में सक्षम नहीं होती है जिसे व्यक्त करने का इरादा था। ऐसी स्थिति में, क्या यह बेहतर है या नहीं, यह पूछने के लिए विचार किया जाएगा कि क्या अदालतों को कानून बनाने वाले निकाय को संविधान के मूल्यों और सीमाओं का ज्ञान देना चाहिए, और उन बुराइयों का ज्ञान देना चाहिए जिन्हें किसी विशेष समय और ऐसी स्थिति में दूर किया जाना चाहिए जिसका सामना किसी विशेष कानून द्वारा किया जाना चाहिए, और अदालत को कानून के अनुभव और ज्ञान के साथ, इस संबंध में प्रशिक्षित वकीलों की सहायता से, यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि सही और उचित समाधान क्या होगा, और संवैधानिक सीमाओं के दायरे में कानून के नियम का अर्थ लगाना चाहिए और इस बात के उचित निर्णय पर कि क्या व्यक्त किया जाना चाहिए था। वास्तव में ऐसा होता है ज्यादातर मामलों में। क्या इसकी निंदा विधायिका के कानून बनाने के कार्यों के न्यायिक दुरूपयोग के रूप में की जा सकती है जिससे लोग अपनी इच्छा व्यक्त करने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं? यह एक व्यावहारिक दुविधा है जिसका न्यायाधीशों को हमेशा, व्याख्या और निर्माण के मामलों में सामना करना चाहिए और एक ऐसा प्रश्न जिसका उन्हें सामना करना चाहिए।

जवाब दें "।

143. संसदीय कार्यवाहियों की बहुभाषिकता जहां मंत्रियों या सांसदों द्वारा व्यक्त किए गए शब्द आम शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकते हैं और किसी विशेष इरादे को *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए जिम्मेदार ठहराने का खतरा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कानून की शर्तें, एक मंत्री या अन्य पदाधिकारी के शब्दों के माध्यम से जो सादे शब्दों के विपरीत हो सकती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

144. बीबीसी एंटरप्राइजेज बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। हाई-टेक एक्स्ट्रैविजन लिमिटेड, *124* ने अदालत को उद्देश्य के उपयोग के खिलाफ आगाह किया

व्याख्या नियम, कहते हुए कि

" अदालतों को अब यह मानने के लिए बहुत अनिच्छुक होना चाहिए कि

संसद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है।
जब यह सहनीय रूप से स्पष्ट हो कि संसद क्या हासिल करना चाहती थी।

145. इस सावधानी को बलराम कुमावत बनाम में स्वीकार किया गया था। भारत संघ *125* जहाँ यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 26. इसलिए अदालतें उस निर्माण को अस्वीकार कर देंगी जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, भले ही भाषा में कुछ अक्षमता हो।

उपयोग किया जाता है। *[* सैल्मन वी. देखें। डनकॉम्ब *[*सैल्मन बनाम। डनकॉम्ब, *(1886)* एलआर *11* एसी *627 (*पीसी*)] (*पी पर एसी। *634)।]* विधान की निरर्थकता को कम करने से बचा जाएगा और ऐसे मामले में जहां

विधायिका को प्रभावी नहीं किया जा सकता है, अदालतें होंगी

लाने के उद्देश्य से बोल्ड निर्माण को स्वीकार करें

प्रभावी परिणाम के बारे में। अदालतों को, जब उद्देश्यपूर्ण निर्माण का शासन गति पकड़ रहा है, यह मानने में बहुत अनिच्छुक होना चाहिए कि संसद ने भाषा के आधार पर कुछ भी हासिल नहीं किया है

इसका उपयोग तब किया जाता है जब यह सहन करने योग्य रूप से स्पष्ट होता है कि यह क्या हासिल करना चाहता है। *[* बी. बी. सी. एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम देखें। हाय-टेक एक्स्ट्रैविजन लिमिटेड। *[*बी. बी. सी. एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम। हाय-टेक एक्स्ट्रैविजन लिमिटेड, *(1990) 2* ऑल ईआर *118: 1990* अध्याय *609: (1990) 2* डब्ल्यूएलआर *1123 (*सीए*)] (*पीपी पर सभी ईआर।

122-23) .] "

अभ्यास, अर्थात उम्मीदवार द्वारा अपने धर्म या जाति के आधार पर अपील करने के लिए, इस न्यायालय ने अभिराम सिंह बनाम में उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत की सहायता ली। सी. डी. कॉमाचेन *1 26.* बहुमत का फैसला एक व्यापक व्याख्या को अपनाया गया, जिसके तहत उम्मीदवार द्वारा, अपने लिए, अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ या मतदाता के लिए, निषिद्ध आधारों पर कोई भी अपील एक भ्रष्ट प्रथा का गठन करेगीः

125 (2003) 7 एस. सी. सी. *628*

126 (2017) 2 एस. सी. सी. *629* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

" 47. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि ध्यान में रखते हुए

सामाजिक संदर्भ जिसमें अधिनियम की धारा *123* का खंड *(3)* अधिनियमित किया गया था और आज के सामाजिक और तकनीकी संदर्भ में, प्रावधान की शाब्दिक या सख्त व्याख्या के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

देना बिल्कुल आवश्यक है। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए, जो, जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है, केवल उम्मीदवार तक ही सीमित होना चाहिए।

धर्म या उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों का। इस हद तक कि इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा *123 (3)* का दायरा सीमित कर दिया है।

जगदेव सिंह सिद्धांती *[*जगदेव सिंह सिद्धांती बनाम। प्रताप सिंह दौला *(1964) 6* एस. सी. आर. *750* ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *183]*, कांति प्रसाद जयशंकर याग्निक *[*कांति प्रसाद जयशंकर*]*

याग्निक वी. पुरुषोत्तमदास रणछोड़दास पटेल, *(1969) 1* एस. सी. सी. *455]* और रमेश यशवंत प्रभु *[*रमेश यशवंत*]*

प्रभू वी. प्रभाकर काशीनाथ कुंते, *(1996) 1* एस. सी. सी. *130: (1995) 7* स्केल *1]* उम्मीदवार या प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार *(*ओं*)* के धर्म के आधार पर एक अपील के लिए, हम सहमत नहीं हैं इन निर्णयों में व्यक्त विचार के साथ। जगदेव सिंह सिद्धांती *[*जगदेव*]* में भाषा के संरक्षण से संबंधित अपील के संबंध में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

सिंह सिद्धंती बनाम। प्रताप सिंह दौला *(1964) 6* एससीआर *750:* ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *183]* यह मुद्दा हमारे लिए पैदा नहीं होता है

विचार करें।

*

**

निष्कर्ष

50. पहले रखी गई पूरी सामग्री पर विचार करने पर

विद्वान सलाहकार द्वारा हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार दर्ज करते हैं:

50.1 . धारा *123* के खंड *(3)* के प्रावधान

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951* में खंड *(3-*ए*)* डालने वाले एक साथ और समकालीन संशोधनों के संदर्भ में इसे पढ़ने और सराहना करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा *123* और दंड संहिता, *1860* में धारा *153-*ए को सम्मिलित करना।

50.2 . तो एक साथ पढ़ें, और शुद्धता बनाए रखने के लिए

चुनावी प्रक्रिया और इसे दूषित नहीं करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951* की धारा *123* का खंड *(3) [2021] 15* एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी गई है जिससे किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचक को की गई किसी भी अपील को भ्रष्ट प्रथा के दायरे में लाया जा सके।

किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करने या मतदान करने से बचने के लिए या *(i)* किसी उम्मीदवार के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए, या *(ii)* उसके एजेंट, या *(iii)* उम्मीदवार की सहमति से अपील करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, या *(iv)* निर्वाचक। *50.3* . यह यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य का विषय है कि क्या किसी मतदाता के समक्ष अपील की गई है और क्या अपील की गई है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951* की धारा *123* के खंड *(3)* के प्रावधानों का उल्लंघन है।

147. इंदिरा साहनी में निर्णय के बाद, *1993* में संसद द्वारा एन. सी. बी. सी. अधिनियम लागू किया गया था। उस अधिनियम की योजना से पता चला कि एन. सी. बी. सी. को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था; विशेष रूप से, *(*धारा *9 (1)* द्वारा*)* "के लिए अनुरोधों की जांच करने के लिए

किसी भी वर्ग के नागरिकों को सूचियों में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करना और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग के अति-समावेश या कम-समावेश की शिकायतों को सुनना और केंद्र सरकार को ऐसी सलाह देना जो वह उचित समझे। कुल मिलाकर, उस आयोग ने अपना कार्य शुरू किया और भारत के सभी *31* राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एस. ई. बी. सी. की पहचान की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार *1 27,* जितने *2479* प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में पूरे देश में जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किसी का मामला नहीं है कि सांविधिक आयोग-एन. सी. बी. सी.

ठीक से काम करना, या कि इसके काम में कोई हस्तक्षेप था।

न ही ऐसा कोई सुझाव है कि राज्यों ने एन. सी. बी. सी. के निर्णयों या सिफारिशों पर नाराजगी जताई हो। इन्हें देखते हुए, महत्वपूर्ण प्रश्न

अगर कोई ऐसा कह सकता है तो यह बात चर्चा में है कि संसद को एन. सी. बी. सी. को केवल संवैधानिक दर्जा देने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाना पड़ा, और साथ ही केंद्र सरकार के हाथों को बांधना पड़ा, केंद्र सरकार के लचीलेपन को लूटना पड़ा, केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार के उद्देश्यों के लिए, और योजनाओं और प्रवेश के उद्देश्यों के लिए ओ. बी. सी. की सूची में संशोधन या संशोधन करना। अनुच्छेद *15 (4)* के तहत संस्थानों को।

127 सामाजिक न्याय मंत्रालय, केंद्र सरकार की वेबसाइटः एचटीटीपीः *//* सामाजिक न्याय। ठीक है। */* उपयोगकर्ता दृश्य/सूचकांक में*?* मध्य *= 76674 12.04.2012* पर *22.02* बजे पहुँचा गया।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

148. महान्यायवादी और राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में संशोधन करने का कदम केवल केंद्र को सशक्त बनाने के लिए था

एक सूची तैयार करना, राष्ट्रपति के लचीलेपन को हटाकर प्रारंभ में अनुच्छेद *342* ए के तहत एक सूची प्रकाशित करने के बाद, सूचियों में संशोधन करें और इसे संसद से संपर्क करने की आवश्यकता है। फिर से, अगर इंद्र साहनी में इस अदालत का निर्देश कारण है, तो सभी राज्यों में आयोगों की स्थापना के लिए कोई सक्षम कानून नहीं है। बल्कि, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति से एक अधिसूचना जारी करने की मांग करना, जिसे केवल संसद द्वारा बदला जा सकता है *(*अनुच्छेद *342* ए के कारण*)*, रहस्यमय है।

149. उत्तरदाताओं और न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा सुझाई गई व्याख्या में कहा गया है कि राज्यों की शक्ति, जो *102* वीं सदी तक मौजूद थी। संशोधन किया गया था, निर्बाध रूप से जारी है, लागू नहीं किया गया है। इस तरह की व्याख्या यह कहने के बराबर है कि संसद ने काफी लंबा सफर तय किया

संविधान में पहली बार एस. ई. बी. सी. *28* शब्द को परिभाषित करके और राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुच्छेद *342* के तहत एक अधिसूचना का प्रावधान किया गया है, जो "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को निर्दिष्ट करेगा।

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने "केंद्रीय सूची" शब्द को प्रधानता देकर "इस संविधान के उद्देश्यों के लिए माना गया" शब्द की चौड़ाई को सीमित कर दिया। ऐसी व्याख्या उस राज्य या संघ के संबंध में पिछड़े के रूप में एक समुदाय के विनिर्देशन को प्रतिबंधित करती है। राज्यक्षेत्र, केवल केंद्रीय सूची के प्रयोजनों के लिए, अर्थात केंद्र सरकार के रोजगार और केंद्रीय संस्थानों के प्रयोजनों के लिए। सम्मान के साथ इस तरह की व्याख्या तनावपूर्ण है; यह *102* वें संशोधन द्वारा पेश किए गए प्रावधानों के स्पष्ट और व्याकरणिक अर्थ से वंचित करती है, केंद्र सरकार के हाथों को बांधने का प्रभाव डालती है, और साथ ही, राज्यों को किसी भी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े के रूप में शामिल करने के तरीके में असीमित अक्षांश प्रदान करती है।

128 जो अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के अनुसार "ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए के तहत इस प्रकार माने जाते हैं" *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

150. दावा है कि उत्तरदाताओं द्वारा सुझाई गई व्याख्या

व्यावहारिक है और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत के अनुरूप है, सम्मान के साथ, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह निम्नलिखित की चौड़ाई और आयाम को पूरी तरह से कम करता है:

102 वें संशोधन द्वारा शुरू की गई काल्पनिक कथा,

*(*अ*)*

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* को सम्मिलित करते समय;

"मतलब" शब्द का उपयोग जिसकी व्याख्या की गई है

(ख)

एक संपूर्ण परिभाषा अभिव्यक्ति को इंगित करने के लिए, कई में

इस न्यायालय के निर्णय, मामले को व्याख्या के दायरे से परे रखने के लिए एक उपकरण के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकमात्र जिम्मेदार अर्थ प्रावधान द्वारा निर्देशित है। इस प्रकार, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के कारण एस. ई. बी. सी. केवल वही हैं
अनुच्छेद *342* ए के तहत ऐसा माना जाता है।

((ग)

समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया जाता है,

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को "माना" जा रहा है। इस प्रकार, सभी उद्देश्यों के लिए
संविधान, ऐसे समुदायों को माना जाता है

एस. ई. बी. सी.

((घ)

तार्किक परिणाम यह है कि इस तरह का समावेश उद्देश्यों के लिए है

राज्य और केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए संविधान

लाभ, अर्थात कल्याणकारी उपाय, इसके तहत विशेष प्रावधान

अनुच्छेद *15 (4)* और *15 (5)* के साथ-साथ अनुच्छेद *16 (4)* के तहत रोजगार। इस प्रावधान के अधिनियमन में किसी भी अन्य निकाय द्वारा पहचान के अन्य सभी तरीके शामिल नहीं हैं-या तो

राज्य, या कोई राज्य आयोग या प्राधिकरण।
इस उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग

(ई)

संविधान, अनुच्छेद *342* ए *(1)* में भी इस बात पर जोर देता है कि

विचार है कि सभी उद्देश्यों के लिए, यानी अनुच्छेद *15 (4), 15 (5)* के तहत,

129 पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम। लिमिटेड वी. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, *(1990) 3* एस. सी. सी. *682* जहाँ एक संविधान पीठ ने कहाः

" *72.* परिभाषा में 'मतलब' शब्द का उपयोग किया गया है। जब कोई कानून कहता है कि किसी शब्द या वाक्यांश का "अर्थ" होगा-न कि केवल यह कि इसमें कुछ चीजें या कार्य शामिल होंगे,

" परिभाषा एक कठिन और तेज़ परिभाषा है, और अभिव्यक्ति को परिभाषा में रखे जाने के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है "*(*एशर, एम. आर., गफ बनाम के अनुसार*)*। गफ *[(1891) 2* क्यू. बी. *665])*। परिभाषा किसी शब्द के पूर्ण अर्थ का एक स्पष्ट कथन है। इसके अलावा पी. कासिलिंगम बनाम पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी *1995* सप्लीमेंट *(2)* एससीसी *348;* ब्लैक डायमंड बेवरेजेस बनाम वाणिज्यिक कर

अधिकारी *1998 (1)* एससीसी *458;* गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम महाराष्ट्र राज्य *2014 (3)* एससीसी *430*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

और *16 (4)* में अनुच्छेद *342* ए के तहत केवल एस. ई. बी. सी. माने जाने वाले समुदायों या वर्गों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा।

संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संबंध।
अनुच्छेद *338 (10)* में संशोधन किया गया था, संदर्भों को हटाने के लिए

(च)

पिछड़े वर्ग के नागरिक। इसमें मूल रूप से कहा गया था कि अनुसूचित जातियों में ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ भी शामिल थे जो राष्ट्रपति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर हो सकते हैं।

अनुच्छेद *340* के खंड *(1)* के तहत नियुक्त आयोग आदेश द्वारा निर्दिष्ट करता है और यह भी। ये अभिव्यक्तियाँ थीं
हटा दिया गया और एक पूरी तरह से नया प्रावधान, विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उद्देश्य के लिए, था

अंतःस्थापित *(*अनुच्छेद *338* बी*)*, जिसे एस. सी. बी. सी. से संबंधित सभी पहलुओं पर एस. सी. के समान तरीके से स्वतंत्र रूप से विचार करना है।
और एसटीएस।

151. यदि इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद *342* ए *(2)* में "केंद्रीय सूची" कोई और नहीं बल्कि

संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए *(1)* में प्रकाशित सूची। इसका मतलब यह है कि इन प्रावधानों को लागू करने के बाद, एस. ई. बी. सी. के समावेश या बहिष्कार *(*या सूचियों के संशोधन*)* के संबंध में अंतिम निर्णय पहले राष्ट्रपति के पास होता है, और उसके बाद, शुरू में प्रकाशित सूचियों से संशोधन या बहिष्कार के मामले में, संसद के पास होता है। *152.* यह अनुक्रम ही एकमात्र कारण है कि संसद ने अपनी घटक क्षमता में पहले स्थान पर परिवर्तन की कल्पना की थी।

कम, जो यह सुनिश्चित करके पूरी व्यवस्था को बदलना है कि एस. ई. बी. सी. की पहचान के मामले में अंतिम कथन सभी नागरिकों में सबसे पिछड़े वर्गों के संबंध में उसी पैटर्न का पालन करेगा, *(*यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद *338,338* ए, *341* और *342* के माध्यम से*)*। केंद्रीय सूची के लिए अभिव्यक्ति के उपयोग में बहुत अधिक नहीं पढ़ा जा सकता है

राष्ट्रपति को सलाह देता है और संघ के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है *(*अनुच्छेद *78)*। इसी तरह, अनुच्छेद *77* में "भारत सरकार" शब्द का उपयोग किया गया है। यह देखते हुए कि इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, और उसी का अर्थ है,

"केंद्रीय सूची" का केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत अधिसूचित सूची के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं है।

153. यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद *367*

सामान्य खंडों में निर्धारित परिभाषाओं को संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है।

अधिनियम, *1897*, उन अभिव्यक्तियों के संबंध में कार्य करता है जो संविधान में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। उस अधिनियम की धारा *3 (8) (*बी*)* के अनुसार, "केंद्र सरकार" का अर्थ है,

संविधान, भारत के राष्ट्रपति। हाल के एक निर्णय में, के. लक्ष्मीनारायणन बनाम। भारत संघ *1 32* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *130 367.* व्याख्या। - *(1)* जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक सामान्य खंड अधिनियम, *1897*, अनुच्छेद *372* के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन रहते हुए, इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

(2) इस संविधान में संसद के अधिनियमों या कानूनों के लिए या उनके द्वारा किया गया कोई संदर्भ,

या किसी राज्य के विधान-मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या कानूनों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश या, यथास्थिति, राज्यपाल द्वारा बनाए गए अध्यादेश के संदर्भ को शामिल किया गया है।

(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए "विदेशी राज्य" का अर्थ है भारत के अलावा कोई अन्य राज्यः बशर्ते कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति आदेश *4* द्वारा किसी भी राज्य को ऐसे उद्देश्यों के लिए विदेशी राज्य नहीं घोषित कर सकता है जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं।

131 सामान्य खंड अधिनियम "*3.* परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि कुछ भी प्रतिकूल न हो

विषय या संदर्भ में,

*****

(8) "केंद्र सरकार "-

*(*क*)* संविधान के प्रारंभ से पहले की गई किसी भी चीज़ के संबंध में, गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जैसा भी मामला हो, से तात्पर्य है;

और इसमें *(i)* भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *124* की उप-धारा *(1)* के तहत किसी प्रांत की सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में, प्रांतीय

उस उप-धारा के तहत उसे दिए गए प्राधिकरण के दायरे में कार्य करने वाली सरकार; और

((ii) मुख्य आयुक्त के प्रांत के प्रशासन के संबंध में, मुख्य आयुक्त उप-आयुक्त के अधीन उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करता है।

(i) संविधान के अनुच्छेद *258* के खंड *(1)* के तहत किसी राज्य की सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में, उस खंड के तहत उसे दिए गए प्राधिकरण के दायरे में कार्य करने वाली राज्य सरकार; *((ख)* संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* के प्रारंभ से पहले भाग ग राज्य *2* के प्रशासन के संबंध में, मुख्य आयुक्त या

उपराज्यपाल या पड़ोसी राज्य की सरकार या संविधान के अनुच्छेद *239* या अनुच्छेद *243* के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में काम करने वाला अन्य प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो; और

((ग) किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाला उसका प्रशासक।

132 (2020) 14 एससीसी *664* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

" 24. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की परिभाषा, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति दूसरे द्वारा नियंत्रित नहीं है।

अभिव्यक्ति "और इसमें प्रशासक शामिल होगा"। धारा *3 (8) (*बी*)* में आने वाले "राष्ट्रपति" शब्दों का सामान्य या लोकप्रिय अर्थ दिया जाना चाहिए और परिभाषा का दूसरा भाग किसी भी तरह से पहले भाग को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करेगा।

जैसा कि ऊपर देखा गया है। की परिभाषा में

केंद्र सरकार, एक प्रशासक को तब पढ़ा जाएगा जब उसे ऊपर दर्शाई गई परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य के लिए अधिकृत या प्रत्यायोजित किया गया हो। कोई वैधानिक नियम या

किसी भी प्रतिनिधिमंडल को संदर्भित किया गया है या रिकॉर्ड पर लाया गया है जिसके तहत प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा में नामांकन करने का हकदार या अधिकृत है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, *1963* के अधिनियम की धारा *3 (3)* में आने वाली केंद्र सरकार की परिभाषा को राष्ट्रपति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि प्रशासक के रूप में। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। अनुच्छेद *342* ए *(1)* में "केंद्रीय" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है।

सरकार "। फिर भी, अनुच्छेद *342* ए *(2)* "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जिसके कारण एक विस्तृत व्याख्यात्मक विमर्श हुआ है। यदि संविधान के अनुच्छेद *367 (1)* के तर्क को सामान्य खंड अधिनियम की धारा *3 (8) (*बी*)* के साथ लागू किया जाना था, तो "केंद्रीय सूची" अनिवार्य रूप से अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत सूची को संदर्भित करती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे ने

व्याख्या, संबंध के साथ, अनुचित रूप से संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक होगी; इसका प्रभाव इस तरह के शब्दों को जोड़ने से होगा कि केंद्रीय सूची, "केंद्र सरकार के संबंध में लागू होगी"। संवैधानिक संशोधन की व्याख्या करते

समय, संदर्भ के साथ इस तरह के शब्दों को जोड़ा नहीं जा सकता है, संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारण संविधान के उद्देश्य के लिए है और एसईबीसी *(*अनुच्छेद *366 (26* सी के अनुसार*)* को अनुच्छेद *342* ए में निर्धारित माना जाता है*;* अनुच्छेद *342* ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के उद्देश्य के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एसईबीसी को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेंगे।

154. अन्य सम्मोहक कारण भी हैं, क्यों अनुच्छेद *342* ए की प्रतिबंधात्मक व्याख्या, पहचान के अभ्यास को सीमित करती है

व्याख्या *[2021] 15* एस. सी. आर. के विपरीत केंद्रीय रोजगार और केंद्रीय लाभों *(*और राज्यों पर लागू नहीं किए गए*)* के उद्देश्य से बचा जाना चाहिए।

नए प्रावधानों की सरल भाषा के आधार पर, जिसे अपनाया जाना है।

155. संसद ने *102* वें संशोधन के माध्यम से स्पष्ट रूप से इरादा किया कि समुदायों की अनुसूचित जाति के रूप में पहचान के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था

एस. ई. बी. सी. की पहचान के संबंध में अनुच्छेद *341* और *342* के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में उन्हें शामिल करने के लिए, जो अब तक मौजूद थे, उन्हें दोहराया जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, संसद ने अनुच्छेद *338* बी जोड़ा-जो अनुच्छेद *338* और *338* ए की दर्पण छवि है। पिछड़े वर्गों के लिए नए आयोग को सौंपे गए कार्य जो हैं

एक बहु-सदस्य आयोग के रूप में परिकल्पित, एन. सी. बी. सी. अधिनियम में संसद द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों से मौलिक रूप से अलग हैं। पूर्ववर्ती एन. सी. बी. सी. अधिनियम की धारा *9* के तहत, जिसे *102* वें संशोधन के प्रारंभ से ठीक पहले निरस्त कर दिया गया था, एन. सी. बी. सी. को नागरिकों के किसी भी वर्ग को सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल करने के अनुरोधों की जांच करनी थी और आयोग की सलाह आम तौर पर बाध्यकारी थी। केंद्र सरकार। धारा *11* में सूचियों के आवधिक संशोधन का प्रावधान है। जैसा कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने देखा, अनुच्छेद *338* बी में नए आयोग के लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। यह आयोग न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्यों को भी सलाह देता है। अनुच्छेद *338* बी को पूर्व-विद्यमान परिमापक प्रावधानों से अलग करके पढ़ना असंभव है*;* इसकी व्याख्या अन्य दो प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए जो इस पूरे समय मौजूद थे-अनुच्छेद *338* और *338* ए। वे प्रावधान स्पष्ट रूप से

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ समान सलाहकार भूमिका पर विचार करें। यह इन अनुच्छेदों के उप-अनुच्छेद *(9)* से स्पष्ट है। इस प्रकार, आयोग को-अनुच्छेद *338* बी के तहत केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है।

लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने और समुदायों के निर्धारण में विशेषज्ञों के साथ जुड़ने की भी अपेक्षा की जाती है। अनुच्छेद *338* बी *(5)* "एस. ई. बी. सी". शब्द का उपयोग कम से कम छह अवसरों पर करता है। यह अभिव्यक्ति अनुच्छेद *338* बी *(9)* में भी मिलती है। इस प्रकार, संविधान के प्रयोजनों के लिए, अनुच्छेद *338* बी के तहत नव स्थापित आयोग, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एकमात्र निकाय होगा जिसके पास

नीति के सभी मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को जाना होगा। आवश्यक रूप से, नीतिगत मामलों के प्रश्न में पिछड़े वर्गों के रूप में जातियों या समुदायों की पहचान भी शामिल होगी।

156. यदि संविधान में संशोधन करने में संसद का इरादा केवल राष्ट्रीय आयोग को प्रदान करना या पहनना था

संवैधानिक स्थिति में, मामला अनुच्छेद डी. आर. को शामिल करके समाप्त हो जाता।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

338 बी. उस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाताओं का तर्क समझ में आता है। पहचान का कार्य *(*जो राज्यों के साथ जारी रह सकता था*)* कम था, अगर संशोधन ने अनुच्छेद *342* ए को शामिल नहीं किया होता, तो राज्य अनुच्छेद *338* बी के तहत आयोग से परामर्श करने के लिए कर्तव्यबद्ध होते। उस हद तक अशोक भूषण, जे. की व्याख्या स्वीकार्य हो सकती है। हालाँकि, कि संविधान को आगे संशोधित किया गया था अनुच्छेद *342* ए को प्रस्तुत करना, जिसमें वह वाक्यांश शामिल है जो वह करता है, एक पूरी तरह से नया आयाम जोड़ता है जिसकी अदालत को व्याख्या करनी होती है, पिछले अधिकारियों के प्रकाश पर विचार करने के बाद, और जब भी संविधान में नए प्रावधान जोड़े गए थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह के संशोधन परिभाषा खंड में परिवर्तन के साथ किए गए थे।

157. इस निर्णय के पिछले भाग में विभिन्न प्राधिकरणों पर चर्चा की गई है जिन्होंने अनुच्छेद *366* के एक या दूसरे खंड पर विचार किया था, अर्थात एन. डी. एम. सी. मामला, टाटा कंसल्टेंसी *(*ऊपर*)*, विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज *(*ऊपर*)*। एन. डी. एम. सी. मामले का फैसला नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था; अन्य सभी फैसलों में, इस अदालत ने पूर्ण अक्षांश दिया

परिभाषा खंड में अभिव्यक्तियाँ मामले के विशिष्ट तथ्यों में उनकी व्याख्या करते हुए। इसी तरह, जब संवैधानिक संशोधनों ने अनुच्छेद *366 (29* ए*)* जैसी नई परिभाषाएं पेश कीं, तो न्यायिक व्याख्या उन शब्दों को शाब्दिक अर्थ देने के पक्ष में झुक गई, जिनके कारण मौजूदा कर व्यवस्था में बदलाव आया था। इस तरह के परिवर्तनों ने राज्य की विधायी शक्तियों को भी सीमित कर दिया। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, बिल्डर्स एसोसिएशन *(*ऊपर*)* और *20* वीं शताब्दी लीजिंग *(*ऊपर*)* में संविधान पीठ के फैसलों में,

इस न्यायालय ने निर्णायक रूप से फैसला सुनाया था कि राज्यों की कर लगाने की शक्ति को संशोधन द्वारा समझाया गया था, लेकिन साथ ही स्पष्ट शर्तों द्वारा एक से अधिक तरीकों से सीमित किया गया था, जिन्होंने केंद्रीय या संघ विधायी क्षेत्र में एक नई प्रविष्टि की शुरुआत की थी। इसके अलावा, जिन सिद्धांतों पर राज्यों द्वारा कराधान का सहारा लिया जा सकता था, उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किया जाना था। अन्य मामलों में, जब भी संवैधानिक हो

संशोधनों ने मौजूदा यथास्थिति में बदलाव लाए जैसे कि किहोतो होलोहन *(*ऊपर*)* में या विधायी शक्ति को सीमित कर दिया।

राज्य ने अपनी मंत्रिपरिषद का एक निश्चित प्रतिशत से अधिक विस्तार किया जैसा कि बिमोलांग्शु राय *(*उपर्युक्त*)* में अनुच्छेद *164 (1* ए*)* की शुरूआत के साथ किया गया था। इस न्यायालय ने शर्तों को पूर्ण शाब्दिक प्रभाव दिया

परिवर्तन के औचित्य को समझने के बाद संशोधन।

158. अशोक कुमार ठाकुर *(ऊपर)* और एन. नागराज *(ऊपर)*

संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से लाए गए परिवर्तन विषय *[2021] 15* एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्याख्या का विषय। नागराज में, वे इस आधार पर भी चुनौती का विषय थे कि संशोधनों ने बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया संविधान की संरचना। वहाँ भी, न्यायालय ने संशोधन की शर्तों की व्याख्या एक स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ अपनाकर की, न कि किसी शब्द या वाक्यांश को काटकर या पढ़कर। अशोक कुमार ठाकुर *(उपरोक्त)* में, नए और कट्टरपंथी अनुच्छेद *15 (5)* की शुरूआत ने राज्यों को गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया।

यह कि यह अनुच्छेद *338* और *338* ए के पिछले दो प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है और उस पैटर्न से उधार लेता है, स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि नए आयोग की भूमिका उन आयोगों की तरह ही होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी मामलों के संबंध में केंद्र सरकार और संसद को सलाह देते हैं। इसलिए, नए आयोग से सूची तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसे संविधान ने एक सूची के रूप में अलग किया है, जिसे प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के उद्देश्यों के लिए एस. ई. बी. सी. की सूची माना जाता है। के बीच परस्पर क्रिया इसलिए अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और *338* बी महत्वपूर्ण हैं। "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए माना जाने वाला" शब्द और अनुच्छेद का संदर्भ

342 ए का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि अनुच्छेद *338* बी के तहत प्रावधान की व्याख्या भी उसी प्रकाश में की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्या केवल संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का इरादा था, जो किसी अन्य संशोधन के बिना अनुच्छेद *338* बी में प्रावधान को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता था, जैसे कि *366* के तहत परिभाषा खंड में होना या *342* ए को शामिल करना।

160. 102 वें संशोधन द्वारा लाया गया परिवर्तन

अनुच्छेद *366* में उप-अनुच्छेद *(26* सी*)* को शामिल करना और एक नया प्रावधान-अनुच्छेद *342* ए, मेरे विचार में, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा संवैधानिक योजना के साथ पूर्ण संरेखण लाता है।

जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान डी. आर. की गई है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अब तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं में समापन किया गया। उस कार्य को दो आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है-क्रमशः

सूची, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में-जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अनुच्छेद *341* और *342)* के संबंध में मौजूद है, अब अनुच्छेद *342* ए की शुरुआत के साथ दोहराया गया है। *161.* इस न्यायालय के लिए उस व्याख्या से अलग होने के लिए मजबूत, बाध्यकारी कारण होने चाहिए जो अब तक इस पर रखी गई है

परिभाषा खंड। जैसा कि एक से अधिक मामलों में प्रदर्शित किया गया है,

पहला उदाहरण केवल राष्ट्रपति के साथ *[*अनुच्छेद *342 (1)]*। इस कार्य में राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार को अनुच्छेद *338* और *338* ए के तहत स्थापित आयोगों के कार्यों से सहायता मिलती है। प्रकाशन के बाद संबंधित राज्य या संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *341 (1)* और *342 (1)* के तहत अधिसूचना वाली सूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची निर्णायक है। निस्संदेह, ये मूल प्रावधान थे। फिर भी, एक महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना चाहिए, जो यह है कि अनुच्छेद *15* के तहत विशेष प्रावधान करने और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने का कार्य राज्यों तक फैला हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रत्येक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति सुचारू रही है और सभी मामलों में, कोई नाराजगी या टकराव नहीं हुआ है। एक बार जब संबंधित समुदाय या जाति

एक या दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सूची में परिलक्षित होता है कि ऐसे समुदाय के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले लाभों की सीमा पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। संशोधन या किसी भी राज्य सूची का संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं।

162. बहुत हद तक संविधान के अन्य दो पहले से मौजूद प्रावधानों के साथ अनुच्छेद *338* बी के संरेखण के मामले में, अनुच्छेद *[2021] 15* एस. सी. आर.

342 ए अनुच्छेद *341* और *342* के साथ *(*राष्ट्रपति द्वारा एस. ई. बी. सी. की पहचान और सूची प्रकाशित करने के*)* कार्य को संरेखित करता है। लगातार प्रावधानों के ये तीन सेट, परिभाषा खंड के साथ अपनी नाभि को साझा करते हैं। *[* अनुसूचित जातियों के संबंध में अनुच्छेद *366 (24);* अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनुच्छेद *366 (25)* और एस. ई. बी. सी. के संबंध में नया *366 (26* सी*)*। मूल प्रावधानों के साथ परिभाषा खंड के बीच यह दोतरफा संबंध बिना किसी संबंध के नहीं है।

महत्व। जैसा कि मरी चंद्र शेखर *(*ऊपर*);* एक्शन कमेटी *(*ऊपर*)* और बीर सिंह *(*ऊपर*)* में कहा गया है, "संविधान के उद्देश्यों के लिए" अभिव्यक्ति को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

इसलिए, जब भी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में इन तीन प्रावधानों के तहत सूचियां तैयार की जाती हैं, तो ऐसी सूची में शामिल वर्गों और जातियों को संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में किसी एक या दूसरी श्रेणी *(*एससी, एसटी, एसईबीसी*)* में आने वाली जातियां या वर्ग नहीं माना जाता है।

163. यदि कोई, तर्क के लिए, प्रवर समिति के समक्ष विचार-विमर्श पर विचार करता है जो उसकी रिपोर्ट में परिलक्षित होता है, तो वह है -

यह स्पष्ट है कि मामले को विवाद से परे रखने के लिए तीन स्थानों पर संशोधन किए गए थे और यह स्पष्ट किया गया था कि राज्यों का अधिकार क्षेत्र और एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की शक्ति अबाधित रहेगी। इसे प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित अनुच्छेद *342* ए *(3)* और *(4)* पेश किए गए थे। इन प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें हटा दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि *(*संशोधनों*)* को हटाने का तर्क इस आश्वासन के रूप में दिया गया था कि संशोधन की स्पष्ट शर्तों ने इन शर्तों को अस्वीकार नहीं किया है।

अपनी शक्ति के राज्य। इसके अलावा, प्रवर समिति की रिपोर्ट के पैरा *56* और *57* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल राज्यपाल की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

राज्य की मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद *341* और *342* में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में राज्यपाल के साथ परामर्श का प्रावधान है। संबंधित राज्य। आश्वासन दिया गया था कि "किसी भी समय परामर्श प्रक्रिया में राज्य को बाहर नहीं रखा गया है। इसके माध्यम से

राज्य सरकार हमेशा राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में समावेश/बहिष्कार की श्रेणी की सिफारिश करती है। समान प्रावधान संवैधानिक रूप से प्रदान करने के मामले में प्रदान किया गया है

राज्यपाल के परामर्श से एस. ई. बी. सी. की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए पिछड़े वर्गों को दर्जा "जिससे राज्य सरकार के साथ परामर्श का संकेत मिलता है। *(*रिपोर्ट के*)* पैरा *57* में यह भी कहा गया था कि "इस संविधान के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति" उसी के समान है।

अनुच्छेद *341* और अनुच्छेद *342* में वाक्यांश।

164. प्रवर समिति की रिपोर्ट के विचार-विमर्श से केवल यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान और समावेशन का मौजूदा स्वरूप है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

राष्ट्रपति द्वारा ओ. बी. सी. की सूची तैयार करने के उद्देश्य से राज्यों की सक्रिय भागीदारी को दोहराने की मांग की गई थी।

तर्कों के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण के मसौदा निर्णय में एक ऐसे पहलू का उचित प्रतिबिंब मिलता है कि "केंद्रीय सूची" शब्द का महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि यह वास्तव में पूरे प्रावधान, यानी अनुच्छेद *342* ए को नियंत्रित करता है, कि यह प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ संसदीय बहसों के अनुरूप है और इस न्यायालय को इसकी एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करनी होगी। मेरी सम्मानजनक राय में, संविधान के उद्देश्य के लिए पिछड़े माने जाने वाले वर्गों और समुदायों वाली "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति पर अलग से विचार करना पूरी संवैधानिक योजना को कमजोर कर देगा। इसके विपरीत, संसदीय इरादा स्पष्ट रूप से एस. ई. बी. सी. के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए मौजूदा पैटर्न को दोहराना था -

(एक ऐसा शब्द जिसे तब तक संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था*)*। इस मामले को देखने का एक और तरीका यह है कि अनुच्छेद *342* ए *(1)* एकमात्र प्रावधान है जो एसईबीसी की एक सूची के प्रकाशन को सक्षम बनाता है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से पहचान की प्रक्रिया के बाद संविधान के उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से एक सूची के प्रकाशन की बात करता है। यह वह सूची है जिसमें उन वर्गों या समुदायों के सदस्य शामिल हैं जिन्हें अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के आधार पर एसईबीसी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *342* ए *(1)* का विषय अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के विषय को निर्धारित करता है जो बदले में पूरे संविधान के लिए "एसईबीसी" शब्द की परिभाषा को नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह "साधन" और "माने जाने वाले" जैसे जोरदार शब्दों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। इसी तरह का जोर अनुच्छेद *342* ए *(1)* में पाया जाता है जो "संविधान के उद्देश्यों के लिए होगा" का उपयोग करता है। दोनों ही मामलों में,

अर्थात् अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और *342* ए *(1)* में कोई सीमित करने वाले शब्द या प्रतिबंध का संकेत देने वाले शब्द नहीं हैं कि इस तरह का समावेशन किस हद तक है। संचालन करें। इस प्रकार, अनुच्छेद *341* और *342* के मामले की तरह, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एस. ई. बी. सी. की सूची में शामिल वर्ग और जातियाँ हैं:

((i) संविधान के प्रयोजनों के लिए*;*

((ii) संबंधित राज्य या संघ के संबंध में एस. ई. बी. सी. माने जाते हैं।

क्षेत्र।

165. अभिव्यक्ति की चौड़ाई और आयाम "माना जाएगा" को किसी भी तरह से पतला या काटा नहीं जा सकता है।

जो भी हो। यदि कोई यह समझता है कि यह सूची वास्तव में संविधान के उद्देश्यों के लिए एस. ई. बी. सी. की पहचान करती है, तो अनुच्छेद *342* ए *(2)* में निम्नलिखित सब कुछ है:

कि ऐसी सूची में केवल संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय, इसलिए, *[2021] 15* एस. सी. आर.

इसका क्या अर्थ है, यह निर्धारित करने के लिए पूरे लेख के उद्देश्य और विषय-वस्तु को देखना होगा। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले यह अनुच्छेद *366 (26* सी*)* से जुड़ा हुआ है और परिभाषा में "साधन" और "मानित" शब्दों का उपयोग निर्णायक है, अर्थात, इन उद्देश्यों के लिए कोई वर्ग या जाति नहीं मानी जा सकती है -

अनुच्छेद *342* ए के तहत सूचीबद्ध संविधानों के अलावा अन्य संविधान। दूसरा, अनुच्छेद

342 ए *(1)* एकमात्र प्रावधान है जो शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा पहली बार में राष्ट्रपति द्वारा पहचान की जाती है। मामलों वाली सूची की यह पहचान और प्रकाशन और समुदाय प्रत्येक राज्य और

प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में हैं। तीसरा, इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, यदि उस सूची *(*जिसे पहली बार एस. ई. बी. सी. की "केंद्रीय सूची" कहा जाता है*)* से शामिल या बहिष्कृत करके इसमें बदलाव किए जाते हैं, तो अकेले संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि "केंद्रीय सूची" वाक्यांश को "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" वाक्यांश द्वारा स्पष्ट किया जाए जो निम्नलिखित अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

खंड *(1)* "जिसे बाद में" उपरोक्त अधिसूचना "शब्द के उपयोग से प्रबलित किया जाता है। इस प्रकार, प्रारंभिक पहचान का विषय

और संविधान के प्रयोजनों के लिए सूची का प्रकाशन केवल प्रकाशित राष्ट्रपति द्वारा *(*केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के तहत*)* और समावेश के माध्यम से कोई भी बाद का परिवर्तन या

बहिष्करण केवल उस सूची के कानून द्वारा संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

166. यदि कोई लेखों से जुड़ी पूरी योजना की व्याख्या करता है

366 (26 सी*), 342* ए *(1)* और *342* ए *(2),* अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जो निम्नलिखित है

यह है कि संविधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एस. ई. बी. सी. की सूची प्रकाशित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। इस तरह की अधिसूचना को बाद में केंद्रीय सूची कहा जाता है अनुच्छेद *342* ए *(2);* इसे केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके विपरीत व्याख्या वस्तुतः संविधान के प्रावधानों में पाई जाती है।

जिन संशोधनों को प्रवर समिति की कार्यवाही में प्रस्तावित और स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था; कुछ असहमत सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिया था, उसे पढ़ने का भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, विचार-विमर्श को ध्यान में रखने की व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा

चयन समिति और संसद में इस न्यायालय के भाषणों में संविधान के उन प्रावधानों को पढ़ा जाएगा जो अब मौजूद नहीं हैं, यानी कि राज्य एस. ई. बी. सी. की पहचान करना जारी रख सकता है। यह अभ्यास स्पष्ट शर्तों के विपरीत होगा।

167. इसलिए, उपरोक्त अभिव्यक्तियाँ, *(i)* डी. आर. परिभाषा की व्याख्या के संबंध में इस न्यायालय के पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अनुच्छेद *366* के तहत खंड*; (ii)* अनुच्छेद *366* में अंतःस्थापित नई परिभाषाओं की व्याख्या और *(iii)* संविधान में किए गए संशोधनों की व्याख्या जो नए प्रावधानों को अंतःस्थापित करते हैं, जहां न्यायालय हमेशा मूल प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के पक्ष में झुकता है, इस न्यायालय को

समान दृष्टिकोण अपनाएँ, परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए, सादे, शाब्दिक निर्माण द्वारा। इस अदालत ने कभी भी बाहरी सहायता के माध्यम से शब्दावली को कम नहीं किया

जैसे संसद में दिए गए भाषण या प्रवर समिति की रिपोर्ट। इस उदाहरण में, ऐसा करने से संसद सदस्यों या मंत्रियों ने जो कहा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार, सादे को नजरअंदाज करते हुए।

संविधान की शर्तें। जैसा कि पहले कहा गया है, न्यायालय यह नहीं मान सकता है कि संसद ने केवल एक सौंदर्य परिवर्तन का संकेत दिया है -

संवैधानिक परिवर्तन जो अनुच्छेद *338* बी को लागू करके सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता था।

168. किहोतो होल्लोहन *(ऊपर)* के फैसले के अलावा, यह अदालत, रघुनाथराव गणपतराव बनाम में। भारत संघ *1 33*, कर्तव्य पर रहता था

इस न्यायालय का, अर्थ को समझने और संविधान में संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए। अदालत ने वाल्टर एफ. मर्फी से उद्धृत किया, जिन्होंने

संविधान में, संविधानवाद और लोकतंत्र ने समझाया कि 'संशोधन' का क्या अर्थ है:

"इस प्रकार एक संशोधन आयोग की त्रुटियों को ठीक करता है या

चूक, मौलिक रूप से बदले बिना प्रणाली को संशोधित करता है अर्थात, एक संशोधन के भीतर काम करता है

इसकी प्रकृति

मौजूदा संविधान के सैद्धांतिक मापदंड "।
इस न्यायालय ने तब इस प्रकार टिप्पणी की:

"*86.* हमारे संविधान में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान हैं -

संविधान में संशोधन करना। संशोधन केवल संविधान के अधिकार के तहत और सख्ती से किए जाने थे

निर्धारित विधियों का पालन करते हुए, निश्चित रूप से

के चित्रण करने वाले कई उत्कृष्ट व्याख्यात्मक निर्णय
सीमाएँ ताकि संवैधानिक ताना-बाना खराब न हो

या क्षतिग्रस्त। संशोधन जो एक परिवर्तन या परिवर्तन है

केवल संविधान को और अधिक बनाने के उद्देश्य से है

पूर्ण, प्रभावी और सार्थक। लेकिन उसी समय, एक

किसी भी संशोधन की प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए

133 1994 पूरक *(1)* एससीसी *191 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान का प्रावधान ताकि इसके परिणामस्वरूप न हो

मौलिक पहचान और चरित्र और संविधान का प्रतिपादन
अव्यवहारिक। अदालत को विवेक से कोई सरोकार नहीं है

संवैधानिक संशोधन के पीछे या औचित्य क्योंकि

ये वे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए कि कौन निहित हैं

संविधान संशोधन करने के अधिकार के साथ। न्यायालय का संबंध केवल इस बात से है कि *(1)* क्या प्रक्रिया

अनुच्छेद *368* द्वारा निर्धारित का सख्ती से पालन किया जाता है*?* और *(2)*

क्या संशोधन ने मूल को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया है

संविधान की संरचना या आवश्यक विशेषताएं।

169. अपने लेख सांविधिक व्याख्या और संवैधानिक में

विधान *(*कैम्ब्रिज रिपॉजिटरी के व्याख्या करने वाले संवैधानिक विधान डेविड फेल्डमैन *1 34* से स्रोत*)* में कहा गया है कि कभी-कभी, कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है कि कोई क़ानून या संशोधन क्यों पेश किया जाता है:

"क़ानून आमतौर पर अपने चेहरे पर कोई संकेत नहीं रखते हैं

शरारत जिस पर उन्हें निशाना बनाया जाता है*;* वे एक कहानी नहीं बताते हैं। कानून को समग्र रूप से देखने से हमेशा मदद नहीं मिलेगीः कई कानून घुटने टेकने की प्रतिक्रियाओं का संग्रह हैं

विभिन्न उत्तेजनाएँ*,* और सुसंगतता की डिग्री आगे है

जहां सरकारी नीति में बदलाव किए जाते हैं*,* वहां कम किया जाता है।

प्रभावी बनाने के लिए तैयार किए गए पहले के कानून में संशोधन करके

अलग-अलग नीतियां "।

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि संदर्भ और पूर्व-मौजूदा व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।

संशोधन या प्रावधानः

"राज्य और इसके मुख्य को स्थापित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

संस्थान अक्सर किसी विशेष कार्य के लिए प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
शरारत। किसी राज्य की संस्थागत रूपरेखा के प्रतिबिंबित होने की अधिक संभावना है।

एक राजनीतिक सिद्धांत और अच्छी सरकार का विचार*,* जैसा कि

संयुक्त राज्य अमेरिका। , या धीरे-धीरे वृद्धि का परिणाम होना, जैसा कि यू. के. में, एक पहचान योग्य समस्या की प्रतिक्रिया होने के बजाय। दूसरी ओर, पूर्व-संवैधानिक अवधि में उत्पन्न होने वाली समस्याएं हो सकती हैं

134 कानून के प्रोफेसर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और क्यू. सी. बोस्निया और हर्जेगोविना के संवैधानिक न्यायालय में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी

*HTTPS: //*स्पेस। भंडार। कैम। एसी। यूके/बिटस्ट्रीम/हैंडल/*1810/246176* ओए *1838* सांविधिक व्याख्या-और-संवैधानिक-विधान-अंतिम-*19-03*

*14.*पी. डी. एफ.*?* अनुक्रम *= 1* और अनुमति है *= y* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

राजनीतिक सिद्धांत के चयन को सीधे प्रभावित किया है, और इसलिए

अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारियों के वितरण को प्रभावित किया है
संस्थाओं के बीच, प्रत्येक संस्था को आवंटित शक्तियाँ, एक दूसरे के साथ उनके संबंध, उनकी शक्तियाँ और रूप

उत्तरदायित्व "।

170. अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और *102* वें संशोधन द्वारा अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों को लागू करने का क्या तर्क था,

उद्देश्यों और कारणों का कथन सटीक नहीं है। यहां तक कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में भी केवल यह कहा गया है कि नए आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना है जो अपना कार्य करेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मौजूदा पैटर्न का पालन किया जाएगा। इनमें

परिस्थितियों को देखते हुए कि सीमित व्याख्या वस्तुतः यथास्थिति को जारी रखेगी, इस न्यायालय को उस स्थिति को ध्यान में रखना होगा जो संशोधन की शुरुआत के समय मौजूद थी। *171.* संशोधन के लिए तर्क, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *338* बी, *342* ए जैसे प्रावधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यह है कि संसद को लगभग *71* वर्षों का कार्य अनुभव था।

संबंधित मामलों के संबंध में संविधान और प्रणाली

समुदायों के सबसे पिछड़े वर्गों, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान। *102* वें संशोधन द्वारा, एस. ई. बी. सी. के लिए एक आयोग का गठन देश की आबादी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया था, जो विभिन्न कारणों से एस. ई. बी. सी. बन गए होंगे, ताकि अनुच्छेद *338* बी के तहत राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार के लिए अपनी चिंताओं को सीधे व्यक्त किया जा सके, जो तब अनुच्छेद *342* ए के तहत समावेश का विषय बन सकता है।

172. 102 वें संशोधन की एक शाखा संभवतः वह प्रमुख समूह या समुदाय होंगे, जिन्हें एक बार राज्यों द्वारा एस. ई. बी. सी. के रूप में शामिल किया गया था। उनके सापेक्ष "अग्रगामी" दर्जे के कारण, संभवतः रोजगार और प्रवेश में आरक्षण के राज्य लाभों का अनुपातहीन हिस्सा लेंगे।

173. एक स्थायी निकाय का अस्तित्व, जो निष्पक्ष रूप से, चुनावी राजनीति की धूल और शोरगुल के दबाव में आए बिना, समावेशन के दावों पर विचार करेगा, न कि तदर्थ मानदंडों पर, बल्कि समान रूप से। विकसित मानदंड, विशेषज्ञों की सहायता से, वैज्ञानिक तरीके से, *[2021] 15* एस. सी. आर. में होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ई. बी. सी. को लाभ प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप, प्रगति और विकास के सापेक्ष क्षेत्रीय और राज्य के भीतर के स्तरों को ध्यान में रखते हुए। इन सभी कारकों को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि *102* वें संशोधन में *366 (26* सी*), 342* ए*, 338* बी और *342* ए को शामिल करके एसईबीसी की पहचान के लिए तंत्र को मौजूदा तंत्र के साथ जोड़ा गया है

इस न्यायालय की राय में अनुच्छेद *338* बी *(7)* और *338* बी *(9)* के तहत परामर्शात्मक प्रावधानों का मतलब केवल यह है कि पहचान के मामलों में राज्य अपनी सिफारिशें कर सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद *342* ए के कारण, यह राष्ट्रपति है, यानी केवल केंद्र सरकार, जिसका निर्णय अंतिम और निर्धारक है। समावेशन के लिए किया गया संकल्प या अपवर्जन को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। यह देखते हुए कि अनुच्छेद *338 (*बी*) (9)* राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को एस. ई. बी. सी. को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करने का आदेश देता है, इस परामर्श का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि राज्यों का विचार इतना महत्वपूर्ण होगा, जो निर्णायक या अंतिम होगा और प्रस्तुत करेगा। राज्य अनुच्छेद *338 (7)* के आधार पर आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं और उनसे संबंधित सिफारिशों को अपने विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए बाध्य हैं। राज्य अपनी आपत्ति भी जता सकता है और बता सकता है कि वह रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद *342* ए के अनिवार्य और स्पष्ट वाक्यांश को देखते हुए, किसी भी जाति या समुदाय को इसमें शामिल करने का अंतिम निर्णय

एस. सी. बी. सी. की सूची केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति की है।

175. इस न्यायालय की यह भी राय है कि *102* वें संशोधन, विशेष रूप से अनुच्छेद *342* ए द्वारा लाया गया परिवर्तन केवल

एस. ई. बी. सी. की पहचान की प्रक्रिया और उनकी सूची के संबंध में।

आवश्यक रूप से, अन्य सभी मामलों जैसे कि एस. ई. बी. सी. के लिए कल्याणकारी योजनाओं, संस्थानों की स्थापना, अनुदान, छात्रवृत्ति, आरक्षण की सीमा और अनुच्छेद *15 (4), 15 (5)* और *16 (4)* के तहत विशेष प्रावधानों के संबंध में नीतियां और कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के पास है।

(जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसियों और निगमों और कंपनियों के तहत सेवाएं शामिल हैं*)*। दूसरे शब्दों में, की सीमा आरक्षण, किस प्रकार के लाभ, छात्रवृत्ति की मात्रा, स्कूलों की संख्या जो अनुच्छेद *15 (4)* या किसी भी डी. आर. के तहत विशेष रूप से प्रदान की जानी है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अन्य लाभकारी या कल्याणकारी योजनाएं जो अनुच्छेद *15 (4)* के तहत कल्पनीय हैं, राज्य द्वारा अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। इस शक्ति में सुझाव देना और संग्रह करना शामिल होगा।

बनाने के लिए वैधानिक आयोगों के माध्यम से यदि आवश्यक हो तो डेटा

अनुच्छेद *342* ए के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति को जातियों और समुदायों को शामिल करने या बहिष्कृत करने के लिए सिफारिशें। यह अनुच्छेद *338* बी के तहत संविधान की भावना और सहकारिता के सिद्धांत के अनुरूप होगा। संघवाद *1 3 5* जो इस संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शन करता है।

176. राष्ट्रपति ने अभी तक एक सूची तैयार और प्रकाशित नहीं की है

अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत। अनुच्छेद *342* ए के स्पष्ट जनादेश को ध्यान में रखते हुए-जिसे अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पढ़ना आवश्यक है, *102* वें संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख से केवल राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार के पास अंततः वर्गों और जातियों को एसईबीसी के रूप में पहचानने की शक्ति है। यह अदालत सचेत है

हालांकि यह संशोधन दो साल से अधिक समय पहले लागू हुआ था, लेकिन अभी तक अनुच्छेद *342* ए के तहत किसी भी सूची को अधिसूचित नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एन. सी. बी. सी. अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में, न्यायालय का मानना है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद *338* बी के तहत स्थापित आयोग के साथ उचित परामर्श के बाद, *342* ए *(1)* के तहत एक व्यापक सूची प्रकाशित करनी चाहिए। इस मामले के सार्वजनिक महत्व को देखते हुए इस अभ्यास को अधिकतम अभियान के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उस समय तक राज्यों द्वारा तैयार की गई एस. ई. बी. सी. सूचियाँ जारी रहतीं। ये निर्देश अनुच्छेद *142* के तहत दिए गए हैं, जो उन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं जो यदि यह माना जाता है कि सभी राज्य सूचियों में

काम करना बंद कर दें। तब अनुच्छेद *342* ए के परिणाम इतने गंभीर होंगे कि संविधान के अनुच्छेद *15* और *16* के तहत लाभ का दावा करने के लिए एस. ई. बी. सी. की पात्रता के संबंध में एक शून्य छोड़ देंगे।

रीः बिन्दु संख्या *6* चाहे, संविधान का अनुच्छेद *342* ए

"नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को निरस्त करता है और इस तरह भारत के संविधान की संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है?

177. W.P.938/2020 में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री अमोल। बी. करंडे ने आग्रह किया कि *102* वें संशोधन के प्रावधान, विशेष रूप से

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और अनुच्छेद *342* ए संविधान की आवश्यक विशेषताओं या मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। यह तर्क दिया गया था कि इन प्रावधानों *135* जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम। हरियाणा

राज्य, *2016* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *1260;* राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ *1978 1* एससीआर *1 [2021] 15* एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य को पूरी तरह से अपनी शक्ति से वंचित करके संघीय संरचना को प्रभावित करें

सूची *II* की प्रविष्टि *25* और प्रविष्टि *41* के तहत एस. ई. बी. सी. के पक्ष में कानून बनाना और एस. ई. बी. सी. के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करना। यह तर्क दिया गया था कि एस. ई. बी. सी. की पहचान करने और उनके पक्ष में उपयुक्त प्रावधान करने की शक्ति है

यह हमेशा राज्यों का रहा है। इस संवैधानिक स्थिति को इंद्र साहनी *(ऊपर)* में मान्यता दी गई थी, जब न्यायालय ने राज्य की आवश्यकता थी।

सरकार स्थायी आयोगों का गठन करेगी। विवादित प्रावधानों के माध्यम से, राष्ट्रपति को अब संविधान के उद्देश्यों के लिए एस. ई. बी. सी. की पहचान करने का कार्य करने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है क्योंकि यह वे लोग हैं जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो क्षेत्र और उसके लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए अपनी विशिष्ट रूप से स्थित आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नीतियां बनाते हैं।

178. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मूल संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने की शक्ति को अलग रखा था और इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने की शक्ति प्रदान की थी।

राष्ट्रपति जिसके बाद संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता था। हालांकि, जहां तक राज्यों का संबंध है, ऐसी शक्ति को उनके अधिकारियों और विधानसभाओं के साथ बनाए रखने की सलाह दी गई थी। राज्यों की शक्तियों का अभाव इसके अधिकार क्षेत्र की जड़ों पर हमला करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके निवासियों को एस. ई. बी. सी. के साथ-साथ आरक्षण पर लागू योजनाओं के रूप में उपयुक्त कल्याणकारी उपाय मिलें।

179. विद्वान वकील ने केशवानंद भारती बनाम में इस न्यायालय के फैसले के कुछ अंशों पर भरोसा किया। केरल राज्य *1 36* समर्थन करेगा

तर्क है कि सुधार के लिए संशोधन प्रस्तुत किए बिना

अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान के तहत, जिस हद तक यह राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची के तहत विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की उनकी शक्तियों से वंचित करता है, संशोधन अमान्य होगा।

180. संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि *102* वें संशोधन अधिनियम या इसके किसी भी प्रावधान का संविधान की किसी भी आवश्यक विशेषता का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक कि प्रश्न में संशोधन सीधे प्रभावित नहीं होता है *(*यानी।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* या सूची *III* के किसी भी प्रावधान में संशोधन करके सूची में विधायी शक्ति को पूरी तरह से छीन लिया जाता है*)*, अधिकांश कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। महान्यायवादी ने सज्जन सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। राजस्थान राज्य *1 3 7*

136 1973 सप. एससीआर *1* *137 1965* एससीआर *(1) 933* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

181. 102 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए प्रावधानों की वैधता के संबंध में दो मुद्दे उठते हैं। पहला है चेहरे की चुनौती। जहाँ तक याचिकाकर्ता का आग्रह है कि अनुच्छेद *368 (2)* के परंतुक में दर्शाई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना, अर्थात अनुमोदन प्राप्त करना या

सभी राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं का अनुसमर्थन, संशोधन अमान्य है। इस संबंध में जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से किसी भी विधायी प्रविष्टि में प्रत्यक्ष संशोधन के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, राज्य द्वारा भविष्य के विधान को अप्रत्यक्ष या तिरछे तरीके से प्रभावित करने वाले मूल प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक रूप से उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए संविधान के उल्लंघन में नहीं आएगा।

अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान में। सज्जन सिंह *(*उपरोक्त*)* मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"हमारे निर्णय के लिए जो प्रश्न आवश्यक है वह है: क्या होगा*?*

ए में संशोधन करने की आवश्यकता
भाग *III* में निहित संवैधानिक प्रावधान, यदि उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियाँ

अनुच्छेद *226* के तहत प्रभावित होने की संभावना है*?*

सज्जन सिंह अदालत ने चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि

"..... इस प्रकार, यदि विवादित अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन पर सार और सार परीक्षण लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि संसद केवल उस सामाजिक-आर्थिक नीति को पूरा करने में किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहती है जिसमें पार्टी सत्ता में है।

विश्वास करते हैं। यदि ऐसा है, तो उस क्षेत्र पर संशोधन का प्रभाव, जिस पर अनुच्छेद *226* द्वारा निर्धारित उच्च न्यायालयों की शक्तियां संचालित होती हैं, आकस्मिक है और वर्तमान मामले में एक महत्वहीन आदेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विवादित अधिनियम अनुच्छेद *226* के प्रावधानों को बदलने के लिए अभिप्रेत नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी

सराहनीय उपाय से है। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि यह तर्क कि विवादित अधिनियम परन्तुक के अंतर्गत आता है, नहीं हो सकता है

कायम रहा।

182. अतः बहुमत निर्णय ने निर्णायक रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि एक व्याख्या जो किसी प्रावधान के अप्रत्यक्ष प्रभाव पर निर्भर करती है, जिसके संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और जब तक कि संशोधन वास्तव में *[2021] 15* एस. सी. आर. को हटा या बदल नहीं देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से कोई भी प्रविष्टि, या सीधे किसी अनुच्छेद में संशोधन करता है जिसके लिए अनुसमर्थन आवश्यक है, अनुच्छेद *368 (2)* के परंतुक का सहारा लेना आवश्यक नहीं था।

183. हाल ही में, इस मुद्दे पर किहोतो होलोहन में चर्चा की गई थी,

जहां इस आधार पर एक चुनौती पर सवाल उठाया गया कि अनुच्छेद *368* के परंतुक के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए दसवीं अनुसूची शुरू करने वाले संशोधन के सभी प्रावधान अमान्य थे। न्यायालय दसवीं अनुसूची के प्रत्येक प्रावधान का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा और कहा कि उस पैरा *7* का, जिसमें सभी न्यायालयों की अधिकारिता शामिल नहीं थी, संविधान के अनुच्छेद *226* और *32* के तहत न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करने का प्रभाव था। दूसरे शब्दों में, संशोधन का प्रत्यक्ष परिणाम उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को बाधित करना था और इस प्रकार, इसने भाग *VI* के अध्याय *5* को सीधे प्रभावित किया; अधिकांश राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। चूंकि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए पैरा *7* को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला माना गया। न्यायालय ने पृथकता के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि दसवीं अनुसूची में निहित संशोधन के अन्य भागों को इस तरह के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है और

पैरा *7*

केवल इस आधार पर अलग किया जाएगा कि यह अभिव्यक्ति के विपरीत है संवैधानिक प्रावधान। इस अदालत ने इस प्रकार फैसला सुनायाः

" 59. सज्जन सिंह मामले *[(1965) 1* एस. सी. आर. *933:* ए. आई. आर. *1965* एससी

845] की वैधता के खिलाफ एक समान विवाद उठाया गया था

अनुच्छेद *31*-ए को फिर से संशोधित किया गया और *44* क़ानून जोड़े गए।
संविधान की नौवीं अनुसूची तक। एक बार फिर उठा सवाल

क्या संशोधन के तहत अनुसमर्थन की आवश्यकता थी

अनुच्छेद *368* का प्रावधान। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर इस प्रकार ध्यान दियाः

(एस. सी. आर पी. 940)

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

76. पृथकता के परीक्षण के लिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि

क्या विधायिका ने कानून को लागू किया होगा यदि

कटा हुआ हिस्सा कानून का हिस्सा नहीं था और क्या उसके बाद

अलगाव जो बच जाता है वह स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है और है

काम करने योग्य। यदि दसवीं अनुसूची के प्रावधान हैं -
विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि में माना जाता है, अर्थात्,

दलबदल समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ

इससे पहले के विधेयक जो दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए पेश किए गए थे

यह स्पष्ट होगा कि अंतर्निहित मुख्य उद्देश्य
संवैधानिक संशोधन और दसवें जैश्री लक्ष्मणराव पटेल की शुरूआत *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

अनुसूची दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए है जो कारण बन रहा था

हमारे शरीर की राजनीति में भारी शरारत। पैराग्राफ *7* के तहत अदालतों के अधिकार क्षेत्र का निष्कासन दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के मुख्य उद्देश्य को बल देने के लिए आकस्मिक था। यह नहीं कहा जा सकता है कि घटक निकाय ने दसवीं अनुसूची के अन्य प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया होता यदि उसे पता होता कि अनुच्छेद *7* वैध नहीं था। न ही यह कहा जा सकता है कि दसवीं अनुसूची के शेष प्रावधान अपने आप नहीं टिक सकते हैं, भले ही अनुच्छेद *7* ऐसा पाया गया हो।

असंवैधानिक है। पैराग्राफ *7* के प्रावधान कर सकते हैं, इसलिए, इसे शेष प्रावधानों से अलग किया जा सकता है।

77. तदनुसार हम विवाद *(*सी*)* और *(*डी*)* पर कायम हैं:

कि अनुच्छेद *368 (2)* के उक्त परंतुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे प्रावधान की पृथकता को कम करता हो जिसे शामिल करने के कारण संशोधन वाले विधेयक को ऐसे विधेयक के शेष प्रावधानों से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है जो इस तरह के अनुसमर्थन को आकर्षित नहीं करते हैं और जिसकी आवश्यकता होती

है। अनुच्छेद *368 (2)* की अनिवार्य भाषा को ध्यान में रखते हुए कि 'इसके बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा'

परंतुक के संचालन का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए

किसी विधेयक में संवैधानिक संशोधन जो इस तरह के अनुसमर्थन के बिना खुद खड़ा रह सकता है।

कि तदनुसार, संविधान *(*बावनवा संशोधन*)* अधिनियम, *1985*, जहाँ तक वह भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को लागू करना चाहता है, उसके प्रावधानों की सीमा तक जो संघ संसद की संशोधन प्रक्रिया की कानूनी-संप्रभुता के लिए उत्तरदायी हैं,

परंतुक जो उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता है। इस विचार के लिए कोई औचित्य नहीं है कि संविधान *(*बावनवा संशोधन*)* अधिनियम, *1985* के शेष प्रावधान भी, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ *7* को छोड़कर

केवल इस तथ्य के कारण से संवैधानिक रूप से कमजोर है कि इसके अलग करने योग्य प्रावधानों में से एक जो आकर्षित करता है और आवश्यक है

अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान के तहत अनुसमर्थन की पुष्टि नहीं की गई थी।

दसवीं अनुसूची के उस पैराग्राफ *7* में एक ऐसा प्रावधान है जो दसवीं अनुसूची के मुख्य प्रावधानों से स्वतंत्र है और उनसे अलग है, जिनका उद्देश्य *[2021] 15* एस. सी. आर. प्रदान करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धांतहीन और अनैतिक राजनीतिक दलबदल की बुराई के लिए एक उपाय और इसलिए, एक अलग करने योग्य हिस्सा है। शेष

दसवीं अनुसूची के प्रावधान कायम रह सकते हैं और रह सकते हैं

पैराग्राफ *7* से स्वतंत्र रूप से और अपने आप में पूर्ण हैं

काम करने योग्य और के निष्कासन द्वारा काटे नहीं जाते हैं

अनुच्छेद *7.*

184. जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या संशोधन संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करने के लिए बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन करता है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि संशोधनों के माध्यम से लाया गया केवल परिवर्तन कितना भी गंभीर प्रभाव क्यों न हो, इसे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। रघुनाथराव गणपतराव *(*उपर्युक्त*) 38* में संविधान के अनुच्छेद *291* और *362* को संशोधन द्वारा हटाने पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि वे संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। इस अदालत ने तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि:

"*107.* संविधान की पूरी योजना और विषय-वस्तु पर गहन विचार करने पर, हम उपरोक्त प्रस्तुतियों में कोई बल नहीं देखते हैं। वर्तमान मामले में *26* के कारण पहचान में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है।

योजना या इसकी मूल विशेषताओं में, या इसके मूल रूप में या इसके चरित्र में। पहचान का सवाल तभी उठेगा जब पहचान के रूप, चरित्र और विषय-वस्तु में बदलाव होगा।
संविधान। वास्तव में, वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों के वकील द्वारा प्रस्तावित परीक्षणों पर भी संविधान की पहचान वही बनी हुई है और

अपरिवर्तित।

185. एन. नागराज *(ऊपर)* में, इस पहलू का विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों में किया गया था:

"एक संवैधानिक सिद्धांत को एक आवश्यक विशेषता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उक्त सिद्धांत विधायिका पर बाध्यकारी संवैधानिक कानून का एक हिस्सा है। केवल

इसके बाद, दूसरा कदम उठाया जाना है, अर्थात्, क्या सिद्धांत इतना मौलिक है कि संशोधन को भी बाध्य कर सके।

138 रेफ.

एफ. एन. *104* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

संसद की शक्ति, अर्थात मूल का एक भाग बनाने के लिए

संरचना। मूल संरचना अवधारणा तदनुसार संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करती है।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

मूल्य राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य लागू करते हैं

जहाँ तक संभव हो उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करें। व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को न केवल राज्य के खिलाफ संरक्षित किया जाना है, बल्कि उन्हें इसके द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। इन अधिकारों और मूल्यों को व्यापक बनाना और उन्हें सूचित करना जर्मन मूल कानून के तहत मानव गरिमा का सिद्धांत है। इसी तरह, धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो

यह भारतीय संविधान के तहत कई अधिकारों और मूल्यों का व्यापक सिद्धांत है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, तर्कसंगतता, सामाजिक न्याय आदि जैसे स्वयंसिद्ध सिद्धांत व्यापक सिद्धांत हैं जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जोड़ने वाले कारक प्रदान करते हैं।

मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद *14,19* और

ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं।

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

भारतीय संविधान के तहत 'संघवाद' शब्द नहीं है।

प्रस्तावना में मौजूद है। हालाँकि, इसका सिद्धांत *(*यू. एस. ए. की तरह सख्त अर्थों में नहीं*)* संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चित्रित किया गया है। विशेष रूप से, इस अवधारणा को पाया जाता है अनुच्छेद *245* और *246* के तहत शक्तियों का पृथक्करण

संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए, बुनियादी संरचना का सिद्धांत इस पर आधारित है

संवैधानिक पहचान की अवधारणा। न्यायशास्त्र की मूल संरचना संवैधानिक पहचान के साथ एक पूर्व-व्यवसाय है।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

'संशोधन' शब्द यह मानता है कि पुराना संविधान

परिवर्तन के बावजूद अपनी पहचान खोए बिना जीवित रहता है और यह परिवर्तन के अधीन होने के बावजूद जारी रहता है। यह बहुमत में राय का निरंतर विषय है।

केशवानंद भारती में निर्णय। उसकी पहचान को नष्ट करना है

संविधान की मूल संरचना को निरस्त करना। यह वह है

संवैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

186. इसी तरह, कृष्ण अय्यर, जे. ने टिप्पणी की थी कि क्या

इस तरह का संशोधन घृणित होगा और महाराव साहिब श्री भीम सिंहजी बनाम में मूल संरचना का उल्लंघन करेगा। भारत संघ *1 3 9 139* निम्नलिखित शर्तों में:

" इसलिए, जो मूल विशेषता का विश्वासघात है वह नहीं है

केवल अनुच्छेद *14* का उल्लंघन लेकिन एक चौंकाने वाला, असहनीय

या समान न्याय के सार का अनैतिक उपहास।

}}

187. इन मापदंडों के अनुसार, राज्य की विषय-वस्तु में परिवर्तन

तिरछे और परिधीय तरीके से विधायी शक्ति का गठन नहीं होगा।

संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन। यह केवल तभी होता है जब संशोधन संघवाद के सार को छीन लेता है या संविधान की संघीय सामग्री को प्रभावी ढंग से अलग कर देता है, और राज्यों को कार्यकारी नीतियों को कानून बनाने या तैयार करने की उनकी प्रभावी शक्ति से वंचित करता है।

विधायी शक्ति*)* कि संशोधन एक आवश्यक विशेषता को छीन लेगा या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेगा। इस तरह के मानदंड को लागू करते हुए, इस अदालत की राय है कि राज्यों द्वारा अब तक एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता था और अब अनुच्छेद *342* ए के आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र *(*और इसके संशोधन के लिए, संसद को*)* में स्थानांतरित किया जाता है, जो किसी भी तरह से संविधान की आवश्यक विशेषताओं या बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। *102* वां संशोधन भी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान के विपरीत या उल्लंघनकारी। नतीजतन, यह माना जाता है कि रिट याचिका योग्यता के बिना है; इसे खारिज कर दिया जाता है।

निष्कर्ष

188. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित हैः

पुनः बिंदु संख्या *1:* इंद्र साहनी *(*ऊपर*)* की आवश्यकता नहीं है

(1)

एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाना और न ही इसकी आवश्यकता होती है

बाद के संविधान के आलोक में पुनर्विचार

संशोधन, निर्णय और सामाजिक गतिशीलता में बदलाव

समाज, अशोक भूषण द्वारा निर्धारित कारणों के लिए, जे।

और मेरे कारण, इसके अलावा।

पुनः बिंदु संख्या *2:* महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*सीटों का*)*

(2)

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और
लोक सेवाओं और पदों में नियुक्तियाँ

139 (1981) 1 एस. सी. सी. *166* एच. आर. आई. लैक्समैनराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

राज्य*)* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए *(* एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* में *2019* में संशोधन किया गया था, जिसमें *50* प्रतिशत के अलावा मराठा समुदाय के लिए *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

सामाजिक आरक्षण में कोई अपवाद नहीं है। संविधान पीठ द्वारा विचार की गई परिस्थितियाँ

इंद्र साहनी का मामला। मैं तर्क से सहमत हूँ और इस मुद्दे पर अशोक भूषण, जे. के निष्कर्ष।

पुनः बिंदु संख्या *3:* मैं अशोक भूषण, जे. से सहमत हूं कि राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य के बल पर

एम. सी. गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट

असाधारण के अस्तित्व का मामला नहीं बनाया है

राज्य में गिरने वाली स्थिति और असाधारण परिस्थितियाँ

इंद्र साहनी में तराशे गए अपवाद के भीतर।

पुनः बिंदु संख्या *4:* क्या संविधान एक सौ दूसरा संशोधन राज्य विधानमंडल को इसके अधिकार से वंचित करता है

सामाजिक और सामाजिक रूप से निर्धारित करने वाले कानून को लागू करने की शक्ति

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ प्रदान करना

अपनी सक्षम शक्ति के तहत उक्त समुदाय पर*? ;* और री. बिंदु संख्या *5* क्या अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत "किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति है

वैसे भी अनुच्छेद *342 (*ए*)* के साथ पढ़ा गया

संदर्भ के परस्पर संबंधित बिंदु, मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं निम्नलिखित हैः

भारत के *102* वें संविधान के माध्यम से अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और *342* ए को लागू करके, अकेले राष्ट्रपति को, अन्य सभी प्राधिकरणों को छोड़कर, पहचान करने का अधिकार है।

एस. ई. बी. सी. और उन्हें नीचे प्रकाशित की जाने वाली सूची में शामिल करें

संविधान से। राज्य अपने मौजूदा तंत्र के माध्यम से, या यहाँ तक कि

वैधानिक आयोग, केवल सुझाव देते हैं

अनुच्छेद *338* बी के तहत राष्ट्रपति या आयोग, के लिए अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में जातियों या समुदायों का समावेश, बहिष्कार या संशोधन।

(iii)

अनुच्छेद *342* ए *(2)* में केंद्रीय सूची का संदर्भ है -
अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित। प्रत्येक राज्य के संबंध में और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए यह एकमात्र सूची होगी। "केंद्रीय सूची" शब्द का उपयोग केवल अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत तैयार और प्रकाशित सूची को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और कोई अन्य नहीं; इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों के पास एसईबीसी की अपनी सूची प्रकाशित करने का कोई तरीका है। एक बार प्रकाशित होने के बाद, अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत, सूची को केवल अनुच्छेद *342* ए *(2)* के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

((iv)

एस. ई. बी. सी. की पहचान के कार्य में, राष्ट्रपति

अनुच्छेद *338* ख के तहत स्थापित आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा; उसके द्वारा बनाई जा सकने वाली नीतियों के संबंध में राज्य द्वारा उसकी सलाह भी ली जाएगी। यदि आयोग पहचान के मामलों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो ऐसी रिपोर्ट

इसे राज्य सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद *338* बी के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने के लिए बाध्य है। हालांकि, अंतिम निर्धारण राष्ट्रपति *(*यानी केंद्रीय*)* द्वारा की गई कवायद में समाप्त होता है।

सरकार, अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत, धारा *3 (8) (*बी*)* सामान्य खंड अधिनियम के साथ पठित अनुच्छेद *367* के कारण।

(v)

आरक्षण देने की राज्यों की शक्ति, के पक्ष में

विशेष समुदाय या जातियाँ, की मात्रा
आरक्षण, लाभ की प्रकृति और किस प्रकार का

पहचान के संबंध को छोड़कर अनुच्छेद *15* और *16* के दायरे में आने वाले आरक्षण और अन्य सभी मामले।

एस. ई. बी. सी., अबाधित रहता है।

(vi) अनुच्छेद *338* बी के तहत गठित आयोग अपने कार्य को शीघ्रता से पूरा करेगा और अपनी सिफारिशें करेगा, जिस पर विचार करने के बाद, राष्ट्रपति निम्नलिखित के संबंध में एसईबीसी की सूची वाली अधिसूचना को शीघ्रता से प्रकाशित करेगाः

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, के उद्देश्य के लिए
संविधान।

(vii) निर्देश *(vi)* में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्र सरकार और केंद्रीय संस्थानों के उद्देश्यों के लिए काम करने वाली मौजूदा सूचियां काम करती रहती हैं। यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत जारी किया गया है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एस. रवींद्र भाट, जे.*]*

(6)

पुनः बिंदु संख्या *6:* संविधान का अनुच्छेद *342* ए

संघीय राजनीति और इसकी मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करती है
भारत का संविधान।

189. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है। अपीलें

और इसलिए रिट याचिकाओं का निपटान भूषण, जे. के अपने निर्णय के पैरा *444* में संचारी आदेश के संदर्भ में किया जाता है।

एल. नागेश्वर राव, जे.

1. मैंने विद्वतापूर्ण और विद्वतापूर्ण विचारों को ध्यान से देखा है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट। जहाँ तक प्रश्न संख्या की बात है। *1 , 2* और *3* चिंतित हैं, वे एकजुट हैं। वहाँ एक है

प्रश्न संख्या के संबंध में मतभेद। *4 , 5* और *6.* प्रश्न संख्या के संबंध में मैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की राय से सहमत हूं। *1 , 2* और *3.* चूंकि इन मुद्दों को पूरी तरह से निपटाया गया है

न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा, मेरे पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है।

2. प्रश्न *Nos.4,5* और *6* अनुच्छेद की व्याख्या से संबंधित हैं।

342 भारत के संविधान का ए। इन प्रश्नों पर, मैं न्यायमूर्ति अशोक द्वारा लिए गए निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हूं।

भूषण। मैं *Nos.4,5* और *6* के मुद्दे पर न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट के फैसले के खंडन से सहमत हूं।

3. अनुच्छेद की व्याख्या पर राय के विभाजन को देखते हुए

342 संविधान के अनुसार, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट के फैसले के अनुसार अपने विचारों के लिए कारण दूं। आगे बढ़ते हुए

ऐसा करते हुए, मैं उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहा हूं जिनसे उन्होंने निपटा है।

4. अनुच्छेद *342* ए जो व्याख्या के लिए आता है वह इस प्रकार है: -

-

342 A. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। — *(1)*

राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में,
और जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद

एकर, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक आ निर्दिष्ट करू।
शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो इन उद्देश्यों के लिए

इस संविधान को सामाजिक और शैक्षिक रूप से *[2021] 15* एस. सी. आर. माना जाए।

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में पिछड़े वर्ग,

जैसा कि मामला हो सकता है।

(2) संसद कानून द्वारा इसमें शामिल या बहिष्कृत कर सकती है -

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची

खंड *(1)* के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई सामाजिक

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, लेकिन उपरोक्त को छोड़कर

उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में बदलाव नहीं किया जाएगा।

किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा।

5. अनुच्छेद *366 (26* सी*)* जो भी प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के क्रमशः अर्थ हैं
उन्हें सौंपा गया है, अर्थात

XX

XX

XX

XX

[(26(ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ है
ऐसे पिछड़े वर्ग जो अनुच्छेद *342* ए के तहत माने जाते हैं

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए;*]*

6. उपरोक्त का अर्थ लगाने का अभ्यास शुरू करने से पहले

अनुच्छेद, संविधान की व्याख्या के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक है। संविधान का उद्देश्य आने वाले युगों तक टिके रहना है, और इसके परिणामस्वरूप मानव मामलों के विभिन्न संकटों के अनुकूल होना है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वह संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। संविधान एक जीवित और जैविक दस्तावेज है जिसके लिए आवश्यक है -

व्यापक रूप से और उदारता से समझाया गया। मुझे बेंजामिन कार्डोजो द्वारा सावधानी के शब्द की याद दिलाई जाती है जिन्होंने कहा था कि "एक न्यायाधीश एक शूरवीर नहीं है जो सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छानुसार घूम रहा है। जज का मतलब खुशी से नया करना नहीं है। *2* नियम जो अन्य कानूनों की व्याख्या पर लागू होते हैं, संविधान की व्याख्या पर लागू होते हैं। इसे एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है

संवैधानिक प्रावधान, लेकिन ऐसा करते समय "सादे अर्थ" का नियम

1 मैककुलोच बनाम। मैरीलैंड, *17* यू. एस. *316 (1819) 2* बेंजामिन कार्डोजो, न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, *(*न्यू हेवनः येल यूनिवर्सिटी प्रेस, *13* वीं संस्करण, *1946), 141*। *3* केंद्रीय प्रांत और मोटर स्पिरिट और स्नेहक की बेरार बिक्री कराधान अधिनियम, *1938* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एल. नागेश्वर राव, जे.*]*

या "शाब्दिक" व्याख्या, जो "प्राथमिक नियम" बनी हुई है, को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में, संविधान की व्याख्या करते समय भी "शाब्दिक निर्माण" का नियम सुरक्षित नियम है, जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा सुरक्षित न हो।

विरोधाभासी, अस्पष्ट, या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है। का कर्तव्य

न्यायपालिका विधायिका, पुरुष या संवेदनशील निकाय के सच्चे इरादे पर कार्य करना है। *(* देखिएः जी. नारायणस्वामी बनाम। जी. पन्नीरसेल्वम *3,* साउथ एशिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. सरूप सिंह और अन्य, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम। प्राइस वाटरहाउस 'और जे. पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य *3)*। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधायिका का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर ने एक पत्र में प्रसिद्ध रूप से कहा है, "मुझे परवाह नहीं है कि उनका इरादा क्या था। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। *1 0* यदि कानून के अर्थ की भाषा स्पष्ट है, तो निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधायी

इरादे स्पष्ट अर्थ *1 1* से प्रकट होते हैं। विधायी आशय का निर्धारण मुख्य रूप से क़ानून में उपयोग की जाने वाली भाषा से ही किया जाना चाहिए। *1 12*

7. कानून में सकारात्मक व्याख्या, *1313* अहरोन बराक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि किसी भी कानूनी पाठ की भाषा की तरह संवैधानिक भाषा दोहरी भूमिका निभाती है। एक ओर, यह व्याख्या की सीमाएँ निर्धारित करता है। संविधान की भाषा दुभाषिये के हाथों में मिट्टी नहीं है, जिसे वह ठीक समझे। संविधान न तो एक रूपक है और न ही एक गैर-बाध्यकारी सिफारिश है। दूसरी ओर, संविधान की भाषा इसके उद्देश्य के लिए एक स्रोत है। अन्य स्रोत भी हैं

निश्चित रूप से, लेकिन संवैधानिक भाषा जानकारी का एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक विश्वसनीय स्रोत है। यह तथ्य कि हम किसी संविधान के उद्देश्य को उसके बाहरी स्रोतों से सीख सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी संविधान को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जो उसकी स्पष्ट या अंतर्निहित भाषा से असंगत हो।

व्याख्या एक नया संवैधानिक पाठ नहीं बना सकती है। न्यायाधीशों की चर्चा

4 कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ, *(2006) 7* एस. सी. सी. *1 $(1972) 3* एस. सी. सी. *717*

6 1965 एससीआर *(3) 829*

7 (1997) 6 एस. सी. सी. *312*

8 (2003) 5 एस. सी. सी. *134 9* कनई लाल सूर बनाम। परमनिधि साधुखान, *1958 (1)* एस. सी. आर. *360 1* फेलिक्स फ्रैंकफर्टर में उद्धृत, क़ानूनों के पठन पर कुछ विचार, कोलंबिया लॉ रिव्यू, खंड। *47* , सं. *4,527-546 (1947), 538*।

1 एडम्स एक्सप्रेस कंपनी बनाम। केंटकी का राष्ट्रमंडल, *238* यू. एस. *190 (1915) 12* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। गोल्डनबर्ग, *168* यूएस *95 (1897)*

13 अहरोन बराक, कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, *(*सारी बशी अनुवाद*), (*प्रिंसटनः प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, *2005)*।

संविधान की उनकी व्याख्या के माध्यम से संविधान में संशोधन करना

रूपक। दावा है कि एक संवैधानिक पाठ सीमित करता है लेकिन नहीं

बस है

आदेश केवल सीमित संख्या में मामलों के लिए सही है, जिसमें सभी व्याख्यात्मक साधनों को समाप्त करने के बाद भी हम संवैधानिक भाषा से एक से अधिक कानूनी अर्थ निकाल सकते हैं और इसलिए अंतिम निर्णय को न्यायिक विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इन असाधारण मामलों में, भाषा

8. यह सभी प्रकार के कानूनों पर लागू होने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है कि आप किसी भी कारण से किसी वैधानिक प्रावधान का कोई अर्थ नहीं जोड़ सकते हैं। जिसे उस प्रावधान के शब्द उचित रूप से सहन नहीं कर सकते। यदि वे एक से अधिक अर्थों में सक्षम हैं, तो आप इन अर्थों के बीच चयन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा न्यायालय को नहीं जाना चाहिए। *1 5 15* लार्ड पार्कर, सी. जे. ने आर. वी. में अवलोकन किया। 'संसद की कथित मंशा' के अनुसार शब्दों में पढ़ने का कोई आधार नहीं है।

9. न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने पैरा *346* में अपनी राय में सही ठहराया

कि संविधान या कानून की व्याख्या करने का प्राथमिक सिद्धांत कानून में उपयोग किए गए शब्दों पर गौर करना है और जब भाषा स्पष्ट हो, तो विधायिका का इरादा भाषा से एकत्र किया जाना है।

उपयोग किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि व्याख्या में सहायता का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्ति में कुछ अस्पष्टता हो। राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* में न्यायमूर्ति भूषण बनाम। भारत संघ का मानना था कि संवैधानिक व्याख्या समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं के इरादे और संविधान संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य हमेशा संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं लेकिन किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए, संवैधानिक योजना और नियोजित स्पष्ट भाषा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और इरादे को उन संवैधानिक प्रावधानों से खोजना होगा जो इसके लिए तैयार हैं।

व्याख्या।

10. भारत के विधि आयोग की *183* वीं रिपोर्ट में, न्यायमूर्ति

15 जोन्स बनाम डी. पी. पी. *[1962]* ए. सी. *635 16 [1959] 2* क्यू. बी. *350 17 (2018) 8* एससीसी *501* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एल. नागेश्वर राव, जे.*]*

पाठ के रूप में व्यक्त किया गया। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक क़ानून के रूप में विधायिका का एक आदेश है, क़ानून की व्याख्या या अर्थ लगाने का पारंपरिक तरीका विधायिका के इरादे को देखना है। विधायिका की मंशा दो पहलुओं को आत्मसात करती है। एक पहलू अवधारणा को वहन करता है। 'अर्थ' का अर्थ है कि शब्द का अर्थ क्या है और एक अन्य पहलू क़ानून के माध्यम से व्याप्त 'उद्देश्य' और 'उद्देश्य' या 'कारण' या 'दृष्टिकोण' की अवधारणा को व्यक्त करता है। इसलिए, निर्माण की प्रक्रिया उदार और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। हालांकि, इसकी आवश्यकता

व्याख्या केवल तभी उत्पन्न होगी जब वैधानिक प्रावधान की कोई भाषा अस्पष्ट हो, स्पष्ट न हो या जहां दो विचार संभव हों या जहां प्रावधान क़ानून के उद्देश्य को हराने के लिए एक अलग अर्थ देता हो। उन्होंने आर. एस. नायक बनाम में इस न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख करके अपने विचार का समर्थन किया। ए. आर. अंतुले *1 8* और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे "। आर. एस. नायक *(*ऊपर*)* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय का सबसे स्पष्ट कर्तव्य प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों के स्वाभाविक अर्थ को प्रभावी बनाना है यदि क़ानून के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं।

11. एक क़ानून के शब्द, जब उनके बारे में कोई संदेह होता है

अर्थ को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे अधिनियम के विषय और उस उद्देश्य के बीच सबसे अच्छा सामंजस्य बनाते हैं जिसका उपयोग विधायिका ने किया है। उनका अर्थ भाषा की सख्ती से व्याकरणिक या व्युत्पत्ति संबंधी औचित्य में इतना नहीं पाया जाता है, न ही इसके लोकप्रिय उपयोग में, जैसा कि विषय में या जिस अवसर पर उनका उपयोग किया जाता है, और जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। *20*

12. यह कानूनों की व्याख्या का एक मान्यता प्राप्त नियम है कि

उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को आम तौर पर उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे क़ानून के उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं, और जो विधायिका के उद्देश्य को प्रभावी बनाते हैं। हालाँकि, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को विधायिका द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों के स्थान पर खंड या संरचना शब्दों को फिर से लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली साधारण भाषा में हिंसा करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है। तार्किक *1* परिणाम यह है कि

18 (1984) 2 एससीसी *183*

21 मेसर्स न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त, बिहार *1963* एस. सी. आर. सुपल। *(2) 459* *22* सी. आई. टी. बनाम एन. सी. बुधराजा एंड कंपनी *1994* एस. सी. सी. सुपरवाइजर।

न्यायिक घोषणाओं और प्रतिष्ठित लेखकों की राय से पता चलता है कि निर्माण का प्राथमिक नियम शाब्दिक निर्माण है। यदि उस प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं है जिसका अर्थ लगाया जा रहा है तो उससे आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधायी आशय जो किसी प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, भाषा से एकत्र किया जाना चाहिए। उद्देश्य बाहरी स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है लेकिन स्पष्ट या अंतर्निहित भाषा के साथ असंगत कोई भी अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

13. एरोन सोलोमन बनाम। सोलोमन *& Co.23* हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने देखा कि विधायिका का इरादा एक 'फिसलन भरा वाक्यांश' है। विधायिका का क्या इरादा है, यह वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि उसने क्या अधिनियमित करने के लिए चुना है, या तो स्पष्ट शब्दों में या उचित और आवश्यक निहितार्थ से। एक निर्माण जो किसी अधिनियम के उद्देश्य या उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, उसे उद्देश्यपूर्ण निर्माण के रूप में वर्णित किया जाता है। एक अधिनियम का एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण वह है जो *(ए)* अधिनियम के शाब्दिक अर्थ का पालन करके विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाता है जहां अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार है या *(बी)* एक तनावपूर्ण अर्थ को लागू करना जहां शाब्दिक अर्थ विधायी उद्देश्य के अनुसार नहीं है। *24* यदि ऐसा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के शाब्दिक अर्थ पर आधारित उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

14. अस्पष्टता के मामले में इस न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण नियम लागू करके वैधानिक प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया है।

निर्माण। तत्काल मामले में, प्रवर समिति के समक्ष विचार-विमर्श और उसकी रिपोर्ट और संसदीय बहसों पर उत्तरदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उनके समर्थन में भरोसा किया गया था कि अनुच्छेद *342* ए का उद्देश्य इस प्रभाव के लिए है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य विधायिका की शक्ति को छीन नहीं लिया जाता है। अतः अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए।

15. बहिष्करण नियम जिसके द्वारा किसी विधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से विधान के ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया था

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*)* बनाम हार्ट में एक सभ्य दफन किया गया था। कल्पना मेहता और ओआरएस में। वी. भारत संघ और इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि *23 1897* ए. सी. *22 24* बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, पाँचवाँ संस्करण पेज। *944 25 1993* एसी *593*

26 (2018) 7 एससीसी *1* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एल. नागेश्वर राव, जे.*]*

स्थायी समिति की रिपोर्ट को किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के उद्देश्य से सहायक के रूप में लिया जा सकता है। जहाँ भी ऐसी रिपोर्टों पर निर्भरता आवश्यक है, उनका उपयोग ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करने में अदालत की सहायता के लिए किया जा सकता है। उक्त निर्णय के अनुसार, प्रवर समिति की रिपोर्ट के विचार-विमर्श का उपयोग अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या के लिए एक बाहरी सहायता के रूप में किया जा सकता है, यदि प्रावधान में कोई अस्पष्टता है।

16. आर वी में। डी. पी. पी. पूर्व-पक्षीय डकेनफील्ड ", लॉज़, सी. जे., ने आगाह किया

हालाँकि, सरकारी घोषणाओं के इलाज में बड़े खतरों के बारे में, वैधानिक निर्माण के लिए एक सहायता के रूप में सहायक। इन ब्लैक-क्लॉसन

इंटरनेशनल लिमिटेड *28* किसी खंड या वाक्यांश के विशेष अनुप्रयोग में इच्छित अर्थ के बारे में एक मंत्री, या एक अधिकारी या एक समिति की राय लेने को कानून का कमजोर होना माना गया था, न कि एक स्वस्थ।

विकास। ऐतिहासिक सामग्रियों को लागू करते समय महत्वपूर्ण विचार इस बात की संभावना है कि संसद ने अपना मन बदल लिया है, या किसी कारण से इससे अलग हो गई है। लेटांग वी। कूपर *3 0* यह माना गया था कि इतिहास को लागू करने का निरीक्षण बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। विधायी इरादे के संकेत के रूप में, यह अधिनियम के वास्तविक शब्दों से बहुत पीछे है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक भागों को निर्धारित करते हुए, न्यायमूर्ति भट ने बताया कि रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकालने से पहले दोनों पक्षों की राय को दर्शाया गया है कि राज्यों की चिंताओं पर अनुच्छेद *341* और अनुच्छेद *342* के तहत प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंत्री यह कहकर सदस्यों की चिंताओं को दूर कर रहे थे कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बाधित नहीं किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उस पाठ से अलग होने का कोई कारण नहीं है जो स्पष्ट रूप से है और अनुच्छेद *342* ए को भाषा के विपरीत समझने के लिए विधायी इतिहास पर भरोसा करता है। मुझे विद्वानों की दलीलों से सहमत होने के लिए राजी नहीं किया जाता है

महान्यायवादी और राज्यों के लिए अन्य वकील ने कहा कि अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या प्रवर समिति की रिपोर्ट और संसद में चर्चा के आलोक में की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब विधायी भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो।

17. जहाँ न्यायालय एक के उद्देश्य का पता लगाने में असमर्थ है

अधिनियमन, या इसके उद्देश्यों के बारे में संदिग्ध है, न्यायालय के जाने की संभावना नहीं है

28 1975 एसी *591* *29* असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड *v.* अंतर्देशीय राजस्व, *1935* एसी *445* *30 [1965] 1* क्यूबी *232 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शाब्दिक अर्थ *3 1* से। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उद्देश्यों और कारणों का बयान उस उद्देश्य का संकेत नहीं देता है जिसके लिए अनुच्छेद *342* ए डाला गया था। इन मामलों की विस्तृत सुनवाई के दौरान, हमने दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से बार-बार जांच की

संविधान में अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने का उद्देश्य। कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, हम अनुच्छेद *342* ए को लागू करने के कारण का पता नहीं लगा सके क्योंकि इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।

अनुच्छेद *342* ए के शाब्दिक निर्माण का सहारा लिया जाना चाहिए।

18. क्रेज़ ने व्याख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों को बाहर निकाला

कानूनः -

कानून को हमेशा पहले उसी के अनुसार समझना चाहिए।

1.

अपने स्पष्ट अर्थ के साथ।

2.

जहाँ सादा अर्थ संदेह में है, वहाँ अदालतें शुरू होंगी।
अधिनियमित प्रावधानों से लेकर कानून के व्यापक उद्देश्य तक का पता लगाने का प्रयास करके निर्माण की प्रक्रिया।

जहाँ एक विशेष पठन उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा

3.

अभिनिर्धारित, और अधिनियमित प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ के लिए कोई हिंसा नहीं करेंगे, न्यायालय उस पठन को अपनाने के लिए तैयार होंगे।

4.

जहाँ एक विशेष पठन उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा

पहचान की गई लेकिन प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ पर दबाव डालेगी
अधिनियमित, परिणाम संदर्भ पर और विशेष रूप से, पहचाने गए उद्देश्य की स्पष्टता के संतुलन पर निर्भर करेगा

और भाषा पर तनाव की डिग्री।

जहाँ न्यायालयों ने निष्कर्ष निकाला कि रेखांकित उद्देश्य

5.

कानून का अपर्याप्त रूप से स्पष्ट है, या उपयोग की गई भाषा के लिए हिंसा की अस्वीकार्य डिग्री के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, वे बाध्य होंगे, हालांकि विशेष मामले की परिस्थितियों में अफसोस की बात है,
विधायिका का कार्य विधान का विस्तार या संशोधन करना है।

19. विधायी भाषा के सरल अर्थ का पता लगाने के लिए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद *342* ए का अर्थ निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेख

342 ए को संविधान में संविधान द्वारा जोड़ा गया था *(102* वां*)*

31 धारा *309,* वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन, *5* वां संस्करण। *32* क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, *9* वां संस्करण पृष्ठ।

643 डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एल. नागेश्वर राव, जे.*]*

संशोधन*)* अधिनियम, *2017*। अनुच्छेद *342* ए *(1)* के एक स्पष्ट अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करेंगे। अधिसूचना में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में निर्दिष्ट लोगों को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा। संविधान। अनुच्छेद *342* ए *(2)* में प्रावधान है कि अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची से समावेश या बहिष्कार केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद *342* ए *(1)* में प्रयुक्त 'केंद्रीय सूची' शब्द ने परस्पर विरोधी व्याख्याओं को जन्म दिया था। अनुच्छेद *366* परिभाषाओं से संबंधित है। उप.

अनुच्छेद *26 (*सी*)* को संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2017* द्वारा संविधान के अनुच्छेद *366* में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार, सामाजिक रूप से

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अर्थ होगा ऐसे पिछड़े वर्ग जो संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए के तहत इस प्रकार माने जाते हैं। 'साधन' शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि परिभाषा एक कठिन और तेज़ परिभाषा है, और परिभाषा में रखी गई अभिव्यक्ति को कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है। *(* देखिएः गफ वी. गफ, *(1891) 2* क्यू. बी. *665*, पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड रिक्लेमेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम।

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय *(1990) 3* एस. सी. सी. *682* और पी. कासिलिंगम बनाम। पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, *1995* एस. सी. सी. सूपल। *(2) 348.)* जब एक परिभाषा खंड को इस तरह के और इस तरह के "मतलब" के लिए परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण होती है। *3 33*

20. विधायिका अपनी भाषा को परिभाषित कर सकती है और निर्धारित कर सकती है

इसके निर्माण के लिए नियम जो आम तौर पर न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद *366 (26) (*सी*)* यह स्पष्ट करता है कि केवल वे पिछड़े वर्ग हैं जो अनुच्छेद *342* ए के तहत इस प्रकार माने जाते हैं जिन्हें निम्नानुसार माना जाएगाः

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उद्देश्यों के लिए

संविधान और कोई और नहीं। संविधान के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ग 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता है, सिवाय उन पिछड़े वर्गों के जिन्हें संविधान के अनुच्छेद *342* ए के तहत माना जाता है।

33 इंद्र सरमा बनाम। वी. के. वी. सरमा, *(2013) 15* एस. सी. सी. *755 34* कोलिन्स बनाम। टेक्सास, *223* यू. एस. *35 (2004) 8* एससीसी *329 [2021] 15* एस. सी. आर.

" 'माना' शब्द का उपयोग कभी-कभी उद्देश्यों को लागू करने के लिए किया जाता है।

एक कानून का एक शब्द या वाक्यांश का एक कृत्रिम निर्माण जो अन्यथा प्रबल नहीं होगा। कभी-कभी इसका उपयोग परे रखने के लिए किया जाता है।

किसी विशेष निर्माण पर संदेह है जो अन्यथा निश्चित हो सकता है। कभी-कभी इसका उपयोग एक व्यापक विवरण देने के लिए किया जाता है जिसमें शामिल है कि क्या स्पष्ट है, क्या अनिश्चित है और क्या है।

साधारण भावना, असंभव "।

साथ ही अनुच्छेद *342* ए में यह संदेह से परे रखा गया है कि यह केवल वे पिछड़े वर्ग हैं जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, जो संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होने का दावा कर सकता है।

23. अनुच्छेद *342* ए में उपयोग की जाने वाली विधायी भाषा में कोई विसंगति नहीं है। अनुच्छेद *342* ए के सरल पठन से जो सामान्य अर्थ निकलता है, वह यह है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं जिसमें निर्दिष्ट किया गया हो।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। यह वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा।

संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद *342* ए *(1)* में कोई अस्पष्टता नहीं है और यह स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची होगी जिसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है।

अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत जारी की जाने वाली सूची के संचालन को राज्यों पर लागू नहीं होने के रूप में प्रतिबंधित करना केवल उन शब्दों को पढ़कर किया जा सकता है जो

पाठ की पंक्तियों के बीच, लेकिन यह पाठ में पंक्तियाँ नहीं जोड़ सकता है। ऐसा करने के लिए व्याख्यात्मक सिद्धांतों का उपयोग करके एक अंतराल या कमी को भरना होगा। *37* अनुच्छेद *342* ए *(1)* को किसी अन्य तरीके से पढ़ने का कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि, *36 [1952]* एसी *109*

37 बराक सुप्रा, *374*।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* एल. नागेश्वर राव, जे.*]*

विधायी भाषा के सादे कानूनी अर्थ के अनुसार। अनुच्छेद *342* ए *(2)* में 'केंद्रीय सूची' शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसने अनुच्छेद *342* ए के अर्थ में कुछ विवाद पैदा कर दिया है।

कानून में किसी शब्द के लिए, हमें उस संदर्भ को देखना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी शब्द का पूर्ण अर्थ नहीं होता है, किसी भी शब्द को शून्य में या किसी संदर्भ के संदर्भ के बिना परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अंत में, न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर के प्रसिद्ध शब्द "यह शब्द पारदर्शी नहीं है।

और अपरिवर्तित; यह एक जीवित विचार की त्वचा है और परिस्थितियों और समय के अनुसार रंग और सामग्री में भिन्न हो सकती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। *40*

24. अनुच्छेद *342* ए *(2)* में प्रावधान है कि

उपखंड *1* के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची केवल संसद द्वारा ही की जा सकती है। प्रावधान के एक सादे अध्ययन से निम्नलिखित कटौती हो सकती है: -

खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है।

ए।

(1) .

अधिसूचना सामाजिक और शैक्षिक रूप से निर्दिष्ट करती है।

बी।

पिछड़े वर्ग।

समावेशन या बहिष्करण केवल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया जा सकता है

सी.

संसद।

डी।

बाद की अधिसूचना।
अधिसूचित सूची को "केंद्रीय सूची" कहा जाता है।

ई.

25. मुझे उत्तरदाताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियों से सहमत होना मुश्किल लगता है कि 'केंद्रीय सूची' शब्दों का उपयोग अनुच्छेद *342* ए के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना के दायरे और आयाम को सीमित कर देगा।

(1) . केवल एक सूची है जिसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करके जारी कर सकते हैं।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और केवल उन्हीं वर्गों को संविधान के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय आयोग से संकेत लेते हुए

38 न्यादार सिंह बनाम। भारत संघ *1988 4* एस. सी. सी *170* *39* प्रोफेसर एच. ए. स्मिथ ने भारत संघ बनाम में उद्धृत किया। संकल्पचंद हिम्मत लाल सेठ *(1977) 4* एस. सी. सी. *193*

40 टाउन वी। ईसनर, *245* यू. एस. *425 (1918)*

पिछड़े वर्ग अधिनियम, *1993* के लिए, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि 'केंद्रीय सूची' शब्द केवल केंद्रीय सेवाओं में नियुक्तियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में है। इस तरह से 'केंद्रीय सूची' को पढ़ना अनुच्छेद *342* ए *(1)* की चौड़ाई को कम करना होगा। यदि ऐसा पढ़ा जाए तो उपखंड *(1)* का विस्तार न्यूनतम किया जाएगा। इसके अलावा, उक्त अर्थ को प्राप्त करने के लिए, जो शब्द अनुच्छेद *342* ए *(1)* में नहीं हैं, उन्हें इसमें पढ़ना होगा। प्रासंगिक रूप से, अनुच्छेद *342* ए *(2)* में केंद्रीय सूची शब्द केवल अधिसूचना में निहित सूची के संदर्भ में हो सकते हैं जो अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत जारी की जा सकती है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि संविधान के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए और अनुच्छेद *342* ए *(1)* और *(2)* से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सूची के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की किसी भी सूची के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि संविधान के उद्देश्यों के लिए अन्य

अभिव्यक्तियों 'और' जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो 'पर न्यायमूर्ति भट द्वारा विचार किया गया है, मेरे पास उक्त अभिव्यक्तियों पर उनके द्वारा रखे गए निर्माण में जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। किसी भी भ्रम से बचने के लिए, मैं प्रश्न संख्या पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण के निष्कर्ष का समर्थन करता हूं। *1* , *2* और *3* और उनके निर्णय के पैरा सं. *444* में प्रस्तावित अंतिम आदेश। जहाँ तक प्रश्न संख्या की बात है। *4* , *5* और *6* संबंधित हैं, मैं न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की राय से सहमत हूं।

26. उपरोक्त चर्चा का एक पहलू यह होगा कि अनुच्छेद *342* ए के तहत सार्वजनिक अधिसूचना में केवल उन्हीं पिछड़े वर्गों को शामिल किया गया है। संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे।

हेमंत गुप्ता, जे।

मैंने विद्वान माननीय श्री अशोक भूषण, जे., माननीय श्री एस. रवींद्र भट, जे. द्वारा लिखित निर्णयों और माननीय श्री एल. नागेश्वर राव, जे. द्वारा लिखित आदेश को भी देखा है। मैं प्रश्न संख्या पर तर्क और निष्कर्ष से सहमत हूं। *1* , *2* और *3* माननीय श्री अशोक भूषण, जे. द्वारा दिए गए निर्णय के साथ-साथ माननीय श्री एस. रवींद्र भट, जे. और माननीय श्री एल. नागेश्वर राव, जे. द्वारा दर्ज किए गए अतिरिक्त कारणों में।

मैं माननीय श्री एस. रवींद्र भट, जे. और द्वारा लिखित निर्णय और आदेश के तर्क और निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हूं।

माननीय श्री एल. नागेश्वर राव, जे. प्रश्न संख्या पर। *4* , *5* और *6.*

मामलों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस

[2021] 15 एस. सी. आर. *715*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल

वी.

प्रमुख मंत्री और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील *No.3123)*

05 मई, *2021*

[अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव,

एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.*]*

आरक्षण-भारत का संविधान-कला। *15* और *16*-संविधान *(*अस्सी-पहला संशोधन*)* अधिनियम, *2000*-सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)*-के पक्ष में आरक्षण

पिछड़े वर्ग के नागरिक-आई. डी. *1* पर, उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी मामले में संविधान के तहत आरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कानून को निर्धारित करते हुए एक निर्णय दिया-इस मामले में छह अलग-अलग निर्णय दिए गए, जिसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का एक निर्णय भी शामिल था, जो उनके और तीन अन्य न्यायाधीशों के लिए था-क्या इंदिरा साहनी के मामले में निर्णय को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है या बाद में संविधान के आलोक में बड़ी पीठ द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है।

संशोधन, निर्णय और समाज की बदलती सामाजिक गतिशीलता आदि। रवींद्र भट, जे., एल. नागेश्वर राव, जे. और हेमंत गुप्ता, जे. के साथ आयोजित, नहीं-आयोजित *[*अशोक भूषण, जे. *(*अपने और एस. अब्दुल नजीर, जे. के लिए*)]* इंद्र साहनी में दिए गए छह अलग-अलग निर्णयों में सहमति का सबसे बड़ा सामान्य उपाय

यह है: *(i)* अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। *((ii) 50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण के लिए, असाधारण न्यायमूर्ति जीवन के अनुच्छेद *810* में दर्शाई गई परिस्थितियाँ

रेड्डी का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए-इंदिरा साहनी में पुष्टि किया गया *50* प्रतिशत नियम अनुच्छेद *14* में अंकित समानता के उद्देश्य को पूरा करना है, जिसमें अनुच्छेद *15* और *16* ऐसे पहलू हैं जो *50* प्रतिशत उचित हैं और यह समानता के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

- 50 प्रतिशत की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समानता पर आधारित न हो, बल्कि जाति शासन पर आधारित हो।

इंद्र साहनी में निर्धारित आरक्षण का उद्देश्य अनुच्छेद *15 (1)* और *15 (4)* के साथ-साथ अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)* के तहत अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।

समानता के सिद्धांत को प्राप्त करना और एक संतुलन बनाने के उद्देश्य के साथ जिसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है - संविधान *(*अस्सी-पहला संशोधन*)* अधिनियम, *2000* जिसके द्वारा अनुच्छेद में उपखंड *(4* ख*)* जोड़ा गया था। *16* यह स्पष्ट करता है कि *50* प्रतिशत की सीमा को "अब संवैधानिक मान्यता मिल गई है"-इंद्र साहनी का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी फैसले से उस पर कभी संदेह नहीं हुआ है-इंद्र साहनी के फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए आग्रह किए गए किसी भी आधार में कोई सार नहीं है-आयोजित *(*एस. रवींद्र भट, जे. पूरक के अनुसार, हेमंत गुप्ता, जे. इसके साथ सहमत*):* "असाधारण परिस्थितियों" के अपवाद के साथ *50* प्रतिशत की सीमा एक न्यायसंगत संतुलन है जो राज्य को उन लोगों के लिए सार्थक सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अक्षांश प्रदान करता है जो इसके हकदार हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि समानता की आवश्यक सामग्री और विभिन्न प्रतिबंधित आधारों *(*जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान*)* पर भेदभाव न करने के लिए इसके आदेश को बनाए रखा जाए-*50* प्रतिशत बेंचमार्क को और कमजोर करना, गारंटी को प्रभावी ढंग से नष्ट करना होगा।

आरक्षण-भारत का संविधान-कला। *15* और *16*-सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)*-पक्ष में आरक्षण पिछड़े वर्ग के नागरिकों की-मराठा समुदाय की पहचान

एस. ई. बी. सी. के रूप में-राज्य सरकार ने समुदाय की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया अपनी रिपोर्ट *(*गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट*)* द्वारा, आयोग ने सिफारिश की कि मराठा समुदाय को एस. ई. बी. सी. घोषित किया जाए-इसके परिणामस्वरूप गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाते हुए एस. ई. बी. सी. अधिनियम, *2018* लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप

उस समुदाय के पक्ष में आरक्षण; जिसके परिणामस्वरूप कुल आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक हो गया-चाहे एस. ई. बी. सी. अधिनियम,

2018 2019 में मराठा समुदाय को शिक्षा में *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया

संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं और पदों में असाधारण परिस्थितियों के दायरे में आते हैं जैसा कि इंद्र में संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया है। साहनी का मामला-आयोजित, नहीं-उच्च न्यायालय ने मराठों को अलग आरक्षण देने के संबंध में *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक के संबंध में असाधारण स्थितियों का अस्तित्व पाया क्योंकि

पिछड़े वर्ग की जनसंख्या *80* प्रतिशत है और आरक्षण की सीमा केवल *50* प्रतिशत है और डी. आर. के लिए पहले से मौजूद आरक्षण में मराठों को शामिल किया गया है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर।

ओ. बी. सी. उनके लिए न्याय नहीं होगा, जो परिस्थितियाँ शामिल नहीं हैं।

इंदिरा साहनी के मामले में *50* प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के लिए असाधारण परिस्थितियों के रूप में बताए गए मापदंडों के तहत-आरक्षण की *50* प्रतिशत की सीमा को पार करके मराठा समुदाय को अलग आरक्षण देने में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बनाई गई।

- महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*प्रवेश के लिए सीटों का*)*

राज्य में शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों के लिए

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाएँ और पद।

आरक्षण-भारत का संविधान-कला। *15* और *16*

-

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)*-पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण-मराठों का प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में-क्या राज्य सरकार ने एम. सी. गायकवाड़ की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बल पर असाधारण स्थिति के अस्तित्व का मामला बनाया।

और राज्य में असाधारण परिस्थितियाँ इंदिरा साहनी के निर्णय में दिए गए अपवाद के दायरे में आती हैं-अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य रूप से आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान की पूर्व शर्त यह है कि सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है-आयोग ने इस गलत धारणा के तहत काम किया कि जब तक मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व उसके अनुपात के बराबर नहीं है, तब तक इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है-इंदिरा साहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा जो आवश्यक है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है-संवैधानिक

मराठा वर्ग के संबंध में अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य पूर्व शर्त पूरी नहीं होने के कारण, गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और परिणामी विधान दोनों ही पर्याप्त और टिकाऊ नहीं हैं।

सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं।

आरक्षण-भारत का संविधान-कला। *15* , *16* और *Art.342A*

आर/डब्ल्यू *Art.366 (26* सी*)*-संविधान *102* वां संशोधन-सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एसईबीसी*)*-पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण-क्या संविधान *102* वां संशोधन राज्य विधानमंडल को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने और अपनी सक्षम शक्ति के तहत उक्त समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित करता है और क्या, राज्यों को किसी भी *[2021] 15* एस. सी. आर. के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत पिछड़े वर्ग को वैसे भी संक्षिप्त कर दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342* ए द्वारा एल. नागेश्वर राव, जे. और हेमंत के साथ आयोजित *(*रवींद्र भट, जे. के अनुसार*)*

गुप्ता, जे. सहमत*) (*बहुमत की राय*):* संदर्भ के दो बिंदु

जिसे संविधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एस. ई. बी. सी. को शामिल माना जाएगा-राज्य अपने मौजूदा तंत्र के माध्यम से, या यहां तक कि वैधानिक भी कर सकते हैं। आयोग, केवल राष्ट्रपति या आयोग को *Art.338B* के तहत, समावेश, बहिष्कार या संशोधन के लिए सुझाव देते हैं।

(1) के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में जातियों या समुदायों की संख्या-विशेष समुदायों या जातियों के पक्ष में आरक्षण देने की राज्यों की शक्ति, आरक्षण की मात्रा, लाभों की प्रकृति और आरक्षण के प्रकार और अन्य सभी मामले।

कला के दायरे में आना। *15* और *16*-एस. ई. बी. सी. की पहचान के संबंध को छोड़कर, अबाधित रहता है--आयोजित *(*प्रति एल।

नागेश्वर राव, जे. पूरक, हेमंत गुप्ता के साथ, जे. उनकी सहमति में*):* केवल एक सूची है जो राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करते हुए जारी की जा सकती है और केवल उन्हीं वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाता है।

संविधान के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग-अनुच्छेद *342* ए *(1)* और *(2)* से यह स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की किसी भी सूची के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सूची की तुलना में-आयोजित *[*अशोक भूषण, जे. के अनुसार *(*अपने और एस. अब्दुल नजीर, जे. के लिए*)] (* अल्पसंख्यक राय*):* प्रवर समिति की रिपोर्ट और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि संसद की मंशा संवैधानिक व्यवस्था लाने की है।

संशोधन राज्य की पहचान करने की शक्ति को छीनने के लिए नहीं था

राज्य में पिछड़ा वर्ग-अनुच्छेद *342* ए *(2)* में 'केंद्रीय' शब्द का उपयोग केवल राज्य द्वारा जारी सूची को सीमित करने के इरादे से किया गया था।

राष्ट्रपति से केंद्रीय सेवाएँ।

आरक्षण-भारत का संविधान-कला। *15 (4)* और *16 (4)*

-

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)*-पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण संविधान *(102* वां*)*

संशोधन*)* अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह मूल डी. आर. का उल्लंघन करता है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

संविधान *102* वें संशोधन द्वारा लाया गया था-चाहे अनुच्छेद *342* ए कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को निरस्त करता हो। "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में और इस तरह भारत के संविधान की संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है -

[अशोक भूषण, जे. *(*अपने और एस. अब्दुल नजीर, जे. के लिए*)* के अनुसारः अनुच्छेद *342* ए को संविधान के *102* वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्यक्ष द्वारा सूची के प्रकाशन के लिए लाया गया था, जो शासन के लिए केंद्रीय सूची होनी थी।

भारत सरकार और उसके तहत संगठनों के तहत रोजगार-संविधान *102* वां संशोधन अधिनियम संविधान की किसी भी बुनियादी विशेषता का उल्लंघन नहीं करता है और संवैधानिक रूप से मान्य है-आयोजित *(*रवींद्र

भट, जे., एल. नागेश्वर राव, जे. और हेमंत गुप्ता, जे. की सहमति के साथ*):* तिरछे और परिधीय तरीके से राज्य विधायी शक्ति की सामग्री में परिवर्तन का गठन नहीं होगा

संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन-यह केवल तभी होता है जब संशोधन संघवाद के सार को छीन लेता है या संविधान की संघीय सामग्री को प्रभावी ढंग से अलग कर देता है, और राज्यों को कार्यकारी नीतियों *(*सह-व्यापक*)* को कानून बनाने या तैयार करने की उनकी प्रभावी शक्ति से वंचित करता है।

विधायी शक्ति के साथ*)* कि संशोधन एक आवश्यक विशेषता को छीन लेगा या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेगा, इस तरह के एक बेंचमार्क को लागू करते हुए, राज्यों द्वारा अब तक एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है और अब अनुच्छेद *342* ए के आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित *(*और इसके संशोधन के लिए, संसद में*)* किसी भी तरह से संविधान की आवश्यक विशेषताओं या मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है-*102* वां संशोधन है:

संविधान के अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान के विपरीत या उल्लंघनकारी भी नहीं-संविधान के अनुच्छेद *342* ए में किसी भी पिछड़े वर्ग के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को अस्वीकार किया गया है।

नागरिक "संघीय राजनीति को प्रभावित या क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं और भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य में नियुक्तियों के लिए*)*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाएँ और पद - एस. *2 (*जे*)*-आयोजितः अधिनियम, *2018* की धारा *2 (*जे*)* जहां तक मराठा समुदाय को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करती है, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे निरस्त कर दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य में नियुक्तियों के लिए*)*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाएँ और पद - धारा *4 (1) (*ए*)*-आयोजितः अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*ए*)*, जैसा कि अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित किया गया है, जहां तक यह कला के तहत आरक्षण प्रदान करता है। *15 (4)* कुल का *12* प्रतिशत

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटें, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और भारत के संविधान को निरस्त कर दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य में नियुक्तियों के लिए*)*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाएँ और पद - धारा *4 (1) (*बी*)*-आयोजितः अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*बी*)* मराठा समुदाय को कुल आरक्षण में से *13* प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करती है।

राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में नियुक्तियां संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इन्हें निरस्त कर दिया गया है।

तत्काल मामलों में, विशेष प्रावधानों की रूपरेखा और विस्तार से संबंधित मौलिक महत्व के प्रश्न

संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* के तहत नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* की उन्नति और संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* के तहत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधानों की रूपरेखा और विस्तार पर विचार किया गया। महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष *2014* में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया।

आयोग की रिपोर्ट*)*, आयोग ने सिफारिश की कि मराठा वर्ग के नागरिकों को सामाजिक और सामाजिक घोषित किया जाए। शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग *("*एस. ई. बी. सी*".)*। इसके परिणामस्वरूप जल्द ही महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और डी. आर. के लिए सीटों का*)* लागू किया गया।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियां, गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाते हुए, जिसके परिणामस्वरूप उस समुदाय के पक्ष में आरक्षण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कुल आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक हो गया।

इसके बाद, मराठों की एस. ई. बी. सी. के रूप में पहचान को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं।

आयोग के निष्कर्ष, जो महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसे अपनाने और एस. ई. बी. सी. अधिनियम के अधिनियमन, आरक्षण की मात्रा और विभिन्न आधारों पर स्वयं अधिनियम के प्रावधानों में समाप्त हुए। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने चुनौती को अस्वीकार कर दिया और मराठों की एस. ई. बी. सी. के रूप में पहचान को बरकरार रखा, और उसके सामने प्रस्तुत किए गए कारणों को बरकरार रखा, कि असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद थीं, जो *50* प्रतिशत के उल्लंघन की गारंटी देती थीं, जिसे इंद्र साहनी मामले में इस अदालत के नौ-न्यायाधीशों के फैसले में बाहरी सीमा माना गया था। इस मामले में छह अलग-अलग फैसले दिए गए, जिसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का एक फैसला भी शामिल था, जो उनके और तीन अन्य न्यायाधीशों के लिए था। संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* को भी इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन करता है। संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* को अनुच्छेद *338* बी, *342* ए और *366 (26* सी*)* को जोड़कर लागू किया गया था।

तदनुसार निम्नलिखित छह प्रश्न उत्पन्न हुए

इस न्यायालय के समक्ष विचारः

1. क्या इंद्र साहनी के मामले में निर्णय को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है या बड़ी पीठ द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है

बाद के संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और समाज की बदलती सामाजिक गतिशीलता आदि के आलोक में।

2. क्या महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों का और इसके लिए*)*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां, जैसा कि *2019* में संशोधित किया गया था, जिसमें *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा मराठा समुदाय के लिए आरक्षण दिया गया था, इंदिरा साहनी के मामले में संविधान पीठ द्वारा विचार की गई असाधारण परिस्थितियों में शामिल है।

3. क्या महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बल पर राज्य सरकार की अध्यक्षता

एम. सी. गायकवाड़ ने राज्य में असाधारण स्थिति और असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व का मामला इंद्र साहनी के फैसले में दिए गए अपवाद के दायरे में आने के लिए बनाया है। *4.* क्या संविधान एक सौ दूसरा संशोधन राज्य विधानमंडल को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने और अपनी सक्षम करने की शक्ति के तहत उक्त समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित करता है*?*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342 (*ए*)* द्वारा*?* *6.* क्या संविधान का अनुच्छेद *342* ए "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को निरस्त करता है और इस तरह भारत के संविधान की संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है*?*

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने
अशोक भूषण, जे. *(*अपने लिए और एस. अब्दुल नजीर के लिए*)* के अनुसार,

जे.*)*

1.2 . बालाजी में बोले गए और इंद्र साहनी में पुष्टि किए गए *50* प्रतिशत नियम अनुच्छेद *14* में अंकित समानता के उद्देश्य को पूरा करना है, जिसमें अनुच्छेद *15* और *16* पहलू हैं। *50 %* उचित है और यह समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। *50* प्रतिशत की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समानता पर आधारित न हो बल्कि जाति शासन।

1.3 . इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत की सीमा का उद्देश्य है अनुच्छेद *15 (1)* और डी. आर. के तहत अधिकारों के बीच संतुलन बनाना।

15 (4) साथ ही अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)*। प्रतिशत की सीमा समानता के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए है और एक पर प्रहार करने के उद्देश्य के साथ

संतुलन जिसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। *[* पैरा *444] [940-*डी-एफ*]* *1.4 .* सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करना

समाज में भी परिवर्तन केवल परिवर्तन के नाम पर ही होना चाहिए। *[* पैरा *444] [940-*एच*; 941-*ए*]* *1.6 .* जब इंदिरा साहनी की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत *50* प्रतिशत आरक्षण की ऊपरी सीमा है, तो यह वह कानून है जो अनुच्छेद *141* के तहत बाध्यकारी है और जिसे लागू किया जाना है। *[* पैरा *444] [941-*ए-बी*]*

भारत का संविधान। *[* पैरा *444] [941-*बी*]* *1.8 .* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *50* प्रतिशत की सीमा को अलग करना, जैसा कि सेंट.

स्टीफन के मामले यानी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निर्देशों में प्रवेश में *50* प्रतिशत की सीमा का इंदिरा साहनी द्वारा आरक्षण के संबंध में निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा के सिद्धांत पर कोई असर नहीं पड़ता है। टी. एम. ए. पाई का निर्णय अनुच्छेद *30* के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में था और संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* और *15 (4)* के तहत आरक्षण के लिए प्रासंगिक नहीं है। *[* पैरा *444] [941-*सी-डी*]* *1.9 .* संविधान *(*अस्सी-पहला संशोधन*)* अधिनियम, *2000,* जिसके द्वारा अनुच्छेद *16* में उपखंड *(4* बी*)* जोड़ा गया था, यह स्पष्ट करता है कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को अब संवैधानिक मान्यता मिल गई है। *[* पैरा *444] [941-*डी*] [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.10 . पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ केवल उदाहरणात्मक थीं और इन्हें संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *810* ने केवल एक भौगोलिक परीक्षण प्रदान किया है। "राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने पर" अभिव्यक्ति का उपयोग एक सामाजिक परीक्षा है, जिसे एक मामले को अपवाद द्वारा कवर करने के लिए भी पूरा करने की आवश्यकता है। *[* पैरा *444] [941* ई-एफ*]*

1.11 . इंद्र साहनी के फैसले पर फिर से विचार करने और उसे किसी को सौंपने के लिए आग्रह किए गए *10* आधारों में से किसी में भी कोई सार नहीं है।

बड़ी बेंच। *[* पैरा *444] [941-*एफ-जी*]*

1.12 . इंदिरा साहनी में संविधान पीठ ने टकटकी निर्णय के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व पर जो निर्णय दिया था, वह स्पष्ट रूप से बाध्यकारी है। इंद्र साहनी का फैसला समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इस

अदालत के किसी भी फैसले पर कभी संदेह नहीं किया गया है। इंद्र साहनी में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर न तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और न ही विचार के लिए किसी बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है। *[*पैरा *444] [941-*जी-एच*]*

1.13. एम. नागराज की संविधान पीठ में इस बात का कोई अनुपात नहीं है कि *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा को निम्नलिखित से संबंधित मात्रात्मक समकालीन आंकड़ों को दिखाकर पार किया जा सकता है -

पिछड़ेपन। आयोग ने निर्णय के अनुपात को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है, जब आयोग ने यह विचार रखा कि *50* प्रतिशत की मात्रात्मक डेटा सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। *[*पैरा *444] [942* ए-बी*]*
1.14. आयोग और उच्च न्यायालय ने पाया कि *50* प्रतिशत से अधिक के संबंध में असाधारण स्थितियां मौजूद हैं।

मराठों को अलग आरक्षण देने के संबंध में अधिकतम सीमा

क्योंकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या *80* प्रतिशत है और आरक्षण की सीमा केवल *50* प्रतिशत है, मराठाओं को ओ. बी. सी. के लिए पूर्व-मौजूदा आरक्षण में शामिल करना उनके लिए न्याय नहीं होगा, जो परिस्थितियाँ इंदिरा साहनी के मामले में इंगित मापदंडों के तहत *50* प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के लिए असाधारण परिस्थितियों के रूप में शामिल नहीं हैं। *[*पैरा *444] [942-*सी*]*

1.15. मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने में कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं बनाई गईं। आरक्षण की *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक। यह अधिनियम, *2018* अनुच्छेद *16* में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। बिना किसी अतिरिक्त डी. आर. के अधिकतम सीमा को पार करना।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

सामान्य परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* का उल्लंघन करती हैं जो अधिनियम को अधिकार से बाहर बनाता है। *[*पैरा *444] [942-*डी-ई*]*

1.16. प्रस्ताव अच्छी तरह से तय है कि आयोगों की रिपोर्टों को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित आयोग की रिपोर्ट की जांच के मापदंडों में से एक यह है कि रिपोर्ट में निर्दिष्ट आंकड़ों और सामग्रियों के आधार पर क्या आयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।

उचित हैं। *[*पैरा *444] [942-*ई-एफ*]* *1.17*. अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत किए गए उपायों की जांच की जा सकती है कि क्या वे किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हैं।

1.18. 'पर्याप्त' शब्द एक सापेक्ष शब्द है जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में किया जाता है। रोजगार। अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग

सकारात्मक कार्रवाई द्वारा राज्य की शक्ति को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए इसे मुख्यधारा में भी रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवा का हिस्सा बनना, जैसा कि स्वीकार किया गया है आज के समाज द्वारा, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना और शासन में भूमिका निभाना है। *[*पैरा *444] [942-*जी-एच*; 943-*ए*]*

1.19 . सार्वजनिक सेवाओं में ग्रेड ए, बी, सी और डी में मराठों का प्रतिनिधित्व *33.23%, 29.03%, 37.06%* और *36.53%* है, जिसकी गणना खुली श्रेणी के भरे हुए पदों से की जाती है, जो मराठा समुदाय का पर्याप्त और संतोषजनक प्रतिनिधित्व है। सार्वजनिक सेवाओं में इतनी संख्या में पद प्राप्त करना समुदाय के लिए गर्व की बात है और किसी भी तरह से सार्वजनिक सेवाओं में इसके प्रतिनिधित्व को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। *[* पैरा *444] [943-*बी-सी*]*

1.20 . प्रदान करने के लिए संविधान की पूर्व शर्त

अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य आरक्षण यह है कि पिछड़े वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आयोग ने इस गलत धारणा के तहत काम किया कि जब तक मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व उसके अनुपात के बराबर नहीं है, तब तक उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इंद्र साहनी ने स्पष्ट रूप से *[2021] 15* एस. सी. आर. का आयोजन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। *[* पैरा *444] [943-*सी-डी*]*

1.21 . द्वारा अनिवार्य संवैधानिक पूर्व शर्त

मराठा वर्ग के संबंध में अनुच्छेद *16 (4)* पूरा नहीं होने के कारण, गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और परिणामी विधान दोनों

अस्थिर हैं। *[* पैरा *444] [943-*ई*]*

1.22 . मराठा समुदाय को अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने को अस्वीकार करने के बाद, उक्त निर्णय प्रासंगिक हो जाता है और निश्चित रूप से मराठा को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आयोग के निर्णय पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय का पर्याप्त और पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। गायकवाड़ आयोग द्वारा प्रतिनिधित्व के संबंध में अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों से

सार्वजनिक सेवाओं में मराठों का प्रतिशत, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों और अन्य में प्रवेश में मराठों का प्रतिशत

विषयों, उच्च शैक्षणिक पदों में उनका प्रतिनिधित्व, यह देखा जाता है कि आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष एकत्र किए गए आंकड़ों से समर्थित नहीं हैं। आयोग द्वारा एकत्र और प्रस्तुत किए गए आंकड़े, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मराठा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं हैं। *[* पैरा *444] [943* एफ-एच; *944-*ए*]*

1.23 . संविधान या कानून की व्याख्या करने का प्राथमिक सिद्धांत संविधान में उपयोग किए गए शब्दों पर गौर करना है।

कानून, जब भाषा स्पष्ट होती है, तो विधानमंडल का इरादा उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है। सहायता के लिए

व्याख्या का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब कानून में उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्ति में कुछ अस्पष्टता हो। का नियम

सामंजस्यपूर्ण निर्माण, प्रावधानों को पढ़ने का नियम

एक साथ कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के नियम के रूप में, और व्याख्या के कुछ अन्य सिद्धांतों पर सवाल उठाया जाता है जब विशेष संदर्भ में निर्माण के लिए सहायता आवश्यक होती है। *[*पैरा *444] [944-*बी-सी*]*

1.24. शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण की ओर परिवर्तन

संवैधानिक दस्तावेज की व्याख्या को अपनाया जाता है क्योंकि संविधान की व्याख्या स्थिर और कठोर तरीके से नहीं की जानी है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

व्याख्या को अब अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है एक संवैधानिक दस्तावेज की व्याख्या करना। *[*पैरा *444] [944-*डी-ई*]*

1.25. इस देश में कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि

संसद में मंत्री द्वारा दिए गए भाषण सहित संसदीय समिति की रिपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए संसद के इरादे का पता लगाने के लिए प्रासंगिक सामग्री हैं। *[*पैरा *444] [944-*ई-एफ*]*

1.26. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राज्य द्वारा परामर्श अब शुरू हो गया है।

अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(9)* के अनुसार अनिवार्य जो अनिवार्य आवश्यकता किसी भी राज्य द्वारा पारित नहीं की जा सकती है, जबकि राज्य कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेता है। अनुच्छेद *338* ख का उपखंड *(9)*

'परामर्श' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। यह सच है कि 'परामर्श' अभिव्यक्ति को सहमति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि ' 'परामर्श' प्रभावी और सार्थक होना चाहिए। परामर्श का उद्देश्य यह है कि 'सलाहकार' संबंधित सामग्री को उस व्यक्ति के सामने रखेगा जिससे 'परामर्श' और सलाह मांगी जाती है।

1.29. अनुच्छेद *342* ए *(2)* में 'केंद्रीय' शब्द का उपयोग उद्देश्य और उद्देश्य के लिए किया गया था। 'केंद्रीय' का उपयोग केवल इरादे के साथ किया गया था राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची को केंद्रीय सेवाओं तक सीमित करना। यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि किसी क़ानून या *[2021] 15* एस. सी. आर. में कोई शब्द नहीं है।

संविधान का उपयोग बिना किसी उद्देश्य के किया जाता है। 'केंद्रीय' शब्द को अर्थ और उद्देश्य देना होगा। *[* पैरा *444] [945-*सी-डी*]*

1.30 . जब अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि अनुच्छेद *342* ए 'केंद्रीय सूची' को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित सेवाओं के लिए तैयार की जाती है।

भारत सरकार और भारत सरकार के तहत संगठनों, अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत दी गई परिभाषा, जो विशेष रूप से अनुच्छेद *342* ए का उल्लेख करती है, को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों की सूची जो केंद्रीय सूची नहीं है, को नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के तहत परिभाषा द्वारा शासित। चूंकि, *(26* सी*)* को अनुच्छेद *342* ए के संदर्भ में जोड़ा गया है, यदि संदर्भ राज्य द्वारा तैयार की गई सूची है और यह राज्य सूची है, तो निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैः

*(26(*ग*)* शासन नहीं करेगा। *[* पैरा *444] [945-*डी-एफ*]*

1.31 . अनुच्छेद *342* ए संविधान *102* द्वारा लाया गया था।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्यक्ष द्वारा सूची के प्रकाशन के लिए संशोधन जो भारत सरकार और उसके तहत संगठनों के तहत रोजगार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सूची होनी थी। *[* पैरा *444] [945-*एफ-जी*]*

1.32 . संविधान *102* वां संशोधन अधिनियम नहीं करता है

संविधान की किसी भी मूल विशेषता का उल्लंघन करता है। संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। *[* पैरा *444] [945-*जी-एच*]*

2.1 . अधिनियम, *2018* की धारा *2 (*जे*)* मराठा समुदाय को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा घोषित करती है।

2.2 . अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*ए*)*, जैसा कि अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित किया गया है, जहां तक यह अनुच्छेद *15 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी संस्थानों सहित राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कुल *12* प्रतिशत सीटों को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है। *[* पैरा *444] [946-*डी-ई*]*

2.3 . अधिनियम, *2018* की धारा *4 (1) (*बी*)*, जैसा कि अधिनियम, *2019* द्वारा संशोधित किया गया है, मराठा समुदाय को *13* प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करता है।

राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में कुल नियुक्तियों को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है और इसे निरस्त कर दिया जाता है।

[पैरा *444] [946-*एफ*]* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

और अन्य, *(2002) 8* एससीसी *481: [2002] 3* पूरक। एससीआर *587* और *S.V.Joshi* वी। कर्नाटक राज्य *(2012) 7* एस. सी. सी. *41-*विशिष्ट। एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। *(2006) 8* एससीसी *212* और एम. आर. बालाजी बनाम। मैसूर राज्य, आकाशवाणी

1963 एससी *649: [1963]* पूरक। एस. सी. आर. *439-*समझाया।

केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम सीआईटी, ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *1636: [1965]* एस. सी. आर. *908-*लागू। राम सिंह और अन्य बनाम। भारत संघ, *(2015) 4* एस. सी. सी. *697 [2015] 5* एस. सी. आर. *670-*की पुष्टि की।

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ *1992* सप्लीमेंट। *(3)* एस. सी. सी. *217 [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *454];* जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य, *2018 (10)* एस. सी. सी. *396 [2018] 10* एस. सी. आर. *663;* बेरियम केमिकल्स लिमिटेड। और एक और वी। कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य, ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295: [1966]* पूरक। एस. सी. आर. *311;* दिनेश बी. वी. भारत संघ और अन्य, टी. देवदासन बनाम। भारत संघ और दूसरा, ए. आई. आर. *(1964)* एस. सी. *17: [1964]* एस. सी. आर. *680;* पंजाब राज्य बनाम हीरालाल और अन्य, *(1970) 3* एस. सी. सी. *567 [1971] 3* एस. सी. आर. *267;* केरल राज्य और अन्य बनाम। एन. एम. थॉमस और अन्य, *(1976) 2* एस. सी. सी *310: [1976] 1* एस. सी. आर. *906;* अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी

संघ, *(*रेलवे*)* बनाम। भारत संघ और अन्य *(1981) 1* एस. सी. सी. *246: [1981] 2* एससीआर *185;* के. सी. वसंत कुमार और एक अन्य वी. कर्नाटक राज्य, *(1985)* सप. *(1)*

एस. सी. सी. *714;* भारत संघ और अन्य बनाम। राकेश कुमार

और अन्य, *(2010) 4* एससीसी *50: [2010] 1* एस. सी. आर. *483;* विकास किशनराव गवली बनाम। महाराष्ट्र राज्य, *(2021)* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *170;* सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम। विश्वविद्यालय

दिल्ली, *(1992) 1* एस. सी. सी. *558: [1991] 3* पूरक। एस. सी. आर. *121;* कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *(2018) 7* एस. सी. सी. *1: [2018] 4* एस. सी. आर. *1;* राजनारायण सिंह बनाम। अध्यक्ष, पटना प्रशासन समिति, पटना और एक अन्य, आकाशवाणी *1954* एससी *569: [1955]* एस. सी. आर. *290;* दिल्ली विधि अधिनियम, *1912,* अजमेर-मेरवाड़ा *(*विधियों का विस्तार*)* अधिनियम, *1947 v.* भाग 'ग' राज्य *(*विधि*)* अधिनियम, *1950,* ए. आई. आर. *1951 [2021] 15* एस.

एससी *332 [1951]* एससीआर *747;* महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे, कार्मिक अधिकारी *(*आरक्षण*),* दक्षिणी रेलवे बनाम। रंगाचारी, ए. आई. आर *1962* एस. सी. *36: [1962]*

कर्मचारी संघ *(*रेलवे*)* का प्रतिनिधित्व संघ की ओर से इसके सहायक महासचिव ने किया वी. भारत संघ और अन्य *(1981) 1* एस. सी. सी. *246: [1981] 2* एससीआर *185;* के. सी. वसंत कुमार और एक अन्य वी. राज्य

कर्नाटक, *1985 (*पूरक*)* एस. सी. सी. *714: [1985]* पूरक। एस. सी. आर. *352;* पंजाब राज्य और हीरालाल और अन्य, *1970 (3)* एस. सी. सी. *567: [1971] 3* एस. सी. आर. *267;* एन. एम. थॉमस, अखिल भारतीय कर्मचारी संघ और पंजाब राज्य

एस. वी. जोशी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, *(2012) 7* एस. सी. सी. *41;* स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ और अन्य बनाम। संकाय संघ और अन्य; चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। , *2020 (7)* स्केल *162;* श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, *(1975)* पूरक। एससीसी

1 : [1976] एस. सी. आर. *347;* परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225 [1973]* पूरक। एससीआर *1;* के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य, *2017 (10)* एससीसी *1: [2017] 10* एस. सी. आर. *569;* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ, *1993 (4)* एससीसी *441: [1993] 2* पूरक। एससीआर *659;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और अन्य, *2008 (6)* एससीसी *1: [2008] 4* एस. सी. आर. *1;* अखिल भारतीय रिपोर्टर कर्मचारी संघ और अन्य बनाम। ऑल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड और

अन्य, *1988* एस. सी. सी. *472: [1988]* एससीआर *774;* नंद किशोर बनाम। पंजाब राज्य, *1995 (6)* एससीसी *614: [1995] 4* पूरक। एससीआर *16;* मद्रास राज्य बनाम। चंपकम दोराईराजन, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *226 [1951]* एस. सी. आर. *525;* बी. वेंकटरमण बनाम। तमिलनाडु राज्य और दूसरा, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *229;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(1980) 3* एस. सी. सी. *625: [1981] 1* एस. सी. आर. *206;* सेंट स्टीफंस कॉलेज मामला, *(1992) 1* एस. सी. सी. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर

558 [1991] 3 पूरक। एस. सी. आर. *121;* राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए सोसायटी बनाम। भारत संघ और

दूसरा, *(2012) 6* एस. सी. सी. *1: [2012] 2* एस. सी. आर. *715;* के. कृष्ण मूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ और दूसरा, *(2010) 7* एस. सी. सी. *202: [2010] 6* एससीआर *972;* जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य, *2018 (10)* एससीसी *396 [2018] 10* एससीआर *663;* गुजरात राज्य बनाम। मिर्जापुर,

मोती कुरैशी कसाब जमात और अन्य, *(2005) 8* एससीसी *534: [2005] 4* पूरक। एस. सी. आर. *582;* भारत संघ और अन्य बनाम। राकेश कुमार और अन्य, *(2010) 4* एससीसी *50 [2010]*

बलराम आदि, *(1972) 1* एस. सी. सी. *660: [1972] 3* एस. सी. आर. *247;* बेरियम केमिकल्स बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड, ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295 [1966]* पूरक। एससीआर *311;* बी. के. पवित्रा और अन्य वी. भारत संघ और अन्य, *(2019) 16* एससीसी *129: [2019] 7* एससीआर *1086;* मुकेश कुमार और एक अन्य वी। की स्थिति

उत्तराखंड और अन्य, *(2020) 3* एस. सी. सी. *1;* आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम। कृषि उपज बाजार समिति और अन्य *(2002) 9* एस. सी. सी. *232: [2002] 1* एस. सी. आर. *441;* त्रावणकोर राज्य, कोचीन और अन्य बनाम। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. *1952* एस. सी. *366 [1952]* एस. सी. आर. *1112;* अश्विनी कुमार घोष और एक अन्य बनाम। अरबिंद बोस और एक अन्य, ए. आई. आर. *1952* एस. सी. *369: [1953]* एस. सी. आर. *1;* परम पूज्य केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य और दूसरा, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225: [1973]* पूरक। एससीआर *1;* आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले, *1984 (2)* एस. सी. सी *183: [1984] 2* एस. सी. आर. *495;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य *(1980) 3* एस. सी. सी. *625: [1981] 1* एस. सी. आर. *206;* चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय और अन्य *(1969) 3* एस. सी. सी. *56: [1970] 2* एस. सी. आर. *666;* भारत संघ बनाम। शंकलचंद हिम्मतलाल सेठ और एक अन्य, *(1977) 4* एस. सी. सी. *193: [1978] 1* एस. सी. आर. *423;* भारतीय प्रशासनिक सेवा *(*एस. सी. एस.*)*

एसोसिएशन, यू. पी. और अन्य, *(1993)* पूरक। *1* एससीसी *730: [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *389;* सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ, *(1993) 4* एस. सी. सी. *441: [1993] 2* पूरक। एस. सी. आर. *659;* दिल्ली राज्य *(*एन. सी. टी.*)* बनाम। भारत संघ और एक अन्य, *2018 (8)*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. सी. *501 [2018] 7* एस. सी. आर. *1* और अभिराम सिंह बनाम। कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा सी. सी. कमाचेन *(*मृत*), (2017) 2* एस. सी. सी. *629: [2017] 1* एस. सी. आर. *158*-संदर्भित। द सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट एंड लुब्रिकेंट्स टैक्सेशन एक्ट, *1938*, ए. आई. आर. *1939* फेडरल कोर्ट *1* का उल्लेख किया गया है।

ग्रैनविल ऑस्टिन ने "भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला 'और न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने *296'* वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत ', *14* वें संस्करण में उल्लेख किया।

एस. रवींद्र भट, जे. *[*प्रश्न *Nos.1,2,3* पर अशोक भूषण, जे. के साथ सहमति और इसके संबंध में पूरक भी

प्रश्न संख्या *1]*

_ *1.1* . पुनः बिंदु संख्या *1:* इंद्र साहनी को किसी बड़ी पीठ में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है।

बाद के संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और समाज की बदलती सामाजिक गतिशीलता के प्रकाश में, न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा निर्धारित कारणों और इसके अलावा मेरे कारणों के लिए। *[*पैरा *188] [1064*-एफ-जी*]*

1.2 . इंद्र साहनी के निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि नौ में से सात न्यायाधीश इस बात से सहमत थे कि

आरक्षण पर एक मात्रात्मक सीमा-@*50* प्रतिशत। चार न्यायाधीशों की राय में, इसलिए, बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. के फैसले के अनुसार, इस सीमा को असाधारण के तहत पार किया जा सकता है।

परिस्थितियों और स्थितियों में जिनके लिए अलग औचित्य है राज्य या संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हालाँकि, सभी सातों न्यायाधीशों के निष्कर्ष में सर्वसम्मति है कि आरक्षण के लिए एक बाहरी सीमा *50* प्रतिशत होनी चाहिए। निस्संदेह, अन्य दो न्यायाधीश, रत्नवेल पांडियन और पी. बी. सावंत, जे. जे.। संकेत दिया कि आरक्षण पर *50* प्रतिशत सीमा का कोई सामान्य नियम नहीं है। इन परिस्थितियों में, सामान्य आम समझौते को देखते हुए

एक बाहरी सीमा के अस्तित्व के बारे में, यानी *50* प्रतिशत, याचिकाकर्ता के बारे में असंगति या अनिश्चितता के बारे में तर्क

नियम का अस्तित्व या यह कि अन्य निर्णयों में किसी भी अधिकतम सीमा के अभाव के संबंध में विपरीत टिप्पणियां थीं *(*के. सुब्बाराव के असंतुष्ट निर्णय, टी. देवदासन बनाम भारत संघ में, एस. एम. फजल अली और कृष्ण अय्यर, डी. आर. के निर्णय।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

1.3 . एक निश्चित और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का विचार, सीमा पर *50* प्रतिशत की सीमा के रूप में, इंद्र साहनी के समग्र अध्ययन पर उभरता है। प्रत्यर्थियों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि इस न्यायालय को इस तरह की अधिकतम सीमा तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करते हुए, मामले-दर-मामले दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए, और अत्यधिक आरक्षण का न्याय करने के लिए अन्य मानदंडों, जैसे कि तर्कसंगतता, आनुपातिकता, आदि का उपयोग करते हुए तथ्य निर्भर अभ्यासों पर अपने निष्कर्ष निकालना चाहिए। हालांकि, तर्कसंगतता क्या है और एक में क्या आनुपातिक है दी गई स्थिति में, अपरिवर्तित और अनिश्चित क्षेत्र होंगे। अदालत को एक ज्ञात सिद्धांत को त्यागने के लिए राजी करने की कोशिश करना एक बात है, इसकी प्रासंगिकता के नुकसान के आलोक में, फिर भी उस तर्क के प्रबल होने के लिए,

न केवल मौजूदा सिद्धांत से होने वाले नुकसान को साबित किया जाना चाहिए, बल्कि एक सिद्धांत जिसे प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, अन्यथा, तर्क यह होगा कि अदालत को अंधेरे में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। इसलिए "प्रदान की जाने वाली छलांग की लंबाई" जैसे अवलोकनों का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। यह अंतर को कवर करने या आनुपातिकता सिद्धांत *(*एक कार्यकारी या विधायी उपाय की वैधता का न्याय करने के लिए तैनात*)* पर निर्भर करता है, क्योंकि वे कोई स्पष्ट सिद्धांत प्रकट नहीं करते हैं।

तर्कसंगतता निस्संदेह संवैधानिक शब्दकोश में एक परिचित वाक्यांश है; फिर भी इसके व्यवहार में काफी व्यक्तिपरकता और सापेक्षता है। *[* पैरा *31] [962-*जी; *963-*ए-सी*]*

1.4 . 50 प्रतिशत की सीमा "असाधारण" के साथ

परिस्थितियों का अपवाद, न्यायसंगत संतुलन है-जिसे "गोल्डीलॉक्स समाधान" कहा जाता है-अर्थात सही समाधान वाला समाधान।

संतुलन जो राज्य को सार्थक सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अक्षांश की अनुमति देता है, जो इसके लायक हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि समानता की आवश्यक सामग्री, और इसका निषेधाज्ञा विभिन्न प्रतिबंधित आधारों पर भेदभाव नहीं करती है। *(* जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान*)* को बरकरार रखा जाता है। एम. नागराज बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ ने देखा कि "एक संख्यात्मक

बेंचमार्क *[2021] 15* एस. सी. आर. के आरोपों के खिलाफ निश्चित प्रतिरक्षा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भेदभाव "। *50* प्रतिशत मानदंड को और कमजोर करना, समानता की गारंटी को प्रभावी ढंग से नष्ट करना होगा, विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव न किए जाने के अधिकार *(*अनुच्छेद *15* और *16* के तहत*)*। *[* पैरा *34] [964*-डी-एफ*]*

2. पुनः बिंदु संख्या *2:* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए*)*, जैसा कि *2019* में संशोधित किया गया था, जिसमें *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा मराठा समुदाय के लिए *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, असाधारण परिस्थितियों में शामिल नहीं है जैसा कि निम्नलिखित में विचार किया गया है:

इंद्र साहनी के मामले में संविधान पीठ। *[* पैरा *188] [1064*-जीएच*; 1065*-ए-बी*]*

3. पुनः बिंदु संख्या *3:* राज्य सरकार, बल पर

एम. सी. गायकवाड़ की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट ने अस्तित्व का मामला नहीं बनाया है राज्य में असाधारण स्थिति और असाधारण परिस्थितियाँ इंद्र साहनी में उत्कीर्ण अपवाद के अंतर्गत आती हैं। *[* पैरा *188] [1065*-बी-सी*]*

4. पुनः बिंदु संख्या *4:* क्या संविधान एक सौ दूसरा संशोधन राज्य विधानमंडल को इसके अधिकार से वंचित करता है

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने और अपनी सक्षम शक्ति के तहत उक्त समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने की शक्ति*?;* और रे। बिन्दु सं. *5* क्या, राज्यों की "किसी भी" के संबंध में कानून बनाने की शक्ति

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत पिछड़े वर्ग को वैसे भी संक्षिप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342 (*ए*)* द्वारा।

संदर्भ के इन दो परस्पर संबंधित बिंदुओं पर निष्कर्ष इस प्रकार हैं: *(i)* भारत के *102* वें संविधान के माध्यम से अनुच्छेद *366 (26* सी*)* और *342* ए को लागू करके, अकेले राष्ट्रपति,

अन्य सभी प्राधिकरणों को छोड़कर, एस. ई. बी. सी. की पहचान करने और उन्हें अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत प्रकाशित की जाने वाली सूची में शामिल करने का अधिकार है, जिसे संविधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में एस. ई. बी. सी. को शामिल करने वाला माना जाएगा। *[* पैरा *188]* डी. आर.

((ii) राज्य अपने मौजूदा तंत्र या यहां तक कि वैधानिक आयोगों के माध्यम से केवल सुझाव दे सकते हैं।

अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में जातियों या समुदायों को शामिल करने, बहिष्कृत करने या संशोधित करने के लिए अनुच्छेद *338* बी के तहत राष्ट्रपति या आयोग। *[* पैरा *188] [1065-*डी-एच*]*

(iii) अनुच्छेद *342* ए *(2)* में केंद्रीय सूची का संदर्भ राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत अधिसूचित किया गया है। यह है कि

राज्य द्वारा बनाई जा सकने वाली नीतियों के संबंध में भी उसकी सलाह ली जाएगी। यदि आयोग पहचान के मामलों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा की जानी चाहिए, जो अनुच्छेद *338* बी के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने के लिए बाध्य है। हालांकि, अंतिम निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा की गई कवायद में समाप्त होता है *(*यानी केंद्र सरकार, अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत, धारा *3 (8) (*बी*)* सामान्य खंड अधिनियम के साथ पठित अनुच्छेद *367* के कारण*)*। *[* पैरा *188] [1066-*सी-ई*]* *(v)* विशेष समुदायों या जातियों के पक्ष में आरक्षण देने की राज्यों की शक्ति, आरक्षण की मात्रा,

एस. ई. बी. सी. की पहचान के संबंध को छोड़कर, लाभों की प्रकृति और आरक्षण के प्रकार और अनुच्छेद *15* और *16* के दायरे में आने वाले अन्य सभी मामले निर्विवाद हैं। *[* पैरा *188] [1066-*ई-एफ*]*

(vi) अनुच्छेद *338* बी के तहत गठित आयोग अपने कार्य को शीघ्रता से पूरा करेगा और अपनी सिफारिशें करेगा, जिस पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति राज्यों *[2021] 15* एस. सी. आर. के संबंध में एस. ई. बी. सी. की सूची वाली अधिसूचना को शीघ्रता से प्रकाशित करेगा।

और केंद्र शासित प्रदेश, संविधान के उद्देश्य के लिए। *[* पैरा *188] [1066-*एफ-जी*]*

(vii) निर्देश *(vi)* में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्र सरकार और केंद्रीय संस्थानों के उद्देश्यों के लिए काम करने वाली मौजूदा सूचियां काम करती रहती हैं। यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत जारी किया गया है। *[* पैरा *188] [1066*

जी-एच*]*

5. पुनः बिंदु संख्या *6:* तिरछे और परिधीय तरीके से राज्य विधायी शक्ति की सामग्री में परिवर्तन नहीं होगा। यह संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन है। यह केवल तभी है जब संशोधन संघवाद के सार को छीन ले या

संविधान की संघीय सामग्री को प्रभावी ढंग से अलग करता है, और राज्यों को कार्यकारी नीतियों *(*विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक*)* को कानून बनाने या तैयार करने की उनकी प्रभावी शक्ति से वंचित करता है कि संशोधन एक आवश्यक विशेषता को छीन लेगा या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेगा। इस तरह के मानदंड को लागू करते हुए, इस अदालत की राय है कि राज्यों द्वारा अब तक एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता था और अब अनुच्छेद *342* ए के आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र *(*और इसके संशोधन के लिए, संसद को*)* में स्थानांतरित किया जाता है, जो किसी भी तरह से संविधान की आवश्यक विशेषताओं या बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। *102* वां संशोधन भी प्रावधान के विपरीत या उल्लंघनकारी नहीं है -

भारत के संविधान का अनुच्छेद *368 (2)*। संविधान का अनुच्छेद *342* ए "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को अस्वीकार करके संघीय राजनीति को प्रभावित या नुकसान नहीं पहुंचाता है और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है भारत का संविधान। *[* पैरा *187,188] [1064-*सी-ई*; 1067-*ए बी*]*

6. इसलिए अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटान भूषण, जे. के अपने निर्णय के पैरा *444* में संचारी आदेश के संदर्भ में किया जाता है। *[* पैरा *189] [1067-*बी-सी*]*

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ *(1992) 3* पूरक एस. सी. सी. *217 [1992] 2* पूरक। एस. सी. आर. *454;* टी. देवदासन बनाम भारत संघ *[1964] 4* एस. सी. आर. *680;* केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस *1976 (2)* एस. सी. सी. *310: [1992] 2* पूरक। एससीआर *454;* के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य *[1985] 1*

पूरक। एससीआर *352;* एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य *1963*
पूरक। *1* एस. सी. आर. *439;* पी. राजेंद्रन बनाम

टी. एन. राज्य *[1968]* जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

2 एस. सी. आर. *786;* ए पीरियाकरुप्पन बनाम। टी. एन. राज्य *(1971) 1* एस. सी. सी. *38: [1971] 2* एससीआर *430;* ए. पी. बनाम राज्य यूएसवी बलराम *(1972) 1* एससीसी *660: [1972] 3* एससीआर *247;* यू. पी. राज्य बनाम प्रदीप टंडन *(1975) 1* एससीसी *267: [1975] 2* एससीआर *761;* जानकी प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य *(1973) 1* एस. सी. सी. *420: [1973] 3* एस. सी. आर. *236;* कृशेना कुमार और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। *(1990) 4* एससीसी *207: [1990] 3* एससीआर *352;* भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह *[1989] 3*

एस. सी. आर. *316;* बेरियम केमिकल्स बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड *[1966]* पूरक। *3* एस. सी. आर. *311* मुकेश कुमार बनाम। उत्तराखंड राज्य *(2020) 3* एस. सी. सी. *1;* केरल शिक्षा विधेयक *[1959]* एस. सी. आर. *995;* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम। कर्नाटक राज्य *2002 (8)* एस. सी. सी. *481 [2002] 3* पूरक।

एससीआर *587;* आर. सी. पौड्याल बनाम भारत संघ *1994* पूरक *(1)* एस. सी. सी. *324: [1993] 1* एस. सी. आर. *891;* पंजाब राज्य बनाम हीरालाल *[1971] 3* एससीआर *267;* एम. नागराज बनाम। संघ का

भारत *(2006) 8* एससीसी *212: [2006] 7* पूरक। एस. सी. आर. *336;* प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम। भारत संघ *2014 (8)* एससीसी *1: [2014] 11* एससीआर *712;* बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ *(2019) 16* एससीसी *129: [2019]*

7 एससीआर *1086;* त्रावणकोर राज्य-कोचीन बनाम। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड, *[1952]* एससीआर *1112;* अश्विनी कुमार घोष *&* एन. आर. वी. अरबिंद घोष और अन्न। ए. आई. आर *1953* एस. सी. *75: [1953]* एससीआर *215* पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य *(1998) 4* एससीसी *626 [1998] 2* एससीआर *870;* संजीव कोक

दोराईराजन बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *226: [1951]* एस. सी. आर. *525;* कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ *[1978] 2* एस. सी. आर. *1;* जी. वी. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड *v.* आयकर अधिकारी *(2011) 4* एस. सी. सी. *36: [2011] 3* एस. सी. आर. *366;* कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ *(2006) 7* एससीसी *1:*

[2006] [2021] 15 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5 पूरक। एससीआर *1;*

जी. नारायणस्वामी बनाम जी.

पन्नीरसेल्वम *(1972) 3* एससीसी *717: [1973] 1* एस. सी. आर. *172;* पुष्पा देवी बनाम। मिलखी राम *(1990) 2* एस. सी. सी. *134: [1990] 1* एस. सी. आर. *278;* कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम।

वी. एन. नरसिंहैया *(2008) 5* एससीसी *176: [2008] 4* एस. सी. आर. *853;* लॉरेल एनर्जेटिक्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड *(2017) 8* एस. सी. सी. *541: [2017] 5* एस. सी. आर. *1005;* किहोतो होलोहन बनाम। *Zachillhu (1992) 2* पूरक। एससीसी *651: [1992] 1* एस. सी. आर. *686;* मैरी चंद्र शेखर राव बनाम। डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज *(1990) 3* एससीसी *130: [1990] 2* एस. सी. आर. *843;* महाराष्ट्र राज्य और अन्न बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *(1994) 5* एससीसी *244: [1994] 1* पूरक। एस. सी. आर. *714; 20* वीं सदी का वित्त

कॉर्प. लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य *(2000) 6* एससीसी *12: [2000] 1* पूरक। एससीआर *120;* बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ *(1989) 2* एससीसी *645: [1989] 2* एस. सी. आर. *320;* आयकर आयुक्त बनाम. विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज *(2008) 2* एस. सी. सी. *202: [2007]*

13 एससीआर *376;* टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2005) 1* एस. सी. सी. *308: [2004] 5* पूरक। एस. सी. आर. *1040;* बिमोलांग्शु रॉय बनाम। असम राज्य *(2018) 14* एस. सी. सी. *408: [2017] 13* एस. सी. आर. *301;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ *(2008) 6* एससीसी *1: [2008] 4* एस. सी. आर. *1;* नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य *(1997) 7* एससीसी *339 [1996] 10* पूरक। एससीआर *472;* शिवराज सिंह चौहान बनाम। अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा *2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *363 141;* डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस बनाम। दिल्ली परिवहन निगम *[1990] 1* पूरक। एस. सी. आर. *142;* बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ

(2003) 7 एससीसी *628: [2003] 3* पूरक। एस. सी. आर. *24;* अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कमाचेन *(2017) 2* एस. सी. सी. *629: [2017] 1* एस. सी. आर. *158;* पंजाब भूमि विकास और

(2) एस. सी. सी. *328: [1995] 2* एस. सी. आर. *1061;* ब्लैक डायमंड बेवरेजेस बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी *1998 (1)* एस. सी. सी. *458: [1997] 4* पूरक। एस. सी. आर. *133;* गोदरेज और बॉयस विनिर्माण कंपनी बनाम महाराष्ट्र राज्य *2014 (3)* एस. सी. सी. डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

430 [2014] 2 एस. सी. आर. *203;* के. लक्ष्मीनारायणन बनाम

भारत संघ *(2020) 14* एससीसी *664: [2018]*

14 एससीआर *689;* रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ *1994* सप्लीमेंट। *(1)* एससीसी *191: [1993] 1* एस. सी. आर. *480;* जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य, *2016* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *1260;* राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ *1978 1* एससीआर *1;* केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य

[1973] पूरक। एस. सी. आर. *1;* सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य *[1965] 1* एस. सी. आर. *933;* और महाराव साहिब श्री भीम

सिंहजी बनाम। भारत संघ *(1981) 1* एससीसी *166: [1985]*

1 पूरक। एस. सी. आर. *862*-संदर्भित।

हर्कसेन बनाम। लेन *1997 (11)* बी. सी. एल. आर. *1489 (*सी. सी.*);* बी. बी. सी. एंटरप्राइजेज बनाम हाई-टेक एक्स्ट्रैविजन लिमिटेड, *1990) 2* ऑल ईआर *118;* सिटी काउंसिल ऑफ प्रिटोरिया बनाम। वाकर *1998 (3)* बी. सी. एल. आर. *257 (*सी. सी.*);* फुलिलव बनाम। क्लुट्ज़निक, *448* यू. एस. *448 (1980);* अदारैंड कंस्ट्रक्टर्स, इंक. बनाम। दंड *515* यू. एस. *200 (1995) ;* कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कं। कनाडा *(*कनाडाई मानवाधिकार आयोग*) [1987] 1* एससीआर *1114;* ओंटारियो *(*मानवाधिकार आयोग*)* बनाम ओंटारियो *(*स्वास्थ्य मंत्रालय*) (1994) 21* सीएचआरआर *(*ओंटारियो सीए*)* डी*/259* और आर. *(*बाइआई*)* वी। गृह सचिव, *[2006]* ईडब्ल्यूएचसी

823 (प्रशासक*)*। - संदर्भित किया गया।

रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, श्लोक *35;* अहरोन बराक, लोकतंत्र में न्यायाधीश, *p.132;* माइकल किर्बी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक कानूनः ए रीसेंट स्टडी इन कंट्रास्ट *', 60* जी. आई. एल. आई. *(2018) 1,* पी. *30* और

हर्बर्ट वेस्चलर, तटस्थ सिद्धांतों की ओर
संवैधानिक कानून *', (1959) 73* हार्व। एल रेव. *1 -*

संदर्भित किया गया।

एल. नागेश्वर राव, जे. *[*प्रश्न *Nos.1,2* और *3* पर अशोक भूषण, जे. के साथ सहमति और एस. रवींद्र के साथ सहमति।

जारी की जाने वाली अधिसूचना के दायरे और आयाम को सीमित करें अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत। केवल एक सूची है जिसे राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से निर्दिष्ट करके जारी किया जा सकता है।

पिछड़े वर्गों और केवल उन्हीं वर्गों को सामाजिक रूप से *[2021] 15* एस. सी. आर. माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और संविधान के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। राष्ट्रीय आयोग से संकेत लेते हुए

पिछड़े वर्ग अधिनियम, *1993*, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि 'केंद्रीय सूची' शब्द केवल नियुक्तियों के संदर्भ में हैं -

केंद्रीय सेवाओं और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। इस तरह से 'केंद्रीय सूची' को पढ़ना चौड़ाई को कम करना होगा। अनुच्छेद *342* क *(1)*। यदि ऐसा पढ़ा जाए तो उपखंड *(1)* का विस्तार न्यूनतम किया जाएगा। इसके अलावा, उक्त अर्थ को प्राप्त करने के लिए, शब्द जो

अनुच्छेद *342* ए *(1)* में नहीं हैं तो इसे पढ़ा जाना चाहिए। प्रासंगिक रूप से, अनुच्छेद *342* ए *(2)* में केंद्रीय सूची शब्द केवल अधिसूचना में निहित सूची के संदर्भ में हो सकते हैं जो अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत जारी की जा सकती है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि संविधान के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए और अनुच्छेद *342* ए *(1)* और *(2)* से यह स्पष्ट है कि किसी भी सूची के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सूची के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। संविधान के प्रयोजनों के लिए अन्य अभिव्यक्तियों के रूप में 'और' जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

न्यायमूर्ति भट द्वारा जिन आवश्यकताओं पर विचार किया गया है, उक्त अभिव्यक्तियों पर उनके द्वारा रखे गए निर्माण में जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। *[* पैरा *25] [1077-*एफ-जी; *1078-*ए-सी*]* *2.* अनुच्छेद *342* ए के तहत सार्वजनिक अधिसूचना में शामिल केवल वे पिछड़े वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्षम होंगे।

संविधान के उद्देश्यों के लिए पिछड़े वर्ग। *[* पैरा *26] [1078-*ई*]*

कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ *(2006) 7* एससीसी *1: [2006] 5* पूरक। एस. सी. आर. *1;* जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम

(1972) 3 एस. सी. सी. *717 [1973] 1* एस. सी. आर. *172;* साउथ एशिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एस. सरूप सिंह और अन्य *[1965] 3* एस. सी. आर. *829;* भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम। प्राइस वाटरहाउस *(1997) 6* एस. सी. सी. *312: [1997] 2* पूरक। एससीआर *267;* जे. पी. बंसल बनाम। राजस्थान राज्य *(2003) 5* एससीसी *134: [2003] 2* एस. सी. आर. *933;* कनई लाल सूर बनाम। परमनिधि सधुखान, *[1958]*

1 एससीआर *360;* राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* भारत संघ *(2018) 8* एससीसी *501: [2018] 7* एससीआर *1;* आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले *(1984) 2* एस. सी. सी *183 [1984] 2* एस. सी. आर. *495;* ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वी. सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे *(2002) 4* एस. सी. सी. *297: [2002] 2* एस. सी. आर. *945;* डिमाकुची टी एस्टेट के कर्मचारी जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर

वी. डिमाकुची टी एस्टेट का प्रबंधन, *[1958]* एससीआर

1156 ; मेसर्स न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर बिक्री कर, बिहार *[1963] 2* एस. सी. आर. पूरक। *459 ;* सी. आई. टी. बनाम

एन. सी. बुधराजा एंड कंपनी *(1994) 1* एस. सी. सी. सप्लीमेंट। *280 :*

[1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. *185;* कल्पना मेहता और अन्य। वी.

भारत संघ और ओआरएस। *(2018) 7* एससीसी *1: [2018]*

4 एस. सी. आर. *1;* पंजाब भूमि विकास और सुधार

निगम लिमिटेड बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय *(1990) 3* एससीसी *682: [1990] 3* एस. सी. आर. *111;* पी. कासिलिंगम

वी. पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, *(1995) 2* पूरक। एससीसी *348 ;* इंद्र सरमा बनाम। वी. के. वी. सरमा *(2013) 15* एससीसी *755*

: [2013] 14 एस. सी. आर. *1019;* सुधा रानी गर्ग बनाम। जगदीश

कुमार *(2004) 8* एस. सी. सी. *329;* न्यादार सिंह बनाम। संघ का

भारत *(1988) 4* एससीसी *170: [1988] 2* पूरक। एससीआर *546*

और भारत संघ बनाम। संकलचंद हिम्मत लाल सेठ

[1977) 4 एससीसी *193: [1978] 1* एस. सी. आर. *423* संदर्भित है।

एक्सप्रेस कंपनी बनाम। केंटकी राष्ट्रमंडल *238* यूएस *190 (1915);* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। गोल्डनबर्ग *168* यूएस *95*

(1897) ; जोन्स बनाम डी. पी. पी. *[1962]* ए. सी. *635 ;* आर. वी. ओक्स

[1959] 2 क्यू. बी. *350;* एरोन सोलोमन बनाम। सोलोमन एंड कंपनी।

1897 ए. सी. *22;* काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*)* बनाम हार्ट *1993*

AC 593; R v. डी. पी. पी. एक्स-पार्टी डकेनफील्ड *[1999] 2* सभी

ईआर *873;* ब्लैक-क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड *1975* एसी

591 ; असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड *v.* अंतर्देशीय

राजस्व, *1935* एसी *445;* लेटांग बनाम। कूपर *[1965] 1* क्यूबी

232 ; गफ वी. गफ, *(1891) 2* क्यू. बी. *665;* कोलिन्स

वी. टेक्सास, *223* यू. एस. *288;* ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम।

फिन्सबरी बरो काउंसिल *[1952]* एसी *109* और टाउन

वी. ईसनर *245* यू. एस. *425 (1918)*-संदर्भित।

अहरोन बराक द्वारा कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या;

(न्यू हेवनः येल यूनिवर्सिटी प्रेस, *13* वीं संस्करण, *1946),* *141 ;* क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, *9* वां संस्करण और बेनिओन

सांविधिक व्याख्या पर, *5* वां संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

अशोक भूषण, जे. *2] 2* पूरक। एससीआर *454*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

5) 8 एससीसी *212*

समझाया।

पैरा *21 [2021] 15* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 10 एससीआर *663*

संदर्भित किया गया है

पैरा *45*

[1963] पूरक। एससीआर *439*

समझाया।

पैरा *55*

[1966] पूरक। एससीआर *311*

पैरा *63*

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर *680*

पैरा *84*

संदर्भित किया गया है

[1971] 3 एससीआर *267*

पैरा *84*

संदर्भित किया गया है

[1976] 1 एससीआर *906*

संदर्भित किया गया है

पैरा *84*

[1981] 2 एससीआर *185*

संदर्भित किया गया है

पैरा *84*

(1985) सप. *(1)* एस. सी. सी. *714*

संदर्भित किया गया है

पैरा *84*

प्रतिष्ठित

[2002] 3 पूरक। एससीआर *587*

पैरा *84*

(2012) 7 एससीसी *41*

प्रतिष्ठित

पैरा *84*

[2010] 1 एससीआर *483*

पैरा *84*

संदर्भित किया गया है

[1991] 3 पूरक। एससीआर *121*

संदर्भित किया गया है

पैरा *85*

[2018] 4 एससीआर *1*

पैरा *10*

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर *290*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

[1951] एससीआर *747*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

[1962] एससीआर *586*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1976] 1 एससीआर *906*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1964] एससीआर *680*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

[1981] 2 एससीआर *185*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

[1985] पूरक। एससीआर *352*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

[1971] 3 एससीआर *267*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

(2012) 7 एससीसी *41*

पैरा *14*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

2020 (7) स्केल *162*

संदर्भित

को

[1976] एससीआर *347*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पैरा *16*

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर *569*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[1993] 2 पूरक। एससीआर *659*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

[2008] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1988] एससीआर *774*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1995] 4 पूरक। एससीआर *16*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1951] एससीआर *525*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

ए. आई. आर *1951* एस. सी *229*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

[1981] 1 एससीआर *206*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19* डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

[1991] 3 पूरक। एससीआर *121*

पैरा *199*

संदर्भित किया गया है

[2012] 2 एससीआर *715*

संदर्भित किया गया है

पैरा *201*

[2010] 6 एससीआर *972*

पैरा *211*

संदर्भित किया गया है

[1965] एससीआर *908*

लागू किया गया

पैरा *216*

[2018] 10 एससीआर *663*

संदर्भित किया गया है

पैरा *217*

[2005] 4 पूरक। एससीआर *582*

संदर्भित किया गया है

पैरा *218*

[2010] 1 एससीआर *483*

संदर्भित किया गया है

पैरा *239*

[1972] 3 एससीआर *247*

पैरा *265*

संदर्भित किया गया है

[1966] पूरक। एससीआर *311*

संदर्भित किया गया है

पैरा *269*

[2019] 7 एससीआर *1086*

संदर्भित किया गया है

पैरा *273*

(2020) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *274*

[2015] 5 एससीआर *670*

पैरा *311*

पुष्टि की

[2002] 1 एससीआर *441*

संदर्भित किया गया है

पैरा *345*

[1952] एससीआर *1112*

संदर्भित किया गया है

पैरा *350*

[1953] एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *351*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *352*

[1984] 2 एससीआर *495*

संदर्भित किया गया है

पैरा *356*

[1981] 1 एससीआर *206*

पैरा *359*

संदर्भित किया गया है

[1970] 2 एससीआर *666*

पैरा *392*

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर *423*

पैरा *393*

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 पूरक। एससीआर *389*

संदर्भित किया गया है

पैरा *394*

[1993] 2 पूरक। एससीआर *659*

संदर्भित किया गया है

पैरा *395*

[2018] 7 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *402*

[2017] 1 एससीआर *158*

संदर्भित किया गया है

पैरा *407*

एस. रवींद्र भट के निर्णय में, जे.

[1992] 2 पूरक। एससीआर *454*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

[1964] 4 एससीआर *680*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[1985] 1 पूरक। एससीआर *352*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[1963] सप. *1* एससीआर *439*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1968] 2 एससीआर *786*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1971] 2 एससीआर *430*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1972] 3 एससीआर *247*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1975] 2 एससीआर *761*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13 [2021] 15* एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1973] 3 एससीआर *236*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1990] 3 एससीआर *352*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

[1989] 3 एससीआर *316*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[1966] पूरक। *3* एससीआर *311*

पैरा *22*

संदर्भित किया गया है

(2020) 3 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *23*

[1959] एससीआर *995*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

[2002] 3 पूरक। एससीआर *587*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

[1993] 1 एससीआर *891*

संदर्भित किया गया है

पैरा *30*

[1971] 3 एससीआर *267*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

[2006] 7 पूरक। एससीआर *336*

संदर्भित किया गया है

पैरा *34*

[2014] 11 एससीआर *712*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38*

[2019] 7 एससीआर *1086*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

[1987] 1 एससीआर *1114*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

[1952] एससीआर *1112*

संदर्भित

पैरा *79*

को

[1953] एससीआर *215*

संदर्भित किया गया है

पैरा *79*

[1998] 2 एससीआर *870*

संदर्भित किया गया है

पैरा *79*

[1983] 1 एससीआर *1000*

पैरा *79*

संदर्भित किया गया है

[2018] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *81*

[1985] पूरक *3* एस. सी. आर. *242*

संदर्भित किया गया है

पैरा *87*

[1965] 2 एससीआर *877*

पैरा *91*

संदर्भित किया गया है

[1965] 1 एससीआर *316*

पैरा *91*

संदर्भित किया गया है

[1972] 2 एससीआर *632*

संदर्भित किया गया है

पैरा *91*

[2018] 10 एससीआर *513*

संदर्भित

पैरा *91*

को

[1951] एससीआर *525*

संदर्भित किया गया है

पैरा *93*

[1978] 2 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[2011] 3 एससीआर *366*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[2006] 5 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[1973] 1 एससीआर *172*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[1990] 1 एससीआर *278*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

[2008] 4 एससीआर *853*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर *1005*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

[1992] 1 एससीआर *686*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

[1990] 2 एससीआर *843*

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 पूरक। एससीआर *714*

पैरा *11*

डॉ. को संदर्भित किया गया।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री

& एएनआर

[2000] 1 पूरक। एससीआर *120*

संदर्भित किया गया है

पैरा *121*

[1989] 2 एससीआर *320*

संदर्भित किया गया है

पैरा *122*

[2007] 13 एससीआर *376*

संदर्भित किया गया है

पैरा *123*

[2004] 5 पूरक। एससीआर *1040*

पैरा *125*

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर *301*

संदर्भित किया गया है

पैरा *129*

[2008] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *130*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *472*

संदर्भित किया गया है

पैरा *131*

[1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. *142*

संदर्भित किया गया है

पैरा *142*

[2003] 3 पूरक। एससीआर *24*

संदर्भित किया गया है

पैरा *145*

[2017] 1 एससीआर *158*

पैरा *146*

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 एससीआर *111*

संदर्भित किया गया है

पैरा *150*

[1995] 2 एससीआर *1061*

संदर्भित किया गया है

पैरा *150*

[1997] 4 पूरक। एससीआर *133*

पैरा *150*

संदर्भित किया गया है

[2014] 2 एससीआर *203*

संदर्भित किया गया है

पैरा *150*

[2018] 14 एससीआर *689*

संदर्भित किया गया है

पैरा *153*

[1993] 1 एससीआर *480*

संदर्भित किया गया है

पैरा *168*

[1978] 1 एससीआर *1*

पैरा *175*

संदर्भित किया गया है

[1973] पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा*179*

[1965] 1 एससीआर *933*

संदर्भित किया गया है

पैरा *180*

[1985] 1 पूरक। एससीआर *862*

संदर्भित किया गया है

पैरा *186*

एल. नागेश्वर राव के निर्णय में, जे.

[2006] 5 पूरक। एससीआर *1*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[1973] 1 एससीआर *172*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[1965] 3 एससीआर *829*

संदर्भित किया गया है

पैरा *6*

[1997] 2 पूरक। एससीआर *267*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर *933*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[1958] 1 एससीआर *360*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

[1984] 2 एससीआर *495*

संदर्भित किया गया है

पैरा *10*

[2002] 2 एससीआर *945*

पैरा *10*

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर *1156*

संदर्भित किया गया है

पैरा *11*

संदर्भित किया गया है

[1963] 2 एससीआर सप्लीमेंट। *459*

पैरा *12*

[1993] 2 पूरक। एससीआर *185*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

[2018] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15 [2021]* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1990] 3 एससीआर *111*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

(1995) 2 पूरक। एससीसी*348*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

[2013] 14 एससीआर *1019*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

(2004) 8 एस. सी. सी. *329*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[1988] 2 पूरक। एससीआर *546*

पैरा *23*

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर *423*

संदर्भित किया गया है

पैरा *23*

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायपालिका

: सिविल अपील

2020 का सं. *3123*।

उच्च न्यायालय के *27.06.2019* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की पी. आई. एल. सं. *175* में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। *3124 , 3133 , 3134 , 3131 , 3129 2020* में, लिखें

याचिका *(*सी*)* सं। *915 , 504 , 914 2020* की सिविल अपील संख्या। *3127 , 3126 , 3125 , 3128 , 3130 2020* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *2020* की *938*।

के. के. वेणुगोपाल, एस. सी. वर्मा, सतीश चंदा वर्मा, विवेक कोहली,

अमित कुमार, ए. जी. , रवींद्र लोखंडे, नलिन कोहली, अभिनव मुखर्जी, अरुणाभ चौधरी, कृष्णराज ठक्कर, एएजी। , विनय अरोड़ा, डीएजी। , तुषार मेहता, एस. जी. , एन. वेंकटरमन, एएसजी। , सतीश चंदा वर्मा, राजीव रंजन, प्रभुलिंग नवदगी, अधिवक्ता। जनरल, बलदेव राज महाजन, सीनियर

एड. (एजी)। , के. एन. मोहम्मद बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. जी.) . , विजय नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता। (एजी)। , अरविंद पी. दातार, प्रदीप संचेती, गोपाल शंकरनारायणन, श्याम दीवान, सिद्धार्थ भटनागर, डॉ. राजीव धवन, बी. एच. मार्लापल्ले, मुकुल रोहतगी, शेखर नाफड़े, पी. एस. पटवालिया, वी. ए. थोराट, कपिल सिब्बल, सी. यू. सिंह, ए. एम. सिंघवी, रफीक ए. दादा, सुश्री महालक्ष्मी पवनी, रंजीत कुमार, सुश्री सौम्या चक्रवर्ती, सुश्री मालविका त्रिवेदी, एस. निरंजन रेड्डी, जयदीप गुप्ता, डॉ. मनीष सिंघवी, जयंत मुथ राज, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री पूजा धर, सुरुतांजय भारद्वाज, राहुल उन्नीकृष्णन, सुश्री पल्लवी बाली, प्रथमेश कामत, अर्जुन ए. पी. अपूर्वा, सुश्री जानवी दुबे, विशाल सिन्हा, अमित आनंद तिवारी, विवेक सिंह, राहुल आर्य, एस. महेश सहस्रनामन, प्रताप शंकर, सुश्री मैरी मिट्जी, के. के. सिंह, सागर सक्सेना, सुश्री देवयानी गुप्ता, प्रेमलाल कृष्णन, उत्सव त्रिवेदी, अनुराग मानकर, विनायक भंडारी, आशीष चौधरी, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, सुश्री भारती त्यागी, रामेश्वर एफ. टोटला, आशुतोष दुबे, सुश्री राजश्री दुदे, अरुण नागर, राहुल टोटला

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

अयप्पन, अंशुमान बहादुर, आर. के. देशपांडे, ऋषिकेश एस. चिताली, अश्विन देशपांडे, विजय कारी सिंह, समीर मलिक, गोविंद जी, कृष्ण कुमार सिंह, संजय वी. खारदे, सत्यजीत एस. खारदे, कैलास बाजीराव औताडे, सुश्री शीतल पाटिल, प्रशांत शांताराम चौधरी, अमोल बी. करंदे, दिलीप बी. रोडे, संदेश आर. पाटिल, महेश बी. करंदे, प्रीतम सी. राजपूत, दिलीप अन्नासाहिब तौर, राजेश टेकले, आशीष गायकवाड़, रमेश दुबे पाटिल, ऋषि कुमार सिंह गौतम, संजय खारदे, विशाल कदम, सत्यजीत खारदे, सैम।

महापात्रा, अमरीश कुमार, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, अक्षय शिंदे, वैभव सुगदरे, सुश्री मीशा रोहतगी मोहता, सुश्री हर्षिका वर्मा, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुधांशु एस. चौधरी, महेश पी. शिंदे, अनिल गोलेगांवकर, राजेश टेकले, आशीष गायकवाड़, मधुर गोलेगांवकर, सुश्री रुचा पांडे, सुश्री भावना खीची, भगवान गवाली, सुश्री पूजा धर, सुरुतांजय भारद्वाज, राहुल उन्नीकृष्णन, सुश्री पल्लवी बाली, प्रथमेश कामत, अर्जुन ए. पी. अपूर्वा, अब्दुलरहिमान

ढोंगडे, अभिजीत पाटिल, संदीप डेरे, सुश्री पूजा थोराट, नीलेश लोनकर, सुश्री मनीषा जैन, राजेश इनामदार, सुश्री नमीशा जैन, शिवाजी एम. जाधव, बृज किशोर साह, अनीश आर. शाह, सुश्री कुर्रतुलैन, आदित्य एस. जाधव, निकोलस चौधरी, सुश्री जॉयश्री बर्मन, रजत जोसेफ, रवि भारुका, अजीत प्रवीण वाघ, सुश्री आस्था प्रसाद, सुश्री प्रभलीन कौर, सुश्री इशिता फरसैया, अपूर्व शुक्ला, धैर्यशील सालुंखे, सुश्री बावा मृणाल दत्तात्रेय, मनु टी. रामचंद्रन, सुहास कुमार कदम, सुश्री मंजू जेट। मारीश प्रवीर सहाय, प्रणव पी. पाटिल, कृष्ण कुमार, डॉ. विपिन गुप्ता, वी. के. बीजू, नीलेश्वर पवनी, अमेंदु कुमार अखिलेश कुमार झा, अभय प्रताप सिंह, शाजी जॉर्ज, सुश्री विजय लक्ष्मी, सुश्री रुबीना जावेद, श्रेयस गाचे, अनेराव पंडित, टी. आर. बी. शिवकुमार, यादव नरेंदर सिंह, राजसाहब पाटिल, रवि प्रकाश जाधव, सुश्री अक्षता जाधव, सुश्री स्वाति वैभव, प्रशांत श्रीकांत केंजाले, फारुख रशीद, ए. कार्तिक, सुश्री स्मृति सुरेश, अर्श खान, सुश्री श्रीप्रिय के., रवींद्र केशवराव विज्ञापन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अय्यर, आदित्य चड्ढा, सुश्री उमा प्रसुन बाचू, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, मैसर्स वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, शुभदीप रॉय, राहुल राज मिश्रा, अपूर्व सिंघल, आशीष प्रसाद, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, निखिल परीक्षित, अभिषेक मनचंदा, मैसर्स पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी के लिए सायनदीप पहाड़ी, अविजीत मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, आदित्य शंकर पांडे, प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, अमित तिवारी, अमित यादव, अमित शर्मा, सुश्री रुचिरा गुप्ता, शिशिर देशपांडे, अनुराग शर्मा, सुश्री मोना सिन्हा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, केवी। जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

अशोक भूषण, जे. *(*अपने और एस. अब्दुल नजीर, जे. के लिए*)*, एल. नागेश्वर राव, जे. हेमंत गुप्ता, जे. और एस. रवींद्र भट

प्रश्न संख्या पर भी सहमति व्यक्त की है। *1* , *2* और *3.*

1. इस संविधान पीठ का गठन अनुच्छेद *15 (4)* के तहत विचार किए गए नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों की रूपरेखा और विस्तार से संबंधित मौलिक महत्व के प्रश्नों और भारत के संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* के तहत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधानों की रूपरेखा और विस्तार पर विचार करने के लिए किया गया है। द. संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* की चुनौती*/*व्याख्या पर भी विचार किया जा रहा है।

2. उपरोक्त सभी अपीलें उच्च न्यायालय के दिनांकित *27.06.2019* के सामान्य निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा कई निर्णय दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के बैचों पर निर्णय लिया गया है। वर्ष *2014* से *2019* के बीच उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं, इसके अलावा निम्नलिखित अन्य चुनौतियों को चुनौती दी गई थीः

अध्यादेश सं। *2014* का *XIII* दिनांक *09.07.2014* मराठाओं को *16* प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। *2014* का अध्यादेश *No.XIV* दिनांक *09.07.2014 52* मुस्लिम समुदायों को *5* प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति के लिए और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति या पदों के लिए*)* शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)* अधिनियम, *2014* और महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)*

लोक सेवा और पदों में नियुक्तियों के लिए) आरक्षण अधिनियम, *2018* (इसके बाद "अधिनियम, *2018*" के रूप में संदर्भित)।

3. उच्च न्यायालय ने धारा के तहत प्रदान किए गए आरक्षण की मात्रा को छोड़कर, विवादित फैसले द्वारा अधिनियम, *2018* को बरकरार रखा

4 (1) (क), *4 (1) (*ख) महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अनुशंसित क्रमशः *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत से अधिक। द.

2014 के अध्यादेश *XIII* और *XIV* को भी चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं

अधिनियम, *2014* को निष्फल होने के रूप में खारिज कर दिया गया था। कुछ रिट याचिकाओं को भी अनुमति दी गई और कुछ को अलग किया गया और अन्य रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत याचिका लिखें, अर्थात् *2020* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *938 (*शिव संग्राम और अन्र। बनाम यूनियन ऑफ भारत और अन्र.*)* संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया है।

5. 12.07.2019 पर नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि विवादित फैसले के अनुसार कार्रवाई की जाए उच्च न्यायालय का निर्णय एस. एल. पी. के परिणाम के अधीन होगा। यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले और विचाराधीन आरक्षण का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने *09.09.2020* पर पक्षों को सुनने के बाद छुट्टी देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" 17. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः -

(ए*)* चूंकि संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* द्वारा जोड़े गए प्रावधानों की व्याख्या भारत के संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन अपीलों को एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। इन मामलों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

उपयुक्त आदेशों के लिए भारत।

(ख*)* शैक्षणिक वर्ष *2020-21* के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश बिना किसी संदर्भ के किए जाएंगे

अधिनियम में दिए गए आरक्षण। हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

बदला जाए।

*((*ग*)* सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां लागू किए बिना की जाएंगी।

अधिनियम में प्रावधान के अनुसार आरक्षण।

शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता।

6. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया

सभी अपीलों को संदर्भित किया है और आदेश में विचार किया गया है कि मामले को उपयुक्त आदेशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। आदेश का उल्लेख करते हुए हालांकि उल्लेख किया गया है कि संविधान की व्याख्या *(*एक एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन संदर्भ उपरोक्त प्रश्न तक ही सीमित नहीं था। पक्षों के विद्वान वकील ने सभी अपीलों के साथ-साथ अनुच्छेद *32* के तहत दायर रिट याचिकाओं में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। डी. आर. पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ संबोधित की गईं।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय। इस प्रकार हम पक्षों को सुनने और सभी अपीलों और रिट याचिकाओं पर अंत में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े हैं।

7. दिनांक *1* के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजी गई अपीलों के बाद, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इसका गठन किया है

संविधान पीठ जिनके समक्ष ये अपीलें और रिट याचिकाएं हैं

सूचीबद्ध। इस संविधान पीठ ने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी करने पर एक आदेश पारित किया। पीठ ने आदेश द्वारा राज्यों को अपनी प्रस्तुतियों के संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।

8. सुनवाई *15.03.2021* पर शुरू हुई और *26.03.2021* पर समाप्त हुई। इस स्तर पर, हम उन शीर्षकों को इंगित कर सकते हैं जिनमें हमने मुद्दों, प्रस्तुतियों, हमारे विचार, हमारे निष्कर्ष और निर्णय के परिचालन भाग को व्यापक रूप से समझने के लिए विभाजित किया है। निम्नलिखित विषयों के प्रमुख हैं जिनके तहत हमने मामलों के पूरे समूह का इलाज किया है:

(1) प्रश्न तैयार किए गए।

पृष्ठभूमि तथ्य।

(2)

उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए बिंदु।

(3)

पक्षों की प्रस्तुतियाँ।

(4)

इंद्र साहनी को संदर्भित करने के लिए *10* आधारों का आग्रह किया गया

(5)

एक बड़ी पीठ को निर्णय।

(6)

अधिनियमन के समय आरक्षण की स्थिति

अधिनियम, *2018*।

पुनरीक्षण के लिए आग्रह किए गए *10* आधारों पर विचार करना और

(7)

इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना।
टकटकी निर्णय का सिद्धांत।

(8) *(9)* क्या गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट ने एक

मराठा समुदाय को *50* प्रतिशत से अधिक अलग आरक्षण देने के लिए असाधारण स्थिति का मामला

सीमा*?*

(10) क्या *2019* में मराठा समुदाय के लिए *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार करके अलग आरक्षण देने के लिए संशोधित अधिनियम, *2018* इंद्र साहनी के फैसले के अनुसार असाधारण परिस्थितियों को दर्शाता है*?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(11) गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट-एक जांच।

(12) क्या सार्वजनिक रोजगार में मराठों का डेटा

गायकवाड़ आयोग द्वारा पाया गया मामलों को बनाता है

संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण का अनुदान

मराठा समुदाय के लिए भारत का संविधान*?*

(13) मराठों का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन

समुदाय।

(14) संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018*।

(15) निष्कर्ष।

(16) आदेश दें।

9. 08.03.2021 पर छह प्रश्न जो प्रस्तावित किए गए थे

डारेड की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई थी:

(1) प्रश्न तैयार किए गए।

" 1. क्या इंद्र साहनी बनाम के मामले में निर्णय। भारत संघ *[1992* सप्लीमेंट। *(3)* एस. सी. सी. *217]* को बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है या इसके आलोक में बड़ी पीठ द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है

बाद के संवैधानिक संशोधन, निर्णय और

समाज की सामाजिक गतिशीलता आदि में बदलाव आया।

2. क्या महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*के लिए सीटों का*)*

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* के लिए, जैसा कि *2019* में संशोधित किया गया था, *50* प्रतिशत सामाजिक आरक्षण के अलावा मराठा समुदाय के लिए *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां असाधारण परिस्थितियों में की जाती हैं।

इंद्र साहनी के मामले में संविधान पीठ*?* *3.* क्या राज्य सरकार के बल पर

राज्य में असाधारण स्थिति और असाधारण परिस्थितियाँ के निर्णय में उत्कीर्ण अपवाद के अंतर्गत आने के लिए इंद्र साहनी*?*

4. क्या संविधान एक सौ दो

संशोधन राज्य विधानमंडल को डी. आर. अधिनियमित करने की अपनी शक्ति से वंचित करता है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निर्धारित करने वाला एक कानून

वर्ग और उक्त समुदाय को लाभ प्रदान करना

इसकी सक्षम शक्ति के तहत?

5. क्या अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत "किसी पिछड़े वर्ग" के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति वैसे भी है

संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ पठित अनुच्छेद *342 (*ए*)* द्वारा संक्षिप्त

भारत का संविधान?

6. क्या संविधान का अनुच्छेद *342* ए किसी पिछड़े वर्ग के संबंध में कानून बनाने या वर्गीकृत करने की राज्य की शक्ति को निरस्त करता है।

नागरिकों का "और इस प्रकार संघीय नीति/संरचना को प्रभावित करता है

भारत के संविधान का?

(2) पृष्ठभूमि तथ्य।

10. हमें पहले वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों और उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अदालत। "मराठा" एक हिंदू समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में रहता है। भारत के संविधान के प्रवर्तन के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद *240* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसे काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग। काका कालेलकर आयोग ने *30.03.1955* पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने कहा-"महाराष्ट्र में ब्राह्मण के अलावा मराठा ही गाँवों में सत्तारूढ़ समुदाय होने का दावा करते हैं, और प्रभु, जो अन्य सभी समुदायों पर हावी हैं"। इस प्रकार, पहले पिछड़े वर्ग आयोग ने मराठा को बॉम्बे राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के रूप में नहीं पाया।

11. आई. डी. *1* पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत *8* जिलों को जोड़कर एक द्विभाषी राज्य बॉम्बे का गठन किया गया था।

विदर्भ *(*मध्य भारत*)* और मराठवाड़ा *(*हैदराबाद राज्य*)* के *5* जिले। आई. डी. *1* के माध्यम से गृह मंत्रालय ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए सभी राज्य सरकारों को सूचित किया कि उन्हें पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने में अपने मानदंड चुनने का विवेकाधिकार है और राज्य सरकारों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार होगा। *14.11.1961* पर काम कर रहा है भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने ओ. बी. सी. को परिभाषित करने के लिए *B.D.Deshmukh* समिति नियुक्त की

और उनके विकास के लिए कदम उठाना। बी. डी. देशमुख समिति *[2021] 15* एस. सी. आर.

ओ. बी. सी. पर अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को *11.01.1964* पर प्रस्तुत की। इसने मराठाओं को पिछड़े वर्ग के रूप में नहीं पाया। आई. डी. *1* पर, महाराष्ट्र राज्य ने पूरे राज्य के लिए *180* जातियों वाली ओ. बी. सी. की एकीकृत सूची जारी की, जिसमें मराठा शामिल नहीं थे। सीरियल *No.87* में, कुनबी को दिखाया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने *31.12.1979* पर दूसरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।

जातियों और धार्मिक समूहों द्वारा भारतीय आबादी का प्रतिशत वितरित करते हुए महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, अनुमानित अन्य पिछड़े *1* प्रतिशत के रूप में वर्ग, जबकि अग्र हिंदू जातियों और समुदायों की श्रेणी में मराठों को *2.20* प्रतिशत के साथ शामिल किया गया था। शेष हिंदू जाति समूहों के अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुमान *43.7%* और पिछड़े गैर-हिंदू वर्गों की जनसंख्या का अनुमान *8.4* प्रतिशत था और गैर-हिंदू जातियों सहित हिंदुओं के कुल अनुमानित पिछड़े वर्ग का अनुमान *52* प्रतिशत था। उपशीर्षक अग्रगामी हिंदू जातियों और समुदायों के तहत जातियों और धार्मिक समूहों का प्रतिशत शीर्षक के तहत रिपोर्ट के खंड के पृष्ठ *56* पर निम्नलिखित तालिका दी गई है:

III. अग्रगामी हिंदू जातियाँ और समुदाय

एस. नहीं।	समूह का नाम	कुल का प्रतिशत जनसंख्या
सी-*1*	ब्राह्मण *(*भूमिहारों सहित*)*	*5.52*
सी-*2*	राजपूतों	*3.90*
सी-*3*	मराठों	*2.21*
सी-*4*	जाटों	*1.00*
सी-*5*	वैश्य-बनिया आदि।	

1.88

सी-*6*

1.07

कायस्थ
अन्य अग्रगामी हिंदू जातियाँ/समूह

सी-*7*

2.00

कुल 'सी'

17.58

12. इस प्रकार, मराठों को अग्र हिंदू जाति में शामिल किया गया था।

दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

13. राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक अनुरोध प्राप्त किया गया था

महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के रूप में कुंबी के साथ महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में "मराठा" को शामिल करने के लिए पिछड़े वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकारी डी. आर. को सुनने के बाद मुंबई में सार्वजनिक सुनवाई की।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

अधिकारीगण, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष

आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि मराठा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का समुदाय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रूप से उन्नत और प्रतिष्ठित समुदाय है। रिपोर्ट *(*अंतिम पैराग्राफ*)* के पैराग्राफ *22* का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"22. उपरोक्त तथ्यों और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने पाया कि मराठा एक सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रूप से उन्नत और प्रतिष्ठित समुदाय है और इसलिए कुंबी के साथ महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में "मराठा" को शामिल करने के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, "मराठा" महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल होने के योग्य नहीं है या तो "कुंबी" के साथ संयुक्त रूप से या इसके तहत।

अपनी अलग प्रविष्टि "।

14. इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इंद्र साहनी बनाम मामले में फैसला सुनाया। भारत संघ *[1992* सप्लीमेंट।

(3) एस. सी. सी. *217] (*इसके बाद "इंद्र साहनी का मामला" के रूप में संदर्भित*)*, संविधान के तहत आरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कानून निर्धारित करने के अलावा इस न्यायालय ने भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार को एक स्थायी निकाय का गठन करने के लिए निर्देश भी जारी किए।

नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने के अनुरोधों और नागरिकों के अति समावेशन की शिकायतों पर मनोरंजन, जांच और सिफारिश करना। *15.* न्यायमूर्ति आर. एम. बापट की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य ओ. बी. सी. आयोग ने निर्णायक रिकॉर्डिंग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कि मराठा को ओ. बी. सी. सूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि यह एक अगड़ी जाति है। अंत में रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकालाः

"बहुमत के साथ इस बात पर सहमति बनी कि प्रस्ताव, जिसमें कहा गया है कि मराठा समुदाय को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' श्रेणी में शामिल करना सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा, को पुणे में आयोजित आयोग की बैठक में बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है। और यह बहुमत के साथ सहमत था कि ऐसी सिफारिश सरकार को भेजी जानी चाहिए। इसके विपरीत

इस संबंध में राय अलग से दर्ज की गई है और यह है

इसके साथ संलग्न किया गया है "।

16. महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने *03.06.2013* पर राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया कि वह राज्य ओ. बी. सी. आयोग द्वारा दिनांकित *[2021] 15* एस. सी. आर. की अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों की समीक्षा करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25.07.2008 मराठा जाति को अग्रगामी समुदाय के रूप में धारण करना। वैधानिक राज्य ओ. बी. सी. आयोग के अस्तित्व के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा जाति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक मौजूदा मंत्री, श्री नारायण राणे की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की। उस पर *26.02.2014* राणे समिति ने राज्य को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत मराठाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जाए। *2014* का *09.07.2014* महाराष्ट्र अध्यादेश *No.XIII* जारी किया गया था

मराठा जाति के लिए *16* प्रतिशत आरक्षण। *2014* की रिट याचिका *(*श्री संजीत शुक्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य*)* अन्य रिट याचिकाओं के साथ दायर की गई थी, जिसमें राज्य के सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों के लिए आरक्षण और इस पद पर नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग अध्यादेश जारी किए गए थे।

राज्य के तहत लोक सेवा में एक अलग *16* प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी जिसमें मराठा शामिल थे। मराठा समुदाय को *16* प्रतिशत आरक्षण के हकदार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में निर्दिष्ट करने वाले सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी।

17. राष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्टों सहित प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करते हुए एक विस्तृत आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अभिलेख पर अन्य सामग्रियों ने *2014* के महाराष्ट्र अध्यादेश *No.XIII* और दिनांकित प्रस्ताव के संचालन पर रोक लगा दी।

15.07.2014 . हालाँकि, यह निर्देश दिया गया था कि यदि *2014* के अध्यादेश *No.XIII* के आधार पर उस तारीख तक शैक्षणिक संस्थान में कोई प्रवेश पहले ही दिया जा चुका है, तो उसे बाधित नहीं किया जाएगा और छात्र अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति देंगे।

18. एस. एल. पी. *(सी) Nos.34335* और *34336* को इस अदालत में दायर किया गया था, जिसमें *14.11.2014* के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जो एस. एल. पी. नहीं थे। इस न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के अनुरोध के साथ विचार किया गया।

19. महाराष्ट्र विधानमंडल ने *23.12.2014* पर अधिनियम, *2014* पारित किया, जिसे *09.01.2015* पर राज्यपाल की सहमति मिली, और इसे *09.07.2014* से प्रभावी माना गया। लिखित याचिका *(सी)* सं। *3151* वर्ष *2014* और अन्य संबंधित मामलों में बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मराठाओं को *16* प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले *2015* के अधिनियम *1* के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। हालाँकि, अंतरिम आदेश ने डी. आर. में *2015* के अधिनियम *1* के तहत मराठों के लिए *16* प्रतिशत आरक्षण की नियुक्ति का निर्देश दिया।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

पहले से जारी विज्ञापन रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक खुली योग्यता वाले उम्मीदवारों से किए जाएंगे और नियुक्ति रिट याचिका के परिणाम के अधीन की जाएगी।

20. 30.06.2017 पर राज्य सरकार ने तथ्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संदर्भ दिया

और मराठाओं के संबंध में सरकार के संदर्भ में किया गया अवलोकन। *02.11.2017* पर न्यायमूर्ति एम. जी. गायकवाड़ को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। *14.08.2018* पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग *(*निरसन*)* अधिनियम पारित किया गया था

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993* को निरस्त करना। *15.08.2018* पर संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* था अनुच्छेद *338* बी, *342* ए और *366 (26* सी*)* को जोड़कर लागू किया गया। अनुच्छेद *338*, उपखंड *(10)* में भी संशोधन किया गया। आई. डी. *1* पर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठों की सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने नागरिकों की मराठा जाति को सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी राय दी कि मराठा वर्ग को एस. ई. बी. सी. घोषित करने पर असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों और उनके परिणाम को देखते हुए

आरक्षण लाभों की पात्रता के लिए, सरकार संवैधानिक प्रावधानों के भीतर निर्णय ले सकती है। सरकार ने उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अधिनियम, *2018* लागू किया जो *30.11.2018* पर प्रकाशित हुआ और उस दिन से लागू हुआ। *2018* की पी. आई. एल. *No.175 (*डॉ. जैश्री*)*

लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री और अन्य*)* और अन्य रिट याचिकाएँ और जनहित याचिकाएँ अधिनियम, *2018* को चुनौती देते हुए दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में तीन रिट याचिकाओं में *2018* की पी. आई. एल. *No.175* की दलीलों पर ध्यान दिया है जो *2020* की <आई. डी. *1,* डब्ल्यू. पी. को जन्म देती हैं। *(*एलडी।*) 2018* का *No.4100 (*संजीत शुक्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य*)* *2020* के *C.A.No.3124* और *2018* के पी. आई. एल. *No.4128 (*डॉ. उदय गोविंदराज ढोले और अन्र। बनाम। महाराष्ट्र राज्य और

अन्र.*) 2020* के *C.A.No.3125* को जन्म देना। *2020* के *C.A.No.3123* और *2020* के *C.A.No.3124* में हमारे सामने अधिकांश खंड और लिखित

याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ अन्य मामलों के विवरण के अलावा इन तीन दीवानी अपीलों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा, जिन्हें इसके बाद नोट किया जाएगा।

C.A.No। *2020* का *3123 (*डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री और अन्य*)*

21. डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *[2021] 15* एस. सी. आर. द्वारा दायर *2018* की जनहित याचिका *NO.175* में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के तहत मराठों को दिए गए *16* प्रतिशत अलग आरक्षण पर सवाल उठाते हुए,

2018 30.11.2018 पर प्रकाशित। रिट याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मराठा समुदाय को *16* प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,16* और *21* का उल्लंघन है और *50* प्रतिशत की आरक्षण की सीमा को भी दरकिनार करना है। इंद्र साहनी के मामले में इस न्यायालय के फैसले और श्री नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में निर्धारित कानून का उल्लेख करते हुए। *(2006) 8* एस. सी. सी. *212* में यह दलील दी गई थी कि *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। मराठाओं के लिए *16* प्रतिशत आरक्षण पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका में विभिन्न आधार लिए गए थे। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बाद की घटनाएं हुईं जिसके परिणामस्वरूप याचिका का दायरा बढ़ा, रिट याचिका में अधिनियम, *2018* को सही ठहराने के लिए हस्तक्षेप और अभियोग के लिए कई आवेदन दायर किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को अनुमति दी और उन्हें पक्ष प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया गया।

C.A.No। *2020* का *3124 (*संजीत शुक्ला बनाम। राज्य का

22. यह अपील *2018* की रिट याचिका *(*सी*) No.4100* के फैसले से उत्पन्न होती है। रिट याचिका में एक व्यापक चुनौती दी गई थी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो अधिनियम, *2018* का आधार थी। उसी

रिट याचिकाकर्ता यानी संजीत शुक्ला ने इससे पहले *2014* की रिट याचिका *(सी) No.3151* दायर की थी, जिसमें उन्होंने अध्यादेश को चुनौती दी थी।

वर्ष *2014* में महाराष्ट्र सरकार। *14.11.2014* दिनांकित अंतरिम आदेश *2014* की रिट याचिका *No.3151* में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी है कि अधिनियम, *2014* पर भी उच्च न्यायालय ने *07.04.2015* पर रोक लगा दी थी। यह निवेदन किया गया कि मराठा समुदाय महाराष्ट्र राज्य में एक शक्तिशाली समुदाय है जिसका सरकारी सेवा, सहकारी समितियों, चीनी सहकारी समितियों आदि में प्रभुत्व साबित हुआ है।

पहले के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संदर्भ दिया गया था जिसमें मराठों के ओ. बी. सी. में शामिल होने के दावे को खारिज कर दिया गया था। मराठा समुदाय द्वारा उन्हें आरक्षण देने के लिए आंदोलन, धरना द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीति पर भी टिप्पणी की गई है। यह भी अनुरोध किया गया कि अधिनियम, *2018* की आवश्यकता का पालन किए बिना पारित किया जाता है

संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018*। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:

"(क) प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश या उस प्रकृति का कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिससे जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रूप से नियुक्तियों के लिए पदों के लिए*)* को रद्द करना और समाप्त करना। सेवा और पद*)* आरक्षण अधिनियम, *2018*, अमान्य होने और भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के रूप में;

बीएल। वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस माननीय न्यायालय को एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने में खुशी होगी कि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक सेवा और पदों में नियुक्तियों के लिए*)* आरक्षण अधिनियम, *2018* के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। बी*2*। वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस माननीय न्यायालय को एक उचित रिट, आदेश या उस प्रकृति का निर्देश जारी करने में खुशी होगी कि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक सेवा और पदों में नियुक्तियों के लिए*)* आरक्षण के संदर्भ में कोई भी पद खाली नहीं रखा जाना चाहिए।

अधिनियम, *2018;*

बी *3*. वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस माननीय न्यायालय को एक उचित रिट, आदेश या उस प्रकृति का निर्देश जारी करने में खुशी होगी कि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रूप से नियुक्तियों के लिए पदों के लिए*)* के तहत किसी भी पद को आरक्षित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए।

सेवा और पद) आरक्षण अधिनियम, *2018;*

बी*4*। वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस माननीय न्यायालय को एक उचित रिट, आदेश या उस प्रकृति का निर्देश जारी करने में खुशी होगी कि शैक्षणिक संस्थानों में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*शैक्षणिक में प्रवेश *[2021] 15* एस. सी. आर. के अनुसार आरक्षित श्रेणी के तहत कोई प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य में संस्थान और सार्वजनिक रूप से नियुक्तियों के लिए पद

सेवा और पद) आरक्षण अधिनियम, *2018;*

बी*5*। विचाराधीनता के दौरान न्यायालय एक उचित आदेश जारी करता है।

सामाजिक रूप से महाराष्ट्र राज्य के तहत जारी किया जाना चाहिए और
शैक्षिक रूप से पिछड़े *(*एस. ई. बी. सी.*)* वर्ग *(*शिक्षा में प्रवेश*)*

राज्य में संस्थान और सार्वजनिक रूप से नियुक्तियों के लिए पद

सेवा और पद) आरक्षण अधिनियम, *2018;*
2020 का *C.A.No.3125 (*डॉ. उदय गोविंदराज ढोले और अन्र।

बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्र*)*

23. यह अपील रिट याचिका *(*एल. डी.*)* से उत्पन्न होती है। डॉ. उदय गोविंदराज ढोले द्वारा दायर *2018* का *No.4128*। में रिट याचिका दायर की गई थी

समान रूप से स्थित चिकित्सा की ओर से प्रतिनिधि क्षमता

छात्र/चिकित्सा उम्मीदवार जो अधिनियम, *2018* से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं।

24. रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, *2018* को रद्द करने की मांग की है और

वैकल्पिक रूप से अधिनियम, *2018* की धारा *2 (*जे*), 3 (2), 3 (4), 4,5,9 (2), 10* और *12* को निरस्त और अलग करना। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण प्रणाली

अपने वोट बैंक के लिए सरकार और सत्ता में बैठे राजनेताओं के लिए सुविधा का एक साधन बन गया है। आगे यह दलील दी जाती है कि मराठों को कभी भी पिछड़े वर्ग के समुदाय के रूप में नहीं माना जाता था और पहले उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। यह आगे तर्क दिया गया कि विवादित अधिनियम शिक्षा के साथ-साथ सेवा के सभी क्षेत्रों में खुले उम्मीदवारों की संभावनाओं को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करता है। यह भी दलील दी गई कि गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट राजकोषीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है। डेटा बेस की अपर्याप्तता थी। एक समुदाय जो पिछले *50* वर्षों से पिछड़ा नहीं पाया गया था, अब बिना किसी परिस्थिति के पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया गया है। रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम का प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा जो सांप्रदायिक आधार पर जाति के आधार पर समाज को विभाजित करेगा। विवादित अधिनियम के संविधान के अनुच्छेद *14,16* और *19* में निहित संविधान की मूल संरचना और मौलिक मूल्य का उल्लंघन करने का दावा किया जाता है।

C.A.Nos। *3133 , 3134* और *2020* का *3131*

25. ये अपीलें अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं जो थे

एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ *2018* की पी. आई. एल. *No.175* में पक्षकार नहीं हैं, जो पहले ही दी जा चुकी है।

26. C.A.No। *2019* की पी. आई. एल. *(*एस. टी.*) No.1949* से उत्पन्न *3129*

जिसके तहत अधिनियम, *2018* के तहत मराठों को *16* प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

27. लिखित याचिका *(*सी*)* सं। *915 2020* को भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत दायर किया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अधिनियम, *2018* के प्रावधानों को शैक्षणिक वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। *29.* अनुच्छेद *32* के तहत दायर *2020* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *914* में आक्षेपित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* अधिनियम, *2018* को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,16* और *19* का उल्लंघन करने वाला मानने के लिए प्रमाण पत्र या किसी अन्य रिट या आदेश या निर्देश की प्रकृति में रिट के लिए प्रार्थना की गई है और आगे के अधिनियम, *2018* को स्नातकोत्तर के लिए चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक वर्ष *2020-21* के लिए छात्र। *30. C.A.No*। *2020* का *3127 2018* की रिट याचिका *(*सी*) No.4128* से उत्पन्न होता है। जिसकी याचिका पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है

2020 का *C.A.No.3125*।

31. C.A.No। अभियुक्तों के खिलाफ *2020* का *3126* दायर किया गया है।

2019 की लिखित याचिका *(*सी*) No.3846* में उच्च न्यायालय का निर्णय *(*मोहम्मद सईद नूरी शफी अहमद और अन्य। बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य*)* . रिट याचिकाकर्ता अधिनियम, *2018* के साथ-साथ मराठों और संबद्ध पहलुओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति पर महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, *2018* को चुनौती दे रहे थे। यह सवाल महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग *(2011)* की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने में महाराष्ट्र राज्य की ओर से निष्क्रियता के बारे में भी उठाया गया था, जिसमें कुछ मुस्लिम समुदायों को विशेष आरक्षण की सिफारिश की गई थी और *52* मुसलमानों को *5* प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पेश करने में विफलता के बारे में भी सवाल उठाया गया था।

महाराष्ट्र में समुदाय।

32. C.A.No। *2018* की रिट याचिका *(*सी*) No.4269 (*विष्णुजी पी. मिश्रा बनाम। महाराष्ट्र राज्य*)* जिसमें *2018* की पी. आई. एल. *No.175* में इसी तरह की राहत का दावा किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. 2018 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *938* भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत दायर की गई है।

संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018*। रिट याचिका में कहा गया है कि संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* का मुद्दा *2019 (2020* का *C.A.No.3123)* के *SLP (C) No.15737* में लंबित है। रिट याचिकाकर्ता ने *2019* के एसएलपी *(*सी*)* संख्या *15737* में अभियोग लगाने के लिए *2020* का एक *I.A.No.66438* दायर करने का भी दावा किया। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि यदि संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2019* का प्रभाव ओ. बी. सी./एस. ई. बी. सी. की पहचान के संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्ति को छीनना है, तो यह स्पष्ट है कि संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* ने कानून बनाने की शक्ति के कुछ क्षेत्रों के संबंध में राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों को छीन लिया है। याचिकाकर्ता, आगे प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद *368* के खंड *(2)* के परंतुक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

भारत के संविधान का पालन तब से नहीं किया गया है जब से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव द्वारा कोई अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:

"क*)* यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित और घोषित करता है कि भारत के संविधान का *102* वां संशोधन

ख*)* यह माननीय न्यायालय कृपया आदेश या एक रिट जारी करे।
भारत के संविधान के अनुच्छेद *368* के साथ-साथ भारत के संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* का भी उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के *102* वें संशोधन को इसके बाद लागू नहीं किया जाएगा।

भारत "।

34. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में, महाराष्ट्र राज्य ने अधिनियम, *2018* का समर्थन करते हुए *2018* की रिट याचिका *No.4100* में दिनांकित *16.01.2018* के जवाब में हलफनामा दायर किया है, जिस पर उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में व्यापक रूप से भरोसा किया है। हस्तक्षेप करने वालों द्वारा भी शपथ पत्र दायर किए गए थे और उनके समर्थन में शपथ पत्र दायर किए गए थे चैंबर समन। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं, हलफनामों, हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर आवेदनों, चैंबर समन और अन्य सामग्रियों का समर्थन करने के बाद और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित वकील को सुनने के बाद मोटे तौर पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्वीकार कर लिया है:

विचार:

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

(3) उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए बिंदु,

35. " (III) क्या *2018* का विवादित अधिनियम विधायी क्षमता की कमी के कारण संवैधानिक रूप से अमान्य है

निम्नलिखित उप-शीर्षः

(ए) बॉम्बे द्वारा पारित वर्तमान अंतरिम आदेश

संजीत शुक्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य *(*डब्ल्यू. पी.*)* में उच्च न्यायालय
3151/2014) इस प्रकार राज्य के एक समान अधिनियम और अध्यादेश पर रोक लगाना, जो पहले निर्णय के लिए लंबित है।

यह न्यायालय।

(ख) 102 वां *(*संविधान*)* संशोधन, *2018* वंचित करता है।

कानून बनाने की अपनी शक्ति का राज्य विधानमंडल

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण करना

और इसके प्रयोग में उक्त वर्ग को लाभ प्रदान करना
संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत सक्षम करने की शक्ति।

((c) संविधान द्वारा निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा

संवैधानिक सिद्धांत के रूप में इंद्र साहनी की पीठ

50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है।

(IV) क्या राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को स्थापित करने में सक्षम रहा है

मात्रात्मक और समकालीन आंकड़ों के आधार पर न्यायमूर्ति गायकवाड़ की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में मराठा समुदाय?

(V) एम. एस. बी. सी. सी. के निष्कर्षों, निष्कर्षों और सिफारिशों में हस्तक्षेप के लिए न्यायिक समीक्षा का दायरा।

(VI) क्या राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय के लिए विवादित कानून के रूप में बनाया गया आरक्षण संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत उचित वर्गीकरण के मापदंडों को संतुष्ट करता है।

संविधान*?* *(7)* क्या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा को एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए और इसका विचलन संविधान में निहित समानता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है*?*

(VIII) क्या राज्य इंद्र साहनी में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के दायरे में असाधारण परिस्थितियों या असाधारण स्थिति के अस्तित्व को *50* प्रतिशत की अनुमेय सीमा को पार करने में सक्षम है*?*

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(IX) क्या निष्कर्षों, निष्कर्षों और निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में

एम. एस. बी. सी. सी. रिपोर्ट की सिफारिशें, क्या राज्य

सरकार ने अपनी सक्षम करने की शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराया है

संविधान का अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)*? *36.* उच्च न्यायालय ने फैसले के अनुच्छेद *177* में कहा है कि

निम्नलिखित प्रभाव के लिए अपना निष्कर्ष निकालाः

" 177. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपने निष्कर्षों को उन बिंदुओं पर संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने प्रस्तुत किया है

निर्णय का प्रारंभिक विवरण और निर्णय में विचार-विमर्श किया गया। हम.

हमारे निष्कर्षों को उसी क्रम में संक्षेप में लिखिए:

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य *(*सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए*)* एस. ई. बी. सी. अधिनियम, *2018* के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां और राज्य की विधायी क्षमता संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम *2018* और इस न्यायालय द्वारा *2014* की रिट याचिका संख्या *3151* में पारित अंतरिम आदेश से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। परिणामस्वरूप हम आरक्षण की मात्रा की सीमा को छोड़कर विवादित अधिनियम को बरकरार रखते हैं जैसा कि बिंदु संख्या में निर्धारित किया गया है। *6 .*

[2] हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एमएसबीसीसी की रिपोर्ट के तहत न्यायमूर्ति गायकवाड़ की अध्यक्षता मात्रात्मक और

समकालीन डेटा और इसने निर्णायक रूप से स्थापित किया है मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और इसने अपर्याप्तता को भी स्थापित किया है

राज्य के तहत सार्वजनिक रोजगार/पदों में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व। तदनुसार हम एम. एस. बी. सी. सी. रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। *[3]* हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि मराठा वर्ग का "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" में वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के तहत अनुमेय

उचित वर्गीकरण के दोहरे परीक्षण का अनुपालन करता है, अर्थात्, *(ए)* बोधगम्य अंतर और *(बी)* प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए तर्कसंगत संबंध।

[4] हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि आरक्षण की सीमा *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, हालांकि असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों में, उपलब्धता के अधीन इस सीमा को पार किया जा सकता है। जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v* को प्रतिबिंबित करने वाले मात्रात्मक और समकालीन डेटा का।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रभावित किए बिना

प्रशासन में दक्षता।

इंद्र साहनी के मामले में निर्धारित *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करने को उचित ठहराने वाली स्थितियाँ। *[6]* हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद *15 (4) (5)* और *16 (4)* के तहत अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करना उचित है।

एम. एस. बी. सी. सी., मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान करने में। हालाँकि, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र राज्य आरक्षण द्वारा सीटों के लिए निर्धारित आरक्षण की मात्रा

धारा *4 (1) (ए)* और *4 (1) (बी)* में *16* प्रतिशत के रूप में उचित नहीं है और परिणामस्वरूप हम आरक्षण की मात्रा को रद्द कर देते हैं और अलग कर देते हैं। उक्त प्रावधानों के तहत *12* प्रतिशत और *13* प्रतिशत से अधिक

क्रमशः आयोग द्वारा अनुशंसित "।

निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं के निम्नलिखित आदेश समूह को पारित कियाः

" *:* आदेशः

[क*)* उपरोक्त निष्कर्षों के सारांश के आलोक में, हम उक्त अधिनियम की धारा *4 (1) (*क*)* और *4 (1) (*ख*)* द्वारा निर्धारित आरक्षण की मात्रा को छोड़कर, *2018* के विवादित अधिनियम को बरकरार रखते हुए निम्नलिखित रिट याचिकाओं/जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हैंः

1] 2018 की पी. आई. एल. संख्या *175,*

2] 2019 का डब्ल्यूपी *(*डाक टिकट संख्या*) 2126*

3] 2019 का डब्ल्यूपी *(*डाक टिकट संख्या*) 2668*

4] 2019 का डब्ल्यूपी *(*डाक टिकट संख्या*) 3846*

5] 2014 की पी. आई. एल. संख्या *140* *6]* डब्ल्यूपी *(*लॉडग। सं*.) 2018* का *4100*

7] डब्ल्यूपी *(*लॉडग। सं*.) 2018* का *4128*। *8]* डब्ल्यूपी *(*लॉडग। *) 2018* का *4269 [2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9] 2019 की पी. आई. एल. संख्या *6*।

10] 2019 का डब्ल्यू. पी. *(*लॉज संख्या*) 969*।

[बी*)* धारा *4 (1) (*ए*)* और *4 (1) (*बी*)* द्वारा निर्धारित आरक्षण की मात्रा को छोड़कर*, 2018* के विवादित अधिनियम को लागू करने की मांग करने वाली निम्नलिखित रिट याचिकाओं/जनहित याचिकाओं का भी निपटारा किया जाता है।

1] 2019 की पी. आई. एल. <आई. डी*1>: -* याचिका की अनुमति इस संदर्भ में दी गई है कि

प्रार्थना खंड *(*ए*)*।

2] 2018 की पी. आई. एल. <आई. डी*1>: -* याचिका की अनुमति प्रार्थना खंड *(*ए*)* के संदर्भ में दी गई है। जहाँ तक प्रार्थना खंड *(*बी*)* का संबंध है*,* हम याचिकाकर्ता को कार्रवाई का कारण बचे रहने की स्थिति में एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

[ग*]* निम्नलिखित रिट याचिकाओं को *2018* के एस. ई. बी. सी. अधिनियम के पारित होने के कारण निष्फल बना दिया गया है जिसने *2015* के पहले के ई. एस. बी. सी. अधिनियम को निरस्त कर दिया है।

1] 2017 की लिखित याचिका *(*डाक टिकट संख्या*) 10755*

2] 2015 की पी. आई. एल. संख्या *105*

3] 2019 की पी. आई. एल. संख्या *126*

4] 2014 की पी. आई. एल. सं. *149*

5] 2014 की पी. आई. एल. संख्या *185*

6] 2014 की पी. आई. एल. संख्या *201*

7] 2014 की रिट याचिका संख्या *3151 "*।

[डी*]* निम्नलिखित रिट याचिकाओं को याचिकाओं के वर्तमान समूह से हटा दिया गया है क्योंकि वे मुसलमानों के लिए आरक्षण का दावा करते हैं। समुदाय।

1] 2017 की रिट याचिका संख्या *937*

2] 2019 की रिट याचिका संख्या *1208* *3] 2014* की पी. आई. एल. <आई. डी*1*>

4] 2019 की पी. आई. एल. *(*डाक टिकट संख्या*) 1914*।

[ई] 2016 का डब्ल्यूपी *No.11368: -* जहाँ तक प्रार्थना खंड *(*ए*)* का संबंध है, याचिका खारिज कर दी जाती है। जहाँ तक प्रार्थना *(*बी*)* का संबंध है, डॉ।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

याचिकाकर्ता एक उपयुक्त रिट याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है

राहत ने कहा।
[2018 की एफ*]* पी. आई. एल. *(*डाक टिकट संख्या*) 36115: -* इसका निपटारा किया जाता है क्योंकि आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है

[जी*]* उपरोक्त रिट याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के निपटारे के आलोक में, सभी लंबित दीवानी आवेदन/प्रस्तावों की सूचना/चैंबर समन
इन रिट याचिकाओं में लिए गए और पी. आई. एल. एस. जीवित नहीं रहते हैं और

उसी के अनुसार निपटाया जाता है "।

37. उच्च न्यायालय के दिनांक *27.06.2019* के विवादित फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय में ऊपर उल्लिखित दीवानी अपील दायर की है।

38. हमने श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री प्रदीप संचेती, विद्वान वरिष्ठ वकील, डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिद्धार्थ भटनागर, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री बी. एच. मार्लापल्ले, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री आर. के. देशपांडे, विद्वान वरिष्ठ वकील, डॉ. गुणरतन सदावर्ते, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अमित आनंद तिवारी, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री एस.

रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील, राज्य की ओर से पेश हुए हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे और वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया भी पेश हुए हैं। झारखंड राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल पेश हुए। डॉ. अभिषेक मनु

सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, *2020* के सी. ए. *No.3123* में प्रतिवादी संख्या *3* की ओर से भी पेश हुए हैं।

40. हमने विभिन्न राज्यों की ओर से पेश होने वाले कई विद्वान वकीलों को भी सुना है। श्री मनीष कुमार, विद्वान वकील, की ओर से पेश हुए हैं

बिहार राज्य, श्री करण भारिहोक, पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए, डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, राजस्थान राज्य की ओर से पेश हुए। श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए

हैं। श्री सुधांशु एस. चौधरी, विद्वान वकील, कुछ उत्तरदाताओं, श्री वी. शेखर, *[2021] 15* एस. सी. आर. की ओर से पेश हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नेफडे और तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत मुथ राज पेश हुए हैं। कर्नाटक राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता पेश हुए। उत्तराखंड राज्य की ओर से विद्वान वकील श्री विनय अरोड़ा पेश हुए हैं। हरियाणा राज्य की ओर से विद्वान वकील श्री अरुण भारद्वाज पेश हुए हैं। विद्वान वकील श्री अमित कुमार मेघालय राज्य की ओर से पेश हुए हैं। श्री प्रदीप मिश्रा, विद्वान वकील, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से और श्री तपेश कुमार सिंह, विद्वान वकील, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पेश हुए हैं। सुश्री दीक्षा राय, विद्वान वकील, असम राज्य की ओर से पेश हुईं।

अधिवक्ता, श्री वी. के. बीजू, विद्वान अधिवक्ता, श्री ऋषिकेश एस. श्री चिताली, विद्वान वकील, श्री श्री कलीश्वरम राज, विद्वान वकील, और श्री अशोक अरोड़ा हस्तक्षेप करने वालों की ओर से। श्री आकाश अविनाश काकड़े ने भी हस्तक्षेप करने वालों के लिए दिखाई दिया।

42. पक्षों के विद्वान वकील ने छह प्रश्नों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। पक्षों के विद्वान वकीलों ने भी विचार के लिए बिंदुओं पर अपनी-अपनी दलीलें दी हैं जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में तैयार किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम, *2018* के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट पर तीखा हमला किया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न आंकड़ों और विवरणों को उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए संदर्भित किया गया है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है।

43. अब हम भारत के अटॉर्नी जनरल के प्रस्तुतिकरणों सहित विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे।

सीरियटिम।

(4) पक्षों की प्रस्तुतियाँ।

44. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने दलीलों का नेतृत्व किया

अपीलार्थी की ओर से। श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी बेंच का संदर्भ डी. आर. बनाया जा सकता है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

केवल सम्मोहक कारणों से। इस न्यायालय के किसी भी फैसले ने इंद्र में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ की शुद्धता पर संदेह नहीं किया है।

साहनी का मामला। दूसरी ओर इंदिरा साहनी के मामले में फैसले के बाद इस अदालत के चार संविधान पीठ के फैसलों द्वारा आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की सीमा को दोहराया गया है। सभी उच्च न्यायालयों ने *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समान रूप से स्वीकार कर लिया है। कुछ राज्यों में जहां राजनीतिक कारणों से *50* प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया गया था, वहां इसे बार-बार निरस्त किया गया था। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इंदिरा साहनी में निर्धारित *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा अब संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *16* की त्रिमूर्ति का एक अभिन्न अंग है। इसके खिलाफ कोई भी विधायी या कार्यकारी कानून अमान्य हैं और उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। श्री दातार ने विशेष रूप से संविधान का उल्लेख किया है

एम. नागराज बनाम भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212* में इस न्यायालय के पीठ के फैसले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि राज्य *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा की संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद *16* में गुणवत्ता और समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी।

45. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य के पास भी ठोस कारण है,

राज्य को यह देखना होगा कि उसके आरक्षण प्रावधान से ज्यादती न हो जिससे *50* प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन न हो। नागराज के फैसले को संदर्भित करने के अनुरोध को जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य, *2018 (10)* एस. सी. सी. *396* में इस अदालत के बाद के संविधान पीठ के फैसले द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। जब यह न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करता है तो मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं जिनमें वर्तमान मामला नहीं आता है। नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का टकटकी लगाने के सिद्धांत के तहत पालन करने की आवश्यकता है। इससे भी अधिक पिछले *28* वर्षों से इस न्यायालय के किसी भी निर्णय ने इंद्र साहनी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बारे में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था।

जब ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ को निर्देश दिया जाना है तो एक बहुत ही उच्च सीमा को पार करना पड़ता है। कानून में, निश्चितता, निरंतरता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय हैं। संसद ने पिछले कई दशकों से संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा को नहीं छुआ है।
46. बंबई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि यह इंद्र साहनी के मामले में निर्धारित स्पष्ट सिद्धांत के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने कोई कारण नहीं बताया है कि मराठा जाति*/[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए आरक्षण के संदर्भ में इंद्र साहनी मामले में अनुच्छेद *810* में उल्लिखित असाधारण स्थितियों को कैसे बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. मराठा समुदाय को सामाजिक रूप से उन्नत और प्रतिष्ठित जाति पाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *50* प्रतिशत की सीमा समानता की ओर से आवश्यक अधिकार है जो मूल संरचना का हिस्सा है। यहां तक कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य जो योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, वे भी योग्यता कोटे का लाभ लेना जारी रख सकते हैं। इंद्र साहनी में निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा, केवल एक

संसदीय संशोधन पर विचार किया गया है। जब भी संसद इंदिरा साहनी द्वारा निर्धारित *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को प्राप्त करना चाहती थी, तब संविधान में *77* वां संशोधन और संविधान में *81* वां संशोधन लाया गया। संशोधन।

48. श्री दातार ने इंद्र साहनी में इस न्यायालय के फैसले के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया है। उनकी इस दलील के समर्थन में कि बहुमत

अनुच्छेद के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए *50* प्रतिशत की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है

16 (4) और *15 (4),* श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी का निर्णय केवल अनुच्छेद *16 (4)* तक ही सीमित नहीं हो सकता है, लेकिन कानून निर्धारित किया गया था।

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* को ध्यान में रखते हुए।

49. अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान प्रस्तुत करते हैं कि मराठा की सामाजिक और वित्तीय स्थिति

जून *2013* तक लगातार आयोगों या समितियों द्वारा समुदाय की जांच की गई है और प्रत्येक आयोग और समिति ने मराठा समुदाय के सदस्यों को इसके योग्य के रूप में मान्यता नहीं दी है।

पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण। श्री दीवान ने कालेलकर का उल्लेख किया है। आयोग रिपोर्ट *(1955),* मंडल आयोग रिपोर्ट *(1980)* और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट *(2000)*। उन्होंने देशमुख समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जिसमें मराठा समुदाय को पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। संदर्भ डॉ।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

संशोधन में अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पहचान पर विचार किया गया है। अनुच्छेद *341* और *342* द्वारा निरूपित संवैधानिक योजना को भी अनुच्छेद *342* ए में उधार लिया गया है। पिछड़े वर्गों की पहचान अब केंद्रीकृत हो गई है। श्री दीवान ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा प्रवेश पर विवादित अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया।

52. इंदिरा साहनी के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून कि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, का पालन किया गया है और संविधान पीठ के फैसलों सहित इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा दोहराया गया है। गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और रिपोर्ट द्वारा दिया गया कारण मराठा समुदाय के असाधारण परिस्थितियों में पड़ने के संबंध में अपवाद के लिए कोई मामला नहीं बनाता है जैसा कि इंद्र साहनी के मामले में फैसले के पैराग्राफ *810* में विचार किया गया है।

53. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने संविधान *(*एक सौ दो *[2021] 15* एस. सी. आर.*)* पर अपना निवेदन दिया है।

संशोधन*), 2018*। श्री नारायणन प्रस्तुत करते हैं कि संविधान के बाद

(एक सौ दूसरा संशोधन*), 2018,* राज्य विधानमंडल *2018* अधिनियम को पारित नहीं कर सकता था। संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* द्वारा लाया गया अनुच्छेद *338* बी और *342* ए, पिछड़े वर्गों की पहचान के संबंध में पूरे शासन में परिवर्तन को चिह्नित करता है। अनुच्छेद *338* बी उपखंड *(5)* के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्ति में रिपोर्ट बनाने की शक्ति शामिल है और

संघ या किसी भी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर सिफारिशें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी आवश्यकता है कि

अब संघ और राज्य दोनों से परामर्श किया जाए। अनुच्छेद *366 (26)* में कहा गया है कि 'सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्ग' वाक्यांश का अर्थ है ऐसे पिछड़े वर्ग जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए के तहत माने जाते हैं, जो प्रावधान सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्गों को कोई अन्य अर्थ रखने की अनुमति नहीं देता है। इस संविधान के उद्देश्य, जो अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में होते हैं, अनुच्छेद *16 (4)* पर भी लागू होंगे। संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* के बाद राज्यों को सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकारें अभी भी अनुच्छेद *342* ए के अनुसार पहचाने गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए जाने वाले प्रावधान की प्रकृति या सीमा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करने की शक्ति हमेशा केंद्रीकृत रही है, तो यह सुझाव देना बेतुका है कि सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक ही प्रक्रिया की अनुमति देना संघवाद का उल्लंघन होगा।

54. श्री गोपाल शंकरनारायणन ने आगे कहा कि राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट पर निर्भरता अनुचित है। में प्रवर समिति की रिपोर्ट जो जुलाई *2018* में प्रस्तुत की गई थी, कई असहमति थी, क्योंकि प्रवर समिति के कई सदस्य थे

यह समझते हुए कि संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)*, सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की राज्य की शक्ति को छीन लेगा। संविधान में अनुच्छेद *342* ए को एकरूपता और निश्चितता प्राप्त करने के लिए लाया गया है, न कि किसी राजनीतिक कारण से। अनुच्छेद *342* ए में कोई अस्पष्टता नहीं है जिसकी व्याख्या के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है।

55. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ भटनागर भी श्री दातार और श्री गोपाल की दलीलों को स्वीकार करते हैं। शंकरनारायणन और प्रस्तुत करते हैं कि एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *649* में इस न्यायालय के फैसले ने उस डी. आर. को निर्धारित किया था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *15 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से कम होगा जो सिद्धांत इंद्र साहनी के मामले में अपनी स्वीकृति पाता है। इंद्र में

साहनी के मामले में, नौ में से आठ न्यायाधीशों ने यह विचार रखा कि आरक्षण

50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

सावधानीपूर्वक जाँच की गई और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक शक्ति का उल्लंघन किया गया है, तो विवादित कार्रवाई को निरस्त करना होगा। *57.* श्री संचेती ने कहा कि तीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगों और तीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों ने ऐसा नहीं किया

मराठा समुदाय को पिछड़े समुदाय के रूप में शामिल करें जो निष्कर्ष निकालता है

और वर्ष *2017* में गठित गायकवाड़ आयोग द्वारा कारण नहीं बताए जा सकते थे। गायकवाड़ आयोग *(*इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित*)*, सर्वेक्षण, डेटा परिणाम, विश्लेषण विभिन्न अंतर्निहित खामियों से ग्रस्त है। आयोग द्वारा किया गया नमूना सर्वेक्षण विषम, अवैज्ञानिक है और इसे प्रतिनिधि नमूने के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नमूना का आकार बहुत छोटा है। सर्वेक्षण किए गए *43,629* व्यक्तियों में से केवल *950* व्यक्ति शहरी क्षेत्र से थे। मुंबई को बाहर रखा गया था

28 अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों का। जब राज्य का औसत रिकॉर्ड में नहीं है, तो उन मानकों को पिछड़ेपन के मानकों के रूप में मानना पूरी तरह से निराधार है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में आयोग द्वारा की गई गंभीर खामियों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज की गई दलीलों को भी पूरा नहीं किया है। *58.* आयोग द्वारा अपनाई गई अंकन प्रणाली तर्कसंगत नहीं थी; आयोग और विशेषज्ञों के संविधान को *[2021] 15* एस. सी. आर. में शामिल किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मराठा समुदाय का समर्थन किया क्योंकि आयोग के अधिकांश सदस्य मराठा थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मराठा न केवल राजनीति में बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों, चीनी कारखानों, कृषि आदि में भी सबसे प्रमुख समुदाय हैं, जो एक समुदाय के पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए प्रासंगिक मानदंड हैं। नमूने का आकार इतना छोटा था कि कोई मात्रात्मक डेटा नहीं मिला था।

59. आयोग की रिपोर्ट के अध्याय *10* का उल्लेख करते हुए, श्री संचेती ने प्रस्तुत किया कि कोई असाधारण स्थिति नहीं है जैसा कि इसमें विचार किया गया है।

इंद्र साहनी के मामले के फैसले के पैराग्राफ *810* को बनाया जा सकता है, भले ही आयोग द्वारा दिए गए सभी निष्कर्षों को सच माना जाए। आयोग ने यह मानने के लिए पुराने आंकड़ों पर भरोसा किया है कि

'मराठा 'शूद्र' थे। जब एक अवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है, तो एक अवास्तविक परिणाम आना तय है। काफी हो गया है

आयोग ने यह ठहराने में गलती की कि प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं है और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने दक्षता के संबंध में आवश्यकता को भी स्वीकार नहीं किया है जैसा कि विचार किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *335* के तहत।

60. श्री संचेती ने प्रस्तुत किया कि संसद के *40* प्रतिशत से अधिक सदस्य और विधानसभा के *50* प्रतिशत से अधिक सदस्य हैं

मराठों। श्री संचेती प्रस्तुत करते हैं कि आयोग की रिपोर्ट केवल कागजी कार्रवाई जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका, जबकि अधिनियम, *2018* का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पैदा करना है, लेकिन वास्तव में यह अधिनियम केवल मराठों के लिए आरक्षण है जो कानून टिकाऊ नहीं है।

61. श्री संचेती प्रस्तुत करते हैं कि मराठा समुदाय की नौकरियों में प्रतिनिधित्व के संबंध में विभिन्न आंकड़ों से ही यह स्पष्ट होता है कि

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मराठों की आत्महत्या का अनुपात *23.56* प्रतिशत है जो आयोग द्वारा दावा किए गए *30* प्रतिशत के अनुपात से भी कम है। उच्च न्यायालय ने तथ्यों की गलत व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की, वे *80.28* प्रतिशत थे मराठों। किसान आत्महत्या के लिए मराठा पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार नहीं है। श्री संचेती प्रस्तुत करते हैं कि अनुचित महत्व डी. आर. रहा है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

'दुब्बेवाला वर्ग' में मराठों के प्रतिशत को दिया जाता है जो कोई प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है।

63. डॉ. धवन, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी के फैसले में, जांच की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामलों में न्यायिक जांच के लिए एक कमजोर परीक्षा निर्धारित की गई थी, अर्थात परीक्षण जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बेरियम केमिकल्स लिमिटेड में निर्धारित किया गया था। और एक और बनाम कंपनी विधि बोर्ड और अन्य, ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295*। डॉ. धवन प्रस्तुत करते हैं कि एक सख्त जांच परीक्षण होना चाहिए और यह न्यायालय इंद्र साहनी के इस पहलू को बदल सकता है ताकि सख्त जांच परीक्षण लागू हो। *50* प्रतिशत परीक्षण जैसा कि इंद्र साहनी में व्यक्त किया गया है, सभी को उचित मौका देने के सिद्धांत पर आधारित है। *50* प्रतिशत सीमा विपरीत भेदभाव को रोकने के लिए समानता के सिद्धांत पर आधारित है जो उतना ही सिद्धांत है जितना कि संविधान में समानता को दर्ज किया गया है। इंद्र साहनी के इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाए। डॉ. धवन, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि आरक्षण की पूरी शक्ति राज्य से नहीं ली गई है।

64. संविधान पर अपनी दलीलों का विस्तार से वर्णन करते हुए *(*एक सौ

और दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018*, डॉ. धवन प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *342* ए में उदाहरण के रूप में *102* वें संशोधन का सार

पहचान का एकाधिकार भले ही कार्यान्वयन राज्य पर छोड़ दिया गया हो। उनका कहना है कि यह संविधान के संघवाद की मूल संरचना के विपरीत है। इसने राज्यों को पहचान की महत्वपूर्ण शक्ति से वंचित कर दिया जो अनुच्छेद *15,16* और *46* के तहत राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति थी। अनुच्छेद *15,16* और *46* में राज्य का दायित्व व्यापक बना हुआ है।

65. डॉ. धवन द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक निवेदन यह है कि अनुच्छेद *342* ए को *[2021] 15* एस. सी. आर. के संबंध में केंद्र की शक्ति का वर्णन करने के लिए पढ़ा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय सेवाओं को देना और राज्यों की पहचान और कार्यान्वयन शक्ति को अक्षुण्ण रखना। डॉ. धवन, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि महाराष्ट्र विधानमंडल के पास *2018* अधिनियम को लागू करने की क्षमता थी, भले ही उस समय तक संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* आ चुका था। हालाँकि, वह प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी कानून जो लागू किया जाता है, वह अभी भी इंद्र साहनी और नागराज सिद्धांतों के अधीन होगा।

66. डॉ. धवन प्रस्तुत करते हैं कि महाराष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों में वास्तव में पाया गया है कि मराठों को शामिल करना आवश्यक नहीं है।

निरंतर प्रयास। वह प्रस्तुत करते हैं कि लागू किया जाने वाला परीक्षण "मराठों के समावेश को नकारने वाली अंतिम रिपोर्ट के बाद से क्या हुआ है जिसे अब उन्हें शामिल करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है"। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस सिद्धांत का तर्क यह है कि यदि मराठा सत्तर वर्षों से पिछड़े नहीं थे, तो वे अब अचानक कैसे पिछड़े हो गए हैं। डॉ. धवन अपना निवेदन दोहराते हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसने इंद्र साहनी के मामले पर सवाल उठाया हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव में आरक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दायित्व

निर्वाचक मंडल संवैधानिक दायित्व नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य सशक्तिकरण यानी राज्य शक्ति का बंटवारा है। वह प्रस्तुत करता है कि मराठा सत्ता साझा करने से वंचित नहीं हैं; इसलिए, नहीं।

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने का मामला बनाया गया है।

सईद नूरी और अन्य, मुसलमानों के लिए आरक्षण का दावा करते हुए। हालांकि उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतियों को नोट किया लेकिन कोई विचार नहीं किया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य के पास अधिनियम बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है *2018* का अधिनियम। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति को *102* वें संविधान संशोधन के आधार पर छीन लिया गया है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद *342* ए। उन्होंने गायकवाड़ आयोग की संरचना पर भी सवाल उठाया।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

69. अपीलार्थी की ओर से पेश श्री आर. के. देशपांडे ने यह भी तर्क दिया है कि अनुच्छेद *342* ए द्वारा एक अलग तंत्र बनाया गया है।

पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि *102* वें संविधान संशोधन के बाद 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' की कोई राज्य सूची नहीं हो सकती है। वह प्रस्तुत करता है कि

जाति की पहचान कभी भी राज्यों का अनन्य अधिकार क्षेत्र नहीं था।

70. श्री अमित आनंद तिवारी ने *2020* की रिट याचिका यानी डब्ल्यू. पी. <आई. डी. *2* में दिनांकित *09.09.2020* के आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को भेजने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए उक्त प्रार्थना पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री तिवारी प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान कोई ऐसा मामला नहीं है जो इंद्र साहनी के फैसले में उल्लिखित किसी भी असाधारण परिस्थितियों के दायरे में आता है। ऐतिहासिक रूप से मराठों को एक अग्रगामी वर्ग के रूप में माना जाता रहा है

मराठों को पिछड़े वर्ग के रूप में माने जाने का अधिकार नहीं है। मराठा समुदाय को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। *102* वें संविधान के संबंध में संशोधन, श्री तिवारी प्रस्तुत करते हैं कि अब राज्यों को संविधान के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के एक वर्ग को अधिसूचित करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, लाभ प्रदान करने की राज्य की शक्ति।

एस. ई. बी. सी. के रूप में पहले से ही पहचाने गए व्यक्तियों के वर्ग पर, जैसा कि नीचे पहचाना गया है।

अनुच्छेद *342* ए बरकरार है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि राज्यों के पास अभी भी एस. ई. बी. सी. के रूप में वर्ग की पहचान करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के महत्व की सराहना नहीं करने में गलती की। *71.* हम *2020* के डब्ल्यू. पी. *(*सिविल*) No.938* में रिट याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसमें *102* वें संविधान को चुनौती दी गई है।

संशोधन अधिनियम, *2018*।

72. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अमोल बी. करंडे ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद *366 (26* सी*)* के साथ अनुच्छेद *342* ए पढ़ने की स्थिति में

भारत सरकार पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्य की शक्ति छीन लेती है,

उक्त संवैधानिक संशोधन संविधान की मूल विशेषता अर्थात संघवाद का उल्लंघन होगा। *73.* वह आगे प्रस्तुत करता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, सूची-*II* के तहत विभिन्न प्रविष्टियों के तहत कानून बनाने की राज्य की शक्ति और

सूची-*III* को हटा दिया गया है, इसलिए संविधान *[2021] 15* एस. सी. आर. के अनुच्छेद *368 (2)* के प्रावधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य था।

भारत का, जिसने ऐसा नहीं किया है, संवैधानिक संशोधन वैध नहीं है।

74. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में कुछ शर्तों की आवश्यकता है

स्पष्टीकरण क्योंकि केंद्रीय सूची और राज्य सूची के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि राज्यों के पास अभी भी कानून बनाने की शक्ति होगी

पिछड़े वर्ग की पहचान।

प्रत्येक राज्य से "। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत, राज्य के पास 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग' की पहचान करने और ऐसे वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने की शक्ति है जिसका उपयोग राज्य द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है। *76.* विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि आयोग या न्यायाधिकरण के रूप में एक स्थायी निकाय होना चाहिए, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में समूहों, वर्गों और अनुभागों को शामिल और गैर-शामिल किया जा सकता है। संविधान पीठ ने दोनों संघों को निर्देश दिया

सरकार और राज्य सरकार को आयोग की प्रकृति में ऐसी स्थायी प्रणाली का गठन करना।

77. विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि यह अकल्पनीय है कि किसी भी राज्य के पास पिछड़े वर्ग की पहचान करने की शक्ति नहीं होगी, नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देश अभी भी जारी है। उन्होंने अपने और तीन अन्य न्यायाधीशों के लिए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख किया है। और न्यायमूर्ति थॉममेन द्वारा दिया गया निर्णय और प्रस्तुत करता है कि उपरोक्त निर्देश बहुमत के निर्देश थे। विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है जिससे अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* का प्रभाव प्रभावित हुआ हो। वे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993* निम्नलिखित के अनुपालन में पारित किया गया थाः

इंद्र साहनी के मामले में इस न्यायालय का निर्देश। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *1993* के अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* एक केंद्रीय सूची को संदर्भित करती है। विद्वान महान्यायवादी ने *2006* के महाराष्ट्र अधिनियम *No.34* का भी उल्लेख किया है, विशेष रूप से धारा *2 (C), 2 (E)* और धारा *9 (1)* जो राज्य सूची को संदर्भित करती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद *342* ए में केवल केंद्रीय सूची को शामिल किया जाना था, *1993* का अधिनियम, डी. आर. था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

14.08.2018 पर निरस्त किया गया। महान्यायवादी ने आई. डी. *1*, अनुच्छेद *12,18,19* और *55* की प्रवर समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि संवैधानिक संशोधन का इरादा राज्य की शक्ति को छीनना नहीं था।

पिछड़े वर्ग की पहचान करते हुए, प्रवर समिति की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राज्य का आयोग अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेगा।

78. विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *342* ए *(2)* के तहत विचार की गई केंद्रीय सूची केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र निगम, उन राज्यों में केंद्रीय संस्थानों के तहत रोजगार से संबंधित है जहां केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाना था। वह प्रस्तुत करता है कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान

अनुच्छेद *342* ए पिछड़े वर्गों को प्रभावित नहीं करता है।

79. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख करते हुए विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी

संवैधानिक योजना के तहत राज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से कोई लेना-देना नहीं था। वे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *342* ए केंद्रीय सूची से अपने उद्देश्य के लिए संबंधित है जबकि प्रत्येक राज्य में,

यह अन्य पिछड़े वर्ग की एक अलग राज्य सूची है। संसद द्वारा अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* को संशोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। जब तक अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक राज्य की शक्ति को छुआ नहीं जा सकता है।

80. विद्वान महान्यायवादी ने भारत सरकार की ओर से *2021* की रिट याचिका *(*सिविल*)* *No.12*, दिनेश बी. बनाम भारत संघ और अन्य में दायर एक हलफनामे का भी उल्लेख किया था, जिसमें संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* के संबंध में भारत संघ ने हलफनामा दिया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति संसद के पास है, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से केंद्रीय सूची के संदर्भ में। पिछड़ा वर्ग। यह भी अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती या राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार की अपनी अलग राज्य सूची हो सकती है। विद्वान महान्यायवादी ने संविधान *(*एक सौ दो*)* के संबंध में उपरोक्त रुख को दोहराया

संशोधन*)* अधिनियम, *2018*।

81. पंजाब राज्य के संबंध में अन्य पिछड़ी जाति सूची का उल्लेख करते हुए, विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि

केंद्रीय सूची में *68* जातियाँ हैं और जबकि राज्य सूची में *15* एस. सी. आर. हैं।

71 जातियाँ। विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* की वैधता का सवाल तभी उठेगा जब राज्य की शक्ति छीन ली जाएगी। *2020* के *W.P.No.938* में रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल प्रस्तुत करते हैं कि संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* में, परंतुक की कोई प्रयोज्यता नहीं थी

अनुच्छेद *368 (2)*। वे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक सूची-*III* के तहत कानून का संबंध है, चूंकि संसद कानून द्वारा राज्यों को पछाड़ सकती है, इसलिए संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे बहुत अच्छी तरह से हटाया जा

सकता है। *82.* सूची-*II* की प्रविष्टि संख्या *41* का उल्लेख करते हुए, विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि प्रविष्टि *41* का पहचान से कोई संबंध नहीं है

पिछड़े वर्ग। संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अनुसूची *VII* के तहत सूचियों में संशोधन नहीं करता है, इसलिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है।

83. महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने दलीलों का नेतृत्व किया। श्री रोहतगी ने स्पष्ट किया है

बहुत प्रभावी तरीके से उनकी प्रस्तुतियाँ। श्री रोहतगी का कहना है कि उनकी प्रस्तुति मुख्य रूप से प्रश्न संख्या *1* तक ही सीमित होगी। *84.* श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि कई कारण हैं जिनके लिए आवश्यक है कि इंद्र साहनी मामले में संविधान पीठ का निर्णय

पुनरीक्षण किया गया, जिससे ग्यारह न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक हो गया। श्री रोहतगी ने प्रस्तुतिकरण के दौरान आरक्षण पर निर्णयों का इतिहास देने वाला एक चार्ट सौंपा है। चार्ट का संदर्भ देता है *M.R.Balaji* बनाम मैसूर राज्य *(*सुप्रा*)*, टी. में इस न्यायालय के निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ। देवदासन बनाम भारत संघ और दूसरा, ए. आई. आर. *(1964)* एस. सी. *179*, पंजाब राज्य बनाम हीरालाल और अन्य, *(1970) 3* एस. सी. सी. *567;* केरल राज्य और अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य, *(1976) 2* एस. सी. सी. *310;* अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, *(*रेलवे*)* बनाम भारत संघ और अन्य, *(1981) 1* एस. सी. सी. *246;* के. सी. वसंत कुमार और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, *(1985)* पूरक। *(1)* एससीसी *714;* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, *(2002) 8* एससीसी *481,* एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, *(2006) 8* एससीसी *212; S.V.Joshi* बनाम कर्नाटक राज्य, *(2012) 7* एससीसी *41;* भारत संघ और अन्य बनाम राकेश कुमार और अन्य, *(2010) 4* एससीसी *50;* के. कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ और दूसरा, *(2010) 7* एससीसी *202;* चेब्रोलु लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, *(2020)* एससीसी ऑनलाइन एससी *383;* विकास डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, *(2021)* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *170* और इंद्र साहनी में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय। चार्ट उन कारणों को भी इंगित करता है कि क्यों इंद्र साहनी के फैसले की समीक्षा की आवश्यकता है। चार्ट में व्यापक तरीके से इंदिरा साहनी से पहले और बाद में आरक्षण पर कानून का खुलासा किया गया है।

वहाँ तक।

85. अब हम उन आधारों को देख सकते हैं जिन पर जोर दिया गया है

इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए श्री मुकुल रोहतगी द्वारा।

(5) इंद्र साहनी को संदर्भित करने के लिए *10* आधारों का आग्रह किया गया

एक बड़ी पीठ के लिए निर्णय।

इंद्र साहनी के निर्णय में, कोई सर्वसम्मति नहीं है,

(i)

छह अलग-अलग में अपनाए गए विभिन्न तर्कों को ध्यान में रखते हुए

मामले में दिए गए निर्णय। वे प्रस्तुत करते हैं कि निर्णय तीन समूहों में होते हैं-एक में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का निर्णय होता है, जो उनके और तीन अन्य न्यायाधीशों के लिए होता है, जिसमें कहा गया था कि *50* प्रतिशत नियम है लेकिन कुछ असाधारण स्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि न्यायमूर्ति पांडियन और न्यायमूर्ति सावंत ने माना है कि *50* प्रतिशत का उल्लंघन किया जा सकता है, इसलिए, बहुमत की राय है कि *50* प्रतिशत का उल्लंघन किया जा सकता है। यह केवल न्यायमूर्ति थोमन, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और न्यायमूर्ति हैं।

आर. एम. सहाय जिनका मानना है कि *50* प्रतिशत नहीं हो सकता है
तोड़ दिया। वह प्रस्तुत करता है कि बहुमत की राय का निर्णय

इंद्र साहनी में गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है कि *50*

प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा है।

1963 से लेकर आज तक अलग-अलग न्यायाधीशों ने अलग-अलग भाषाएं बोली हैं।

(ख)

15 (4) और *16 (4)* के तहत आरक्षण के संबंध में आवाज उठाना जो इंद्र साहनी के फैसले को एक पक्ष को संदर्भित करने के लिए एक अच्छा आधार है।
बड़ी बेंच।

बालाजी ने माना है कि अनुच्छेद *15 (4)* एक अपवाद है -

iii)

अनुच्छेद *15 (1)* जो सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा एन. एम. थॉमस के साथ-साथ इंद्र साहनी में स्वीकार नहीं किया गया है,

50 प्रतिशत की सीमा तय करने का आधार चला गया है। श्री रोहतगी ने कहा कि भारत का संविधान जीवित है

दस्तावेज़। विचार स्थिर नहीं रह सकते, यहां तक कि संविधान निर्माताओं की सोच भी स्थिर नहीं रह सकती।
अनादिकाल से।

न तो अनुच्छेद *16 (4)* और न ही अनुच्छेद *15 (4)* में कोई प्रतिशत है। न्यायालय अनुच्छेद *15 (4)* के तहत आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिशत यानी *50* प्रतिशत नहीं पढ़ सकता है और

अनुच्छेद *16 (4)*, संख्या द्वारा अधिकतम सीमा प्रदान करना भाग-*III* और भाग-*IV* के संवैधानिक प्रावधानों में कटौती कर रहा है। इंद्र साहनी के फैसले ने अनुच्छेद के विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया है। *15* और संविधान का अनुच्छेद *16*। संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ा नहीं जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत केवल कानूनों के संबंध में लागू होता है।

इंद्र साहनी का निर्णय अनुच्छेद *16 (4)* पर एक निर्णय है। और अनुच्छेद *15 (4)* पर नहीं, इसलिए निर्णय का अनुपात अनुच्छेद *15 (4)* के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि

इंद्र साहनी स्वयं कहते हैं कि अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* अलग और अलग प्रावधान हैं।

इंद्र साहनी का निर्णय इस पर विचार नहीं करता है

अनुच्छेद *14,16 (1)* और *16 (4)* की व्याख्या करते समय अनुच्छेद *39 (*बी*) (*सी*)* और अनुच्छेद *46* जैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का प्रभाव। *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा का पालन इस न्यायालय की संविधान पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय, *(1992) 1* एस. सी. सी. *558*, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया को बनाए रखते हुए

शैक्षणिक संस्थान जिनकी अधिकतम सीमा *50* प्रतिशत है

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन *(*सुप्रा*)* में *11*-न्यायाधीश पीठ के फैसले द्वारा दरकिनार कर दिया गया। *11* - टी. एम. ए. पाई के फैसले में न्यायाधीश पीठ के फैसले से संकेत मिलता है कि *50* प्रतिशत की सीमा अब अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *16* के उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

संविधान का *77* वां और *81* वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद *16 (4) (*ए*)* और अनुच्छेद *16 (4) (*बी*)* का प्रभाव इंद्र साहनी के फैसले को आंशिक रूप से पूर्ववत करने का है और इस प्रकार

पुनः देखने की अनिवार्यता।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत दिए गए आरक्षण के अलावा धाराएं *15 (4)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का एक स्पष्ट संकेत है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

पैराग्राफ में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ

x)

810 इंद्र साहनी का मामला संपूर्ण नहीं है, इसमें उल्लिखित दूर-दराज के क्षेत्र केवल उदाहरणात्मक हैं। ऐसे अन्य अपवाद भी हो सकते हैं जहां राज्य *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार करने के हकदार हैं।

86. महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित श्री पी. एस. पटवालिया ने बाकी प्रश्नों पर प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ा दी हैं। श्री पटवालिया ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए अग्रिम प्रस्तुतियाँ दी हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि गायकवाड़ आयोग को *2005* के अधिनियम के तहत उस समय नियुक्त किया गया था जब *2014* के अधिनियम को चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि गायकवाड़ आयोग के गठन को किसी भी स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई थी। वह प्रस्तुत करता है कि अगर *30* प्रतिशत मराठों को *27* प्रतिशत ओ. बी. सी. में फिट होना है आरक्षण, हम उन्हें एक पूर्ण मृगया देंगे। श्री पटवालिया हमें रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में ले गए हैं और प्रस्तुत करते हैं कि आयोग ने प्रक्रिया, जांच और एकत्र किए गए साक्ष्य के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा विशेषज्ञों और आयोग द्वारा नियुक्त तीन एजेंसियों के माध्यम से मात्रात्मक डेटा एकत्र किया गया था। विशेषज्ञ भी आंकड़ों को तैयार करने और अपनी राय प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। रिपोर्ट के अध्याय *10* में मराठों द्वारा आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक को उचित ठहराने के संबंध में असाधारण परिस्थितियों पर चर्चा की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयोग ने मराठा आबादी का आकलन *30* प्रतिशत किया है।

87. श्री पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि न्यायिक समीक्षा का दायरा

आयोग की रिपोर्ट बहुत सीमित है। यह न्यायालय किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करेगा। वे प्रस्तुत करते हैं कि गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अधिनियम, *2018* को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि

सरकार एक समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से घोषित करेगी न्यायिक समीक्षा अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालयों द्वारा पिछड़े वर्ग में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

88. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार इस संतोष पर पहुंची कि मराठा सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पिछड़े वर्ग की संतुष्टि का न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य द्वारा राय का गठन विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि आयोग की रिपोर्ट को सम्मान के साथ देखने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित फैसले में गायकवाड़ पर विस्तार से विचार किया गया है।

आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण सहित अन्य सामग्री जो वर्ष *1902* में साहूजी महाराज द्वारा अन्य पिछड़े समुदाय को दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में पहले के आयोगों द्वारा दी गई रिपोर्टों के प्रभाव पर विचार किया था और कारण बताए थे कि पहले की रिपोर्ट मराठों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकती हैं।

89. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वेक्षण की विधि और तरीका आयोग द्वारा तय किया जाना है। किसी भी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ का कोई विपरीत डेटा नहीं

अपीलार्थियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तकनीकी निकाय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रखा गया है कि आयोग द्वारा विचार किया गया डेटा प्रासंगिक नहीं था। मानदंडों का चयन अनिवार्य रूप से पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना है। आँकड़े

90. आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए एकरूपता बनाए रखने के लिए एक सामान्य प्रश्नावली दी थी। द. आयोग ने प्रासंगिक मानदंड दिए हैं। आयोग ने किया था

प्राप्त और एकत्र किए गए अभ्यावेदनों की संख्या पर विचार किया। आयोग ने मराठाओं को अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने की आपत्ति पर भी विचार किया।

91. श्री पटवालिया *102* वें संविधान संशोधन के संबंध में कहते हैं कि वे विद्वान महान्यायवादी की दलीलों को स्वीकार करते हैं

पूरी तरह से। वह प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद *342* ए और तंत्र जो लागू किया गया है, केवल केंद्रीय सूची से संबंधित है जो केंद्र सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए है या

केंद्र सरकार के नियंत्रण में शैक्षणिक संस्थान। श्री पटवालिया ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा की गई प्रवर समिति की रिपोर्ट कानून के इतिहास और संसद के इरादे को समझने के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि आज कोई केंद्रीय सूची नहीं है, इसलिए राज्य सूची को प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त कार्रवाई को दरकिनार करना जल्दबाजी होगी।

92. श्री शेखर नाफडे, विद्वान वरिष्ठ वकील, की ओर से पेश हुए

महाराष्ट्र राज्य ने एम. आर. बालाजी *(*सुप्रा*)* मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विस्तार से विचार किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा प्रदान करने वाले बाद के सभी निर्णय बालाजी के मामले पर आधारित हैं और वहाँ

उक्त निर्णय में कई खामियां होने के कारण, मामले को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि डी. आर. के लिए आरक्षण की सीमा *50* प्रतिशत है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एक न्यायिक कानून है जिसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, यह बालाजी के निर्णय का अनुपात नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बालाजी ने अनुच्छेद *15 (4)* में निहित अबाधित खंड के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। श्री नाफडे ने *T.Devadasan (*सुप्रा*)*, एन. एम. थॉमस *(*सुप्रा*)* और इंद्र साहनी में भी इस न्यायालय के फैसलों पर विचार किया है।

राज्यों की विधायी क्षमता और विधायी शक्ति को छीनना संविधान की मूल संरचना और राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के वितरण की योजना के विपरीत है। यह व्याख्या का स्थापित सिद्धांत है कि संसद के अधिनियम

या संविधान के किसी भी प्रावधान का अर्थ लगाते हुए, संबंधित विषय के विधायी इतिहास को देखना आवश्यक है। *94.* झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने मामलों के सभी पहलुओं पर दलीलें प्रस्तुत की हैं।

जो मामलों के वर्तमान समूह में विचाराधीन हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *14,15* और *16* के लिए संतुलन कैसे बनाए रखा जाएगा, यह कार्यपालिका/राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी न्यायालय को अनुच्छेद *15* और *16* के लिए प्रतिशत तय नहीं करना चाहिए। इंद्र साहनी के मामले में, *50* प्रतिशत की सीमा लागू करने के लिए कोई डेटा नहीं था। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी में *50* प्रतिशत कोई मुद्दा नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि

अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* के मानदंड पूरी तरह से अलग हैं जहां अनुच्छेद *15* पात्रता है और अनुच्छेद *16* नौकरी प्राप्त करने की क्षमता है। बालाजी के अलावा, अन्य सभी निर्णय अनुच्छेद *16* पर हैं। वह प्रस्तुत करता है कि इंदिरा साहनी के मामले में बनाए गए प्रश्न का जवाब आंकड़ों को देखे बिना नहीं दिया जा सकता था। समानता की अवधारणा अलग होगी। राज्य से राज्य तक। एक स्ट्रेट जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। जब मामला राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित है जो संबंधित राज्य द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है तो आरक्षण को केवल *50* प्रतिशत तक ही क्यों रोका जाए।

50 प्रतिशत तक शिक्षा की पहुंच से हल होने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा होंगी। यह वह राज्य है जिसे किसी विशेष मामले में पालन किए जाने वाले प्रासंगिक प्रतिशत को देखना होता है। इंद्र साहनी के मामले में, न्यायालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन पर विचार कर रहा था जहाँ

आरक्षण *50* प्रतिशत से कम था। *50* के बारे में अवलोकन

प्रतिशत केवल एक ओबिटर है। एन. एम. थॉमस में इस अदालत के फैसले से बालाजी मामले का आधार कि अनुच्छेद *15 (4)* अनुच्छेद *15 (1)* का अपवाद है, चला गया है। पूरे फैसले पर अब एक मिसाल के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था। क्या आरक्षण का कोई विशेष कोटा अनुच्छेद का उल्लंघन करता है

15 (1) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। राज्य को प्रत्येक राज्य की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार प्रतिशत चुनने के लिए स्वतंत्र हाथ दिया जाना चाहिए। प्रतिशत चुनने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

95. श्री सिब्बल ने केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि सामान्य छात्र नहीं आ सकते हैं और वे संस्थान केवल केंद्रीय विद्यालय की जरूरतों को पूरा करते हैं।

सरकार, सेना और जनरल के कर्मचारी तभी आ सकते हैं जब सीटें खाली हों। वह प्रस्तुत करता है कि संतुलन कार्यपालिका द्वारा किया जाना चाहिए न कि न्यायालय द्वारा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये मुद्दे कभी नहीं रहे

इंद्र साहनी के मामले में इस अदालत के समक्ष संबोधित, मामले को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है।

96. भारत का संविधान एक जीवंत, परिवर्तनकारी दस्तावेज है। न्यायालय विधायिका को जकड़ नहीं सकता है। श्री सिब्बल ने कहा कि इंदिरा साहनी में निर्धारित आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की सीमा अब अच्छी नहीं है

103 वें संविधान संशोधन के बाद कानून जिसने संविधान में अनुच्छेद *15 (6)* और अनुच्छेद *16 (6)* को जोड़ा। कई राज्यों ने पहले ही अनुसूचित जाति को *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किया है।

अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि इन मामलों को नए निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जा सके।

97. श्री सिब्बल ने अनुच्छेद *342* ए पर कहा कि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत केंद्र और राज्यों को आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार हैं

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का हित। संघ द्वारा शक्ति का कोई भी प्रयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने और आवश्यक आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अतः "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल उस शक्ति की रूपरेखा के भीतर ही लगाया जा सकता है जिसका प्रयोग संघ डी. आर. के संबंध में करने का हकदार है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

संघ के तत्वावधान और नियंत्रण के तहत संस्थाओं, संस्थानों, प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को। *98.* अनुच्छेद *342* ए *(2)* में "केंद्रीय सूची" शब्द अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय सूची का उल्लेख किया गया है।

इसमें किसी राज्य में संस्थाओं, संस्थानों, प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान शामिल है, लेकिन संघ के तत्वावधान या नियंत्रण के तहत। कोई भी अन्य व्याख्या एक कार्यकारी अधिनियम को राज्यों की विधायी शक्ति को कम करने की अनुमति देगी ताकि राज्यों की प्रगति के लिए प्रावधान किया जा सके।

अनुच्छेद *15 (4), 15 (5)* के साथ-साथ अनुच्छेद *16 (4)* के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो मौलिक अधिकारों पर अध्याय का एक अभिन्न अंग हैं।

99. अनुच्छेद *342* ए और अनुच्छेद *342* ए *(1)* और *342* ए *(2)* की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ और इंद्र साहनी से पहले और बाद के विकास दोनों में की जानी चाहिए, जहां राज्य सूचियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का निर्धारण करने का आधार था।

आरक्षण की सीमा। इस संबंध में, "केंद्रीय सूची" शब्द का उपयोग अनुच्छेद *341* और *342* के विपरीत महत्वपूर्ण है, जो केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान के संदर्भ में "सूची"

अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई थी और राज्यों द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया था। *100.* विद्वान महान्यायवादी श्री तुषार मेहता प्रस्तुत करते हैं कि वे विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि *102* वां संविधान संशोधन राज्य की शक्ति को कम नहीं करेगा। अनुच्छेद *342* ए *(1)* केवल प्रावधान को सक्षम कर रहा है। यह अधिनियम, *2018 102* वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन नहीं करता है।

101. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए

प्रस्तुत करता है कि राज्य की शक्ति को कभी भी छीनने का इरादा नहीं था। वे प्रस्तुत करते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्टों में चर्चा सहित सामग्री पूरी तरह से स्वीकार्य है और संवैधानिक प्रावधान के इरादे और उद्देश्य को खोजने के लिए उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। डॉ. सिंघवी ने हमें प्रवर समिति की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया है। डॉ. सिंघवी ने कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, *(2018) 7* एस. सी. सी. *1* में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने *123* वें विधेयक के उद्देश्यों के बयानों का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि इंद्र साहनी से पहले राज्य सूचियां थीं। केंद्रीय सूची केंद्रीय संस्थानों और केंद्र सरकार *[2021] 15* एस. सी. आर. तक सीमित थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पद. श्री सिंघवी ने *1993* के अधिनियम का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि

उक्त अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* एक सूची का उल्लेख करती है जो केवल एक केंद्रीय सूची थी। अनुच्छेद *342* ए *(2)* में उसी केंद्रीय सूची का उपयोग किया गया है और अनुच्छेद *342* ए *(2)* की व्याख्या को केंद्रीय सूची का वही अर्थ लेते हुए किया जाना चाहिए जो *102* वें संविधान से पहले शासन के तहत जाना और समझा जाता था।

संशोधन अधिनियम। यह न्यायालय किसी व्याख्यात्मक अभ्यास के तहत राज्य की शक्ति की व्याख्या नहीं करेगा। डॉ. सिंघवी आगे प्रस्तुत करते हैं कि आज अनुच्छेद *342* ए के तहत कोई केंद्रीय सूची नहीं है, कोई अधिकृत क्षेत्र नहीं है, यह अपरिपक्व और अकादमिक है। *102.* प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने रिपोर्ट में एकत्र और प्रतिबिंबित आंकड़ों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि आयोग ने मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर मराठा को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में निर्धारित किया है। उन्होंने रिपोर्ट के अध्याय *10* का भी उल्लेख किया है जिसमें *50* प्रतिशत की सीमा को पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। श्री सी. यू. सिंह लोक सेवाओं, विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों में मराठा समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में अदालत को विभिन्न तालिकाओं और चार्टों पर ले गए हैं। श्री सी. यू. सिंह प्रस्तुत करते हैं कि लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व मराठों की आबादी के अनुपात के अनुसार नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि पिछड़ेपन को जीवन स्तर, नौकरी से आना पड़ता है। आयोग ने पाया है कि मराठा कृषि और कृषि में अधिक हैं

श्रम। वह प्रस्तुत करते हैं कि हमें समग्र स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

103. बिहार राज्य, पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, असम राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य के विद्वान वकीलों ने भी महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिए गए समान निवेदनों को आगे बढ़ाया है कि *102* वां संविधान संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने और आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए राज्य की विधायी/कार्यकारी शक्ति को नहीं खोएगा। सभी राज्यों के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि हमेशा दो सूचियाँ होती हैं अर्थात केंद्रीय सूची और राज्य सूची। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी अन्य व्याख्या भारत के संविधान में परिकल्पित संघीय ढांचे का उल्लंघन करेगी।

104. श्री अमित कुमार, विद्वान महाधिवक्ता, मेघालय,

प्रस्तुत करता है कि मेघालय राज्य में लगभग *85.9* प्रतिशत आदिवासी आबादी है। वे प्रस्तुत करते हैं कि मेघालय राज्य में अनुमत आरक्षण इंद्र साहनी के फैसले के पैराग्राफ *810* के अनुसार है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

105. उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विनय अरोड़ा प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की दो सूचियाँ हैं-एक राज्य द्वारा तैयार की गई और दूसरी केंद्रीय सूची। वह विद्वान महान्यायवादी की दलीलों को अपनाता है। श्री विनय अरोड़ा प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी के फैसले को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *16 (4)* और *15 (4)* के तहत सकारात्मक कार्रवाई अनुच्छेद *14* के पहलू हैं। *106.* हमने हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश होने वाले विभिन्न वकीलों को भी सुना है। अधिकांश हस्तक्षेपकर्ताओं ने राज्य की प्रस्तुतियों को अपनाया है

महाराष्ट्र। हालांकि, विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री *A.P.Singh* और श्री बी. बी. बीजू ने प्रस्तुत किया कि इंद्र साहनी के फैसले को बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्तर वर्षों के बाद उत्थान हुआ है। आरक्षण योग्यता के साथ-साथ समाज को भी प्रभावित कर रहा है।

107. हमने पक्षकारों और विचारकों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

अभिलेखों को।

108. उच्च न्यायालय के समक्ष मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों को अलग-अलग खंडों में संकलित किया गया है और सुविधा के लिए दायर किया गया है।

प्रस्तुतियों के दौरान पक्षों के लिए विद्वान वकील ने आवश्यक प्रासंगिक अधिनियमों और रिपोर्टों सहित विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख किया है। विभिन्न खंडों से एक प्रमुख सूचकांक भी तैयार किया गया है जिसमें खंडों के सभी विवरण शामिल हैं और प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले कि हम हमारे द्वारा तैयार किए गए छह प्रश्नों और विचार के लिए बिंदुओं सहित उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में प्रवेश करें।

उच्च न्यायालय के फैसले में उल्लेख किया गया है कि हमें पहले उस समय लागू आरक्षण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर गौर करने की आवश्यकता है जब

अधिनियम, *2018* लागू किया गया था।

(6) के समय आरक्षण की स्थिति

अधिनियम, *2018* का प्रारंभ

109. महाराष्ट्र राज्य ने ओ. बी. सी. की एक एकीकृत सूची जारी की है जिसमें *13.08.1967* पर *118* जातियां शामिल हैं। इंद्र साहनी मामले में इस अदालत के फैसले के बाद *10.09.1993* पर, ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची थी

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा *200* से अधिक जातियों से युक्त ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची को अधिसूचित करते हुए जारी किया गया। आज की तारीख में ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में लगभग *252* ओ. बी. सी. हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सरकारी निर्णय दिनांक *07.12.1994* द्वारा *[2021] 15* एस. सी. आर. बनाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.01.2004 पर राजपत्र। धारा *2 (*बी*)* अधिसूचित जनजातियों को परिभाषित करती है। धारा *2 (*च*)* खानाबदोश जनजातियों को परिभाषित करती है। धारा *2 (*जी*)* अन्य पिछड़े वर्गों को परिभाषित करती है और धारा *2 (*के*)* आरक्षण को परिभाषित करती है और धारा *2 (*एम*)* को परिभाषित करती है विशेष पिछड़ा वर्ग। धारा *2 (*बी*), 2 (*एफ*), 2 (*जी*), 2 (*के*)* और *2 (*एम*)* इस प्रकार हैं:

" धारा *2 (*बी*) "*अधिसूचित जनजातियाँ *(*विमुक्त जातियाँ*) 66"* का अर्थ है

सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित जनजातियाँ*;*

*2 (*च*) "*खानाबदोश जनजातियों*"* का अर्थ है भटकने वाली जनजातियाँ।

द्वारा घोषित अपनी आजीविका की तलाश में जगह बनाने के लिए

समय-समय पर सरकार*;*

*2 (*छ*) "*अन्य पिछड़े वर्ग*"* का अर्थ है कोई भी सामाजिक और

द्वारा घोषित नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

सरकार और इसके द्वारा घोषित अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं

महाराष्ट्र राज्य के संबंध में भारत सरकार*;*

*2 (*के*) "*आरक्षण*"* का अर्थ है पद का आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सेवाएं,

अधिसूचित जनजातियाँ *(*विमुक्त जातियाँ*)*, खानाबदोश जनजातियाँ, विशेष

पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग*;*

2 (एम*)* "विशेष पिछड़े वर्ग" का अर्थ है सामाजिक और

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष घोषित किया गया

सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग "।

110. धारा *4* में आरक्षण और प्रतिशत का प्रावधान है। अनुभाग

4 (2) यह इस प्रकार हैः

धारा *4 (2)* इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, वहाँ

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद होंगे

जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति *(*विमुक्त जाति*),*

खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य

पिछड़े वर्ग, सार्वजनिक रूप से सीधी भर्ती के स्तर पर

धारा *2* के खंड *(*जे*)* के तहत निर्दिष्ट सेवाओं और पदों के रूप में

नीचे दिया गया हैः

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

जाति/जनजाति/का विवरण

का प्रतिशत

श्रेणी/वर्ग

रिक्तियों का आरक्षण

या आरक्षित की जाने वाली सीटें

(1) अनुसूचित जातियाँ

13 प्रतिशत।

7 प्रतिशत।

(2) अनुसूचित जनजातियाँ

3 प्रतिशत।

(3) डी-अधिसूचित जनजाति *(ए)* *(4)* खानाबदोश जनजातियाँ *(बी)*

2.5 प्रतिशत।

(5) खानाबदोश जनजातियाँ *(सी)*

3.5 प्रतिशत।

2 प्रतिशत।

(6) खानाबदोश जनजातियाँ *(डी)*

2 प्रतिशत।

(7) विशेष पिछड़ा वर्ग *(8)* अन्य पिछड़े वर्ग

19 प्रतिशत।

कुल

52 प्रतिशत।

" "

111. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

2005 संविधान का प्रावधान करने वाले राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था

के अलावा पिछड़े वर्गों के लिए भोजन स्तर आयोग

शासित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और मामलों के लिए प्रावधान करनाइसके साथ या उससे आनुषंगिक किया गया। धारा *2 (ई)* ने सूचियों को परिभाषित किया

शब्दों को कम करनाः

" धारा *2 (ई)* "सूचियों" का अर्थ है राज्य द्वारा तैयार की गई सूचियाँ। सरकार, समय-समय पर, बनाने के उद्देश्यों के लिए

नियुक्तियों या पदों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान

नागरिकों के पिछड़े वर्गों की, जिनकी राय में

राज्य सरकार का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य सरकार और उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन

राज्य या राज्य सरकार के नियंत्रण में;

112. अधिनियम की धारा *9* आयोग के कार्यों से संबंधित है।

निम्नलिखित शब्दः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा *9. (1)* यह आयोग का कार्य होगा,

(क) समावेशन के लिए अनुरोधों पर विचार करना और उनकी जांच करना

(ख) किसी भी पिछड़े वर्ग के अति-समावेशन या कम-समावेशन की शिकायतों पर विचार करना, सुनना, पूछताछ करना और जांच करना।
राज्य सरकार को ऐसी सूचियाँ दें और ऐसी सलाह दें जैसे -

यह उचित लगता है;

(ग) समय-समय पर समीक्षा करना और मानदंड और कार्यप्रणाली के बारे में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

नागरिकों के पिछड़े वर्ग का निर्धारण करना;

(घ) प्रतिष्ठित शैक्षणिक और अनुसंधान के माध्यम से और उनके सहयोग से नियमित आधार पर अध्ययन आयोजित करना।

बदलते सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के निर्माण के लिए निकाय

नागरिकों के विभिन्न वर्गों की स्थिति;

(ई) नागरिकों के पिछड़े वर्ग की सामाजिक-आर्थिक प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करना; और *(च)* इस तरह के अन्य कार्यों को करना।

कार्य जो विहित किए जाएं।

(2) आयोग द्वारा दी गई सलाह या सिफारिशें

इस धारा के तहत आम तौर पर राज्य पर बाध्यकारी होगा

सरकार और राज्य सरकार कारण दर्ज करेंगी -

लिखना, यदि यह सलाह को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है या

सिफारिशें करें या इसे संशोधित करें।

113. एक अन्य अधिनियम, अर्थात्, महाराष्ट्र निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान *(*अनुसूचित के लिए प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण*)*

जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति *(*विमुक्त जाति*)*, खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग*)* अधिनियम, *2006* लागू किया गया था।

महाराष्ट्र राजपत्र में *01.08.2006* पर प्रकाशित किया गया था। धारा *2* खानाबदोश जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न अभिव्यक्तियों को दूसरे शब्दों में परिभाषित करती है। धारा *4* में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए *50* प्रतिशत के बराबर सीटें आरक्षित की जाएंगी। अधिनियम की धारा *4* इस प्रकार है:

प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा।
आरक्षित श्रेणी से संबंधित।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

नीचे दी गई तालिका:
जाति/जनजाति/का विवरण

का प्रतिशत

श्रेणी/आरक्षित वर्ग

आरक्षण

श्रेणी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित

13 %

(1)

जातियाँ बौद्ध धर्म में परिवर्तित होती हैं

(2)

अनुसूचित जनजातियाँ

7 %

डी-अधिसूचित जनजाति *(ए)*

(3)

3 %

खानाबदोश जनजातियाँ *(बी)*

(4)

2.5 %

खानाबदोश जनजातियाँ *(सी)*

(5)

3.5 %

(6) खानाबदोश जनजातियाँ *(डी)*

2 %

(7) अन्य पिछड़े वर्ग

19 %

कुल

50 %

114. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त *2001* और *2006* के अधिनियमों के अधिनियमन के समय, अन्य पिछड़े वर्गों वाली सूची मौजूद थी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाती थी। जी. आर. दिनांक *26.09.2008* द्वारा, महाराष्ट्र राज्य ने *346* जातियों को शामिल करने के लिए ओ. बी. सी. की सूची का विस्तार किया। हम पहले ही देख चुके हैं कि महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए*)* शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)* अधिनियम, *2014* राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था जिसे *09.01.2015* पर राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। उक्त अधिनियम में मराठा समुदाय *[2021] 15* एस. सी. आर. था।

शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)* के रूप में घोषित। उच्च न्यायालय ने *2014* की रिट याचिका *No.3151* में पारित अपने दिनांक *07.04.2015* के आदेश द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, जो तब तक जारी रहा जब तक कि रिट याचिका को विवादित फैसले द्वारा निष्फल नहीं करार दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम *2001* और *2006* से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत *52* प्रतिशत था जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण का प्रतिशत *52* प्रतिशत था।

अधिनियम, *2018* के अधिनियमन के समय संस्थान *50* प्रतिशत थे। हम *2018* के अधिनियम एलएक्सआईआई के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को भी देख सकते हैं। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है:

"राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए, महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों *(*एस. ई. बी. सी.*)* को उनकी उन्नति के लिए और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।

जहाँ राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों *(*एस. ई. बी. सी.*)* को उनकी उन्नति के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन है, यह भारत गणराज्य के साठ-नौवें वर्ष में एतद्वारा अधिनियमित किया गया है,

निम्नलिखित है: - "

115. धारा *2 (1) (*जे*)* में प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)* में मराठा समुदाय शामिल है।

धारा *2 (1) (*जे*)* इस प्रकार है:

"2 (1) (जे*)* "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग *(*एस. ई. बी. सी.*)"* में घोषित मराठा समुदाय शामिल है।

शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)*

महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*के लिए सीटों का*)*

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और
शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)* अधिनियम के लिए राज्य के तहत लोक सेवाओं में नियुक्तियां या पद,

2014. " जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

116. धारा *3* सभी प्रत्यक्ष लोगों पर लागू होने का प्रावधान करती है।

राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर की गई नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

"3. (1) यह अधिनियम राज्य में सभी प्रत्यक्ष भर्तियों, लोक सेवाओं और पदों पर की गई नियुक्तियों पर लागू होगा।

सिवाय इसके,

(क*)* चिकित्सा, तकनीकी और तकनीकी में अति विशिष्ट पद

शैक्षिक क्षेत्र; *(ख)* स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;

(ग) पैंतालीस दिनों से कम की अस्थायी नियुक्तियाँ

अवधि; और

(घ) वह पद जो किसी भी संवर्ग या श्रेणी में एकल *(*पृथक*)* हो।

(2) यह अधिनियम निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी लागू होगा, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त।

खंडों के स्पष्टीकरण में दी गई किसी भी सहायता के अनुदान के लिए *((घ)* धारा *2* की धारा *(ङ)* में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक शर्त शामिल की गई है।

संस्था या प्रतिष्ठान।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में कुछ भी महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाओं *(*अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण*)* के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

(विमुक्त जाति*)*, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग*)* अधिनियम, *2001* और महाराष्ट्र निजी

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान *(*के लिए सीटों का आरक्षण*)*

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचित जनजातियों *(*विमुक्त जातियों*)*, खानाबदोश जनजातियों और अन्य पिछड़े लोगों के लिए प्रवेश वर्ग*)* अधिनियम, *2006* "।

117. धारा *4* शिक्षा में प्रवेश के लिए सीटों से संबंधित है।

राज्य सी. बी. सी. के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियाँ और नियुक्तियाँ। धारा *4* इस प्रकार हैः

"*4. (1)* किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान,

((क) सोलह प्रतिशत। संविधान के अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में कुल सीटों में से, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त,
भारत; और

((ख) सोलह प्रतिशत। राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में कुल नियुक्तियों में से,

सामाजिक और शैक्षिक रूप से अलग से आरक्षित किया जाए

मराठा समुदाय सहित पिछड़े वर्ग *(एसईबीसी):*
बशर्ते कि उपरोक्त आरक्षण अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षित पदों पर लागू नहीं होगा।

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय उम्मीदवार

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुसार

इस संबंध में *9* जून *2014* को अधिसूचना जारी की गई।

(2) क्रीमी लेयर का सिद्धांत इसके लिए लागू होगा

सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण के उद्देश्य

इस अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग *(एस. ई. बी. सी.)* और इस अधिनियम के तहत आरक्षण केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा जो नीचे दिए गए हैं।

मलाईदार परत।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

अभिव्यक्ति "मलाईदार परत" का अर्थ है उस व्यक्ति को जो नीचे गिरता है।

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग में सरकार द्वारा घोषित क्रीमी लेयर की श्रेणी, सामान्य या

इस संबंध में समय-समय पर विशेष आदेश जारी किए जाते हैं।

118. हम पहले ही देख चुके हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में, अधिनियम, *2018* को अमान्य और उल्लंघनकारी होने के कारण चुनौती दी गई थी

भारत के संविधान के प्रावधान।

(7) 10 मैदानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया और
इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना।

119. श्री मुकुल रोहतगी के साथ-साथ श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा है कि इंद्र साहनी के निर्णय की आवश्यकता है

पुनः विचार किया गया और ग्यारह न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

120. हम श्री मुकुल रोहतगी द्वारा दिए गए आधारों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें श्री द्वारा उठाए गए आधार भी शामिल होंगे। सिब्बल।

121. श्री रोहतगी का पहला आधार यह है कि इसमें केवल तीन न्यायाधीश हैं-न्यायमूर्ति टी. के. थोमन, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय।

जिनका मानना था कि *50* प्रतिशत आरक्षण का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य छह न्यायाधीशों का मानना है कि *50* प्रतिशत का उल्लंघन किया जा सकता है, इसलिए इंदिरा साहनी में बहुमत की राय यह नहीं मानती है कि आरक्षण के लिए अधिकतम सीमा *50* प्रतिशत है। उपरोक्त निवेदन पर विचार करने के लिए हमें राय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इंद्र साहनी के छह निर्णयों में से प्रत्येक में व्यक्त किया गया मामला।

122. इससे पहले कि हम इंद्र साहनी के फैसले के प्रासंगिक अनुच्छेदों पर ध्यान दें, हमें पहले हत्या के तरीके पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक निर्णय में व्यक्त बहुमत की राय जहां एक से अधिक निर्णय दिए गए हैं। राजनारायण सिंह बनाम अध्यक्ष, पटना प्रशासन समिति मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ,

पटना और एक अन्य, ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *569*, को इस न्यायालय द्वारा दिल्ली विधि अधिनियम, *1912*, अजमेर-मेरवाड़ा में दिए गए सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की बहुमत राय का पता लगाने का अवसर मिला।

विधि*)* अधिनियम, *1947* बनाम भाग 'ग' राज्य *(*विधि*)* अधिनियम, *1950*, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *332*। संविधान पीठ ने यह राय रखी कि समझौते के सबसे बड़े सामान्य उपायों को शामिल करता है

न्यायपीठ को न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना होता है। इस प्रकार, एक ऐसे मामले में जहां कई राय हैं, न्यायालय के निर्णय को समाप्त करने के लिए,

सहमति का सबसे बड़ा सामान्य उपाय न्यायालय का निर्णय है।

123. अब हम यह पता लगाने के लिए इंद्र साहनी के फैसले पर लौटते हैं कि *50* प्रतिशत तक आरक्षण के संबंध में न्यायाधीशों के बीच समझौते के सबसे बड़े सामान्य उपाय क्या हैं। अपने लिए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी, एम. एच. कनिया, सीजे, *M.N.Venkatachaliah*, ए. एम. अहमदी, जे. , अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण की सीमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद *809* में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत अनुध्यात आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ *810* में यह देखा गया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में *50* प्रतिशत के इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। पैराग्राफ *809* और *810* निम्नलिखित रूप से प्रभावी हैं:

"*809.* उपरोक्त चर्चा से जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि संविधान के खंड *(4)* में अनुध्यात आरक्षण

अनुच्छेद *16 50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि बाहर नहीं रखा जाए

में निहित कुछ असाधारण स्थितियों पर विचार करना

उनके साथ एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
इसका प्रयोग किया जाना है और एक विशेष मामला बनाया जाना है।

124. न्यायमूर्ति एस. रत्नवेल पांडियन एक अलग भाषण देते हुए

निर्णय ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम सीमा के रूप में *50* प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने के प्रस्ताव के साथ अपनी असहमति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पांडियन द्वारा अनुच्छेद *243 (9)* में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

"243 (9) संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* के तहत "राज्य के तहत सेवाओं में" नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए आरक्षण की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की जा सकती है। आरक्षण का प्रतिशत तय करने के निर्णय

केवल अधिकतम *50* प्रतिशत तक ही टिकाऊ नहीं हैं।

125. न्यायमूर्ति थॉममेन, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और न्यायमूर्ति आर. एम.

सहाय का विचार था कि सभी मामलों में आरक्षण कुल सीटों की संख्या के *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए। न्यायमूर्ति थॉममेन की राय का अनुच्छेद *323 (8)* इस प्रकार है:

"323 (8) सभी मामलों में आरक्षण उपलब्ध पदों या सीटों के अल्पांश तक सीमित होना चाहिए ताकि गुणों का अनुचित त्याग न किया जा सके। अनुच्छेद *15* या अनुच्छेद *16* के तहत आरक्षित सीटों या पदों की संख्या हर समय कुल सीटों या पदों की संख्या के *50* प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

126. न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने पैराग्राफ *384 (*आई*)* में भी अपना विचार व्यक्त किया है।

न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय के अनुसार राय जो इस प्रकार है:

"384 (i) कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से कम रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में *50* प्रतिशत से अधिक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

50 प्रतिशत से अधिक का कोई भी आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। "

127. न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय ने अनुच्छेद *619 (i)* में कहा कि किसी भी मामले में आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति टी. के. थॉममेन, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय ने असहमति व्यक्त की।

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

128. अब हम न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत द्वारा दिए गए फैसले पर आते हैं, जिन्होंने सहमति से राय दी। के दो परिच्छेद

न्यायमूर्ति सावंत का निर्णय नोटिस के लिए प्रासंगिक है। पैराग्राफ *518* में न्यायमूर्ति सावंत ने कहा कि केवल खंड *(4)* के तहत या अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* और खंड *(1)* के तहत आरक्षण को एक साथ रखने में कोई कानूनी कमजोरी नहीं है, जो *50* प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण की सीमा की वैधता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। हालाँकि, उसी पैराग्राफ में न्यायमूर्ति सावंत ने कहा कि यह आम तौर पर बुद्धिमानी होगी और ज्यादा कुछ नहीं।

यदि इस विषय पर संविधान निर्माताओं के इरादों और डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए तो यह खो जाएगा। न्यायमूर्ति सावंत ने स्पष्ट रूप से डॉ. अम्बेडकर के दिनांक *1* का उल्लेख किया जिसमें डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण अल्पसंख्यक सीटों तक ही सीमित रहेगा। हालांकि, अनुच्छेद में *552* न्यायमूर्ति सावंत ने अपने उत्तर दर्ज किए हैं और प्रश्न संख्या *4* के उत्तर में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 552 .....

प्रश्न *4:*

आम तौर पर, अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)* दोनों के तहत एक साथ रखा गया आरक्षण किसी भी मामले में नियुक्तियों के *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

किसी विशेष वर्ष में श्रेणी, संवर्ग या सेवा। केवल असाधारण कारणों से ही इस प्रतिशत को पार किया जा सकता है। हालांकि, *50* प्रतिशत से अधिक की हर अधिकता को उचित ठहराया जाना चाहिए। वैध आधारों पर कौन से आधार विशेष रूप से बनाए जाने होंगे

बाहर निकलें "।

129. न्यायमूर्ति सावंत की उपरोक्त राय न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा पैराग्राफ में व्यक्त की गई राय से पूरी तरह सहमत है।

809 और *810*। उपरोक्त पैराग्राफ में व्यक्त न्यायमूर्ति सावंत की राय है कि आम तौर पर अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है कि इस प्रतिशत से अधिक हो सकता है जो कि न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा व्यक्त राय भी है। राजनारायण सिंह *(ऊपर)* मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के सिद्धांत को लागू करते हुए, राय व्यक्त की गई राय के बीच सहमति के सबसे बड़े सामान्य उपाय का प्रतीक है। इस प्रकार, बहुमत की राय, इंद्र साहनी के निर्णय का अनुपात जैसा कि बहुमत द्वारा व्यक्त किया गया है, वह है जो न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी के निर्णय के पैराग्राफ *809* और *810* में व्यक्त किया गया है। श्री मुकल रोहतगी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बहुमत *[2021] 15* एस. सी. आर.

इंद्र साहनी की राय है कि *50* प्रतिशत का उल्लंघन किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुमत की राय है कि सामान्य रूप से आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में *50* प्रतिशत से अधिक हो सकता है। परिच्छेद *810* में असाधारण परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, इसका संकेत दिया गया है।

130. वैकल्पिक रूप से यदि हम फिर से सभी छह निर्णयों में राय को देखते हैं,

हम ध्यान देते हैं:

न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी *(*अपने और तीन अन्य लोगों के लिए*)*

(अ*)*

न्यायाधीश*)* ने अनुच्छेद *809* में अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* में अनुध्यात आरक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए।

50 % .

(ख*)*

न्यायमूर्ति थॉममेन, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और न्यायमूर्ति सहाय

उनकी अलग राय में कहा गया कि अनुच्छेद के तहत आरक्षण

16 (4) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

131. इस प्रकार इंद्र साहनी में दिए गए छह अलग-अलग निर्णयों में सहमति का सबसे बड़ा सामान्य उपाय यह है कि:

((i)

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

((ख)

50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के लिए असाधारण

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के फैसले के पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई परिस्थिति मौजूद होनी चाहिए, जिसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

132. उपरोक्त इंद्र साहनी निर्णय का अनुपात है।

133. इस प्रकार, हमें इंद्र साहनी पर फिर से विचार करने या उपरोक्त आधार पर एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

134. अब हम श्री रोहतगी द्वारा दबाए गए दूसरे आधार पर आते हैं कि *1993* से लेकर आज तक अलग-अलग न्यायाधीशों ने अलग-अलग आवाजों में बात की है

अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत आरक्षण के संबंध में जो इंद्र साहनी को एक बड़ी पीठ में भेजने के लिए एक अच्छा आधार है।

135. हम एम. आर. बालाजी और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। मैसूर राज्य और अन्य, आकाशवाणी

1963 एस. सी. *649,* जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद *15 (4)* पर विचार करते हुए अनुच्छेद *15 (4)* के तहत उस आरक्षण को सामान्य रूप से निर्धारित किया था, बोलते हुए आम तौर पर और व्यापक रूप से विशेष प्रावधान *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए, यह मौजूदा डी. आर. पर निर्भर करेगा कि *50* प्रतिशत से कितना कम है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

प्रत्येक मामले में। उपरोक्त मामले में संविधान पीठ मैसूर राज्य द्वारा पारित आदेश की चुनौती पर विचार कर रही थी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध *68* प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं और केवल *32* प्रतिशत योग्यता पूल के लिए उपलब्ध हैं। संविधान पीठ ने अनुच्छेद *15 (4)* के तहत विशेष प्रावधान की सीमा के बारे में सवाल की भी जांच की, जो राज्य के लिए करने में सक्षम होगा। संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्र गडकर के माध्यम से बात की

पैराग्राफ *34* में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 34 ..... अनुच्छेद *15 (4)* द्वारा अनुध्यात पदों और नियुक्तियों के आरक्षण जैसे एक विशेष प्रावधान

16 (4) उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों के हितों को, जो राज्यों और केंद्र पर पहली जिम्मेदारी है, समग्र रूप से समुदाय के हितों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। इन प्रतिस्पर्धी दावों का समायोजन निस्संदेह एक कठिन मामला है, लेकिन यदि एक विशेष प्रावधान करने की आड़ में, राज्य व्यावहारिक रूप से सभी कॉलेजों में उपलब्ध सभी सीटों को आरक्षित करता है, तो यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *15 (4)* के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। इस मामले में फिर से, हम निश्चित रूप से यह कहने के लिए अनिच्छुक हैं कि क्या उचित प्रावधान किया जाएगा। आम तौर पर और व्यापक रूप से, एक विशेष प्रावधान *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए; *50* प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, यह वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

प्रत्येक मामले में परिस्थितियाँ।

136. संविधान पीठ ने भी निर्णय को नोटिस करने के बाद

यह न्यायालय महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, कार्मिक अधिकारी *(*आरक्षण*)*, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी, ए. आई. आर. *1962* में

सुप्रीम कोर्ट *36* ने कहा कि अनुच्छेद *15 (4)* के संबंध में जो सच है वह अनुच्छेद *16 (4)* में भी उतना ही सच है। पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थींः

37 :

" 37. ..... इसलिए, अनुच्छेद *15 (4)* के संबंध में जो सच है, वह अनुच्छेद *16 (4)* के संबंध में भी उतना ही सच है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संविधान निर्माताओं ने यह मान लिया था कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत पर्याप्त आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनुचित, अत्यधिक या फिजूलखर्ची वाले आरक्षण का प्रावधान न किया जाए।
एक बड़ा क्षेत्र और कर्मचारियों के बीच व्यापक असंतोष पैदा करके, दक्षता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए, अनुच्छेद *15 (4)* के तहत अनुचित तरीके से किए गए विशेष प्रावधान की तरह, आरक्षण *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत अनुज्ञेय और वैध से परे बनाया गया

सीमा पर धोखाधड़ी के रूप में चुनौती दी जा सकती है

संविधान। .....

137. उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि आरक्षण *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए।

138. अगला संविधान पीठ का फैसला, जिसमें एम. आर. बालाजी *(ऊपर)* के फैसले को नोट किया गया था और कैरी फॉरवर्ड नियम पर *50* प्रतिशत का प्रतिशत लागू किया गया था, टी. देवदासन है। पहला निर्णय जिसमें आरक्षण की *50* प्रतिशत सीमा के संबंध में एक विसंगत टिप्पणी व्यक्त की गई थी, वह है केरल राज्य में इस न्यायालय का निर्णय और दूसरा बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य, *1976 (2)* एस. सी. सी. *310*, उपरोक्त मामले में संविधान पीठ को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, *1958* के नियम *13*-ए. ए. की जांच करने का अवसर मिला था, जो राज्य को नियम *13* और नियम *13*-ए में निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य या सदस्य को एक विशिष्ट अवधि के लिए छूट देने का अधिकार देता है। केरल राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी, प्रतिवादी एन. एम. थॉमस ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर नियम *13*-ए. ए. को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। प्रत्यर्थी की शिकायत थी कि उच्चतम न्यायालय के सदस्यों को दी गई छूट के आधार पर उन्हें प्रत्यर्थी से पहले पदोन्नत किया गया है, हालांकि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ केरल राज्य का फैसला अपील में आया था। अपील को स्वीकार कर लिया गया और नियम *13*-ए. ए. को वैध माना गया। अदालत की संविधान पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे द्वारा दिया गया था, जिनके साथ न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू, न्यायमूर्ति एम. एच. बेग, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने अलग-अलग राय देते हुए सहमति व्यक्त की। दो।

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना और न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता ने असहमति व्यक्त की। *50* प्रतिशत तक के आरक्षण के संबंध में केवल दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति फजल अली और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने राय व्यक्त की है। जस्टिस बेग ने संविधान पीठ को नोटिस किया

एम. आर. बालाजी और आई. डी. *1* में इस न्यायालय के निर्णय, जिसमें कहा गया था कि पिछड़े वर्ग के लिए *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण तर्कसंगतता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। उनकी अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी।

जस्टिस बेग द्वारा। न्यायमूर्ति फजल अली ने भी अपने फैसले में आरक्षण की *50* प्रतिशत सीमा का उल्लेख किया था, लेकिन कहा था कि उपरोक्त केवल सावधानी का नियम है और सभी श्रेणियों को समाप्त नहीं करता है। अनुच्छेद *191* में न्यायमूर्ति फजल अली ने इस प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित निर्धारित किया गयाः

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

" 191. इसका मतलब है कि आरक्षण अनुमेय सीमा के भीतर होना चाहिए और नागरिकों के एक विशेष वर्ग से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए एक लबादा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार अनुच्छेद का उल्लंघन करना चाहिए।

16 (1) अप्रत्यक्ष रूप से संविधान। साथ ही अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* सरकार की शक्ति पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है।

अत्यधिक आरक्षण में लिप्त हों ताकि अनुच्छेद *16 (1)* में निहित नीति को विफल किया जा सके। अनुमेय सीमाओं के भीतर उपयुक्त आरक्षण क्या होगा, यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक मामले का और कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, न ही किया जा सकता है

इस पदार्थ को एक गणितीय सूत्र में घटा दिया जाए ताकि सभी मामलों में पालन किया जाता है। इस न्यायालय के निर्धारित मामलों में कोई संदेह नहीं है कि आरक्षण का प्रतिशत *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि मैं अधिकारियों को पढ़ता हूँ, यह सावधानी का नियम है और सभी श्रेणियों को समाप्त नहीं करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं जो जनसंख्या का *80* प्रतिशत हैं और सरकार उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए *80* प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करती है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि आरक्षण का प्रतिशत खराब है और यह अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* की अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन करता है*?* जवाब अनिवार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए। द डोमिनेंट

इस प्रावधान का उद्देश्य अपर्याप्त बनाने के लिए कदम उठाना है।

पर्याप्त प्रतिनिधित्व "।

139. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने फैसले के अनुच्छेद *143* में

न्यायमूर्ति फजल अली की राय के साथ उनकी सहमति थी कि पहले के कुछ फैसलों द्वारा निर्धारित किसी भी एक वर्ष में *50* प्रतिशत की शुद्ध सीमा को शायद बहुत दूर नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित टिप्पणियों को ग्राफ *143* बनाया गया थाः

" *143* ..... मैं अपने विद्वान भाई जे. फजल अली के इस विचार से सहमत हूं कि किसी भी एक वर्ष में *50* प्रतिशत की अंकगणितीय सीमा

पहले के कुछ फैसलों को शायद बहुत अधिक नहीं दबाया जा सकता है। किसी विभाग में समग्र प्रतिनिधित्व भर्ती पर निर्भर नहीं करता है।

एक विशेष वर्ष, लेकिन एक संवर्ग की कुल संख्या। मैं उनके अनुच्छेद *16 (4)* के निर्माण और "कैरी" के बारे में उनके विचार से सहमत हूं। फॉरवर्ड "नियम।

140. 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के संबंध में, केवल उपरोक्त हैं

दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा सात में दिए गए शपथ-न्यायाधीश संविधान *[2021] 15* एस. सी. आर.

बेंच। यह सच है कि न्यायमूर्ति फजल अली ने *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का निर्णय नहीं थीं।

141. टी. देवदासन बनाम भारत संघ और दूसरे में, आकाशवाणी

1964 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, एससी*179* को भारत संघ के तहत एक भर्ती में कैरी फॉरवर्ड नियम की जांच करने का अवसर मिला था। इस अदालत ने एम. आर. बालाजी को नोटिस किया था और कहा था कि एम. आर. बालाजी में जो निर्धारित किया गया था वह उपरोक्त मामले में लागू होगा। पैराग्राफ *16* में एम. आर. बालाजी का उल्लेख निम्नलिखित प्रभाव के लिए किया गया था:

" *16. 1955* में संशोधित कैरी फॉरवर्ड नियम का चौंका देने वाला प्रभाव स्पष्ट होगा यदि हमने जो चित्रण लिया है, उसमें तीसरे वर्ष में *100* के बजाय कुल *50* रिक्तियां थीं। इन *50* रिक्तियों में से *9* अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, इसके अलावा, पिछले दो वर्षों की तुलना में *36* रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा, हमारे पास *50* में से कुल *45* आरक्षित रिक्तियां होंगी, जो कि *90* का प्रतिशत है। हमारे समक्ष मामले में वास्तव में *45* रिक्तियों को भरा गया है जिनमें से *29* रिक्तियों को भरा गया है।
कैरी फॉरवर्ड नियम द्वारा अनुमत आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के पास गया। यह आरक्षण के लगभग *64.4%* पर आता है। कैरी फॉरवर्ड नियम के संचालन का परिणाम होने के कारण हमें बालाजी मामले *[*ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *649]* में निर्णय के आधार पर यह मानना चाहिए कि नियम खराब है। वास्तव में,

यहां तक कि दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक वी.

रंगाचारी *[(1962) 2* एस. सी. आर. *586]* जो एक ऐसा मामला है जिसमें
पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों के आरक्षण को बरकरार रखा गया था

यह न्यायालय, गजेंद्रगडकर, जे., जिन्होंने बहुमत से निर्णय दिया

देखा गया:

"यह भी सच है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत जो आरक्षण दिया जा सकता है, उसका उद्देश्य केवल पर्याप्त आरक्षण देना है।

पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व। इसका उपयोग एकाधिकार बनाने या अन्य कर्मचारियों के वैध हितों को अनुचित या अवैध रूप से परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद *16 (4)* के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में पर्याप्त की समस्या
पिछड़े वर्ग के नागरिकों के प्रतिनिधित्व पर निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों के दावों और अन्य कर्मचारियों के दावों के साथ-साथ प्रशासन की दक्षता के महत्वपूर्ण विचार के बीच एक उचित संतुलन बनाने का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

इन दोनों निर्णयों से यह स्पष्ट है कि

पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना

संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा आदेशित वर्ष दर वर्ष इसके प्रभावों को ध्यान में रखे बिना एक सामान्य नियम तैयार करके इससे नहीं निपटा जाना चाहिए। किस सटीक विधि को अपनाया जाना चाहिए*?* इस उद्देश्य पर सरकार को विचार करना चाहिए। यह काफी है।

हमारे कहने के लिए कि जबकि किसी भी विधि द्वारा विकसित किया जा सकता है

सरकार को दोनों के बीच एक उचित संतुलन बनाना चाहिए। पिछड़े वर्गों के दावे और अन्य कर्मचारियों के दावे "

जैसा कि बालाजी मामले *[*ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *649]* में बताया गया है। "

142. उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने असहमति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि एम. आर. बालाजी में जो निर्णय लिया गया था, वह इस मामले में नियुक्ति के आरक्षण के मामले में लागू किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने निम्नलिखित टिप्पणी की

ग्राफ *30:*

"*30.* तत्काल मामले में, राज्य ने एक प्रावधान किया; अपनाना

"आगे ले जाएँ" का सिद्धांत। उच्चतर तय करने के बजाय

पहले के परिणामों के आधार पर दूसरे और तीसरे चयन में प्रतिशत, इसने निर्देश दिया कि रिक्तियों को एक चयन में आरक्षित किया जाए

उक्त जातियाँ और जनजातियाँ लेकिन उनके द्वारा नहीं भरी गईं लेकिन भरी गईं

अन्य उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित कोटा में जोड़ा जाना चाहिए

जाति और जनजाति ने अगले चयन में और इसी तरह में कहा सफल चयन। प्रथम वर्ष में आरक्षित पदों के रूप में

उक्त जातियों और जनजातियों को गैर-अनुसूचित जाति द्वारा भरा गया था

और गैर-अनुसूचित जनजाति आवेदकों, परिणाम यह था कि

अगला चयन बाद वाले के लिए उपलब्ध पद आनुपातिक रूप से थे

कम हो गया। इस प्रावधान ने निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए कठिनाई पैदा की जिन्होंने दूसरे या तीसरे चयन के लिए आवेदन किया, जैसा भी मामला हो।

यद्यपि गैर-अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जनजाति, जिन्हें एक इकाई के रूप में लिया जाता है, पहले के चयन में लाभान्वित हुए थे या

चयन। व्यक्तियों के साथ यह अन्याय, जो किसी भी मामले में अंतर्निहित है आरक्षण की योजना, मेरे विचार में, इसके लिए प्रावधान नहीं कर सकती है

आरक्षण फिर भी आरक्षण का एक प्रावधान है।

143. अखिल भारतीय सचित कर्मचारी संघ *(*रेलवे*)* में

की ओर से इसके सहायक महासचिव द्वारा

संघ बनाम भारत संघ और अन्य *(1981) 1* एस. सी. सी. *246,*सी. ई. ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने कहा कि अनुसूचित जातियों और *[2021] 15* एस. सी. आर. के लिए राशन या तरजीही उपचार की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अनुसूचित जनजाति हालांकि आम तौर पर आरक्षण बहुत अधिक नहीं हो सकता है

50 प्रतिशत। पैराग्राफ *135* में निम्नलिखित शब्द कहे गए थेः

" 135. आरक्षण या वरीयता की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में व्यवहार
हालांकि आम तौर पर आरक्षण प्रति व्यक्ति पचास से अधिक नहीं हो सकता है।

प्रतिशत। पचास प्रतिशत नियम के बारे में कोई कठोरता नहीं है जो केवल

न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित एक सुविधाजनक दिशानिर्देश।

144. के. सी. वसंत कुमार और एक अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य,

1985 (सप*)* एस. सी. सी. *714,* ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने बालाजी को नोटिस करने के बाद कहा कि आरक्षण का प्रतिशत कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर अदालत बिना किसी सामग्री के फैसला सुना सकती है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ। न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने पैराग्राफ *57* में कहा थाः

" 57. बालाजी *[*एम. आर. बालाजी बनाम। मैसूर राज्य, ए. आई. आर. *1963* एससी *649 ,* अदालत ने तब विशेष की सीमा के सवाल पर विचार किया

प्रावधान जो राज्य इसके तहत करने के लिए सक्षम होगा

हमें सोचना चाहिए कि यह प्रबंधन के विशेषज्ञों का मामला है। और प्रशासन। के लिए पद या तकनीकी पाठ्यक्रम हो सकते हैं

जिसे केवल सर्वश्रेष्ठ को ही भर्ती किया जा सकता है और अन्य पद हो सकते हैं

और तकनीकी पाठ्यक्रम जिनके लिए न्यूनतम योग्यता होगी सेवा भी करते हैं। आरक्षण का प्रतिशत कोई मुद्दा नहीं है।

जिसे अदालत बिना किसी सामग्री के सुना सकती है। ए के लिए

अदालत ने कहा कि आरक्षण *40* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए

प्रतिशत या *60* प्रतिशत मनमाना होगा और संविधान हमें मनमाना होने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि बालाजी मामले में *[*एम. आर.

बालाजी बनाम. मैसूर राज्य, ए. आई. आर *1963* एस. सी *649: 1963* पूरक *(1)*

एस. सी. आर. *439],* न्यायालय ने सोचा कि आम तौर पर और व्यापक रूप से विशेष प्रावधान *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए, और कितना

50 प्रतिशत से कम प्रासंगिक प्रचलित पर निर्भर करेगा।

प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में, अदालत ने स्वीकार कियाः इस मामले में

फिर से, हम निश्चित रूप से यह कहने के लिए अनिच्छुक हैं कि क्या उचित होगा

करने के लिए प्रावधान "। अदालत अंततः बस इतना ही कहेगी कि उनके समक्ष मामले की परिस्थितियों में, *68* का आरक्षण

प्रतिशत संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* के साथ असंगत था।

मैसूर, ए. आई. आर *1963* एस. सी. *649: 1963* सपं. *(1)* एस. सी. आर. *439]* मनमाने ढंग से आरक्षण की बाहरी सीमा के रूप में *50* प्रतिशत निर्धारित करना। .....

(जोर दिया गया*)* "डी. आर.।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

145. के. सी. वसंत के इसी फैसले में, न्यायमूर्ति ई. एस.

वेंकटरमैया ने अनुच्छेद *149* में न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त की गई राय के विपरीत राय व्यक्त की है। न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने कहा कि *50* प्रतिशत शासन बहुमत से अस्थिर नहीं हुआ है एन. एम. थॉमस। पैराग्राफ *149* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 149. उपरोक्त मामले में सभी सात रायों को ध्यान से देखने के बाद, यह मानना मुश्किल है कि इस न्यायालय का यह स्थिर दृष्टिकोण कि अनुच्छेद *15 (4)* या अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, पीठ के बहुमत से अस्थिर हो गया है।

जिसने इस मामले का फैसला किया।

146. अलग-अलग आवाजों में बोलने वाले न्यायाधीशों का संदर्भ ऊपर बताए गए निर्णय हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो

एन. एम. थॉमस और न ही के. सी. बसंत मामले में अदालत का निर्णय एम. आर. बालाजी द्वारा निर्धारित *50* प्रतिशत की सीमा को अस्वीकार करने का था। हालांकि यह सच है कि न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति रेड्डी और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने *50* प्रतिशत नियम की सलाह के बारे में संदेह व्यक्त किया है। एक अन्य निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है, वह पंजाब राज्य और हीरालाल और अन्य, *1970 (3)* एस. सी. सी. *567* में इस न्यायालय का निर्णय है, जिसमें न्यायाधीश ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा था कि आरक्षण का प्रश्न मुख्य रूप से राज्य को तय करना है। हालाँकि, एम. आर. बालाजी मामले के संबंध में उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति हेगड़े द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

147. एन. एम. थॉमस, अखिल में इस न्यायालय का निर्णय

भारतीय कर्मचारी संघ और पंजाब राज्य और यहां तक कि देवदासन और अखिल भारतीय कामचारी संघ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के असहमतिपूर्ण फैसले को इंद्र साहनी में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा संदर्भित और विचार किया गया है। इंद्र साहनी में, न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने प्रश्न संख्या *6* पर विचार करते हुए एम. आर. बालाजी, देवदासन, एन. एम. थॉमस का उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि आरक्षण

अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* में उल्लिखित *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद उपरोक्त सभी मामलों पर विचार करते हुए, जो श्री रोहतगी के अनुसार असंगत नोट हैं, एक बड़ी नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया

कि अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* में अनुध्यात आरक्षण न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए पहले के संदेह के *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस पर आगे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इंद्र साहनी की वृहद पीठ ने इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णयों के साथ-साथ कुछ न्यायाधीशों की राय पर विचार करने के बाद कानून का निपटारा किया है, जैसा कि श्री रोहतगी ने उल्लेख किया है और जिन पर भरोसा किया है, उनका कोई फायदा नहीं है और इंद्र साहनी के फैसले को वृहद पीठ को भेजने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

148. इंद्र साहनी के बाद दिए गए एक और फैसले पर श्री रोहतगी ने भरोसा किया है जो एस. वी. जोशी और अन्य बनाम हैं। की स्थिति

कर्नाटक और अन्य *(2012) 7* एस. सी. सी. *41.* श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि एस. वी. जोशी मामले में यह न्यायालय पैराग्राफ *4* में *M.Nagaraj* बनाम.

भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212,* आयोजित किया गया यदि कोई राज्य इसे पार करना चाहता है। *50 %* आरक्षण, फिर अपने निर्णय को मात्रात्मक डेटा पर आधारित करने की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ *4* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 4. उपरोक्त रिट याचिकाओं को दाखिल करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद *15* और *16* में क्रमशः संविधान *(*नब्बे-तीसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2005* और संविधान *(*अस्सी-पहला संशोधन*)* अधिनियम, *2000* के माध्यम से संशोधन किया गया है।

कौन से संशोधन अधिनियम विषय रहे हैं -

एम. नागराज बनाम में इस न्यायालय के बाद के निर्णय। भारत संघ *(2006) 8* एस. सी. सी. *212,* और अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ *[(2008) 6* एस. सी. सी. *1]* जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई राज्य पचास प्रतिशत आरक्षण को पार करना चाहता है, तो उसे अपने निर्णय को मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित करना आवश्यक है। में।
वर्तमान मामले में, यह अभ्यास नहीं किया गया है।

149. पैराग्राफ *4* में यह टिप्पणी की गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि एम. नागराज की संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया है कि यदि कोई राज्य

50 प्रतिशत आरक्षण को पार करना चाहते हैं, तो उसे अपने निर्णय को एक मात्रात्मक डेटा पर आधारित करना आवश्यक है, जो एम. नागराज में संविधान पीठ के फैसले का स्पष्ट रूप से गलत अध्ययन है। एम. नागराज के मामले में, संविधान पीठ ने इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि यदि कोई राज्य *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण चाहता है, तो उसे अपने निर्णय को मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित करना आवश्यक है। इसके विपरीत एम. नागराज मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इंद्रा साहनी के मामले में *50* प्रतिशत नियम जैसे संख्यात्मक बेंच मार्क को दोहराया है। संविधान पीठ ने पैराग्राफ *120* और *122* में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 120 ..... उपरोक्त आवश्यकताओं के अलावा इस न्यायालय ने इंदिरा साहनी *[1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217]* मामले में पद के आधार पर *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा जैसे संख्यात्मक मानक विकसित किए हैं।

भेदभाव के आरोप के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापन की अवधारणा के साथ विशिष्ट रोस्टर।

122. हम दोहराते हैं कि *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा, की अवधारणा

मलाईदार परत और बाध्यकारी कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

सभी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना संरचना

अनुच्छेद *16* में अवसर की समानता समाप्त हो जाएगी।

150. अशोक मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला

कुमार ठाकुर ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है जिसका उल्लेख एस. वी. जोशी के पैराग्राफ *4* में किया गया हो। एस. वी. जोशी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का यह न्यायालय का निर्णय श्री रोहतगी के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

151. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम श्री रोहतगी के दूसरे आधार में कोई सार नहीं पाते हैं कि इंद्र साहनी के इस न्यायालय के फैसले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए।

152. इस न्यायालय ने कम से कम निम्नलिखित चार मामलों सहित कई मामलों में इंद्र साहनी के फैसले का पालन किया है।

संविधान पीठ के निर्णयः

(1)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान और

अनुसंधान, चंडीगढ़ और अन्य बनाम। संकाय

संगठन और अन्य;

(2)

एम. नागराज और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य,
2006 (8) एससीसी *212;*

(3)

कृष्ण मूर्ति *(*डॉ.*)* और अन्य बनाम भारत संघ

यद्यपि कौन सा निर्णय अनुच्छेद *243* डी और *243* टी के तहत आरक्षण पर विचार कर रहा था, उसने निर्धारित सीमा के अनुसार *50* प्रतिशत की सीमा लागू की है।
बालाजी में।

(4)

लीला प्रसाद राव और अन्य। बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। , *2020 (7)* स्केल *162* में उल्लिखित सिद्धांत को दोहराया गया और दोहराया गया कि इंद्र में निर्दिष्ट बाहरी सीमा *50* प्रतिशत है। साहनी का मामला।

153. हम श्री द्वारा तैयार किए गए आधार *Nos.3* और *4* पर जाते हैं।

मुकुल रोहतगी वृहद पीठ का संदर्भ देंगे।

154. देश के सर्वोच्च कानून, संविधान ने भारतीय नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रता और समानता प्रदान की है जिसका उद्देश्य है -

चिरस्थायी और स्थायी रहें। भारत का संविधान वाहन है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। आदिम समाज से लेकर संगठित राष्ट्रों तक का अधिकार सबसे अधिक पोषित अधिकार है जो सभी

मनुष्यों की मांग समानता का अधिकार था। हमारे संविधान की प्रस्तावना लोगों के आदर्श और आकांक्षाओं को चुनने में एक गहरे विचार-विमर्श और सटीकता को दर्शाती है जो उन सभी का मार्गदर्शन करेगी जिन्हें शासन करना है। स्थिति और अवसर की समानता संविधान निर्माताओं के महान उद्देश्यों में से एक है। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत एक हिस्सा है

कानून का शासन जो भारतीय संविधान में व्याप्त है। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, *(1975)*

सप. एस. सी. सी. *1* ने स्थिति और अवसर की समानता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया है। पैराग्राफ *664* में निम्नलिखित देखा गया था:

" 664. मैं इसे उचित विवाद के दायरे से परे मानता हूं।

कि यदि संविधान की कोई अपरिवर्तनीय विशेषताएँ इस आधार पर हैं कि वे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, तो वे हैं: *(i)* भारतीय संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य; *(ii)* सभी देशों के लिए स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित की जाएगी।
नागरिक; *(iii)* राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार होंगे।

स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार और
((iv) राष्ट्र का तेल सभी कानूनों की सरकार द्वारा शासित होता है, न कि पुरुषों की। ये, मेरी राय में, हमारे संवैधानिक दर्शन के स्तंभ हैं, इसलिए, संविधान की मूल संरचना के स्तंभ हैं।

संविधान "।

15 (4) और *16 (4)* को सुरक्षात्मक समानता का एहसास करना है। अनुच्छेद *15 (1)* और *16 (1)* नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं जबकि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* राज्यों के दायित्व हैं। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने पैरा *641* में इंद्र साहनी में कहा है कि समानता हर समय सभी मनुष्यों की सबसे बड़ी लालसा रही है। के निर्माताओं के उद्देश्यों और इरादे का पता लगाने के लिए संविधान के प्रारूप अनुच्छेद *10 (*संविधान के अनुच्छेद *16)* पर संविधान सभा की बहस का उल्लेख करने की आवश्यकता है जो *30.11.1948 (*पुस्तक *2* खंड संख्या, *VII)* पर आयोजित की गई थी, अनुच्छेद *10* के मसौदे पर डॉ. अम्बेडकर के जवाब का उल्लेख किया गया है और इंद्र साहनी जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.* में दिए गए सभी छह निर्णयों में उद्धृत किया गया है।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *10,10 (1)* और *10 (3)* का उद्देश्य क्या था

डॉ. अम्बेडकर द्वारा जो भाषण बार-बार दिया गया है

लाल रंग हमें उपरोक्त मौलिक अधिकार के उद्देश्य की याद दिलाता है।

156. डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद *10 (1)* को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया।

अम्बेडकर ने कहा कि यदि आरक्षण को अनुच्छेद *10* के खंड *(1)* के अनुरूप होना है तो इसे अल्पसंख्यकों के आरक्षण तक ही सीमित रखना चाहिए। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के भाषण का अंश निम्नलिखित है -टाइट्यूएंट असेंबली:

" यदि माननीय सदस्य इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे-तीन सिद्धांतों, जिनका हमें मिलान करना था, तो वे देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद *10* के उपखंड *(3)* में सन्निहित सूत्र से बेहतर कोई सूत्र तैयार नहीं किया जा सकता है; वे पाएंगे कि उन लोगों का दृष्टिकोण जो विश्वास करते हैं और मानते हैं कि समानता होगी।

अवसर को अनुच्छेद *10* के उपखंड *(1)* में सन्निहित किया गया है। यह एक सामान्य सिद्धांत है। साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, हमें कुछ लोगों द्वारा की गई मांग के साथ इस सूत्र का मिलान करना था यह समुदाय कि जो प्रशासन अब-ऐतिहासिक कारणों से-एक समुदाय या कुछ समुदायों द्वारा नियंत्रित किया गया है, वह स्थिति गायब हो जानी चाहिए और दूसरों को भी सार्वजनिक सेवाओं में आने का अवसर मिलना चाहिए। मान लीजिए, के लिए

उदाहरण के लिए, हमें उन लोगों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार करना था

जिन समुदायों को अब तक सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह से नियुक्त नहीं किया गया है, वास्तव में क्या होगा, हम पहले प्रस्ताव को पूरी तरह से नष्ट कर रहे होंगे, जिस पर हम सभी सहमत हैं, अर्थात्, मौका मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी समुदाय या समुदाय के लिए आरक्षण किया गया था।

समुदाय, जिनमें से कुल *70* प्रति के रूप में कुछ आया

प्रतिशत। राज्य के तहत कुल पदों में से केवल *30* प्रतिशत। अनारक्षित के रूप में रखे जाते हैं। क्या कोई कह सकता है कि *30* प्रतिशत का आरक्षण। जैसा कि सामान्य प्रतिस्पर्धा के लिए खुला है, पहले सिद्धांत को प्रभावी बनाने की दृष्टि से संतोषजनक होगा, अर्थात्, अवसर की समानता होगी*?* यह मेरे अंदर नहीं हो सकता है

निर्णय। इसलिए आरक्षित की जाने वाली सीटें, यदि आरक्षण अनुच्छेद *10* के उपखंड *(1)* के अनुरूप होना है, तो कम सीटों तक ही सीमित होनी चाहिए। तभी पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकता है और प्रभावी हो सकता है। "

157. डॉ. अम्बेडकर के उपरोक्त विचार

अनुच्छेद *16* और *16 (4)* के समतुल्य अनुच्छेद *10 (1)* और *10 (3)* के मसौदे को संतुलित करने के लिए संविधान सभा को इस न्यायालय द्वारा इंद्र साहनी के साथ-साथ अन्य मामलों में भी संदर्भित और भरोसा किया गया है। *158.* श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि बालाजी में इस न्यायालय ने अनुच्छेद *16 (1)* के अपवाद के रूप में अनुच्छेद *16* के उपखंड *(4)* को अभिनिर्धारित किया है जो *50* प्रतिशत तय करने का आधार था। एन. एम. थॉमस और इंद्रा साहनी में अब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद *16* उपखंड *(4)* अनुच्छेद *16 (1)* का अपवाद नहीं है।

इंद्र साहनी को *50* प्रतिशत की सीमा को छोड़ना होगा। यह सच है कि एन. एम. थॉमस में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद *16 (4)* अनुच्छेद *16 (1)* का अपवाद नहीं है, जिसे इंद्र साहनी के फैसले के पैराग्राफ *713* में देखा गया था। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने पैराग्राफ *733* में कहा, "इस स्तर पर, हम एक विशेष पहलू को स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद *16 (1)* अनुच्छेद *14* का एक पहलू है, जिस तरह अनुच्छेद *14* उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, उसी तरह अनुच्छेद *16 (1)* भी देता है। पैराग्राफ *741* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 741. ..... हमारी सम्मानजनक राय में, थॉमस *[(1976) 2* एससीसी *310,380]* में बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। हम भी मानते हैं कि अनुच्छेद *16 (1)* अपने द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है।

विवाद से परे। "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" हैं
राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण की प्रकृति में विशेष उपचार के योग्य एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत। तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* नहीं है

अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* का अपवाद। यह एक उदाहरण है
खंड *(1)* में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण।

159. जैसा कि इंद्र साहनी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद *16 (4)* कोई अपवाद नहीं है - अनुच्छेद *16 (1)*। यह भी माना जाता है कि अनुच्छेद *16 (4)* अनुच्छेद *16 (1)* का एक पहलू है और अनुच्छेद *14* द्वारा अनुमत उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

160. बालाजी के मामले में, संविधान पीठ ने अपना निर्णय केवल इस टिप्पणी पर आधारित नहीं किया कि अनुच्छेद *15 (4)* डी. आर. के लिए अपवाद और प्रावधान है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *15 (1)*। अनुच्छेद *15 (4)* को एक विशेष प्रावधान के रूप में संदर्भित किया गया था। बालाजी के पैराग्राफ *34* में यह भी निर्धारित किया गया है कि विशेष प्रावधान अनुच्छेद *15 (4)* द्वारा अनुध्यात जैसे अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा पदों का आरक्षण उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। हम पैराग्राफ *34* से प्रासंगिक अवलोकन को फिर से उद्धृत करते हैं:

" 34. ..... इसका मतलब यह नहीं है कि आरक्षण को अपनाया नहीं जाना चाहिए; संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को अपनाया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए, लेकिन उस संबंध में विशेष उपायों के प्रावधान में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य
समुदायों के योग्य और योग्य उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश। एक विशेष प्रावधान पर विचार किया गया

अनुच्छेद *15 (4)* जैसे पदों और नियुक्तियों का आरक्षण

अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनुध्यात उचित सीमाओं के भीतर होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों के हितों को, जो राज्यों और केंद्र पर पहली जिम्मेदारी है, समग्र रूप से समुदाय के हितों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। इन प्रतिस्पर्धी दावों का समायोजन निस्संदेह एक कठिन मामला है, लेकिन यदि एक विशेष प्रावधान करने की आड़ में, एक राज्य व्यावहारिक रूप से सभी कॉलेजों में उपलब्ध सभी सीटों को आरक्षित करता है, तो यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *15 (4)* के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। इस मामले में फिर से, हम निश्चित रूप से यह कहने के लिए अनिच्छुक हैं कि क्या उचित प्रावधान किया जाएगा।
आम तौर पर और व्यापक रूप से, एक विशेष प्रावधान *50* प्रतिशत से कम होना चाहिए; *50* प्रतिशत से कितना कम इस पर निर्भर करेगा

प्रत्येक मामले में वर्तमान प्रचलित परिस्थितियाँ।

161. श्री मुकुल रोहतगी और श्री कपिल सिब्बल दोनों ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद *15* और *16* में निहित संवैधानिक प्रावधान इसकी अनुमति नहीं देते हैं

15 (4) और *16 (4)*। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *50* प्रतिशत के निर्धारण को संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। हमें इस सवाल का जवाब देना होगा कि कहाँ से क्या *50* प्रतिशत नियम कहाँ से आता है*?*

162. 50 प्रतिशत नियम बालाजी में बोला जाता है और इंद्र में इसकी पुष्टि की जाती है।

साहनी अनुच्छेद *14* में अंकित समानता के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, जिसके अनुच्छेद *15* और *16* पहलू हैं। इंद्र साहनी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इंद्र साहनी के पैराग्राफ *807* में कहा गया है कि यह कहने से

अधिक उचित क्या है कि खंड *(4)* के तहत आरक्षण नियुक्ति के *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। *50 %* उचित कहा गया है और यह समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। पैराग्राफ *807* में

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी कहते हैं:

" 807. तथापि, हमें यह इंगित करना चाहिए कि खंड *(4)* पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की।

पर्याप्त प्रतिनिधित्व को आनुपातिक नहीं माना जा सकता है।

प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है -

केवल संविधान के अनुच्छेद *330* और *332* में स्वीकार किया गया और

वह भी सीमित समय के लिए। ये लेख आरक्षण की बात करते हैं

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के पक्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें,

लेकिन वे केवल अस्थायी और विशेष प्रावधान हैं। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है, हालांकि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात

कुल जनसंख्या निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी। जिस प्रकार प्रत्येक शक्ति का उचित और निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी प्रकार अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* द्वारा प्रदत्त शक्ति का भी उचित तरीके से और उचित सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए-और यह कहने से अधिक उचित क्या है कि खंड *(4)* के तहत आरक्षण संविधान के *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर नियुक्तियाँ या पद

जैसा कि आगे बताया गया है। इस दृष्टिकोण से, पिछड़े वर्गों के पक्ष में विवादित ज्ञापनों द्वारा प्रदान किया गया *27* प्रतिशत आरक्षण उचित सीमा के भीतर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षण के साथ

जनजातियाँ, यह कुल *49.5%* पर आता है। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश की पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। वी. नारायण राव बनाम में उच्च न्यायालय। एपी का राज्य *[*ए. आई. आर *1987* ए. पी. *53: 1987* लैब आईसी *152: (1986) 2* आंध्र एल. टी. *258],* ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को *25* प्रतिशत से घटाकर *44* प्रतिशत कर दिया गया। द.

कहा गया कि वृद्धि का कुल आरक्षण लेने का प्रभाव पड़ा

अनुच्छेद *16 (4)* से *65* प्रतिशत के तहत।

164. 50 प्रतिशत की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समानता पर आधारित न हो बल्कि जाति शासन पर आधारित हो। लोकतंत्र हमारे संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और हमारी मूल संरचना का हिस्सा है। अगर आरक्षण *50* प्रतिशत की सीमा से ऊपर जाता है जो एक उचित है, यह फिसलन भरा ढलान होगा, राजनीतिक दबाव, इसे शायद ही कम कर पाएगा। इस प्रकार, पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह है कि *50* प्रतिशत का प्रतिशत डी. आर. है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

तर्कसंगतता के सिद्धांत पर पहुंचे और अनुच्छेद *14* द्वारा निहित समानता प्राप्त की, जिसके अनुच्छेद *15* और *16* पहलू हैं। *165.* हम उपरोक्त संदर्भ में श्री रोहतगी की एक और प्रस्तुति देख सकते हैं। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि भारत का संविधान एक

जीवित दस्तावेज, विचार स्थिर नहीं रह सकते, यहां तक कि संविधान निर्माताओं की सोच भी प्राचीन काल से स्थिर नहीं रह सकती। श्री रोहतगी ने कहा कि समाज की आवश्यकता में बदलाव के कारण कानून को बदलना चाहिए।

166. न्यायमूर्ति जे. एम. शैलेट और न्यायमूर्ति के. एन. ग्रोवर, जे. परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम राज्य में बोलते हुए

केरल और एक अन्य, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225,* पैराग्राफ *482* और *634* में निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए गए हैं:

" 482. बहुत लंबे समय से बहस की जाने वाली ये याचिकाएं महान संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती हैं। दुनिया में सबसे लंबा होने के अलावा हमारा संविधान अद्वितीय है। यह विविधता के साथ दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए है।

धर्म। इसे महान राजनीतिक नेताओं और कानूनी दिग्गजों द्वारा बनाया और आकार दिया गया था, जिनमें से अधिकांश ने अंग्रेजों के जुए से स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया था और जो जानते थे कि बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित होने और लाखों भारतीयों के शोषण के दृष्टिकोण से विदेशी शासन के प्रभुत्व का क्या अर्थ है। संविधान एक जैविक दस्तावेज है।
जिसे विकसित होना चाहिए और इसे विशाल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का जायजा लेना चाहिए, विशेष रूप से, आम आदमी की गरिमा और राष्ट्र की एकता के अनुरूप सुधार करना चाहिए।

634. प्रत्येक संविधान के लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद है। इसलिए, यह आवश्यक रूप से लोचदार होना चाहिए। समाज को एक सीधी जैकेट में रखना संभव नहीं है। समाज बढ़ता है, उसका

आवश्यकताएँ बदलती हैं। उन आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान और कानूनों को बदलना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ी को कोई भी पीढ़ी बांध नहीं सकती। इसलिए हर संविधान, समझदारी से

तैयार किया गया, अपने स्वयं के संशोधन का प्रावधान करता है।

167. श्री रोहतगी ने के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। भारत संघ और अन्य, *2017 (10)* एस. सी. सी. *1,* जिसमें पैराग्राफ *476* में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 476. हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी ने आठ-न्यायाधीशों की पीठ और छह-न्यायाधीशों की पीठ के समर्थन में तर्क देते हुए कहा है कि संविधान के निर्माताओं ने निजता के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय का हिस्सा बनाए जाने को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। यद्यपि वे सही हो सकते हैं, संविधान सभा की बहसें केवल यह दिखाने के लिए दिलचस्प होती हैं कि भारत का संविधान तैयार करते समय निर्माताओं के मन में वास्तव में क्या था। जैसा कि इस निर्णय में बाद में बताया जाएगा, हमारे निर्णय

यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करें कि संविधान इस देश के *125* करोड़ नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करता है और इसका जवाब देने के लिए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए

अलग-अलग समय पर समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करना।

168. श्री रोहतगी द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ में है। *1993 (4)* एस. सी. सी. *441,* जिसमें पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 16. यह प्रस्ताव कि संविधान के प्रावधान केवल उस व्याख्या तक ही सीमित होने चाहिए जिसे निर्माता,

उनके समय की स्थितियों और दृष्टिकोण के साथ

उन पर स्वीकार्य नहीं है और एक से अधिक कारणों से अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है- सबसे पहले, कुछ वर्तमान मुद्दों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था; दूसरा, अन्य पर चर्चा नहीं की गई होगी और तीसरा, अभी भी अन्य को विवादास्पद मुद्दों के रूप में छोड़ दिया जा सकता है, यानी परस्पर विरोधी इरादों के साथ स्थगित मुद्दे के रूप में कहा जाता है। इन कारणों के अलावा, यह समझना आसान या संभव नहीं है कि संविधान बनाने के समय निर्माताओं के दिमाग को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, जब इसे वर्तमान समय के साथ जोड़ा जाता है। अपरिहार्य सच्चाई यह है कि कानून स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि लगातार गतिशील होता जा रहा है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है।

169. समय बदलता है, पीढ़ियाँ बढ़ती हैं, समाज बदलता है, मूल्य और ज़रूरतें भी समय के साथ बदलती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून को ऐसा करना चाहिए।

बदलते समय और समाज की बदलती जरूरतों के साथ परिवर्तन। हालाँकि, ऊपर उल्लिखित कानून के प्रस्ताव से श्री रोहतगी की इस दलील को कोई मदद नहीं मिलती है कि समाज की जरूरतों को देखते हुए *50* प्रतिशत नियम को छोड़ दिया जाना चाहिए।

170. आरक्षण प्रदान करने के संवैधानिक उपाय, देना

सामाजिक डी. आर. सहित पिछड़े वर्गों को रियायतें और अन्य लाभ।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग सभी सकारात्मक उपाय हैं। हमने स्वतंत्रता के *73* से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, महाराष्ट्र देश के उन विकसित राज्यों में से एक है जिसका देश के जी. एस. टी. में सबसे अधिक हिस्सा है अर्थात *16* प्रतिशत, प्रत्यक्ष करों में अधिक हिस्सा-*38* प्रतिशत और देश के जी. डी. पी. में अधिक योगदान है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य जाति-रहित समाज लाना था। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों ने राज्यों पर भारी दायित्व डाला है कि वे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करना पिछड़े वर्ग के कल्याण में सुधार का एकमात्र साधन और तरीका नहीं है। राज्य को पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मुफ्त में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, शुल्क में रियायत देने, कौशल विकास के अवसर प्रदान करने सहित अन्य उपाय करने चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर होना चाहिए।

एस. सी. सी. *1*, जहाँ उनके नेतृत्व ने माना कि आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान एक अस्थायी बैसाखी है, अनावश्यक लंबे समय तक उपयोग द्वारा ऐसी बैसाखी एक स्थायी दायित्व नहीं बननी चाहिए। न्यायमूर्ति रवींद्रन के शब्दों में पैराग्राफ *666* इस प्रकार हैः

"*666.* जाति ने सदियों से इस देश को विभाजित किया है। इसने इसके विकास में बाधा डाली है। जातिविहीन समाज का होना एक महान सपने को साकार करना होगा। शुरुआत में, आरक्षण का प्रभाव दिखाई दे सकता है।

जाति को कायम रखने के लिए। जाति आधारित आरक्षण का तत्काल प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आरक्षण से पहले के युग में लोग सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन आरक्षण के बाद, उन लोगों में भी एक प्रवृत्ति है जिन्हें "आगे" माना जाता है,

"आरक्षण के लाभों का आनंद लेने की उम्मीद में "पिछड़े" का टैग। जब अधिक से अधिक लोग चाहते हैं "देश "प्रगति" के बजाय "पिछड़ेपन" में ही स्थिर हो जाता है। जो भी हो सकता है। एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक सौम्य समर्थन देकर उन्हें आगे लाने के लिए केवल एक सीमित अवधि के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर एक उचित अवधि के बाद कोई समीक्षा नहीं होती है और अगर आरक्षण जारी रहता है, तो देश एक जाति *[2021] 15* एस. सी. आर. बन जाएगा।

समाज को स्थायी रूप से विभाजित किया। विविधता के साथ एक संयुक्त समाज विकसित करने के बजाय, हम एक-दूसरे पर हमेशा संदेह करने वाले खंडित समाज के रूप में समाप्त हो जाएंगे। जबकि सकारात्मक भेदभाव समानता का एक मार्ग है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सड़क एक ऐसी खाई न बन जाए जिसमें प्रगति का वाहन खड़ा हो जाए और अटक जाए। आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान एक अस्थायी बैसाखी है। अनावश्यक रूप से लंबे समय तक उपयोग की जाने वाली ऐसी बैसाखी एक स्थायी दायित्व नहीं बननी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि संविधान विशेष रूप से जातिविहीन समाज का निर्धारण नहीं करता है और न ही जाति को समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव को रोककर और सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करके संविधान जाति के आधार पर स्थिति में अंतर को दूर करने का प्रयास करता है। जब जातियों के बीच स्थिति में मतभेद दूर हो जाएंगे, तो सभी जातियां समान हो जाएंगी। यह होगा एक जातिविहीन समतावादी समाज की शुरुआत "।

172. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी सरकारें समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में सुधार के लिए उपाय करती हैं, लेकिन समाज के अधिक से अधिक वर्गों को उच्च शिक्षा सहित शिक्षा प्रदान करने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अन्य साधनों और उपायों को तैयार करना होगा। अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण को देखते हुए सार्वजनिक रोजगार सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमजोर वर्गों के सदस्यों को अवसर प्रदान करने के लिए अधिक अवसर

समाज और पिछड़े वर्ग को रोजगार के लिए कौशल विकसित करने के लिए लोक सेवा की आवश्यकता नहीं है। समाज और सरकारों के लिए हमारे संविधान में निहित उद्देश्यों और संविधान द्वारा निर्धारित आदर्शों को अभी भी प्राप्त नहीं किया गया है और उन्हें आगे बढ़ाया जाना है। कोई झगड़ा नहीं हो सकता

कि समाज बदलता है, कानून बदलता है, लोग बदलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ ऐसा जो अच्छा है और फायदेमंद साबित हुआ है।

173. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, *(*उपरोक्त*)* मामले में, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने यह भी निर्धारित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाया जाना चाहिए कि आरक्षण उचित रहेगा। हमारा मानना है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत की सीमा का उद्देश्य अनुच्छेद *15 (1)* और *15 (4)* के साथ-साथ अनुच्छेद *16 (1)* और *16 (4)* के तहत अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। प्रतिशत की सीमा है समानता के सिद्धांत को प्राप्त करना और एक संतुलन बनाने के उद्देश्य के साथ जिसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

174. इंद्र साहनी के निर्णय का पालन एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से किया जा रहा है, जिसमें *50* प्रतिशत के बारे में किसी भी निर्णय में कोई संदेह नहीं उठाया गया है, *50* प्रतिशत नियम का बार-बार पालन किया गया है।

175. हम उपरोक्त संबंध में एक और पहलू देख सकते हैं।

ग्रैनविल ऑस्टिन ने "भारतीय संविधानः "न्यायपालिका और सामाजिक क्रांति" विषय पर चर्चा करते हुए एक राष्ट्र की आधारशिला में कहा गया हैः

"संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के न्यायिक प्रावधानों को तैयार करने के लिए एक आदर्शवाद लाया जो केवल मौलिक अधिकारों के प्रति दिखाए गए आदर्शवाद के बराबर था। वास्तव में, न्यायपालिका को अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा गया था, क्योंकि यह अदालतें थीं जो अधिकार बल देती थीं। न्यायपालिका को सामाजिक क्रांति का एक अंग बनना था, उस समानता को बनाए रखना था जो भारतीय और औपनिवेशिक दिनों के दौरान चाहते थे, लेकिन प्राप्त नहीं हुई थी-न केवल इसलिए कि शासन औपनिवेशिक था, और दमनकारी था, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए कि अंग्रेजों को डर था कि सामाजिक परिवर्तन होगा।

उनके शासन को खतरे में डालें।

176. संविधान संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक संवैधानिक कर्तव्य का आदेश देता है। यह न्यायालय संविधान का संरक्षक है।

177. हम केशवानंद में न्यायमूर्ति मैथ्यू को भी उद्धृत कर सकते हैं।

भारती *(सुप्रा)*, जहाँ उन्होंने दोहराया कि न्यायिक कार्य कानून का निर्माण और अनुप्रयोग दोनों है। इंद्र साहनी का सिद्धांत कानून के सृजन अनुप्रयोग दोनों है। अनुच्छेद *1705* में न्यायमूर्ति मैथ्यू कहते हैंः -

"*1705.* न्यायिक कार्य, कानून की तरह, कानून का निर्माण और अनुप्रयोग दोनों है। न्यायिक कार्य आमतौर पर निर्धारित किया जाता है।

संविधान द्वारा केवल पूर्व के संबंध में। लेकिन यह एक
केवल डिग्री में अंतर। गतिशील दृष्टिकोण से, न्यायिक निर्णय द्वारा बनाया गया व्यक्तिगत मानदंड पहले संविधान की स्थापना के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया का एक चरण है, जो कानून और रीति-रिवाजों द्वारा जारी रहता है और न्यायिक निर्णयों की ओर ले जाता है। न्यायालय न केवल पहले से मौजूद कानून तैयार करता है

हालाँकि आम तौर पर ऐसा होने का दावा किया जाता है। यह न केवल अपने निर्णय से पहले मौजूद कानून की 'तलाश' और 'खोज' करता है, बल्कि यह केवल उस कानून का उच्चारण नहीं करता है जो पहले से तैयार और तैयार है।

अपनी घोषणा के लिए। दोनों *[2021] 15* एस. सी. आर. की उपस्थिति स्थापित करने में।

शर्तों और मंजूरी को निर्धारित करने में, न्यायिक निर्णय है

एक संवैधानिक चरित्र। अदालतों का कानून-निर्माण कार्य

विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब न्यायिक निर्णय का चरित्र होता है
एक मिसाल की, और इसका मतलब है कि जब न्यायिक निर्णय बनाता है

एक सामान्य नियम। जहाँ अदालतें न केवल आवेदन करने की हकदार हैं

उनके निर्णयों में पूर्व-विद्यमान मूल कानून, लेकिन बनाने के लिए भी
ठोस मामलों के लिए नया कानून, एक बोधगम्य झुकाव है

इन न्यायिक निर्णयों को पूर्ववर्ती चरित्र देना। भीतर

ऐसी कानूनी प्रणाली में, अदालतें बिल्कुल विधायी अंग हैं

अंग के समान अर्थ जिसे विधायक कहा जाता है
इस शब्द का संकीर्ण और सामान्य अर्थ।

9999

178. अखिल भारतीय रिपोर्टर करमचारी संघ और अन्य बनाम

ऑल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड और अन्य, *1988* सप्लीमेंट एस. सी. सी. *472*, एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति वेंकटरमैया के माध्यम से बोलते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जो कि एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद *141* के तहत एक बाध्यकारी मिसाल होने के अलावा कानून का एक स्रोत हैं। पैराग्राफ *11* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 11. .....

संविधान के अनुच्छेद *141* में प्रावधान है कि -

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

भारत का क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद *141* के अलावा भी
उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जो अभिलेख न्यायालय है,

कानून के स्रोत का गठन करते हैं क्योंकि वे न्यायिक उदाहरण हैं

देश का सर्वोच्च न्यायालय। .....

179. यह न्यायालय फिर से नंद किशोर बनाम पंजाब राज्य मामले में,

1995 (6) एस. सी. सी. *614* में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित अनुच्छेद *141* कानून के तहत एक बाध्यकारी चरित्र और विधायी निकाय या ऐसे निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई कानून के रूप में आज्ञाकारी है। पैराग्राफ *17* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 17 .... उनके लॉर्डशिप के निर्णय मौजूदा कानून की घोषणा करते हैं लेकिन करते हैं

कोई नया कानून नहीं बनाना ", पूर्ण समारोह के अनुरूप नहीं है
संविधान के अनुच्छेद *141* के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए,

न्यायालय केवल मौजूदा कानून का दुभाषिया नहीं है, बल्कि

उससे बहुत आगे। राज्य की एक शाखा के रूप में न्यायालय अपने आप में एक

कानून का स्रोत। कानून वही है जो अदालत कहती है। धैर्यपूर्वक

उच्च न्यायालय ने इस भूमिका की सराहना करते हुए गलती की

अदालत "।

180. जब इंद्र साहनी की संविधान पीठ ने कहा कि

50 % अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण की ऊपरी सीमा है, यह वह कानून है जो अनुच्छेद *141* के तहत बाध्यकारी है और इसे लागू किया जाना है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

181. श्री कपिल सिब्बल का यह कहना कि इंद्र साहनी का निर्णय कानून बनाने में विधायिका के लिए बंधन है, ऐसा नहीं है।

हमारी प्रशंसा करें। जब इस न्यायालय द्वारा कानून निर्धारित किया जाता है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो विधायिका और कार्यपालिका सहित सभी प्राधिकरण उक्त कानून से बाध्य हैं। कोई बंधन लगाने का सवाल ही नहीं है। यह वह कानून है जो सभी के लिए बाध्यकारी है।

182. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में यह निर्धारित किया है कि अति-विशिष्टताओं और उच्च तकनीकी और परमाणु अनुसंधान आदि जैसे विषयों में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रीय हित में विकसित कानून है। पैराग्राफ *838* में, इंद्र साहनी ने कुछ पदों पर ध्यान दिया है जहां आरक्षण जनहित और राष्ट्रीय हित में अनुकूल नहीं हैं। पैराग्राफ *838* में निम्नलिखित कहा गया है:

उनसे जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति या जिस स्तर पर वे प्राप्त करते हैं *(*पदानुक्रम में*)*, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल योग्यता ही मायने रखती है। ऐसी स्थितियों में, यह सलाह नहीं दी जा सकती है कि आरक्षण। उदाहरण के लिए, अनुसंधान में तकनीकी पद और

विकास संगठन/विभाग/संस्थान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान और गणित में ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता और सुपर स्पेशलिटी में, रक्षा सेवाओं में और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में। इसी प्रकार,

परमाणु और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में, आरक्षण का प्रावधान होगा
उचित नहीं है "।

182 (ए*)*। यदि हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को इस तार्किक सीमा तक स्वीकार करते हैं कि चूंकि इसमें कोई संकेत नहीं है

अनुच्छेद *15* और *16* कुछ पदों को आरक्षित नहीं किया जा सकता था, ऐसा कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता था। आज जो कानून मौजूद है वह वह है जिसे पैरा *838* में इंदिरा साहनी में निर्धारित किया गया है जो अनुच्छेद *15* और *16* सहित संवैधानिक प्रावधानों से वर्णित एक कानून है।

183. इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा पैराग्राफ *839,840* और *859 (8)* में जो निर्धारित किया गया है, वह इस द्वारा घोषित कानून है।

न्यायालय और सभी संबंधित लोगों द्वारा भी लागू किया जाना है। संसद ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण को पारित किया है और

नियुक्ति अधिनियम, *2006* आरक्षण का प्रावधान करता है-अनुसूचित जाति के लिए *15* प्रतिशत, *7-1/2* प्रतिशत, *[2021] 15* एस. सी. आर.

15 % , *27 %* केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान *(*प्रवेश में आरक्षण*)* अधिनियम, *2006* में अन्य कक्षाओं के लिए। धारा *4* में यह प्रावधान है कि अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होगा जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" अधिनियम की धारा *4* विशेष रूप से कहती है कि धारा *3* के प्रावधान कुछ संस्थानों पर लागू होंगे। खंड *4*

यह नीचे लिखा है:

"4. अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होता है। के प्रावधान

इस अधिनियम की धारा *3* इन पर लागू नहीं होगी -

*(*क*)* जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान।

*(*ख*)* उत्कृष्टता के संस्थान, अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के संस्थान
इस अधिनियम की अनुसूची:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, जब भी हो

आवश्यक समझे जाने पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन करें।

अनुसूची*;*

*(*ग*)* इस अधिनियम में परिभाषित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान*;*

*(*घ*)* विशेषज्ञता के उच्च स्तर पर एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टरेट के बाद का स्तर भी शामिल है, किसी शाखा या अध्ययन के भीतर या
संकाय, जिसके साथ केंद्र सरकार परामर्श कर सकती है

उपयुक्त प्राधिकारी, निर्दिष्ट करें। "

184. उपरोक्त संसदीय अधिनियम में आरक्षण का बहिष्करण

इंद्र साहनी के मामले द्वारा अनुमोदित आरक्षण अनुच्छेद *141* के अर्थ के भीतर एक कानून है और इसे सभी संबंधितों द्वारा लागू किया जाना है। *185.* उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आधार संख्या। *3* और *4* जैसा कि श्री मुकुल रोहतगी ने आग्रह किया है, इंद्र की समीक्षा के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते हैं।

साहनी या उक्त निर्णय को वृहत संविधान पीठ को संदर्भित करना।

कारण नं. *5*

186. श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी का निर्णय

अनुच्छेद *16 (4)* पर निर्णय, इसका अनुपात अनुच्छेद *15 (4)* के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है। डी. आर. को जवाब देने के लिए आगे बढ़ने से पहले न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

तैयार किए गए प्रश्नों में स्पष्ट रूप से देखा गया कि अनुच्छेद *16* पर संविधान सभा की बहस और अनुच्छेद *15* और *16* पर इस न्यायालय का निर्णय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय सहायक हैं। न्यायालय की टिप्पणियाँ कि अनुच्छेद *16* और अनुच्छेद *15* पर इस न्यायालय का निर्णय सहायक है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जिन सिद्धांतों को अनुच्छेद *16* की व्याख्या के लिए समझा गया है, वे अनुच्छेद *15* की व्याख्या के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने अनुच्छेद *15* पर दो शुरुआती मामलों का उल्लेख किया है, अर्थात् मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *226* और *B.Venkataramana* बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *229*। अनुच्छेद में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी *757* उन्होंने कहा कि हालांकि बालाजी अनुच्छेद *16 (4)* के तहत उत्पन्न होने वाला मामला नहीं था, लेकिन अनुच्छेद *15 (4)* के बारे में जो कहा गया है, उसे अनुच्छेद *16 (4)* के उद्देश्यों के लिए समान रूप से अच्छा और वैध माना गया। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने पैराग्राफ *757* में कहाः

" 757. हालांकि बालाजी अनुच्छेद *16 (4)* के तहत उत्पन्न होने वाला मामला नहीं था, अनुच्छेद *15 (4)* के बारे में जो कहा गया, उसे समान रूप से स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद *16 (4)* के उद्देश्य के लिए अच्छा और वैध। फॉर्मूलेशन

अनुच्छेद *15 (4)* के संबंध में स्पष्ट किया गया था, बिना किसी सवाल के,

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू और अपनाया गया। यह है,

इसलिए, बालाजी में सूत्रीकरणों पर सटीक रूप से ध्यान देना आवश्यक है

इस संबंध में प्रासंगिक। .....

(हमारे द्वारा रेखांकित*) "*

187. पैराग्राफ *808* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद का खंड *(4)*

16 यह समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है और यह अनुच्छेद *14* में निहित समानता के सिद्धांत की बहाली के अलावा और कुछ नहीं है। पैराग्राफ *808* में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार हैः

" 808. यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य उद्देश्य

अनुच्छेद *14* और *16* समानता और अवसर की समानता है और
अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* केवल इसे प्राप्त करने का एक साधन है।

एक ही उद्देश्य। खंड *(4)* एक विशेष प्रावधान है-हालांकि एक नहीं

खंड *(1)* का अपवाद। दोनों प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों केवल पुनर्कथन हैं

अनुच्छेद *14* में प्रदत्त समानता का सिद्धांत। प्रावधान के तहत
अनुच्छेद *16 (4)*-समाज के कुछ वर्गों के हित में परिकल्पित

- स्थापित समानता की गारंटी के खिलाफ संतुलित होना चाहिए

अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* में जो प्रत्येक के लिए एक गारंटी है

नागरिक और पूरे समाज के लिए। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि डॉ।

अम्बेडकर स्वयं विचार करते थे कि आरक्षण "एक तक ही सीमित" था।

सीटों की अल्पमत *"(*संविधान सभा में उनका भाषण देखें, सेट करें*)*
पैरा *28* में*)*। संविधान सभा का कोई अन्य सदस्य नहीं

अन्यथा सुझाव दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बहुमत का आरक्षण
संस्थापकों द्वारा कभी भी सीटों की परिकल्पना नहीं की गई थी। न ही हैं।

हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान संदर्भ से हमें अलग होने की आवश्यकता है

उस अवधारणा को।

(हमारे द्वारा रेखांकित*) "*

188. अनुच्छेद *15* का खंड *(4)* भी एक विशेष प्रावधान है जो

अनुच्छेद *14* में निहित समानता के सिद्धांतों की बहाली के अलावा और कुछ नहीं। अनुच्छेद *16 (4)* के संबंध में अनुच्छेद *808* में निर्धारित सिद्धांत अनुच्छेद के संबंध में स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। *15 (4)* भी। इंद्र साहनी के मामले में इस अदालत के बहुमत वाले फैसले में बालाजी सिद्धांत यानी *50* प्रतिशत नियम को मंजूरी दी गई है।

के साथ चला गया। *50* प्रतिशत सिद्धांत जिसकी शुरुआत में बालाजी में बात की गई थी, उसे इंद्र साहनी में अनुमोदित किया गया था। हम यह देखने में विफल रहे कि इंद्र साहनी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वसर्ग अनुच्छेद *15* के लिए कैसे लागू नहीं होंगे। इंद्र साहनी में कहा गया है कि

अनुच्छेद *16 (4)* में प्रयुक्त दबाव "पिछड़ा वर्ग" व्यापक है कि

अनुच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग"

15 (5) .

189. इस प्रकार हम मुकल की दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं।

रोहतगी ने कहा कि इंद्र साहनी में इस न्यायालय के फैसले को अनुच्छेद *15* के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

कारण-*6*

190. श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि इंद्र साहनी निर्णय में,

अनुच्छेद *14,16 (1)* और *16 (4)* की व्याख्या करते समय अनुच्छेद *39 (*बी*) (*सी*)* और अनुच्छेद *46* जैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। संविधान के भाग-*IV* में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। राज्य को अपनी नीति, विधान तैयार करते समय संविधान के भाग-*IV* में निहित संवैधानिक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने थे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनकी संविधान नागरिक को गारंटी देता है जबकि संविधान का भाग-*IV*

राज्य का दायित्व जिसका उसे संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निर्वहन करना है। इस न्यायालय के सबसे प्रसिद्ध निर्णय में अर्थात

केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु और अन्य बनाम स्टेट ऑफ डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

केरल और एक अन्य, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225,* कई रायों में, संविधान के भाग-*III* और भाग-*IV* पर विचार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने फैसले के पैराग्राफ *147* में कहा किः -

" 147. निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ना असंभव है, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह कहना कि निर्देशात्मक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को छीनने का निर्देश देते हैं ताकि इसे प्राप्त किया जा सके।
निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित मुझे एक विरोधाभास लगता है

शर्तें "।

191. इसी फैसले में, न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान की अंतरात्मा का गठन करते हैं। पैराग्राफ *712* में निम्नलिखित कहा गया थाः -

" 712. निर्देशक सिद्धांतों के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के 'विवेक' का गठन करते हैं। इसका उद्देश्य

मौलिक अधिकार एक समतावादी समाज का निर्माण करना, सभी नागरिकों को समाज द्वारा जबरदस्ती या प्रतिबंधों से मुक्त करना और सभी के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य अहिंसक सामाजिक क्रांति लाकर तत्काल प्राप्ति के लिए कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करना है। इस तरह की सामाजिक क्रांति के माध्यम से संविधान समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहता है।

आम आदमी और बुर समाज की संरचना को बदलना। इसका उद्देश्य भारतीय जनता को सकारात्मक अर्थों में मुक्त बनाना है।

192. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, *(1980) 3* एस. सी. सी. *625* में इस न्यायालय की संविधान पीठ,

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों दोनों पर भी विस्तार से चर्चा की है। मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में संविधान पीठ के समक्ष जो प्रश्न उठा, उसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, सी. जे. ने पैराग्राफ *40* में इस प्रकार देखाः

" 40. इन याचिकाओं में मुख्य विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि क्या भाग *IV* में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग *III* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर प्रधानता मिल सकती है। यही बात का मूल है। प्रत्येक अन्य विचार और अन्य सभी विवाद मामले के उस केंद्रीय विषय के उप-उत्पादों की प्रकृति में हैं।

भाग *III* और *IV* के दावे मामले के महत्वपूर्ण बिंदु का गठन करते हैं क्योंकि, *42* वें संशोधन की धारा *4* द्वारा संशोधित अनुच्छेद *31* सी में इस संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि किसी भी निर्देश सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाले कानून को इस आधार पर अमान्य के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद *14* या *42* वें संशोधन द्वारा अपनी धारा *4* द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार अनुच्छेद *14* और *19* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निर्देश सिद्धांतों के अधीन करता है।

193. यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के भाग-*3* और भाग-*4* दोनों ही राज्य के दो प्रकार के दायित्व हैं अर्थात नकारात्मक और सकारात्मक। सामंजस्य

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भाग-*III* और भाग-*IV* के बीच संबंध को विस्तार से बताते हुए पैराग्राफ *57* में कहाः -

" 57. यह केवल शब्दार्थ नहीं है। हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में स्पष्ट अवधारणाओं पर बनी है। हमने खुद को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया जो अपने साथ हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व रखता है। इसलिए, हम अपने संविधान में भाग *IV* डालते हैं जिसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो समाजवादी को निर्दिष्ट करते हैं।

लक्ष्य को प्राप्त करना। हमने अपने लोगों से एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति का वादा किया जो लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और यह आश्वासन देती है कि व्यक्ति की गरिमा को हर कीमत पर संरक्षित किया जाएगा। इसलिए हम अपने संविधान में भाग *III* रखते हैं जो लोगों को वे अधिकार प्रदान करता है।

वे अधिकार अपने आप में अंत नहीं हैं, बल्कि अंत के साधन हैं। अंत भाग *IV* में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, अनुच्छेद *III* द्वारा प्रदत्त अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं और संविधान में प्रावधान है कि उनमें से कुछ को लागू किया जा सकता है।

असामान्य परिस्थितियों में, निलंबित किया जाए। लेकिन जिस तरह भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकार एक रडार और एक कम्पास के बिना होंगे यदि

वे एक आदर्श के लिए तैयार नहीं थे, उसी तरह भाग *IV* में निर्धारित आदर्शों की प्राप्ति एक ढोंग बन जाएगी

अत्याचार यदि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत मानव स्वतंत्रता है। हमारे संस्थापकों के धर्मों में से एक शुद्धता थी

का मतलब है। वास्तव में, हमारे कानून के तहत, हत्या करने वाले डकैत को भी भागने के बाद आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। डी. आर. बहुत बढ़िया है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

साधनों की शुद्धता पर सभ्य कानूनों का आग्रह। निर्धारित लक्ष्य
इसलिए, भाग *IV* में दिए गए प्रावधानों को भाग *III* द्वारा प्रदान किए गए साधनों को निरस्त किए बिना प्राप्त किया जाना चाहिए। यह इस अर्थ में है कि भाग

III और *IV* मिलकर हमारे संविधान का मूल हैं और

अपनी अंतरात्मा बनाने के लिए गठबंधन करें। कुछ भी जो दोनों भागों के बीच संतुलन को नष्ट कर देता है, वह वास्तव में हमारे संविधान की मूल संरचना के एक आवश्यक तत्व को नष्ट कर देगा।

194. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद *38* राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है।

एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी ढंग से रक्षा करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* कुछ और नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद *38* के तहत नीति को बढ़ावा देने और उसे प्रभावी बनाने के कदम हैं।

संविधान। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने इंद्र साहनी के बारे में अपने फैसले में संविधान के भाग-*IV* के अनुच्छेद *38* और अनुच्छेद *46* का उल्लेख किया है। पैराग्राफ *647* में, अनुच्छेद *38* और *46* को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया हैः -

"*647.* अनुच्छेद *16* पर असर डालने वाले संविधान के अन्य प्रावधान अनुच्छेद *38,46* और भाग *XVI* के अनुच्छेदों का समूह हैं। अनुच्छेद *38* का खंड *(1)* राज्य को "प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है।

क्योंकि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो सकती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

195. श्री रोहतगी ने आलोचना की कि इंद्र साहनी के फैसले में राज्य के निदेशक सिद्धांतों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है

इस प्रकार अनुच्छेद *16* की व्याख्या करते समय नीति सही नहीं है। पैराग्राफ *841* में आगे यह माना गया है कि अनुच्छेद *16 (4)* के संदर्भ में अनुच्छेद *38* की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। पैराग्राफ *841* में निम्नलिखित कहा गया है -

देखा गयाः -

"*841.* हम यह भी जोड़ सकते हैं कि हम इस संदर्भ में अनुच्छेद *38 (2)* की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं देखते हैं। अनुच्छेद *16 (4)* भी अवसर की समानता के अलावा स्थिति की समानता सुनिश्चित करने का एक उपाय है।

196. श्री रोहतगी ने संविधान के अनुच्छेद *39 (*बी*)* और अनुच्छेद *39 (*सी*)* का उल्लेख किया है और कहा है कि इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

इंद्र साहनी का निर्णय। संविधान के अनुच्छेद *39* में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद *39 (*बी*)* और *39 (*सी*)* जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैंः -

"*39.* राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांतः

(ख*)* कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाता है कि आम लोगों को सबसे अच्छा लाभ मिले।

अच्छा; और *(* ग*)* कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होता है

आम नुकसान; "

197. हम यह देखने में विफल हैं कि अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत किए गए उपायों को किसी भी तरह से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है। अनुच्छेद *16 (4)* और *15 (4)* भी अवसर की समानता के अलावा स्थिति की समानता सुनिश्चित करने के उपाय हैं।

198. इस प्रकार हम श्री मुकल रोहतगी के उपरोक्त कथन में कोई सार नहीं पाते हैं।

ग्राउंड नं. *7*

199. श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ

और अन्य, *(2002) 8* एस. सी. सी. *481* ने सेंट स्टीफंस कॉलेज मामले *(1992) 1* एस. सी. सी. *558* में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हालांकि अधिमानतः अपने सामुदायिक उम्मीदवार को प्रवेश देने के हकदार हैं, लेकिन प्रवेश *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज मामले में *50* प्रतिशत की सीमा रखी गई है जो इंद्र साहनी सिद्धांत की मान्यता के अलावा और कुछ नहीं है। श्री रोहतगी ने कहा कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त सीमा को हटा दिया है। *50* प्रतिशत। श्री रोहतगी कृपाल, सी. जे. के अनुच्छेद *151* पर निर्भर हैं। और फैसले के न्यायाधीश रूमापाल द्वारा अनुच्छेद *338*, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" 151. सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान का अपने समुदाय के छात्रों को अधिमानतः प्रवेश देने का अधिकार, जब अनुच्छेद *29 (2)* लागू था, इस न्यायालय द्वारा एक दशक पहले सेंट स्टीफन कॉलेज मामले में स्पष्ट किया गया है। छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करता है

वे अपने समुदाय के उम्मीदवारों को अधिमानतः प्रवेश देने के हकदार थे ताकि संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखा जा सके और यह कि राज्य इस श्रेणी में प्रवेश को उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विनियमित कर सके जिसे संस्थान सेवा देने का इरादा रखता था, लेकिन यह कि यह प्रवेश किसी भी मामले में *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, सेंट.

स्टीफन ने दो जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

लेख। यद्यपि हम सेंट स्टीफंस के अनुपात को स्वीकार करते हैं, जो एक दशक से अधिक समय से इस क्षेत्र में है, लेकिन हमें उसमें निर्धारित कठोर प्रतिशत को स्वीकार करने में बाध्यकारी आपत्तियां हैं। अनुच्छेद *29* के अनुसार

और अनुच्छेद *30* न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों पर बल्कि स्कूलों पर भी लागू होता है, *50* प्रतिशत की सीमा उचित नहीं होगी। यह अधिक उपयुक्त होगा कि संस्थान के स्तर के आधार पर, चाहे वह प्राथमिक हो या माध्यमिक या उच्च विद्यालय या कॉलेज, पेशेवर हो या अन्यथा, और उस क्षेत्र की जनसंख्या और शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर जिसमें संस्थान स्थित होना है।

इस तरह के प्रावधान करके सभी के हितों को उचित रूप से संतुलित करता है

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का प्रतिशत, ताकि समुदाय के हित की पर्याप्त रूप से सेवा की जा सके, जिसके लिए संस्था की स्थापना की गई।

388. मैं विद्वान प्रमुख द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हूं।

न्याय कीजिए कि जब आवश्यकता परिवर्तनशील हो तो प्रतिशत निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि एक प्रतिशत तय करने में, सेंट स्टीफंस में न्यायालय ने वास्तव में सामान्य श्रेणी के लिए एक अल्पसंख्यक संस्थान में उपलब्ध सीटों का *50* प्रतिशत "आरक्षित" किया। अनुच्छेद *29 (2)* के तहत। यह एक व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है और एक वर्ग अधिकार नहीं है। इसलिए यह तब लागू होगा जब किसी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त की जाती है। यह इस अर्थ में वर्ग हित या अधिकार पैदा करने के लिए काम नहीं करता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को गैर-अल्पसंख्यकों के लिए एक वर्ग के रूप में और किसी भी व्यक्तिगत आवेदक के संदर्भ के बिना, एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करना होता है।

उपलब्ध सीटें। जब तक अनुच्छेद *30 (1)* और *29 (2)* को उनके अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक बाहरी लोगों के स्वैच्छिक 'छिड़काव' के साथ जो शुरू हुआ, वह एक बड़ी बाढ़ बन जाएगा और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार का एक बड़ा हिस्सा उस समुदाय के लाभ के लिए काम करने के लिए होगा, जिसकी सेवा करने के लिए इसे स्थापित किया गया था।

धोया गया "। *200.* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामला इस अदालत का फैसला था।

संविधान के अनुच्छेद *29* और *30* से पहले। अनुच्छेद *30* शीर्षक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्थापना का मौलिक अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों का अधिकार अलग है और संविधान में मान्यता प्राप्त सही कार्य करता है। *93* वाँ संविधान

अधिनियम, *2005,* जिसके द्वारा अनुच्छेद *[2021] 15* एस. सी. आर. में उपखंड *(5)* जोड़ा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15 अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को बाहर रखा गया है। अनुच्छेद *15* का उपखंड *(5)* स्पष्ट संवैधानिक संकेत है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में, अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया गया था, वह *93* वें में स्पष्ट युग पाता है।

संविधान संशोधन।

201. हम इसके बारे में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए सोसायटी बनाम भारत संघ और एक अन्य *(2012) 6* एस. सी. सी. *1* में न्यायालय, जहां इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *16* के साथ-साथ *21* ए पर विचार करने का अवसर मिला था। श्री कपाडिया, सी. जे., ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा कि *25* का आरक्षण

गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रतिशत के परिणामस्वरूप स्कूलों का चरित्र बदल जाता है और उनका मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, *2009* की धारा *12 (1) (*सी*)* अनुच्छेद *31* के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों को दिए गए अधिकार का उल्लंघन करती है। पैराग्राफ *61*

और निर्णय के *62* इस प्रकार हैं:

" 61. अनुच्छेद *15 (5)* एक सक्षम प्रावधान है और यह संबंधित राज्यों के लिए अनुच्छेद *30 (1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के मामले को छोड़कर आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने या एक कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए है। की मंशा

संसद यह है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को संदर्भित किया जाता है

उद्देश्य *[*देखें: अनुच्छेद *26]*।
62. ऐसे गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में *25* प्रतिशत आरक्षण का परिणाम

भाषा, लिपि या संस्कृति, जो इस तरह के गैर-सहायता प्राप्त लोगों को प्रदान किया जाता है अल्पसंख्यक विद्यालय। इस प्रकार, धारा *12 (1) (*सी*)* सहित *2009* का अधिनियम ऐसे गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को दिए गए अधिकार का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद *30 (1)*।

" " डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

202. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में निर्धारित कानून से

(ऊपर*)* के साथ-साथ राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सोसायटी *(*ऊपर*)*, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *30 (1)* में निर्दिष्ट गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।

203. सेंट स्टीफंस कॉलेज मामले में इस अदालत द्वारा लगाई गई *50* प्रतिशत की सीमा को टी. एम. ए. फाउंडेशन मामले द्वारा रद्द कर दिया गया था।

204. इस प्रकार हमारा विचार है कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के फैसले का इंद्र साहनी के अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ता है। मामला।

ग्राउंड *8*

205. श्री रोहतगी ने संविधान के *77* वें और *81* वें संशोधन अधिनियमों पर भरोसा करते हुए कहा कि इन संशोधनों का आंशिक रूप से पूर्ववत होने का प्रभाव पड़ता है

इंद्र साहनी का निर्णय जो निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता बनाता है। *77* वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, *1995* द्वारा संविधान के अनुच्छेद *16* में उपखंड *(4* ए*)* जोड़ा गया था। उपरोक्त

81 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, *2000* पर आते हुए, जिसके द्वारा अनुच्छेद *16* में उपखंड *(4* बी*)* जोड़ा गया था। उपरोक्त प्रावधान वहन के संबंध में इंद्र साहनी निर्णय द्वारा निर्धारित अनुपात को पूर्ववत करने के लिए भी था। रिक्तियों को आगे बढ़ाएँ। संविधान संशोधन में कहा गया है कि वर्ष की रिक्त रिक्तियों में जो आरक्षित थीं, उन्हें किसी भी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने वाले रिक्तियों के अलग वर्ग के रूप में माना जाएगा और

रिक्तियों के ऐसे वर्ग पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें *50* प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। अनुच्छेद *(4* बी*)* किसी भी संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है: -

"16 (4 बी*)*। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को एक वर्ष की किसी भी खाली रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो आरक्षित हैं *[2021] 15* एस. सी. आर.

और रिक्तियों के ऐसे वर्ग को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें उन्हें कुल संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है।
उस वर्ष की रिक्तियों की "।

206. उपरोक्त संवैधानिक संशोधन यह बहुत स्पष्ट करता है कि *50* प्रतिशत की सीमा को "अब संवैधानिक मान्यता मिल गई है"। *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा अधिकतम सीमा है जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इंद्र साहनी का मामला, इस प्रकार, वास्तव में संवैधानिक संशोधन

50 प्रतिशत की सीमा को मान्यता दें जिसे इंद्र साहनी के मामले में अनुमोदित किया गया था और उपरोक्त संवैधानिक संशोधन के आधार पर, इंद्र साहनी पर पुनर्विचार करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

207. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि इंद्र के निर्णय में कहा गया है कि राज्य केवल निम्न के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं कर सकते हैं -

208. यह प्रस्तुत किया जाता है कि *103* वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य *10* प्रतिशत आरक्षण को देखते हुए, *50* प्रतिशत आरक्षण के रूप में इंद्र साहनी द्वारा निर्धारित तोड़ दिया जाता है। श्री रोहतगी ने आगे कहा कि *103* वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित मुद्दे को डब्ल्यू. पी. में एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

*(*सिविल*) 2019* का सं. *55,* जनहित अभियान बनाम भारत संघ। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रभाव और परिणाम के बारे में कोई भी अवलोकन करने से खुद को रोकते हैं

103 वाँ संविधान संशोधन।

ग्राउंड-*10*

209. श्री रोहतगी ने कहा कि इंद्र साहनी के फैसले के अनुच्छेद *810* में कुछ असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। जिसे पत्थर में डाला गया नहीं कहा जा सकता है। पैराग्राफ *810* में दी गई असाधारण परिस्थितियों यानी दूरदराज और दूरदराज के क्षेत्रों को हमेशा के लिए अपरिवर्तित नहीं रखा जा सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि यह केवल उदाहरण के रूप में दिया गया था और इसे डी. आर. नहीं माना जा सकता है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

संपूर्ण। इसके अलावा, यह भौगोलिक परीक्षण है जो हर राज्य में लागू नहीं हो सकता है। इंद्र साहनी के पैराग्राफ *810* में जस्टिस जीवन रेड्डी ने कहा,

प्रदान किया गया: -

"810. जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि इसे बाहर न रखा जाए

उनके साथ एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
इसका प्रयोग किया जाना है और एक विशेष मामला बनाया जाना है।

210. हम श्री रोहतगी की इस दलील का पूरा समर्थन करते हैं कि

पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ केवल उदाहरणात्मक थीं और इन्हें संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि हम श्री रोहतगी से सहमत नहीं हैं कि अनुच्छेद *810* केवल एक भौगोलिक परीक्षण प्रदान करता है। "राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने पर" अभिव्यक्ति का उपयोग एक सामाजिक परीक्षा है, जिसे एक मामले को अपवाद द्वारा कवर करने के लिए भी पूरा करने की आवश्यकता है।

211. हम भारत संघ और अन्य बनाम राकेश कुमार और अन्य *(2010)* में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

4 एस. सी. सी. *50,* इस न्यायालय के पास संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था। अनुच्छेद *243* बी और संविधान के भाग-*9* के प्रावधान *73* वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, *1992* द्वारा जोड़े गए। वैधानिक प्रावधानों में सीटों के आरक्षण पर विचार किया गया था। इंद्र साहनी के निर्णय विशेष रूप से पैराग्राफ *809* और *810* को भी इस न्यायालय द्वारा नोट और निकाला गया था। इस अदालत ने कहा कि इंद्र साहनी के फैसले में भी अपवाद की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था

ऐसी परिस्थितियों में उपचार। पैराग्राफ *44* में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का मामला एक उपयुक्त मामला है जो आरक्षण के संबंध में असाधारण व्यवहार की गारंटी देता है और

उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की ऊपरी सीमा को आसानी से ऊर्ध्वाधर क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।

अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व। पैराग्राफ *43* और *44* नीचे दिए गए हैं:

" 43. तर्क के लिए, भले ही अनुच्छेद *243*-डी और अनुच्छेद *16 (4)* के बीच एक सादृश्य व्यवहार्य था, इंद्र *[2021] 15* एस. सी. आर. का एक करीबी अध्ययन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साहनी के निर्णय से पता चलेगा कि भले ही एक ऊपरी सीमा

50 % सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए निर्धारित किया गया था, उक्त निर्णय ने कुछ परिस्थितियों में असाधारण व्यवहार की आवश्यकता को पहचाना। यह निम्नलिखित शब्दों *(*पारस में*)* से स्पष्ट होता है। *809, 810):*

" 809. उपरोक्त चर्चा से जो अटूट निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि खंड *(4)* में विचार किए गए आरक्षण

अनुच्छेद *16* का *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को ध्यान से न रखा जाए। ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल किए जाने के कारण और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा कर सकती है।

उनके लिए एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।

44. हमारा मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का मामला एक उपयुक्त मामला है जो आरक्षण के संबंध में असाधारण व्यवहार की गारंटी देता है। उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिए आरक्षण में *50* प्रतिशत की ऊपरी सीमा लागू करने के पीछे का तर्क

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आसानी से विस्तार नहीं किया जा सकता है। के संबंध में

शिक्षा और रोजगार, सकारात्मक कार्रवाई उपायों और योग्यता के विचारों के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या के बीच समानता बनाए रखी जाती है।

212. इस न्यायालय ने एक और असाधारण परिस्थिति बनाई जो असाधारण परिस्थितियों में फिट हो सकती है जैसा कि इंद्र साहनी के मामले में पैराग्राफ *810* द्वारा विचार किया गया है। हम यह भी देख सकते हैं कि

के. कृष्ण मूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य, *(2010) 7* एस. सी. सी. *202* में इस न्यायालय की संविधान पीठ। पैराग्राफ *82 (iv)* में ऊर्ध्वाधर आरक्षण में *50* प्रतिशत की सीमा लागू की गई स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग। हालांकि, यह माना गया कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अपवाद किया जा सकता है। पैराग्राफ *82 (iv)* इस प्रकार है:

- डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

" 82. (iv) 50 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा
स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अपवाद केवल इस क्रम में किए जा सकते हैं कि

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के मामले में उनके हितों की रक्षा करना।

213. उपरोक्त मामले में संविधान पीठ के फैसले ने केंद्र में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को मंजूरी दी थी।

पैराग्राफ *67* में भारत सरकार और अन्य राकेश कुमार *(*ऊपर*)*, जो निम्नलिखित प्रभाव से है: -

" 67. हाल ही में भारत संघ बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। राकेश कुमार, *(2010) 4* एस. सी. सी. *50*, इस न्यायालय ने समझाया है कि अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करना क्यों आवश्यक हो सकता है।

जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में *50* प्रतिशत से अधिक सीटें हैं। हालाँकि, इस तरह के असाधारण विचारों को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब हम सामान्य क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकायों के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा की जांच कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण *50* प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि इस ऊपरी सीमा का पालन करने के लिए कुछ राज्यों को अपने नियमों में संशोधन करना पड़ सकता है।

मौजूदा कोटा की मात्रा को कम करने के लिए कानून

ओ. बी. सी. के पक्ष में "।

214. इस प्रकार हमारा विचार है कि पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं बल्कि पैराग्राफ हैं। *810* यह एक संकेत देता है कि कौन सी स्थिति असाधारण स्थिति में उपयुक्त हो सकती है।

215. पूर्ववर्ती चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें इंद्र के निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए श्री रोहतगी द्वारा उठाए गए आधारों में कोई सार नहीं मिलता है।

साहनी और इंद्र साहनी के फैसले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना। इंद्र साहनी के फैसले का इस न्यायालय द्वारा बार-बार पालन किया गया है और इस न्यायालय की कम से कम चार संविधान पीठों द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हम पैराग्राफ *809* और *810* में इंद्र साहनी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वसर्गों का भी पालन करते हैं और दोहराते हैं। हम आगे देखते हैं कि इंद्र साहनी के निर्णय का अनुपात संविधान के अनुच्छेद *15* के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

216. केशव में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला

मिल्स *[*केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *1636* ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया है कि अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करने से पहले न्यायालय को स्वयं यह संतुष्ट करना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित में या किसी अन्य अनिवार्य कारण से ऐसा करना आवश्यक है और न्यायालय को देश में कानून की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

217. जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता

और अन्य, *2018 (10)* एस. सी. सी. *396, M.Nagaraj (*ऊपर*)* में संविधान पीठ के फैसले को संदर्भित करने की प्रार्थना को संविधान द्वारा खारिज कर दिया गया था। केशव मिल्स के मामले में निर्धारित कानून पर पीठ भरोसा करती है। में।

पैराग्राफ *9* निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

"9. चूंकि हमें एक सर्वसम्मत संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है, इसलिए इस चेतावनी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है -

केशव मिल्स *[*केशव मिल्स*]* में संविधान पीठ का फैसला

कं. लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. *(1965) 2* एस. सी. आर. *908:* ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *1636]* इस अदालत ने कहा: *(* एससीआर पीपी। *921-22 :* एयर पी। *1644 ,* पैरा *23)*

"23. ..... [मैं इसके पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन कर रहा हूं। *:*

इसका संदर्भ न्यू जहांगीर वकील मिल्स लिमिटेड बनाम। सीआईटी,

ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *1177* और पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स कंपनी।

लिमिटेड वी. सी. आई. टी., *1963* सप्लीमेंट *(1)* एस. सी. आर. *871*, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सार्वजनिक भलाई के हित में है या किसी अन्य के लिए है।

वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। जब यह न्यायालय विधि के प्रश्नों का निर्णय करता है, तो इसके निर्णय, अनुच्छेद *141* के तहत, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, और इसलिए, देश में विधि की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश करने और बनाए रखने के लिए इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग इस आधार पर किया जाता है कि

इसके समक्ष दबाए जाने पर बाद में न्यायालय को अधिक प्रतीत होता है

तर्कसंगत, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और
भ्रम पैदा करें जिससे लगातार बचना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के किसी अवसर पर न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे ऐसा करना चाहिए।

त्रुटि को सुधारने में संकोच करें; लेकिन इससे पहले कि पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए।

अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति के साथ कि एक जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव नहीं है या

वांछनीय है और किसी भी मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे। यह हमेशा कई प्रासंगिक बातों पर निर्भर करता है।

विचारः दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है*?*

पूर्ववर्ती दृष्टिकोण की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए याचिका किस पर आधारित है*?* इससे पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, या किसी भी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं खींचा गया था, या

क्या इस मुद्दे पर इस न्यायालय के किसी पिछले फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया था*?* क्या इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने वाला न्यायालय काफी सर्वसम्मत है कि पहले के दृष्टिकोण में ऐसी त्रुटि है*?* इस त्रुटि का कानून के सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक भलाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा*?* क्या पहले के निर्णय का बाद के

अवसरों पर इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है? और, क्या पहले के निर्णय को वापस लेने से जनता को असुविधा, कठिनाई या शरारत होगी? ये और अन्य

प्रासंगिक विचारों को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए

जब भी इस न्यायालय को अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। ये विचार तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले का निर्णय इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है।

218. टकटकी निर्णय का सिद्धांत भी हमें ऐसा न करने के लिए प्रोत्साहित करता है

श्री रोहतगी की प्रस्तुतियाँ। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर, मोती कुरैशी कसाब जमात में इसकी संविधान पीठ

अन्य, *(2005) 8* एस. सी. सी. *534,* स्टेर के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पैराग्राफ *111* और *118* में निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है:

" 111. स्टेर डेसिसिस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "खड़ा होना"।

न्यायनिर्णयन "। इस सिद्धांत को उक्ति "स्टेर डिसिसिस एट नॉन सिलीटा मूवर" में व्यक्त किया गया है जिसका अर्थ है निर्णयों के साथ खड़ा रहना और जो तय किया गया है उसे बाधित नहीं करना। यह भगवान द्वारा उचित रूप से रखा गया था अपने क्लासिक अंग्रेजी संस्करण में कोक के रूप में "वे चीजें जिनके पास हैं

इतनी बार निर्णय लिया गया है कि शांति से आराम करना चाहिए "। हालांकि,

न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के अनुसार, टकटकी निर्णय का सिद्धांत "तर्क का कारावास" नहीं है *(*एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, पी।

रामनाथ अय्यर, तीसरी शाखा। *2005 , Vol.4, P.4456)*। अंतर्निहित

अनिश्चितता। मार्गदर्शक दर्शन वह है जो एक दृष्टिकोण रखता है
लंबे समय तक मैदान को केवल इसलिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

एक और दृष्टिकोण संभव है।

118. टकटकी निर्णय के सिद्धांत का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों की एक श्रृंखला पर आधारित है
आधिकारिक घोषणाओं का पालन किया जाना चाहिए। फिर भी, बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों की मांगें, जो तर्क द्वारा समर्थित शक्तिशाली कारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, एक आवश्यकता को उचित ठहराती हैं

ताज़ा नज़र "।

219. इंद्र साहनी में संविधान पीठ के माध्यम से बोलते हुए

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने माना है कि इसकी प्रासंगिकता और महत्व टकटकी निर्णय के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। यह दोहराया गया कि कानून में निश्चितता, निरंतरता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएं हैं। पैराग्राफ *683* में सटीक शब्द निम्नलिखित हैं:

" 683 ..... हालाँकि, हम एक बड़ी बेंच में बैठे हैं, हमने स्टेयर डिसिसिस के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखा है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कानून में निश्चितता, निरंतरता

और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएँ हैं। जहाँ कोई निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उस पर कभी संदेह नहीं किया गया है, वहाँ हमने उसका सम्मान किया है, जब तक कि, निश्चित रूप से, उससे अलग होने के लिए मजबूर करने वाले और मजबूत कारण न हों। हालाँकि, जहाँ ऐसी एकरूपता नहीं पाई जाती है, वहाँ हमने अपने संविधान की योजना और लक्ष्य और सामग्री को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक रूप से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है।
हमारे सामने रखा गया।

220. इंद्र साहनी में संविधान पीठ ने क्या कहा था

स्पष्ट रूप से हमें बांधता है। इंद्र साहनी का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इस पर कभी संदेह नहीं किया गया है। टकटकी लगाने के स्पष्ट सिद्धांत पर, इंद्र साहनी के फैसले पर न तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और न ही इस न्यायालय की बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

221. केशव मिल्स में निर्धारित सिद्धांत जब लागू किया जाता है

वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इंद्र साहनी के मामले को बड़ी पीठ को भेजने का कोई मामला नहीं बनता है।

(9) क्या गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट ने एक मामला बना दिया है

अलग आरक्षण देने के लिए असाधारण स्थिति

मराठा समुदाय के लिए *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक*?*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

222. हमने ऊपर देखा है कि इंद्र में बहुमत का निर्णय

साहनी ने निर्धारित किया है कि आरक्षण एक नियम के रूप में *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हालाँकि, बहुमत की राय में, यह माना गया था कि देश की विविधता को देखते हुए कुछ असाधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अपवादात्मक मामलों में आरक्षण *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक किया जाता है। इस संबंध में, हम फिर से इंद्र साहनी के निर्णय के पैराग्राफ *809* और *810* का उल्लेख कर सकते हैं जिसके द्वारा कानून का उपरोक्त प्रस्ताव निर्धारित किया गया था। पैराग्राफ *809* और *810* निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"809. उपरोक्त चर्चा से जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि संविधान के खंड *(4)* में अनुध्यात आरक्षण

अनुच्छेद *16 50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, यह रखना आवश्यक नहीं है

कुछ असामान्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए

इस देश और लोगों की महान विविधता। ऐसा हो सकता है कि दूरदराज और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी मुख्यधारा से बाहर होने के कारण हो सकती है।

राष्ट्रीय जीवन और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए, एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतें। इसका प्रयोग
किया जाना है और एक विशेष मामला बनाया जाना है।

223. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ के दूसरे कार्यकाल में एक विशिष्ट संदर्भ शामिल था, अर्थात "असाधारण को परिभाषित करने के लिए"। वर्तमान संदर्भ में आरक्षण के लाभ के लिए
परिस्थितियों और/या असाधारण स्थितियों को लागू किया जाना चाहिए। गायकवाड़ आयोग ने

उपरोक्त संदर्भ अवधि पर अलग से और विस्तृत रूप से विचार किया गया। आयोग में एक अलग अध्याय, अध्याय-*X* समर्पित किया गया है।

रिपोर्ट करें। अध्याय-*X* का शीर्षक "अपवादात्मक" है। परिस्थितियाँ और/या अतिरिक्त सामान्य
स्थितियाँ "।

224. हम श्री मुकल के निवेदन पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं

रोहतगी ने असाधारण परिस्थितियों के संदर्भ में ग्राउंड *No.10* पर विचार करते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने पर जोर दिया। हमने देखा है कि इंद्र साहनी के पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियाँ संपूर्ण नहीं बल्कि उदाहरणात्मक थीं। हालाँकि, संविधान पीठ ने संकेत दिया है कि *50* प्रतिशत की सीमा को पार करने के लिए क्या असाधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं। आयोग ने इंद्र *[2021] 15* एस. सी. आर. में बहुमत की राय पर ध्यान दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नहीं। हम रिपोर्ट के पैराग्राफ *234*-अध्याय *X* पर ध्यान दे सकते हैं, जिसका वह निम्नलिखित प्रभाव डालता है:

"234. आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान,

संविधान के अनुच्छेद *15* या अनुच्छेद *16* के तहत ऐसा नहीं है। प्रत्येक को दिए जाने वाले आरक्षण
का प्रतिशत निर्धारित करें।

पिछड़े वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

भारत सरकार द्वारा, अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए *15* प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए *7.5* प्रतिशत। *22.5%* आरक्षण को छोड़कर, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए मौजूदा बस प्रावधान है

27 % . यद्यपि मूल रूप से *997* का अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *16* संविधान में आरक्षण का प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं किया गया था

विभिन्न वर्ग, अनुच्छेद *16 (4* ए*)* के संशोधित प्रावधान और

(4 बी*)* निर्दिष्ट करें कि राज्य सरकार को इससे रोका नहीं गया है

एक वर्ष की किसी भी रिक्त रिक्तियों पर विचार करना जो आरक्षित हैं

किसी भी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरने के लिए अनुच्छेद *16 (4)* या *(4* ए*)* के तहत किसी भी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में किए गए आरक्षण के लिए

और रिक्तियों के ऐसे वर्ग पर एक साथ विचार नहीं किया जाएगा

उस वर्ष की रिक्तियां जिनमें उन्हें भरा जा रहा है

कुल संख्या पर *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित करना

उस वर्ष की रिक्तियां। इंद्र साहनी के मामले में *(*ऊपर*),*

माननीय उच्चतम न्यायालय, पहली बार, बहुमत से, *50* प्रतिशत के कुल आरक्षण के लिए एक सीमा निर्दिष्ट की गई। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न संख्या का उत्तर देते हुए इस मुद्दे पर विचार किया। *6 (* ए*), 6 (*बी*)* और *6 (*सी*)* निर्णय में इसके द्वारा तैयार किए गए। द.

क्वेस्टइन यहाँ निम्नानुसार उत्पादित किए जाते हैं:

" 6 (ए*)* क्या *50* प्रतिशत नियम बालाजी में एक बाध्यकारी नियम है या

केवल सावधानी का नियम या विवेक का नियम*?*

6 (ख*)* क्या *50* प्रतिशत नियम, यदि कोई हो, अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* के तहत दिए गए आरक्षण तक ही सीमित है या क्या यह अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जा सकने वाले सभी प्रकार के आरक्षण को स्वीकार करता है।

16 ?

6 (ग*)* इसके अलावा *50* प्रतिशत नियम, यदि कोई हो, को लागू करते समय क्या एक वर्ष को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए या क्या कुल संख्या

कैडर की ओर देखा जाना चाहिए*?* डॉ.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा *94* ए में अपने द्वारा तैयार किए गए इंदिरा साहनी के मामले के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* में अनुध्यात आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी अनुच्छेद में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इस *TIRNITURE DIVIST* सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है

सावधानी बरतें "। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए। पैरा *94* ए *(*ए. आई. आर. के*)* से संबंधित अंश, इंदिरा साहनी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बहुमत के दृष्टिकोण को पुनः प्रस्तुत किया गया है और जो इस प्रकार हैः

" जबकि *50* प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि इसे बाहर न रखा जाए

इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों पर विचार करें। ऐसा हो सकता है कि दूरदराज के और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने के कारण और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रयोग किया गया और एक विशेष मामला बनाया गया। "

225. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखने के बाद आयोग इस विषय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। अनुच्छेद *234* में आयोग

एम. नागराज एंड ओआरएस में संविधान पीठ के फैसले को नोट किया है। बनाम भारत संघ और अन्य। *(* उपर्युक्त*)* यह देखते हुए कि इस न्यायालय ने *50* प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के पहलू पर फिर से विचार किया है। हालाँकि, आयोग ने इस धारणा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया कि नागराज मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि छूट के लिए, यानी *50* प्रतिशत, मात्रात्मक और समकालीन डेटा होना चाहिए। हम आयोग के सटीक शब्दों को देख सकते हैं।

पैराग्राफ *234* में जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अगले निर्णय में *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा के इस पहलू पर फिर से विचार किया है।

नागराज और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। में रिपोर्ट किया गया *(2006)*

8 एस. सी. सी. *212,* जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

संविधान के अनुच्छेद *16* में संशोधन के माध्यम से अंतःस्थापित खंड *(4* ए*)* और *(4* बी*)* की वैधता पर विचार किया गया। हालांकि, इसमें
नागराज, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि छूट के लिए *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा होनी चाहिए

और समकालीन डेटा *(*जोर दिया गया*)*। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

226. आयोग ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए अनुच्छेद *235* में उपरोक्त दृष्टिकोण को फिर से दोहरायाः

" 235 ..... हालाँकि, नागराज से यह देखा जाता है कि छत

खंड द्वारा आवश्यक पिछड़ेपन से संबंधित समकालीन डेटा
(4) संविधान के अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *16* का खंड *(4)*।

227. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आयोग ने नागराज मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि

पिछड़ेपन से संबंधित मात्रात्मक समकालीन आंकड़े दिखाकर *50* प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। ऊपर पढ़ा गया

आयोग द्वारा संविधान पीठ का निर्णय पूरी तरह से गलत था। हम उपरोक्त संबंध में एम. नागराज के निर्णय को फिर से देख सकते हैं। एम. नागराज एक ऐसा मामला था जिसमें अनुच्छेद *16 (4* ए*)* को शामिल करने वाले संविधान *(85* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2001* को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त प्रावधान असंवैधानिक और मूल संरचना का उल्लंघन है। अनुच्छेद *16 (4* ए*)* जो उपरोक्त संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, प्रदान करता हैः

" अनुच्छेद *16 (4* ए*)*। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को इन मामलों में आरक्षण का कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी -

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य की सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

228. संविधान पीठ ने याचिका की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए निवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़े संवैधानिक प्रावधान। नागराज में संविधान पीठ ने पैराग्राफ *55* से *59* में आरक्षण की अधिकतम सीमा पर ध्यान दिया है। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इंदिरा साहनी में बहुमत की राय ने अभिनिर्धारित किया है कि *50* प्रतिशत का नियम एक बाध्यकारी नियम था न कि केवल विवेक का नियम। नागराज में संविधान पीठ के फैसले का पैराग्राफ *58* इस प्रकार हैः

" 58. हालाँकि, इंद्र साहनी *[1992* सप्लीमेंट *(3)* एस. सी. सी. *217* में बहुमत ने माना कि बालाजी *[*ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *649]* में निर्धारित *50* प्रतिशत का नियम एक बाध्यकारी नियम था, न कि केवल विवेक का नियम। *229.*
अनुच्छेद *107* में संविधान पीठ ने कहाः

" 107 ..... यदि राज्य के पास दिखाने के लिए मात्रात्मक डेटा है

पिछड़ेपन और अपर्याप्तता तब राज्य कर सकता है

डी. आर. के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

दक्षता जिसे संवैधानिक सीमा माना जाता है
अनुच्छेद *335* द्वारा इंगित आरक्षण देने में राज्य का विवेकाधिकार।

230. संविधान पीठ ने पैराग्राफ में अपने निष्कर्ष को नोट किया

121 , *122* और *123*। पैराग्राफ *123* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

"*123.* हालाँकि, इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुख्य मुद्दा

यह "आरक्षण की सीमा" से संबंधित है। इस संबंध में राज्य

संबंधित को प्रत्येक मामले में अस्तित्व दिखाना होगा
बाध्यकारी कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता

आरक्षण का प्रावधान। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है। राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है
पदोन्नति के मामलों में एससी/एसटी के लिए। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य ने

वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना

और सार्वजनिक रूप से उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

अनुच्छेद *335* के अनुपालन के अलावा रोजगार। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य को यह देखना होगा कि उसका आरक्षण प्रावधान ऐसा नहीं है। इससे *50* प्रतिशत
की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होता है या मलाईदार परत समाप्त हो जाती है या आरक्षण अनिश्चित काल तक बढ़ जाता है।

231. संविधान पीठ ने पैराग्राफ *123* में कहा कि अनुच्छेद *16 (4 ए)* का प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है और राज्य इन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है

पदोन्नति और हालांकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।

232. मात्रात्मक डेटा के संबंध में उपरोक्त अवलोकन में था

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य की शक्ति को सक्षम करने के संबंध में। यह ध्यान देने योग्य है कि पैराग्राफ *123* के अंतिम वाक्य में यह कहा गया है: " यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर बताया गया है,

राज्य को यह देखना होगा कि उसके आरक्षण प्रावधान से *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन न हो या क्रीमी लेयर समाप्त न हो या आरक्षण को अनिश्चित काल तक बढ़ाया न जा सके। *233.* इस प्रकार, उपरोक्त मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि पदोन्नति के लिए आरक्षण, *50* प्रतिशत की सीमा *[2021] 15* एस. सी. आर. नहीं हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तोड़ दिया। आयोग ने निर्णय के अनुपात को समझने में पूरी तरह से गलती की है, जब आयोग ने यह विचार रखा कि *50* प्रतिशत की मात्रात्मक डेटा सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा कोई अनुपात नहीं है।

234. आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ *236* में एक शीर्षक "गुणात्मक डेटा" है। यह पूरे निकालने के लिए उपयोगी है पैरा *236* जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"गुणात्मक डेटा:

236. वर्ष *2011* की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
महाराष्ट्र में क्रमशः *11,81%* और *9.35%* है। प्रतिशत

कुनबी समुदाय के साथ मराठा समुदाय का प्रतिशत *35.7%* है। सभी आरक्षित पिछड़े वर्गों का प्रतिशत *48.6%* होगा। अन्य वर्गों या आबादी का प्रतिशत, जिन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया है, *15.7%* दिखाया गया है, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से हालांकि यह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन पिछड़े होने का दावा करने वाले पिछड़े वर्गों, मराठा और कुंबी का कुल प्रतिशत कुल आबादी के *48.6%* प्लस *35.7%* के बराबर आता है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि मराठा और कुनबी जातियों के साथ-साथ मौजूदा पिछड़े लोगों की बड़ी आबादी है वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। *48.6 %* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी पिछड़े वर्गों सहित मौजूदा आरक्षित श्रेणी की आबादी की पहचान पहले ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में की जा चुकी है। इस आयोग द्वारा मराठा जाति की पहचान सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के रूप में की गई है। इसलिए कुल *84.3%* जनसंख्या को पिछड़े वर्गों की कहा जा सकता है। डॉ.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*अशोक भूषण, जे।*]*

235. उपर्युक्त मात्रात्मक आंकड़ों के संबंध में, आयोग ने अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत अनुच्छेद *259* में आरक्षण के अपने कारणों को दर्ज किया है। हम यहाँ निम्नलिखित प्रभाव के लिए अनुच्छेद *259* निकालते हैं:

"259. संक्षेप में, इस आयोग ने पहले ही एकत्र किए गए/उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सराहना पर पाया कि महाराष्ट्र राज्य में *80* प्रतिशत से *85* प्रतिशत आबादी पिछड़ी हुई है। इस आयोग के अनुसार *80* से *85* प्रतिशत पिछड़ी आबादी को *50* प्रतिशत की सीमा के भीतर समायोजित करना उनके साथ अन्याय होगा और इस तरह यह आयोग के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।
संविधान के अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *16* से उत्पन्न आरक्षण नीति। इस आयोग की सुविचारित राय में, यह असाधारण स्थिति है, जिसका उल्लेख दूसरे कार्यकाल में किया गया है और जैसा कि इंद्र साहनी द्वारा आवश्यक है। *80 %* नागराज के अनुसार, उपरोक्त *85* प्रतिशत पिछड़ी आबादी मात्रात्मक समकालीन आंकड़ों के बारे में बताती है। यदि, तदनुसार, *50* प्रतिशत की सीमा से प्रशासन में दक्षता में वृद्धि प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि वे सभी प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह आयोग तथ्यों के निष्कर्षों को दर्ज करता है कि संदर्भ के दूसरे कार्यकाल के अनुसार न केवल असाधारण परिस्थितियां हैं, बल्कि असाधारण परिस्थितियां भी हैं, जिन्हें अनुच्छेद *15* के खंड *(4)* को देखते हुए वर्तमान संदर्भ में आरक्षण देने के लिए लागू करने की आवश्यकता है और

संविधान के अनुच्छेद *16* का खंड *(4)*।*)* यह महाराष्ट्र सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाएगा।

मराठा समुदाय की प्रगति, जो निश्चित रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और अंततः यह महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाएगा।

राज्य के अधीन सेवाएँ "।

उन्हें।*237.* हम पैराग्राफ *810* पर वापस लौट सकते हैं जहां इंद्र साहनी ने चित्रण दिया है कि कौन सा चित्रण कुछ असाधारण के बारे में है।

परिस्थितियाँ। पैराग्राफ *810* में उपयोग किए गए सटीक शब्द हैं:

"ऐसा हो सकता है कि दूरदराज और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी *[2021] 15* एस. सी. आर. होने के कारण हो सकती है।

राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए, एक में इलाज करने की आवश्यकता है

अलग तरीके से, इस सख्त नियम में कुछ छूट हो सकती है
अनिवार्य है। ऐसा करने में, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।

238. श्री रोहतगी ने कहा था कि पैराग्राफ *810* में निर्धारित परीक्षण केवल भौगोलिक परीक्षण है जो एक उदाहरण था। यह सच है कि

इंद्र साहनी ने जिस अभिव्यक्ति का उपयोग किया वह "दूरदराज के और दूरदराज के क्षेत्र" थी, लेकिन सामाजिक परीक्षण जो उसी वाक्य का एक हिस्सा था, उसमें कहा गया था कि "उन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए" हो सकती है। इस प्रकार, पैराग्राफ *810* की सामाजिक स्थितियों में से एक यह है कि राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के भीतर होने के कारण, मराठा का मामला इंद्र साहनी के पैराग्राफ *810* में दर्शाई गई असाधारण स्थितियों को संतुष्ट नहीं करता है। मराठा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में हैं। यह भी विवादित नहीं है कि मराठा राजनीतिक रूप से प्रमुख जाति हैं।

239. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में ध्यान दिया है कि अनुच्छेद *810* में विचार किए गए असाधारण परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं*?*

कुछ अन्य मामले। हमने ऊपर तीन-भारत संघ और अन्य बनाम राकेश कुमार और अन्य, *(2010) 4* एस. सी. सी. *50* में न्यायाधीश पीठ के फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें तीन-न्यायाधीश पीठ ने निर्णय दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंध में *50* प्रतिशत की सीमा का असाधारण मामला हो सकता है। उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ को भी इस न्यायालय की संविधान पीठ ने के. के. कृष्णमूर्ति *(*उपरोक्त*)* मामले में अनुमोदित और दोहराया है। में।

240. उपरोक्त संदर्भ में, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के अनुच्छेद *163* पर भी ध्यान दे सकते हैं जहां उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मराठों ने इंद्र साहनी के मामले के पैराग्राफ *610* के अर्थ के भीतर एक असाधारण स्थिति का मामला बनाया है। उच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद *163* में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *" 163 .....* हम उत्सुकता से उन रिपोर्टों का उल्लेख करेंगे, जो यह खुलासा करेंगी कि यह पहली बार गायकवाड़ आयोग के रूप में है।
>
> मात्रात्मक डेटा एकत्र किया गया है और नागराज, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v* के संदर्भ में।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

मात्रात्मक आंकड़े, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दो प्रमुख कारक हैं जो राज्य द्वारा *50* प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति देंगे। ..... "

241. उच्च न्यायालय ने आयोग की राय का समर्थन किया है जब पिछड़े वर्ग की आबादी *85* प्रतिशत है, अगर उन्हें *50* प्रतिशत मिलता है, तो यह वैध नहीं होगा। आक्षेपित पीठ के अनुच्छेद *165* में निम्नलिखित उच्च न्यायालय की राय है:

> *" 165 .....* जनसंख्या के अन्य वर्गों का प्रतिशत जिन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें *15.7%* दिखाया गया है। द.

इसलिए आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि हालांकि सर्वेक्षण रिपोर्ट

ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, मौजूदा पिछड़े वर्गों, मराठा और कुंबी का कुल प्रतिशत, जो पिछड़े होने का दावा करते हैं, कुल जनसंख्या के *48.6% + 35.7%* के बराबर है। आयोग ने वर्ष *1872* की जनगणना का भी संदर्भ दिया है जिसमें शूद्रों की जनसंख्या की गणना की गई है और *1872* की जनगणना रिपोर्ट से यह स्थिति सामने आई है कि *1872* की जनगणना में *80* प्रतिशत से अधिक आबादी पिछड़ी हुई पाई गई थी। आयोग इसे एक असाधारण स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि अधिकांश असमान लोग समान के अल्पसंख्यक के साथ रह रहे हैं। *2011* की जनगणना के आधार पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य की जनसंख्या लगभग *11.24* करोड़ है, जिसमें से *3,68,83,000* ओ. बी. सी. *(*वी. जे. एन. टी., ओ. बी. सी.*)* की जनसंख्या है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़े,

भारत सरकार ने भारत में ओ. बी. सी. का राज्यवार प्रतिशत दिया है और महाराष्ट्र के लिए यह *33.8%* है जबकि एस. सी.-एस. टी. *22* प्रतिशत है। गायकवाड़ आयोग के पास पाटिल-सचिन है। *: : : - 27/06/2019* पर अपलोड किया गयाः *: :* डाउनलोड किया गया*-05/04/2021 16: 43: 36 : : : 433* मराटा *(*जे*)* फाइनल। इसलिए डॉक ने अनुमान लगाया कि मराठों की आबादी है

30 % . इसलिए, जनसंख्या के संदर्भ में, अगर हम आंकड़ों को देखें

तब जो स्थिति बनती है वह यह है कि लगभग *85* प्रतिशत

जनसंख्या पिछड़े वर्गों की है और यह सुझाव देना कि यदि *85* प्रतिशत लोग पिछड़े हैं और उन्हें केवल *50* प्रतिशत का आरक्षण मिलता है, तो यह न्याय की पारगमनता होगी। जब हम समानता की बात करते हैं-स्थिति और अवसर की समानता, तो क्या यह असमानता होगी

समानता प्राप्त करना विवादास्पद प्रश्न है। इंद्र साहनी में चित्रण के माध्यम से निर्धारित असाधारण परिस्थितियों की स्थिति इस प्रकार आकर्षित होगी और समानता प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के विषय को प्राप्त किया जा सकता है।

एक बार जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मराठा समुदाय एक
पिछड़े वर्ग, तो राज्य की ओर से उक्त समुदाय का उत्थान करना अनिवार्य है और यदि राज्य ऐसा करता है, और असाधारण परिस्थितियों में, *50* प्रतिशत की सीमा को पार करता है, तो हम महसूस करते हैं कि यह *50* प्रतिशत की सीमा को पार करने के लिए एक असाधारण स्थिति है।

242. फैसले के पृष्ठ *453* पर फिर से उच्च न्यायालय ने दोहराया कि तब से रिपोर्ट द्वारा असाधारण स्थितियों को समाप्त कर दिया गया है।

पिछड़े वर्ग की आबादी *85* प्रतिशत है, मराठा *30* प्रतिशत हैं। ऊपर दी गई स्थिति को असाधारण मानते हुए पैराग्राफ *170* में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

राज्य की जनसंख्या और यह आंकड़ा मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसलिए मराठा समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए असाधारण स्थिति बनाई गई है, जिसे अब सामाजिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से घोषित किया गया है।
आर्थिक रूप से पिछड़े। *30* प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर,

आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुल प्रतिशत

राज्य की आबादी जो अनुच्छेद *15 (4)* और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत सूचीबद्ध संवैधानिक लाभों और लाभों की हकदार है, वह लगभग *85* प्रतिशत होगी और यह एक बाध्यकारी असाधारण स्थिति है।

संविधान के भीतर असाधारण समाधान की मांग करने वाली स्थिति

फ्रेमवर्क। ..... '

243. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आयोग और उच्च न्यायालय दोनों ने सीमा पार करने के संबंध में असाधारण स्थितियों का इलाज किया।

50 % मराठों को अलग आरक्षण देने के लिए, तथ्य यह है कि पिछड़े वर्ग की आबादी *85* प्रतिशत है और आरक्षण की सीमा केवल *50* प्रतिशत है। आयोग द्वारा राय दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित उपरोक्त असाधारण परिस्थितियाँ असाधारण स्थिति नहीं हैं जैसा कि इंद्र साहनी निर्णय के पैराग्राफ *810* में निर्दिष्ट किया गया है। मराठा प्रमुख अग्रगामी वर्ग हैं और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में हैं। उपरोक्त स्थिति इंदिरा साहनी के निर्णय द्वारा विचार की गई एक असाधारण स्थिति नहीं है और आयोग और उच्च न्यायालय दोनों ने उपरोक्त परिस्थितियों को *50* प्रतिशत सीमा से अधिक होने के लिए असाधारण परिस्थिति के रूप में स्वीकार करने में गलती की। इस स्तर पर, हम देख सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की तारीख *30.11.1948* की बहस में अनुच्छेद *10/3 (*संविधान का अनुच्छेद *16 (4))* के मसौदे पर बहस करते हुए क्या कहा था। डॉ. अम्बेडकर ने एक चित्रण देते हुए कहाः

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

" उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमें उन समुदायों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार करना था जो अब तक कार्यरत नहीं हुए हैं।

सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह से, वास्तव में क्या होगा, हम पहले प्रस्ताव को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जिस पर हम सभी सहमत हैं, अर्थात्, अवसर की समानता होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी समुदाय या समुदाय के लिए आरक्षण किया गया था।

समुदाय, जिनकी कुल संख्या लगभग *70* प्रतिशत थी। राज्य के तहत कुल पदों में से केवल *30* प्रतिशत। अनारक्षित के रूप में रखे जाते हैं। क्या कोई कह सकता है कि आरक्षण

30 प्रतिशत। जैसा कि सामान्य प्रतियोगिता के लिए खुला होगा

पहले सिद्धांत को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से संतोषजनक है, अर्थात्, अवसर की समानता होगी? यह मेरे निर्णय में नहीं हो सकता है। इसलिए आरक्षित की जाने वाली सीटें, यदि आरक्षण अनुच्छेद *10* के उपखंड *(1)* के अनुरूप होना है, तो कम सीटों तक ही सीमित होनी चाहिए। तभी पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकता है और प्रभावी हो सकता है

संचालन में "।

समानता के पहले सिद्धांत को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिया गया उत्तर नकारात्मक था। इस प्रकार, संविधान सभा ने उदाहरण देकर पहले ही उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है जो अब है उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित। हम आयोग द्वारा लिए गए उसी दृष्टिकोण के आधार पर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दे सकते।

245. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि न तो गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और न ही निर्णय

उच्च न्यायालय ने मराठाओं के मामले में एक असाधारण स्थिति बनाई है जिसमें *50* प्रतिशत की सीमा को पार किया जा सकता है। हम उपरोक्त संबंध में आयोग की प्रासंगिक चर्चा और निष्कर्ष पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं और हमने पाया है कि आयोग के निष्कर्ष अस्थिर हैं। इस प्रकार हमारा मानना है कि आरक्षण की *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक मराठाओं को आरक्षण देने के लिए *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक होने का कोई मामला नहीं है।

(10) क्या अधिनियम, *2018*, जैसा कि *2019* में संशोधित किया गया है

मराठा समुदाय के लिए अलग से अधिक आरक्षण
50 प्रतिशत की सीमा असाधारण परिस्थितियों को दर्शाती है।

इंद्र साहनी मामले के फैसले के अनुसार?

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

246. हमने *2018* के अधिनियम के प्रावधानों को ऊपर देखा है। धारा *2 (*जे*)* में मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में घोषित किया गया है और धारा *4 (1)* के तहत कुल सीटों में से *16* प्रतिशत *(2019* संशोधन अधिनियम के अनुसार *12* प्रतिशत*)* को शामिल किया गया है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान आरक्षित हैं और सार्वजनिक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में कुल नियुक्ति का *16* प्रतिशत *(2019* अधिनियम द्वारा संशोधित *13* प्रतिशत*)* है। धारा *3 (4)* ने आगे यह स्पष्ट किया है कि अधिनियम में कुछ भी *2001* अधिनियम और *2006* अधिनियम के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों का पता लगाने के लिए *2018* के अधिनियमन के विधायी इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। *247.* हमने राष्ट्रीय पिछड़े आयोगों के साथ-साथ राज्य पिछड़े आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों को विस्तार से नोट किया है।

मराठों के अन्य में शामिल होने के दावे को बार-बार खारिज कर दिया

पिछड़े समुदाय। बापट आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद

मराठाओं के अन्य पिछड़े वर्ग होने के दावे को खारिज करते हुए, राज्य सरकार ने एक मौजूदा मंत्री यानी नारायण राणे समिति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उक्त राणे समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य ने *2014* का अधिनियम अधिनियमित किया, जिसकी संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक *1* के अपने आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने जून, *2017* में महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संदर्भ दिया और संदर्भ का एक कार्यकाल निम्नलिखित प्रभाव का था: -

" *(ii)* असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों को परिभाषित करता है।

आरक्षण के लाभों के लिए लागू की गई स्थितियाँ

समकालीन परिदृश्य "।

248. महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रस्तुत किया

15.11.2018 में इसकी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट *2018* के अधिनियम के लिए आधार बन गई।

249. 2018 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बयान महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं।

29.11.2018 2018 का विधेयक संख्या *78 (LXXVIII)* प्रकाशित करना। उद्देश्य और कारणों के विवरण के पैराग्राफ *6* में पूर्ववर्ती *2014* अधिनियम और उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन और आयोग को आगे के संदर्भ पर ध्यान दिया गया है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन का अनुच्छेद *6* इस प्रकार है:

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

" *6.* इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य आरक्षण *(*सीटों का*)*

राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग *(*ई. एस. बी. सी.*)* अधिनियम, *2014 (2015* का <आई. डी. *1)* के लिए राज्य के तहत लोक सेवाओं में नियुक्तियां या पद*) 9* जनवरी *2015* को अधिनियमित किए गए थे। हालांकि,

उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है

7 अप्रैल, *2015* को उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन।

इसके बाद राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि

महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने जून *2017* में,

((i)

समकालीन मानदंड और मानकों को निर्धारित करें
अदालतों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण का लाभ बढ़ाने के लिए मराठों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए अपनाया गया,

आरक्षण कानून और संवैधानिक अधिदेश;

((ख)

असाधारण और असाधारण परिस्थितियों को परिभाषित करें।

समकालीन परिदृश्य में आरक्षण के लाभों के लिए लागू स्थिति;
मात्रात्मक डेटा और अन्य की जांच और निरीक्षण करें।

(iii)

जानकारी जो राज्य ने माननीय को प्रस्तुत की है। मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए न्यायालय;

((iv)

राज्य में मराठों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करें।

सार्वजनिक रोजगार;

(v)

मराठों की जनसंख्या का अनुपात निर्धारित करें।
जानकारी एकत्र करके राज्य में समुदाय

विभिन्न स्रोतों के तहत उपलब्ध है।

15.11.2018 पर *rnment* करें। पैराग्राफ *8* आयोग के निष्कर्ष और निर्णय को संदर्भित करता है। के निष्कर्ष और निष्कर्षउद्देश्यों के कथन के अनुच्छेद *8* में मिशन को देखा गया है

इज़ोन्स।

251. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट

मिशन दिनांक *15.11.2018* अलग *[2021] 15* एस. सी. आर. देने का आधार बना।

मराठा समुदाय को *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण सीमा। हम पहले ही आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, विशेष रूप से अध्याय *10*, जिसमें आयोग ने असाधारण विषयों पर चर्चा की है।

स्थिति।

252. रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार ने अपना निष्कर्ष निकाला

और निष्कर्षों और सिफारिशों ने अलग से देने के लिए राय बनाई

मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* के रूप में आरक्षण। उद्देश्यों और कारणों के कथन का अनुच्छेद *9* इस प्रकार हैः

"*9.* महाराष्ट्र सरकार ने माना है कि

उक्त की रिपोर्ट, निष्कर्ष, निष्कर्ष और सिफारिशें

आयोग। उक्त के विस्तृत अध्ययन के आधार पर

जनता जैसे मराठों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आयोग

रोजगार, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अनुपात

जनसंख्या, रहने की स्थिति, परिवारों द्वारा भूमि जोत का छोटा आकार,

राज्य में किसानों की आत्महत्या का प्रतिशत, किए गए कार्यों का प्रकार

रहने, परिवारों के प्रवास, आदि के लिए, डेटा द्वारा विश्लेषण किया गया,
सरकार की राय है कि,

मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से है।

*(*अ*)*

के प्रयोजनों के लिए पिछड़े और पिछड़े वर्ग
अनुच्छेद *15 (4)* और *(5)* और अनुच्छेद *16 (4)*, आधार पर

उक्त आयोग द्वारा प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता;
असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए और

*(*ख*)*

30 प्रतिशत मराठा नागरिकों के साथ आरक्षण का अधिकार, यह एक विनाशकारी परिदृश्य होगा जो एक असाधारण स्थिति और असाधारण स्थिति पैदा करेगा
ऐसी परिस्थितियाँ, जिनका यदि शीघ्रता से और विवेकपूर्ण तरीके से समाधान नहीं किया जाता है, तो राज्य में सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व में अनुचित परिणाम हो सकते हैं, आरक्षण के प्रतिशत के लिए छूट देना समीचीन है।

प्रमुख मंत्री& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

50 प्रतिशत की सीमा को पार करके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, मौजूदा पचास-दो प्रतिशत को बाधित किए बिना

राज्य में वर्तमान में लागू आरक्षण, केवल

जो मलाईदार परत में नहीं हैं*;*

निगम, आदि*;* ऐसे लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना समीचीन है।

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कक्षाएं निजी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करते हुए कि

संविधान के अनुच्छेद *30* के खंड *(1)* में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त*;* और राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों में, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण को छोड़कर, इस संबंध में *9* जून *2014* को जारी अधिसूचना के अनुसार*;* मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने से प्रशासन में दक्षता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि सरकार इसके लिए सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के मानक को कम नहीं कर रही है

कक्षाएँ और वहाँ निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा होगी

उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एक उपयुक्त कानून बनाना। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राय है कि ऐसे व्यक्तियों से संबंधित

क्रीमी परत के नीचे की श्रेणी को समकालीन अवधि में आगे बढ़ने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है, इसलिए *[2021] 15* एस. सी. आर.

ताकि वे समाज के उन्नत वर्गों के साथ समानता के एक ऐसे स्तर पर जा सकें, जहाँ से वे अपने दम पर आगे बढ़ सकें।

253. विधेयक का कथन और उद्देश्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य ने आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर राय बनाई है और आयोग द्वारा दिए गए कारणों को स्वीकार किया है। अधिकतम सीमा को पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। हम पहले से ही विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं और रिपोर्ट पर ध्यान दे चुके हैं

आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रिपोर्ट में दिए गए तर्क के आधार पर कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं बनाई गई हैं। हालांकि नींव अपने आप में अस्थिर है, राज्य सरकार द्वारा *50* प्रतिशत की सीमा से अधिक

मराठों को अलग आरक्षण देने के लिए राय का गठन अस्थिर है। *254.* यह अच्छी तरह से तय है कि सरकार के सभी विधायी अधिनियमों और कार्यकारी अधिनियमों को मौलिक अधिकारों का पालन करना होगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए राज्य की विधायी या कोई भी कार्यकारी कार्रवाई संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इंदिरा साहनी मामले द्वारा निर्धारित आरक्षण के लिए *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा संविधान के अनुच्छेद *16* में निहित समानता के सिद्धांत के आधार पर है। पैराग्राफ *808* में इंद्र साहनी ने कहा हैः -

"808. यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद *14* और *16* का मुख्य उद्देश्य समानता और अवसर की समानता है।

कि अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* केवल इसे प्राप्त करने का एक साधन है
एक ही उद्देश्य। खंड *(4)* एक विशेष प्रावधान है-हालांकि खंड *(1)* का अपवाद नहीं है। दोनों प्रावधानों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामंजस्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए कि दोनों अनुच्छेद *14* में निहित समानता के सिद्धांत के पुनर्कथन हैं। प्रावधान

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत-जिसकी कल्पना समाज के कुछ वर्गों के हित में की गई है-अनुच्छेद *16* के खंड *(1)* में निहित समानता की गारंटी के खिलाफ संतुलित होना चाहिए जो एक गारंटी है।

प्रत्येक नागरिक और पूरे समाज के लिए। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं आरक्षण पर विचार किया था

"कम सीटों तक सीमित "*(*संविधान सभा में उनका भाषण देखें, जो पैरा *28* में दिया गया है*)*। संविधान सभा के किसी अन्य सदस्य ने अन्यथा सुझाव नहीं दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरक्षण अधिकांश सीटों की परिकल्पना संस्थापक पिताओं द्वारा कभी नहीं की गई थी। न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान संदर्भ हमें जाने के लिए कहता है

उस अवधारणा से।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

255. एम. नागराज *(*सुप्रा*)* मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

उन्होंने दोहराया है कि *50* प्रतिशत पर निर्धारित आरक्षण की अधिकतम सीमा समानता को बनाए रखने के लिए है। पैराग्राफ *111* और *114* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः -

"111. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि समानता को हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है। समानता को बनाए रखने के लिए, इंद्र साहनी में एक संतुलन बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुच्छेद *14,15* और *16* की मूल संरचना अक्षुण्ण रहे और साथ ही साथ संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक उत्थान प्राप्त हो सके। समानता को संतुलित और संरचित करने के लिए, आरक्षण की अधिकतम सीमा संवर्ग की संख्या के *50* प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी; आरक्षण प्रारंभिक भर्ती तक ही सीमित था और इसे पदोन्नति तक नहीं बढ़ाया गया था।

114. इंद्र साहनी में, वह समानता जिसकी रक्षा की गई थी

50 प्रतिशत के नियम के अनुसार, सामान्य श्रेणी के अधिकारों और ओ. बी. सी. वाले समूह में बी. सी. के अधिकारों के बीच संतुलन बनाकर,

एससी और एसटी "।

256. हमने पाया है कि मराठा समुदाय को अलग आरक्षण देने में कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं बनाई गई थीं। आरक्षण की *50* प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक। अधिनियम, *2018* का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद *16* में निहित समानता का सिद्धांत। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के अधिकतम सीमा को पार करना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* का उल्लंघन करता है जो अधिनियम को अधिकार से परे बनाता है।

257. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि *2019* में संशोधित अधिनियम, *2018* में मराठा समुदाय के लिए अलग से आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है

50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करने वाली कोई भी असाधारण परिस्थितियाँ।

(11) गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट-एक जांच

258. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री प्रदीप संचेती ने गायकवाड़ से पूछताछ की है।

आयोग की रिपोर्ट कई आधारों पर। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने इस चुनौती का खंडन किया है।

259. श्री संचेती प्रस्तुत करते हैं कि एक मात्रात्मक न्यायिक जांच

राज्य द्वारा दावा किया गया डेटा एक आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा है। वे प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि न्यायालय को न्यायिक सम्मान के साथ रिपोर्ट को देखना है, लेकिन कई मामलों में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।

जो संवैधानिक सिद्धांत और कानून के शासन का उल्लंघन करता है, उसे न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप किया जा सकता है। श्री संचेती ने प्रस्तुत किया कि पिछले *60* वर्षों से तीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ-साथ तीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों ने मराठों के दावे को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने पर विचार किया है जिस समुदाय के दावे को बार-बार नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की रिपोर्ट को गायकवर्ड द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था

आयोग जिस तरह से पहले की रिपोर्टों से निपटा है। श्री.

यह कहना कि मराठा शुरू से ही पिछड़े समुदाय थे और पहले की सभी रिपोर्टें त्रुटिपूर्ण हैं। श्री संचेती प्रस्तुत करते हैं कि मराठा समुदाय महाराष्ट्र राज्य में एक सबसे प्रमुख समुदाय है जो पर्याप्त राजनीतिक शक्ति रखता है। अधिकांश विधानमंडल मराठा समुदाय के हैं, महाराष्ट्र राज्य के *19* मुख्यमंत्रियों में से *13* मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से थे। महाराष्ट्र के *25* मेडिकल कॉलेजों में से *17* मेडिकल कॉलेज मराठा समुदाय के लोगों द्वारा स्थापित/स्वामित्व में हैं। *31* जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में से *24* पर व्यक्तियों का कब्जा है। मार्था समुदाय। महाराष्ट्र में कार्यरत *161* सहकारी चीनी कारखानों में से *86* चीनी कारखानों में मराठा समुदाय के लोग अध्यक्ष हैं। जो वर्ग राजनीतिक रूप से इतना प्रबल है, उसे सामाजिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

260. श्री संचेती ने आगे कहा कि आयोग द्वारा सर्वेक्षण, डेटा परिणाम, उसमें विश्लेषण विभिन्न अंतर्निहित खामियों से ग्रस्त है। द.

आयोग द्वारा किया गया नमूना सर्वेक्षण अवैज्ञानिक है और इसे संबंधित नमूने के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नमूना का आकार बहुत छोटा है। शहरी क्षेत्रों से केवल *950* व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। वह उस आयोग को प्रस्तुत करता है

मराठा समुदाय के सदस्यों से भरा हुआ था। सर्वेक्षण एजेंसी *(*डेटा संग्रह*)* का चयन बिना निविदा प्रक्रिया के किया गया था। सर्वेक्षण करने वाले पाँच संगठनों में से दो का नेतृत्व मराठा समुदाय के लोग कर रहे थे। मराठा समुदाय का लोक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जो आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। आयोग द्वारा डेटा संग्रह के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

कि राज्य में सेवाओं में मराठा समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। *261.* श्री पटवालिया ने अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि गायकवाड़ आयोग ने विचार किया है

पहले के सभी आयोगों द्वारा किए गए निष्कर्ष और उसके बाद इसने अपना निष्कर्ष दर्ज किया था। आयोग ने आगे बढ़ने से पहले जाँच के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। पिछड़ेपन। आयोग ने प्रत्येक जिले के दो गाँवों में सभी परिवारों की जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किया है और आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के छह क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक नगर निगम और एक नगर परिषद का चयन करके जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है। नमूना सर्वेक्षण के उद्देश्य से पाँच अलग-अलग एजेंसियों को नामित किया गया है। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई भी की, व्यक्तियों से अभ्यावेदन एकत्र किए, जिनकी संख्या *195174* थी। प्रतिनिधित्वों में से, *193651* व्यक्ति मराठों को आरक्षण के पक्ष में थे जबकि *1523* लोग अलग प्रतिशत बनाकर मराठा समुदाय के आरक्षण के पक्ष में थे। आयोग ने साक्ष्य भी दर्ज किए, जो प्राप्त हुए

सरकारी विभागों और अन्य संगठनों, विश्वविद्यालयों से जानकारी और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित मानदंडों को निर्धारित करने के बाद, शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए *25* में से *8* अंक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए *7* अंक आवंटित किए गए हैं और अंकन प्रणाली का पालन करने के बाद यह माना गया है कि मराठा समुदाय ने *12.5* से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और यह संतुष्ट है कि यह सामाजिक, शैक्षिक और

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। *784* ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव ओ. बी. सी. को आरक्षण देने के पक्ष में थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लोक सेवाओं में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व है

यह उनकी जनसंख्या के बराबर नहीं है जो *30* प्रतिशत है। अतः वे अपने अनुसार अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग आरक्षण के हकदार थे।

जनसंख्या।

262. श्री पटवालिया ने आगे कहा कि आयोग की रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। यह न्यायालय आयोग द्वारा प्राप्त राय के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। वह प्रस्तुत करता है कि न्यायिक समीक्षा के मानदंड इंद्र में निर्धारित किए गए हैं।

साहनी का मामला। न्यायालय विशेषज्ञों की राय पर अपील में नहीं बैठेगा। गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट मराठा समुदाय के नमूना अध्ययन पर आधारित है। गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने राय बनाई कि मराठा *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और इसका हकदार है। उनके वैध दावे की मान्यता में एक अलग आरक्षण। मराठा समुदाय को पहले से मौजूद ओ. बी. सी. समुदाय में शामिल करने से, जिनके लिए *19* प्रतिशत आरक्षण की अनुमति है, ओ. बी. सी. पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, इसलिए अलग आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।

263. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, हमें ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के मापदंडों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

264. हम सबसे पहले एम. आर. बालाजी बनाम मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। मैसूर राज्य और अन्य, आकाशवाणी *(1963)*

एससी *649*। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को नागन गौड़ा समिति पर विचार करने का अवसर मिला, जिसने *1961* में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरक्षण के लिए एक सिफारिश की। रिपोर्ट के अनुसरण में, मैसूर राज्य ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल *68* प्रतिशत सीटों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए *15* प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए *3* प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए *50* प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लेते हुए एक आदेश जारी किया था। संविधान पीठ ने न्यायिक समीक्षा की सीमा को एक कार्यकारी कार्रवाई तक विस्तार से बताया। फैसले के पैराग्राफ *35* में, संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

संविधान द्वारा इसे प्रदान किया गया है, लेकिन उल्लंघन गुप्त या अव्यक्त है, उक्त कार्रवाई को प्रासंगिक संवैधानिक शक्ति के साथ धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया गया है। यह इस संबंध में है कि अदालतें अक्सर मामले के सार पर विचार करती हैं न कि इसके रूप पर और मामले के सार का पता लगाने में, उपस्थिति या लबादा, या कार्यकारी कार्रवाई के घूंघट की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

और यदि यह प्रतीत होता है कि कार्यकारी कार्रवाई के स्वरूप, आवरण या आवरण के बावजूद, सार में और वास्तव में संवैधानिक शक्ति का उल्लंघन किया गया है, तो आक्षेपित कार्रवाई को संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में निरस्त कर दिया जाता है। … ..... ”

264 (ए*)*। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जिस बात पर जोर दिया गया था वह यह है कि यह मामले का सार है जिसकी जांच की जानी चाहिए

और न कि इसके रूप, रूप, या लबादा, या कार्यकारी कार्रवाई के घूंघट की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। *265.* अगला निर्णय जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम यू. एस. वी. में इस न्यायालय का निर्णय।

बलराम आदि, *(1972) 1* एस. सी. सी. *660*। उपरोक्त मामला भी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आंध्र प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्गों के आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की गणना के साथ-साथ आरक्षण को भी अमान्य करार दिया। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपील दायर की। फैसले के पैराग्राफ *77* में चुनौती के आधारों पर ध्यान दिया गया था। निर्णय के पैराग्राफ *83*-ए में इस न्यायालय ने कहाः इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या रिपोर्ट में भरोसा की गई सामग्री इसके निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त या पर्याप्त नहीं है। पैराग्राफ *83*-ए में निम्नलिखित बातें दी गई हैं:

“ 83 - ए. ..... लेकिन, हमारी राय में, सवाल यह है कि क्या आयोग द्वारा एकत्र की गई और अपनी रिपोर्ट में संदर्भित सामग्री के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे सामग्री इसके निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त या पर्याप्त नहीं हैं कि सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में उल्लिखित व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं*?* .... इसलिए, हमारी राय में, उचित दृष्टिकोण यह देखना होना चाहिए कि क्या रिपोर्ट में संदर्भित प्रासंगिक डेटा और सामग्री है या नहीं।

आयोग अपने निष्कर्षों को उचित ठहराता है।

266. इस प्रकार, आयोग की रिपोर्ट की जांच के मापदंडों में से एक यह है कि क्या इसमें निर्दिष्ट आंकड़ों और सामग्रियों के आधार पर

यह रिपोर्ट कि क्या आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उचित हैं।

267. इंद्र साहनी में, संविधान पीठ द्वारा उत्तर देने के लिए बनाए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न संख्या *9* था, जो निम्नलिखित तथ्य के लिए है:

"9. क्या न्यायिक समीक्षा की सीमा इसके साथ सीमित है

पिछड़े वर्गों की पहचान और *[2021] 15* एस. सी. आर.

ऐसे वर्गों के लिए किए गए आरक्षण का प्रतिशत एक स्पष्ट रूप से विकृत पहचान या एक स्पष्ट रूप से अनुचित के लिए प्रतिशत? "

268. इंद्र साहनी के पैराग्राफ *842* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

नीचे:

" *842.* इस प्रश्न पर यह कहना पर्याप्त है कि उत्पन्न होने वाले मामलों में न्यायिक जांच का कोई विशेष या विशेष मानक नहीं है।
अनुच्छेद *16 (4)* के तहत या उस मामले के लिए, अनुच्छेद *15 (4)* के तहत। न्यायिक जांच की सीमा और दायरा विषय-वस्तु की प्रकृति, प्रभावित अधिकार की प्रकृति, चरित्र पर निर्भर करता है।

विषय हैं। ..... ' *269.* अनुच्छेद *798* में, यह संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था

इंद्र साहनी ने कहा कि आरक्षण देने के संबंध में बनाई गई राय पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे नहीं है। संविधान पीठ ने बेरियम केमिकल्स बनाम में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख किया। कंपनी लॉ बोर्ड, ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295*। उपरोक्त संबंध में अनुच्छेद *798* तैयार संदर्भ के लिए निकाला गया है:

" 798. ..... हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राय बनाई गई थी

यह पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे है। का दायरा और पहुँच

व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामलों में न्यायिक जांच

केमिकल्स वी. कंपनी लॉ बोर्ड *[1966* एस. सी. आर. *311:* एयर *1967* एस. सी. *295]* जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पर्याप्त है।

उल्लेख करें कि उक्त सिद्धांत एक के मामले में समान रूप से लागू होते हैं

अनुच्छेद *16 (4)* जैसे संवैधानिक प्रावधान जो स्पष्ट रूप से विशेष तथ्य *(*अपर्याप्त प्रतिनिधित्व*)* को व्यक्तिपरक के भीतर रखता है।

राज्य/कार्यपालिका का निर्णय "।

270. इंद्र साहनी ने न्यायपालिका के दायरे और पहुंच के लिए बेरियम केमिकल्स *(*उपरोक्त*)* में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है।

जाँच करें। हमें बेरियम केमिकल्स में वर्णित परीक्षण को संदर्भित करने की आवश्यकता है। बेरियम केमिकल्स में संविधान पीठ के पास इस अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर था "यदि केंद्र सरकार की राय में डी. आर. में हो रहा है।

कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *237* "। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राय का गठन व्यक्तिपरक है, लेकिन निष्कर्ष के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों का अस्तित्व स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि कार्रवाई के लिए कोई शर्त नहीं है। पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

27 :

"27. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि राय का गठन व्यक्तिपरक है, लेकिन अनुमान के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों का अस्तित्व है।
कार्रवाई के लिए क्या नहीं प्रदर्शन योग्य होना चाहिए। यदि कार्रवाई पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि धारा द्वारा विचार किए गए प्रकार के निष्कर्ष की ओर ले जाने वाली कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है, तो कार्रवाई तब तक हस्तक्षेप के संपर्क में आ सकती है जब तक कि परिस्थितियों का अस्तित्व न हो।

बनाया जाता है। जैसा कि मेरे भाई शेलत ने कड़वाहट से कहा है:
"यह कहना उचित नहीं है कि खंड ने सरकार को यह कहने की अनुमति दी है कि उसने उन परिस्थितियों पर राय बनाई है जो उसे लगता है कि मौजूद हैं।

चूँकि "परिस्थितियों" का अस्तित्व एक शर्त है

एक राय बनाने के लिए मौलिक, परिस्थितियों के अस्तित्व, यदि सवाल किया जाता है, तो कम से कम प्रथम दृष्टया साबित होना चाहिए।

271. न्यायमूर्ति शेलत जिनके साथ न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने पैराग्राफ *63* में सहमति व्यक्त की है:

"63 ..... इसलिए, शब्द, "विश्वास करने का कारण" या "की राय में" हमेशा इस निर्माण की ओर नहीं ले जाते हैं कि "विश्वास करने का कारण" या "राय" एक पूरी तरह से व्यक्तिपरक प्रक्रिया है जो खुद को अदालत द्वारा एक सीमित जांच के लिए भी उधार नहीं देती है कि ऐसा "विश्वास करने का कारण" या "राय" प्रासंगिक तथ्यों पर या सीमाओं के भीतर नहीं बनाई गई थी या जैसा कि लॉर्ड रेडक्लिफ और लॉर्ड रीड ने क़ानून के प्रतिबंधों को एक विकल्प के रूप में कहा था।

प्राकृतिक न्याय के नियमों की सुरक्षा जहां कार्य है
प्रशासनिक "।

272. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील, अपने कार्यकाल के दौरान

प्रस्तुतिकरण ने तर्क दिया है कि इंद्र साहनी ने अपने निर्णय में एक बहुत ही कमजोर परीक्षा पर भरोसा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक आरक्षण की कड़ी जांच की जानी चाहिए।

273. हम दो बातों पर भी ध्यान दे सकते हैं-बी. के. पवित्रा और अन्य बनाम में इस न्यायालय के न्यायाधीश पीठ का निर्णय। भारत संघ और अन्य, *(2019)*

16 एस. सी. सी. *129,* जहाँ इस न्यायालय ने पहले के फैसले *[2021] 15* एस. सी. आर. का उल्लेख करने के बाद किया था।

यह निर्धारित करते हुए कि समिति/आयोग ने डेटा एकत्र करने के लिए एक अभ्यास किया है, न्यायालय को रिकॉर्ड पर तथ्यात्मक सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

274. हम मुकेश कुमार और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, *(2020) 3* में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भी ध्यान दे सकते हैं।

एस. सी. सी. *1,* जिसमें हममें से एक न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने पीठ की ओर से बोलते हुए पैराग्राफ *13* में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 13. ..... न्यायालय को राज्य की राय का उचित सम्मान करना चाहिए, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बनाई गई राय पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे है। व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामलों में न्यायिक जांच का दायरा और पहुंच

बेरियम केमिकल्स में कार्यकारी का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

लिमिटेड वी. कंपनी लॉ बोर्ड *[*बेरियम केमिकल्स लिमिटेड *v.*

कंपनी लॉ बोर्ड, ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *295],* जिसकी आवश्यकता नहीं है

दोहराया "।

275. अनुच्छेद *15 (4)* या *16 (4)* के तहत किसी राज्य के कार्यकारी आदेश या विधायी उपायों द्वारा आरक्षण देना संवैधानिक है।

ऐसे उपाय जिन पर समानता के सिद्धांत को पूरा करने के लिए विचार किया जाता है। द.

इस प्रकार अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत किए गए उपायों की जांच की जा सकती है कि क्या वे किसी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, अनुरूप हैं। संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *16* के तहत अधिकारों के साथ। इस प्रकार, राज्य द्वारा कार्यकारी या विधायी रूप से किए गए उपायों की जांच को संवैधानिक जांच की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। यह सच है कि न्यायालय को आयोग या समिति की रिपोर्ट को सम्मान के साथ देखना पड़ता है, लेकिन इस हद तक जांच करनी होती है कि क्या किसी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है या किसी संवैधानिक आवश्यकता को नहीं लिया गया है।

विचार पूरी तरह से स्वीकार्य है। जैसा कि वी. बलराम मामले *(*उपरोक्त*)* में निर्धारित किया गया है, न्यायिक जांच की भी अनुमति है कि क्या सामग्री से

आयोग या समिति द्वारा एकत्र किया गया वह निष्कर्ष, जिस पर आयोग पहुंचा है, अनुज्ञेय और उचित है। हम न्यायालय द्वारा एकत्र किए गए तथ्यात्मक आंकड़ों और सामग्रियों के संबंध में न्यायालय की जांच की सीमा से अवगत हैं। हम डेटा एकत्र करने के तरीके और प्रक्रिया पर संदेह किए बिना आयोग द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों, सामग्रियों और डेटा के आधार पर रिपोर्ट की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

(12) क्या गायकवाड़ आयोग द्वारा सार्वजनिक रोजगार में मराठों के आंकड़ों से मराठा समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने के मामले सामने आते हैं*?*

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थितियाँ अनुच्छेद *16 (4)* में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य के अधीन सेवाएँ।

277. इंद्र साहनी में इस न्यायालय की संविधान पीठ

अनुच्छेद *16 (4)* के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद *16* का खंड *(4)* पैराग्राफ *807* में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व कीः -

पर्याप्त प्रतिनिधित्व को आनुपातिक नहीं माना जा सकता है।
प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है -

केवल संविधान के अनुच्छेद *330* और *332* में स्वीकार किया गया और वह भी एक सीमित अवधि के लिए। ये अनुच्छेद अनुसूचित जाति के पक्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की बात करते हैं।

जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ अपनी जनसंख्या के अनुपात में,

लेकिन वे केवल अस्थायी और विशेष प्रावधान हैं। इसलिए यह

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है।

यद्यपि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात

कुल जनसंख्या निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी।

278. अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* के पीछे का उद्देश्य समाज के उन पिछड़े वर्गों द्वारा शक्ति साझा करना है जिनके पास कोई अवसर नहीं था

अतीत में राज्य सेवाओं का हिस्सा बनना या राज्य की शक्ति को साझा करना। इंद्र साहनी ने *(*न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी द्वारा*)* निर्णय के पैराग्राफ *694* में उपरोक्त उद्देश्य का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" 694. उपरोक्त सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद *16* के खंड *(4)* के पीछे का उद्देश्य राज्य का बंटवारा था।

शक्ति। राज्य शक्ति जो लगभग विशेष रूप से थी

उच्च जातियों यानी कुछ समुदायों के एकाधिकार को अब व्यापक बनाने की कोशिश की गई थी। जिन पिछड़े समुदायों को तब तक सत्ता के उपकरणों से बाहर रखा गया था, उन्हें वहां शामिल करने की मांग की गई थी और चूंकि यह सामान्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। संक्षेप में, अनुच्छेद *16 (4)* के पीछे का उद्देश्य *[2021] 15* एस. सी. आर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वंचित पिछड़े समुदायों का सशक्तिकरण-देना

प्रशासनिक तंत्र और शासन में उनकी हिस्सेदारी

समुदाय से "।

279. राज्य, जब अनुच्छेद *16 (4)* के तहत कार्यकारी कार्रवाई या कानून द्वारा आरक्षण प्रदान करता है, तो पूर्ववर्ती शर्त यह है कि पिछड़े वर्ग

सेवा में वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसे पूरा करना होगा। द. संविधान पीठ ने *M.Nagaraj (सुप्रा)* में पैराग्राफ *102* में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

" 102 ..... यदि उपयुक्त सरकार कोई कानून बनाती है

अनुच्छेद के मानदंडों को ध्यान में रखे बिना आरक्षण के लिए

16 (4) और अनुच्छेद *335* तब यह न्यायालय निश्चित रूप से अलग कर देगा और

इस तरह के कानून को निरस्त कर दें।

280. आगे पैराग्राफ *107* में, *M.Nagaraj* निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

" 107 ..... जब तक अनुच्छेद *16 (4)* में उल्लिखित सीमाएँ हैं,

अर्थात्, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और दक्षता
प्रशासन को अनुच्छेद *16 (4-ए)* और *16 (4-बी)* में नियंत्रक कारकों के रूप में बनाए रखा गया है, हम संवैधानिक अयोग्यता को निम्न के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं -

ये सक्षम करने वाले प्रावधान। हालांकि, जब राज्य पहचान करने में विफल रहता है

न्यायालय को अलग-अलग मामलों की जांच करनी होती है और मामले में निर्णय लेना होता है। कानून के अनुसार। यह "निर्देशित शक्ति" का सिद्धांत है। हम.

एक बार फिर दोहराया जा सकता है कि समानता का हनन मात्र से नहीं होता है।

शक्ति प्रदान करना लेकिन मनमाना प्रयोग द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है

शक्ति प्रदान की गई "।

281. 'पर्याप्त' शब्द एक सापेक्ष शब्द है जिसका उपयोग इसके संबंध में किया जाता है

सार्वजनिक रोजगार में विभिन्न जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद *16 (4)* का उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग को भी मुख्य धारा में रखा जाना चाहिए और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई करके राज्य की शक्ति साझा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। जनसेवा का हिस्सा बनना, जैसा कि आज के समाज द्वारा स्वीकार किया गया है, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना और शासन में भूमिका निभाना है। द.

राज्य का शासन सेवा कर्मियों के माध्यम से होता है जो सरकारी नीतियों, इसके दायित्वों और कर्तव्यों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द.

अनुच्छेद डी. आर. के तहत आरक्षण देने के लिए अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

16 (4) पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता की पहचान करनी होगी

पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को अगड़े वर्गों सहित अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व के विपरीत होना चाहिए। यह सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्ग, अन्य जाति और समुदायों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बनाया गया एक सापेक्ष शब्द है। मराठा समुदाय कई जातियों और समुदायों में से केवल एक समुदाय है। महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख जाति और समुदायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति *(*बी, सी और डी*)*, विशेष पिछड़े वर्ग शामिल हैं।

और अन्य पिछड़े वर्ग, सामान्य श्रेणियाँ और अल्पसंख्यक।

282. इसमें बड़ी संख्या में जातियाँ और समुदाय शामिल हैं।

जातियों का उपरोक्त वर्ग। हम विभिन्न समूहों में शामिल जाति और समुदायों की संख्या का उल्लेख कर सकते हैं। कुछ विवरण रिकॉर्ड में हैं: अनुसूचित जाति *(59)*, अनुसूचित जनजाति *(47)* और अन्य पिछड़ा वर्ग *(328)*।

283. उपरोक्त विवरण से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र राज्य में *500* से अधिक जातियाँ और समुदाय हैं जो राज्य में रह रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं।

284. सार्वजनिक सेवाओं में एक विशेष वर्ग की अपर्याप्तता की पहचान करने के लिए, राज्य को एक संतुलन बनाना होगा, जिसका उद्देश्य सभी पिछड़े वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व देना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल हैं। राज्य ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकता जो संतुलन का उल्लंघन करता हो। 'अपर्याप्तता' अभिव्यक्ति को उपरोक्त तरीके से समझना होगा।

285. अब हम गायकवाड़ की रिपोर्ट को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं

आयोग, जिसने अध्याय *IX* में अलग से विस्तार से "राज्य के तहत सेवाओं में मराठों की अपर्याप्तता" विषय पर चर्चा की है।

286. आयोग ने रिपोर्ट के पैराग्राफ *214 (*बी*)* में कहा हैः -

*"214 (*बी*)*। सेवाओं में सभी आरक्षित वर्गों और मुक्त श्रेणियों की भर्ती की स्थिति के बारे में जानकारी

राज्य सरकार से राज्य के तहत मांग की गई है और

अन्य राज्य एजेंसियाँ "।

287. आयोग संविधान से अच्छी तरह वाकिफ था

पदों को आरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में जो पैराग्राफ *215* में जो कहा गया है उससे स्पष्ट है जो तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

"215. तीन संवैधानिक शर्तें निर्धारित की गई हैं -

किसी के पक्ष में पदों को आरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा संकलित
लोक सेवाओं में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग या

राज्य द्वारा नियंत्रित के रूप में भी गैर-परक्राम्य होने की पुष्टि की

समय-समय पर न्यायिक घोषणा इस प्रकार हैः -

यदि ऐसा पिछड़ा वर्ग पर्याप्त रूप से नहीं है

(i)

राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व।

कुल आरक्षण *50* प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख)

जब तक कि वहाँ असाधारण और सम्मोहक नहीं हैं
जिन परिस्थितियों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और

एक मात्रात्मक डेटा द्वारा उचित ठहराया गया।

इस तरह के आरक्षण के अनुरूप होना चाहिए

iii)

प्रशासन में दक्षता बनाए रखना "।

288. आयोग ने अनुच्छेद *214* से *219* तक ध्यान दिया है।

विभिन्न सेवाएँ। तालिका ए मराठों की ताकत से संबंधित है। राज्य में सरकारी/लोक सेवाएँ/पी. आर. आई. एस./यू. एल. बी. तालिका बी मराठों और अन्य वर्गों और समुदायों की संख्या से संबंधित है जिसमें खुले समुदाय भी शामिल हैं।

केंद्रीय सेवाओं जैसे आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. एफ. एस. और टेबल सी सौदों में श्रेणी

मंत्रालय संवर्ग में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद के साथ। तालिका ए और सी में ग्रेड-ए से लेकर ग्रेड-डी तक के विवरणों की गणना की गई है। हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इस मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं

राज्य और अन्य से प्राप्त आयोग द्वारा संकलित

स्रोतों। संकलित आंकड़े *01.08.2018* से संबंधित हैं। राज्य से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आयोग द्वारा संकलित तथ्यों और आंकड़ों पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं है।

289. तालिका ए रिपोर्ट के पैराग्राफ *219* का हिस्सा है। हमें प्रश्न की सराहना करने के लिए पूरी तालिका ए निकालने की आवश्यकता है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

तालिका एः सरकार/जनता में मराठों की ताकत

राज्य में सेवाएँ/पी. आर. आई./यू. एल. बी.

एन. एस. विज़ो ई ग्रेड *0* का

पद पद पद

पद पद पद

पोस्ट वाका पोस्ट पोस्ट

पद

सैंक्टियो

भरे हुए पवित्र स्थान भरे हुए

भरा हुआ

भरा हुआ भरा हुआ

नेड से लिए
गए पदों के रूप में पद

से से

से से

ओपन मराट एससीएस एसटीएस

सेवा

विमू खानाबदोश नोमा नोमा अन्य विशेष

पर

के. टी. ए. जनजाति डिक डिक बैकव *I*

01/08

श्रेणी वर्ग हा

सेस

जाति *(*एन. टी. जनजाति*)*

ओरी वर्ग

/ 18

से

(वी. जे. बी.*) (*एन. टी. *(*एन. टी. वर्ग आर. डी.*)*

(C) D) (OBC) वर्ग

से बाहर

ए*)*

(एसबीसी*)*

कैटेगो

पद

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ग्रेड *83532 49190 3434 42669 28048 9321 676 282 142 111 138 911 440 232*

11.16 % 5 2 2 6 3 (1.66 % (1 . 0 (5.27 %) 4 (2.78 %)

ई ए

2

(8.16 %) (3 . (1.7 %) (1 .

09 %)

38 %)

34 %)

2 ग्रेड 83425 59504 2392 44527 31193 9057 9038 3980 (4.7 1976 1693 (2.0,2235,151,637 1500 1.8 (10.86 (10.83 7%) (2.37 3%) (2.68 3 (1.81% 6 (7.64%) 0%)

ई बी

1

%)

%) %)

%)

3 ग्रेड 952410 78340 1690। 448575। 41338। 15322 97215 66155 23145 20136

25967 174 100 196 197

ई सी

1 4 (10.21 (6.95 %) | (2.43 (2.11 %) (2.73 77 (10.52 %) 85

7 03

(2.07 %)

%) 1 .

(16.09 %)

%)

84 %)

%)

5588 (1.8 6248 34

4 ग्रेड 301385 19957। 1018 137299 99592 36387 30369 17282 5671

24999 5342

(12.07 (10.08 (5.73 %) | (1.88 5 %) (2. 79

(8.29 %) [2 .

ई डी

%) %)

%)

07 %) (1 .

10 %)

15 %)

कुल *142075 10916 3290 673070 57221*

20798 14338 90239

32214 28533

35833 23380 135971 29

डी*01*

2

71 81

Ave 14.64 10.09 6.35

2.27 2.01

2.52 1.65 9.57

2.10

%

290. 01.08.2018 पर भरे गए पदों से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े,

इसमें खुली श्रेणी से भरे गए पद, खुली श्रेणी के पदों से मराठा वर्गों से भरे गए पद, अनुसूचित जातियों से भरे गए पद, अनुसूचित जनजातियों से भरे गए पद, विमुक्त जाति *(*वीजेए*)* से भरे गए पद, खानाबदोश जनजातियों से भरे गए पद शामिल हैं। एनटी-बी, खानाबदोश जनजाति एनटी-सी, एनटी-डी से भरे गए पद और पिछड़े वर्गों *(*ओ. बी. सी.*)* से भरे गए पद और विशेष पिछड़े वर्गों *(*एस. बी. सी.*)* से भरे गए पद। उपरोक्त आंकड़े सार्वजनिक सेवाओं में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को सही ढंग से दर्शाते हैं।

291. अब, हम मराठों के प्रतिनिधित्व को श्रेणीवार रूप में लेते हैं

तालिका ए द्वारा प्रतिबिंबित।

ग्रेड-ए

292. भरे गए पद *49,190* हैं जिनमें से खुली श्रेणी के पद हैं -

28,048 और मराठा वर्गों से भरे गए पद *9,321* हैं। मराठा समुदाय स्पष्ट रूप से खुली श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसने खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में पद प्राप्त किया है। चार्ट में प्रत्येक वर्ग के नीचे मराठा वर्ग से भरे गए पदों के कॉलम के मुकाबले प्रतिशत *11.16%* का भी उल्लेख किया गया है। इसी तरह, अन्य सभी वर्गों के मुकाबले अलग-अलग प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। जब हम रिक्त श्रेणी के लिए भरे गए पदों की कुल संख्या लेते हैं, तो यह *[2021] 15* एस. सी. आर. होता है।

28, 048 के रूप में उल्लिखित है जिनमें से *9,321* मराठा हैं। जब हम मराठा प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की गणना करते हैं

खुला श्रेणी भरा हुआ पद, प्रतिशत *33.23* प्रतिशत पर आता है। इस प्रकार, खुली श्रेणी के पद से मराठा का सही प्रतिशत *33.23* प्रतिशत है जो इंगित करता है कि खुली श्रेणी के पद का *33* प्रतिशत से अधिक मराठा द्वारा प्राप्त किया गया है। जबकि महाराष्ट्र में

खुली श्रेणी के लिए उपलब्ध है। मुक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध *48* प्रतिशत पदों में से मराठों ने *33.23* प्रतिशत प्राप्त किया है। आयोग द्वारा मराठा वर्ग से नीचे यानी *11.86%* में दिया गया प्रतिशत स्पष्ट रूप से गलत और गलत है। मराठा जो खुली श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं *52* प्रतिशत की आरक्षित श्रेणी में किसी भी पद का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार, प्रतिनिधित्व की गणना खुली श्रेणी की सीटों में की जानी चाहिए। इसी तरह, ग्रेड बी, सी और डी में मराठों के प्रतिशत की गणना करते समय, आयोग द्वारा इसी तरह की गलतियाँ की गई हैं। ग्रेड-बी में, खुली श्रेणी से भरे गए कुल पद *31193* थे, जिनमें से मराठा *9057* थे, जिनका प्रतिशत *29.03* प्रतिशत है। ग्रेड-सी में, खुली श्रेणी से भरे गए कुल पद *4,13,381* थे, जिनमें से मराठा *1,53,224* थे, जिनका प्रतिशत *37.06* प्रतिशत है और ग्रेड-डी के लिए, खुली श्रेणी से भरे गए कुल पद *99592* थे, जिनमें से मराठा *36387* थे, जिनका प्रतिशत *36.53* प्रतिशत है।

293. भरी गई खुली श्रेणी की सीटों का एक तुलनात्मक चार्ट,

मराठा समुदाय के पदों की संख्या और पदों में प्रतिशत इस प्रकार हैः -

मराठाओं के प्रतिशत से भरी गई खुली श्रेणी की संख्या

ग्रेड

भरे हुए पद

मराठा वर्ग

श्रेणी पोस्ट खोलें।

9321

33.23 %

ग्रेड ए

28048

31193

9057

29.03 %

ग्रेड बी

413381

153224

37.06 %

ग्रेड सी

36.53 %

ग्रेड डी

99592

36387

294. सार्वजनिक सेवाओं में मराठों का उपरोक्त प्रतिनिधित्व

ग्रेड-ए, बी, सी और डी पर्याप्त और संतोषजनक हैं। सार्वजनिक सेवाओं में इतनी संख्या में पद प्राप्त करना समुदाय के लिए गर्व की बात है और किसी भी तरह से सार्वजनिक सेवाओं में इसके प्रतिनिधित्व को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। संवैधानिक पूर्व शर्त है कि डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पूरा नहीं किया जाता है। राज्य सरकार ने गायकवाड़ आयोग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर राय बनाई है। राज्य सरकार की राय रिपोर्ट पर आधारित होने के कारण, मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए संवैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करना अस्थिर हो जाता है।

295. अब हम पैराग्राफ में दी गई तालिका बी और सी पर भी गौर करते हैं।

220 और *224* इस प्रकार हैं:

तालिका बी

पद वी स्वीकृत पद

मराठा पोस्ट

पद पद पद

पोस्ट पोस्ट

पद भरे हुए पद

एस कुल

टी.

दूसरे से

0

ए भरें

अधिकारीगण

ई.

भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ पीछे भरा हुआ टी

पद

भरा हुआ।

आर स्वीकृत

कब्जा कर लिया

वर्ग *(*ओ. बी. सी.*)*

ए.

वी.

एल से

से से से से

आई पोस्ट करता है

डी से

से

पद

खोलें।

खोलें।

अनुसूचित जाति एसटीएस विमुक्त नोआमदिक कोई जनजाति नहीं

विशेष

मदिक।

एस.

पी.

जनजाति

पीछे की ओर

(एन. टी

0 श्रेणी श्रेणी

जाति

जनजाति डी*)*

9 ओरी

(वी. जे. *(*एन. टी. सी.*)*

वर्ग

(एसबीसी*)*

ए*)* बी*))*

3

2 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

आई. ए. एस. आई. ए. एस. आई. एफ. एस. *361 309 52 186*

36

7

54

3

0

148

15

161

25

2

(6.93 %)

(0.55 %)

(9.97 %) (4.16 %) | (1.66)

(0.83 %) | | (1.94 %) | (14.96 %)

1

145 11 179

140

2

39

54

0

0

2

34

आई *256*

12

144

पी.

(13.28 %) | (4.69 %) | (0.78 %) | (0.39 %)

(0.78 %) (21.09 %)

(15 .

23 %)

1

38

आई *203*

156 47 97

89

16

20

6

2

0

0

0

83

(7.88 %) (9 . (2.96 %) (0.99 %) (0.49 %) (18.72 %

85 %)

तालिका सीः मंत्रालय संवर्ग

एस ग्रेड स्वीकृत रिक्त पद

पद पद

पद पद पद पद पद पद पद पद

पद पद

भरे हुए रिक्त पदों का आर भरा हुआ

भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ

भरा हुआ

इन फॉर ओपन फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम के रूप में

से से

सेवारत

एससीएस एसटीएस

खानाबदोश खानाबदोश अन्य विशेष

श्रेणी ऑप

पर

हैं।

एन ज़ो

जनजाति पिछड़े पिछड़े

1 / 8 /

मराठा

विम

एन

श्रेणी वर्ग

उक्ता जनजाति *(एन. (एन. वर्ग) (0 वर्ग)*

2018

(एन. टी. टी. बी. सी. *(एस. बी. सी.)*

से

.

से बाहर

जाति टी। *(ग) (घ)*

खोलें।

(वी. बी*)*

श्रेणी

जे.

ए)

पद

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2

1 ग्रेड *585 465 120 170 248 93 62 27 15 10*

(15 . (10 . (4. (2 . 1. 71 % 2.22 % 1.71 % (10

ए.

90 60 62 56

. 60

%) %) %)

% } 2 ग्रेड *2410 1793 617 390 793 415 279 96 43 48 69 54 326*

बी.

(17 . (11 . (3. (1. (1 . (2 . (2 . (13 . 22 58 98 %) 78 %) 99 86 24 53 %) % }

%) %) %) % } 3 ग्रेड *2755 1679 1076 739 808 421 273 104 38 52 41 266 (15. (9 . (3. (1. (1 . (* एल. *(1. (9 .*

सी.

28 9 %) 77 %) 38 %) 38 89 49 66 %) %) %) %) 4 ग्रेड *1136 845 291 359 333 185 229 66 25 26 21 9 100 (16)। (20. (5. (2. (2 . (1 . (0 . (8 .*

डी.

29 %) 16 %) 81 %) 20 %) 29 85 79 80

%)

%) % }

कुल *6886 4782 2104 1658 2182 1114 843 293 121 122*

155 114 754

कुल*% 16.18 12.24 1.26 1.76 1.77 2.25 1.66 10.95 [2021] 15* एस. सी. आर.

296. तालिका बी में खुले से भरे गए पदों सहित सभी विवरण शामिल हैं।

श्रेणी, मराठा अधिकारियों से भरे गए पद। भरी गई खुली श्रेणी में आई. ए. एस. का पद लेने वाले *161* हैं। मराठा आई. ए. एस. अधिकारी *25* हैं, जिनका प्रतिशत *15.52* प्रतिशत है। इसी तरह, आई. पी. एस. में भरे गए *140* पदों में से मराठा *39* हैं, जिनका प्रतिशत *27.85* प्रतिशत है और इसी तरह, आई. एफ. एस. में *89* में से *16* मराठा थे, जिनका प्रतिशत *17.97* प्रतिशत है।

297. प्रत्येक कॉलम में उल्लिखित प्रतिशत के संबंध में, त्रुटि

आयोग द्वारा कम प्रतिशत को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है

जो गलत और गलत है। निम्नलिखित खुली श्रेणी में भरे गए पदों का एक सारणीबद्ध चार्ट है, मराठा द्वारा भरे गए पद और प्रतिशत इस प्रकार है:

सेवाएँ

मराठाओं के प्रतिशत से भरी गई खुली श्रेणी की संख्या

भरे हुए पद

मराठा वर्ग

श्रेणी पोस्ट खोलें।

आईएएस

161

25

15.52 %

27.85 %

140

39

आईपीएस

17.97 %

आई. एफ. एस

89

16

298. अब हम टेबल सी यानी मंत्रालय संवर्ग पर आते हैं। तालिका सी

इसमें खुली श्रेणी और पदों से भरे गए पदों का विवरण भी शामिल है। ग्रेड-ए, बी, सी और डी में मराठा श्रेणी से भरे गए। उदाहरण के लिए, ओपन श्रेणी से भरे गए ग्रेड-ए के *248* पद हैं, जिनमें से मराठा *93* हैं, जिसका प्रतिशत *37.5* प्रतिशत है।

299. इसी तरह, ग्रेड-बी में, खुली श्रेणी से भरे गए पद हैं:

793 जिनमें से *415* मराठा हैं, जिनका प्रतिशत *52.33* है।

प्रतिशत।

300. ग्रेड-सी के लिए, खुली श्रेणी से भरे गए *808* पद हैं।

जो मराठा *421* हैं, जिनका प्रतिशत *52.10* प्रतिशत है।

301. ग्रेड-डी के लिए, खुली श्रेणी से भरे गए *333* पद हैं।

जिनमें से *185* मराठा हैं, जिनका प्रतिशत *55.55* प्रतिशत है।

302. खुली श्रेणी में भरे गए पदों के लिए सारणीबद्ध चार्ट, भरे गए पद

मराठों द्वारा और प्रतिशत इस प्रकार है:

मराठों का प्रतिशत

खुली श्रेणी की संख्या भरे गए पदों की संख्या

ग्रेड

भरे हुए पद

मराठा वर्ग से

श्रेणी पोस्ट खोलें।

37.5 %

ए.

248

93

415

बी.

793

52.33 %

52.1 %

808

421

सी.

185

55.55 %

333

डी. आर. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाता है। आयोग ने हालांकि सभी कॉलम में सभी आंकड़ों को सही ढंग से नोट किया, लेकिन खुली श्रेणी के साथ-साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध पदों को जोड़ने के प्रतिशत की गणना करने में त्रुटि की। मराठा आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आरक्षित श्रेणी के पदों सहित उनके प्रतिनिधित्व की गणना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मराठों का प्रतिनिधित्व खुली श्रेणी के पदों के खिलाफ होना चाहिए, इसलिए, कुल खुली श्रेणी से भरे पदों की तुलना में उनका प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए, और अधिकांश क्षेत्रों में मराठों का प्रतिनिधित्व। ग्रेड *30* प्रतिशत से ऊपर है। यह आयोग द्वारा प्रतिशत की गणना करने में की गई मूल त्रुटि है जिसके कारण यह सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त पाते हुए त्रुटि में गिर गया।

304. एक और बुनियादी त्रुटि है जो

आयोग द्वारा प्रतिबद्ध। अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान की पूर्व शर्त यह है कि पिछड़े वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आयोग ने इस गलत धारणा के तहत काम किया कि जब तक मराठा समुदाय नहीं है इसके अनुपात के बराबर प्रतिनिधित्व किया जाता है, यह पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। हम देख सकते हैं कि आयोग ने सूचना के विश्लेषण से अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए अनुच्छेद *219* में क्या कहा है।

तालिका ए, बी, सी और डी में निहित अनुच्छेद *219 (*सी*)* में, आयोग कहते हैं: -

*"219 (*सी*)*। उपरोक्त जानकारी से जो स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि चार श्रेणियों में से किसी में भी ताकत नहीं है।

मराठा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या राज्य में उनकी आबादी के अनुपात को छू रही है जो विभिन्न स्रोतों पर आधारित है

अनुमानतः *30* प्रतिशत। तो भी, उनकी उपस्थिति में

प्रशासन "सी" और "डी" के निचले ग्रेड पर अधिक है और "ए" और "बी" ग्रेड में राज्य प्रशासन के निर्णय लेने के स्तरों में तुलनात्मक रूप से कम अस्तित्व और भूमिका है।

305. इंद्र साहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा जो आवश्यक है वह नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व लेकिन पर्याप्त प्रतिनिधित्व। इस प्रकार आयोग राज्य सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर अनुच्छेद *16 (4)* के तहत पात्रता की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है जो आयोग द्वारा की गई एक मौलिक त्रुटि है।

306. सरकार ने स्वीकार करने में गलती की

सेवाओं में मराठों के प्रतिनिधित्व के सही प्रतिशत के संबंध में रिपोर्ट की जांच किए बिना सिफारिश। संवैधानिक मराठा वर्ग के संबंध में अनुच्छेद *16 (4)* द्वारा अनिवार्य पूर्व शर्त को पूरा नहीं किया जाना, गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और

परिणामी कानून टिकाऊ नहीं हैं। हम इस प्रकार मानते हैं कि मराठा वर्ग अनुच्छेद *16 (4)* के तहत किसी भी आरक्षण का हकदार नहीं था और अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(13) मराठों का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन
समुदाय

307. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि तीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और तीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

मराठा समुदाय के अन्य पिछड़े समुदाय में शामिल होने के दावे पर विचार किया गया, लेकिन सभी आयोगों ने इस तरह के दावे को खारिज कर दिया, बल्कि उन्हें अग्रगामी समुदाय से संबंधित माना गया। *30.03.1955* पर पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अर्थात काका कालेलकर

आयोग ने मराठा आयोग को पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल नहीं किया। आयोग ने कहाः

"महाराष्ट्र में ब्राह्मण के अलावा मराठा ही गाँवों में शासक समुदाय होने का दावा करते हैं और प्रभु

जो अन्य सभी समुदायों पर हावी था।

308. दूसरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अर्थात मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय को अग्रगामी हिंदू समुदाय के रूप में शामिल किया। वर्ष *2000* में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय के अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल होने के दावे की विस्तार से जांच की। पूरे आयोग ने मराठा समुदाय के दावे का

प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों सहित मराठों के दावे को सुना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि मराठा समुदाय एक समाज के उन्नत समुदाय और इसे अपनी अलग इकाई के तहत कुंबी के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। हम आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ *18,19* और *22* को निकाल सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"*18.* शासक वर्गों के साथ इस तरह के मूल और घनिष्ठ संबंध का इतिहास रखने वाला एक समुदाय, एक समुदाय, जिसके कई सदस्यों ने अपनी स्थापना से ही महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों और शक्ति और प्रभाव के पदों का आनंद लिया और अंततः शासक बने।

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

और यह नहीं माना जा सकता कि विभिन्न स्तरों पर शासक वर्गों के सदस्यों को किसी भी तरह से कोई सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है। पीठ इस बात से अवगत है कि जिस वर्ग को शासक वर्ग/जाति के रूप में पहचाना जाता है, उसका प्रत्येक सदस्य शासन नहीं करता है, बल्कि यह तथ्य है कि जो शासन करते हैं एक अलग जाति समुदाय से आने वाले लोग एक ही जाति/समुदाय के लोगों को भी एक निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सत्तारूढ़ कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं और

राज्य में इतने सारे मुख्यमंत्री और महत्वपूर्ण मंत्री होने के बावजूद, जिनमें से कुछ केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्री भी बने, उनमें से कोई भी मराठों को बी. सी. की सूची में शामिल करने के लिए प्रेरित या प्रेरित नहीं हुआ, यह न केवल इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि मराठा पिछड़े वर्ग नहीं हैं, बल्कि इन मुख्यमंत्रियों के विवेक और निष्पक्षता का भी प्रमाण है। अपने दावे के समर्थन में समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया एकमात्र आधार राज्य के कुछ क्षेत्रों में कुनबी जाति के कुछ सदस्यों द्वारा मराठा नाम के कथित उपयोग और कुनबी से मराठों की उत्पत्ति के तथ्य को बी. सी. की सूची में शामिल करने के लिए। पीठ का विचार है कि चूंकि, निस्संदेह, एक अलग वर्ग/समुदाय है जिसे "मराठा" कहा जाता है और चूंकि यह स्पष्ट रूप से समाज और राजनीति में एक उन्नत समुदाय है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसलिए इसे पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। पीठ समुदाय के प्रतिनिधियों के इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकती कि कई जाने-माने मराठा नेताओं के पास *[2021] 15* एस. सी. आर. हैं।

यह विश्वास करना कि किसी भी ज्ञात मराठा नेता ने इस तरह के प्रमाण पत्र की मांग की होगी, और न ही जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत प्रस्तुत किया है। लेकिन भले ही, तर्क के लिए, दावा या तर्क यह साबित नहीं करता है कि मराठा कुंबी के समान या कुंबी के पर्यायवाची हैं। समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को दरकिनार करते हुए, पीठ इस बात से अवगत है कि विभिन्न गैर-पिछड़ी जातियों से संबंधित कुछ अदूरदर्शी व्यक्ति दुर्भाग्य से नकली जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का सहारा लेते हैं और भारत की प्रशासनिक प्रणाली के प्रसिद्ध गुणों के संदर्भ में, ऐसे तत्व दुर्लभ नहीं हैं जो इस

तरह के अनुरोधों को स्वीकार करते हैं और
जानबूझकर झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करें। यह खतरा, भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों की तरह, अधिक से अधिक खतरनाक हो गया है। कुछ सलाहों में आयोग ने सलाह दी है कि

वे समाज में होते हैं।
22. उपरोक्त तथ्यों और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने पाया कि मराठा एक सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रूप से उन्नत और प्रतिष्ठित समुदाय है और इसलिए कुंभी के साथ महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में "मराठा" को शामिल करने के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में

"मराठा "महाराष्ट्र के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल होने के योग्य नहीं है या तो" कुंभी "के साथ संयुक्त रूप से या एक के तहत।

इसकी अपनी अलग इकाई है "।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा नियुक्त समिति ने मराठा समुदाय को पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल नहीं किया। वर्ष *2001* में, खत्री आयोग ने मराठाओं की पिछड़े वर्ग के समुदायों में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। आई. डी. *1* पर, बापट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों में बहुमत से शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। *310.* बापट आयोग की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में राणे समिति नियुक्त की थी।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

डेटा एकत्र किया और देखा कि मराठा सामाजिक रूप से नहीं हो सकते हैं और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े लेकिन आरक्षण देने की सिफारिश की गई शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। राष्ट्रीय आयोग

या राज्य आयोग, जब यह किसी विशेष समुदाय के दावे की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि उसे अन्य लोगों की सूची से शामिल या बाहर रखा गया है। पिछड़े वर्ग, यह समकालीन आंकड़ों और तथ्यों पर गौर करने के लिए है। राज्य किसी विशेष समुदाय की स्थिति के बारे में खुद को सूचित करने के लिए नियुक्त करता है

आयोग या समितियाँ अनुच्छेद *15* और *16* के संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सकारात्मक उपाय करेंगी। प्रासंगिक समुदाय की डेटा स्थिति है जो जांच के समय मौजूद है और

रिपोर्ट करें।

311. राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ, *(2015) 4* एस. सी. सी. *697* के मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ *49* में स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* के तहत कई लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय समकालीन इनपुट पर लिया जाना चाहिए। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

49 :

" 49. ..... वर्तमान मामले में शामिल एक गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय जो अनुच्छेद *14* के तहत कई लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
और संविधान के *16* को समकालीन सूचनाओं के आधार पर लिया जाना चाहिए न कि पुराने और पुराने आंकड़ों के आधार पर। में।

वास्तव में, अधिनियम की धारा *11* के तहत केंद्रीय सूचियों के संशोधन पर हर दस साल में विचार किया जाता है। उक्त प्रावधान आगे प्रकाश डालता है।

समकालीन डेटा की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर

निर्णय लेने की प्रक्रिया।

312. हम इस न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। समिति या आयोग का कोई भी अध्ययन वर्तमान स्थिति के संबंध में है।

विशेष समुदाय की सहायता के लिए वर्तमान या भविष्य में सकारात्मक कार्रवाई करना है। वर्ष *1955,1980* और *2000* में ऊपर उल्लिखित तीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टें संबंधित थीं।

समुदाय की स्थिति जो सुसंगत समय पर पाई गई थी। इसी तरह, वर्ष *1961,2001* और *2008* में तीन राज्य समितियाँ/आयोग भी संबंधित समय पर मराठों की स्थिति की रिपोर्ट कर रहे थे जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। गायकवाड़ के संदर्भ की अवधि

आयोग को इस बात की जांच नहीं करनी थी कि क्या पहले की रिपोर्ट

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राज्य की समिति/आयोगों ने पहले मराठों को ओ. बी. सी. में शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी, जो सही था या नहीं। संदर्भ की शर्तें जो रिपोर्ट *[2021] 15* एस. सी. आर. का एक हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड *(1)* और खंड *(3)* स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि आयोग को समकालीन डेटा एकत्र करना था। राज्य द्वारा एकत्र किए गए मात्रात्मक डेटा जो रिपोर्ट में संदर्भित किए गए हैं, वे *2014* के बाद की अवधि के डेटा थे। आयोग की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को कि वह पहले की रिपोर्टों से सहमत नहीं है, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

313. हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष जाति है, प्रासंगिक डेटा एकत्र करना राज्य के लिए हमेशा खुला है।

वर्ग, गायकवाड़ आयोग को यह परीक्षण लागू करना चाहिए था कि "इसके बाद क्या हुआ कि अब मराठा समुदाय को होना है ओ. बी. सी. में शामिल "। आयोग ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है -

बात है। आयोग को तुलनात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए था कि हाल के वर्षों में क्या हुआ कि मराठा अग्रगामी वर्ग से पिछड़े हो गए हैं। इस संदर्भ में, हम भी कर सकते हैं

कई राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े समुदायों में शामिल। राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की कि जाट राजनीतिक रूप से प्रबल हैं वर्ग और ओ. बी. सी. में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। संघ ने उक्त रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए केंद्रीय सूची में विभिन्न राज्यों में जाट को ओ. बी. सी. के रूप में शामिल करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। इसे इस अदालत में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती थी और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने माना कि जाट समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग है जिसे अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। पैराग्राफ *55* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

" 55. नागरिकों के एक स्व-घोषित सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की धारणा या यहां तक कि "उन्नत वर्गों" की धारणा।

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए विकसित गणितीय सूत्रों के आधार पर निर्धारण। पिछड़ेपन का निर्धारण भी सापेक्ष होना बंद होना चाहिएः संभावित गलत समावेशन आगे के समावेशन का आधार नहीं हो सकते हैं।
लेकिन द्वार केवल सबसे अधिक व्यथित लोगों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए खोले जाएंगे। कोई भी अन्य समावेशन राज्य के संवैधानिक कर्तव्य का गंभीर त्याग होगा। उपरोक्त मानकों को देखते हुए हमें यह मानना चाहिए कि राजनीतिक रूप से संगठित वर्गों *(*जैसे जाट*)* को मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, यदि केवल इस आधार पर नहीं, कि समान मानकों पर अन्य समूह जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें इस तरह से शामिल किया जा सकता है।

315. हम पहले ही देख चुके हैं कि *2014* के अधिनियम के बाद, *2014* के अधिनियम को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके द्वारा मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया था और इसके लिए अलग आरक्षण प्रदान किया गया था। *2014* का अध्यादेश *XIII* उस प्रभाव के लिए जारी किया गया था; अध्यादेश और मराठा को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना और *2014* की रिट याचिका *No.2053* में *14.11.2014* पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उसने अध्यादेश पर रोक लगाने और मराठा समुदाय को अलग आरक्षण देने पर रोक लगाने के लिए अदालत के समक्ष रखे गए विभिन्न तथ्यों को निर्धारित किया। हम उच्च न्यायालय के दिनांकित *14.11.2014* आदेश के पैराग्राफ *40 (e)* का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 40. मराठों के लिए शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में उनके वर्गीकरण पर *16* प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में, उनकी निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैः

(ई) याचिकाकर्ता ने *2014* की जनहित याचिका संख्या *140* में डॉ. सुहास पलशिकर द्वारा "महाराष्ट्र की राजनीतिः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजनीतिक प्रक्रिया का स्थानीय संदर्भः ", संपादकः सुहास पलशिकर और नितिन बिरमल, प्रतिमा प्रकाशन, *2007* जो सुझाव देते हैं कि
(I) 1962 से *2004* तक *2430* विधायकों में से *1336* विधायक

55 प्रतिशत मराठा थे।

((ii) राज्य में लगभग *54* प्रतिशत शैक्षणिक संस्थान हैं -

मराठों द्वारा नियंत्रित।
((iii) प्रबंधन में *60* से *75* प्रतिशत व्यक्तियों के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में मराठा समुदाय के सदस्यों का वर्चस्व है।

(iv) 105 चीनी कारखानों में से लगभग *86* पर मराठों का नियंत्रण है। लगभग *23* जिला सहकारी बैंकों में मराठा हैं।

उनके अध्यक्ष।

(v) राज्य में लगभग *71.4%* सहकारी संस्थान हैं -

मराठा समुदाय के नियंत्रण में।

(vi) राज्य में लगभग *75* से *90* प्रतिशत भूमि मराठों के स्वामित्व में है।

उपरोक्त में से किसी पर भी किसी भी शपथ पत्र में या सुनवाई में प्रत्यर्थियों द्वारा या उनकी ओर से विवाद नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ता ने सुनवाई में यह भी कहा कि *1* नवंबर *1956* को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद से *17* मुख्यमंत्रियों में से *12* मराठा रहे हैं। अंतिम गैर-मराठा मुख्यमंत्री जनवरी *2003* से अक्टूबर *2004* की अवधि के दौरान थे। यह बयान भी विवादित नहीं था।

316. उपर्युक्त तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं थे, और इस न्यायालय के समक्ष भी पक्षों की दलीलों में उपरोक्त तथ्यों को दोहराया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि वे तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मराठा सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। आयोग ने

अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विवाद नहीं है कि मराठा राजनीतिक रूप से प्रमुख वर्ग है। इस संदर्भ में, रिपोर्ट से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया हैः

" राजनीतिक प्रभुत्व सामाजिक निर्धारण के लिए आधार नहीं हो सकता है

और किसी भी समुदाय का शैक्षिक पिछड़ेपन।

317. हम पहले ही देख चुके हैं कि मराठा समुदाय के पास पर्याप्त धन है।

और लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। हमने डॉ. को भी नोट किया है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

सार्वजनिक सेवाओं में मराठों का प्रतिनिधित्व सभी श्रेणियों यानी समूह ए, समूह बी, समूह सी और समूह डी पदों में मौजूद है और मराठों ने खुली श्रेणियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके पदों पर कब्जा कर लिया है। द.

अनुच्छेद *16 (4)* के तहत निश्चित रूप से विचार के लिए प्रासंगिक है जो पिछड़े वर्ग या वर्गों पर ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष और विपक्ष दोनों में प्रतिबिंबित होता है। हमने देखा है कि आयोग ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है और अनुदान के लिए सिफारिश की है अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण। हमने मराठा समुदाय को अनुच्छेद *16 (4)* के तहत आरक्षण देने को अस्वीकार कर दिया है, उक्त निर्णय प्रासंगिक हो जाता है और निश्चित रूप से मराठा को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आयोग के निर्णय पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय का पर्याप्त और पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं।

318. आयोग ने अध्याय में चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में

VIII ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य विषयों में पढ़ने वाले मराठा समुदाय के छात्रों के डेटा सहित विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण किया है। पैराग्राफ *178* में आयोग ने दर्ज किया है कि उसने मराठाओं के शैक्षणिक जीवन में लगे रहने और आगे बढ़ने के संबंध में जानकारी प्राप्त की है, जो उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी की गहराई पर भी प्रकाश डालेगी। पैराग्राफ *178,1 (*बी*)* में आयोग ने तकनीकी निदेशालय से प्राप्त इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों *(2014-15,2015-16,2016-17)* के लिए एक तालिका निकाली है।

राज्य सरकार की शिक्षा। खुली श्रेणी की सीटों में से

167168 मराठों के डिप्लोमा ने *34,248* सीटों में प्रवेश प्राप्त किया और *221127* में से स्नातक में *32045* प्रवेश प्राप्त कर सके, *63795* में से स्नातकोत्तर के तहत वे *12666* में प्रवेश प्राप्त कर सके। इसी तरह तीन वर्षों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बारे में विवरण दिया गया है। वर्ष में *4720* में से एमबीबीएस में *2015-16* मराठों ने *14360* में से *428* सीटें जीतीं, अन्य धाराओं में उन्होंने *2620* सीटें जीतीं, उपरोक्त संदर्भ तालिका नीचे दी गई है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुल सेवन

मराठों

प्रतिशत

टिप्पणियां

शैक्षणिक वर्ष

एमबीबीएस-*428*

9.1 %

2015-16

एमबीबीएस-*4720*

दूसरे ने

18.2 %

अन्य-*14360*

अन्य-*2620*

पाठ्यक्रम

19080

3048

16 %

कुल

शामिल करें

एमबीबीएस-*270*

5.2 %

2016-17

एमबीबीएस-*5170*

दंत चिकित्सा आयुष

अन्य-*14098*

अन्य-*1059*

7.5 %

(आयुर्वेद

कुल

यूनानी सिद्ध

19268

1329

6.9 %

होम्योपैथी और

2017-18

एमबीबीएस-*5170*

एमबीबीएस-*293*

5.7 %

नर्सिंग*)*

6.7 %

अन्य-*15303*

अन्य-*1019*

कुल

1312

6.4 %

20473

319. इसी तरह, आयोग ने चिकित्सा पदों का विवरण दिया है

पैरा-*178-1 (c) (c-ii)* में स्नातक पाठ्यक्रम जो अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर पदों के संबंध में निम्नलिखित इंगित करता है, जिसका विवरण पैरा *178-1 (d)* में दिया गया है जो इंगित करता हैः

अकादमिक कुल

डीटी/वीजे/एसबी

एसटी

ओपन मराठा एससी

ओ. बी. सी

सीएस

वर्ष

दाखिले

14-15

467994 29371

681967

15-16

730180

504184 28725

16-17

790674

557394 27597

1529572 85693

2202821

कुल

(69.5 %) (3.89 %)

(7.30 %) (2.14 %) (14.68 %) (2.55 %)

320. उपरोक्त तथ्य और आंकड़े जो प्राप्त किए गए थे

आयोग स्वयं इंगित करता है कि मराठा समुदाय के छात्रों ने

वे खुली प्रतियोगिता में सफल हुए और इंजीनियरिंग, चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित सभी धाराओं में प्रवेश प्राप्त किया और उनका प्रतिशत नगण्य नहीं है। मराठा के खिलाफ आयोग द्वारा प्रतिशत की गणना खुली श्रेणी की सीटों से बाहर है, क्योंकि *50* प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए हैं और केवल *50* प्रतिशत ही खुली हैं।

इस प्रकार, आयोग द्वारा दी गई तालिका के अनुसार मराठों का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा।

321. आयोग ने इस संबंध में अध्ययन भी किया है -

प्रतिष्ठित केंद्रीय सेवाओं, अर्थात् आई. ए. एस., डी. आर. में मराठों का प्रतिनिधित्व।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

89 खुली श्रेणी से भरे गए पदों में *16* आई. ए. एस. मराठा समुदाय से संबंधित हैं। जब हम आई. ए. एस., आई. पी. एस. और आई. एफ. एस. के प्रतिशत की गणना करते हैं, तो खुली श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे गए पदों में से मराठों का प्रतिशत क्रमशः *15.52,27.85* और *17.97* प्रतिशत आता है। जो प्रतिष्ठित केंद्रीय सेवाओं में मराठों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

322. हम आगे देख सकते हैं कि मराठा अधिकारियों की उपरोक्त संख्या केवल महाराष्ट्र राज्य में आई. पी. एस. के पदों पर है।

आई. ए. एस. और आई. एफ. एस. केंद्रीय सेवाएँ हैं। इसी तरह, मराठा समुदाय के सदस्यों ने देश के अन्य राज्यों में उपरोक्त पदों पर कब्जा किया होगा, जिनका विवरण नहीं है।

323. आयोग ने जुड़ाव के संबंध में आंकड़े भी एकत्र किए हैं

पैराग्राफ *226* में राज्य में विश्वविद्यालय असाइनमेंट के उच्च शैक्षणिक और शैक्षिक क्षेत्रों में मराठों का। तालिका डी आयोग द्वारा संकलित की गई है। उक्त अनुच्छेद में जहाँ मराठों ने

विभाग प्रमुख, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर सहित सभी श्रेणियों के पदों पर कब्जा कर लिया, आयोग ने चार्ट में विभिन्न पदों पर कब्जा करने वाले मराठों की संख्या का भी उल्लेख किया है।

जनसंख्या। आयोग ने रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि उपरोक्त पदों में उनका प्रतिशत कम है, जबकि तालिका से संकेत मिलता है कि सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में एच. ओ. डी. पद, एच. ओ. डी. के *29* रिक्त पदों में से केवल *3* मराठा समुदाय से हैं, *14* प्रोफेसरों में से केवल *2* मराठा समुदाय से हैं और *33* एसोसिएट प्रोफेसरों में से केवल *3* मराठा समुदाय से हैं और *79* सहायक प्रोफेसरों में से केवल *3* मराठा समुदाय से हैं। आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि उपरोक्त में केवल *4.3* प्रतिशत मराठा समुदाय से हैं

पद.

उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। हम इस बात से अवगत हैं कि आयोग ने संग्रहित अभ्यावेदन और अन्य जानकारी, डेटा का नमूना सर्वेक्षण किया है और इस पर अंक आवंटित किए हैं। सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चिह्नित करने में मराठा पिछड़े पाए गए। हालांकि, आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े और तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मराठा न तो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और न ही शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और गायकवाड़ आयोग द्वारा अपनी अंकन प्रणाली, संकेतक और अंकन के आधार पर दर्ज किया गया निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मराठा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।

326. जैसा कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और आंकड़े अन्यथा इंगित करते हैं और आयोग द्वारा एकत्र किए गए उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, हम हैं

यह विचार कि आयोग द्वारा निकाला गया निष्कर्ष एकत्र किए गए आंकड़ों से समर्थन योग्य नहीं है। आयोग द्वारा एकत्र और प्रस्तुत किए गए आंकड़े, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मराठा सामाजिक और सामाजिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े।

327. हम सभी ने आजादी के *70* साल से अधिक पूरे कर लिए हैं।

सरकारें सभी वर्गों और समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रयास कर रही हैं और उपाय कर रही हैं। एक धारणा है जब तक कि इसका खंडन नहीं किया जाता है कि सभी समुदायों और जातियों ने प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है। राम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य *(*सुप्रा*)* मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ *52* में ऐसी टिप्पणियां की हैं:

" 52 ..... ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी वैध रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हर मोर्चे पर सभी नागरिकों की प्रगतिशील प्रगति का अनुमान लगा सकता है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण शासन को प्रतिगामी करने के बराबर होगा। फिर भी, आश्चर्यजनक रूप से तथ्य जो हमें घूरते हैं एक संकेत देते हैं

इस तरह के नकारात्मक शासन की सरकारी पुष्टि बहुत अधिक डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

जाटों को पिछड़े के रूप में नहीं मानने के दशक पुराने निर्णय, जो मौजूदा जमीनी वास्तविकताओं पर उचित विचार करने पर लिए गए थे, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के बावजूद फिर से खोल दिए गए हैं। यह मूल भ्रांति है जो आक्षेप में निहित है।

सरकारी निर्णय जिसे वर्तमान में चुनौती दी गई है

कार्यवाही "।

327 (ए*)*। हम सकारात्मक कार्यों और अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने पर भाई न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की राय का भी समर्थन करते हैं।

संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करना जो निस्संदेह राज्य का दायित्व और कर्तव्य है। *328.* हम यह देखने के लिए विवश हैं कि जब अधिक लोग आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा करते हैं, तो देश ही ठहर सा जाता है

कौन सी स्थिति संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।

(14) संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018 [*संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018]*।

329. मुझे अपने सम्मानित भाई, रवींद्र भट द्वारा प्रसारित विद्वतापूर्ण मसौदा निर्णय से गुजरने का लाभ है। हालाँकि, हम दोनों संविधान *102* वें संशोधन अधिनियम, *2018* की संवैधानिक वैधता के सवाल पर सहमत हैं,

लेकिन मुझे संविधान से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। संविधान *102* वें संशोधन अधिनियम, *2018* की व्याख्या जैसा कि मेरे सम्मानित भाई ने कहा है।

330. अपीलार्थी का मामला यह है कि संविधान के *102* वें संशोधन के बाद, जो *15.08.2018* से प्रभावी हुआ, महाराष्ट्र विधानमंडल के पास अधिनियम, *2018* लागू करने की कोई क्षमता नहीं थी। संविधान के *102* वें संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई शक्ति नहीं है। संविधान *102* वां

संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद *341* और *342* के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए पहले से मौजूद शासन में बदलाव लाया था। अनुच्छेद *366 (26* सी*)* में कहा गया है कि एसईबीसी वाक्यांश का अर्थ है वे पिछड़े वर्ग जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद *342* ए के तहत माना जाता है। "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)*, *338* बी, *342* ए और भारत के संविधान के अन्य अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद *342* क के दृष्टिगत

एस. ई. बी. सी. वे हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रयोजनों के लिए उपखंड *(1)* के तहत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अनुच्छेद *342* का। अनुच्छेद *342* ए के अनुच्छेद *341* और *342* के अनुरूप होने के कारण इसकी व्याख्या ठीक उसी तरीके से की जानी चाहिए। संसद ने *[2021] 15* एस. सी. आर. जोड़ा।

अनुच्छेद *342* ए के खंड *(2)* में "केंद्रीय सूची" वाक्यांश केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए है कि संविधान *102* वें संशोधन के बाद, एकमात्र सूची जो

एस. ई. बी. सी. के प्रयोजनों के लिए तैयार की जाने वाली केंद्रीय सूची राष्ट्रपति द्वारा तैयार की जाती है। *331.* अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि महाराष्ट्र विधानमंडल के पास संविधान *102* वें संशोधन के बाद *2018* के विधान को लागू करने की कोई क्षमता नहीं थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल

शंकरनारायणन ने कहा कि अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या के लिए राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट पर निर्भरता अनुचित है।

332. अपीलार्थी की उपरोक्त प्रस्तुतियाँ दृढ़ता से की गई हैं।

अन्य राज्य। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत संघ और राज्यों के पास सामाजिक और सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए समान शक्तियां हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग; इसलिए, संघ द्वारा शक्ति का कोई भी प्रयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए, "संविधान के उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल उस शक्ति की रूपरेखा से लगाया जा सकता है जिसका प्रयोग संघ संघ के नियंत्रण में संस्थाओं, संस्थानों, प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में करने का हकदार है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने और आवश्यक आरक्षण की सीमा निर्धारित करने की शक्ति हमारे संविधान द्वारा राज्य में निहित है और न्यायिक द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इंद्र साहनी सहित घोषणाएँ। अनुच्छेद *342* ए *(2)* में आने वाली अभिव्यक्ति "केंद्रीय सूची" अनुच्छेद *342* ए *(1)* के तहत पहचान से संबंधित है जिसमें केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल होंगे। कोई भी अन्य व्याख्या राज्य की विधायी शक्ति को कम करने की अनुमति देगी। अनुच्छेद *342* ए की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ में की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान *102* वें संशोधन ने केंद्रीय सूची के संबंध में परिवर्तन किए हैं। ओ. बी. सी. के आरक्षण उद्देश्यों के लिए सेवा न्यायशास्त्र में अभिव्यक्ति केंद्रीय सूची अच्छी तरह से समझी गई अवधारणा है, दो सूचियाँ हैं, केंद्रीय सूची और राज्य सूची।

333. यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट और अन्य सामग्री संसद के इरादे पर काफी प्रकाश डालती है

संविधान में अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने के लिए। संविधान संशोधन की व्याख्या संसदीय मंशा के आलोक में की जानी चाहिए। राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति को नहीं खोया जा सकता है

अनुच्छेद *15* और *16* में संशोधन किए बिना। संसद में डी. आर. भी नहीं है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

उपखंड *(2)* में 'केंद्रीय सूची' अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से उपयोग करके किसी राज्य के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यदि संविधान के *102* वें संशोधन की व्याख्या उस तरीके से की जाती है जैसे अपीलार्थी व्याख्या कर रहे हैं,

संवैधानिक संशोधन संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा और असंवैधानिक होगा।

334. हमने मामलों के इस समूह में विद्वान महान्यायवादी को नोटिस जारी किया है, जिसमें भारत के संविधान के *102* वें संशोधन की व्याख्या पर सवाल उठाया गया है। श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि पैरा *847* में इंद्र साहनी की संविधान पीठ ने यह विचार रखा था कि आयोग या न्यायाधिकरण के रूप में एक स्थायी निकाय होना चाहिए, जिसके पास अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में समूहों, वर्गों और धाराओं को गलत तरीके से शामिल करने या शामिल न करने की शिकायतें की जा सकती हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इंद्र साहनी की संविधान पीठ ने भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ के प्रशासन को निर्देश दिया

मनोरंजन, परीक्षण के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करने के लिए क्षेत्र

और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों और अति समावेश और कम समावेश की शिकायतों पर सिफारिश करना।

335. विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के उपरोक्त नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए यह अकल्पनीय है कि

संविधान में ऐसा संशोधन लाया जा सकता है कि किसी भी राज्य के पास पिछड़े वर्गों की पहचान करने की क्षमता न हो, अनुच्छेद *15 (4)* में अनिवार्य रूप से पहचान की शक्ति शामिल है। संविधान के अनुच्छेद *12* के

तहत, राज्य में सरकार और संसद, और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं। यदि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* के तहत अपने अधिकारों से वंचित करना पड़ता है, तो एक परंतुक जोड़ना पड़ता है। अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए शक्ति के स्रोत हैं। संविधान के *102* वें संशोधन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऐसा संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* का प्रभाव प्रभावित हुआ हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993* को संसद ने इंद्र साहनी के निर्देश के पालन में पारित किया था। अधिनियम की धारा *2 (सी)* "सूचियों" को परिभाषित करती है जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार तक सीमित है; विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं

कि अनुच्छेद *342* ए अकेले केंद्र सरकार की सूची को शामिल करता है। विद्वान महान्यायवादी ने प्रवर समिति की दिनांकित रिपोर्ट का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट में राय दी गई थी कि *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

102 दूसरा संशोधन पहचान करने के लिए राज्य के अधिकारों को लेने के लिए नहीं था

अपने राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग। वे प्रस्तुत करते हैं कि राज्यों के संबंध में अपने राज्यों के लिए ओ. बी. सी. की पहचान करने के राज्य के अधिकार अछूते हैं। पंजाब राज्य का उल्लेख करते हुए, विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करते हैं कि दो सूचियाँ हैं, केंद्रीय सूची जिसमें *68* अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं, राज्य सूची जिसमें *71* शामिल हैं, वे प्रस्तुत करते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी। संविधान जिसके साथ राज्य का कोई संबंध नहीं था। संसद की ओर से अनुच्छेद *15 (4)* और *16 (4)* को संशोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

336. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद *342* ए को संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सीखा है।

महान्यायवादी ने *2021* की रिट याचिका *(सी)* संख्या *12* में भारत संघ द्वारा दायर एक संक्षिप्त हलफनामे का भी उल्लेख किया है-दिनेश बी. बनाम. भारत संघ और अन्य। , जिसमें संघ ने यह रुख अपनाया है कि एस. ई. बी. सी. की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति केवल एस. ई. बी. सी. की केंद्रीय सूची के संदर्भ में संसद के पास है। राज्य सरकारों के पास भर्ती में एस. ई. बी. सी. की अपनी अलग राज्य सूची हो सकती है। विद्वान महान्यायवादी उपरोक्त शपथपत्र में भारत संघ द्वारा लिया गया वही रुख अपनाते हैं। उन्होंने दोहराया कि संसद ने संविधान संशोधन पारित करके अपने राज्यों में पिछड़े वर्गों *(*एस. ई. बी. सी.*)* की पहचान करने की राज्य की शक्ति को नहीं खोया है।

337. उन्होंने आगे कहा कि संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। के लिए विद्वान वकील के तर्क का जवाब देना

अनुच्छेद *368* के खंड *(2)* के तहत रिट याचिकाकर्ता विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत करता है कि अनुच्छेद *15* के तहत पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति

और *16*, शक्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए *7* वीं अनुसूची की सूची की जांच करने का कोई अवसर नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। *7* वीं अनुसूची की कोई भी सूची ताकि अनुच्छेद के लिए परंतुक को आकर्षित किया जा सके

368 (2) . वे प्रस्तुत करते हैं कि संविधान के *102* वें संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी।

338. संविधान के *102* वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए अनुच्छेदों पर आने से पहले, हमें *4* अप्रैल, *2017* को लोकसभा में पेश किए गए संविधान *(*एक सौ तेइसवां संशोधन*)* विधेयक, *2017* में निहित उद्देश्यों और कारणों के विवरण और विधायी प्रक्रिया से संबंधित कुछ विवरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

जिसकी परिणति संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* को पारित करने में हुई। जब भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक चर्चा के लिए आया, तो इसे लोकसभा द्वारा *10.04.2017* पर पारित कर दिया गया।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

आई. डी. *1* पर सदन द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्यसभा ने विधेयक की जांच करने और उस पर राज्यसभा को रिपोर्ट देने के लिए विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया। राज्यसभा की प्रवर समिति ने *7* बैठकें करके विधेयक की जांच की। प्रवर समिति ने मंत्रालय से विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद *17.07.2017* पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ संविधान *(*एक सौ तेइसवां संशोधन*)* विधेयक, *2017* राज्यसभा के समक्ष विचार के लिए आया। विधेयक को राज्यसभा द्वारा *31.07.2017* पर कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया था। विधेयक के पारित होने के बाद, इसे फिर से लोकसभा द्वारा लिया गया और इसे *2* अगस्त, *2018* को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा ने *6* अगस्त, *2018* को इस विधेयक पर सहमति व्यक्त की।

339. संविधान के उद्देश्यों और कारणों का विवरण *102* वां संशोधन संविधान *(*एक सौ बीस*)* में निहित है।

तीसरा संशोधन*)* विधेयक, *2017*। विधेयक में निहित उद्देश्यों और कारणों के पूरे विवरण को निकालना उपयोगी हैः

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित होने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया

संविधान *(*पैंसठवां संशोधन*)* अधिनियम, *1990* उक्त आयोग का गठन *12* मार्च, *1992* को *1987* के प्रस्ताव के तहत स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर किया गया था। संविधान के अनुच्छेद *338* के तहत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया था।

2. संविधान *(*अस्सी-नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *2003* के माध्यम से, संविधान में एक नया अनुच्छेद *338* ए जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। नतीजतन, संविधान के अनुच्छेद *338* के तहत, संदर्भ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक ही सीमित था। संविधान के अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को वर्तमान में देखने का अधिकार है।

दूसरों के साथ भेदभाव की शिकायतों और शिकायतों में

पिछड़े वर्ग भी।

3. वर्ष *1992* में, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *(*ए. आई. आर. *[2021] 15* एस. सी. आर.*)* के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचियों में वर्गीकरण करें और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग के अति-समावेशन या कम समावेश की शिकायतें सुनें और केंद्र सरकार को ऐसी सलाह दें जो वह उचित समझे। अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए पिछड़े वर्गों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाने का प्रस्ताव है

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बराबर संवैधानिक स्थिति वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

(हमारे द्वारा रेखांकित*)*

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने *2014-15* के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों से निपटा जाए

अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया जाना चाहिए।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, अर्थात्:

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, एक ऐसा कार्य जिसका निर्वहन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अनुच्छेद *338* के खंड *(10)* के तहत किया गया है; और *(* ख*)* एक नया अनुच्छेद *342* क सम्मिलित करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकें जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

नई दिल्ली;

थावरचंद गहलोट।

30 मार्च, *2017* "।

विवादित विधान "। उच्च न्यायालय ने प्रवर समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय प्रक्रिया पर ध्यान दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *342* ए के उपखंड *(2)* में केंद्रीय सूची का उपयोग शून्य नहीं है, लेकिन इसे संदर्भ के संदर्भ में अपना उचित अर्थ लेना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद इस तथ्य से अवगत है कि विभिन्न राज्यों में दो सूचियां काम कर रही हैं, पहला, केंद्रीय सेवाओं में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रदान करने के लिए और दूसरी सूची - संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण प्रदान करते हुए, संसद का इरादा था कि वह केंद्रीय सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति बनाए रखेगी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि संसद राज्य को अपनी शक्ति से वंचित करने का इरादा रखती, तो उसने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया होता। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के विद्वान वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि संविधान *102* वां संशोधन अन्य पिछड़े लोगों के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति को नकारता है

राज्यक संबंधमे श्रेणीसभ।

342. हमने यह भी देखा है कि *2020* के शिव संग्राम और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका *(सी) No.938* दायर की गई थी

102 वें संविधान की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए संशोधन।

संविधान में हस्तक्षेप करने के लिए सिद्धांत

प्रावधान

343. हम वर्तमान मामले में संवैधानिक से संबंधित हैं।

संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* द्वारा लाया गया संशोधन। संवैधानिक संशोधन एक सामान्य विधायी अभ्यास नहीं है और इसे हमेशा एक उद्देश्य और उद्देश्य के साथ किया जाता है। भारत का संविधान एक भव्य मानदंड है जो हमें संविधान निर्माताओं द्वारा बड़े विचार-विमर्श और बहस के साथ दिया गया है। संविधान में राष्ट्र के उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं और इसमें *[2021] 15* एस. सी. आर. शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य द्वारा शासन के लिए आदर्श। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने 'विधायी व्याख्या के सिद्धांत', *14* वें संस्करण में 'विधानमंडल का इरादा' शीर्षक के तहत निम्नलिखित शब्दों में वैधानिक व्याख्या की व्याख्या की है:

"एक क़ानून विधानमंडल का एक आदेश है और एक क़ानून की व्याख्या या अर्थ लगाने का पारंपरिक तरीका इसके निर्माता के 'इरादे' की तलाश करना है। एक क़ानून का अर्थ 'इसे बनाने वालों के इरादे' के अनुसार किया जाना चाहिए और 'न्यायपालिका का कर्तव्य विधानमंडल के सच्चे इरादे-पुरुष या संवेदनशील कानून के अनुसार कार्य करना है'। 'विधानमंडल का इरादा' अभिव्यक्ति विधानमंडल द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ का एक संक्षिप्त संदर्भ है।

व्याख्या के स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के साथ निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जाता है। यदि कोई वैधानिक प्रावधान खुला है

एक से अधिक व्याख्या अदालत को यह चुनना होता है कि
व्याख्या जो विधानमंडल के सच्चे इरादे का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरे शब्दों में वैधानिक के कानूनी अर्थ 'या' सच्चे अर्थ 'का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रावधान "।

344. मुख्य न्यायाधीश, सर, मौरिस ग्वायर संघीय न्यायालय में द सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट में बोल रहे हैं और

स्नेहक कराधान अधिनियम, *1938*, ए. आई. आर. *1939* संघीय न्यायालय *1* ने अभिनिर्धारित किया कि जो नियम अन्य क़ानून की व्याख्या पर लागू होते हैं, वे संवैधानिक अधिनियम की व्याख्या पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन उनका आवेदन अधिनियम की विषय वस्तु द्वारा आवश्यक शर्त का है।

345. भारत के संविधान की व्याख्या पर, आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम आई. टी. सी. लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। कृषि उपज बाजार

समिति और अन्य, *(2002) 9* एस. सी. सी. *232*, ने पैराग्राफ *59* में निम्नलिखित प्रस्ताव रखाः

"*59.* भारत के संविधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह राज्य विधानमंडल की शक्तियों को कम न करे और संघवाद को संरक्षित करे, साथ ही केंद्रीय सर्वोच्चता को भी बनाए रखे जैसा कि इसके कुछ अनुच्छेदों में विचार किया गया है।

346. ऐसा कहा जाता है कि यह क़ानून विधानमंडल का एक फरमान है। संविधान या क़ानून की व्याख्या करने का प्राथमिक सिद्धांत यह देखना है कि कानून में उपयोग किए गए शब्दों में, जब भाषा स्पष्ट हो, तो विधानमंडल का इरादा उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है। व्याख्या में सहायता का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब डी. आर. शब्दों में कुछ अस्पष्टता हो।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

या कानून में प्रयुक्त अभिव्यक्ति। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम, प्रावधानों को एक साथ पढ़ने का नियम और क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाने का नियम और व्याख्या के कुछ अन्य सिद्धांतों पर सवाल उठाए जाते हैं जब निर्माण के लिए सहायता विशेष संदर्भ में आवश्यक होती है। हम पहले के पैराग्राफ में क़ानून के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ *5* में *(ए)* एक नया

अनुच्छेद *338* बी शामिल करके संविधान में संशोधन का उल्लेख किया गया है ताकि राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा सके। पिछड़े वर्ग और *(ख)* एक नया अनुच्छेद *342* क सम्मिलित करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकें। बिल को थावरचंद ने पेश किया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री गेहलोत।

347. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने अनुच्छेद *342* ए के खंड *(2)* में उपयोग किए गए "केंद्रीय सूची" शब्दों की व्याख्या पर संबंधित प्रस्तुतियां दी हैं। दोनों पक्षों के पास "केंद्रीय सूची" की सही और सही व्याख्या पर उन्नत अलग-अलग प्रस्तुतियाँ हैं, तो व्याख्या की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। 'केंद्रीय सूची', उपखंड *(2)* अभिव्यक्ति के उपयोग का उद्देश्य और उद्देश्य क्या था?

संवैधानिक प्रावधानों का सही अर्थ खोजने के लिए अनुच्छेद *342* ए पर गौर किया जाना चाहिए।

348. हमने ऊपर देखा है कि महाराष्ट्र राज्य और अन्य राज्यों के विद्वान अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ विद्वान वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने में संसद के इरादे का पता लगाने के लिए प्रवर समिति की रिपोर्ट, संसद में बहस और मंत्री के बयान पर भरोसा किया है।

349. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है और इसका उपयोग व्याख्या के लिए सहायता के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने किया है, जो कहते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ संसद में मंत्री द्वारा दिया गया बयान व्याख्या के लिए स्वीकार्य सहायक हैं और यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि संसद ने *102* वें संशोधन को संसद में लाने के लिए क्या इरादा रखा है।

संविधान। हम, इस प्रकार, संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता और मंत्री के वक्तव्य के बारे में कानून पर गौर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संसद एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए सहायक के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

350. श्री गोपाल शंकरनारायणन, त्रावणकोर राज्य, कोच्चि और अन्य बनाम बॉम्बे में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. *1952* एस. सी. *366* प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय ने कहा कि "संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संवैधानिक व्याख्या के लिए बाहरी सहायता के रूप में दिए गए भाषण स्वीकार्य नहीं हैं। श्री गोपाल शंकरनारायणन निर्णय के अनुच्छेद *16* पर निर्भर करते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

> *"16.* यह केवल यह इंगित करना बाकी है कि विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों का नीचे उपयोग किया गया है।

संविधान सभा संविधान के मसौदे पर बहस के दौरान अनुचित है। यह कि कानूनों की व्याख्या के लिए बाहरी सहायता का यह रूप स्वीकार्य नहीं है, आम तौर पर इंग्लैंड में स्वीकार किया गया है, और यही नियम भारतीय कानूनों के निर्माण में देखा गया है-देखें बंगाल के प्रशासक-जनरल बनाम। प्रेम नाथ मलिक *[22* आईए *107,118]*। इस नियम के पीछे का कारण हम में से एक ने गोपालन मामले *[1950]* में समझाया था।

एस. सी. आर. *88]* इस प्रकारः
"विधेयक पर बहस के दौरान दिया गया भाषण सबसे अच्छा वक्ता के व्यक्तिपरक इरादे का संकेत हो सकता है, लेकिन यह

बहुमत के मत के पीछे पड़ी निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया को प्रतिबिंबित नहीं कर सका, जिसमें विधेयक शामिल था। न ही यह मान लेना उचित है कि उन सभी विधायकों के मन सहमत थे।

या, जैसा कि इसे एक अमेरिकी मामले में अधिक संक्षिप्त रूप से रखा गया है

"जो नहीं बोले वे शायद उनसे सहमत नहीं थे

जिन्होंने किया; और जो बोलते थे वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। ट्रांस-मिसौरी फ्रेट एसोसिएशन *[169* यूएस

290 , 318] . " अमेरिका में बहिष्कार के इस नियम का हमेशा पालन नहीं किया गया है, और कभी-कभी किसी क़ानून के उद्देश्य का पता लगाने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करने और इसके अर्थ का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करने के बीच अंतर किया जाता है। ऐसा लगता है कि यह नियम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया है-क़ानून पर क्रेज़, *5* वीं संस्करण देखें। , पी।

122. "

351. यह ध्यान देने योग्य है कि पैराग्राफ *16* में यह भी देखा गया था कि अमेरिका में बहिष्कार के नियम को हमेशा बरकरार नहीं रखा गया है और कभी-कभी ऐसी सामग्री का उपयोग करने के बीच अंतर किया जाता है। किसी कानून के उद्देश्य का पता लगाना और उसका उपयोग उसके अर्थ का पता लगाने के लिए करना।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

निर्णय स्वयं इंगित करता है कि उक्त सामग्री का उपयोग कभी-कभी क़ानून के उद्देश्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में कानून की व्याख्या और विस्तार किया गया है जिसे हम इसके बाद देखेंगे। एक और फैसला जिस पर श्री गोपाल शंकरनारायणन ने भरोसा किया है, वह है अश्विनी मामले में इस अदालत का फैसला। कुमार घोष और एक अन्य वी। अरबिंद बोस और एक अन्य, ए. आई. आर. *1952* एस. सी. *369*, जिसमें यह न्यायालय त्रावणकोर, कोचीन राज्य और अन्य बनाम बॉम्बे में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख करता है।

कंपनी लिमिटेड *(*ऊपर*)* पैराग्राफ *31* में निर्धारित हैः

"31. बहस के दौरान सदन के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों के संबंध में, इस न्यायालय ने हाल ही में

अभिनिर्धारित किया कि वे बाहरी सहायता के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्याः *(* त्रावणकोर राज्य

कोचीन बनाम. बॉम्बे कं. लिमिटेड आदि। *[* सी. ए. नं. *25* , *28* और *29* में से

1952] "

352. संविधान सभा में भाषणों के संबंध में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने परम पूज्य केशवानंद भारती में

बनाम केरल राज्य और एक अन्य, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225*, कई माननीय न्यायाधीशों ने अपने अलग-अलग निर्णयों में संविधान पर भरोसा किया है और उसका उल्लेख किया है। विधानसभा भाग *III* और भाग *IV* के प्रावधानों की व्याख्या के लिए बहस करती है। न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी, सीजे ने पैराग्राफ *116* में कहाः

"186. मेरे विचार में, भाषणों पर केवल यह देखने के लिए भरोसा किया जा सकता है कि क्या किसी विशेष प्रावधान की प्रगति का मार्ग है।

या प्रावधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कोई प्रकाश डालते हैं या दर्शाते हैं कि एक आम समझ या समझौते पर पहुंचा गया था

लोगों के कुछ वर्गों के बीच।

353. न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने दृढ़ता से कहा कि संविधान

संविधान के हमारे निर्माताओं के इरादे का पता लगाने के लिए विधानसभा की बहसों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि

संवैधानिक मामले में इस न्यायालय को किसी भी भाषण सहित प्रासंगिक तिथि की कार्यवाही पर गौर करना चाहिए जो इसे सुनिश्चित करने में प्रकाश डाल सकता है। न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने पैराग्राफ *1088* में कहाः

"1088 ..... अपने लिए बोलते हुए, हमें यह पता लगाने के लिए साहसपूर्वक क्यों नहीं देखना चाहिए कि हमारे निर्माताओं का इरादा क्या था
और उन्होंने उस इरादे का अनुवाद कैसे किया*?* उन्हें वर्जित या निषिद्ध सामग्री मानने का क्या तर्क है। एक संवैधानिक मामले में न्यायालय, जहां *[2021] 15* एस. सी. आर. के निर्माताओं का इरादा है।

लिखित दस्तावेज़ में सन्निहित संविधान होना चाहिए -
सुनिश्चित किया गया है, कार्यवाही में देखना चाहिए, प्रासंगिक डेटा जिसमें कोई भी भाषण शामिल है जो इसे

सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाल सकता है। यह उन्हें असहयोगी के रूप में अस्वीकार कर सकता है, अगर वे कोई प्रकाश नहीं डालते हैं या केवल मंद प्रकाश फेंकते हैं जिसमें कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। एक क़ानून के विपरीत, एक संविधान सरकार का एक कार्य साधन है, इसका मसौदा उन लोगों द्वारा तैयार किया जाता है जो चाहते थे कि यह एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राष्ट्रीय साधन बने। सभा ने उच्च क्षमता, ज्ञान और व्यापक अनुभव के योग्य व्यक्तियों की समितियों का गठन किया और इसकी सहायता के लिए एक सक्षम सलाहकार, श्री बी. एन. राउ थे। ..... "

354. न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने पैराग्राफ *1358* में भी अपने फैसले में दिए गए भाषणों का विस्तार से उल्लेख किया था और उन पर भरोसा किया था। संविधान सभा। पैराग्राफ *1367* में उनके प्रभुता ने निर्धारित कियाः

"1367. जहाँ तक सवाल का सवाल है कि क्या संविधान सभा में दिए गए भाषणों को शामिल किया जा सकता है। विचार करने पर, इस न्यायालय के तीन मामले हैं, अर्थात् आई. सी. गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य, एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर बनाम। भारत संघ *[(1971) 1* एस. सी. सी. *85: (1971) 3* एस. सी. आर. *9]* और भारत संघ बनाम। एच. एस. ढिल्लन *[(1971) 2* एससीसी *779: (1972) 2* एस. सी. आर. *33]* ने यह विचार रखा कि इस तरह के भाषणों को ध्यान में रखा जा सकता है। गोलक नाथ के मामले में बहुमत के लिए बोलने वाले सी. जे. सुब्बा राव ने पं.

जवाहरलाल नेहरू और डॉ. अम्बेडकर पी। *791.* उस मामले में डॉ. अम्बेडकर के भाषण का भी संदर्भ दिया गया था। *924.* माधव राव के मामले में, जे. शाह, जिन्होंने प्रमुख बहुमत से निर्णय दिया, ने संविधान सभा में सरदार पटेल के भाषण पर भरोसा किया, जो गृह मंत्री थे *(*पी. *83* देखें)। पेज *121* और *122* पर मित्तर, जे. द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषणों का भी संदर्भ दिया गया था। हाल ही में एच. एस. ढिल्लों मामले की वैधता से संबंधित

धन कर अधिनियम में संशोधन, दोनों के रूप में बहुमत निर्णय

साथ ही अल्पमत निर्णय संविधान सभा में दिए गए भाषणों को संदर्भित करता है जो निष्कर्ष के समर्थन में आए थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अब गोलक नाथ मामले के बाद से अपने फैसलों में इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि भाषण दिए गए थे।

संविधान सभा में से निपटने के दौरान संदर्भित किया जा सकता है

संविधान का प्रावधान "।

355. न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने पैराग्राफ *1598* में कहा था कि संविधान सभा में बहस को डी. आर. को समझने के लिए देखा जा सकता है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

संविधान के किसी प्रावधान का विधायी इतिहास, जिसमें इसकी व्युत्पत्ति भी शामिल है, अर्थात संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाने के लिए इसके अधिनियमन से पहले और उसमें भाग लेने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम। पैराग्राफ *1598* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"*1598.* यदि संविधान सभा में बहस हो सकती है

के प्रावधान के विधायी इतिहास को समझने के लिए देखा गया
संविधान जिसमें इसकी व्युत्पत्ति भी शामिल है, अर्थात विभिन्न कदम

इरादे का पता लगाने के लिए इसके अधिनियमन तक पहुँचने और उसमें भाग लेने के लिए

संविधान निर्माताओं में से, यह देखना मुश्किल है कि क्यों

बहस उद्देश्य और सामान्य पर प्रकाश डालने के लिए अस्वीकार्य हैं।
प्रावधान का आशय। आखिरकार, विधायी इतिहास केवल

प्रावधान को लागू करने में विधायी उद्देश्य को प्रकट करें और इस प्रकार

विधायी इरादे पर प्रकाश डालता है। यह एक अदृश्य चित्र बना रहा होगा
यदि बहस का सहारा लेने की अनुमति केवल यह दिखाने के लिए दी जाती है कि

विधायी इतिहास और उसी को दिखाने की अनुमति नहीं है
प्रावधान में अव्यक्त अस्पष्टता के मामले में विधायी इरादा।

99

356. आर. एस. नायक बनाम संविधान पीठ में। ए. आर. अंतुले,

1984 (2) एस. सी. सी. *183,* तर्क को फिर से आगे बढ़ाया गया कि बहस में

संसद या आयोग या समिति की रिपोर्ट जो अधिनियम को आगे बढ़ाती है, निर्माण के लिए अनुमेय सहायता नहीं है। निर्णय के पैराग्राफ *32* में निम्नलिखित प्रभाव के लिए प्रस्तुत किया गया थाः

"*32.* श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि जहां भी शब्दों में

या अर्थ, संसद में बहस या की रिपोर्ट का एक संदर्भ
एक आयोग या एक समिति जो अधिनियमन से पहले

विचाराधीन क़ानून एक अनुमेय सहायता नहीं है

निर्माण। ..... *357.* पैराग्राफ *33* में यह
अभिनिर्धारित किया गया था कि सत्य का पता लगाने के लिए

रिपोर्ट के क़ानून के संदर्भ में शाब्दिक शब्दों के अर्थ को वैध बाहरी सहायता माना जाता है। पैराग्राफ *33* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"*33.* प्रवृत्ति निश्चित रूप से रिवर्स गियर में प्रतीत होती है

कि अस्पष्ट शब्दों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए

एक कानून, की रिपोर्ट और सिफारिशों का संदर्भ

आयोग या समिति जो अधिनियम के अधिनियमन से पहले

कानून को निर्माण के लिए वैध बाहरी सहायता माना जाता है। द.

आधुनिक दृष्टिकोण ने काफी हद तक क्षरण किया है

इंग्लैंड में भी बहिष्कृत शासन। .

358. अंततः, इस न्यायालय ने उठाए गए निवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि समिति की रिपोर्ट स्वीकार्य हैं। निम्नलिखित रखा गया था

पैराग्राफ *34* में नीचेः

" *34. .....* इसके अलावा अपने जन्म की भूमि में भी, बहिष्कृत

शासन को ब्लैक में एक गंभीर झटका लगा है-क्लॉसन इंटरनेशनल
लिमिटेड वी. पापियरवेर्के वाल्डोफ़-एशफ़ेनबर्ग ए. जी.*: [(1975) 1* सभी

ई. आर. *810,843]* क्लाइसडेल के लॉर्ड साइमन अपने भाषण में

ग्रीर रिपोर्ट की स्वीकार्यता के प्रश्न की जांच करते हुए देखा गया

निम्नानुसारः

" बहुत कम से कम, वैधानिक का निर्धारण

उद्देश्य संभावित में से कई को तुरंत समाप्त कर सकता है

इसका अर्थ है कि अधिनियम की भाषा सहन कर सकती है; और, यदि कोई अस्पष्टता अभी भी बनी हुई है, तो वैधानिक उद्देश्य पर विचार करें।
इसे हल करने के साधनों में से एक है।

वैधानिक उद्देश्य मुख्य रूप से क़ानून के प्रावधानों से ही एकत्र किया जाना है। इन दिनों, जब दोनों सदनों में लंबे शीर्षक में संशोधन किया जा सकता है, तो मैं केवल अस्पष्टता के मामले में इसका सहारा लेने का कोई कारण नहीं देख सकता-यह एक क़ानून के सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी मार्गदर्शकों में से सबसे स्पष्ट है। लेकिन यह हमेशा विशेष प्रावधानों के बारे में मदद नहीं करेगा। इनके वैधानिक उद्देश्य के बारे में, अधिनियम की ओर ले जाने वाली एक रिपोर्ट सबसे शक्तिशाली सहायता होने की संभावना है; और, मेरे विचार में, इसका लाभ न उठाना केवल अस्पष्टता होगी। वास्तव में यह स्पष्ट और उच्च अधिकार है कि

इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है। ..... "

359. यह ध्यान दिया जाता है कि हालांकि उपरोक्त संविधान पीठ को बाद में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उपरोक्त प्रस्ताव को छुआ नहीं गया था।

हम मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर भी ध्यान दे सकते हैं। *(1980) 3* एससीसी *625*। मुख्य न्यायाधीश, वाई. वी. चंद्रचूड़ ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कानून मंत्री के संसद में दिए गए भाषण का उल्लेख किया और कहा कि संवैधानिक प्रावधानों को इसके घोषित उद्देश्य के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि कानून मंत्री ने संविधान पीठ के पटल पर कहा था।

घर को। पैराग्राफ *65* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

" *65.* श्री पालखीवाला ने हमें इसका एक अंश पढ़ा।

तत्कालीन कानून मंत्री का भाषण, जो डी. आर. पर बोलते हुए।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *31*-सी में संशोधन में कहा गया है कि संशोधन इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि सरकार मौलिक अधिकारों की "छूट और बाधा" नहीं चाहती है। यदि संसद ने असीमित शक्ति का प्रयोग करने का स्पष्ट इरादा प्रकट किया है, तो यह है
उस शक्ति के आयाम को पढ़ने की अनुमति नहीं है ताकि इसे सीमित किया जा सके। पढ़ने के सिद्धांत को विधायिका के स्पष्ट इरादे के विरोध में लागू या लागू नहीं किया जा सकता है। हम.

मान लीजिए कि संवैधानिक कानून के इतिहास में, नहीं

संवैधानिक संशोधन को हमेशा इसके कहने और इरादे के बिल्कुल विपरीत अर्थ के लिए पढ़ा गया है। वास्तव में, इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कि हमें अनुच्छेद *31*-सी को पढ़ना चाहिए, ताकि इसे बनाया जा सके

केशवानंद भारती में बहुमत के निर्णय के अनुपात के अनुरूप *[*केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, *1973* पूरक एस. सी. आर. *1: (1973) 4* एससीसी *225:* ए. आई. आर. *1973* एस. सी. *1461]*, अनुच्छेद *31*-सी के घोषित उद्देश्य को नष्ट करना है जैसा कि "कुछ कानूनों की बचत" शीर्षक द्वारा इंगित किया गया है जिसके तहत अनुच्छेद *31*-ए, *31*-बी और *31*-सी को समूहीकृत किया गया है। चूंकि अनुच्छेद *31*-सी में संशोधन निर्विवाद रूप से विधायिकाओं को एक विशेष विवरण के कानून पारित करने के लिए सशक्त बनाने की दृष्टि से किया गया था, भले ही वे कानून उल्लंघन करते हों।
अनुच्छेद *14* और *19* के अनुशासन में, हमें यह मानना असंभव लगता है कि हमें अभी भी अनुच्छेद *31*-सी को असंवैधानिकता की चुनौती से बचाना चाहिए, उस अनुच्छेद के शब्दों को पढ़कर जो उस अनुच्छेद के तर्क और एक इरादे को नष्ट करते हैं जो स्पष्ट रूप से है।

अपने घोषित उद्देश्य के विपरीत।

360. हम कल्पना मेहता मामले में इस न्यायालय के बाद के संविधान निर्णय का उल्लेख करके इस विषय पर चर्चा का समापन कर सकते हैं। और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, *(2018) 7* एस. सी. सी. *1,* जिसमें हममें से एक न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी सदस्य थे। उपरोक्त मामले में, संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से भूमिका पर विचार किया

संसदीय समिति। जिन प्रश्नों को संविधान पीठ के समक्ष जवाब देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक यह था कि "क्या यह किसी मुकदमे में है*?*

अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया और हमारा न्यायालय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का उल्लेख कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है। संविधान पीठ आर. एस. नायक बनाम मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का उल्लेख करती है। ए. आर. अंतुले *(ऊपर)* ने पैराग्राफ *123* और *134* में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

" *123.* आर. एस. नायक बनाम में एक संविधान पीठ। एआर.

अंतुले *[*आर. एस. नायक बनाम। ए. आर. अंतुले, *(1984) 2* एस. सी. सी. *183, [2021] 15* एस. सी. आर. के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और विकास का उल्लेख करते हुए

कानून ने राय दी कि बहिष्करण नियम अपनी जन्म भूमि में अपने मरते हुए अंगारों में चमक रहा है और इस न्यायालय द्वारा एक सभ्य दफन दिया गया है। संविधान पीठ ने आगे कहा कि संविधान के सभी नियमों का मूल उद्देश्य उचित निश्चितता के साथ संसद के इरादे का पता लगाना है और उक्त उद्देश्य के लिए, विशेष समिति की रिपोर्ट जैसी बाहरी सहायता।

अधिनियमन से पहले, कानून की मौजूदा स्थिति, किसी कानून को लागू करने के लिए आवश्यक वातावरण और प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य, आदि, जिनका संसद ने लाभ उठाने की विलासिता माना था, को उस न्यायालय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्राथमिक कार्य किसी कानून को लागू करने में विधायिका के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाना है। न्यायालय का विचार था कि इस तरह के इनकार से न्यायालय निर्माण के लिए पर्याप्त और स्पष्ट सहायता से वंचित हो जाएगा और इसलिए, न्यायालय ने पहले के निर्णयों से हटने का फैसला किया और कहा कि एक कानून के अधिनियमन से पहले की समितियों की रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समितियों की रिपोर्ट और जानकारी एकत्र करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को निर्माण के लिए बाहरी सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

134. उपरोक्त से, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि न्यायालय कर सकता है

के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट की सहायता लें

वैधानिक प्रावधानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करने का उद्देश्य और यह समिति की रिपोर्ट या संसद के सदन के पटल पर मंत्री के भाषण को भी संदर्भित कर सकता है यदि

किसी अधिनियम के प्रावधान में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या विसंगति।

361. जस्टिस दीपक मिश्रा, सीजे ने अपने और जस्टिस के लिए बात की

खानविलकर ने अपने निष्कर्ष को पैराग्राफ *159.1* और *159.2 e* में निम्नलिखित प्रभाव से दर्ज किया:

जहाँ भी यह इतना आवश्यक है और इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में भी ध्यान में रखा जा सकता है। *159.2* . साक्ष्य अधिनियम की धारा *57 (4)* के तहत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है और यह

उक्त अधिनियम की धारा *74* के तहत स्वीकार्य है।

362. डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पैराग्राफ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v* में निम्नलिखित उल्लेख किया है।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

"260. वैधानिक सहायता के रूप में संसदीय इतिहास का उपयोग

निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम समस्याएं होती हैं। में।

विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही अर्थ को समझते हुए, न्यायालय ने उन कारणों को ध्यान में रखा होगा जिनके कारण

कानून का अधिनियमन, जिन समस्याओं की मांग की गई थी

सुधार किया गया और कानून का उद्देश्य और उद्देश्य। समझने के लिए

यह, अदालत पृष्ठभूमि संसदीय का सहारा ले सकती है

कानून के निर्माण से जुड़ी सामग्री "। *363.* न्यायमूर्ति अशोक भूषण, हममें से एक, अपने सहमति वाले फैसले में

यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समितियों को संसद के सदस्यों के संबंध में भारी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ रखा गया है। पैराग्राफ *335* में निम्नलिखित देखा गया था:

"335. राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विभिन्न समितियों को भारी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सौंपा गया है।

संसद के कार्यों का संदर्भ। मैटलैंड

इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में उल्लेख करते हुए

ब्रिटिश संसद के सदनों की समितियों ने देखा कि समितियों के कार्य निम्नलिखित शब्दों में हैं:

"..... फिर समितियों के माध्यम से सदन अब उस शक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम जांच की शक्ति कह सकते हैं। अगर

सार्वजनिक मामलों में कुछ भी गलत हो रहा है, मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जा सकती है; गवाहों को शपथ पर साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है, और यदि वे गवाही नहीं देंगे तो उन्हें अवमानना के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है। संबंधित विषयों के सभी प्रकार
जनता की हाल ही में संसदीय द्वारा जांच की गई है

आयोग; इस प्रकार जानकारी प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग कानून के लिए या इसकी सिफारिश के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है प्रशासनिक सुधार "।

364. सुसंगत नियमों को ध्यान में रखने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों सहित सहायक सामग्रीन्यायालय में साक्ष्य के रूप में दिया जाना। पैराग्राफ में

ओलोइंग निर्धारित किया गया थाः

"351. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि

वास्तव में रिपोर्ट और अन्य सहित संसदीय सामग्री कानून की अदालतों में सबूत के रूप में दिए जाने के लिए संसद की अनुमति से समय-समय पर दस्तावेज़ भेजे गए हैं। *"[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

365. काली मिर्च में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अवलोकन पर ध्यान देना

(कर निरीक्षक*) v.* हार्ट, कि कानून बनाने के उद्देश्य से संसदीय सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, पैराग्राफ *380* में निम्नलिखित अवलोकन किया गया थाः

"380. अंत में लॉर्ड विल्किंसन ने उस संदर्भ को माना

विधान निर्माण के उद्देश्य से संसदीय सामग्री
यह अधिकार विधेयक *(1688)* के अनुच्छेद *9* का उल्लंघन नहीं करता है। निम्नलिखित आयोजित किया गया थाः *(* हार्ट मामला *[*काली मिर्च *(*कर निरीक्षक*) v.* हार्ट, *1993* एसी *593: (1992) 3* डब्ल्यू. एल. आर. *1032: 1992* यूकेएचएल *3 (*एचएल*)]*, एसी पी। *644)*

"..... मैंने जो कारण दिए हैं, उनके लिए शुद्ध कानून के रूप में इस सदन को हंसार्ड को देखना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाना चाहिए।

यह अपील पर निर्णय लेने में संसदीय इरादे का खुलासा करता है। समस्या महान्यायवादी द्वारा दिया गया संकेत है कि, यदि यह सदन ऐसा करता है, तो आपके लॉर्डशिप का उल्लंघन हो सकता है

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार।

उन कारणों के लिए जो मैंने अपने निर्णय में दिए हैं

विधान निर्माण के उद्देश्य से संसदीय सामग्री

यह अधिकार विधेयक के अनुच्छेद *9* का उल्लंघन नहीं करता है।

366. पैराग्राफ *395* में इस अदालत ने यह भी नोट किया था कि

स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय कार्यवाही

इस न्यायालय के बड़ी संख्या में मामलों में संसद पर भरोसा किया गया था। पैराग्राफ *395* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"395. इस न्यायालय ने कई मामलों में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित संसदीय कार्यवाही का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। के लिए विद्वान सलाहकार

याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में कई मामलों का संदर्भ दिया है,

अर्थात्, दक्षिण रेलवे के कैटरिंग क्लीनर्स बनाम। संघ का

भारत *(1987) 1* एस. सी. सी. *700: 1987* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 77]* जहाँ न्यायालय ने एक स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है
याचिकाएँ। एक अन्य मामला गुजरात इलेक्ट्रिसिटी का है।

बोर्ड वी। हिंद मजदूर सभा *[*गुजरात विद्युत*]*

बोर्ड वी। हिंद मजदूर सभा *(1995) 5* एस. सी. सी. *27: 1995* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस.*) 1166]*। महाराष्ट्र राज्य में *v.* मिलिंद *[*महाराष्ट्र राज्य। मिलिंद, *(2001) 1* एससीसी *4: 2001* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 117]*, न्यायालय ने एक संयुक्त संसद का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है।

समिति की रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स डी. आर.

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

एसोसिएशन। वी. भारतीय संघ *[*रेलवे अधिकारियों का संघ*]*
एसोसिएशन। वी. भारत संघ, *(2003) 4* एस. सी. सी. *289:* ए. आई. आर. *2003* एस. सी. *1344]*, न्यायालय ने स्थायी समिति की एक रिपोर्ट को संदर्भित किया है

रेलवे पर संसद। अरुणा रॉय बनाम। भारत संघ *[*अरुणा रॉयव। भारत संघ, *(2002) 7* एस. सी. सी. *368: 5* एस. सी. ई. सी. *310]*, एक समिति की रिपोर्ट, अर्थात् एस. बी. चव्हाण समिति, जो थी

संसद द्वारा नियुक्त किए गए लोगों पर भरोसा किया गया और उन्हें भेजा गया। एमसी.

मेहता बनाम। भारत संघ *[*एम. सी. मेहता बनाम। भारत संघ, *(2017)*

7 एस. सी. सी. *243]* फिर से एक ऐसा मामला था जहाँ एक स्थायी की रिपोर्ट थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसद की समिति ने

संदर्भित और भरोसा किया। अन्य निर्णय जहाँ संसदीय

समिति की रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है कि किशन लाल गेरा बनाम। हरियाणा राज्य *[*कृष्ण लाल गेरा बनाम। हरियाणा राज्य, *(2011) 10*

एस. सी. सी. *529],* मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च

केंद्र बनाम। एम. पी. राज्य *[*आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान

केंद्र बनाम। एम. पी. राज्य, *(2016) 7* एस. सी. सी. *353: 7* एससीईसी *1]* और लाल

बाबू प्रियदर्शी बनाम। अमृतपाल सिंह *[*लाल बाबू प्रियदर्शी*]*
वी. अमृतपाल सिंह *(2015) 16* एस. सी. सी. *795: (2016) 3* एस. सी. सी. *(*सी. आई. वी.*) 649] "*

367. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कानून ठीक है।

इस काउंटी में तय किया गया कि संसदीय समिति संसद में मंत्री द्वारा दिए गए भाषण और बहसों सहित रिपोर्ट करती है

संवैधानिक प्रावधानों का गठन करते समय संसद के इरादे का पता लगाने के लिए प्रासंगिक सामग्री। हम, इस प्रकार, श्री गोपाल शंकरनारायणन की इस आपत्ति को अस्वीकार करते हैं कि संविधान *102* वां संशोधन लाने में संसद की मंशा का पता लगाने के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट और मंत्री के भाषण पर गौर नहीं किया जा सकता है।

368. संविधान संशोधन लाने के लिए संसद की मंशा का पता लगाना आवश्यक है ताकि संविधान की व्याख्या की जा सके।

संशोधन। संवैधानिक संशोधन में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या उस संदर्भ में की जानी चाहिए जिसके लिए उनका उपयोग किया गया था। हम टाउन बनाम में न्यायमूर्ति होम्स के प्रसिद्ध शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं। ईसनर, *245* यू. एस. *418,* जहाँ उन्होंने देखाः एक शब्द स्फटिक, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह जीवित विचार की एक त्वचा है और परिस्थितियों और समय के अनुसार रंग और सामग्री में बहुत अधिक हो सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। "केंद्रीय सूची" शब्द किस संदर्भ में हैं? अनुच्छेद *342* ए *(1)* में उपयोग किया गया है और यह पता लगाना है कि उपखंड *(2)* में "केंद्रीय सूची" शब्दों का उपयोग करने में संसद का क्या इरादा था और इसमें अनुच्छेद *342* ए को शामिल करने में संसद का क्या इरादा था।

संविधान संवैधानिक व्याख्या के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है।

369. हमें उस संसदीय प्रक्रिया पर गौर करने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप संसद ने संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018* पारित किया। संविधान *(123* वां संशोधन*)* विधेयक, *2017* को लोकसभा में *02.04.2017* पर पेश किया गया था और लोकसभा में पारित किया गया था।

10.04.2017 . जब विधेयक राज्यसभा में आया, तो एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया

सदन द्वारा *11.04.2017* पर, विधेयक को राज्यसभा के *25* सदस्यों वाली प्रवर समिति को भेजा गया था। चयन समिति ने आयोजित किया

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सात बैठकें। कई सदस्यों ने समिति को अपना जवाब दिया। समिति की पहली बैठक में

17.04.2017 पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मंत्री का कुछ स्पष्टीकरण दिया जिसे देखा गया और शामिल किया गया कार्यवृत्त के अनुच्छेद *6* में जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने आगे स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत, दो सूचियां हैं अर्थात केंद्रीय सूची और राज्य सूची। केंद्रीय सूची में शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं
केंद्र सरकार के संस्थानों में। राज्य सूची में, राज्य जिसे चाहें, उसे अपनी पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए स्वतंत्र हैं। नतीजतन, यदि कोई निश्चित श्रेणी है जो केंद्रीय सूची में नहीं है, तो भी यह राज्य सूची में पाई जा सकती है। यही राज्य पिछड़े वर्ग की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार है

वर्ग आयोग और वह बना रहेगा।

370. समिति ने *22.05.2017* पर आयोजित अपनी बैठक में कई स्पष्टीकरण मांगे। पूछे गए स्पष्टीकरणों में से एक यह था कि "किस हद तक

प्रवर समिति के संविधान के तहत विधेयक के आने के बाद राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। *371.* समिति ने *03.07.2017* पर छठी बैठक की। प्रस्तावित संशोधनों में से एक का उल्लेख अनुच्छेद *21* में किया गया है

कार्यवृत्त, स्पष्टीकरण जिस पर अनुच्छेद में भी उल्लेख किया गया था और संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था। प्रस्तावित संशोधन था "खंड *(9)* में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शक्ति बनी रहेगी। *99* अनुच्छेद *338* बी में उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राज्य की शक्ति प्रभावित नहीं हुई है। पैराग्राफ *21,22* और *23* इस प्रकार हैंः

"21. समिति ने उस संशोधन पर चर्चा की जिसमें अनुच्छेद *338* बी में एक नया उपखंड *(10)* डालने का प्रस्ताव किया गया था। इस उपखंड *(10)* में कहा गया है कि 'कुछ भी होने के बावजूद जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल *v.*

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

खंड *9* में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्तियाँ।

22. मंत्रालय द्वारा समिति को यह स्पष्ट किया गया कि

प्रस्तावित संशोधन की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने के लिए राज्य सरकारें

पिछड़े वर्ग। राज्य पिछड़े की मौजूदा शक्तियाँ

इसके बाद भी वर्ग आयोग बना रहेगा। संविधान का पारित होना *(*एक सौ तेइसवां*)*

संशोधन*)* विधेयक*, 2017*।

(हमारे द्वारा रेखांकित*)*

23. समिति ने संशोधनों पर चर्चा की

प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए, समिति ने बिना किसी संशोधन के खंड *3* को अपनाया। "

372. समिति द्वारा अनुच्छेद *342* ए पर भी चर्चा की गई।

अनुच्छेद *342* ए के संदर्भ में संशोधनों का उल्लेख किया गया था। द.

समिति ने अनुच्छेद *342* ए में पैराग्राफ में प्रस्तावित संशोधनों पर ध्यान दिया वह निम्नलिखित प्रभाव डालता है:

"*24.* समिति ने तब विधेयक के खंड *4* पर विचार किया

विचार करें। समिति ने निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया

कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित:

(ज*)* अनुच्छेद *342* क के उपखंड *(1)* को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

इसके लिए, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और
बनाने के उद्देश्यों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

किसी कार्यालय या पद पर नियुक्ति के आरक्षण के लिए प्रावधान

भारत सरकार के अधीन या किसी प्राधिकरण के अधीन

भारत सरकार या सरकार के नियंत्रण में

भारत का या केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में सीटें "

((ii) अनुच्छेद *342* क के उपखंड *(2)* को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

"राष्ट्रपति, राष्ट्रीय की सलाह पर

पिछड़े वर्गों के आयोग में शामिल हैं या शामिल नहीं हैं

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची

खंड *(1)* के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट। *;*

(iii) अनुच्छेद *342* क में खंड *(3)* निम्नानुसार सम्मिलित कीजिए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"किसी राज्य के राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट करते हैं -

उस राज्य के अधीन या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन या राज्य के केंद्र के अधीन पदों के आरक्षण के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के लिए प्रावधान करना। इसके भीतर

राज्य "और

((iv) अनुच्छेद *342* क में खंड *(4)* निम्नानुसार सम्मिलित कीजिए:

"राज्यपाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर राज्य की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है - में निर्दिष्ट
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

खंड *(3)* के तहत जारी अधिसूचना "

373. हालाँकि, समिति ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया।

मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए संशोधन। *7* वीं बैठक *14.07.2017* पर आयोजित की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी स्पष्टीकरण में देखा गया है पैरा *29* जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"29. ..... उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक रूप से

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा

किसी भी तरह से पिछड़े राज्य की मौजूदा शक्तियों को नहीं छीनते हैं

वर्ग आयोग। फर्क केवल इस बात का होगा कि

केन्द्रीय सूची में, जहाँ अपवर्जन या समावेशन की शक्ति,

संविधान संशोधन के बाद, यह आएगा

एन. सी. बी. सी. की सिफारिशों के साथ संसद "।

374. विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक *19.07.2017* प्रस्तुत की। उन संशोधनों में से एक जो पहले पेश किए गए थे

अनुच्छेद *338* बी में समिति को देखा गया और स्वीकार नहीं किया गया। रिपोर्ट में मंत्रालय का रुख था कि प्रस्तावित संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। रिपोर्ट के पैराग्राफ *47* और *48* इस प्रकार हैं:

" 47. समिति ने उस संशोधन पर चर्चा की जिसमें अनुच्छेद *338* बी में एक नया उपखंड *(10)* डालने का प्रस्ताव किया गया था। यह उपखंड *(10)* इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

' खंड *9* में कुछ भी प्रावधान किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार के पास सामाजिक रूप से पहचान करने की शक्तियां बनी रहेंगी।
और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के डॉ।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

48. यह सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया था और

समिति को यह अधिकार देना कि प्रस्तावित संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मौजूदा शक्तियां

संविधान *(*एक सौ तेइसवां संशोधन*)* विधेयक, *2017* के पारित होने के बाद भी यह जारी है।

375. संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद *342* ए के संबंध में, अनुच्छेद *67* में समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज किया:

प्रभाव:

" 67. समिति का मानना है कि संशोधन किसी भी तरह से राज्य पिछड़े वर्ग आयोगों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करते हैं और वे इसका प्रयोग करना जारी रखेंगे।

अन्य पिछड़े लोगों को शामिल करने/बहिष्कार करने की उनकी शक्तियों को बाधित नहीं किया

राज्य सूची के संबंध में वर्ग "।

376. प्रवर समिति की रिपोर्ट राज्यसभा के समक्ष विचार के लिए आई। बहस के दौरान सदस्यों ने अपनी बात रखी।

राज्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन। राज्यसभा ने संशोधन के साथ *31.07.2017* पर विधेयक को पारित कर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलौत ने इस विधेयक का प्रस्ताव रखा। कई सदस्यों ने

आशंका व्यक्त की कि विधेयक राज्य की शक्तियों के हित में नहीं है। श्री बी. के. हरि प्रसाद ने विधेयक पर बोलते हुए कहाः

"श्री बी. के. हरिप्रसादः महोदय, *1993* के अधिनियम को निरस्त करने का अर्थ है कि कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा वह है और फिर से, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को अस्वीकार किया जा रहा है। इसलिए, यह आयोग पिछड़े वर्गों की मदद नहीं करेगा और राज्यों की शक्तियों को भी छीन लेगा। वे सभी शक्तियों को केंद्रीकृत करना चाहते हैं, क्योंकि वे
अन्य मामलों में किया है। ओ. बी. सी. एस. के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हालाँकि यह अधिनियम संसद में बहुत पहले *1993* में रोजगार आदि के उद्देश्यों के लिए और बहुत पहले *2007* में शिक्षा के लिए पारित किया गया था, लेकिन अब तक कुछ भी लागू नहीं किया गया है। यदि वे रोजगार, जातियों की पहचान आदि जैसी सभी चीजों को केंद्रीकृत करते हैं, तो वे ओ. बी. सी. एस. के साथ घोर अन्याय करेंगे। राज्यों की शक्तियों को समाप्त करने से पहले उन्हें दो बार सोचना चाहिए क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह राज्य हैं जो विभिन्न जातियों और समुदायों की पहचान करते हैं। वे बैठे लोगों *[2021] 15* एस. सी. आर. से बेहतर जानते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यहाँ दिल्ली में। इसलिए, अनुच्छेद *342* में संशोधन और समतुल्यता
एससी/एसटी सूची में ओ. बी. सी. सूची की पहचान नहीं की जानी चाहिए।

99

377. श्री भूपेंद्र यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि संशोधन विधेयक संघवाद और राज्य के हित के लिए खतरा है। अपने बयान में *(*हिंदी से अनुवादित*)* उन्होंने कहाः

"..... कि यह देश के संघवाद के लिए एक बड़ा खतरा होगा और राज्यों के अधिकारों का क्या होगा*?* यहाँ मैं

कहना चाहते हैं कि कम से कम यह विषय सदन के समक्ष और सदन के माध्यम से देश में जाना चाहिए कि लगभग साढ़े पाँच

देश की सूची और लगभग साढ़े दस हजार जातियाँ और श्रेणियाँ राज्य सूची में ओ. बी. सी. के अंतर्गत आती हैं। उनके कार्य पहचान
*(*एस. आई. सी.*)* और संसद के पास जो शक्ति है, वह केवल साढ़े पाँच हजार केंद्रीय सूची के लिए है, राज्यों के अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे और इसलिए उन्होंने इस संशोधन के माध्यम से संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। के लिए

पहली बार, हमने यह व्यवस्था बनाई है कि अगर ओ. बी. सी. पदों को भरने का काम नहीं किया जाएगा, तो रिपोर्ट

ओ. बी. सी. आयोग को संसद के समक्ष रखा जाएगा। यह

देश के लोकतंत्र की मांग होनी चाहिए कि अगर निम्न वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो वे सभी दस्तावेज संसद के समक्ष कारणों के साथ आने चाहिए। करने के लिए प्रावधान
इस ओ. बी. सी. आयोग में भी ऐसा ही किया गया है।

378. श्री दिलीप कुमार तिर्की *(*ओडिशा*)* ने अपने भाषण में राज्य सूची और केंद्रीय सूची का उल्लेख किया है और कहा है *(*हिंदी से अनुवादित*)* कि ओ. बी. सी. की पहचान करने की शक्तियां राज्य के पास बनी हुई हैं।

महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।
संशोधन विधेयक, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, हमारे देश में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण लगभग *24* साल पहले दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट है।

संविधान के अनुच्छेद *14-15* में प्रावधान है कि राज्य सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। हमारी पार्टी बीजद ओ. बी. सी. के लिए बनाए जाने वाले राष्ट्रीय आयोग के समर्थन में है और हम हैं। इसका समर्थन करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ मुद्दे और चिंताएं हैं और मैं उन्हें सदन के समक्ष पेश करना चाहूंगा। महोदय, वर्तमान प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक राज्य की अपनी ओ. बी. सी. सूची और डी. आर. है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

ओ. बी. सी. सूची के तहत तो यह अनिवार्य नहीं है कि यह इसके अंतर्गत आता है
केंद्रीय या अन्य राज्यों की सूची। इसके पीछे तर्क यह है कि

प्रत्येक राज्य में अलग-अलग जातियाँ हैं और ये अलग-अलग जातियाँ हैं

उन्हें सूचित करें। महोदय, यह हमारी पार्टी की राय है कि
ओ. बी. सी. जातियों की अधिसूचना केवल राज्यों के पास ही होनी चाहिए।

क्योंकि केवल संबंधित राज्य ही इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता है

उनके राज्यों में जातियों की संख्या और उनकी स्थिति क्या है। केवल
सरकार अच्छी तरह से जानती है। उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है

केंद्रीय सूची। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहूंगा

और सदन को विधेयक में ऐसा प्रावधान जोड़ना जिसके द्वारा -
ओ. बी. सी. सूची से किसी भी जाति को जोड़ने या हटाने का कार्य होना चाहिए

केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर सख्ती से किया जाता है
जिससे यह संबंधित है। महोदय, आप राष्ट्रीय सूची बना सकते हैं।

एकरूपता धीरे-धीरे आती है। जब एस. सी., एस. टी., राष्ट्रीय आयोग

अलग एस. सी., एस. टी. आयोग का गठन किया गया, इसे इसका दर्जा मिला *2003* में संवैधानिक निकाय। इसलिए, *1* अपील करना चाहेगा

सदन और सरकार इस पर पुनर्विचार और विचार करें

बिन्दु। इसके अलावा, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि

माननीय उच्चतम न्यायालय का अवलोकन, एक प्रावधान था

हर *10* साल के बाद समीक्षा करें ताकि अन्य जातियां न रह जाएं।

इसलिए, हर *10* साल के बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मेरी राय में,

इसे भी ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य करें, धन्यवाद।

99

379. इसी तरह की आशंका टी. के. रंगराजन ने भी व्यक्त की थी।

और श्री प्रदीप टम्टा ने कहा कि अनुच्छेद *342* ए मौजूदा शक्तियों को छीन लेता है

एस. ई. बी. सी. की सूची अधिसूचित करने के लिए राज्य का। बहस के बाद विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और पारित कर दिया गया।

380. मंत्री श्री थावरचंद गहलौत ने बहस के बाद

इसमें कहा गया है कि सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि राज्य की शक्ति प्रभावित होगी और संघीय ढांचे को नुकसान होगा, गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, राज्य की ओ. बी. सी. की सूची में शामिल करने और बाहर करने की शक्ति अभी भी बनी रहेगी।

जारी रखें। मंत्री द्वारा दिया गया बयान *(*हिंदी से अनुवादित*)* निम्नलिखित प्रभाव का हैः

" महोदय, संविधान में *4* बड़े संशोधन किए जा रहे हैं।

एक संशोधन अनुच्छेद *338* के भाग *10* से संबंधित है जिसमें, ओ. बी. सी. *[2021] 15* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद *338* के तहत अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान, अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान *338 (ए)* के तहत है और अब अनुच्छेद *338 (*बी*)* के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया जा रहा है। एससी आयोग और एसटी आयोग को पहले से ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इसी तरह ओ. बी. सी. आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से एससी और एसटी आयोग को अधिकार, कर्तव्य और शक्ति दी गई है, उसी तरह के अधिकार उन्हें भी दिए गए हैं। अनुच्छेद *341* और *342* में संबंधित श्रेणियों की जातियों को शामिल करने और हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद *342*

(ए) इसी प्रक्रिया को अपनाकर ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित जातियों को शामिल करने और हटाने का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ अनुच्छेद *366* में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएँ दी गई हैं; अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित जातियों को इसके उप-खंड *24* में संदर्भित किया गया है; अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित जातियों को उप-खंड *25* में संदर्भित किया गया है।

इसका उल्लंघन किया गया है, इसके संबंध में मुझे कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेदों में कहीं भी उन्हें कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी तरह से अधिकार। राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है

बहुत पहले से उनके संबंधित क्षेत्र। जब काका कालेलकर समिति का गठन किया गया था और जब उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस समय भी कई राज्यों ने इस तरह के आयोग का गठन किया था। राज्य सूची ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित कार्यों से संबंधित है और उन्हें अधिसूचित करती है। इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कई राज्यों ने ऐसे आयोगों का गठन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने *1992-1993* में भी फैसला दिया था, उस आधार पर भी कई राज्यों ने अपने कार्यकाल में ओ. बी. सी. आयोग का गठन किया था।

संबंधित क्षेत्र। वर्तमान में *30-31* राज्यों ने ऐसे आयोगों का गठन किया है। इसकी पूरी सूची मेरे पास है। संबंधित राज्यों की सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार

ओ. बी. सी. एस. जैसा है वैसा ही रहेगा और किसी भी मामले में इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

तरीके से।

इसके अलावा, अनुच्छेद *15* और *16* की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों ने डी. आर. से संबंधित अपनी शक्तियों का भी प्रयोग किया है।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*अशोक भूषण, जे।*]*

ओ. बी. सी. श्रेणी के हित में योजनाएं बनाना और इस संबंध में प्रावधान करना और ऐसी शक्ति बनी रहेगी। हम अनुच्छेद *15* और अनुच्छेद *16* में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संवैधानिक संशोधन से राज्य आयोग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। मैं ईमानदारी से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य

सरकारों के पास अधिकार है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।

उनके साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा।

381. विधेयक को राज्यसभा में *31.07.2017* पर पारित किया गया था और उसके बाद इसे लोकसभा द्वारा *02.08.2017* पर लिया गया था। लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने फिर से एक बयान दिया कि आयोग केंद्रीय सूची से संबंधित निर्णय लेगा *02.08.2017* पर मंत्री के बयान *(*हिंदी से अनुवादित*)* को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" एस. थावर चंद गहलौत

महोदया, यह आयोग, जो बनाया जाएगा, केंद्रीय सूची से संबंधित निर्णय लेगा। चूंकि राज्य और केंद्र की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक आम सूची है, इसलिए यहां ऐसा नहीं है। इसमें केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग सूची बनाई जाती है। राज्यों की सूची बनाने का कार्य राज्य आयोग द्वारा निर्णय लेकर किया जाता है।

यदि कोई राज्य सरकार उस राज्य की किसी भी जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती है, तो इस संबंध में यह आयोग राय देगा, अन्यथा इस आयोग की राय न तो राज्य सूची के संबंध में बाध्यकारी है और न ही आयोग इस पर विचार करेगा।

यह। अपने स्वयं के विश्वास के अनुसार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट राज्य से संबंधित विषयों पर बाध्यकारी नहीं होगी, इसमें ऐसे प्रावधान हैं। आप आश्वस्त रहें और इस विधेयक का समर्थन करें।

382. लोकसभा ने संविधान का *123* वां संशोधन भी पारित कर दिया।

आई. डी. *4* पर विधेयक, *2017,* जिस पर राज्यसभा ने आई. डी. *2* पर सहमति व्यक्त की थी और आई. डी. *3* पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम, *2018,* आई. डी. *3* पर प्रकाशित किया गया था और इसके प्रवर्तन को आई. डी. *1* से अधिसूचित किया गया है। संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम में अनुच्छेद *338* बी और *342* ए और अनुच्छेद *366 (26* सी*)* शामिल किए गए जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"338 बी. *(1)* सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा।

अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। *(3)* आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

(4) आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) यह आयोग का कर्तव्य होगा।

संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना

(अ)

इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या किसी भी आदेश के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय।

सरकार की ओर से और ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख)

के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करना।

सामाजिक-आर्थिक मामलों में भाग लेना और सलाह देना।

((ग)

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना।

((घ)

आयोग जिस समय उचित समझे, उस समय के बारे में रिपोर्ट करता है -
उन सुरक्षा उपायों पर काम करना;

(ई)

ऐसी रिपोर्टों में ऐसी सिफारिशें करना कि -

उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी भी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपाय और सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक जयश्री लक्ष्मण पटेल के लिए अन्य उपाय।

प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[*अशोक भूषण, जे।*]*

सामाजिक और शैक्षिक रूप से आर्थिक विकास

पिछड़े वर्ग; और
के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना

(च)

राष्ट्रपति के रूप में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति, किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

संसद द्वारा बनाया गया, नियम द्वारा निर्दिष्ट।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।

संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई और ऐसी किसी भी सिफारिश की अस्वीकृति, यदि कोई हो, के कारण। *(7)* जहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहाँ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो

राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई और ऐसी किसी भी सिफारिश की अस्वीकृति, यदि कोई हो, के कारणों को समझाते हुए एक ज्ञापन के साथ इसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(8) आयोग, निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करते समय, उपखंड *(क)* में या खंड *(5)* के उपखंड *(ख)* में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करने के लिए, एक दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं जो एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:

(अ) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना

भारत के किसी भी हिस्से से और शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना

(घ) कोई भी अदालत या कार्यालय;

गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना

(ई) और दस्तावेज़;

कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा,

(च) तय करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार परामर्श करेगी -

सामाजिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "। .

342 ए. *(1)* राष्ट्रपति किसी भी राज्य के संबंध में या

राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक रूप से और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो इन उद्देश्यों के लिए होंगे -

इस संविधान को सामाजिक और शैक्षिक रूप से माना जाए।

उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में पिछड़े वर्ग, जैसे -

मामला हो सकता है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची
खंड *(1)* के तहत जारी अधिसूचना किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से

पिछड़े वर्ग, लेकिन उपरोक्त के रूप में नीचे जारी एक अधिसूचना को छोड़ दें

उक्त खंड में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। .

" 366 (26(c) "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग"

342 ए इस संविधान के उद्देश्यों के लिए; "।
383. वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद

संविधान और सहायता जिनका किसी भी अस्पष्टता के मामले में सहारा लिया जा सकता है

एक शब्द में, अब हम संविधान *(102* वां संशोधन*)* अधिनियम द्वारा जोड़े गए संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

384. पहला अनुच्छेद जिसे संविधान द्वारा जोड़ा गया है

(एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम अनुच्छेद *338* बी है। संविधान *(*एक सौ तेइसवां संशोधन*)* विधेयक, *2017* के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, हमने ऊपर देखा था, जिसमें संविधान संशोधन के उद्देश्यों में से एक थाः -

"..... सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए और

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है -

अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग
जनजातियाँ।

(हमारे द्वारा रेखांकित*) "*

385. संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* से पहले,

पिछड़ा वर्ग डी. आर. के लिए एक राष्ट्रीय आयोग पहले से ही मौजूद था।

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। प्रमुख मंत्री

& एएनआर। *[* अशोक भूषण, जे।*]*

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, *1993 (*संक्षेप में *1993* अधिनियम*)* के तहत, जो एक सांविधिक आयोग था। संविधान *(*एक सौ दूसरा संशोधन*)* अधिनियम द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका और कार्यों को समझने के लिए, हमें वैधानिक आयोग की भूमिका और कार्यों में अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आयोग और संवैधानिक आयोग। *1993* के अधिनियम की धारा *9* में आयोग के कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है: -

"9. आयोग के कार्य।
(1) आयोग किसी भी वर्ग के नागरिकों को सूचियों में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी भी पिछड़े वर्ग के अति-समावेश या कम-समावेश की शिकायतों पर सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार को ऐसी सलाह देगा जो वह उचित समझे।

(2) आयोग की सलाह आमतौर पर बाध्यकारी होगी।

केंद्र सरकार पर "।

386. धारा *11* केंद्र सरकार द्वारा सूची के आवधिक संशोधन का प्रावधान करती है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"11. केंद्र सरकार द्वारा सूचियों का आवधिक संशोधन।

(1) केंद्र सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के लागू होने से दस साल की समाप्ति पर ऐसा कर सकती है और करेगी।

और उसके बाद के दस वर्षों की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि में, उन वर्गों को ऐसी सूचियों से बाहर करने की दृष्टि से सूचियों का संशोधन किया जाता है जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गए हैं या ऐसी सूचियों में नए पिछड़े वर्गों को शामिल किया जाता है।

(2) केंद्र सरकार, किसी भी कार्य को करते समय,

उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट संशोधन के लिए आयोग से परामर्श करें।

387. अधिनियम, *1993* इंगित करता है कि आयोग के कार्य केवल शामिल करने या आयोग से बाहर करने के अनुरोधों की जांच करने तक सीमित थे।

पिछड़े वर्गों की सूची। इस सूची को अधिनियम, *1993* की धारा *2* सी में परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ भारत सरकार के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्ग की नियुक्ति के लिए आरक्षण के लिए सूची है। अब जोड़ा गया अनुच्छेद *338* बी एक बहुत बड़ी और व्यापक भूमिका प्रदान करता है

आयोग। अधिनियम, *1993* में आयोग को केवल केंद्र सरकार को सलाह देने की आवश्यकता थी। अनुच्छेद *338* बी अब आवश्यक करता है - केंद्र सरकार और *[2021] 15* एस. सी. आर. दोनों को सलाह देने के लिए आयोग।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो अनुच्छेद *338* बी के उपखंड *(5), (7)* और *(9)* से स्पष्ट है,

इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

" (5) यह आयोग का कर्तव्य होगा।

(क) इस संविधान के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;

(ख) के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना

सामाजिक और सामाजिक रूप से अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करना

संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
(घ) राष्ट्रपति के समक्ष, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, के कार्यकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ङ) संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना। उन सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन और अन्य

संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक के लिए उपाय
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति के अधीन हों।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के लिए, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

(7) जहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, तो

ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो इसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखा जाएगा जिसमें इस बारे में की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की व्याख्या की जाएगी -

राज्य से संबंधित सिफारिशों पर विचार किया जाए और इनमें से किसी को भी स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों,

सिफारिशें।